

MAPA-202

कार्मिक प्रशासन

PERSONNEL ADMINISTRATION



उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी- 263139

फोन नं0- 05946- 261122, 261123

टॉल फ्री नं0- 18001804025

ई-मेल- info@uou.ac.in

वैबसाईट- <http://uou.ac.in>

अध्ययन मंडल

प्रो० गिरिजा प्रसाद पाण्डे निदेशक- समाज विज्ञान विद्या शाखा उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	प्रो० अजय सिंह रावत उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड
प्रो० एम० एम० सेमवाल राजनीति विज्ञान विभाग केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गढवाल, उत्तराखण्ड	प्रो० मधुरेन्द्र कुमार (विशेष आमंत्रित सदस्य) राजनीति विज्ञान विभाग कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड
डॉ० ए०के० रुस्तगी, रीडर, राजनीति विज्ञान जे०एस०पी०जी० कॉलेज, अमरोहा, उत्तर प्रदेश	डॉ० सूर्य भान सिंह, असिस्टेन्ट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड
डॉ० घनश्याम जोशी (असिस्टेन्ट प्रोफेसर) उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	
पाठ्यक्रम संकलन और सम्पादन	
डॉ० घनश्याम जोशी (असिस्टेन्ट प्रोफेसर) लोक प्रशासन विभाग उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	
इकाई लेखक	इकाई संख्या
डॉ० मनीषा माथुर, लोक प्रशासन विभाग, कनोरिया राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, जयपुर	1, 2, 3, 4
डॉ० जाकिर हुसैन, सेवानिवृत्त प्रोफेसर सहस्रवानी टोला, ओल्ड सीटी, बरेली, उत्तर प्रदेश	5, 6, 7, 8, 9
प्रो० दुर्गाकान्त चौधरी, राजनीति विज्ञान विभाग एस०बी०एस० पी०जी० कालेज, रूद्रपुर	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
डॉ० तीर्थ प्रकाश, राजनीति विज्ञान विभाग राजकीय महाविद्यालय, मगलौर, हरिद्वार	17, 18, 19
डॉ० अंजु पारीक लोक प्रशासन विभाग, एस० जी० पारीक पी०जी० कालेज, जयपुर	20, 21, 22, 23

प्रकाशन वर्ष- 2021

कापीराइट @ उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

प्रथम संस्करण- 2021

प्रकाशक निदेशालय- उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

प्रकाशन से पूर्व की प्रति।

अनुक्रम

खण्ड-1 कार्मिक प्रशासन	
1. कार्मिक प्रशासन की अवधारणा, प्रकृति और क्षेत्र	1 – 13
2. कार्मिक प्रशासन के कार्य और महत्व	14 – 23
3. प्रशासनिक व्यवस्था में लोक सेवा एवं उनकी भूमिका	24 – 37
4. भारत में कार्मिक लोक प्रशासन की विशेषताएं	38 – 48
खण्ड-2 भारत में लोक सेवा	
5. आधुनिक नौकरशाही के सन्दर्भ में लोकसेवा	49 – 61
6. नौकरशाही के आधार	62 – 71
7. भारत में लोक सेवा का विकास	72 – 84
8. सेवाओं का वर्गीकरण	85 – 96
9. सामान्यज्ञ बनाम विशेषज्ञ	97 – 108
खण्ड-3 कार्मिक अभिकरण	
10. संघ लोक सेवा आयोग/राज्य लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग	109 – 126
11. केन्द्रीय और राज्य प्रशिक्षण संस्थान	127 – 144
12. प्रशासनिक अधिकरण	145 – 156
खण्ड-4 कार्मिक प्रबन्धन: नीति और व्यवहार	
13. कार्मिक नीति	157 – 170
14. भर्ती (सेवाओं में आरक्षण)	171 – 187
15. पदोन्नति	189 – 203
16. प्रशिक्षण	204 – 223
खण्ड-5 कार्य दशाएं एवं सेवा दशाएं	
17. वेतन प्रशासन	224 – 238
18. आचार एवं अनुशासन	239 – 252
19. प्रशासनिक नैतिकता एवम् कार्मिक प्रशासन में भ्रष्टाचार	253 – 273
खण्ड-6 नियोक्ता कार्मिक संबंध	
20. नियोक्ता कार्मिक संबंध	274 – 285
21. कार्मिक संघ	286 – 295
22. अभिप्रेरणा और नैतिकता	296 – 307
23. कार्मिकों की सेवा संबंधी शिकायतें एवम् उनका निवारण: प्रावधान व प्रक्रियाएं	308 – 317

इकाई- 1 कार्मिक प्रशासन की अवधारणा, प्रकृति एवं क्षेत्र

इकाई की संरचना

- 1.0 प्रस्तावना
- 1.1 उद्देश्य
- 1.2 कार्मिक प्रशासन की अवधारणा
 - 1.2.1 कार्मिक प्रशासन: परिभाषा एवं अर्थ
- 1.3 कार्मिक प्रशासन: विकास के चरण
- 1.4 कार्मिक प्रशासन: प्रकृति
- 1.5 कार्मिक प्रशासन का क्षेत्र
- 1.6 निष्कर्ष
- 1.7 सारांश
- 1.8 शब्दावली
- 1.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 1.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 1.11 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 1.12 निबन्धात्मक प्रश्न

1.0 प्रस्तावना

किसी भी देश के उद्देश्यों की प्राप्ति में सबसे महत्वपूर्ण इकाई संगठन ही होता है एक सफल संगठन ही देश की सफलता की सबसे प्रथम आवश्यकता होती है। किसी भी संगठन को सफल बनाने हेतु दो बातें आवश्यक होती हैं। प्रथम, उसमें उपलब्ध मानव शक्ति की गुणवत्ता, द्वितीय नेतृत्व की गुणवत्ता। अर्थात्, शक्ति संगठन को सफल नहीं बना सकती सफलता के लिये मानव शक्ति की आवश्यकता होती है। यद्यपि, संगठन के सफलतापूर्वक संचालन में वित्तीय, तकनीकी एवं अन्य प्रकार के साधनों का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, परन्तु सबसे श्रेष्ठ स्थान या भूमिका उसमें उपस्थित मानव संसाधन की होती है। कार्मिक प्रशासन मानव साधनों के उचित प्रबंधन से जुड़ा होता है। इस इकाई में हम कार्मिक प्रशासन के इन्हीं पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

1.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप-

- कार्मिक प्रशासन के विकास के विभिन्न चरणों के बारे में जान पाएंगे।
- कार्मिक प्रशासन की अवधारणा को समझ पाएंगे।
- कार्मिक प्रशासन की विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर उसके अर्थ को जान पाएंगे।
- कार्मिक प्रशासन की प्रकृति का विवेचन कर पाएंगे।
- कार्मिक प्रशासन के क्षेत्र को विस्तार पूर्वक समझ पाएंगे।

1.2 कार्मिक प्रशासन की अवधारणा

आधुनिक युगलोक कल्याणकारी राज्यों का युग है, जहां विकास एवं कल्याण से संबंधित सभी कार्य प्रशासन का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। सरकार का यही उत्तरदायित्व संगठनों के कार्य, उत्तरदायित्व, गतिविधियों आदि में

सीमित वृद्धि करता है इसके परिणाम स्वरूप संगठनों की मांग तो बढ़ती ही है साथ ही साथ उनसे कार्यकुशलता की अपेक्षाएं भी बढ़ती जाती हैं, क्योंकि संगठन की सफलता इस बात पर ही निर्भर करती है कि उस में कार्यरत कर्मचारी विकास की बढ़ती गति एवं मांग के साथ किस प्रकार से सामंजस्य बिठाता है एवं संगठन के हितों के लिए कार्य करता है। कार्मिक प्रशासन की अवधारणा को समझने के लिए हम इसके विकास के चरणों इसकी परिभाषा अर्थ एवं प्रकृति के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं।

1.2.1 कार्मिक प्रशासन का अर्थ एवं परिभाषा

आदि काल से लेकर अब तक मानव सभ्यताओं तथा संस्कृति का अत्यधिक विकास हुआ है। विश्व इतिहास के पन्नों में वर्णित तथा अवर्णित शासन व्यवस्थाओं ने भी विकास की इस प्रक्रिया में व्यापक भूमिका निभायी है। विकास की ये सदियों पुरानी प्रक्रिया संगठनात्मक प्रयासों तथा संसाधनों पर अत्यधिक निर्भर करती रही है। विकास के लिए आवश्यक संसाधनों में मशीन, प्राकृतिक सामग्री, तकनीक, वित्त तथा श्रम शक्ति की उपलब्धता प्राथमिक शर्त है। समस्त प्रकारके संसाधनों में मानव श्रम शक्ति अर्थात् कर्मचारी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि शेष संसाधनों का सदुपयोग मानवीय कुशलता तथा प्रतिबद्धता पर ही निर्भर करता है। अतः वर्तमान प्रशासनिक परिदृश्य में सर्वाधिक ध्यान मानव संसाधन विकास (Human Resource Development) पर दिया जा रहा है। प्रशासन तथा प्रबंध से संबद्ध इकाइयों में कार्मिक प्रशासन को अब एच. आर. डी. (H.R.D.) भी कहते हैं, क्योंकि संगठनात्मक लक्ष्यों की संपूर्ति तथा उस संगठन की छवि उसमें कार्यरत कार्मिकों पर ही निर्भर करती है। इसलिए ई. एन. ग्लैडेन कहते हैं- “लोक प्रशासन में कर्मचारी ही मुख्य तत्व है।”

संगठन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है परंतु वास्तविक रूप में वह अकेला कुछ नहीं कर सकता। वास्तविक रूप में उसमें काम करने वाले स्त्री-पुरुष जो विभिन्न उच्च और निम्न पदों पर नियुक्त होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यदि संगठन में से कार्मिक को निकाल दें तो वह एक अमूर्त वस्तु बन जाता है, अर्थात् वह पारस्परिक संबंधों की एक ऐसी व्यवस्था मात्र रह जाता है जो संगठन के मस्तिष्क में अथवा कागज़ पर ही होती है। संगठन के भीतर विविध पदों पर कार्य करने वाले कार्यकर्ता, अधिकारी अथवा सेवक सामूहिक रूप से कार्मिक अथवा सेवकों के नाम से पुकारे जाते हैं।

किसी भी देश का प्रशासन वास्तविक रूप में सेवीवर्ग अथवा कार्मिक वर्ग द्वारा ही किया जाता है। शासन में नीति-निर्माण का कार्य राजनीतिक नेतृत्व द्वारा किया जाता है, लेकिन उन नीतियों को क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व सेवीवर्ग पर है। राज्य की कल्याणकारी स्वरूप के विस्तार के साथ-साथ सेवीवर्ग अथवा कार्मिक प्रशासन का महत्व बढ़ता जा रहा है। इस कथन में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सफल सेवीवर्ग प्रशासन जहाँ एक ओर प्रशासन की सफलता के लिए परमावश्यक है, वहीं दूसरी ओर लोक-कल्याण की अभिवृद्धि का भी आधार-स्तंभ है। अतः प्रशासन-यन्त्र को संचालित करने वाले इन लोगों का ध्यान रखें बिना सम्पूर्ण प्रशासकीय ढांचा चरमरा जाएगा और प्रशासकीय प्रक्रिया अस्त-व्यस्त हो जाएगी। अर्थात् प्रशासन के मानवीय पहलू की अपेक्षा अधिक घातक होगी। व्यवहार में, वहीं प्रशासन सफल हो सकता है जो मानव-स्वभाव और मानवीय आकांक्षाओं के अनुरूप हो। सेवीवर्ग प्रशासन अथवा कार्मिक प्रबंध वह केन्द्र बिन्दु है जिसके इर्द-गिर्द प्रशासन की विविध समस्याएं छायी रहती हैं। सुयोग्य और कुशल कर्मचारी प्रशासकीय ढांचे और प्रशासकीय प्रक्रिया की निर्बलताओं को दूर करके प्रशासन के उद्देश्यों की पूर्ति को संभव बनाते हैं, जबकि अयोग्य और अकुशल कर्मचारी श्रेष्ठ प्रशासनिक ढांचे और प्रक्रिया को निर्बल और अस्त-व्यस्त बना देते हैं। इस संबंध में हरमन फ़ाइनर का कहना है, “लोक प्रशासन में सेवीवर्ग को ही सर्वोच्च तत्व माना जाता है।” इस कथन में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि सुगठित तथा सुविचारित सेवीवर्ग प्रशासन ही किसी प्रशासनिक संगठन की सफलता का मुख्य आधार है। नीग्रो का मानना है कि, कार्मिकों की कुशलता तथा योग्यता ही संगठन की सफलता को निर्धारित करती है। योग्य तथा

प्रतिबद्ध कर्मचारी, कमजोर प्रशासनिक व्यवस्था की कमियों को दूर कर उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल रहते हैं जबकि अयोग्य तथा निकृष्ट कर्मचारी सर्वोत्कृष्ट प्रशासनिक व्यवस्था को भी असफल सिद्ध कर सकते हैं।”

उपरोक्त वर्णित अवधारणा की विवेचना के उपरान्त अब कार्मिक प्रशासन के अर्थ को विस्तार से समझते हैं। कार्मिक प्रशासन लोक प्रशासन की वह शाखा है जो कार्मिक संसाधनों के प्रबंधन में संगठन की सहायता करती है, इसके लिए पूर्व विचारित नियमों, परंपराओं और विवेकपूर्ण तकनीकों का प्रयोग कार्मिकों के विकास, प्रतिधारण और चयन में किया जाता है ताकि वैज्ञानिक और व्यवस्थित ढंग से संगठनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। सरल शब्दों में कार्मिक प्रशासन कार्मिकों की भर्ती, प्रशिक्षण, वर्गीकरण, पदोन्नति, वेतन, भत्ते, अनुशासनात्मक कार्यवाही, अवकाश, परिवेदना निवारण, पेंशन, सेवा निवृत्ति आदि आयामों को समाहित किया जाता है।

कार्मिक प्रशासन को सेवीवर्गीय या स्टाफ़ प्रबंध या जनशक्ति प्रबंध के नाम से भी जाना जाता है। औद्योगिक संस्थानों में कार्मिक प्रशासन से सम्बंधित प्रकरण “कर्मचारी प्रबन्ध”, मानव संसाधन प्रबन्ध या “श्रम सम्बन्ध” या “औद्योगिक सम्बन्ध” के नाम से भी समझे जाते हैं। कार्मिक प्रशासन के प्रति गम्भीर चिन्तन उत्पन्न कराने में एफ. डब्लू. टेलर की वैज्ञानिक प्रबन्ध विचारधारा का महत्वपूर्ण स्थान है।

कार्मिक प्रशासन के अर्थ को और स्पष्टता से समझने के लिए आइए इसकी कुछ परिभाषाओं को देखा जाए-

नैशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ़ पर्सोनेल मैनेजमेंट (National Institute of Personnel Management) ने कार्मिक प्रशासन को कुछ इस प्रकार परिभाषित किया है, “कार्मिक प्रबन्ध प्रबन्धन कार्य का वह भाग है जिसका सम्बन्ध प्रमुखतया संगठन के भीतर मानवीय रिश्तों से होता है। इसका उद्देश्य इन रिश्तों को ऐसे आधार पर बनाए रखना है जो व्यक्ति की भलाई को ध्यान में रखते हुए उन सभी को जो उस संगठन में कार्य करते हैं, इस योग्य बनाता है कि वे संगठन के प्रभावकारी रूप से चलने में अपना योगदान दें।”

पीयर्स और मायर्स का कथन है कि “कार्मिक प्रबन्ध, कर्मचारियों की समर्थता को विकसित करने का एक तरीका है ताकि वे अपने कार्य से अधिकतम संतोष प्राप्त करें और संगठन के लिए अपने उत्तम प्रयास करें।”

मार्शल ई. डिमॉक के अनुसार, “कार्मिक प्रशासन ऐसी प्रशासनिक प्रक्रियाओं का नाम है जिनके द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति एवं रोजगार लक्ष्यों का नियम तथा परिवर्तन किया जाता है।”

एडविन फ़िलपो के विचारानुसार, “सेवीवर्ग प्रबन्ध, कार्य करने वालों लोगों अर्थात् कर्मचारियों की कार्य सम्पन्नता को नियोजित, संगठित, निर्देशित तथा नियंत्रित करता है।”

इस प्रकार विभिन्न परिभाषाओं के द्वारा कार्मिक प्रशासन का अर्थ विस्तार से जान लेने के बाद ये भी जान लें कि सरकारी कार्यालयों एवं निजी संगठनों में कार्मिक प्रशासन से सम्बंधित व्यवस्था भी अलग अलग प्रकार से देखी जा सकती है या उपस्थित होती है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में चूँकि कार्यों की प्रकृति, उत्पादन, वितरण, विनियोजन, कार्मिक प्रकरणों के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है, अतः वहाँ कार्मिक कार्यों को सम्पादित करने के लिए एक पृथक से इकाई, शाखा या विभाग होता है, जो एक वरिष्ठ प्रबन्धक के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसके विपरीत सरकारी विभागों या कार्यालयों में प्रायः अलग से कार्मिक प्रशासन की कोई इकाई नहीं होती है, बल्कि सम्बन्धित कार्यालय या विभाग में कार्मिकों के लिए दी जाने वाली प्रक्रियाएं ही सामूहिक रूप से कार्मिक प्रशासन कहलाती हैं। संबंधित कार्यालय का अधिकारी ही कार्मिक अधिकारी होता है। सरकारी कार्यालयों में सामान्य रूप से दो शाखाएं अवश्य होती हैं- संस्थापना शाखा (Establishment branch) और लेखा शाखा (Accounts branch)। इन दो शाखाओं के अतिरिक्त अन्य प्रशासनिक शाखाएं भी संबंधित कार्यालय की कार्य प्रकृति के अनुसार गठित की जाती हैं।

संस्थापना शाखा को कार्मिक प्रशासन का लघु रूप माना जाता है। कर्मचारियों की भर्ती, नियुक्ति, प्रशिक्षण, वेतनवृद्धि, पदोन्नति इत्यादि का कार्य इसी शाखा के द्वारा देखा जाता है। सरकारी पैसे को राजकोष से निकालने, व्यय करने, बिल तैयार करने तथा वेतन इत्यादि का समस्त कार्य लेखा शाखा द्वारा सम्पादित होता है। कार्मिक

प्रकरणों के सभी वित्तीय मामले इसी शाखा के द्वारा निपटाए जाते हैं। अतः निष्कर्ष तौर पर कहा जा सकता है कि, कार्मिकों से सम्बंधित विभिन्न कार्य एवं उनका कार्यान्वयन कार्मिक प्रशासन कहला सकता है, फिर चाहे वह किसी भी शाखा से संपादित किया जाए।

उपरोक्त वर्णित सभी परिभाषाओं के माध्यम से कार्मिक प्रशासन की कुछ विशेषताओं को इंगित किया जा सकता है-

- कार्मिक प्रशासन प्रशासनिक संगठनों में कार्य करने वाले लोगों अर्थात् मानवीय तत्वों से सम्बंधित होता है।
- संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति में आवश्यक होता है।
- कर्मचारियों को संगठनमें लाने, उन्हें संगठन में बनाए रखने तथा उनके व्यक्तिगत और सामूहिक विकास से सम्बंधित कार्य करता है।
- कर्मचारियों की संतुष्टि के स्तर से प्रभावित होता है।
- कर्मचारियों की क्षमताओं, इच्छाओं तथा सन्तुष्टि को समझते हुए अन्य संसाधनों का सदुपयोग निश्चित करता है।
- संगठनात्मक विकास के लिए यह एक आवश्यक एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।
- समग्र प्रशासन का वह भाग है जो कार्मिक मामलों से सम्बंधित है।

1.3 कार्मिक प्रशासन के विकास के चरण

राष्ट्रीय स्तर पर कार्मिक प्रशासन के विकास के चरणों को देखने से पहले आइए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्मिक प्रशासन के विकास को समझते हैं। ब्रिटेन में कुछ उद्यमियों ने कल्याणकारी विचारधारा को अपनाया, जिसके कारण वहां पर स्वतः ही आधुनिक कार्मिक प्रशासन की स्थापना हो गई। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका की बात करें तो कार्मिक प्रबंध की धारणा का विकास वास्तव में यही पर हुआ माना जाता है। इस तथ्य को समझने के लिए निकोलस हेनरी द्वारा अमेरिका में सरकारी तंत्र के कार्मिक प्रशासन अर्थात् लोक कार्मिक प्रशासन द्वारा विश्लेषित 7 चरणों को देखते हैं- प्रथम चरण(1789-1829), द्वितीय चरण(1829-1883), तृतीय चरण(1883-1906), चतुर्थ चरण(1906-1937), पंचम चरण (1937-1955), षष्ठम चरण(1955-1970), सप्तम चरण (1970-till date)

प्रथम काल को एल. डी. व्हाइट ने भद्रजनों द्वारा शासन माना, क्योंकि इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने संघीय नौकरशाही में योग्य तथा प्रतिभावान लोगों को नियुक्त करने को प्राथमिकता दी। 1832 में अमेरिकी सीनेटर विलियम एल. आर. मर्फी ने 'लूट प्रणाली' का नाम दिया था, क्योंकि उस समय एंड्रयू जैक्सन के काल में नौकरशाही लूट प्रणाली से भरी थी। चतुर्थ काल एफ.डब्लू. टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन का दौर था। वैज्ञानिक प्रबंधन का यह सिद्धांत ही वास्तव में कार्मिक प्रशासन की आधारशिला था।

टेलर ने कार्मिकों के वैज्ञानिक आधार पर चयन या भर्ती, व्यवस्थित प्रशिक्षण व्यवस्था तथा कार्मिकों के व्यक्तिगत विकास पर अत्यधिक बल दिया था और उनके ही सहयोगी एच. एल. गेंट ने कहा था कि इस वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन को सफल बनाने में कार्मिकों की भागीदारी होना अति आवश्यक है। गेंट ने कहा कि कार्मिकों को केवल यह बताना ही काफी नहीं होगा कि उन्हें कैसे काम करना चाहिए बल्कि उन्हें इस बात के लिए भी तैयार करना होगा कि वे अपना काम अपनी पूरी काबिलियत के साथ निभा सके। इसी के साथ मेरी पार्कर फ्रौलेट ने भी प्रबंध

के प्रशिक्षण तथा विकास आयामों पर जोर दिया। अर्थात् इस दौर में वैज्ञानिक प्रबंधन का समर्थन करने वाले सभी लोगों ने कार्मिकों में कार्यकुशलता बढ़ाने तथा उनमें से अपने कार्य के प्रति उदासीनता को रोकने का प्रयास किया। इसके बाद कार्मिक प्रशासन के क्षेत्र में करीब करीब इसी काल में भारी हलचल एल्टन मेयो के हाथों प्रयोगों के द्वारा मची पा। इन प्रयोगों के द्वारा मानव संबंधों के अध्ययन का आंदोलन प्रारंभ हुआ। आगे जाकर इसी के कारण कार्मिक प्रबंध के सिद्धांत तथा व्यवहार विकसित होने लगे।

पंचम चरण में ब्राउन्लो समिति की प्रशासनिक प्रबंधन पर एक रिपोर्ट आई जिसने लोक प्रशासन को प्रबंध की ओर झुकाया। षष्ठम् चरण में लोक सेवाओं में पेशेवर अंदाज को बढ़ावा मिला। सप्तम चरण में राजनीति और प्रशासन में आपस में समीपता बहुत बढ़ी।

इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भारत में सरकार के अथक प्रयासों के कारण ही कार्मिक प्रशासन की उन्नति हुई है। भारत में कार्मिक प्रबंधन के क्षेत्र में सरकार की रुचि ऐसे ही नहीं बनी थी। इसके पीछे अनेक कारण उत्तरदायी थे, जैसे उत्पादन के स्तर में कमी श्रमिकों का असंतोष एवं भर्ती के अव्यवस्थित तरीके आदि वास्तव में तो कार में प्रबंध की धारणा का विकास तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। हमारे देश भारत में कार्मिक प्रबंध के विकास का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। 1920 के दशक में पैदा हुए औद्योगिक विवादों ने सरकार व उद्योगपतियों का ध्यान श्रमिक समस्याओं का उचित कार्मिक प्रबंधन व्यवस्था के द्वारा समझाने की आवश्यकता की ओर आकर्षित किया। यही कारण रहा कि 1920 में ही कई बड़े औद्योगिक संस्थानों व कल कारखानों में श्रमिक कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति की गई। इन अधिकारियों ने श्रमिकों की शिकायतों को निपटाने के साथ-साथ औद्योगिक भाईचारे को भी बढ़ाने का काम किया। इसके पश्चात वर्ष 1937 में बंगाल सरकार के सुझाव पर भारतीय जूट मिल परिषद ने पहले तो एक श्रमिक कल्याण अधिकारी की नियुक्ति की एवं इसके द्वारा श्रमिकों की शिकायतों का सफल रूप से सुलझाएं जाना देख, बाद में 1939 में पांच अन्य अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई। इसके बाद भारतीय चाय परिषद तथा भारतीय इंजीनियरिंग परिषद ने भी इस व्यवस्था का अनुसरण अपने अपने संस्थानों में किया। वर्ष 1941 में भारत सरकार ने एक त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन बुलाया जिसमें सरकार, श्रमिकों तथा कर्मचारियों के प्रवक्ता शामिल हुए। इस सम्मेलन का उद्देश्य एक समान विधान के काम को बढ़ावा देना, औद्योगिक विवादों को सुलझाने की एक निश्चित कार्य विधि सुझाना तथा औद्योगिक मामलों के संदर्भ में सलाह मशवरे को बढ़ावा देना था। वर्ष 1948 में जो कारखानों का अधिनियम बनाया गया, उसके तहत हर उद्योग में एक कल्याण अधिकारी की नियुक्ति की व्यवस्था की गई और साथ ही इनके नियुक्ति की प्रणाली, कर्तव्य और योग्यताओं के बारे में भी बताया गया इसी प्रकार से बाद के वर्षों में भी और इसी प्रकार के एक और अधिकारी की नियुक्ति की गई और उसे 'कार्मिक अधिकारी' का नाम दिया गया। यह अधिकारी श्रमिक कल्याण, औद्योगिक संबंधों तथा कार्मिक प्रशासन की समस्याओं को निपटाता है। यही कारण है कि अब भारत की लगभग हर कंपनी में ना केवल विशेषीकृत कार्मिक विभाग पाए जाते हैं, बल्कि इनमें पूर्णकालिक कार्मिक अधिकारी भी नियुक्त किए जाते हैं।

1.4 कार्मिक प्रशासन की प्रकृति

अब तक आप यह तो समझ ही गए होंगे कि, संगठन में, चाहे वह सरकारी हो या गैर-सरकारी अर्थात् निजी, कार्मिक प्रशासन एक महत्वपूर्ण तत्व होता है एवं उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती है। इसको और स्पष्ट तौर पर ऐसे भी समझा जा सकता है कि, हर संगठन के कुछ निश्चित उद्देश्य तथा लक्षण होते हैं एवं उन लक्षण एवं उद्देश्यों की प्राप्ति का एकमात्र साधन कार्मिक प्रशासन ही होता है। संगठन स्वयं पर्यावरण से प्रभावित होता है अर्थात् यदि सामाजिक-आर्थिक या राजनीतिक पर्यावरण में परिवर्तन आता है तो संगठन के प्रबंधन को भी सामंजस्य स्थापित करने हेतु परिवर्तित होना पड़ता है और क्योंकि प्रबंधन परिवर्तित होता है तो कार्मिक प्रशासन

भी प्रभावित होता है। कार्मिक प्रशासन पर यह प्रभाव कार्मिकों के बदलते जीवन मूल्यों उनकी संगठन से अपेक्षाओं, कार्यकुशलता आदि के रूप में प्रदर्शित होता है।

आपको ज्ञात होगा कि किसी भी संगठन में कार्मिकों द्वारा संपादित की जाने वाली गतिविधियों को दो श्रेणियों में बांटा जाता है- लाइन एवं स्टाफ।

किसी भी संगठन की ऐसी गतिविधियां जो उस संगठन के आधारभूत या बुनियादी लक्ष्यों से संबंधित होती हैं वह लाइन गतिविधियों की श्रेणी में आती हैं एवं स्टाफ गतिविधियां वह होती हैं जो कि कार्य क्षेत्र से संबंधित भूमिकाओं के निष्पादन में सहायक होती हैं। अर्थात् किसी भी संगठन के सफल संचालन में, लाइन तथा स्टाफ कार्मिकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है या यूँ कहें कि इनके बिना संगठन कार्य नहीं कर सकता तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कार्मिकों द्वारा संपादित की जाने वाली यह गतिविधियां ही प्रशासनिक गतिविधियां हैं।

कार्मिक प्रशासन की प्रकृति में समय-समय पर परिवर्तन होता रहता है। जैसे- देश की सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक परिस्थितियों परिवर्तित होती है तदनुसार कार्मिक प्रशासन के कार्य, प्राथमिकताएं एवं गतिविधियां भी परिवर्तित होती हैं एवं प्रशासन की प्रकृति के अनुरूप ही कार्मिक प्रशासन की प्रकृति भी परिवर्तित होती है। भारत के संदर्भ में यदि भारतीय प्रशासन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेकर वर्तमान काल तक यदि प्रकाश डाला जाए तो हम पाते हैं कि भारतीय प्रशासन की प्रकृति ब्रिटिश काल से लेकर वर्तमान कल्याणकारी राज्य एवं लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों की उत्पत्ति एवं प्रसार के पश्चात् अत्यधिक परिवर्तित हो चुकी हैं। इसी कारण कारण प्रशासन में लोक कल्याणकारी, संकल्पना, आकार में विस्तार, जन-सहभागिता, अपेक्षा, लोकतांत्रिकता में विश्वास जैसी विशेषताओं का समागम किया। कार्मिक प्रशासन की विशेषताओं के आधार पर ही कार्मिक प्रशासन की प्रकृति को अग्रलिखित बिंदुओं में स्पष्ट किया जा सकता है-

1. **कार्मिकों की संख्या में बढ़ोतरी-** आधुनिक युग में शासन के समस्त कार्यकलाप प्रशासन के माध्यम से ही संचालित होते हैं। लोक कल्याणकारी प्रकृति को अपनाने के कारण ये कार्य दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इन सब कार्यों के संपादन का उत्तरदायित्व प्रशासन अर्थात् अप्रत्यक्ष रूप से कार्मिक प्रशासन का ही है, क्योंकि प्रशासन तो अपने कार्यों का संपादन कार्मिक प्रशासन के माध्यम से ही करता है। इन बढ़ते कार्यों का निष्पादन करने के लिए बड़ी संख्या में कार्मिकों की आवश्यकता महसूस की जाती है और यह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। कहा जा सकता है कि बहुत बड़ी संख्या में कार्मिकों का होना भी कार्मिक प्रशासन की प्रकृति के तौर पर ही देखा जाता है।
2. **गंभीर प्रकृति के दायित्व-** कार्मिक वर्ग प्रशासन के संगठन में मानव शक्ति के साथ व्यवहार करता है, जिसका अर्थ है इसका संबंध उन प्रक्रियाओं से है, जिनके द्वारा कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, पद ग्रहण तथा पदोन्नति निश्चित की जाती है। परंतु अब कार्मिक प्रशासन के दायित्व गंभीर प्रकृति के हो गए हैं। अब कार्मिक प्रशासन को जनता की संतुष्टि, कार्मिकों की संतुष्टि का स्तर बनाए रखना, संगठन के लक्ष्यों को कुशलता पूर्वक प्राप्त करना तथा कार्मिकों का विकास करना भी होता है। अतः अब गंभीर प्रकृति के दायित्वों का निर्वहन भी कार्मिक प्रशासन की प्रकृति ही मानी जाती है।
3. **मानवीय संबंधों तथा व्यवहारों के अनुरूप-** जैसा कि आपने जाना कि कार्मिक प्रशासन कार्मिकों से संबंधित है। कार्मिक स्वयं मनुष्य है, अतः कार्मिक प्रशासन की प्रकृति पूरी तरह से मानवीय संबंधों, व्यवहार तथा इसकी जटिलताओं से जुड़ी है। अलग-अलग स्थानों पर कार्मिकों का व्यवहार अलग-अलग मिल सकता है। परंतु अधिकांश कार्मिकों का चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, देश, भाषा से संबंधित हो मूल स्वभाव तो समान ही होता है। बदलती हुई दुनिया में मानवीय अपेक्षाओं तथा चेतना में भी परिवर्तन आता रहता है अतः कार्मिक प्रशासन को भी उसके अनुरूप स्वयं को ढालना होता होता है।

4. **उच्च योग्यताधारी कार्मिक-** आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान के युग में ज्ञान अर्जित करना बहुत आसान हो गया है। ऐसे में कार्मिक प्रशासन में उच्च योग्यता धारी कार्मिक पाए जाते हैं यह भी कार्मिक प्रशासन की प्रकृति ही बन गई है। अब योग्य, मेधावी, तथा गुणवान कार्मिक पहुंच सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं। यह कार्मिक निरंतर अपनी योग्यताओं व गुणों में वृद्धि के लिए भी प्रयास करते रहते हैं।
5. **परिवर्तित प्रवृत्तियां-** बदलते समय के साथ-साथ कार्य करने की दशाएं, परिस्थितियां, परम्पराएं, संस्कृतियां, सब परिवर्तित हो रही हैं। ऐसे में कार्मिक प्रशासन की प्रवृत्तियां भी ना केवल परिवर्तित होने लगी हैं, बल्कि मनोवृत्तियाँ तथा कार्यशैली भी परिवर्तित होने लगी है।
6. **विशेषीकरण-** प्राकृतिक विज्ञान की भांति ही सामाजिक विज्ञान में भी अब सामान्य से विशेष की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति दिखाई देने लगी है। कारणवश लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र भी विशेषीकृत होने लगा है। अर्थात् प्रशासनिक इकाइयाँ एवं संस्थाएं कार्य विशेष की ओर केंद्रित होती हैं। अब एक ही संगठन या एक ही व्यक्ति से बहुत से कार्यों की अपेक्षा नहीं की जाती, बल्कि ऐसा माना जाता है कि, एक संगठन या व्यक्ति एक विशेष प्रकार का कार्य ही करें। इसके लिए आवश्यक शर्त यह होती है कि उस कार्य में वह निपुण हो तथा उसे सक्षम तरीके से क्रियान्वित करें। यही सब कारण है कि अब कार्मिकों की योग्यताएं, पद तथा अपेक्षाएं सब विशेषीकृत होते जा रहे हैं।
7. **भेदभाव रहित-** कार्मिक प्रशासन की प्रकृति भेदभाव रहित मानी जाती है। कार्मिक प्रशासन में किसी भी धर्म, जाति, लिंग, रंग वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। अर्थात् उच्च अधिकारी एवं निम्न अधिकारी के संबंध निर्दिष्ट हैं और वे धर्म, जाति आदि तत्वों से अप्रभावित रहते हैं।
8. **सहभागिता का बढ़ता महत्व-** लोक सेवाओं के कार्मिक प्रशासन की परंपरागत मान्यताओं तथा विचारधाराओं में परिवर्तन आया है। अब नए परिवेश में आम सहमति से ही सारे निर्णय लिए जाते हैं। एक दूसरे के साथ समन्वय तथा सहभागिता को महत्व दिया जाने लगा है। यही कारण है कि कार्मिक प्रशासन की प्रकृति भी लोकतांत्रिक हो गई है। प्रशासन का यह प्रयास रहता है कि ना केवल लोक सेवक, बल्कि जन सहभागिता को भी अधिक से अधिक प्राप्त करने का प्रयास करें।
9. **अभिप्रेरणाओं की पोषक-** वर्तमान में कार्मिक प्रशासन की प्रकृति सकारात्मक अभिप्रेरणाओं की पोषक है। संगठन की मानव संबंध एवं व्यवहारवादी विचारधाराओं के आधार पर अब यह माना जाने लगा है कि सेवक से दंड एवं प्रताड़ना के द्वारा नहीं बल्कि, पुरस्कार, प्रशंसा, अनौपचारिक संबंधों एवं सहयोगी पर्यवेक्षण आदि को बढ़ावा देकर ही श्रेष्ठ कार्य निष्पादन करवाया जा सकता है। इसके द्वारा संगठन की कार्यकुशलता एवं कार्मिकों की संतुष्टि को भी उच्च स्तर प्रदान किया जा सकता है।
10. **क्षेत्रीयता की ओर उन्मुख-** कार्मिक प्रशासन की प्रकृति क्षेत्रीयता की ओर उन्मुखता भी है। लोक प्रशासन के बढ़ते हुए क्षेत्र तथा कार्य क्षेत्र के कारण अब कार्मिक प्रशासन का भी विस्तार केंद्रीय स्तर से लेकर क्षेत्रीय स्तर तक होने लगा है। राज्य की लोक कल्याणकारी अवधारणा के कारण प्रशासन की जनकल्याण की गतिविधियों में वृद्धि हुई एवं उनके संपादन हेतु कार्मिकों की संख्या बढ़ने लगी है। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा भी क्षेत्रीयता की उन्मुखता को बढ़ावा देती है। प्रशासनिक अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका के अधीन उनके नेतृत्व में ही कार्य करते हैं। उन्हें सत्तारुढ़ दल की नीतियों तथा चुनावी घोषणाओं के अनुरूप ही कार्य करना पड़ता है। सभी प्रशासनिक अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे पूर्णतया निष्पक्ष तथा तटस्थ भाव से जनता की सेवा करें ताकि जनता को प्रदान की जाने वाली सेवाएं राजनीतिक भेदभाव से मुक्त हो।

उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर कार्मिक प्रशासन की प्रकृति को समझने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि अब परंपरागत मान्यताओं को सिद्धांतों की कसौटी पर परखा जाता है। आज कार्मिक प्रशासन की कार्यशैली पूरी तरह

से ऐसे सिद्धांतों पर आधारित है जो बहुत से परीक्षणों से गुजरे हैं, तर्कों पर आधारित हैं एवं अनुभव के आधार पर उनको उपयोगी भी पाया गया है। कार्मिक प्रशासन की प्रकृति को भलीभांति जानने के बाद आइए कुछ ऐसे सिद्धांतों को भी जानें जो मान्यता प्राप्त है एवं इसकी प्रकृति को और स्पष्टता से समझने में सहायक है। यह सिद्धांत कुछ इस प्रकार हैं-

1. **योग्यता का सिद्धांत-** आधुनिक लोक सेवा तथा नौकरशाही, वेबर प्रतिमान के योग्यता सिद्धांत को मंजूरी देती है। इस सिद्धांत के अनुसार योग्य व्यक्तियों के समूह में से बिना किसी भेदभाव के योग्यतम व्यक्ति का चयन किया जाता है। कार्मिक प्रशासन का यह दायित्व होता है कि वह संबंधित पदों पर भर्ती करने से पहले ही उन पदों के लिए आवश्यक योग्यताओं का स्पष्ट निर्धारण कर उनके लिए विज्ञप्ति जारी करें, सभी को आवेदन करने का अवसर प्रदान करें, निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को अपनाते हुए चयन करें एवं योग्यता क्रम को निर्धारित करें।
2. **अवसर की समानता का सिद्धांत-** भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसका अपना लिखित संविधान है, जिसमें इस के नागरिकों को दी जाने वाली स्वतंत्रताएं, दायित्व एवं मौलिक अधिकार सभी स्पष्ट रूप से वर्णित हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-15 में प्रावधान किया गया है कि, राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति से केवल धर्म, जाति, वंश, लिंग, वर्ण तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अर्थात् विधि के समक्ष भारत का हर नागरिक समान है। इसी समानता के सिद्धांत के आधार पर लोक सेवाओं में प्रवेश के अवसर भी सभी को समानता के साथ प्राप्त हैं। लोक सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था सदा से ही विवाद का विषय है, जिसे अवसर की समानता के सिद्धांत के मार्ग में बाधा के तौर पर देखा जाता है। इस प्रकार अवसर की समानता भी कार्मिक प्रशासन की प्रकृति को और स्पष्ट करता है।
3. **व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत-** प्रत्येक कार्मिक का कौशल, क्षमताएँ आदि भिन्न-भिन्न होती है। राज्य की सेवाओं में काम करने वाले ऐसे भिन्न भिन्न प्रकृति के कार्मिकों के ज्ञान, कौशल, आत्मविश्वास आदि में वृद्धि करना कार्मिक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। अतः कार्मिकों की व्यक्तिगत मान्यताओं तथा आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही कार्मिकों के विकास के कार्यक्रम निर्धारित करने चाहिए।
4. **उचित पुरस्कार का सिद्धांत-** किसी भी संगठन को उसके उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु ऐसे कार्मिकों की आवश्यकता होती है, जिन का मनोबल उच्च है। कार्मिकों का मनोबल तो तभी उच्च होता है जब संगठन के द्वारा कार्मिकों को सकारात्मक रूप से अभिप्रेरित किया जाए। अच्छे कार्य के लिए पुरस्कार देना, प्रशंसा करना या प्रमाण पत्र देना हो सकता है। अतः कार्मिक प्रशासन की सकारात्मक अभिप्रेरणा की प्रकृति का विस्तार रूप ही उचित पुरस्कार का सिद्धांत है।
5. **माननीय व्यवहार का सिद्धांत-** संगठन की परंपरागत मान्यताओं के विपरीत आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार अब यह सिद्ध हो चुका है कि, मानव संबंध तथा समूह व्यवहार जिसमें कार्मिकों के मध्य भाईचारा, प्रेम तथा सहयोगी संगठन की सफलता की कुंजी है इसके अनुसार संगठन में उच्च अधिकारियों के मध्य एक सामान्य व्यवहार रहना चाहिए।
6. **उचित पारिश्रमिक का सिद्धांत-** समान कार्य के लिए समान वेतन एक ऐसा सर्वमान्य सिद्धांत है, जो यह प्रावधान करता है कि, समान प्रकृति के कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। यह वेतन श्रमिक की योग्यता, निर्धारित अनुबंध एवं निश्चित रूप से कार्य की प्रकृति के आधार पर तय होना चाहिए। हमारे देश के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन को राज्य के नीति-निर्देशक तत्व में सम्मिलित किया गया है। यही कारण है कि केंद्र व राज्य कर्मचारियों के वेतनमान में अंतर पाया जाता है। यह सिद्धांत का

उल्लंघन माना जाता है उनकी वेतन, मजदूरी, क्षतिपूर्ति तथा अवकाश मौलिक अधिकार नहीं है। अतः इस संदर्भ में कार्मिक प्रशासन से इस नियम के पालन की अपेक्षा ही की जा सकती है।

7. **विभिन्न हितों के मध्य समन्वय का सिद्धांत-** कार्मिक प्रशासन कर्मचारी, सरकार तथा जनता तीनों से संबंधित होता है और तीनों पक्षों की अपेक्षाएं भिन्न-भिन्न होती हैं। जनता की अपेक्षाएं होती हैं कि सरकार महंगाई कम करें, कम कर लगाए तथा लोकसेवक पूरी कुशलता के साथ कार्य करें। वहीं सरकार यह चाहती है कि कम से कम खर्चों में अधिक से अधिक कार्य संपादित हो और इन सबके बीच कर्मचारी चाहते हैं कि उन्हें अधिक वेतन, रोजगार की सुरक्षा, सुविधाएं, अधिक स्वतंत्रता तथा पर्याप्त पदोन्नति के अवसर प्रदान किए जाएं। एक श्रेष्ठ कार्मिक व्यवस्था वही है जिसमें इन तीनों (जनता, सरकार तथा कर्मचारी) के मध्य सामंजस्य तथा समन्वय स्थापित हो।
8. **कर्मचारियों की राजनीतिक तटस्थता का सिद्धांत-** भारतीय लोकतांत्रिक प्रशासनिक व्यवस्था में विभागीय मंत्री ना केवल सरकार का प्रतिनिधि होता है, बल्कि प्रशासनिक अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका के अधीन, उनके नेतृत्व में ही कार्य करते हैं। उन्हें सत्तारूढ़ दल की नीतियों तथा चुनावी घोषणाओं के अनुरूप ही कार्य करना पड़ता है। सभी प्रशासनिक अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे पूर्णतया निष्पक्ष तथा तटस्थ भाव से जनता की सेवा करें ताकि जनता को प्रदान की जाने वाली सेवाएं राजनीतिक भेदभाव से मुक्त हो।
9. **काम की प्रतिष्ठा का सिद्धांत-** उच्चाधिकारियों को अपने निम्न अधिकारियों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को छोटा नहीं समझना चाहिए और ना ही उनके साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर निम्न अधिकारियों को भी अपने काम को निम्न नहीं समझना चाहिए।
10. **सहकारिता का सिद्धांत-** एक सबके लिए; सब एक के लिए, सहकारिता का सिद्धांत संगठनात्मक शक्ति का मजबूत आधार माना जाता है। इस सिद्धांत का तात्पर्य सामूहिक प्रयास होते हैं। कार्मिक प्रशासन के लिए यह सिद्धांत सबसे उपयुक्त माना जाता है। कार्मिक प्रशासन तथा सेवा का कार्य किसी एक कर्मचारी के द्वारा नहीं, बल्कि सामूहिक प्रयासों के द्वारा ही संभव है। प्रशासन का संपूर्ण कार्य किसी एक व्यक्ति एक स्तर के द्वारा ही नहीं संपादित किया जा सकता है, बल्कि यह समस्त कर्मचारियों, विभागों तथा स्तरों से संबंधित होता है और सब के द्वारा मिल-जुल कर ही पूरा किया जाता है। व्यावहारिक तौर पर नियमित कार्यों की विशेषज्ञता और कार्य विभाजन के बहाने से इस सिद्धांत की अवहेलना प्रशासनिक संगठनों में पाई जाती है, जो अपने आप में एक विकट समस्या है।
11. **राष्ट्रीय विकास का सिद्धांत-** कार्मिक प्रशासन का यह भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, कि, लोक सेवकों के दिलों में देश के संविधान जनता तथा कानून के प्रति एक विशेष प्रकार की आस्था होनी चाहिए। इस भावना के तहत वे निरंतर जनकल्याण एवं राष्ट्रीय विकास के लिए कार्य करते रहें।

इस प्रकार कार्मिक प्रशासन की प्रकृति को वर्णित करते उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर आप स्पष्ट रूप से ये समझ ही गये होंगे कि, लोक प्रशासन में कार्मिक प्रशासन का संबंध संगठन के मानवीय तत्वों से होता है। कार्मिक-प्रशासन एक ऐसी प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिनके द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति एवं रोजगार संबंधों का नियमन और परिवर्तन किया जा सके। कल्याणकारी प्रवृत्तियों में वृद्धि और प्रशासन की सफलता एक कुशल कार्मिक प्रशासन पर ही निर्भर करती है, यही कारण है कि कार्मिक प्रशासन का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। लोक नीति के रूप में अभिव्यक्त राज्य की सभी इच्छाओं को कार्य रूप प्रदान करने का प्रमुख साधन कार्मिक-प्रशासन ही है। आधुनिक समय में राज्य संबंधी दर्शन अहस्तक्षेप नीति से अलग होकर सामाजिक कल्याण की नीति पर आधारित हो गया है और विकास के कार्यों के अतिरिक्त अनेक प्रकार के अन्य कार्यों को पूरा करने का

उत्तरदायित्व भी कार्मिक-प्रशासन ने अपने कंधों पर ले लिया है। तथा विकासशील देशों के कार्मिक प्रशासन की प्रकृति में ज्यादा अंतर नहीं होता है या यूँ कहें कि अधिकांश बातें एक समान सी ही होती हैं।

1.5 कार्मिक प्रशासन का क्षेत्र

कार्मिक प्रशासन की प्रकृति उसकी विशेषताओं, आदि को समझने के बाद अब हम कार्मिक प्रशासन के कार्य क्षेत्र के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपने अब तक जाना कि, कार्मिक प्रशासन किसी भी संगठन में कार्यरत कार्मिकों से संबंधित होता है। कार्मिक प्रशासन का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है और इसमें किसी भी संगठन में काम करने वाले लोगों के प्रबंध के सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है। कार्मिक प्रशासन के माध्यम से ही किसी भी संगठन में काम करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति होती है। कार्मिक प्रशासन का कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। निम्न बिंदुओं के आधार पर हम कार्मिक प्रशासन के विस्तृत कार्य क्षेत्र को समझने का प्रयास करेंगे:-

1. **कार्मिक नीति का निर्माण-** किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए यह जरूरी है कि उसे नीतिगत ढंग से किया जाए। नीति न केवल मार्गदर्शक का काम करती है, बल्कि संबंधित कार्यों को नियंत्रित भी रखती है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि नीति ही वह आधार होती है जिस पर किसी भी कार्य या कार्यक्रम का भविष्य एवं कुशलता निर्भर करती है। ठीक इसी प्रकार कार्मिक प्रशासन की कुशलता के लिए भी एक स्वस्थ कार्मिक या सेवीवर्गीय नीति की आवश्यकता होती है। यह कार्मिक प्रशासन का सबसे प्राथमिक दायित्व होता है कि वह संगठन के लक्ष्यों, आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों के अनुरूप कार्मिक नीति का निर्माण करे। कार्मिक नीति में कर्मचारियों के वर्गीकरण, भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, वेतन एवं भत्ते, पेंशन तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। एक अच्छी एवं व्यावहारिक कार्मिक-नीति सदैव उद्देश्यपरक, गतिशील, समानता की समर्थक, स्पष्ट, निष्पक्ष, समन्वयकारी, सर्व पक्ष स्वीकार्य तथा संतुलन के गुणों से भरपूर होनी चाहिए। कार्मिकों की माँग एवं उस माँग की आपूर्ति का अनुमान लगाना तथा कार्मिकों का नियोजन करना एक अत्यंत गंभीर तथा चिंतनशील कार्य है, जिसका क्रियान्वयन कार्मिक प्रशासन के अधिकारियों द्वारा ही कुशलता पूर्वक सम्पन्न किया जा सकता है। कार्मिक नीति का निर्माण तथा क्रियान्वयन सदा एक केंद्रीय कार्मिक अभिकरण द्वारा किया जाता है। भारत में यह दायित्व कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा संपन्न किया जाता है।
2. **पद वर्गीकरण-** पद वर्गीकरण के द्वारा संगठन में ऊपर से लेकर नीचे तक के सभी पदों के कार्यों की स्पष्ट परिभाषा की जाती है। एक समान योग्यता, वेतन तथा दायित्वों के अनुरूप पदों को विभाजित करने से वेतन, प्रशिक्षण एवं पदोन्नति इत्यादि से संबंधित सभी कार्य सरलतापूर्वक संपन्न हो जाते हैं। पद वर्गीकरण की प्रक्रिया मुख्यतः केंद्रीय स्तर का कार्य है अथवा कार्मिक या वित्त विभाग जैसे संगठन इस कार्य का संपादन करते हैं। संगठन के प्रत्येक स्तर पर चाहे उत्पाद वर्गीकरण का कार्य व्यापक रूप से नहीं होता हो फिर भी पद वर्गीकरण का कार्य कार्मिक प्रशासन से ही संबद्ध माना जाता है, क्योंकि कार्मिकों से संबंधित ज्यादातर कार्य कार्मिक प्रशासन से ही संबंधित होते हैं।
3. **सेवी वर्ग की भर्ती-** कार्मिकों की भर्ती करना सेवी वर्ग प्रशासन का प्रथम तथा मूल भूत तत्व होता है। योग्य तथा उपयुक्त व्यक्ति को संगठन में लाने की प्रक्रिया ही भर्ती कहलाती है। किसी भी संगठन की कार्य कुशलता का आधार भी इसी बात पर निर्भर करता है कि भर्ती को कितनी निष्पक्षता तथा प्रभावशाली ढंग से सम्पन्न किया गया है। योग्यता आधारित भर्ती ही सबसे निष्पक्ष भर्ती व्यवस्था मानी जाती है एवं इसके द्वारा ही कर्मठ तथा प्रतिभावान व्यक्तियों को संगठन में भर्ती किया जा सकता है। कार्मिक प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है भर्ती के लिए योग्यता निर्धारण, पदों हेतु विज्ञापन, प्राप्त आवेदनों की छंटनी,

भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन, साक्षात्कार तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही माना जाता है।

4. **प्रशिक्षण-** प्रशिक्षण का अभिप्राय एक ऐसी प्रक्रिया से है, जिसके द्वारा कार्मिकों के ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति, मनोबल तथा समन्वय में वृद्धि की जाती है। प्रशिक्षण के द्वारा ही कर्मचारी पदोन्नति के योग्य बन पाता है। कार्मिक प्रशासन के प्रमुख उत्तरदायित्वों में से एक यह भी माना जाता है कि वह संगठन में कार्यरत विभिन्न पदों के कार्मिकों को यथावश्यक प्रशिक्षण दे अथवा इसकी समुचित व्यवस्था करे।
5. **पदोन्नति-** किसी भी संगठन या विभाग में योग्य तथा श्रेष्ठ कार्मिकों को भर्ती करने के पश्चात उन्हें संगठन में बनाए रखना भी कार्मिक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण दायित्व होता है। कार्मिकों को अभिप्रेरित करने हेतु पदोन्नति की व्यवस्था प्राचीन काल से ही चली आ रही हैं। पदोन्नति के माध्यम से ही कर्मचारियों को संतुष्टि तथा अच्छे कार्य का पुरस्कार प्राप्त होता है। निम्न पद से उच्च पद पर जाने की यह प्रक्रिया पदोन्नति के साथ साथ आंतरिक भर्ती भी कहलाती है। कार्मिक प्रशासन कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु विभिन्न सिद्धान्त भी निर्धारित करता है। पदोन्नति का आधार योग्यता, वरिष्ठता अथवा योग्यता एवं वरिष्ठता का संयुक्तिकरण हो सकता है जो संबंधित विभाग के सेवा नियमों तथा पदों की प्रकृति पर निर्भर करता है। पदोन्नति की प्रक्रिया कार्मिक प्रशासन के लिए बहुत ही अहम एवं संवेदनशील मुद्दा होती है, क्योंकि पदोन्नति की प्रक्रिया में यदि कहीं कोई कमी रह जाती है तो वह कार्मिकों की संतुष्टि तथा कार्य शैली को प्रभावित करती है जिसका सीधा असर संगठन पर पड़ता है।
6. **वेतन एवं भत्ते-** किसी भी कार्मिक को कार्य निष्पादन के पश्चात नियमानुसार पारिश्रमिक दिया जाना एक सामान्य सिद्धान्त है। प्रत्येक कार्मिक के लिए वेतन निर्धारण में उसकी स्वयं की योग्यता, पद के दायित्वों का स्तर, सेवा की अवधि, कार्य की प्रकृति तथा सेवानियमों को ही आधार बनाया जाता है। निर्धारित वेतन के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के भत्ते जैसे- ओवरटाइम भत्ता, यात्रा भत्ता आदि भी दिए जाते हैं।
7. **आनुषंगिक (Fringe Benefit) लाभ-** आनुषंगिक लाभ से तात्पर्य होता है, निर्धारित मौद्रिक वेतन के अतिरिक्त नियोक्ता द्वारा अपने कार्मिकों को दी जाने वाली सुविधाएँ। आनुषंगिक लाभ में वर्दी, अवकाश, ऋण, चिकित्सा व्यय पुनर्भरण, आवास तथा एल. टी. सी. जैसी सुविधाएँ भी कार्मिकों को नियमानुसार दी जाती हैं।
8. **निष्पादन मूल्यांकन-** कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों का एक निर्धारित अंतराल पर मूल्यांकन करना, संगठन तथा कर्मचारी दोनों के हित में होता है। सामान्य भाषा में इसे वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन (Annual Confidential Report) कहा जाता है और यह पदोन्नति की प्रक्रिया में एक सहायक दस्तावेज सिद्ध होता है। ऐसा करके संगठन के योग्य तथा सक्षम कर्मचारियों की पहचान करके उनकी व्यक्तिगत योग्यताओं का संगठन के हित में श्रेष्ठतम उपयोग किया जाता है।
9. **अभिलेख रखना-** प्रत्येक संगठन में प्रत्येक कर्मचारी की एक निजी सेवा पुस्तिका (service book) भी प्रशासन द्वारा संधारित की जाती है। इस पुस्तिका में कर्मचारी की नियुक्ति, वेतन, अवकाश, पदोन्नति तथा प्रशिक्षण इत्यादि का भी सम्पूर्ण ब्यौरा रखा जाता है।
10. **अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं आचार संहिता-** किसी भी संगठन में व्यवस्था बनाए रखने हेतु अनुशासन नितांत आवश्यक होता है। लोक सेवाओं में अनुशासन बनाए रखने हेतु कुछ कानून एवं नियम निर्मित किए गए हैं, तथा प्रत्येक कार्मिक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उन नियमों का पालन करें। किसी भी कर्मचारी द्वारा इन नियमों और कानूनों का उल्लंघन या उपेक्षा ही अनुशासनहीनता कहलाती है। अनुशासनहीनता की स्थिति उत्पन्न होने पर संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक

कार्यवाही की जाती है। संगठन में व्यवस्था बनाए रखने हेतु दोषी कार्मिक को दंडित भी किया जाता है। इस प्रकार की कार्यवाही कार्मिक प्रशासन का महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। लोक सेवाओं में कर्मचारियों के व्यवहार को नियंत्रित करने तथा उसमें नैतिकता को बनाए रखने के लिए आचार संहिता भी निर्मित की जाती है।

- 11. श्रम संबंध-** कार्मिक प्रशासन कर्मचारियों के साथ सहज वार्ताएँ करता है, परिवेदना की प्रक्रिया में भाग भी लेता है, साथ ही परिवेदना के कारणों का पता लगाकर शांतिपूर्वक कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं का समाधान भी करता है। यह कर्मचारी संघों तथा संगठनों से वार्ता करने, नीतियों एवं योजनाओं के संबंध में सुझाव तथा सहयोग भी देता है।

जैसा की अब तक के सम्पूर्ण विवरण से आप को ज्ञात हो चुका होगा कि कार्मिक प्रशासन का कार्य-क्षेत्र कार्मिकों की सभी प्रकार की गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। उपरोक्त वर्णित सभी तत्वों के अतिरिक्त भी कार्मिक प्रशासन के क्षेत्र में कुछ और गतिविधियों को भी शामिल किया जा सकता है जो कुछ इस प्रकार से हैं-

- कर्मचारियों की प्रशंसा, पुरस्कार तथा प्रोत्साहन प्रदान करना;
- कर्मचारियों की सभी शिकायतों का निवारण करना;
- कर्मचारियों को केरियर के अवसर उपलब्ध करवाना। जैसे-उच्च अध्ययन पर भेजना;
- कार्मिक पक्ष पर अनुसंधान के प्रयास करना;
- कर्मचारियों का स्थानांतरण करना और
- पेंशन तथा सेवा निवृत्ति से संबंधित कार्य।
- कार्मिक संगठनों तथा कार्मिक संघों से वार्ता करना तथा उनके साथ एक सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना।

1.6 निष्कर्ष

सम्पूर्ण इकाई के अध्ययन के पश्चात निष्कर्ष के तौर पर ये कहा जा सकता है कि कार्मिक प्रशासन कार्मिकों से सम्बन्धित है एवं लोक प्रशासन की वह शाखा है जो कार्मिक संसाधनों के प्रबंधन में संगठन की सहायता करती है। इसके लिए पूर्व विचारित नियमों, परंपराओं और विवेकपूर्ण तकनीकों का प्रयोग कार्मिकों के विकास, प्रतिधारण और चयन में किया जाता है ताकि वैज्ञानिक और अधिक व्यवस्थित ढंग से संगठनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके।

अभ्यास प्रश्न-

1. यह किसने कहा कि “लोक प्रशासन में कर्मचारी ही मुख्य तत्व है।”
2. यह कथन किसका है कि “लोक प्रशासन में सेवीवर्ग को ही सर्वोच्च तत्व माना जाता है।”
3. नौकरशाही में ‘लूट प्रणाली’ किस देश से संबंधित है?

1.7 सारांश

कार्मिक प्रशासन प्रशासनिक संगठनों में कार्य करने वाले लोगों अर्थात् मानवीय तत्वों से सम्बन्धित होता है। संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति में आवश्यक होता है। कर्मचारियों को संगठन में लाने, उन्हें संगठन में बनाए रखने तथा उनके व्यक्तिगत और सामूहिक विकास से सम्बन्धित कार्य करता है। कर्मचारियों की संतुष्टि के स्तर से प्रभावित होता है। कर्मचारियों की क्षमताओं, इच्छाओं तथा सन्तुष्टि को समझते हुए अन्य संसाधनों का सदुपयोग निश्चित करता है।

संगठनात्मक विकास के लिए यह एक आवश्यक एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह समग्र प्रशासन का वह भाग है जो कार्मिक मामलों से संबंधित है।

संगठन में, चाहे वह सरकारी हो या गैर-सरकारी अर्थात निजी, कार्मिक प्रशासन एक महत्वपूर्ण तत्व होता है एवं उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती है। संगठन स्वयं पर्यावरण से प्रभावित होता है। अर्थात यदि सामाजिक-आर्थिक या राजनीतिक पर्यावरण में परिवर्तन आता है तो संगठन के प्रबंधन को भी सामंजस्य स्थापित करने हेतु परिवर्तित होना पड़ता है और क्योंकि प्रबंधन परिवर्तित होता है तो कार्मिक प्रशासन भी प्रभावित होता है। कार्मिक प्रशासन पर यह प्रभाव कार्मिकों के बदलते जीवन मूल्यों उनकी संगठन से अपेक्षाओं, कार्यकुशलता आदि के रूप में प्रदर्शित होता है। कार्मिक प्रशासन का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है और इसमें किसी भी संगठन में काम करने वाले लोगों के प्रबंध के सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है। कार्मिक प्रशासन के माध्यम से ही किसी भी संगठन में काम करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति होती है।

1.8 शब्दावली

उत्तरदायित्व- किसी कार्य की जिम्मेदारी, परमआवश्यक- बहुत अधिक आवश्यक, पूर्णतया निष्पक्ष- किसी के भी पक्ष में न होना, अनुशासनात्मक कार्यवाही- कार्य या दायित्वों के विरुद्ध किए जाने वाले कार्यों पर दण्डात्मक कार्यवाही, राज्य का कल्याणकारी स्वरूप- राज्य या सरकारों द्वारा जनता के हित में किए जाने वाले कार्य, राज्य के कल्याणकारी स्वरूप को दर्शाते हैं,

1.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. एन. ग्लैडेन, 2. हरमन फाइनर, 3. अमेरिका

1.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. सिन्हा, बी. एम. 1986, पब्लिक पर्सनेल एडमिनिस्ट्रेशन: कांसेप्ट्स एंड कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव; आर. बी. एस. ए. पब्लिशर्स: जयपुर।
2. गोयल, एस. एल. 1984, पब्लिक पर्सनेल एडमिनिस्ट्रेशन; स्टर्लिंग: नई दिल्ली।
3. जैन, शर्मा, 1999, लोक सेवीवर्गीय प्रशासन; रिसर्च पब्लिकेशन: जयपुर।
4. कटारिया, सुरेंद्र 2008, कार्मिक प्रशासन; आर. बी. एस. ए. पब्लिशर्स: जयपुर।
5. शर्मा, अनिल कुमार, 2006, लोक प्रशासन सिद्धांत एवं व्यवहार; ओमेगा पब्लिकेशन, नई दिल्ली।

1.11 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. अवस्थी एवं अवस्थी, 2014, भारत में लोक प्रशासन; लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा।
2. अवस्थी एवं अवस्थी, 2016, भारतीय प्रशासन; लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा।

1.12 निबन्धात्मक प्रश्न

1. कार्मिक प्रशासन की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके विकास के चरणों की चर्चा करें।
2. कार्मिक प्रशासन की परिभाषा देते हुए इसकी प्रकृति पर प्रकाश डालें।
3. कार्मिक प्रशासन के अर्थ और परिभाषा की व्याख्या करते हुए इसके क्षेत्र की व्याख्या करें।

इकाई- 2 कार्मिक प्रशासन के कार्य एवं महत्व

इकाई की संरचना

- 2.0 प्रस्तावना
- 2.1 उद्देश्य
- 2.2 कार्मिक प्रशासन के उद्देश्य
- 2.3 कार्मिक प्रशासन के कार्य
- 2.4 कार्मिक प्रशासन का महत्व
- 2.5 निष्कर्ष
- 2.6 सारांश
- 2.7 शब्दावली
- 2.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 2.9 सन्दर्भ ग्रंथ सूची
- 2.10 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 2.11 निबन्धात्मक प्रश्न

2.0 प्रस्तावना

आपने पिछले अध्याय में पढ़ा ही होगा कि कार्मिक प्रशासन को सेवी वर्गीय या स्टाफ प्रबंध या जनशक्ति प्रबंध के नाम से भी जाना जाता है। साधारण शब्दों में कार्मिक प्रशासन समग्र प्रबंध या प्रशासन का वह भाग होता है जो कार्यरत कर्मचारियों अर्थात् कार्मिकों तथा संगठन के भीतर के संबंधों से जुड़ा होता है। कार्मिक प्रशासन ही संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों को करता है। यदि यह कहा जाए कि किसी भी संगठन की सफलता उसके कार्मिक तंत्र की प्रभावशीलता पर ही निर्भर करती है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पिछले अध्याय के अध्ययन से आप यह तो जान ही गए होंगे कि कार्मिक प्रशासन के क्षेत्र में कार्मिकों से संबंधित विभिन्न तत्व सम्मिलित होते हैं, जैसे- कार्मिकों की भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, अनुशासन, कार्य दशाएं आदि। अब इस इकाई के अंतर्गत हम कार्मिक प्रशासन के विभिन्न कार्यों तथा कार्मिक प्रशासन के महत्व के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।

2.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप-

- कार्मिक प्रशासन के विभिन्न उद्देश्यों को जान पाएंगे।
- कार्मिक प्रशासन के विभिन्न कार्यों जैसे मानव शक्ति प्रबंधन, भर्ती, पदोन्नति, प्रशिक्षण, मनोबल, कर्मचारी कल्याण आदि का विस्तृत ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे।
- कार्मिक प्रशासन के महत्व को भली प्रकार से बिंदुवार जान पाएंगे।

2.2 कार्मिक प्रशासन के उद्देश्य

कार्मिक प्रशासन प्रशासनिक संगठनों में काम करने वाले लोगों अर्थात् मानवीय तत्वों से संबंधित होता है। संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति में कार्मिक प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कार्मिक प्रशासन कर्मचारियों को संगठन में ना केवल लाने, बल्कि उन्हें संगठन में बनाए रखने तथा उनके व्यक्तिगत और सामूहिक विकास से संबंधित कार्य

को संपादित करने के लिए भी प्रमुख रूप से उत्तरदाई होता है। कर्मचारियों की संतुष्टि के स्तर को बनाए रखना और कर्मचारियों की क्षमता, इच्छाओं तथा संतुष्टि को समझते हुए अन्य संसाधनों का सदुपयोग निश्चित करना भी कार्मिक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण कार्य ही होता है। संगठनात्मक विकास के लिए कार्मिक प्रशासन की प्रक्रिया का निरंतर चलते रहना आवश्यक होता है। कार्मिक प्रशासन ही समग्र प्रशासन का वह महत्वपूर्ण भाग होता है जो कार्मिक मामलों से संबंधित होता है।

पिछले अध्याय में कार्मिक प्रशासन की प्रकृति और क्षेत्र को विस्तार से पढ़ने के बाद आप इसके महत्व बल्कि इसके विस्तृत कार्यों को भी आसानी से समझ सकते हैं। कार्मिक प्रशासन का विस्तृत क्षेत्र ही इसके विविध कार्यों की ओर संकेत देता है। किसी भी संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्मिक प्रशासन की महत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता है। कार्मिक प्रशासन ही संगठन का वह भाग होता है जो कार्मिकों से संबंधित सभी कार्यों का संपादन करता है। कार्मिक प्रशासन के विभिन्न कार्यों को समझने से पहले आइए इसके उद्देश्यों पर एक दृष्टि डालें ताकि कार्मिक प्रशासन के कार्यों को समझने में सुविधा हो। कार्मिक प्रशासन के विभिन्न उद्देश्यों को निम्न बिंदुओं के आधार पर आसानी से समझा जा सकता है-

1. किसी भी संगठन के कार्मिकों से संबंधित नीति एवं योजना का निर्माण कार्मिक प्रशासन का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है।
2. कार्मिकों की भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति तथा अन्य आवश्यक सेवा शर्तों का निर्धारण।
3. कार्मिकों के मनोबल तथा अभिप्रेरणा से संबंधित समस्त कार्य।
4. परिवर्तित परिवेश में कार्मिक नीतियों का पुनरीक्षण करना।
5. कर्मचारियों में उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना।
6. संगठन में कार्यकुशलता को बढ़ाना।
7. संगठन में अनुशासन को बनाए रखने के प्रयास करना।
8. कार्मिकों के लिए सेवा की संतोषजनक सेवा शर्तों का निर्माण करना।
9. योग्य और कुशल कार्मिकों को संगठन की ओर आकर्षित करना।
10. गतिशील और परिवर्तनशील परिस्थितियों के अनुकूल सामंजस्य की क्षमता को विकसित करना।
11. संगठन की प्रतिष्ठा को बढ़ाने हेतु प्रयास करना।
12. कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण की व्यवस्था करना।
13. संगठन में अनुसंधान को बढ़ावा देना।
14. संगठन में कुशलता तथा विकास की वृद्धि हेतु प्रयास करना।

उपरोक्त बिंदुओं के द्वारा दर्शाए गए समस्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्मिक प्रशासन नियंत्रण प्रयत्नशील रहता है। कार्मिक प्रशासन के कार्य की सूची में इन सब उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्यों की एक लंबी सूची होती है जिनके आधार पर कार्मिक प्रशासन विविध कार्यों का संपादन करता है। इसी आधार पर, आइए अब कार्मिक प्रशासन के कार्यों को भी बिंदुओं के आधार पर समझें।

2.3 कार्मिक प्रशासन के कार्य

कार्मिक प्रशासन के उपरोक्त वर्णित सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु किए जाने वाले सभी प्रयास कार्मिक प्रशासन के कार्यों के अंतर्गत शामिल किए जा सकते हैं। कार्मिक प्रशासन द्वारा जितने प्रकार के कार्य किए जाते हैं वही उसका क्षेत्र भी बन जाता है। कार्मिक प्रशासन के कार्यों का निम्न बिंदुओं के आधार पर विस्तृत रूप से विवेचन किया जा सकता है-

1. **मानव शक्ति प्रबंधन-** औपचारिक तथा अनौपचारिक हर प्रकृति वाले संगठनों में मानव शक्ति की आवश्यकता अवश्यभावी है। सभी प्रकार के संगठनों के द्वारा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जितने भी कार्य संपादित किए जाने होते हैं उनको करने के लिए हर संगठन में मानव शक्ति सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। मानव शक्ति प्रबंधन से संबंधित प्रक्रिया कर्मचारियों के चयन की प्रक्रिया से पहले ही संपन्न की जाती है। मानव शक्ति प्रबंधन की प्रक्रिया के अंतर्गत संगठन में आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से लेकर उनकी नियुक्ति प्रशिक्षण तथा पदोन्नति आदि से संबंधित सभी बातों का पूर्वानुमान लगाया जाता है।
मानव शक्ति प्रबंधन के अंतर्गत संगठन में उपलब्ध रिक्त पद, उन पदों से संबंधित कार्य, भर्ती हेतु आवश्यक योग्यताएं एवं विशेषज्ञता, कार्य की प्रकृति और कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित सभी तथ्य सम्मिलित होते हैं।
2. **सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन-** व्यवस्थापिका द्वारा स्वीकृत एवं कार्यपालिका अर्थात सरकार द्वारा प्रसारित किए जाने वाले सभी आदेशों को कार्य रूप प्रदान करने का दायित्व कार्मिक प्रशासन का ही होता है। संगठन में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा अपने दायित्व का सही रूप में निर्वाह किया जा सके ऐसी परिस्थितियां कार्मिक प्रशासन के द्वारा ही उपलब्ध कराई जाती हैं।
3. **सही स्थान पर सही व्यक्ति की नियुक्ति-** कार्मिक प्रशासन द्वारा इस बात का प्रबंध किया जाता है कि जो व्यक्ति जिस कार्य के लिए उपयुक्त है उसे उसी कार्य हेतु नियुक्त किया जाए। उदाहरण के तौर पर एक डॉक्टर की आवश्यकता के स्थान पर इंजीनियर को नियुक्त किया नहीं किया जा सकता है। क्षेत्रीय कार्यालयों में उत्तम कार्य को करने में सक्षम हो उन्हें यदि मुख्य कार्यालय में लगा दिया जाए तो उनके कार्यों की गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं होगी। अतः यह कार्मिक प्रशासन का ही कार्य होता है कि वे अपने संगठन में सभी कर्मचारियों के लिए ऐसी नीतियों का निर्माण करें जिससे प्रत्येक कर्मचारी अपनी रुचि और योग्यता के अनुरूप उचित पद पर नियुक्त किया जा सके। ऐसा करने से न केवल संगठन को मानव शक्ति का संपूर्ण योगदान मिलेगा वरन् कर्मचारी को भी अपने कार्य से पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होगी जो किसी भी प्रकृति के संगठन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
4. **योग्य तथा कुशल सेवीवर्ग की नियुक्ति-** कार्मिक प्रशासन द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि विभिन्न प्रशासनिक पदों पर सबसे योग्य कर्मचारी की ही नियुक्ति की जाए। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कार्मिक प्रशासन के द्वारा संगठन में भर्ती हेतु वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया जाता है। नियुक्ति से पहले सभी प्रत्याशियों की योग्यता और क्षमताओं को वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा नापने का प्रयास किया जाता है। भर्ती में वैज्ञानिक पद्धति को अपनाने का लाभ यह होता है कि संगठन में भी कोई अयोग्य व्यक्ति नियुक्त नहीं हो पाता है।
5. **प्रशिक्षण की व्यवस्था-** प्रशासन में पदाधिकारियों को परिवर्तित समय के साथ नए दायित्वों का निर्वाह करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। प्रशिक्षण द्वारा ना केवल कर्मचारी की कार्य कुशलता में वृद्धि होती है, बल्कि वह पदोन्नति के योग्य भी बन जाता है। प्रशिक्षण अप्रत्यक्ष रूप से लोक सेवाओं को आजीवन व्यवसाय बनाने में योगदान प्रदान करता है। इसी तथ्य के आधार पर कार्मिक प्रशासन द्वारा संगठन में कुशल सेवीवर्ग की नियुक्ति के साथ-साथ इन नवनियुक्त तथा पूर्व में कार्यरत सभी कर्मचारियों के लिए प्रवेश पूर्व तथा प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण का प्रबंध किया जाना भी कार्मिक प्रशासन के अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यों की श्रेणी में आता है।
6. **पदोन्नति-** किसी भी संगठन की सफलता का मूल सूत्र यही होता है उसमें कर्मचारियों को तरक्की के उचित अवसर प्रदान किए जाएं। प्रशिक्षण की भांति ही संगठनों में कार्मिकों की पदोन्नति के लिए भी

उचित सिद्धांतों का होना अत्यंत आवश्यक है। यह कार्मिक प्रशासन का ही दायित्व होता है कि वह संगठन में कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए विभिन्न सिद्धांत निर्धारित करें। पदोन्नति की उचित व्यवस्था ही एकमात्र ऐसा साधन होती है जिससे कर्मचारियों में अपने कार्य के प्रति रुचि और संगठन के प्रति कर्तव्य निष्ठा बनी रहती है। वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर कर्मचारियों की पदोन्नति के उचित अवसरों का प्रबंध करना कार्मिक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है।

7. **कार्यों का स्पष्ट वर्गीकरण एवं वेतन व्यवस्था-** कार्मिक प्रशासन द्वारा संगठन में सभी पदों के कार्यों की स्पष्ट परिभाषा की जाती है। ये कार्य व्यापक, व्यवस्थित एवं स्पष्ट होते हैं जिनके आधार पर ही कर्मचारियों के वेतन भी निर्धारित किए जाते हैं। कार्यों का स्पष्ट वर्गीकरण करके कार्मिक प्रशासन संगठन में अवांछित टकराव को भी रोकता है।
8. **कार्यों का मूल्यांकन-** कार्मिक प्रशासन के द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, पदोन्नति, वर्गीकरण के साथ-साथ कार्मिकों की योग्यता के मूल्यांकन का अति आवश्यक कार्य भी संपादित किया जाता है। कार्मिक प्रशासन के द्वारा ही संगठन में ऐसी व्यवस्था की जाती है जिससे प्रत्येक कार्मिक की योग्यता एवं प्रभावशीलता का सही एवं समय पर मूल्यांकन किया जा सके। ऐसी व्यवस्था को अपनाने से संगठन के योग्य तथा सक्षम कर्मचारियों को पहचान कर उनकी व्यक्तिगत योग्यता तथा क्षमताओं का श्रेष्ठतम उपयोग किया जा सकता है और कार्मिकों को संगठन में बने रहने के लिए प्रेरित भी किया जाता है।
9. **संतोषजनक सेवा शर्तें-** किसी भी संगठन में प्रवर्तित संतोषजनक सेवा शर्तें संगठन में योग्य कार्मिकों को आकर्षित करती है। कार्मिक प्रशासन के द्वारा लोक सेवकों के लिए कार्य की उपयुक्त शर्तों की व्यवस्था भी की जाती है, ताकि वह संतोष का अनुभव करते हुए अपने पद के दायित्व को पूरा कर सकें। सेवा शर्तों के अंतर्गत- पर्याप्त वेतन, कार्य के उपयुक्त घंटे, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाएं, आकस्मिक संकट के समय सहायता, पदोन्नति लाभ तथा सेवानिवृत्ति लाभों का समुचित प्रबंधन किया जाता है। इन प्रयासों के माध्यम से संगठन में दक्ष कर्मचारियों को आकर्षित भी किया जाता है और यह भी प्रयास किया जाता है कि प्रत्येक कर्मचारी की योग्यता और क्षमता का संगठन को पूरा लाभ प्राप्त हो।
10. **अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहन-** प्रशासन का उद्देश्य अच्छे कार्य के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना होता है। प्रोत्साहन कर्मचारियों को संगठन में ईमानदारी तथा पूरी क्षमता के साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है। इस उद्देश्य से कार्मिक प्रशासन के द्वारा कर्मचारियों के कार्यों पर एक दृष्टि रखी जाती है, समय-समय पर उनके कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है और विशेष योग्य तथा कार्य कुशल कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतन वृद्धि, पदोन्नति, विशेष सम्मान तथा कार्य कुशलता के प्रमाण पत्र आदि के रूप में पुरस्कृत किया जाता है। ऐसा करने से ना केवल अच्छा काम करने वाले कर्मचारियों को संतुष्टि की प्राप्ति होती है, बल्कि अन्य कर्मचारियों के लिए भी यह एक अभिप्रेरक के तौर पर कार्य करता है। कार्मिक प्रशासन द्वारा यह कार्य सजगता से संपन्न किया जाता है।
11. **प्रशासन में अनुशासन की स्थापना-** प्रशासनिक संगठनों के कर्मचारियों में पर्याप्त अनुशासन का होना आवश्यक ही नहीं, बल्कि वांछनीय है। यदि संगठन में अनुशासन नहीं होगा तो कोई भी कर्मचारी अपने अपेक्षित कार्यों को संपन्न नहीं करेगा। ऐसा होने से संगठन अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में असफल हो जाएगा। अतः कार्मिक प्रशासन द्वारा यह व्यवस्था की जाती है कि प्रत्येक कर्मचारी अनुशासित रूप में अपना दायित्व पूरा करें तथा दूसरों के कार्यों में भी ना करें। अनुशासन के द्वारा ही कार्मिक प्रशासन द्वारा संगठन में व्यवस्था की जाती है कि संगठन का कोई भी कर्मचारी संगठन के लक्ष्यों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करें तथा अपने साथी कर्मचारियों के साथ आवश्यक मानव संबंधों को भी बनाए रखें। यदि कोई कर्मचारी इन अपेक्षाओं की अवहेलना करके संगठन के अनुशासन को छोड़ता है तो कार्मिक प्रशासन उसके विरुद्ध

अनुशासनात्मक कार्यवाही करता है। यह अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रतिरोधात्मक और सुधारात्मक दोनों प्रकार की होती है।

12. **जन संतोष की उपलब्धि-** किसी भी संगठन की गतिविधियों के द्वारा जन संतोष की प्राप्ति बहुत महत्वपूर्ण होती है। कार्मिक प्रशासन जन संतोष की उपलब्धि के लिए उन साधनों तथा मार्गों को अपनाता है जो सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं। कार्मिक प्रशासन का यह भी दायित्व होता है कि वह ऐसा वातावरण प्रस्तुत करें जिसमें सभी सरकारी कर्मचारी जनहित के कार्यों में लगे रहे तथा अपने आचरण से जनता में असंतोष पैदा ना होने दें। कर्मचारियों को सदा इस बात का ध्यान रखना होता है कि केवल अच्छे व्यक्ति या कार्यकर्ता का होना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि दूसरों को अच्छा लगना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में जन सहयोग तभी प्राप्त हो सकता है, जबकि जनता प्रशासनिक कार्यों के प्रति संतोष का अनुभव करती हो।
13. **उत्तरदायित्व की भावना-** लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में प्रशासन जनता के सेवक की भूमिका निभाता है। अतः लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रशासन के द्वारा सदा ऐसे कार्यों का संपादन किया जाता है जिससे उसके उन कार्यों में जनता के प्रति उत्तरदायित्व की भावना परिलक्षित हो। इस कार्य के लिए कार्मिक प्रशासन द्वारा ही समुचित व्यवस्था की जाती है। कार्मिकों की भर्ती के समय यह ध्यान रखा जाता है कि ऐसे ही व्यक्तियों का चयन किया जाए जो जनता की सेवा करना चाहते हैं। ऐसे कर्मचारी जो अनुत्तरदायी रूप में अपनी शक्तियों का उपयोग करता है, उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की भी व्यवस्था कार्मिक प्रशासन द्वारा की जाती है। कर्मचारी के आचरण संहिता में इन सभी बातों का उल्लेख किया जाता है, जो कर्मचारी को उत्तरदायित्व पूर्ण आचरण के लिए प्रेरित कर सकें। देश की व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के द्वारा लोक सेवकों के कार्यों पर नियंत्रण रखा जाता है।
14. **गतिशील एवं परिवर्तित परिस्थितियों में सामंजस्य की क्षमता-** कार्मिक प्रशासन द्वारा संगठन में बदली हुई परिस्थितियों का सामना करने के लिए उचित व्यवस्था करना अति आवश्यक होता है। कार्मिक प्रशासन के द्वारा ऐसी व्यवस्था की जाती है कि बदली हुई परिस्थितियों का सामना करने में प्रशासनिक संगठन पूरी तरह से सक्षम रह सके तथा असामयिक ना बन जाए। प्रशासन परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप अपने को ढाल कर ही अपनी गतिशीलता और वैधता बनाए रख सकता है।
15. **संगठन के सिद्धांतों का अनुशीलन-** कार्मिक प्रशासन के द्वारा संगठन के आधारभूत सिद्धांतों जैसे कि पदसोपान, आदेश की एकता, नियंत्रण का क्षेत्र, संचार व्यवस्था, प्रत्यायोजन आदि का समुचित ध्यान रखा जाता है और इन सिद्धांतों के समुचित निर्वहन की दृष्टि से ही कार्मिक नीतियों को अपनाया जाता है।
16. **संतोषजनक संगठनात्मक संरचना की स्थापना-** कार्मिक प्रशासन के अन्य दायित्वों की भांति ही संतोषजनक संगठनात्मक संरचना की स्थापना करना भी उसका एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। संतोषजनक संगठनात्मक संरचना ना केवल उसमें काम करने वाले कार्मिकों बल्कि जिन लोगों को वह संगठन सेवाएं प्रदान कर रहा है, संतोष प्रदान करती है।
17. **कर्मचारियों में संगठन के मूल लक्ष्यों के प्रति रुचि-** कार्मिक प्रशासन के द्वारा विभिन्न आकर्षक कार्मिक नीतियों और कार्य के वातावरण का निर्माण किया जाता है, जिसके द्वारा संगठन में काम करने वाले सभी कर्मचारियों की अपने संगठन के मूल लक्ष्यों की प्राप्ति में रुचि जागृत की जा सके। ऐसा करने से संगठन सफलता प्राप्त करता है।
18. **कर्मचारियों में उच्च मनोबल तथा अभिप्रेरणा का निर्माण करना-** किसी भी प्रशासनिक संगठन में उद्देश्यों की प्राप्ति तथा गतिशीलता लाने के लिए ना केवल एक समुचित संरचना का होना आवश्यक है,

बल्कि उस संगठन में काम करने वाले कर्मचारियों का मनोबल सदा उच्च बनाए रखना भी आवश्यक होता है। कार्मिक प्रशासन का यह भी उत्तरदायित्व होता है कि वह संगठन में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को अभिप्रेरित रखें जिससे इस संगठन में पूरी कार्य कुशलता के साथ कार्य कर सकें।

19. **अभिलेख रखना-** कार्मिक प्रशासन के महत्वपूर्ण कार्यों में से कर्मचारियों की सेवा के संबंध में विभिन्न प्रकार के अभिलेख रखना भी एक माना जाता है। कार्मिक प्रशासन का उत्तरदायित्व होता है कि वह कर्मचारियों की सेवा के संबंध में विभिन्न प्रकार के अभिलेख रखता है, जिससे उनका कार्यकाल एवं वेतन क्रम, अवकाश, सेवानिवृत्ति तथा अन्य विषयों संबंधी आंकड़े आवश्यक कार्यवाही के समय आसानी से उपलब्ध रहें।
20. **श्रम संबंध-** कार्मिक प्रशासन कर्मचारियों के साथ सह-वार्ताएं करता है, परिवेदना प्रक्रिया में भाग लेता है, परिवेदना के कारणों का पता लगाता है तथा शांति पूर्वक कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान भी कराता है। यह कर्मचारी संघों तथा संगठनों से वार्ता करने, नीतियों एवं योजनाओं के संबंध में सुझाव तथा सहयोग भी देता है।
21. **चिकित्सा संबंधी कार्य-** कार्मिक प्रशासन के द्वारा कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सेवाओं की दृष्टि से स्वास्थ्य स्तरों का निर्धारण, सफाई प्रबंधन, व्यवसाय चिकित्सा सेवा का प्रबंध आदि भी किया जाता है।
22. **सेवानिवृत्ति लाभ-** सेवा में नियुक्त सभी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय समुचित लाभ प्रदान करने के लिए कार्मिक प्रशासन के द्वारा उचित नीति का निर्माण किया जाता है। संगठन की तरफ योग्य एवं कुशल कर्मचारियों को आकर्षित करने हेतु नियुक्ति एवं सेवानिवृत्ति लाभ दोनों से संबंधित आकर्षक नीतियां बहुत महत्व रखती हैं।
23. **कार्मिक नीति का मूल्यांकन-** संगठन में कार्यरत कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन कार्मिक प्रशासन के कार्य की सूची में शामिल होता है। इसके साथ ही कार्मिक प्रशासन के लिए यह भी आवश्यक होता है कि वह समय-समय पर अपनी कार्मिक नीति का भी मूल्यांकन करता रहे ताकि उसमें उत्पन्न दोष एवं कमियों को समय रहते दूर करके कर्मचारियों को संतुष्ट रख सके।
24. **सेवी वर्ग सेवाएं-** कार्मिक प्रशासन के द्वारा कर्मचारियों के लिए अल्पाहारग्रह तथा अन्य मनोरंजन की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। कार्मिक प्रशासन के द्वारा ही सभी कर्मचारियों को उनकी निजी समस्याओं में भी परामर्श दिया जाता है। ऐसा करने से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है।

इस प्रकार उपरोक्त वर्णन के द्वारा आप यह भली-भांति समझ गए होंगे कि कार्मिक प्रशासन के अपने कुछ उद्देश्य होते हैं और उन उद्देश्यों के अनुरूप तथा उनकी प्राप्ति हेतु ही कार्मिक प्रशासन कार्य करता है। कार्मिक प्रशासन के कार्यों की उपरोक्त दी गई लंबी सूची के द्वारा आप को यह बताने का प्रयास किया गया है कि कार्मिक प्रशासन संगठन के कुशल संचालन हेतु सभी प्रकार की गतिविधियों के संचालन के लिए उत्तरदाई होता है। कार्मिक प्रशासन का महत्वपूर्ण कार्य होता है कि वह संगठन में कार्य की उचित दशाओं का निर्माण करें तथा कर्मचारियों का मनोबल भी उच्च बनाए रखें जिससे संगठन सफल हो सके।

2.4 कार्मिक प्रशासन का महत्व

आधुनिक युग लोक कल्याणकारी राज्य का युग है। लोक कल्याणकारी राज्य पर लोक कल्याण अर्थात् जनकल्याण का उत्तरदायित्व होता है। यही कारण है कि आधुनिक समय में राज्यों का कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। जैसा कि आप जानते हैं, राज्य द्वारा संकल्पित सभी कार्यों का संपादन कार्मिकों के द्वारा ही किया जाता है। अतः इन असीमित कार्यों के संपादन हेतु अप्रत्यक्ष रूप से कार्मिकों की संख्या में भी निरंतर वृद्धि होती जा रही है।

कार्मिकों के विस्तृत समूह को पूर्ण रूप से नियंत्रित रखने तथा उनसे आवश्यकता अनुसार कार्य करवाने हेतु कार्मिक प्रशासन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। कार्मिकों की संख्या अधिक है और वह बहुत महत्वपूर्ण भी है। इस बात को बताते हुए हरमन फाइनर ने कहा, “लोक प्रशासन में सेवीवर्ग को ही सर्वोच्च तत्व माना जाता है। सेवीवर्ग प्रशासन कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, पदोन्नति, समन्वय तथा प्रत्यायोजन आदि व्यवस्थाओं का नियमन करता है तथा कर्मचारियों से अधिकतम एवं कुशलतम कार्य संपन्न कराने हेतु प्रयत्नशील रहता है। सेवीवर्ग प्रशासन संगठन के मानवीय तत्व को भी यथोचित महत्व देता है।”

कार्मिक प्रशासन के महत्व को समझने के लिए यही बात काफी है कि संगठन में कार्मिक स्थाई घटक होता है। कार्मिकों के बिना संगठन नहीं बन सकते हैं। यंत्र नए मंगवा सकते हैं, नई तकनीक अपनाई जा सकती है पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारे कार्मिकों को हटाकर नए कार्मिक नहीं लगाए जा सकते हैं। कुछ विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तकनीकी विशेषज्ञों को अतिरिक्त तौर पर बुलाया जा सकता है, परंतु सामान्य तौर पर इस काम को किया जाना बहुत मुश्किल है। निरंतर कार्मिकों को हटाकर नए कार्मिकों को नियुक्त करना यथार्थ से बहुत परे नजर आता है। अतः यह समझ लेना और जान लेना अब आसान हो जाता है कि यदि कार्मिक संगठन में इतना महत्व रखते हैं तो कार्मिक प्रशासन का महत्व भी इसके समानांतर ही होता है।

आपने अब तक के अपने अध्ययन में जाना कि किस प्रकार कार्मिक प्रशासन की प्रकृति होती है, उसका क्षेत्र होता है, कुछ उद्देश्य होते हैं जिन की प्राप्ति के लिए ही कार्मिक प्रशासन के कार्य भी होते हैं। इस पूरे अध्ययन के बाद आपके लिए यह समझना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा कि कार्मिक प्रशासन का महत्व भी उसके द्वारा संपादित कार्यों पर ही आधारित होता है। कार्मिक प्रशासन के महत्व को अग्रलिखित बिंदुओं के आधार पर और आसानी से समझा जा सकता है-

- 1. योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन-** राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप में जनता के संपूर्ण कल्याण का उत्तरदायित्व प्रशासन पर ही होता है। प्रशासन के द्वारा जन कल्याण हेतु विभिन्न नीतियों का निर्धारण किया जाता है तथा विभिन्न प्रकार की योजनाओं और कार्यक्रमों का भी निर्माण किया जाता है। इन सभी प्रकार की योजनाओं और कार्यक्रमों को कार्य रूप में परिणित करने का उत्तरदायित्व कार्मिकों पर होता है और इसमें कार्मिक प्रशासन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे-जैसे सरकार के द्वारा जनकल्याण के लिए नीतियों का निर्माण किया जाता है अप्रत्यक्ष रूप से देश की नौकरशाही पर नए दायित्व आ जाते हैं और परिवर्तित और नवीन दायित्व के अनुसार ही लोक सेवकों की भर्ती, प्रशिक्षण, कार्य की शर्तें एवं अन्य सेवा शर्तों में भी आवश्यक परिवर्तन किया जाता है। इन सभी कार्यों को करने का उत्तरदायित्व प्रमुख रूप से कार्मिक प्रशासन का ही होता है।
- 2. जनहित की भावना का विकास-** कार्मिक प्रशासन सदा लोक कल्याण हेतु प्रयत्नशील रहता है। इस कार्य के लिए वह सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों का ही पालन करता है। कार्मिक प्रशासन का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह कार्मिकों के लिए एक ऐसा वातावरण प्रस्तुत करें जिससे सभी कर्मचारी जनहित के कार्यों में पूर्ण रूप से रुचि लेने लगे तथा अधिकतम मात्रा में जन संतोष उत्पन्न करने का प्रयास करें। कर्मचारियों में कार्मिक प्रशासन को यह भावना भी उत्पन्न करनी पड़ती है कि वह इस बात का ध्यान रखें कि केवल कुशलता पूर्वक कार्य करना ही उनकी सफलता का मापदंड नहीं है, बल्कि उनकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उनके प्रयासों से कितना सार्वजनिक कल्याण होता है तथा कितना जन संतोष उत्पन्न होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो ऐसी भावना और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ऐसी व्यवस्था में प्रशासन जनता की इच्छा पर निर्भर करता है। प्रशासन को जनता का समर्थन प्राप्त करना आवश्यक होता है और यह समर्थन वे तभी प्राप्त कर सकते हैं, जब वे प्रशासनिक कार्यों से

जनता को पूर्ण संतुष्टि प्रदान करें। कार्मिक प्रशासन सार्वजनिक कल्याण हेतु बनाई गई योजनाओं को क्रियान्वित कर के जन संतोष उत्पन्न करता है।

3. **कार्य कुशलता में वृद्धि-** कार्मिक प्रशासन का महत्व इस तथ्य में भी समाहित होता है कि वह कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि करने का भी निरंतर प्रयास करता रहता है। सक्षम कर्मचारियों के अभाव में संगठन अपने उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सकता है। इसके लिए कार्मिक प्रशासन कर्मचारियों को लोक सेवा में प्रवेश से पहले तथा प्रवेश के पश्चात भी प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसके अलावा अपनी नीतियों में ऐसे तत्वों को समाहित करने का प्रयास करता है जिसके कारण प्रशासन अपने कर्मचारियों को संतुष्ट रख सके। ऐसा करने के लिए कार्मिक प्रशासन के द्वारा अपने कार्मिकों को पर्याप्त वेतन, कार्य के समुचित घंटे, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाएं, सेवानिवृत्ति लाभ आदि सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रबंध किया जाता है। यही सब वह व्यवस्थाएं हैं, जिनके द्वारा किसी भी संगठन में कार्यरत कर्मचारी संतुष्ट रहता है और कर्मचारी की संतुष्टि ही उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि का एक बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है।
4. **उत्तरदायी प्रशासन-** उत्तरदायी प्रशासन का निर्माण करना कार्मिक प्रशासन की महत्ता को प्रदर्शित करने वाला एक और तत्व होता है। लोकतांत्रिक प्रशासन उत्तरदायी होता है कि वह अपने कार्यों का संपादन कुछ इस प्रकार से करता है, कि उन कार्यों में प्रशासन की जनता के प्रति उत्तरदायित्व की भावना अभिव्यक्त हो सके। इसके लिए प्रशासन के द्वारा समुचित व्यवस्था की जाती है। प्रशासन के द्वारा ऐसा प्रबंध किया जाता है कि यदि कोई अधिकारी कभी भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है अथवा अनुत्तरदायित्व पूर्ण व्यवहार करता है तो कार्मिक प्रशासन उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी करता है। संगठन में कर्मचारी के अपेक्षित व्यवहार के बारे में आचार संहिता में उल्लेख किया जाता है जो कर्मचारी को उत्तरदायित्व पूर्ण आचरण के लिए प्रेरित कर सके।
5. **मनोबल का निर्माण-** संगठन में कर्मचारी की उत्पादकता तभी बनी रह सकती है या बढ़ सकती है जब कर्मचारी में कार्य करने की इच्छा बनी रहे। कर्मचारियों में कार्य करने की इच्छा बनाए रखने के लिए उनका मनोबल बनाए रखना आवश्यक होता है। कार्मिक प्रशासन के द्वारा कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते रहते हैं।
6. **परिवर्तित परिस्थितियों में सामंजस्य-** देश की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तन निरंतर बने रहते हैं और यह परिवर्तन प्रशासन के समक्ष नवीन उत्तरदायित्व एवं चुनौतियां उत्पन्न कर देते हैं। कार्मिक प्रशासन का महत्व इस बात में भी निहित है कि वह परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है। कार्मिक प्रशासन परिवर्तनशील परिस्थितियों के प्रति सजग रहकर इस प्रकार की व्यवस्था करता है कि प्रशासनिक संगठन परिवर्तित परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम रह सके। कार्मिक प्रशासन गतिशील एवं परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल सामंजस्य स्थापित करने की अद्भुत क्षमता रखता है।
7. **समन्वय-** कार्मिक प्रशासन संगठन के विभिन्न सिद्धांतों का समुचित ध्यान रखता है तथा इन सिद्धांतों के निर्वहन की दृष्टि से वह विभिन्न नीतियों का निर्माण करता है। विभिन्न नीतियों की क्रियाओं में समन्वय उत्पन्न करने का प्रयास कार्मिक प्रशासन के द्वारा ही किया जाता है। समन्वय का होना इसलिए अत्यधिक आवश्यक होता है कि मानवीय अथवा भौतिक साधनों का दुरुपयोग ना हो सके तथा कार्यों के दोहराव को भी रोका जा सके।
8. **नियंत्रण-** संगठन द्वारा अपने वांछित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु यह आवश्यक होता है कि उसके कर्मचारी वर्ग उचित रीति से अपने कार्यों का संपादन करते रहे और ऐसा कर्मचारियों पर नियंत्रण स्थापित किए बिना

संभव नहीं हो सकता है। कर्मचारियों पर नियंत्रण तथा उनकी क्रियाओं में समन्वय उत्पन्न करने की दृष्टि से कार्मिक प्रशासन का विशेष महत्व होता है।

2.5 निष्कर्ष

इस प्रकार उपरोक्त वर्णन से आप यह बात स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि किसी भी संगठन में कार्मिक प्रशासन उसका कितना महत्वपूर्ण भाग होता है। कार्मिक प्रशासन के अपने कुछ उद्देश्य निर्धारित होते हैं जिन उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में ही कार्मिक प्रशासन के द्वारा विभिन्न कार्यों का संपादन किया जाता है। कार्मिक प्रशासन द्वारा संपादित किए जाने वाले यह कार्य कार्मिक प्रशासन का महत्व भी इंगित करते हैं।

अभ्यास प्रश्न-

1. कार्मिक प्रशासन के कोई दो उद्देश्य बताइए।
2. कार्मिक प्रशासन के महत्व को इंगित करने वाले दो बिंदु बताइए।
3. उत्तरदायी प्रशासन से आप क्या समझते हैं?
4. कार्मिक प्रशासन के कोई चार कार्य बताइए।

2.6 सारांश

कार्मिक प्रशासन संगठन में कार्मिकों से संबंधित सभी प्रकार की नीतियों के निर्माण, उनके क्रियान्वयन तथा कार्मिकों पर निरीक्षण और नियंत्रण का कार्य करता है। कार्मिक प्रशासन वर्तमान संदर्भ में संगठनों का जीवन प्राण होता है, क्योंकि परिस्थितिकी निरंतर परिवर्तित होती रहती है ऐसे में कार्मिकों का ना केवल मनोबल बनाए रखना आवश्यक होता है बल्कि उनके लिए समुचित प्रभावी नीतियों का निर्माण भी उतना ही आवश्यक होता है जो कार्मिक प्रशासन के द्वारा ही संपादित किया जाता है। बदलते समय में कार्मिकों के द्वारा कार्मिक प्रशासन से अच्छी कार्मिक नीतियों की अपेक्षा की जाती है साथ ही कार्मिक प्रशासन का भी यह प्रमुख उत्तरदायित्व हो जाता है कि वह अपने कार्यों का निष्पादन कुशलतापूर्वक करें।

2.7 शब्दावली

मनोबल- व्यक्तियों के समूह की संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने की निरंतर क्षमता।

प्रतिफल- कर्मचारियों को उनके कार्य के बदले में दिए जाने वाले वेतन के एक निश्चित क्रमबद्ध तरीका।

कार्य मूल्यांकन- कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले कार्य की विधियों एवं प्रक्रियाओं का अध्ययन कर कार्य विवरण को विकसित करना।

2.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. कार्मिकों की भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति तथा अन्य आवश्यक सेवा शर्तों का निर्धारण, कार्मिकों के मनोबल तथा अभिप्रेरणा से संबंधित समस्त कार्य, 2. मनोबल का निर्माण, परिवर्तित परिस्थितियों में सामंजस्य, 3. कार्मिक प्रशासन द्वारा जब अपने कार्यों का संपादन कुछ इस प्रकार से किया जाए कि, उन कार्यों में प्रशासन की जनता के प्रति उत्तरदायित्व की भावना अभिव्यक्त हो सके, 4. मानव शक्ति प्रबंधन, श्रम संबंध, प्रशासन में अनुशासन की स्थापना, कार्यों का स्पष्ट वर्गीकरण एवं वेतन व्यवस्था

2.9 सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. सिन्हा, बी. एम. 1986, पब्लिक पर्सनेल एडमिनिस्ट्रेशन: कांसेप्टस एंड कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव; आर. बी. एस. ए. पब्लिशर्स: जयपुर।
 2. गोयल, एस. एल. 1984, पब्लिक पर्सनेल एडमिनिस्ट्रेशन; स्टर्लिंग: नई दिल्ली।
 3. जैन, शर्मा, 1999, लोक सेवीवर्गीय प्रशासन; रिसर्च पब्लिकेशन: जयपुर।
 4. कटारिया, सुरेंद्र 2008, कार्मिक प्रशासन; आर. बी. एस. ए. पब्लिशर्स: जयपुर।
 5. शर्मा, अनिल कुमार, 2006, लोक प्रशासन सिद्धांत एवं व्यवहार; ओमेगा पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
-

2.10 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

3. अवस्थी एवं अवस्थी, 2014, भारत में लोक प्रशासन; लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा।
 4. अवस्थी एवं अवस्थी, 2016, भारतीय प्रशासन; लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा।
-

2.12 निबन्धात्मक प्रश्न

1. कार्मिक प्रशासन के विभिन्न उद्देश्यों को बताइए।
2. कार्मिक प्रशासन के कार्य पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए।
3. कार्मिक प्रशासन के महत्व पर प्रकाश डालिए।

इकाई- 3 प्रशासनिक व्यवस्था में लोक सेवा एवं उनकी भूमिका

इकाई की संरचना

- 3.0 प्रस्तावना
- 3.1 उद्देश्य
- 3.2 लोक सेवा का अर्थ परिभाषाएं
- 3.3 नौकरशाही एवं लोक सेवाएं
- 3.4 विकसित तथा विकासशील देशों में लोक सेवाएं
- 3.5 आधुनिक लोक सेवा की विशेषताएं
- 3.6 लोक सेवा की नवीन प्रवृत्तियां
- 3.7 लोक सेवा तथा संवैधानिक संरक्षण
- 3.8 लोक सेवाओं की भूमिका
- 3.9 निष्कर्ष
- 3.10 सारांश
- 3.11 शब्दावली
- 3.12 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 3.13 सन्दर्भ ग्रंथ सूची
- 3.14 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 3.15 निबन्धात्मक प्रश्न

3.0 प्रस्तावना

लोकसेवा राज्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। इसे असैनिक सेवा, सरकारी सेवा, सिविल सेवा, सार्वजनिक सेवा जैसे कई नामों से जाना जाता है। सरकार का कार्य केवल राज्य- सचिव तथा विभागों के अन्य प्रधानों, मंडलों के सभापति, संसदीय अवर सचिवों, कनिष्ठ अधिपतियों तथा वरीय अधिकारियों, दूसरे शब्दों में मंत्रीगण द्वारा अकेले ही पूरा नहीं किया जा सकता है। इन लोगों से यह आशा भी नहीं की जाती है कि वह कर एकत्र करें, लेखा-परीक्षण, कारखानों का निरीक्षण, जनगणना आदि कार्य करें; हिसाब-किताब रखने, डाक के वितरण और समाचार ले जाने की तो बात ही दूर है। ऐसे बहुमुखी कार्य तो उन अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किए जाते हैं जिन्हें स्थाई लोक सेवक कहा जाता है। स्त्री-पुरुषों का यह विशाल समूह देश के एक छोर से दूसरे छोर तक कानून का पालन करवाता है और इन्हीं के द्वारा आम जनता सरकार के संपर्क में आती है। आम जनता की दृष्टि में लोक सेवक का महत्व भले ही कम हो लेकिन मंत्रालयों के लिए काम करने वालों की यह जमात सरकार के उन उद्देश्यों को जिनके लिए सरकार विद्यमान है, पूर्ण करने के लिए कम आवश्यक नहीं है। राज्य के उत्तरदायित्व एवं कार्य को पूरा करने के लिए जिन स्थाई कर्मचारियों की सहायता ली जाती है, उन्हें “ लोक सेवक” कहा जाता है। उनके द्वारा जो कार्य संपादित किए जाते हैं, वे लोक सेवा के कार्य कहे जाते हैं। पिफनर के अनुसार, “सेवी वर्ग को प्रशासन की आधारशिला कहा जाता है।” लोक सेवाएं राष्ट्र के प्रशासनिक और सामाजिक जीवन को सुदृढ़ आधार प्रदान करती हैं। राष्ट्र के बहुमुखी विकास हेतु जो निर्णय लिए जाते हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं, उन्हें कार्यान्वित करने का मुख्य उत्तरदायित्व लोक सेवा पर ही होता है।

आधुनिक राज्य एफ. एम. मार्क्स के शब्दों में, “प्रशासकीय राज्य” बन गया है। प्रशासकीय राज्य में व्यक्ति की निर्भरता प्रशासन पर इतनी अधिक बढ़ जाती है कि उसके बिना व्यक्ति अपने आम दिनचर्या की पूर्ति नहीं कर

सकता है। प्रशासन की जिम्मेदारियां भी काफी बढ़ जाती हैं। जिस अनुपात में प्रशासन की जिम्मेदारियां बढ़ी हैं उसी अनुपात में लोक सेवा का महत्व भी महत्व भी बढ़ा है। सच्चाई तो यह है कि किसी भी देश का शासन या प्रशासन अपने लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में तब तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता जब तक लोक सेवाओं के कर्मचारी सरकार की नीतियों के क्रियान्वयन के लिए कृत संकल्प ना हो। लोक सेवाएं जनता के कल्याण के लिए ही समर्पित होती हैं। आज के आधुनिक राज्य का प्रमुख उद्देश्य लोक-कल्याण ही है, यह लोक-इच्छा पर आधारित होता है और लोक सेवा के सहयोग से पूरा किया जाता है।

प्रारंभ में जो सरकारें थी वह अहस्तक्षेप की नीति में ज्यादा विश्वास रखती थी। उनका कार्य समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखना तथा अपने राज्य की रक्षा करने तक ही सीमित था। फलतः उस समय असैनिक सेवाओं के कार्यक्षेत्र भी सीमित थे। जन कल्याण के कार्य नाम मात्र को ही संपन्न किए जाते थे, परंतु आज प्रायः विश्व के हर देश में जनता को अधिक से अधिक सुविधा देने की बात सरकार सोचती है। अतः नागरिक सुविधाओं को पूरे देश में संचालित करने के लिए प्रशासन अपने कार्यालयों और लोक सेवकों का हर क्षेत्र में एक जलसा दिखाता है ताकि सभी नागरिक उसकी पहुंच में आ सके। आज लोक सेवा की सफलता पर राज्य के नागरिकों का सुख और प्रजातंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोक सेवा के अभाव में ना तो सरकार अपना कार्य सफलतापूर्वक कर सकती है और ना ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास पूरा कर सकता है। लोक सेवाएं देश के सामाजिक जीवन को व्यवस्था एवं शांति प्रदान करती हैं डॉक्टर हरमन फाइनर ने लोक सेवाओं को प्रशासन पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व माना है।

3.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप-

- लोक सेवा की परिभाषाओं के साथ लोक सेवा का अर्थ समझ जाएंगे।
- लोक सेवा एवं नौकरशाही में अंतर को भी समझ पाएंगे।
- विकसित एवं विकासशील देशों में लोक सेवाओं की विशेषताओं में अंतर को भी जान पाएंगे।
- आधुनिक लोक सेवाओं की विशेषताओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर पायेंगे।
- लोक सेवा की नवीन प्रवृत्तियों के बारे में भी ज्ञान प्राप्त कर पायेंगे।
- भारत में लोक सेवाओं को दिए जाने वाले संवैधानिक संरक्षण के बारे में भी जान जाएंगे।
- लोक सेवाओं की भूमिका को विस्तार से जान पाएंगे।

3.2 लोक सेवा का अर्थ और परिभाषा

प्रायः प्रत्येक देश में मोटे तौर पर दो प्रकार की सेवाएं पाई जाती हैं- प्रथम, सैनिक सेवा और द्वितीय, असैनिक सेवा। सैनिक सेवा का तात्पर्य ऐसी सेवाओं से होता है जो देश की सेवा और सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित होती है। दूसरी तरफ, असैनिक सेवा का संबंध व्यक्तियों के उन समूहों से है जो लोक सेवा करते हैं, सरकार द्वारा निर्देशित जनकल्याण के कार्यक्रमों को पूरा करते हैं। एक अन्य बात इससे संबंधित यह भी है कि सरकार की कार्यपालिका शाखा भी मुख्यतः दो भागों में बंटी होती है- राजनीतिक कार्यपालिका तथा स्थाई कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत वे लोग आते हैं जिनका संबंध योजनाओं के निर्माण, नीतियों के निर्धारण तथा निर्णय लेने से हैं। यह अस्थाई होते हैं तथा इनकी सेवा की अवधि राजनीतिक कारणों पर निर्भर करती है। दूसरी तरफ, अराजनीतिक एवं स्थाई कार्यपालिका है जो राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा निर्मित योजनाओं तथा निर्धारित

नीतियों को पूरा करने में सहयोग प्रदान करती है। यह स्थाई होते हैं तथा इनकी निश्चित सेवा- अवधि होती है। वस्तुतः ये ही लोक सेवा के कर्मचारी अर्थात् लोक सेवक हैं। सरकार अपना कार्य मंत्रियों तथा विभाग के राजनीतिक आदेशों के माध्यम से ही पूरा नहीं कर सकती बल्कि उन कार्यों को लागू करने तथा विस्तृत रूप से जनता तक पहुंचाने के लिए कुछ ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जो उत्तरदायित्व की भावना से काम करें। इन उत्तरदायित्व पूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए जिन कर्मचारियों और अधिकारियों की बहाली की जाती है, उन्हें ही लोक सेवक कहा जाता है। लोक सेवाओं की महत्ता को बताते हुए एल. डी. व्हाइट ने कहा है कि “एक अच्छा लोक प्रशासन बहुत से तत्वों के संयोजन से बनता है, जैसे- नेतृत्व, संगठन, वित्त, आदर्श विधियां और प्रक्रियाएं किंतु किसी भी दूसरे तत्व से बड़ा तत्व है मानव शक्ति।”

‘लोक सेवा’ अर्थात् सिविल सर्विस शब्द की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी में व्यापारिक तथा प्रशासनिक कार्य करने वाले कार्मिकों के लिए हुई। आधुनिक लोक सेवाओं का उद्भव भी पश्चिमी यूरोप में ही हुआ जबकि प्राचीन काल में लोक सेवाओं का जन्म ईस्वी सन् 6 में चीन में हुआ।

विभिन्न विचारकों ने लोक सेवाओं के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए जो कुछ इस प्रकार से हैं-

फाइनर के अनुसार, “लोक सेवा अधिकारियों का एक ऐसा पेशेवर निकाय है जो स्थाई, वेतन भोगी, कार्यकुशल या दक्ष होता है।”

एल. डी. व्हाइट के शब्दों में, “लोक सेवाएं प्रशासनिक संगठन का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सरकार अपने लक्ष्यों को प्राप्त करती है।”

भारतीय दंड संहिता की धारा- 21 के 12वें विवरण के अनुसार, “सरकारी सेवारत या वेतन पाने वाला अथवा सरकारी कार्य के लिए शुल्क या कमीशन पाने वाला व्यक्ति ‘लोक सेवक’ की श्रेणी में आता है।”

भारत की लोक सेवा के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा था, मुख्यमंत्री और मंत्री भी लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि वह सरकारी वेतन प्राप्त करते हैं। सैनिक, न्यायिक तथा औद्योगिक सेवाओं के सेवीवर्ग लोक सेवक में सम्मिलित नहीं किए जाते हैं।

ब्रिटेन में ‘लोक सेवा’ का आशय उन कर्मचारियों से है जो “राजनीतिक या न्यायिक पदाधिकारियों के अतिरिक्त ताज (महाराजा/महारानी) के सेवक जो असैनिक रूप से सेवायोजित हो और जिनका पारिश्रमिक पूर्णतया तथा प्रत्यक्षतः उस धनराशि में से दिया जाता है जो संसद द्वारा इस हेतु स्वीकृत की गई हो।”

अमेरिकन विश्व कोष में दी गई परिभाषा के अनुसार, “लोक सेवाएं उन संगठित वेतन भोगी सेवी वर्ग के निकाय को कहते हैं जो सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यह सेवाएं तथा इनका नामकरण विभिन्न देशों की परंपराओं के अनुसार हो सकता है। यद्यपि आधुनिक राज्य में अधिकांश सेवाएं लोक सेवाएं ही हैं तथापि ‘चुने हुए जन-जनप्रतिनिधि तथा रक्षा सेवी वर्ग’ लोक सेवा से बाहर माने जाते हैं।”

न्यू वेबेस्टर बीसवीं सदी विश्व कोष के अनुसार लोक सेवाओं से आशय निम्नलिखित सेवाओं या कार्मिकों से है-

- रक्षा तथा न्यायिक कार्यों के अतिरिक्त वे सभी कार्मिक जो सरकारी प्रशासन में नियुक्त हैं;
- ऐसी सरकारी सेवा जिसमें कार्मिक का कार्यकाल सुरक्षित है तथा प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से प्रवेश पाया है; और
- सरकारी विनियमों के अधीन गठित सेवा लोक सेवा है।

वस्तुतः लोक सेवा या लोक सेवक की अभी तक स्पष्ट तथा सर्वमान्य परिभाषा विकसित नहीं हो सकी है, क्योंकि प्रत्येक देश की कार्मिक सेवा तथा पदों का वर्गीकरण स्थानीय संस्कारों एवं पर्यावरण से प्रभावित है। भारत में मंत्री लोक सेवक तो माने जा सकते हैं किंतु वे किसी ‘लोक सेवा’ के स्थाई सदस्य नहीं कहला सकते हैं। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि लोक सेवा से तात्पर्य उन सरकारी सेवाओं से हैं, जिसके पदाधिकारियों को वेतन सरकारी

खजाने से मिलता है तथा जिन पर सरकार नियंत्रण रखती है लेकिन इनमें सैनिक सेवा तथा न्यायिक सेवा के अधिकारी शामिल नहीं हैं, क्योंकि इनकी पद स्थिति विशिष्टता प्राप्त है। लोक प्रशासन से संबंधित साहित्य में 'लोक सेवा' के वर्णन तथा वर्गीकरण में प्रायः प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को ही समाहित किया जाता है जो संकुचित दृष्टिकोण है। आधुनिक कल्याणकारी राज्य के उद्भव से पूर्व प्रचलित रही राजशाही व्यवस्थाएं मुख्यतः 'सैनिक' प्रकृति की थीं जिनमें राजा के अधिकांश कार्मिक या सेवक सेना दल के सदस्य होते थे। यद्यपि बहुत से राजाओं ने कल्याणकारी गतिविधियों पर ध्यान दिया फिर भी राज्य की सुरक्षा तथा विस्तार उनकी प्राथमिक गतिविधि होती थी।

3.3 नौकरशाही एवं लोक सेवाएं

सामान्यतः लोक सेवाओं और नौकरशाही को समानार्थक माना जाता है, लेकिन यह सही मत नहीं है। इन दोनों में मूल उत्तरदायित्व एवं संबंध में कोई अंतर ना होते हुए भी दोनों शब्दों के उच्चारण मात्र में अंतर दिखाई देता है। वस्तुतः नौकरशाही और लोक सेवा में समानता का भाव वेबर के आदर्श प्रतिमान के बाद उत्पन्न हुआ। अपने एक प्रतिमान में वेबर ने नौकरशाही की कुछ विशेषताओं का वर्णन किया था जो लोक सेवाओं में भी देखने को मिलती है और इसी कारण इन दोनों को समान माना जाने लगा। वास्तव में दोनों में अंतर है। एक प्रकार से नौकरशाही लोक सेवा में व्याप्त बुराई का नाम है। लोकसेवा व्यापक एवं सकारात्मक पक्ष को उजागर करती है, वही नौकरशाही संकीर्णता को दर्शाती है। लोक सेवाओं का कार्य देश की परिस्थितियों के अनुसार प्रभावित होता रहता है। लोक सेवाओं को वर्तमान में राज्य तथा संविधान के माध्यम से गठित कर विशिष्ट दायित्वों के अनुरूप ढाला जाता है। यह लोक सेवाएं राजनीतिक सत्ता की नीतियों एवं कार्यक्रमों को न केवल निष्पादित करती है बल्कि राजनीतिक सत्ता को आवश्यक सूचना तथा परामर्श भी उपलब्ध कराती हैं। नौकरशाही इनसे एकदम भिन्न अवधारणा है।

लोक सेवा एवं नौकरशाही को और अच्छे से समझने के लिए आइए इन दोनों के बीच अंतर को इस तालिका के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं-

लोक सेवा	नौकरशाही
1. लोक सेवाओं की अवधारणा मानव सभ्यता तथा संस्कृति के विकास के साथ ही प्रारंभ हो गई थी।	1. इनका जन्म 18वीं सदी से प्रारंभ होता है।
2. लोक सेवाएं, असैनिक सेवाएं हैं।	2. यह सैनिक एवं असैनिक दोनों ही सेवा में विद्यमान है।
3. इन का तात्पर्य आम जनता के लिए सुविधाएं एवं सेवाएं प्रदान करने वाले सरकारी तंत्र के कार्मिकों से है।	3. यह कर्मचारियों की कार्यशैली एवं व्यवहार का नाम है।
4. इन का गठन संविधान एवं राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।	4. विधिवत गठित नहीं बल्कि लोक सेवाओं में परिलक्षित होती है।
5. यह लोक प्रशासन का विस्तृत एवं बहुआयामी पक्ष है।	5. नौकरशाही इन लोक सेवाओं में व्याप्त एक कार्य शैली एवं मानसिकता है।

6. यह सकारात्मक कार्य कुशलता का प्रतीक है।	6. नकारात्मक तथा अकार्यकुशलता का प्रतीक है।
7. जन सेवक तथा व्यापकता को दर्शाती हैं।	7. संकीर्णता का परिचायक है।
8. लोकसेवा पद के लिए प्रतियोगिता द्वारा भर्ती होती है और वेतनमान होता है।	8. नौकरशाही पद नहीं है अतः भर्ती नहीं होती और ना ही परीक्षा होता।
9. लोक सेवाएं मानव शरीर की संरचना की भांति है।	9. नौकरशाही मानव शरीर की कार्यप्रणाली की भांति कहीं जा सकती हैं।

3.4 विकसित तथा विकासशील देशों में लोक सेवाएं

अब तक के अध्ययन के द्वारा आप लोक सेवा का अभिप्राय स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। आप यह भी समझ गए होंगे कि किस प्रकार लोकसेवा और नौकरशाही में भी अंतर होता है। भारत के संदर्भ में विशेष रूप से लोक सेवाओं को समझने से पूर्व विकसित एवं विकासशील देशों में लोक सेवाओं की विशेषताओं को जान लेना चाहिए। इन्हें जान लेना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जो तत्व विभिन्न देशों में लोक सेवा की विशेषताओं में परिवर्तन लेकर आते हैं या उनका निर्धारण करते हैं या प्रभावित करते हैं वही तत्व लोक सेवाओं की भूमिका में भी उसी प्रकार का परिवर्तन लेकर आते हैं या प्रभावित करते हैं।

विकसित देशों में लोक सेवा की प्रवृत्ति और प्रकृति विकासशील देशों से बिल्कुल अलग होती है। यद्यपि आज विभिन्न प्रकार के सूचना एवं प्रसार के साधनों का विकास हो जाने से यह अंतर काफी कम हो गया है, फिर भी आर्थिक एवं तकनीकी स्तरों का अंतर होने के कारण लोक सेवा की परंपराओं के बीच अंतर होना स्वाभाविक सा है। विकसित तथा विकासशील देशों में लोक सेवाओं की विशेषताओं को नीचे दी जा रही तालिका के आधार पर आसानी से समझा जा सकता है-

विकासशील देशों में लोक सेवाएं	विकसित देशों में लोक सेवा
1. इन देशों में लोक सेवाएं अधिकांशतः 15 वीं सदी के पश्चात के उपनिवेशवाद का परिणाम है।	1. इन देशों में लोक सेवाएं मुख्यतः संबंधित देश की ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक विचारधारा से सम्बद्ध हैं।
2. इन देशों का समाज रूढ़िवादी अशिक्षित तथा कृषि को का होने के कारण यहां लोक सेवाओं पर जाति, भाषा एवं परंपरा का प्रभाव होता है।	2. इन देशों में इस प्रकार का प्रभाव ना के बराबर होता है।
3. लोक सेवक कर्तव्य हीनता तथा अहम की भावना रखते हैं।	3. लोक सेवकों में उत्तरदायित्व की भावना पाई जाती है।
4. लोक सेवाओं का वर्गीकरण बहुत उलझा हुआ होता है। अनेक वेतनमान तथा कार्मिकों में वर्ग भेद पाया जाता है।	4. इन देशों में लोक सेवाओं का वर्गीकरण स्पष्ट तथा सरल होता है जिससे वेतनमानों की संख्या भी कम होती है।
5. इन देशों की लोक सेवाओं में सामान्यज्ञ	5. इन देशों में विशेषज्ञ सेवाओं को महत्व दिया

अधिकारियों का प्रभुत्व रहता है।	जाता है।
6. कार्य निष्पादन- मूल्यांकन या तो होता ही नहीं है अथवा केवल औपचारिकता की पूर्ति भर होता है।	6. कार्य निष्पादन- मूल्यांकन व्यवस्था सुदृढ़ होती है।
7. लोक सेवाओं के वेतन भत्ते निजी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक होते हैं।	7. निजी क्षेत्र में लोक सेवाओं से अधिक वेतन भत्ते दिए जाते हैं।
8. पदोन्नति का आधार अधिकांशतः वरिष्ठता को ही माना जाता है।	8. पदोन्नति सामान्य तौर पर योग्यता एवं वरिष्ठता दोनों पर आधारित होती है।
9. देश की बहुत कम प्रतिशत जनसंख्या को ही लोक सेवाओं से रोजगार प्राप्त होता है।	9. देश की जनसंख्या का एक बड़ा प्रतिशत लोक सेवाओं में कार्यरत होता है।
10. उच्च वेतन तथा पदोन्नति लोक सेवाओं में अभिप्रेरणा के मुख्य स्रोत होते हैं।	10. लोक सेवकों को अनेक प्रकार की अभिप्रेरणा है तथा वृत्तिका विकास के अवसर उपलब्ध होते हैं।
11. इन देशों में कार्मिक प्रशासन में अनुसंधान परिवर्तन तथा नवाचार को महत्व नहीं दिया जाता है।	11. अनुसंधान तथा नवाचार बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

3.5 आधुनिक लोक सेवा की विशेषताएं

विकसित एवं विकासशील देशों में लोक सेवा की विभिन्न विशेषताओं को पढ़ने के बाद आप यह तो समझ ही गए होंगे कि दोनों प्रकृति के देशों की व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन उन देशों की लोक सेवाओं की विशेषताओं तथा स्वरूप को भी प्रभावित करते हैं। आज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रचार प्रसार ने विकसित एवं विकासशील दोनों ही प्रकृति के देशों की लोक सेवाओं पर बहुत प्रभाव डाला है। आधुनिक लोक सेवा की विशेषताओं के संबंध में ग्लैडन ने कहा है कि “लोक सेवा से यह अपेक्षाएं हैं कि यह बिना पक्षपात के चुनी जाएगी, प्रशासनिक दृष्टि से कार्य कुशल होगी, राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ होगी तथा समाज सेवा की भावना से ओतप्रोत होगी।” लोकसेवा आज के आधुनिक युग में कुशल, प्रशिक्षित तथा विशेषज्ञ बन गई है। प्रशासन के हर क्षेत्र में विशेषीकरण बढ़ गया है। अतः आज के लोक प्रशासन में पहले के लोक सेवकों की अपेक्षा ज्यादा योग्य, कर्मठ और शिक्षित व्यक्ति प्रवेश कर रहे हैं। आधुनिक लोक सेवा की प्रमुख विशेषताओं को निम्न बिंदुओं के आधार पर आसानी से समझा जा सकता है-

1. **प्रशिक्षित एवं कुशल कार्यकर्ता-** आधुनिक लोक सेवा योग्य, प्रशिक्षित एवं कुशल व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होती है जो अनेक उत्तरदायित्व को निर्धारित सीमा के भीतर ही बेहतर ढंग से पूरा करता है। आधुनिक लोक सेवा की प्रवृत्ति व्यवसायिक है। इसमें कार्यरत लोग उसी तरह से अपने अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, जिस प्रकार से एक व्यवसायिक संगठन में लोग रहते हैं। आज प्रशासन भी ठीक उसी तरह कई व्यवसायों में बंटा है, जैसे अलग-अलग प्रकार के व्यवसाय बटे होते हैं। अब लोक सेवाओं में नियुक्ति का आधार पहले जैसा सामान्य नहीं रहा बल्कि बदल गया है। आज प्रशासन में कार्मिकों का चयन कठिन योग्यता परीक्षा और जांच के आधार पर किया जाता है जिसके कारण प्रशासन को योग्य, प्रशिक्षित और कुशल कर्मचारी प्राप्त होने लगे हैं।

2. **वेतन भोगी कार्यकर्ता-** लोक सेवा में योग्यता के आधार पर सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों का चुनाव होने के बाद उन्हें उनकी योग्यता और पद के अनुसार निर्धारित वेतन दिया जाता है तथा उनकी सेवा के अनुसार उन्हें अन्य सुविधाएं और साधन भी उपलब्ध कराए जाते हैं। अतः यह भी लोक सेवाओं की एक विशेषता है कि यह अवैतनिक कार्यकर्ताओं का निकाय नहीं है।
3. **स्थाई कार्यकाल-** राजनीतिक कार्यपालिका के सदस्य अस्थाई होते हैं, परंतु लोक सेवा के कर्मचारी स्थाई प्रकृति के होते हैं। अर्थात् लोक सेवा में अपनी प्रविष्टि के बाद सभी लोक सेवक निर्धारित समय और उम्र तक अपने पद पर कार्य करते रहते हैं। राजनीतिक सत्ता के बदलने पर भी इनके कार्यकाल पर कोई असर नहीं होता है, यही कारण है कि लोक सेवा को लोग जीवनयापन और जीवन वृत्ति के रूप में अपनाते हैं।
4. **तटस्थ एवं निष्पक्ष-** लोक सेवकों की अन्य विशेषताओं की तरह उनकी तटस्थ एवं निष्पक्ष प्रवृत्ति भी उनकी एक विशेषता मानी जाती है। लोक सेवक राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ होते हैं। तटस्थता से अभिप्राय यह है कि किसी भी राजनीतिक दल के सत्ता में आने का या उनके सत्ता से जाने का लोक सेवकों की निष्ठा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लोक सेवक सत्ता में आए प्रत्येक राजनीतिक दल के निर्णय को राज्य का आदेश मानकर पूरा करते हैं। प्रशासन के नियम और कानूनों को लागू करने में लोक सेवक निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाते हैं और किसी भी प्रकार का पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करते हैं।
5. **पद सोपान का सिद्धांत-** लोक सेवा का संपूर्ण संगठन पदसोपान एक व्यवस्था के आधार पर स्थापित होता है। यह संगठन पिरामिड की भांति होता है जिसमें प्रत्येक अधिनस्थ कर्मचारी अपने उच्च अधिकारी के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में कार्य करता है तथा अपने कार्यों के लिए वह सदैव अपने उच्च अधिकारी से सत्ता प्राप्त करता है तथा उसी के प्रति उत्तरदाई भी होता है। इसका मूल उद्देश्य लोक सेवा के विभिन्न सोपानों में अनुशासन, उत्तरदायित्व एवं कुशलता बनाए रखना है।
6. **अनामता का सिद्धांत-** लोकसभा के सदस्यों का कार्य प्रचारात्मक तथा अपना नाम कमाने का ही होता है जबकि लोकसेवक ही वे व्यक्ति होते हैं जो पर्दे के पीछे रहकर अपना नाम सामने लाए बिना ही अपने उत्तरदायित्व को पूरा करते हैं। नाम कमाने और परदे के आगे रहने का अधिकार केवल राजनीतिक कार्यपालिका के मंत्रियों और अन्य अध्यक्षों के पास ही होता है।
7. **औपचारिक दृष्टिकोण-** लोक सेवा के सदस्य औपचारिक दृष्टिकोण से नियमों और कानूनों के अनुसार कार्य करते हैं। इनमें मानव संबंधों, भावनाओं और विचारधाराओं का स्थान नहीं होता है। साथ ही यह अनौपचारिकता से भी दूर रहकर कार्य करते हैं।
8. **राज्य व्यवस्था का अनिवार्य अंग-** प्रत्येक प्रकार की शासन व्यवस्था के संचालन करने के लिए लोक सेवा ही एकमात्र साधन होता है। लोक सेवकों की अनिवार्यता को समाप्त नहीं किया जा सकता है। लोक सेवा के बिना राज्य अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता है।

इस प्रकार आधुनिक लोक सेवा अनेक विशेषताओं को लिए हुए होती है जो इसकी आवश्यकता एवं महत्व को भी इंगित करती है। लोक सेवाओं की इन विशेषताओं को जानने के बाद आइए अब हम लोक सेवाओं की आधुनिक व नवीन प्रवृत्तियों पर भी एक नजर डालते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि बदलते परिवेश में लोक सेवाओं की प्रवृत्तियों में किस प्रकार के बदलाव आ रहे हैं।

3.6 लोक सेवा की नवीन प्रवृत्तियां

आज के इस विज्ञान और प्रौद्योगिकी के युग में जीवन के हर क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं। बढ़ते हुए संचार साधनों एवं आधुनिक आविष्कारों ने लोक सेवा के समक्ष अनेक नई समस्याओं को भी जन्म दिया है। लोकसेवा एक गत्यात्मक संस्था है। बदली हुई परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढाल लेना लोक सेवा की मुख्य विशेषता मानी जाती है। भारत के संदर्भ में, आधुनिक समय में लोक सेवाओं में पाई जाने वाली निम्नलिखित आधुनिक प्रवृत्तियां हैं-

1. लोक सेवकों की संख्या में तेजी से वृद्धि।
2. लोक सेवा में अधिकाधिक विशेषज्ञों तथा प्रविधिज्ञों की नियुक्ति के कारण बढ़ती हुई विभिन्नता।
3. लोक सेवकों की शक्तियों में निरंतर वृद्धि हो रही है।
4. लोक सेवाओं में गुणों की आवश्यकता पड़ रही है।
5. नकारात्मकता से सकारात्मक कार्य की ओर लोक सेवा के दायित्वों में झुकाव है।
6. लोक सेवा की तटस्थता की परंपरागत अवधारणा में परिवर्तन हो रहा है।
7. लोक सेवा के लिए नैतिक तथा व्यवसायिक मापदंडों पर अधिक बल दिया जा रहा है।
8. मानव संसाधन विकास की ओर झुकाव बढ़ रहा है।
9. लोक सेवा की विकास प्रशासन में भूमिका बढ़ रही है।
10. संरचना और कार्यों में लोकतांत्रिक तत्व।
11. पर्यावरणीय अनुकूलता।
12. सदस्यों के बीच आंतरिक संबंध एवं पारस्परिक निर्भरता।
13. गिरती हुई बदनाम छवि।

लोक सेवा के कार्यों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। दिन-प्रतिदिन उन पर नई जिम्मेदारियां डाली जा रही है। यही कारण है कि, भारत, अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और सोवियत संघ में लोक सेवकों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। लोक सेवा में आज विशेषज्ञता का प्रचलन बढ़ गया है तथा तकनीकी कर्मचारियों की संख्या पहले की अपेक्षा ज्यादा होती जा रही है। हर छोटे-छोटे कार्यों के लिए भी विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाती है और उनका अलग-अलग विभाग कारों के आधार पर गठित किया जाता है। अतः लोकसेवा की नई प्रवृत्ति में विभिन्नता विशेषज्ञता दोनों ही पाई जाती हैं। लोक सेवकों पर बढ़ती हुई जिम्मेदारियों और उत्तरदायित्व के कारण ही लोक सेवकों की शक्तियों में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। जब तक लोक सेवा के कार्य में वृद्धि होती रहेगी लोक सेवकों की शक्तियों में प्रचार होता रहेगा। लोक प्रशासन का स्वरूप आज सकारात्मक कार्यों की तरफ पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। लोकसेवा को जनहित में जनकल्याण की भावना से कार्य करना पड़ता है, अर्थात् जनता की सहमति प्राप्त करना ही लोक सेवा की सकारात्मक प्रवृत्ति माना जाता है। लोक सेवा की सदस्यता की परंपरागत अवधारणा में परिवर्तन हुआ है। आज लोकसेवक राजनीतिक रूप से ज्यादा जागरूक होते हैं। यह राजनीतिक कार्यपालिका को अपने निर्णयों से प्रभावित भी करने लगे हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि आज लोक सेवा की नई प्रवृत्ति में नैतिक एवं व्यवसायिक मापदंड पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। लोक सेवकों का मनोबल बना रहे, इसके लिए उनके जीवन से जुड़े हुए होते, मानसिक और भावनात्मक पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाता है। अनौपचारिक संबंधों तथा राजनीतिक कार्यपालिका के व्यवहारों के द्वारा भी नैतिकता और मनोबल को बढ़ावा मिलता है। अपने कार्यों के प्रति लोकसेवक व्यवसायिक मापदंड अपना कर पहले से कहीं ज्यादा कुशलतापूर्वक एवं कर्तव्य निष्ठा से लोक सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं।

3.7 लोक सेवा तथा संवैधानिक संरक्षण

लोक सेवक सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और निर्णय को निष्पक्ष होकर लागू करने का प्रयास करते हैं। देशों का विकास और उनकी सफलता इन लोक सेवकों के कुशल, प्रभाव शील कार्यकरण पर ही निर्भर करती है। लोक सेवक तो सरकार की सफलता और देश के विकास को सुनिश्चित करते हैं परंतु लोक सेवकों का किसी भी प्रकार से उत्पीड़न ना हो इस बात का ध्यान रखना भी देश की सरकारों का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। सरकार लोक सेवकों के साथ कोई पक्षपात पूर्ण व्यवहार ना करें, इसके लिए विश्व के सभी देशों के लोक सेवकों को संवैधानिक संरक्षण की आवश्यकता होती है। लोकतांत्रिक समाज कानून के शासन पर आधारित होता है। भारत भी एक लोकतांत्रिक समाज है। अतः यहां पर लोक सेवकों को ‘संवैधानिक संरक्षण’ प्रदान किया जाता है। आइए भारत में लोक सेवकों को प्रदान किए जाने वाले संवैधानिक संरक्षण के बारे में विस्तार से जान लेते हैं-

1. अनुच्छेद- 309 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य के लोक सेवकों की भर्ती एवं नियुक्ति की सेवा शर्तें संसद/राज्य विधानसभा के अधिनियम द्वारा नियंत्रित की जाएगी।
2. अनुच्छेद- 310 के अनुसार लोक सेवक राष्ट्रपति, राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद पर रह सकेगा।
3. अनुच्छेद- 311 के अनुसार कानूनी और वैध सेवा मुक्ति, अपदस्थता या पदोन्नति के लिए दो आवश्यक शर्तें हैं- सेवामुक्ति, अपदस्थ करना या पदावनति आदेश सक्षम सत्ता द्वारा दिए जाएं और प्रभावित व्यक्तियों को कार्यवाही के संबंध में स्पष्टीकरण देने का अवसर प्रदान करना।
4. अनुच्छेद- 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात स्थिति में केंद्र शासन राज्य के समस्त या वर्ग विशेष के लोक सेवकों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में कटौती के निर्देश दे सकता है।
5. मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नागरिकों को समानता के अधिकार के अंतर्गत रोजगार के मामले में सबको अवसर की समानता प्रदान करता है।
6. संविधान के अनुच्छेद 308 से 323 के अंतर्गत निम्न संघीय एवं राज्यों की सेवाओं का वर्णन किया गया है-
 - केंद्र और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान।
 - अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान।
 - सेवा की सुरक्षा लोक सेवाओं को प्रदान की गई है।
 - लोक सेवकों के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना(1976)

इस प्रकार भारत में लोक सेवकों को किसी भी प्रकार के उत्पीड़न और पक्षपातपूर्ण व्यवहार से सुरक्षा प्रदान करने हेतु भारतीय संविधान में विभिन्न उपबंधों द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है।

3.8 लोक सेवाओं की भूमिका

उपरोक्त संपूर्ण वर्णन के द्वारा आप इस बात को भलीभांति जानते होंगे कि राज्य के विकास की विभिन्न इकाइयों कार्यरत हैं उनमें लोकसेवा एक महत्वपूर्ण परिसंपत्ति है। इसे शासन की चतुर्थ शाखा भी माना जाता है। शासन की 3 शाखाएं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। इस शाखाओं के प्रयोजन तो स्पष्ट है। परंतु एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि फिर लोक सेवा का क्या प्रयोजन है? सामान्य रूप से लोकसेवा तीनों शाखाओं से बनी हुई है। प्रत्यक्ष रूप से लोकसेवा सरकार के नियंत्रण में कार्य करती है। लोक सेवा का प्रमुख कार्य सरकार के दैनिक कार्यों को संपन्न करना तथा कानूनों को लागू करना है। विधायिका की परिसीमन के संदर्भ में लोक सेवा के निर्णायक भूमिका समझी जा सकती है। जो प्रतिनिधि चुनकर विधायिका में आते हैं उनके पास सामाजिक और आर्थिक जीवन के समस्त पहलुओं की ना तो जानकारी होती है और ना समझने का समय ही। साथ में क्रियान्वित

करने के तरीकों की भी जानकारी नहीं होती है। ऐसी स्थिति में लोकसेवा अधिक उत्तरदायित्व ग्रहण करती है। लोकसेवा को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। लोक सेवा नीतियों, निर्णय और कार्यक्रमों को बनाने में सहायता प्रदान करती है, नीति को व्यावहारिक रूप प्रदान करती है और जनता की बढ़ती हुई मांगों को संभालती है। वह विधि निर्माण की पहल नहीं करती है परंतु कानून को बनाने में विशेषज्ञ सलाह और आवश्यक आंकड़े उपलब्ध कराती है, जिसके बिना कानून बनाना संभव नहीं है। नौकरशाही नीति संघर्ष में सदैव विजय नहीं होती है, परंतु उसमें उसकी हमेशा सहभागिता उल्लेखनीय बात है।

लोक सेवा की इन सभी विशेषताओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि राज्य के प्रशासन में लोक सेवा का एक विशेष महत्व है। लोक सेवा को आज अनेक महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करना पड़ता है। वर्तमान विश्व की किसी भी शासन व्यवस्था में लोक सेवाओं के बिना शासन की नीतियों और कार्यक्रमों की क्रियान्वयन की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। जैसा कि आपने विकसित एवं विकासशील देशों में लोक सेवाओं की विशेषता को पढ़कर जाना की, विकसित देशों की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा धार्मिक क्रियाओं में आधुनिकता आ गई है और उन्हीं क्रियाओं के संदर्भ में वहां का लोक प्रशासन भी प्रभावित हो चुका है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद के परंपरागत गढ़ धराशायी होने लगे तथा एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और मध्य पूर्व में नए स्वतंत्र अर्थात् विकासशील देशों का उदय होने लगा। यह विकासशील देश जिनमें भारत भी शामिल है अपनी रूढ़िवादी परंपराओं, शिक्षा, धार्मिक कट्टरता, जाति तथा वर्ग में भेद, संसाधनों की भिन्नता तथा कमजोर आर्थिक व्यवस्था से पीड़ित है। यहां का प्रशासन तंत्र मुख्य रूप से उपनिवेश कालीन संस्कृति से प्रभावित है जिसमें कठोर नौकरशाही के अवगुण तथा विशेषज्ञता का अभाव है। परंतु इन सब विसंगतियों के होने के बावजूद इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि दोनों ही प्रकार के देशों में लोकसेवा प्रशासन की आधारशिला है। राज्य के प्रत्येक नए कार्य और प्रत्येक नई योजना से लोक सेवा पर एक नई जिम्मेदारी आ पड़ती है। लोक सेवा के कार्यों को संपन्न करने के लिए ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ तथा कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उन्हें ना सिर्फ जनता के कल्याण से संबंधित कार्यों को करना पड़ता है बल्कि राजनीतिक कार्यपालिका को परामर्श देने का कार्य संपादित करना पड़ता है। लोकसेवा को अनेक तरह के और अराजनीतिक, प्रशासनिक तथा कल्याण से संबंधित प्रमुख कार्य संपादित करने पड़ते हैं। हालांकि लोक सेवा द्वारा इतने असंख्य कार्य संपन्न करने पड़ते हैं कि उन्हें सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है, परंतु फिर भी इन देशों की परिवर्तित परिस्थितियों तथा नव आकांक्षाओं में लोक सेवाओं की बढ़ती भूमिका को निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा रूप से समझा जा सकता है-

1. **राजनीतिक कार्यपालिका को परामर्श देना-** राजनीतिक कार्यपालिका को उपलब्ध परिस्थितियों में उचित परामर्श देना लोक सेवा का प्रथम कर्तव्य माना जाता है। लोक सेवक प्रशासन के कार्यों में कुशल तथा विशेषज्ञ होते हैं। अतः शासन की नीतियों और कार्यक्रमों के निरूपण में मंत्री को सूचना एवं परामर्श उपलब्ध करवाने का दायित्व लोक सेवक अर्थात् प्रशासनिक अधिकारियों का ही होता है। राजनीतिक गतिविधियों में कार्यरत मंत्रियों के पास ना तो इतना समय होता है कि वे प्रशासनिक कार्यों में गंभीरतापूर्वक रूचि ले सके और ना ही वे इतने कुशल होते हैं कि प्रशासन की प्रत्येक गतिविधियों को सूक्ष्मता से समझ सके। अतः लोक सेवकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कर्तव्य का पालन निष्पक्ष भावना से इमानदारी पूर्वक करते हुए राजनीतिक कार्यपालिका अर्थात् मंत्रियों को अच्छी से अच्छी सलाह देंगे। इस संबंध में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चैंबरलेन का कथन है कि “संभवतः लोक सेवक मंत्रिमंडल के सदस्यों के बिना कार्य कर सकते हैं किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि मंत्रीमंडल के सदस्य बिना लोक सेवकों के कार्य नहीं कर सकते हैं।” सर जोसिया स्टाम्प ने भी इस संदर्भ में अपना मत देते हुए कहा कि “मैं इस बात के बारे में स्पष्ट हूँ कि, कर्मचारियों को नए समाज का स्रोत होना चाहिए तथा प्रत्येक

- अवस्था में उन्हें सुझाव तथा परामर्श देना चाहिए।” वस्तुतः एक कुशल मंत्री हमेशा अपने अधिकारियों की सलाह पर ही काम करता है और उनके द्वारा प्रस्तुत कागजातों पर हस्ताक्षर कर देता है।
2. **सरकारी नीतियों को क्रियान्वित करना-** राजनीतिक कार्यपालिका या व्यवस्थापिका लोक सेवकों के सहयोग और परामर्श से राष्ट्र के लिए योजनाओं और नीतियों का निर्माण करती है। लोक सेवक का कार्य इन नीतियों और योजनाओं के निर्माण में ना केवल सहायता प्रदान करना होता है, बल्कि उन नीतियों की क्रियाविधि भी लोक सेवकों का भी उत्तर दायित्व होता है। लोक सेवक द्वारा प्रदत्त विभिन्न प्रकार के आंकड़े और सूचनाएं, प्रस्तावित कार्य का प्रारूप तैयार करने तथा योजना मद में लगने वाले अनुमानित उपकरणों की जानकारी विभागीय मंत्री को देते हैं। इस जानकारी के आधार पर ही जब योजनाएं और कार्यक्रम बनकर तैयार हो जाते हैं तो सरकार द्वारा निर्धारित उन कार्यक्रमों, योजनाओं और नीतियों का क्रियान्वयन लोक सेवा के सदस्यों को करना पड़ता है।
 3. **जनता की सेवा करना-** लोक सेवा का प्रमुख उद्देश्य आम जनता की सेवा करना है। आज के आधुनिक प्रशासन में सरकार का प्रयास यही रहता है कि आम नागरिकों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करके उनके व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास भी किया जाए। इसके लिए लोकसेवा को स्वास्थ्य तथा चिकित्सा का प्रबंध, शिक्षा तथा रोजगार का प्रबंध, सड़क निर्माण, भवन निर्माण, स्टेडियम निर्माण आदि से संबंधित भूमिकाओं का भी निर्वाह करना पड़ता है। नागरिकों के जीवन यापन से संबंधित आवश्यक वस्तुओं को भी उपलब्ध कराना पड़ता है। इन सब कार्यों को पूरा करने के लिए योग्य, कौशल एवं कर्मठ कर्मचारियों का होना अत्यधिक आवश्यक होता है। वस्तुतः लोक सेवक के कंधों पर ही प्रत्यक्ष रूप से लोक कल्याण संबंधी योजनाओं को पूरा करने का उत्तरदायित्व जाता है।
 4. **प्रत्यायोजित विधि निर्माण-** व्यवस्थापिका का मुख्य कार्यविधि का निर्माण होता है। कई बार कार्य के बोझ तले दबे होने के कारण विधायिका अनेक विषयों में विधि का केवल ढांचा ही तैयार कर पाती है। उन विधियों को सुख में तथा व्यापक रूपरेखा बनाने राजनीतिक कार्यपालिका ओ सहायता उपलब्ध कराने की भूमिका भी लोक सेवकों के द्वारा ही निभाई जाती है। इस व्यवस्था को प्रदत्त व्यवस्थापन कहा जाता है। इसके अंतर्गत समस्त नियम और नियमों का निर्माण प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा ही किया जाता है।
 5. **बदलते परिवेश के साथ सामंजस्य बिठाना-** आधुनिक युग में लोक सेवाओं की भूमिका भीतर तथा बाहर प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं औद्योगिकरण के बढ़ते हुए प्रभाव ने लोक सेवकों की भूमिकाओं में एक नया आयाम जोड़ दिया है। आधुनिक प्रकार की वैज्ञानिक प्रगति ने लोक सेवकों के समक्ष अनेक नई नई चुनौतियों को खड़ा कर दिया है। आज इस बदलते परिवेश में सामाजिक समस्याओं का स्वरूप बदल गया है, जिनके समाधान के लिए लोक सेवकों को विशेष दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है। साथ ही लोक सेवा के क्षेत्र में भी कंप्यूटर तथा आधुनिक तकनीकों की आवश्यकता पड़ने लगी है जिसके कारण लोक सेवा में भी विशेषज्ञता का प्रसार हो रहा है। इन नई चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रशासन को आधुनिक तकनीकी का प्रशिक्षण तथा कंप्यूटर का ज्ञान अपने सेवी वर्ग को कराना पड़ता है। आज लोक सेवा को पर्यावरण तथा प्रदूषण जैसी समस्याओं के समाधान में भी अपनी भूमिका का निर्वाहन करना पड़ रहा है जो पहले इतना अधिक नहीं हुआ करती थी।
 6. **सामाजिक न्याय और समता की स्थापना-** विकासशील देशों की सामाजिक संरचना अत्यधिक जटिल, भेदभावपूर्ण तथा विविध संस्कृतियों से युक्त होती है। अतः इन देशों की सामाजिक संरचना में सामाजिक न्याय तथा समानता की प्राप्ति करना और लोगों को शोषण से मुक्ति दिलवाना एक महत्वपूर्ण प्रशासकीय कार्य माना जाता है। यह संविधान अपने समस्त नागरिकों को समानता तथा न्याय का मूल

अधिकार प्रदान करता है। नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से पिछड़े, असहाय, गरीब, महिला, वृद्ध, विकलांग तथा अल्पसंख्यक नागरिकों की सुरक्षा विकास और कल्याण की जिम्मेदारी भी सरकार को सौंपी गई है।

7. **सामाजिक-आर्थिक विकास को गति प्रदान करना-** काशी देशों की अर्थव्यवस्था विकसित देशों की तुलना में पिछड़ी हुई तथा विसंगतियों से परिपूर्ण होती है। अर्थव्यवस्था में सुधार या गति लाने हेतु स्वतंत्रता के समय भारत में विकसित अर्थव्यवस्था का मार्ग अपनाया गया था जो अब निजीकरण की ओर अग्रसर है किंतु लोक उद्यमों की भूमिका अभी भी महत्वपूर्ण बनी हुई है। पूर्व के अनुभव यही सिद्ध करते हैं कि समाजवादी तथा विकासशील देशों में लोक सेवाएं आर्थिक विकास को सार्थक गति प्रदान करती रही है। वस्तुतः आर्थिक विकास तथा सामाजिक विकास दोनों प्रत्यक्षतः सम्बद्ध है। एक के बिना दूसरे की प्रगति कठिन है। लोक सेवाएं इन दोनों क्षेत्रों में ही सुधार और विकास के लिए प्रतिबद्ध और प्रयासरत है।
8. **लोक कल्याणकारी राज्य की लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक-** आधुनिक युग में सभी प्रकार की सरकारों का एकमात्र कर्तव्य लोक कल्याण ही होता है। विकासशील देशों में लोक सेवाओं की भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि नव स्वतंत्र देश विकास की दौड़ में विकसित देशों से बहुत पीछे हैं तथा यहां पर लोक कल्याण की मूलभूत सेवाएं संपादित करने का संपूर्ण उत्तरदायित्व शासन का होता है। चिकित्सा, स्वास्थ्य, आवास, भोजन, पेयजल, शिक्षा तथा रोजगार जैसी न्यूनतम आवश्यकताएं को सामाजिक सेवाओं के रूप में प्रशासन द्वारा प्रदान किया जाता है।
9. **राष्ट्रीय एकता में सहायक-** भारत तथा भारत जैसे ही विकासशील देशों में क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद तथा सांप्रदायिकता की सामाजिक समस्याएं विद्यमान है। इन समस्याओं की तीव्रता को कम करने में लोक सेवकों की दोहरी भूमिका होती है। एक और दो लोक सेवाएं तटस्थता तथा समानता के आधार पर काम करती हैं वहीं दूसरी ओर इन सेवाओं की प्रकृति एवं कार्यक्षेत्र राष्ट्रीय स्तर का है। अखिल भारतीय सेवाओं का अधिकारी एक राज्य का अनुभव दूसरे राज्य के अधिकारियों में बांटता है अथवा केंद्रीय सेवाओं का अधिकारी समस्त भारत की संस्कृति एवं तदनुकूल परिस्थितियों से अवगत होता है। लोक सेवाओं की यह प्रकृति लोक सेवकों में संकीर्णता त्याग कर व्यापक दृष्टिकोण अपनाने में सहायता प्रदान करती है। लोक सेवाओं में सभी जाति, वर्गों, भाषाओं, क्षेत्रों तथा संप्रदायों के कार्मिक कार्य करते हैं जो राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
10. **आजीविका का माध्यम-** सरकारी कार्यों की पूर्ति के निमित्त विशाल संख्या में विशिष्ट योग्यता धारी लोक सेवकों की आवश्यकता होती है। लोक कल्याणकारी राज्य के उत्तरदायित्व भी चहुँमुखी होते हैं। अतः लोक सेवाओं के माध्यम से जहां एक ओर सरकार जन कल्याण के कार्य संपादित करवाती है वहीं दूसरी ओर इन लोक सेवक सेवाओं में भारी संख्या में युवक और युवतियों को रोजगार भी दे सकती है। विकासशील देशों में सरकारी नौकरियों के प्रति विशेष रुझान पाया जाता है क्योंकि इन देशों में अधिकांश कार्य सरकारों द्वारा ही संपादित किए जाते हैं। अतः सरकार एक बड़ी नियोक्ता के रूप में भी दिखाई पड़ते हैं।
11. **लोकतंत्र एवं सभ्यता की संरक्षक-** वर्तमान राज्य लोक सेवाओं पर अत्यधिक निर्भर है इसी कारण इसे प्रशासकीय राज्य के रूप में भी जाना जाता है। राजनीतिक स्तर पर जनसाधारण की सहभागिता सुनिश्चित करने, सामाजिक चेतना में अभिवृत्ति करने, विकास की गति को तेज ही प्रदान करने तथा आधुनिकता का परिवेश तैयार करने में लोक सेवकों की निर्णायक भूमिका है। अतः विकासशील देशों की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक संरचना संक्रमण काल से गुजरती है जहां पुराने और नए विचारों

तथा सभ्यताओं में द्वंद होता है। इस संक्रमण काल का कुशलतापूर्वक सामना करने तथा परिवर्तनों को मनोवांछित दिशा प्रदान करना लोक सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है।

3.9 निष्कर्ष

इस प्रकार आज लोक सेवा समाज की प्रगति और विकास का एक अविभाज्य आधार बन गई है। विकसित समाज की अपेक्षा विकासशील समाज की व्यवस्था में भिन्नता अधिक होती है। इन भिन्नताओं का मुख्य कारण जनसंख्या की बहुलता, विभिन्न संस्कृतियों, जिससे उस देश की राजनीतिक संस्कृति प्रतिबिंबित होती है, साथ ही प्रत्येक समाज और देश के ऐतिहासिक अनुभव भी होते हैं। विशेषताओं के आधार पर ही विकास ही समाज में लोक सेवकों को अपनी भूमिका अदा करनी होती है। दूसरे विश्व युद्ध के उपरांत एशिया, अफ्रीका तथा लेटिन अमेरिका के देश विकासशील देशों की श्रेणी में आ जाने के कारण इस संक्रमणकारी समय में लोक सेवकों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो गई है। इन देशों में जहां नौकरशाही से जुड़े संगठन अल्पविकसित अवस्था में थे, वे अब निरंतर विकास की ओर अग्रसर हैं। सारांश अतः यह कहा जा सकता है कि आधुनिक कल्याणकारी शासन व्यवस्था में लोक सेवाएं एक महत्वपूर्ण निकाय हैं जो संपूर्ण विकास तंत्र का मुख्य आधार भी है।

अभ्यास प्रश्न-

1. एल. डी. व्हाइट ने अच्छे लोक प्रशासन के लिए किन तत्वों के संयोजन को आवश्यक बताया?
2. लोक सेवाओं का जन्म कब और कहाँ हुआ था?
3. विकसित देशों में लोक सेवाओं की कोई चार विशेषताएं बताइए।
4. आधुनिक लोक सेवा की कोई दो विशेषताएं बताइए।
5. लोक सेवक किसे कहा जाता है?

3.10 सारांश

लोकसेवा राज्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। आज लोक सेवा की सफलता पर राज्य के नागरिकों का सुख और प्रजातंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोक सेवा के अभाव में ना तो सरकार अपना कार्य सफलतापूर्वक कर सकती है और ना ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास पूरा कर सकता है। लोक सेवाएं देश के सामाजिक जीवन को व्यवस्था एवं शांति प्रदान करती हैं। डॉक्टर हरमन फाइनर ने लोक सेवाओं को प्रशासन पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व माना है। लोक सेवाएं राजनीतिक सत्ता की नीतियों एवं कार्यक्रमों को न केवल निष्पादित करती हैं, बल्कि राजनीतिक सत्ता को आवश्यक सूचना तथा परामर्श भी उपलब्ध कराती हैं। नौकरशाही इनसे एकदम भिन्न अवधारणा है। लोकसेवा विकास प्रक्रिया का आंतरिक अंग है और इस दिशा में उसकी भूमिका अहम होती है। अब अधिक से अधिक देश, विशेषकर विकासशील देश, और संयुक्त राष्ट्र संघ, लोक सेवा को, राष्ट्र निर्माण और सामाजिक आर्थिक विकास में एक माध्यम के रूप में एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में स्वीकार करने लगे हैं। आधुनिक समाजों में लोक सेवाएं राष्ट्र निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। लोक सेवाओं की निष्पादन क्षमता पर ही सामाजिक आर्थिक विकास की सफलता और असफलता निर्भर करती है।

3.11 शब्दावली

तटस्थ- परस्पर विरोधी पक्षों से अलग रहने वाला, आजीविका- रोजगार, विसंगति- समकालीन जीवन की वह स्थिति जहां प्रत्येक मूल्य या धारणा का उल्टा रूप दिखाई पड़ता है, प्रत्यायोजन- किसी उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारी को विशिष्ट सत्ता एवं अधिकार प्रदान करना, सामंजस्य- अनुकूलता, उपयुक्तता

3.12 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. नेतृत्व, संगठन, वित्त, आदर्श विधियां एवं प्रक्रिया, मानव शक्ति। 2. ईसवी सन् 6 में चीन में हुआ था। 3. उत्तरदायित्व की भावना, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक विचारधारा से संबंधित, विशेषज्ञ सेवाओं को महत्व, कार्य निष्पादन मूल्यांकन व्यवस्था सुदृढ़ होती है। 4. प्रशिक्षित एवं कुशल कार्यकर्ता, वेतन भोगी कार्यकर्ता, तटस्थ एवं निष्पक्ष, पद सोपान का सिद्धांत। 5. राज्य के उत्तरदायित्व एवं कार्य को पूरा करने के लिए जिन स्थाई कर्मचारियों की सहायता ली जाती है, उन्हें “लोक सेवक” कहा जाता है।

3.13 सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. सिन्हा, वी. एम. 1986. पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन: कंसेप्ट एंड कंफैरिटिव पर्सपेक्टिव; आर. बी. एस. ए. पब्लिशर्स, जयपुर।
2. गोयल, एस. एल, 1984. पब्लिक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन; स्टर्लिंग: नई दिल्ली।
3. जैन, शर्मा, 1999. लोक सेवीवर्गीय प्रशासन; रिसर्च पब्लिकेशन: जयपुर।
4. कटारिया, सुरेंद्र, 2008. कार्मिक प्रशासन; आर. बी. एस. ए. पब्लिशर्स: जयपुर।
5. शर्मा, अनिल कुमार, 2006. लोक प्रशासन सिद्धांत एवं व्यवहार; ओमेगा पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
6. शर्मा, प्रभुदत्त, 2011. प्रशासनिक सिद्धांत; कॉलेज बुक डिपो, जयपुर।
7. पाण्डेय, आशुतोष, 2009. कार्मिक प्रशासन; विश्व भारती पब्लिकेशन, नई दिल्ली।

3.14 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. अवस्थी एवं अवस्थी, 2014. भारत में लोक प्रशासन; लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा।
2. अवस्थी एवं अवस्थी, 2016. भारतीय प्रशासन; लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा।

3.15 निबन्धात्मक प्रश्न

1. लोक सेवा की आधुनिक प्रवृत्तियों पर एक निबंध लिखिए।
2. आधुनिक लोक सेवा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
3. विकासशील देशों में लोक सेवाओं की भूमिका पर विस्तार से चर्चा कीजिए।
4. भारतीय संविधान में लोक सेवाओं के लिए किए गए संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन कीजिए।

इकाई- 4 भारत में कार्मिक लोक प्रशासन की विशेषताएं

इकाई की संरचना

- 4.0 प्रस्तावना
- 4.1 उद्देश्य
- 4.2 आदर्श कार्मिक प्रशासन के लक्षण
- 4.3 भारत में कार्मिक प्रशासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान
- 4.4 भारत में कार्मिक लोक प्रशासन की विशेषताएं
- 4.5 निष्कर्ष
- 4.6 सारांश
- 4.7 शब्दावली
- 4.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 4.9 सन्दर्भ ग्रंथ सूची
- 4.10 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 4.11 निबन्धात्मक प्रश्न

4.0 प्रस्तावना

लोक प्रशासन की प्रक्रियाओं को संपादित करने के लिए एक विस्तृत तंत्र की आवश्यकता होती है और इस तंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्मिकों की एक विशाल संख्या की आवश्यकता पड़ती है। किसी संगठन में इन्हीं कार्मिकों की भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, सेवा शर्तों आदि का अध्ययन कार्मिक प्रशासन के अंतर्गत किया जाता है। हम अब तक पढ़ चुके हैं कि कार्मिक प्रशासन का सामान्य अर्थ है लोक सेवकों की भर्ती, सेवा शर्तों आदि से संबंधित समस्याओं और उनके निराकरण का विज्ञान। लोक प्रशासन में कार्मिक प्रशासन का संबंध संगठन के मानवीय तत्वों से होता है। कार्मिक- प्रशासन एक ऐसी प्रशासनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति एवं रोजगार संबंधों का नियमन और परिवर्तन किया जा सके। हरमन फाइनर के अनुसार “कार्मिक प्रशासन अधिकारियों की एक ऐसी पेशेवर इकाई है जो स्थाई वेतन भोगी और कार्य कुशल होती है। कल्याणकारी प्रवृत्तियों में वृद्धि और प्रशासन की सफलता एक कुशल कार्मिक प्रशासन पर निर्भर करती है, यही कारण है कि कार्मिक प्रशासन का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में प्रशासनिक प्रक्रिया और प्रशासन के संचालन में आम लोगों का पूरा ध्यान रखना पड़ता है वरना सारी व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाती है। निष्ठ और कुशल कार्मिक- प्रशासन की कमजोरियों और समस्याओं को दूर करने में सक्षम होते हैं, साथ ही प्रशासन के उद्देश्यों को पूरा करना आसान बना देते हैं। अतः लोक नीति के रूप में अभिव्यक्त राज्य की इच्छाओं को कार्य रूप प्रदान करने का प्रमुख साधन कार्मिक प्रशासन ही है। आधुनिक समय में राज्य संबंधी दर्शन आ हस्तक्षेप नीति से अलग होकर सामाजिक कल्याण की नीति पर आधारित हो गया है और विकास के कार्यों के अतिरिक्त अनेक प्रकार के अन्य कार्यों को पूरा करने का उत्तरदायित्व भी कार्मिक प्रशासन ने अपने कंधों पर ले लिया है।

4.1 इकाई का उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप-

- आदर्श कार्मिक प्रशासन के लक्षणों को जान जाएंगे;
- भारतीय संविधान में कार्मिक प्रशासन से संबंधित प्रावधानों के बारे में जान जाएंगे;

- भारत में कार्मिक लोक प्रशासन की विशेषताओं को विस्तार से समझ पाएंगे।

4.2 आदर्श कार्मिक प्रशासन के लक्षण

सेवीवर्ग प्रशासन के लक्षण के संबंध में कोई सामान्य करण नियम नहीं बनाए जा सकते हैं। यदि एक सेवीवर्ग प्रशासन के लक्षण किसी देश विशेष में सफल तथा प्रभावशाली सिद्ध होते हैं तो आवश्यक नहीं है कि अन्य देशों में भी यह उतने ही प्रभावशाली प्रमाणित होंगे। प्रत्येक देश की परिस्थितियां, वातावरण, समस्याएं तथा अपेक्षाएं होती हैं। इन को ध्यान में रखकर ही सेवीवर्ग प्रशासन के आदर्श लक्षण निर्धारित किए जाने चाहिए। लोक प्रशासन के विद्वानों ने आदर्श अथवा स्वस्थ सेवीवर्ग प्रशासन के आवश्यक लक्षणों के बारे में चिंतन करने के बाद मुख्यतः निम्नलिखित को महत्वपूर्ण माना है-

1. संगठन के लक्ष्य तथा उद्देश्यों की दृष्टि से उपयोगी एवं सार्थक प्रशासन होना आवश्यक है।
2. प्रशासन सदैव गत्यात्मक होना चाहिए ताकि समय, परिवर्तित परिस्थितियों एवं नई चुनौतियों के साथ स्वयं को ढाल सके। ऐसा करने से सेवीवर्ग के सभी सदस्य उत्साह के साथ काम करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं।
3. इसमें कर्मचारियों की भर्ती का आधार प्रत्याशियों की सापेक्षिक योग्यता एवं क्षमता होनी चाहिए जो लूट प्रणाली से प्रभावित ना हो।
4. इसमें आजीवन सेवाओं की व्यवस्था की जाती है, जिसमें कर्मचारियों को भविष्य के प्रति आशाएं रहती हैं अतः पदोन्नति के पर्याप्त अवसर होने चाहिए।
5. सेवीवर्ग में स्पष्ट पदसोपान की व्यवस्था की जानी चाहिए। सभी कर्मचारियों को उनके कर्तव्य तथा दायित्व स्पष्ट बता दिए जाने चाहिए तथा उच्च अधिकारी एवं अधीनस्थ अधिकारियों के साथ संबंध स्पष्ट कर देना चाहिए।
6. प्रशासन कर्मचारियों को राजनीतिक गतिविधियों से अलग रखने का प्रयास करता है। यह राजनीतिक तटस्थता इसलिए वांछनीय है क्योंकि राजनीतिक दल सत्ता में आते और जाते रहते हैं किंतु लोक सेवकों को इन परिवर्तनों से प्रभावित रहकर तटस्थ भाव से अपना कार्य करते रहना चाहिए।
7. प्रशासन में कर्मचारी अनाम रहकर कार्य करते हैं। उनके द्वारा संपन्न की जाने वाली सेवाओं में कर्ता का भाव नहीं रहता वरन सेवक का भाव रहता है। कर्ता के रूप में नाम राजनीतिज्ञ का होता है।
8. प्रशासन कर्मचारियों में ऐसे मूल्य स्थापित करता है ताकि वे जीवित व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार कर सकें तथा किसी के भी साथ भेदभाव पूर्ण नीति ना अपनाए।
9. प्रशासन ने किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, जन्म स्थान, लिंग, धर्म और प्रजाति का भेदभाव किए बिना ही उसे अवसर की समानता प्रदान की जानी चाहिए। इससे सरकारी सेवाओं का आधार व्यापक होगा और इसकी विश्व सनीयता में भी वृद्धि होगी।
10. आदर्श सेवीवर्ग प्रशासन का निर्धारण करते समय इस तथ्य पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि सरकारी सेवाओं पर समाज के उच्च वर्गों अभिजात वर्गों का ही प्रभुत्व नहीं रहे। समाज के जनसाधारण का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अगर सरकारी सेवाओं में समाज के सभी वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया गया तो इससे ना केवल इसका सामाजिक आधार विस्तृत होगा बल्कि इससे समाज में अनुचित असंतोष भी उत्पन्न नहीं होगा।
11. सेवीवर्ग प्रशासन का संबंध सामान्य रूप में तीन वर्गों- जनता, सरकार तथा कार्मिकों से है। अतः इस बारे में प्रशासनिक संरचना निर्धारित करते समय इस तथ्य पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए कि इनमें

किसी प्रकार का असंतुलन उत्पन्न ना हो। इन तीनों में उचित और सही संतुलन स्थापित करके ही एक आदर्श प्रशासन को लागू किया जा सकता है।

4.3 भारत में कार्मिक प्रशासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहां सभी कार्य नियमानुसार किए जाते हैं। इसी प्रकार भारतीय लोक प्रशासन व्यवस्था भी संविधान के उपबंधों के अनुसार ही संचालित होती है क्योंकि संविधान ही किसी देश के शासन की मूल आत्मा है। यद्यपि कार्मिक प्रशासन की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को संचालित करने हेतु अनेक प्रकार के नियम, प्रक्रियाएं आदि विधिवत रूप से गठित की जाती हैं परंतु फिर भी कार्मिक प्रशासन को प्रभावित करने वाले कुछ संवैधानिक प्रावधान भी हैं। भारत में कार्मिक लोक प्रशासन की विशेषताओं पर चर्चा करने से पहले आइए हम कार्मिक प्रशासन को प्रभावित करने या निर्देशित करने वाले मुख्य संवैधानिक प्रावधानों की विस्तार में चर्चा करें-

1. अनुच्छेद- 53, भारतीय संविधान का अनुच्छेद- 53 यह प्रावधान करता है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही या राष्ट्रपति के नाम से ही सम्पादित की जाती है। इसी प्रकार अनुच्छेद- 166 यह प्रावधान करता है राज्य सरकार की सभी कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल के द्वारा अथवा उसके अधीन अधिकारियों के द्वारा ही संपादित होंगी।
2. अनुच्छेद- 14, अनुच्छेद- 14 के अनुसार यह प्रावधान किया जाता है कि, भारत राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा।
3. अनुच्छेद- 15(1), यह अनुच्छेद केवल धर्म, जाति, वर्ण, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी भी आधार पर नागरिकों के विरुद्ध कोई विभेद करने से राज्य को निश्चित करता है।
4. अनुच्छेद- 16, यह उपबंधित करता है कि, राज्य के अधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के संबंध में सब नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी।
 - राज्य को पूर्ण अधिकार देता है कि वह लोक सेवाओं के लिए आवश्यक अर्हताएं एवं मानदंडों को निर्धारित कर सकता है। राज्य द्वारा निर्धारित अर्हताओं में मानसिक योग्यता के अतिरिक्त शारीरिक योग्यता पुष्टि, अनुशासन, बौद्धिक स्तर और जनहित आदि भी सम्मिलित है। इसी प्रकार तकनीकी अर्हताएं भी निर्धारित की जा सकती है।
 - यह भी प्रावधान करता है कि राज्य, लोक सेवाओं में विभिन्न श्रेणियों की सृष्टि कर सकता है।
 - इस अनुच्छेद के अधीन राज्य, अनिवार्य सेवानिवृत्ति भी कर सकता है। अतः से न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
 - अनुच्छेद- 16(1) के अनुसार, राज्य केवल प्रारंभिक नियुक्तियों के मामले में ही नहीं बल्कि पदोन्नति, पद मुक्ति, वेतन, अवकाश, ग्रेच्युटी, पेंशन और अधिवार्षिकी भत्ता इत्यादि पर भी नियम निर्धारित कर सकता है।
 - अनुच्छेद- 16(2) के अनुसार, 'वंशक्रम' तथा 'निवास स्थान' के आधार पर लोक सेवा में विभेद नहीं किया जा सकता है।
 - अनुच्छेद-16(3), अनुच्छेद-16(2) का अपवाद है कि "सरकार कुछ सेवाओं को केवल राज्य के निवासियों के लिए आरक्षित कर सकती है, बशर्ते कि इसके लिए उचित कारण हो तथा व्यवस्थापिका द्वारा अधिनियम पारित किया जाए।"

- अनुच्छेद- 16(4) राज्य को यह शक्ति देता है कि वह पिछड़ी जातियों के लिए, जिनको उसकी राय में लोक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल सका है, लोक पदों को आरक्षित कर सकता है। इसके लिए 2 शर्तें हैं- वर्ग पिछड़ा हो अर्थात् सामाजिक आर्थिक दृष्टि से तथा उससे राज्य के अधीन पदों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल सका हो। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि केवल दूसरी शर्त एकमात्र कसौटी नहीं हो सकती।
- 5. अनुच्छेद- 19 (1) 'क' के अंतर्गत हड़ताल कोई मूल अधिकार नहीं है अतः किसी भी व्यक्ति को हड़ताल करने से रोका जा सकता है क्योंकि प्रदर्शन जब हड़ताल का रूप धारण कर लेता है तो वह विचारों को अभिव्यक्त करने का साधन मात्र नहीं रह जाता है।
- 6. अनुच्छेद- 19(1) 'ग' भारत के समस्त नागरिकों को संस्थान या संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है किंतु इस अनुच्छेद का खंड 4 राज्य को इस अधिकार पर लोक व्यवस्था या नैतिकता के हित में 'युक्ति युक्त प्रतिबंध' लगाने की शक्ति भी प्रदान करता है क्योंकि संघ बनाने के अधिकार में हड़ताल करने का अधिकार सम्मिलित नहीं है।
- 7. अनुच्छेद- 23 (2) के अंतर्गत राज्य को सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवाएं लागू करने की शक्ति प्राप्त है और राज्य ऐसे कार्यों को करने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य कर सकता है। लेकिन शर्त यह है कि इस प्रकार की सार्वजनिक अनिवार्य सेवाओं को लागू करने में राज्य धर्म, वंश, जाति या वर्ग आदि के आधार पर विभेद ना करें।
- 8. अनुच्छेद- 38 एवं 39 के अनुसार न्याय का सामान वितरण अपेक्षित है। आर्थिक विषमता को समाप्त करने के लिए 'समान कार्य के लिए समान वेतन' एक नीति-निर्देशक तत्व है, मूल अधिकार नहीं है किंतु निश्चय ही यह एक संवैधानिक लक्ष्य है और यदि राज्य इस मामले में विभेद करता है तो न्यायालय इसका पालन कराने के लिए- अनुच्छेद- 32 के अधीन अपनी अधिकारिता का प्रयोग कर सकता है।
- 9. अनुच्छेद- 265, यह उपबंध करता है की विधि के प्राधिकार के कोई 'कर' अधिरोपित या संग्रहित नहीं किया जाएगा।
- 10. अनुच्छेद- 309, यह उपबंध करता है कि संसद तथा राज्य विधानमंडल संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संज्ञा राज्य के कार्यों से संबद्ध लोक सेवाओं और पदों के लिए भर्ती तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा-शर्तों का विनियमन करेंगे।
- 11. अनुच्छेद -310, यह उपबंध करता है कि प्रत्येक व्यक्ति दूध संघ की प्रतिरक्षा सेवा या असैनिक सेवा या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है अथवा संघ के अधीन प्रतिरक्षा से संबंधित किसी पद को अथवा किसी और सैनिक पद को धारण करता है, राष्ट्रपति के 'प्रसादपर्यंत' पद धारण करता है। इसी तरह राज्य सेवाओं के सदस्य गण राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं किंतु इस नियम के अपवाद भी हैं। प्रसाद का सिद्धांत मूल अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकता तथा अनुच्छेद-311 में विहित प्रक्रिया का पालन आवश्यक है। इसके अतिरिक्त यह नियम उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, नियंत्रक एवं महालेखा, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य एवं मुख्य चुनाव आयुक्त पर लागू नहीं होता है, क्योंकि यह पद राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पर निर्भर नहीं करते हैं।
- 12. अनुच्छेद- 311 के अंतर्गत लोक सेवकों को उनके पद से मनमाने ढंग से पदच्युत किए जाने के विरुद्ध अग्र लिखित संवैधानिक संरक्षण प्रदान किए गए हैं-
 - कोई भी लोकसेवक अपनी नियुक्ति करता से नीचे के किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जाएगा या पद से नहीं हटाया जाएगा। अनुच्छेद-311(1)

- कोई भी व्यक्ति तब तक पदच्युत या पद से हटाया या पंक्तिच्युत नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे अपने विरुद्ध दोष आरोपों से अवगत ना करा दिया गया हो और उसके संबंध में सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर ना दे दिया गया हो। अनुच्छेद-311(2) यह उपबंध सैनिक सेवाओं पर लागू नहीं होते हैं।
- 13. अनुच्छेद- 312, संसद को विधि द्वारा संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन करने की शक्ति प्रदान करता है। यदि राज्य सभा राष्ट्रहित में आवश्यक समझे तो सदन दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित कर ऐसी सेवाओं का सृजन कर सकती है।
- 14. अनुच्छेद- 312 (क), संविधान के 28 वें संशोधन अधिनियम, 1972 द्वारा जोड़ा गया है तथा अनुच्छेद-314 हटाया गया है जिसके अंतर्गत भारतीय सिविल सेवा(I.C.S.) में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें, पारिश्रमिक, अवकाश तथा पेंशन इत्यादि के बारे में विशेषाधिकार देय थे। यह अनुच्छेद संसद को उक्त सेवा में कार्यरत सदस्यों के विशेष अधिकारों को समाप्त करने की शक्ति प्रदान करता है, किंतु इसका प्रभाव उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों एवं मुख्य चुनाव आयुक्त पर लागू नहीं है।
- 15. अनुच्छेद- 315, संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग या दो या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग गठित करने का प्रावधान करता है।
- 16. अनुच्छेद- 323 (क), यह उपबंधित करता है कि संसद विधि द्वारा संघ या किसी राज्य या भारत राज्य के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अथवा सरकार के स्वामित्व नियंत्रण में किसी निगम के कार्यों से संबंध लोक सेवाओं और पदों के लिए तथा उनकी सेवा शर्तों से संबंधित विवादों और परिवादों के न्याय- निर्णयन या विचारण के लिए प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना का उपबंध करेगी। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक अधिकरण(Tribunal) की स्थापना की जा सकती है।
- 17. अनुच्छेद- 343 में यह प्रावधान है कि, संघ की राजभाषा (Official Language) हिंदी और लिपि देवनागरी होगी किंतु संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा साथ ही राष्ट्रपति इस दिशा में अन्य आवश्यक प्रावधान भी कर सकेंगे।

उपरोक्त वर्णित संवैधानिक प्रावधान कार्मिक प्रशासन एवं लोक सेवाओं को प्रभावित करते हैं। परंतु साथ ही यह भी प्रावधान है कि परिवर्तित परिस्थितियों या नई आवश्यकताओं के अनुसार यदि चाहे तो व्यवस्थापिका भी इन प्रावधानों में परिवर्तन कर सकती है।

इस प्रकार आप यह भली-भांति समझ गए होंगे कि भारतीय संविधान में कार्मिक प्रशासन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। यह सभी प्रावधान भारत में कार्मिक लोक प्रशासन की विशेषताओं को भी प्रभावित करते हैं तथा एक आधार प्रदान करते हैं।

4.4 भारत में कार्मिक लोक प्रशासन की विशेषताएं

भारत में कार्मिक प्रशासन तथा लोक सेवाओं का जो स्वरूप वर्तमान में उपस्थित है, वह ब्रिटिश शासन की देन ही माना जाता है। वर्तमान में भारत सहित सभी लोक कल्याणकारी राज्यों में कार्मिक प्रशासन का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण होता जा रहा है। कार्मिक प्रशासन की सफलता ही जन कल्याण की वृद्धि का आधार स्तंभ है। सेवीवर्ग उन व्यक्तियों का एक समूह है जो प्रशासन की विस्तृत क्रियाओं को अपनी क्षमता, योग्यता एवं स्थिति के अनुसार संपन्न करते हैं। अतः प्रशासन तंत्र को संचालित करने वाले इन व्यक्तियों अर्थात् कार्मिकों की यदि उपेक्षा की जाएगी तो समस्त प्रशासकीय व्यवस्था पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कार्मिक प्रशासन ही वह केंद्र बिंदु है जिसके चारों ओर प्रशासन की विभिन्न समस्याएं छाई रहती हैं। प्रशासन की सफलता हेतु यह अत्यधिक

आवश्यक होता है कि प्रशासन में मानवीय पहलू और मानवीय संबंधों एवं व्यवहारों पर समुचित ध्यान एवं महत्व दिया जाए। मानवीय व्यवहार के द्वारा ही सेबी वर्ग की कार्य कुशलता में वृद्धि भी की जा सकती है तथा अयोग्य कर्मचारियों को भी कार्य करने हेतु प्रेरित किया जा सकता है। वर्तमान संदर्भ में लोक कल्याणकारी राज्य में प्रशासनिक कार्यों का विस्तार दिन प्रतिदिन होता जा रहा है। फलस्वरूप राज्य के बढ़ते हुए कार्यों को संपन्न करने हेतु एक बड़ी मात्रा में कर्मचारियों की आवश्यकता महसूस की जाती है। वर्तमान लोक कल्याणकारी राज्य में प्रशासन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहती है तथा प्रशासन के उद्देश्यों की पूर्ति से भी वर्ग रूपी बृहद मानव समूह के द्वारा ही की जाती है।

कर भी प्रशासन की इतनी बड़ी संख्या तथा इस वर्ग का इतना महत्व है कि हरमन फाइनर ने कहा कि “लोक प्रशासन में सभी वर्ग को ही सर्वोच्च तत्व माना जाता है।” कार्मिक प्रशासन में सभी वर्ग की नियुक्ति, प्रशिक्षण, पदोन्नति तथा वर्गीकरण आदि सभी बातों का समावेश होता है। कार्मिक प्रशासन में वे सारी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जिनके द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति एवं रोजगार संबंधों का नियमन किया जाता है। इसके अतिरिक्त से विवाद के संबंध में एक उपयुक्त नीति को अपनाया जाना या निर्धारण किया जाना भी अत्यधिक आवश्यक होता है। यूं तो प्रत्येक संगठन के लिए एक अच्छी सेवीवर्ग नीति का होना आवश्यक होता है परंतु सरकारी संगठनों में इसकी उपयोगिता एवं प्रभाव अपेक्षाकृत कुछ अधिक होता है। सेवीवर्ग से संबंधित उपयुक्त नीति को अपनाकर एक देश के प्रशासन को सार्थक, कार्य कुशल, उपयोगी, प्रभावशील, मितव्ययी और उत्तरदाई बनाया जा सकता है। परंतु इस संदर्भ में यह भी जान लेना आवश्यक है किसी भी वर्ग के संबंध में कोई एक ऐसी नीति निर्धारित नहीं की जा सकती है जो प्रत्येक देश में समान रूप से लागू की जा सके। प्रत्येक देश की परिस्थितियाँ, वातावरण, समस्याएं, सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। इन सभी तरह की विविधताओं का ध्यान रखकर ही सेवी वर्ग नीति का निर्धारण किया जा सकता है। सेवीवर्ग या कार्मिक प्रशासन की विशेषताओं में कार्मिकों से संबंधित उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जा सकता है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रशासन की कार्यकुशलता एवं उपयोगिता को प्रभावित करती हैं। लोक कार्मिक प्रशासन की कुछ ऐसी विशेषताएं भी होती हैं जो निजी प्रशासन से भिन्न होती हैं। सरकार अपने कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए लोक कार्मिक तंत्र पर निर्भर करती है। भारत में कार्मिक प्रशासन की विशेषताओं को हम विस्तृत रूप में निम्न बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं-

1. **ब्रिटिश काल का प्रभाव-** भारत में संपूर्ण अधिकारी तंत्र ब्रिटिश शासन से विरासत के रूप में प्राप्त किया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर शासन करते समय अपने व्यापारिक हितों को पूरा करने के लिए एक सेवा संरचना का विकास किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद 1858 में ब्रिटिश सरकार ने भारत के प्रशासन की बागडोर प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में ले ली थी। ऐसा करने के पीछे ब्रिटिश सरकार का प्रमुख उद्देश्य भारत के संसाधनों का उपयोग स्वयं के हित में करना था। इस कार्य को संपन्न करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत पर अपनी प्रशासनिक नियंत्रण को बहुत कठोर रखा। देश में आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण तथा विकास के लिए किसी भी प्रकार की गतिविधि का संचालन करने पर न्यूनतम ध्यान दिया। ब्रिटिश भारतीय लोक सेवा केवल अंग्रेजों के लिए खुली थी। इसमें भारतीयों का प्रवेश केवल प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ। अंग्रेज अधिकारी शासक होने के अहम तथा श्रेष्ठ गोरी नस्ल की उच्चता की भावना से पीड़ित थे। ऐसी नौकरशाही पूर्णतः सत्तावादी, एकीकृत, असंगठित, अन उत्तरदाई, स्वेच्छाचारी तथा अप्रजातांत्रिक थी तथा इसका लक्ष्य देश का आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, जनहित की उपलब्धि तथा जन सुविधाएं जुटाना नहीं था। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नौकरशाही को परिवर्तित परिवेश में नया दृष्टिकोण अपनाकर अपनी कार्यशैली का निर्धारण करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह आज भी अतीत की विरासत से ग्रस्त है।

2. **लोक कल्याणकारी स्वरूप-** स्वतंत्रता के पश्चात 1950 में जब हमारा अपना संविधान लागू हुआ तो उसके द्वारा हमारे देश के प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार एवं परिवर्तन लाने के लिए संविधान में प्रावधान किए गए। स्वतंत्रता के पश्चात प्रशासन को एक विकास तथा जन कल्याण उन्मुख प्रशासन में बदलना पड़ा। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को अपनाने के परिणाम स्वरूप अब देश में सेवीवर्ग प्रशासन के द्वारा लोक कल्याण से संबंधित सभी कार्यों का संपादन करना पड़ता है। कार्मिक प्रशासन का लोक कल्याणकारी स्वरूप वर्तमान में भारतीय लोक कार्मिक प्रशासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जा सकती है।
3. **लोकतांत्रिक स्वरूप-** सन् 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत पश्चात एक कुशल कार्मिक तंत्र की स्थापना करने में बहुत सारी बाधाएं विद्यमान थीं। परंतु 1950 में जब भारत का अपना संविधान लागू हुआ तो अतीत के अधिनायकवादी कार्मिक प्रशासन का स्थान कार्मिक प्रशासन के एक लोकतांत्रिक स्वरूप ने ले लिया। आज लोक कार्मिक प्रशासन बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का संचालन करता है। समाज के सभी वर्गों को समान रूप से सभी योजनाओं का लाभ मिले यही लोक कार्मिक प्रशासन का प्रथम प्रयास रहता है।
4. **सरकार के लक्ष्यों की प्राप्ति-** भारत में लोक कार्मिक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। सरकार के द्वारा जब लक्ष्यों का निर्धारण कर लिया जाता है तो उसके पश्चात लोक कार्मिक तंत्र का यह उद्देश्य होता है कि वह सरकार द्वारा निर्धारित सभी लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों का कुशल क्रियान्वयन करें।
5. **प्रशासन का संवैधानिक आधार-** भारतीय लोक प्रशासन व्यवस्था संविधान के उपबन्धों के अनुसार ही संचालित होती है। यद्यपि कार्मिक प्रशासन की दैनिक गतिविधियों को संचालित करने हेतु अनेक प्रकार के नियम, विनियमन तथा प्रक्रिया निर्धारित की जाती है परंतु फिर भी कार्मिक प्रशासन को प्रभावित करने वाले या निर्देशित करने वाले विभिन्न संवैधानिक प्रावधान भी किए गए हैं। भारत में लोक कार्मिक प्रशासन को इन्हीं संवैधानिक प्रावधानों के दायरे में रहते हुए ही अपनी गतिविधियों का संचालन करना पड़ता है।
6. **विकासोन्मुख-** भारत में कार्मिक लोक प्रशासन विकास से संबंधित सभी प्रकार की गतिविधियों का संचालन करता है। कार्मिक लोक प्रशासन का यह दायित्व होता है कि वह सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों का कुशलतापूर्वक क्रियान्वयन करते हुए विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सरकार की सहायता करें। यह तो आप सब को ज्ञात ही है कि कार्मिक लोक प्रशासन की उचित नीतियों के बिना किसी भी देश का विकास के तत्व को प्राप्त कर पाना लगभग असंभव सा ही होता है।
7. **योग्यता पर आधारित भर्ती-** कार्मिक प्रशासन की आधारभूत विशेषता भर्ती ही होती है। भर्ती से ही प्रशासनिक सेवाओं में पदों के रिक्त होने पर सामान्य नागरिकों द्वारा उनको भरे जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। प्रत्येक पद के लिए एक निश्चित योग्यता पहले से ही निर्धारित कर दी जाती है तथा उसकी योग्यता की जांच हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाता है। इन प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो भी प्रत्याशी सफल होते हैं उनको अंकों के आधार पर योग्यता सूची में शामिल किया जाता है और उसके बाद बहुत से पदों के लिए साक्षात्कार का भी प्रावधान होता है। साक्षात्कार के बाद सफल प्रत्याशियों को कुछ और औपचारिकताओं के बाद सेवी वर्ग में शामिल कर लिया जाता है। कार्मिक लोक प्रशासन कि यह महत्वपूर्ण विशेषता भी होती है और दायित्व भी होता है कि वह प्रशासन में भर्ती हेतु उचित व्यवस्था करें।

- 8. अवसर की समानता-** प्रशासन में प्रवेश हेतु अवसर की समानता प्रदान करना भारत में कार्मिक लोक प्रशासन की महत्वपूर्ण विशेषता है। भारतीय संविधान की धारा- 15(1) के अनुसार राज्य किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इसकी धारा- 16(1) में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य के अधीन नौकरी और पदों के बारे में सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे। भारतीय लोक सेवाओं में प्रवेश अवसर की समानता हेतु संवैधानिक, संस्थागत, व्यावहारिक तथा सैद्धांतिक सभी दृष्टियों से विभिन्न उपाय किए गए हैं। भारत में कार्मिक लोक प्रशासन के द्वारा सभी लोगों को प्रशासन में अवसर प्रदान करने हेतु उचित नीति का निर्माण किया जाता है।
- 9. लोक सेवाओं का व्यापक आकार-** भारत में जनसंख्या वृद्धि एवं राज्य के दायित्व में वृद्धि के बाद लोक सेवकों की संख्या काफी बढ़ी है। केंद्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर लोक सेवकों की संख्या में कमी नहीं आई है बल्कि इसमें दिनोंदिन बढ़ोतरी होती जा रही है। भारत में लोक सेवाओं के इस बड़े हुए आकार के लिए कई कारण उत्तरदाई हैं। जैसे- स्वतंत्रता के बाद देश में बहुत सारे नए मंत्रालय की स्थापना हुई तथा प्रायः सभी मंत्रालयों ने अपने व्यापक कार्यों एवं दायित्वों के निर्वाह के लिए अधिक लोक सेवकों की नियुक्ति की है। साथ ही साथ लोक सेवकों के कार्यों का समुचित मूल्यांकन नहीं हुआ है तथा कार्य के न्यूनतम मापदंड तय नहीं किए जा सके अतः लोक सेवकों की संख्या अनियंत्रित एवं असंगठित रूप से बढ़ती ही जा रही है। सरकारी नौकरी में सेवा की सुरक्षा और निश्चितता का होना तथा समाज में सरकारी नौकरी का बड़ा सम्मान होना भी भारत में लोक सेवाओं के व्यापक आकार लेने का प्रमुख उत्तरदाई कारण माना जाता है।
- 10. आरक्षण की व्यवस्था-** भारतीय कार्मिक लोक प्रशासन लोक सेवाओं में आरक्षण का भी प्रावधान करता है। भारत में कार्मिक लोक प्रशासन के द्वारा सभी प्रकार के सरकारी संगठनों में कार्मिकों की भर्ती एवं पदोन्नति की प्रक्रिया में विशेष वर्गों के लिए आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है।
- 11. जनाकांक्षाओं का प्रतीक-** भारत में कार्मिक लोक प्रशासन की ओर जनता का विशेष आकर्षण है। जनता अपनी सभी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु लोक कार्मिक प्रशासन की ओर ही देखती है। अतः भारत में कार्मिक लोक प्रशासन की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से ही एक विशेषता यह भी है कि यहां कार्मिक लोक प्रशासन जनाकांक्षाओं का प्रतीक होता है। सेवीवर्ग का यह एक प्रमुख दायित्व होता है कि वह जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अपने सभी कार्यों का संपादन करें। कार्मिकों का सदैव यही प्रयास रहता है कि जनता की समस्त आवश्यकता और प्रशासन से उनकी आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यों का सकारात्मक रूप से संपादन करते हुए सरकार के समस्त लक्ष्यों को प्राप्त करें। ऐसा करने से ना केवल सरकार के लक्ष्यों की प्राप्ति साधारण एवं सरल तरीके से हो सकती है वरन जनता द्वारा प्रशासन से की गई सभी अपेक्षाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति हो जाती है।
- 12. भ्रष्टाचार तथा अकर्मण्यता की समस्या-** भारतीय कार्मिक लोक प्रशासन भ्रष्टाचार तथा अकर्मण्यता से ग्रसित है। भारतीय लोक सेवा के अधिकांश सदस्य धनी बनने की अभिलाषा से अपनी सत्ता एवं पद का निजी हित के लिए दुरुपयोग करने लगते हैं। उनकी सारी नीतियां और नीतियां संपन्न वर्ग के हितों की रक्षा का काम करती हैं। यह इनकी महत्वाकांक्षाएं इन्हें कार्यकुशलता की ओर प्रेरित करने की अपेक्षा उन्नति के भ्रष्ट तरीके अपनाने को प्रेरित करती है। यह धन दौलत एवं प्रतिष्ठा तथा शक्ति की दौड़ में शामिल हो जाते हैं। इनका पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। ये स्वयं को जनसेवक मानने की अपेक्षा जनता को अपना सेवक मानने लगते हैं।

- 13. सामान्यज्ञों का वर्चस्व-** भारतीय लोक सेवा में सामान्य के प्रशासकों का वर्चस्व है। अखिल भारतीय तथा राज्यों के लोक सेवा, दोनों पर ही यह बात समान रूप से लागू होती है। विशेषज्ञों को सामान्य ज्ञ के नेतृत्व और नियंत्रण में रहकर कार्य करना होता है। यद्यपि पिछले कुछ वर्षों से विशेषज्ञ प्रशासकों का भी महत्व बढ़ता जा रहा है, फिर भी भारतीय लोक सेवाओं से सामान्यज्ञ प्रशासकों के वर्चस्व को तोड़ने में काफी समय लगेगा।
- 14. विधि के शासन पर आधारित-** भारतीय लोक सेवाएं विधि के शासन पर आधारित हैं। इसके द्वारा सारे कार्य विधि या कानून के अनुरूप ही संपादित किए जाते हैं। कोई भी अधिकारी या कर्मचारी ना तो विधि के शासन से ऊपर है और ना ही अपनी कार्य पद्धति में विधि के शासन की अवहेलना कर सकता है।
- 15. सकारात्मक प्रवृत्ति-** भारतीय लोक सेवाओं की नकारात्मक प्रवृत्ति पर बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि भारतीय लोक सेवाओं की कोई सकारात्मक प्रकृति नहीं है। भारतीय लोक सेवाओं में योग्यता, कुशलता, संविधान के प्रति प्रतिबद्धता, राजनीतिक नेतृत्व द्वारा लिए गए निर्णय को क्रियान्वित करने की क्षमता, विधि के शासन का अनुशीलन, अनुशासन तथा परिस्थितियों के अनुरूप अपने को ढालने की क्षमता जैसे गुण भी विद्यमान हैं। यह सब गुण ही लोक सेवाओं की क्षमता है।
- 16. सेवाकाल की सुरक्षा-** भारतीय संविधान की धारा- 309 केंद्रीय संस्था राज्यों की व्यवस्थापिकाओं को उनके क्षेत्र में लोक सेवाओं की नियुक्ति तथा सेवा शर्तों के नियमन का अधिकार देती है। धारा- 310 में उल्लेख है कि लोक सेवा के कर्मचारी केंद्र में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपालों के प्रसादपर्यंत ही अपने पद पर कार्य करेंगे। इस प्रावधान का यह अर्थ नहीं है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल स्वेच्छा पूर्वक कभी भी किसी अधिकारी को उसके पद से हटा देंगे। संविधान में लोक सेवकों की सेवा सुरक्षा के लिए भी उपयुक्त व्यवस्था की गई है। धारा- 311 के अनुसार लोक सेवा के किसी भी सदस्य को उसके नियुक्त करने वाले अधिकारी द्वारा नहीं हटाया जा सकता। किसी भी कर्मचारी को हटाने अथवा पदावनत करने से पूर्व उसे अपने पक्ष में सफाई देने का पूरा अवसर दिया जाएगा।
- 17. राजनीतिक हस्तक्षेप-** भारत में कार्मिक प्रशासन राजनीति के शिकंजे से ग्रस्त है। मंत्रियों और सांसदों तथा विधायकों द्वारा से भी वर्ग की भर्ती, पदोन्नति, अनुशासन, स्थानांतरण आदि पर अनुचित दबाव डाला जाता है। इस बात का कर्मचारियों की कार्यकुशलता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। यही नहीं राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्रशासनिक नियमों में भी बदलाव कर दिए जाते हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप और पक्षपात संगठन के कुछ सदस्यों को लापरवाह बना देता है।
- 18. समुचित कार्मिक नीति का अभाव-** मैक्स वेबर के अनुसार एक आदर्श सेवी वर्ग नीति वह होती है, जिसमें सभी कर्मचारियों के कर्तव्य निर्धारित कर उन कर्तव्यों की पूर्ति के लिए उन्हें पर्याप्त सत्ता सौंपी जाए तथा कार्य की एक उचित पद्धति एवं व्यवस्था भी निर्धारित की जाए। उपयुक्त सेवी वर्ग प्रशासन की नीति प्रत्येक शासन व्यवस्था की एक वांछनीय विशेषता होती है। निजी संगठनों की अपेक्षा सरकारी संगठनों में इसकी उपयोगिता एवं प्रभाव अधिक होता है। इसकी सहायता से ही एक देश के प्रशासन को सार्थक, उपयोगी, कार्य कुशल, प्रभावशाली, मितव्यय तथा उत्तरदाई बनाया जा सकता है।

भारतीय नौकरशाही के विरुद्ध की गई सारी बुराइयों और नकारात्मक सोच की वास्तविक जड़ें सेवीवर्ग प्रशासन की दोषपूर्ण नीति होती है। अधिकारियों का असहायपूर्ण दृष्टिकोण, कार्य संपन्नता में अनावश्यक देरी, भ्रष्टाचार, आवश्यक वस्तुओं की अनुपलब्धि, जनसाधारण को सेवाएं प्रदान करने वाले अभिकरणों द्वारा अवहेलना, भाई-भतीजावाद और पक्षपात का प्रभाव, जनता की शिकायतें सुनने और उनका निवारण करने की पर्याप्त व्यवस्था आदि का दोष किसी ना किसी रूप में सेवीवर्ग प्रशासन की समुचित कार्मिक नीति के अभाव की परिचायक हैं।

4.5 निष्कर्ष

लोक नीति के रूप में अभिव्यक्त राज्य की इच्छाओं को कार्य रूप प्रदान करने का प्रमुख साधन कार्मिक प्रशासन ही है। आदर्श कार्मिक प्रशासन में स्पष्ट पदसोपान की व्यवस्था होनी चाहिए, योग्यता के आधार पर भर्ती होनी चाहिए, व्यक्ति के साथ जाति, जन्म स्थान, लिंग, धर्म, और प्रजाति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करते हुए अवसर की समानता प्रदान करनी चाहिए। भारत में संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो भारत में कार्मिक लोक प्रशासन की विशेषताओं को भी प्रभावित करते हैं तथा एक आधार भी प्रदान करते हैं। भारतीय लोक कार्मिक प्रशासन पर ब्रिटिश काल का प्रभाव, प्रशासन का लोक कल्याणकारी तथा लोकतांत्रिक स्वरूप, प्रशासन का संवैधानिक आधार, योग्यता पर आधारित भर्ती, अवसर की समानता, विकासोन्मुख प्रशासन, आरक्षण की व्यवस्था लोक सेवाओं का व्यापक आकार, भ्रष्टाचार की समस्या आदि प्रमुख विशेषताएं पाई जाती हैं।

अभ्यास प्रश्न-

1. आदर्श कार्मिक प्रशासन के कोई दो लक्षण बताइए।
2. भारत में कार्मिक लोक प्रशासन की कोई दो विशेषताएं बताइए।
3. संविधान का अनुच्छेद- 166 क्या प्रावधान करता है?
4. विकासोन्मुख प्रशासन की अवधारणा क्या है?
5. भारतीय संविधान की कौन सी धारा में अवसर की समानता के बारे में बताया गया है?

4.6 सारांश

इस अध्याय में भारत में कार्मिक लोक प्रशासन की विशेषताओं को विस्तार से जानने के बाद यह कहा जा सकता है की देवी वर्ग प्रशासन के लक्षण के संदर्भ में कोई सामान्य नियम नहीं बनाए जा सकते हैं। कोई भी प्रशासनिक तंत्र तब तक भली-भांति काम नहीं कर सकता है जब तक कि उसमें काम करने वाले व्यक्ति स्वयं कुशल और इमानदार ना हो। इसके साथ-साथ इस बात की भी आवश्यकता है कि सेवा में प्रवेश करने वाले कार्मिकों की भर्ती का तरीका उपयुक्त होना चाहिए एवं पदोन्नति तथा प्रशिक्षण की भी समुचित व्यवस्था के साथ-साथ उन्हें अन्य लाभ भी प्रदान किए जाने चाहिए। लोक कार्मिक तंत्र के कुछ विशेष लक्षण ही इन्हें निजी संगठनों में मौजूद कार्मिक व्यवस्था से प्रथक करते हैं। विकास तथा जन कल्याण के बढ़ते हुए कार्यों से लोग कार्मिक तंत्र के समक्ष कई नवीन चुनौतियां सामने आ रही हैं। वर्तमान व्यवस्था को हमने ब्रिटिश शासन से विरासत में प्राप्त किया है। ब्रिटिश काल से प्राप्त कई विशेषताओं एवं कार्यों का अब कोई महत्व नहीं रह गया है, अतः उन को बदलने की आवश्यकता है। जनता की बढ़ती हुई आकांक्षाओं तथा कर्मचारियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन तथा विकासात्मक गतिविधियों पर अधिक जोर होने के कारण प्रशासनिक तंत्र में व्यापक फेरबदल की आवश्यकता है।

4.7 शब्दावली

अकर्मण्यता- निकम्पापन, आलस्य, सामान्यज्ञ- व्यापक सामान्य ज्ञान वाला व्यक्ति, विकासोन्मुख- किसी विशेष दिशा या स्थिति की ओर जाता हुआ, परिवाद- शिकायत, पारिश्रमिक- वह धन जो किसी को किसी परिश्रम को करने के बाद पारितोषिक के रूप में दिया जाता है

4.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. कर्मचारियों की भर्ती का आधार प्रत्याशियों की शैक्षिक योग्यता, स्पष्ट की व्यवस्था।
2. लोक कल्याणकारी स्वरूप, अवसर की समानता।
3. राज्य सरकार की सभी कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल के द्वारा उसके अधीन

अधिकारियों के द्वारा ही संपादित होंगी। 4. कार्मिक लोक प्रशासन सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों का कुशलतापूर्वक क्रियान्वयन करते हुए विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने में सरकार की सहायता करें। 5. भारतीय संविधान की धारा- 15(1), 16(1)

4.9 सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. सिन्हा, वी. एम. 1986. पर्सोनेल एडमिनिस्ट्रेशन :कंसेप्ट एंड कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव; आर. बी. एस. ए. पब्लिशर्स, जयपुर।
2. गोयल, एस. एल. 1984. पब्लिक पर्सनेल एडमिनिस्ट्रेशन; स्टर्लिंग: नई दिल्ली।
3. जैन, शर्मा, 1999. लोक सेवीवर्गीय प्रशासन; रिसर्च पब्लिकेशन: जयपुर।
4. कटारिया, सुरेंद्र, 2008. कार्मिक प्रशासन; आर. बी. एस. ए. पब्लिशर्स: जयपुर।
5. शर्मा, अनिल कुमार, 2006. लोक प्रशासन सिद्धांत एवं व्यवहार; ओमेगा पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
6. शर्मा, प्रभुदत्त, 2011. प्रशासनिक सिद्धांत; कॉलेज बुक डिपो, जयपुर।
7. पाण्डेय, आशुतोष, 2009 . कार्मिक प्रशासन; विश्व भारती पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।

4.10 सहायक /उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. श्रीवास्तव, एल. पी. 1987. पब्लिक परसोनेल सिस्टम इन इंडिया; अनमोल: नई दिल्ली।
2. माहेश्वरी, एस.आर. एंड ए. अवस्थी, 1987. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन; लक्ष्मीनारायण अग्रवाल: आगरा।

4.11 निबन्धात्मक प्रश्न

1. आदर्श सेवीवर्ग प्रशासन की लक्षणों की विवेचना कीजिए।
2. भारत में कार्मिक लोक प्रशासन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
3. भारत में कार्मिक लोक प्रशासन के संदर्भ में किए गए संवैधानिक प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा कीजिए।

इकाई- 5 आधुनिक नौकरशाही के संदर्भ में लोक सेवा

इकाई की संरचना

- 5.0 प्रस्तावना
- 5.1 उद्देश्य
- 5.2 लोक सेवा का अर्थ एवं उद्देश्य
- 5.3 आधुनिक लोक सेवा के विकास का इतिहास
- 5.4 आधुनिक लोक सेवा के अभिलक्षण
- 5.5 आधुनिक नौकरशाही की विशेषताएं
- 5.6 लोक सेवा का अर्थ तथा नौकरशाही से अन्तर
- 5.7 लोक सेवा और नौकरशाही में सम्बन्ध
- 5.8 आधुनिक नौकरशाही के ऐतिहासिक निर्धारक तत्व
- 5.9 लोक सेवा की प्रकृति और परिस्थिति
- 5.10 आधुनिक नौकरशाही की विशेषता
- 5.11 लोक सेवा के संदर्भ में नौकरशाही- भारतीय परिप्रेक्ष्य
- 5.12 नौकरशाही बनाम लोकसेवा के सकारात्मक पहलू
- 5.13 सारांश
- 5.14 शब्दावली
- 5.15 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 5.16 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 5.17 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 5.18 निबन्धात्मक प्रश्न

5.0 प्रस्तावना

लोक सेवा वास्तव में लोक प्रशासन का सार है। यह स्वयं में साध्य भी है और साधन भी। अपने स्वस्थ रूप में लोक सेवा एक पवित्र सेवा है, लेकिन अपने विकृत रूप में यह एक मानसिकता बन जाती है, जिसका लक्ष्य सेवा कम प्रभाव, नियंत्रण और प्रताड़ना अधिक होता है। लोक सेवा के इस विकृत रूप को 'नौकरशाही' कहा जाता है, जो आधुनिक जटिल समाज में अपरिहार्य बन गयी है। इसकी इसी परिहार्यता ने इस तार्किक और प्रासंगिक बनाये रखा है।

जैसे-जैसे समाज आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास की ओर बढ़ता जाता है, लोक सेवा की भूमिका भी बढ़ती है और इसी के साथ एक लोक सेवक एक नौकरशाह का रूप धारण कर लेता है। राजनीतिक चिन्तकों ने नौकरशाही के चरित्र और नौकरशाह की मानसिकता पर बहुत कुछ लिखा है।

विकासशील देशों में लोक सेवा बनाम नौकरशाही की समन्वय और द्वन्द्व की प्रक्रिया बड़ी स्पष्ट होती है, जिसका सरलता से वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है। इसी अध्ययन के आधार पर विकसित देशों में उनके अतीत से वर्तमान तक लोक सेवा और नौकरशाही के अन्तः सम्बन्धों के विकास की प्रक्रिया को समझना सरल हुआ है।

5.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप-

- आधुनिक नौकरशाही की विशेषताओं को समझ सकेंगे।
- लोक सेवा के अर्थ और महत्व को समझ सकेंगे।
- नौकरशाही और ओर लोक सेवा के सम्बन्धों को जान पायेंगे।
- नौकरशाही और लोक सेवा के अन्तर को समझ सकेंगे।
- नौकरशाही की मानसिकता किस प्रकार लोक सेवा के मार्ग में बाधायें डालती है, यह जान पायेंगे।

5.2 लोक सेवा का अर्थ एवं उद्देश्य

लोक-सेवा वास्तव में प्रशासन का सार है। यह स्वयं में साध्य भी है और साधन भी। अपने शुद्ध एवं पवित्र रूप में यह एक पवित्र सेवा है, लेकिन विकृत रूप में यह एक मानसिकता बन जाती है, जिसका लक्ष्य सेवा कम स्वयंसेवा अधिक होता है, जो यह नियंत्रण, प्रभाव और प्रताड़ना का प्रयोग करके प्राप्त करती है। लोक-सेवा के इस विकृत रूप को नौकरशाही कहा जाता है।

किसी भी प्रकार के प्रशासन के तीन अंग होते हैं- (1) संस्थागत प्रशासनिक ढांचा, जो विभिन्न सोपानों और अभिकरणों पर आधारित होता है, (2) इन अभिकरणों में कार्यरत व्यक्ति, जिनको सेवी-वर्ग का नाम दिया जाता है; तथा (3) नीतियाँ, नियम तथा विनियम, जिनको राजनीतिक प्रशासन तैयार और तैयार करता है और जिनके तहत सेवी-वर्ग सरकारी प्रशासन तंत्र का संचालन करता है। प्रशासन के यह तीनों अंग मिलकर लोक सेवा को मूर्त रूप देते हैं। इस तरह लोक सेवा वास्तव में प्रशासन की आत्मा बन जाती है, जिसके अभाव में नीतियों के क्रियान्वयन की सफलता असम्भव हो जाती है।

इस तरह यह कहा जा सकता है कि शासन की सफलता प्रशासन पर निर्भर करती है और प्रशासन की सफलता कुशल लोक सेवा पर निर्भर करती है। कुशल लोक सेवा के लिये, योग्य, प्रशिक्षित अनुभवी और साहसी सेवी-वर्ग का सर्वाधिक महत्व होता है। प्रो० एल०डी० व्हाइट इसी प्रकार के सेवी वर्ग को “मानव शक्ति” मानते हैं। यह मानव शक्ति स्थायी, वेतन भोगी, जीवन के अन्त तक पूरी तरह सुरक्षित और पेशेवर होती है, जिसमें नियमों, विनियमों तथा कानूनों की बारीकियों को समझने और उनको लागू करने की क्षमता होती है।

5.3 आधुनिक लोक सेवा के विकास का इतिहास

लोक सेवा की अवधारणा अथवा संस्था का इतिहास प्राचीन भारत राजनीतिक व्यवस्था से लेकर मुगल-शासन तथा ब्रिटिश शासन के इतिहास के पन्नों तक खोजा जा सकता है। लेकिन मुगल कालीन भारत प्रशासन में किसी भी प्रकार की अखिल भारतीय सेवाओं का गठन नहीं किया गया था। जो लोक सेवाएं गठित की गयीं थीं, उनका सम्बन्ध राजस्व, समाज-कल्याण तथा शान्ति व्यवस्था से था।

अंग्रेज शासन काल दो कालों में विभक्त है- ईस्ट इण्डिया कम्पनी काल, जिसमें लूट-प्रथा प्रचलित थी। इस प्रथा ने योग्यता आधारित प्रशासकीय सेवाओं के विकास में बाधा पहुँचाई। लेकिन जिस तरह वारेन हेस्टिंग्स तथा लार्ड कार्नवालिस जैसे गवर्नर जनरलों ने भू-राजस्व की वसूली तथा कानून और व्यवस्था के क्षेत्रों में लोक सेवाओं की आधारशिला रखी वे स्वयं में लोक सेवा के इतिहास में मील का पत्थर है। ब्रिटिश शासन के प्रथम चरण में लार्ड क्लाइव, लार्ड वेलेजली तथा लार्ड मैकाले ने लोक सेवाओं को एक नया आयाम दिया। न्याय प्रशासन एकीकृत किया गया और यहाँ भारतीय लोक सेवाओं की स्थापना की गयी; चयन व प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया; असैनिक सेवकों को प्रतिज्ञाबद्ध नागरिक सेवा का नाम दिया गया; कर्मचारियों पर अनुशासित रखने के लिये कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये लेकिन उसी के साथ अनेक रियायतें भी दी गयीं; खुली प्रतियोगिता पद्धति लागू की गयी। इस

काल के अन्त में 1854 सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। लार्ड मैकाले ने इसी वर्ष आई0सी0एस0 के लिये जो सिफारिशों की वे आज भी भारतीय लोक सेवाओं के लिए सार्थक बनी हुई हैं।

सन् 1858 में कम्पनी का शासन समाप्त हो गया और ब्रिटिश क्राउन की सरकार अस्तित्व में आ गई। यहाँ से शब्द 'सरकार' का सफर आरंभ हुआ। अभी तक कम्पनी का प्रशासन कम्पनी के उच्च अधिकारियों के प्रति जबाबदेह था लेकिन क्राउन की सरकार ब्रिटिश संसद और कुछ सीमा तक प्रजा के प्रति जबाबदेह बन गयी। यहाँ लोक सेवाओं का तीव्र गति से विकास होने लगा। सामान्य सेवा तीन श्रेणियों में वर्गीकृत कर दी गयी, जिन्हें भारतीय नागरिक सेवा, प्रान्तीय सेवा तथा अधीनस्थ सेवा का नाम दिया गया; भारतीय नागरिक सेवाओं की भर्ती के लिये इंग्लैण्ड में प्रतियोगी परीक्षाएँ आयोजित की गयीं लेकिन अन्य दो प्रकार की सेवाओं की भर्ती प्रान्तीय स्तर पर की जाने लगी। इस तरह लोक सेवाओं के भारतीयकरण की प्रक्रिया आरंभ हो गयी।

धीरे-धीरे अनेक सुधारों के साथ तथा अनेक समितियों के माध्यम से 1912 से लेकर 1935 तक भारतीय लोक सेवाओं का विकास होता गया। 1935 के भारत शासन अधिनियम ने लोक सेवाओं को एक नई दिशा दी। लोक सेवा आयोग की स्थापना की गयी; चिकित्सा सेवा के अतिरिक्त सभी सेवाओं को भारत मन्त्री के अधिकार क्षेत्र से निकाल दिया गया।

भारत की स्वतंत्रता के साथ लोक सेवा का तीसरी चरण आरंभ होता है। अब यहाँ लोक सेवाओं का विकास नई परिस्थितियों, नई चुनौतियों तथा नई आवश्यकताओं के अनुरूप होना था। नतीजा यह निकला कि परम्परागत लोक सेवाओं की संरचना, मानवशक्ति की योग्यता, प्रशिक्षण तथा सेवा शर्तों में क्रान्तिकारी परिवर्तन किये जाने लगे। भारतीय सिविल सेवा (ICS) का स्थान भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) ने लिया तथा भारतीय विदेश सेवा (IFS) तथा भारतीय वन सेवा की स्थापना की गयी।

5.4 आधुनिक लोक सेवा के अभिलक्षण

स्वतंत्रता के पश्चात् यह तथ्य स्वीकार किया जाने लगा कि देश का बहुमुखी विकास पूरी तरह प्रशासनिक लोक सेवा पर निर्भर है। लोक-सेवा का वैज्ञानिक अध्ययन तथा वैज्ञानिक प्रबन्धन प्रशासन की सफलता की कुंजी है। अतः जिन बातों ने लोक सेवा को नया रूप तथा नई दिशा दी उनका सम्बन्ध मानव शक्ति से था। मानव शक्ति अर्थात् सेवी-वर्ग को केन्द्रीय बिन्दु मानकर प्रशासनिक चिन्तकों ने जो कदम उठाये उन्हीं से लोक सेवा के विशिष्ट अभिलक्षण सामने आने लगे। सारांश में यह अभिलक्षण इस प्रकार हैं-

1. सेवी-वर्ग का कुशल, प्रशिक्षित तथा विशेषज्ञ होना;
2. प्रशासन के हर क्षेत्र में विशिष्टिकरण बढ़ जाना;
3. पक्षपात रहित सेवी-वर्ग का चयन, प्रशासनिक दृष्टि से कुशल, राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ जो अपने आचरण
4. से संवेदनशील लोक सेवा जो समाज के प्रति समर्पित हो।
5. वैतनिक कार्यकर्ताओं का निकाय; लोक सेवकों का स्थायी पेशेवर होना;
6. राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ तथा निष्पक्ष होना;
7. संगठनात्मक दृष्टि से लोक सेवा का पद-सोपानीय स्वरूप तथा सेवी वर्ग का दृष्टिकोण औपचारिक होना।
8. किसी भी शासन व्यवस्था में सेवी वर्ग का अनिवार्य अंग होना चाहे यह शासन व्यवस्था किसी भी विचारधारा से जुड़ी हो अथवा किसी भी राजनीतिक व्यवस्था से सम्बन्धित हो।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि लोक सेवा की विशेषताएं आधुनिक समाज के तकाजों के अनुरूप हैं।

5.5 आधुनिक नौकरशाही की विशेषताएँ

सर्वप्रथम हमें नौकरशाही को समझना होगा। नौकरशाही ब्यूरोक्रसी (Bureaucracy) की पर्यायवाची है, जिसका अर्थ है अधिकारी वर्ग या अधिकारी तंत्र। जब इस अधिकारी वर्ग का रवैया शाहों जैसा होता है तब इसे नौकरशाही का नाम दिया जाता है, जिसका साधारण अर्थ यह है कि यह अधिकारी कहने को तो “नौकर” या सेवक हैं लेकिन इनका आरचण शाहों जैसा है, क्योंकि इन अधिकारियों का रवैया लोकतांत्रिक समाज के अनुकूल नहीं होता है, इसलिये नौकरशाही एक बदनाम शब्द बन गया है।

नौकरशाही के विचार अथवा सिद्धान्त का सब से महान प्रवक्ता मैक्स वेबर है। उसके अनुसार ब्यूरा (ठनतमंन) अथवा लोक कार्यालय किसी न किसी रूप में विश्व की संगठित सरकारों का अनुशब्द रहे हैं। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग फ्रांसीसी अर्थशास्त्री डी० गोरने ने किया, लेकिन मैक्स वेबर वह पहला जर्मन चिन्तक है, जिसने वैज्ञानिक आधार पर नौकरशाही या ‘ब्योरॉकरसी’ का विधिवत अध्ययन करके नौकरशाही का प्रतिमान (Model) तैयार किया और इसके विशिष्ट लक्षण समझाए। वेबर ने इस प्रतिमान को विधिक-तार्किक (Legal-rational) नौकरशाही का नाम दिया है। इस प्रतिमान की निम्न विशेषताएँ हैं-

1. शायकीय कार्य में निरन्तरता बनी रहती है।
2. एक प्रशासनिक अभिरक्षण निश्चित तय शुदा नियमों के अनुसार काम करता है। इस सम्बन्ध में तीन नियमों का पालन किया जाता है। पहला, अधिकारी की कार्य सम्पन्न करते समय निर्वैयत्कीकरण की हैसियत रखता है; दूसरे, अधिकारी उसको सौंपी गयी जिम्मेदारी के अनुसार सत्ता दी जाती है; तीसरे, उसको काम पूरा करने के लिए जो साधन (धन इत्यादि) दिये जाते हैं उनका प्रयोग वह कानूनी दायरे में रहकर ही कर सकता है।
3. प्रत्येक अधिकारी सत्ता की सोपनियता का अंग होता है;
4. अधिकारी मन मर्जी से मुहैया कराये गये संसाधनों का प्रयोग नहीं कर सकते। वे संसाधनों के प्रयोग के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होते हैं।
5. कार्यालयों में भर्ती पदाधारियों द्वारा निजी सम्पत्ति के रूप में नहीं की जा सकती।
6. केवल लिखित दस्तावेजों के आधार पर प्रशासन चलता है।

वेबर ने लोक सेवा या नौकरशाही के अभिलक्षणों के आधार पर एक अधिकारी की विशेषताएं भी तय की हैं, जो इस प्रकार हैं-

- एक अधिकारी किसी अन्य व्यक्ति का व्यक्तिगत तौर पर सेवक नहीं होता है;
- वह उस सत्ता का प्रयोग करता है, जो उसको निर्वैयत्तिक नियमों की ओर से प्रदत्त होते हैं;
- उसकी वफादारी का मापदण्ड उसका पूरी निष्ठा के साथ कर्तव्य को अन्जाम देना है;
- उसकी प्रशासनिक योग्यता के अनुसार उसको नियुक्ति दी जाती है;
- प्रशासनिक कार्य उसका पूर्ण-कालिक पेशा होता है, तथा
- काम के बदले उसे निरन्तर वेतन दिया जाता है तथा उसको विश्वास होता है कि उसे पूरी सेवा काल में पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे।

उक्त विलक्षणों के कारण वेबर ने नौकरशाही को वर्तमान परिस्थितियों में अपरिहार्य माना। उसके अनुसार विधिक-तार्किक नौकरशाही तकनीकी दृष्टि से किसी भी दूसरी प्रशासनिक व्यवस्था से उच्चतर है। लोगों का इस से मुक्ति पाना कठिन है। इसलिए यह स्थायी और अनिवार्य है।

सारांश में नौकरशाही के वेबेरियन प्रतिमान में नौकरशाही के मुख्य तत्व हैं: निर्वैयक्तिक व्यवस्था, नियम, दक्षता, पदसोपनियता, नीति और जन ध्येय, लिखित दस्तावेज, तथा व्यक्ति का शासन। आधुनिक नौकरशाही का वर्तमान में यही रूप सार्वभौमिक है।

5.6 लोक सेवा का अर्थ तथा नौकरशाही से अन्तर

नौकरशाही को समझने के बाद अब यहाँ एक स्वाभाविक प्रश्न किया जा सकता है कि लोक सेवा (Civil Services) तथा नौकरशाही में अन्तर क्या है तथा इन दोनों संस्थाओं के पारस्परिक रिश्ते क्या हैं? इन सवालों का उत्तर देने से पहले हमें लोक सेवा को सारांश में समझना होगा। जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, लोक सेवा कल्याण-राज्य का अन्तिम लक्ष्य है। भारतीय कल्याण राज्य की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। यह एक विकासशील देश है, जिसका आर्थिक विकास वास्तविक मंजिल है। स्वतंत्रता के बाद लागू किये गये संविधान ने इसके विकास की वास्तविक दिशाएँ स्पष्ट रूप से तय की हैं। क्योंकि यह एक बहुलवादी संस्कृति का देश है, इसलिए प्रत्येक वर्ग और सम्प्रदाय का ध्यान रखा गया है, जिसका सार इस प्रकार है-

- एक जनतंत्रीय, संसदात्मक गणराज्य की स्थापना;
- समाजवादी ढंग के समाज की रचना;
- धर्मनिरपेक्षता पर आधारित राज्य;
- मानव अधिकारों के आधार पर व्यक्ति को मूल-अधिकारों की सुरक्षा;
- स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना;
- स्वतंत्रता, समानता तथा बन्धुत्व के सार्वभौमिक विचारों को सार्थक करना;
- देश के पिछड़ों, कमजोर तबकों, महिलाओं और बच्चों को आगे बढ़ाना;
- छुआ-छूत जैसी सामाजिक बुराई का उन्मूलन करना; तथा
- अल्पसंख्यकों की संस्कृति को सुरक्षित रखने की गारन्टी देना।

उक्त सभी तत्व भारतीय संविधान का सार है, जिनको 'राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों' के माध्यम से सुरक्षा की गारन्टी दी गयी है।

लोक सेवा का एक दूसरा महत्वपूर्ण कार्य सवास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक विकास से सम्बन्धित है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में साधारण बीमारियों से लेकर आकास्मिक महामारियों की स्थिति से निपटने के लिये लोक सेवा को पूरी तरह तैयार रहना पड़ता है। ऐसी आकस्मिक चुनौतियों का भार पूरी तरह मुस्तैद लोक सेवकों की तत्परता, सूझ-बूझ और निर्णय-निर्माण की योग्यता और उनके क्रियान्वयन पर निर्भर करता है। इनमें स्वास्थ्य कर्मियों से लेकर प्रशासनिक मशीनरी तक सबकी अहम भूमिका होती है।

यही स्थिति आकस्मिक प्राकृतिक आपदा की है। कुछ ऐसी आपदाएँ हैं, जिनका अनुमान पहले से लगाया जा सकता है लेकिन जो आपदा अचानक आती है, लोक सेवा को उससे निपटने के लिये भी हर समय तैयार रहना पड़ता है। इस संकट से निपटने के लिए प्रत्येक देश में आपदा-प्रबन्धन विभाग होते हैं। यदि लोक सेवक हर समय परिस्थितियों का सामना करने के लिये तत्पर और सजग रहते हैं, तो जन-साधारण की सुरक्षा की जा सकती है और जान-माल की कम से कम क्षति होती है। कुशल लोक सेवा की यही परीक्षा है और उसकी तत्परता की यही कसौटी है।

जहाँ तक शिक्षा का क्षेत्र है, सब कुछ-आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास अच्छी शिक्षा पर निर्भर करता है। प्राइमरी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सब कुछ सक्रिय लोक सेवा पर निर्भर करता है।

बड़े दुख की बात है कि भारत में सब से अधिक अनदेखी स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र की जाती रही है। शिक्षा मानव संसाधनों का आधार है और यह मानव संसाधन स्वस्थ हों, यह स्वस्थ समाज के लिये अनिवार्य शर्त है। लोक सेवा का एक अन्य गहरा सम्बन्ध जन-कल्याण योजनाओं से है। इसका एक बड़ा पहलू रोजगार के अवसर पैदा करना है। कृषि प्रधान विकासशील देशों में जो बड़ी समस्या है वह बेरोजगारी की है। लोक सेवा के लिए यह एक बड़ी चुनौती है।

5.7 लोक सेवा और नौकरशाही के सम्बन्ध

वास्तव में लोक सेवा और नौकरशाही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। संस्था एक ही है, संगठनात्मक संरचना भी एक ही है, मानव शक्ति में भी कोई अन्तर नहीं है। सैद्धान्तिक पहलू भी समान हैं, कार्य-विधि भी लगभग एक ही है, लेकिन यदि दोनों में कोई अन्तर है तो मनोवैज्ञानिक हैं। दोनों में सोच और व्यवहार का अन्तर है। लोक सेवक अपने पेशे (Career) के आरम्भिक दौर में अत्यंत उत्साही, कर्मठ, गतिशील और निष्ठावान नजर आता है। वह समाज में क्रान्तिकारी परिवर्तन के लिये कदम उठाता है। संवैधानिक तकाजों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाता है। वह प्रगतिशील, उदार, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी नजरियों का परिचय देता है। यहाँ उसका दृष्टिकोण पूरी तरह सामाजिक हित से ओत-प्रोत होता है। वह परहित की बात करता है, जो लोक सेवा का ध्येय है। जब तक उसकी यह सोच बनी रहती है, वह लोक सेवा के तकाजों को पूरा कराने का प्रयास करता है।

लेकिन धीरे-धीरे उसकी मानसिकता बदलने लगती है। वह अपने वरिष्ठों की लीक पर चलने लगता है। अब एक लोक सेवक जो कुछ करता है, उसका सम्बन्ध आत्म-हित अधिक और परहित कम हो जाता है। जो परिवर्तन उसके आचरण में उभरते हैं, वे हैं- दम्भी होना, सामाजिक अलगाववाद की भावना, कठोर, निष्ठुर और उदासीन आचरण, संवेदनहीनता, आत्म-प्रगति और पदोन्नति के बारे में सक्रिय रहना, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग, अकर्मठता और निष्क्रियता, राजनीतिक तटस्थता और निष्पक्षता का हास तथा तत्कालीन राजनीतिक विचारधारा में रंग जाना तथा पूंजीपतियों और दबंगों के प्रभाव में आकर उनके हितों का साधन बन जाना।

उक्त सब बातें नौकरशाही की विशेषताएं बन जाती हैं और इस तरह लोक सेवा का स्वरूप दूषित, विकृत और भ्रष्ट हो जाता है।

5.8 आधुनिक नौकरशाही के ऐतिहासिक निर्धारक तत्व

नौकरशाही के बारे में ऊपर जो कुछ लिखा जा चुका है, वह आधुनिक नौकरशाही के स्वरूप और चरित्र को दर्शाता है, लेकिन उसका स्वरूप उसको विरासत में मिला है। भारत को लोकसेवा की विरासत इंग्लैण्ड से मिली है जब ईस्ट इण्डिया कम्पनी का शासन समाप्त हो गया और क्राउन का शासन आरम्भ हुआ। ब्रिटेन में आधुनिक लोक सेवा का प्रारम्भ 1853 से हुआ जब चार्ल्स ट्रेवेलियन तथा सर स्टेफर्ड द्वारा विभागीय जांचों के आधार पर मुख्य सिफारिशें कीं। इन सिफारिशों में योग्य कर्मचारियों की भर्ती के लिये उपयुक्त परीक्षा की व्यवस्था, लोक सेवकों के प्रशिक्षण के द्वारा उनकी योग्यता को बढ़ाना, इस योग्यता को उनकी पदोन्नति का आधार बनाना; योग्यता प्राप्त सेवी वर्ग को विशेष पद पाने का अवसर देना; सेवा में एकता के तत्वों को लाया जाना, समाज आधारों पर नियुक्तियाँ करना; तथा दूसरे विभागों में पदोन्नति के अवसर प्रदान करना।

ट्रेवेलियन-नार्थकोट के प्रस्तावों के आधार पर 1855 में एक आदेश द्वारा तीन सदस्यीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति की गयी। नियुक्तियों में अभी भी राजनीतिक दखल बना रहा। इसलिए लोक सेवकों का राजनीति तौर पर तटस्थ एवं निष्पक्ष बना रहना कठिन था। लेकिन 1870 के सपरिषद आदेश द्वारा जब कुछ विभागों तथा पदों पर प्रतियोगी परीक्षाएं बाध्य कर दी गईं, और खुली प्रतियोगिताओं का रास्ता साफ कर दिया गया तब लोक सेवाओं में आमूल परिवर्तन आने लगा। इसी काल में लोक सेवा परीक्षाओं की दृष्टि से लोक सेवाओं को दो भागों में

विभाजित किया गया-प्रथम वर्ग में उच्चतर तथा श्रेष्ठतर कर्मी। यह वर्ग सेवा की बौद्धिक मांग को पूरा करता था, जबकि दूसरा वर्ग दिन-प्रतिदिन के नियमित कार्यों का संचालित करता था।

ब्रिटेन में 1920 से लेकर 1939 तक के काल को लोक सेवाओं की दृष्टि से पुनर्गठन काल कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में लोक सेवाओं के दायित्वों में पंचायत काफी बढ़ोत्तरी हुई। उनको परिवर्तित प्रशासनिक परिस्थितियों के अनुकूल बनाने की आवश्यकता बनी रही।

लोक सेवा के विकास में राष्ट्रीय विहटले समिति का बड़ा योगदान है। यह पुनर्गठन समिति के नाम से जानी जाती है। पुनर्गठन समिति द्वारा प्रस्ताविक संरचना इस मान्यता पर आधारित थी कि लोक सेवा के प्रशासनिक तथा लिपिकीय कार्य दो श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं, तथा लिपिकीय कार्य दो श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं- नीति रचना सम्बन्धी कार्य तथा विशुद्ध रूप से यांत्रिक प्रकृति के कार्य।

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तथा उसके बाद लोक सेवा की संरचना में कुछ और परिवर्तन किये गये। 1946 में सामान्य व्यावसायिक वर्गों की श्रंखलायें आरंभ की गयीं। तकनीकी सेवाओं को सामान्य संरचना प्रदान की गई। सामान्य वर्गों की स्थापना की गई। राल्फ एशेटन समिति (1943) के प्रतिवेदन के अनुसार प्रशिक्षण के लिए, नियोजित कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये; संगठन एवं प्रविधि कार्य का विकास हुआ; वेतन तथा सेवा की शर्तों की पुनरीक्षा के लिये स्वतंत्र निकायों की स्थापना की गई।

अन्त में फुल्टन कमेटी ने तीन प्रमुख सुझाव दिये- लोक सेवा विभाग की स्थापना; लोक सेवा महाविद्यालयों की स्थापना; एकीकृत ग्रेडितंग संरचना। फुल्टन कमेटी के सभी सुझावों को धीरे-धीरे स्वीकार कर लिया गया।

लोक सेवा के उक्त सभी निर्धारक तत्वों ने लोक सेवा की प्रकृति को तय किया है।

5.9 लोक सेवा की प्रकृति और परिस्थिति

अब लोक सेवा की जो प्रकृति उभर कर सामने आती है, उसे आठ वर्गों में विभाजित किया जा सकता है जो इस प्रकार से है -

1. लोक सेवा विकास का परिणाम है: विशेषकर इंग्लैण्ड में लोक सेवा को उसके इतिहास के झरोके से देखा जाना चाहिये। यहाँ उसका धीरे-धीरे विकास हुआ है, जो 1854 से ट्रेवील्यन-नार्थकोट रिपोर्ट के परिणामस्वरूप आरंभ हुआ और आगे तक चलता रहता है।
2. स्टाउंट ने ब्रिटिश लोक सेवा को पाँच वर्गों में विभाजित किया है- प्रशासनिक वर्ग, अधिशासी वर्ग, लिपिक वर्ग, लिपिक सहायक और टंकण वर्ग। यह सभी लोक सेवा के तौर पर प्रशासनिक एवं लिपिकीय कार्य सम्पन्न करते हैं। विभागीय और व्यासायिक वर्ग भी होते हैं। इस वर्ग में विशेष यांत्रिक योग्यता वाले अधिकारी आते हैं। व्यावसायिक वर्ग में बैरिस्टर, डॉक्टर, शिल्पी, इंजीनियर, वैज्ञानिक इत्यादि। इनकी सेवा शर्तें वैसी हो जाती हैं, जैसी प्रशासनिक अधिकारियों की होती है। लेकिन इन पदों पर नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा नहीं होती है।
3. लोक सेवी ब्रिटिश ताज के सेवक होते हैं, इसलिये वे मंत्रियों के समान हैं। यह सभी राजा के नाम से अपन कार्य सम्पन्न करते हैं, लेकिन सही व गलत कार्यों के लिये स्वयं जिम्मेदार होते हैं।
4. न्यायालय के नियंत्रण क्षेत्र से बाहर रहते हैं और इस तरह न्यायपालिकायें लोक सेवकों से सम्बन्ध नहीं रखती। इन लोक सेवकों से सम्बन्धित जो भी विवाद सामने उन्हें विभागीय आधार पर विवेक के माध्यम से सुलझाया जाता है।
5. प्रशासनिक आदेशों द्वारा नियमनों की व्यवस्था है। 1855 में लोक सेवाओं का पुनर्गठन सपरिषद आदेश के आधार पर किया गया था। उसके बाद समय-समय पर प्रशासनिक आदेश प्रसारित होते रहे हैं। प्रशासनिक आदेशों द्वारा नागरिक सेवा आयोग की स्थापना की गई है। लोक सेवाओं की भर्ती,

- स्तरीकरण, वेतन, पदोन्नति, काम के घण्टे, सेवा निवृत्ति की आयु आदि का नियमन सेवा आयोग करता है, जिसके पीछे मंत्री का निर्णय सर्वोपरि होता है।
6. लोक सेवा में सेवा सुरक्षा की गारंटी दी गई है। विभागों के आन्तरिक कारण नागरिक सेवकों को कुछ अधिकार देते हैं। वे विभाग द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही के विरुद्ध कार्यवाही का अधिकार रखते हैं। उनको अपना नजरिया रखने का पूरा अधिकार है। अतः वह तभी दण्डित हो सकते हैं जब सुरक्षा अथवा आत्म रक्षा सारे माध्यम असफल हो जाते हैं।
 7. इंग्लैण्ड में लोक सेवक राजनीतिक दृष्टि से पूरी तरह तटस्थ होते हैं। वह किसी राजनीतिक दल के प्रति वफादार नहीं होते हैं। वह पूरी निष्ठा के साथ पदासीन सरकार की सेवा करते हैं। 1954 में निर्मित संहिता के अनुसार वह देश की राजनीति में भाग नहीं ले सकते।
 8. लोक सेवा की अनुकूल शर्तें तय की गई हैं ताकि लोक सेवकों को उज्ज्वल भविष्य का अवसर प्राप्त होता रहे और नये प्रवेशार्थी लोक सेवा के प्रति आकर्षित होते रहे। यह शर्तें उनको भविष्य के प्रति आश्वस्त रखती हैं। उन्हें पदोन्नति के अवसरों की आशा बनी रहती है। इसके अतिरिक्त उनको अच्छा वेतन और अन्य सुख-सुविधाएँ देकर उनको भविष्य की चिन्ताओं से मुक्त रखा जाता है।
 9. अन्य विशिष्ट लक्षणों में ब्रिटेन की लोक सेवा में लोक-कल्याणकारी राज्य की प्रवृत्ति के कारण प्रशासनिक वृद्धि के साथ-साथ लोक सेवकों की संख्या में भी निरन्तर वृद्धि होना, नवीन विभागों और मंत्रालयों की स्थापना। दूसरे, लोक सेवा का अभिजनवादी स्वरूप होना। सारांश यह है कि ब्रिटिश लोक सेवा एक सम्मानीय सेवा है, जिसको पाकर अधिकारियों को गर्व होता है।

5.10 आधुनिक नौकरशाही की विशेषता

अब प्रश्न यह उठता है कि आधुनिक नौकरशाही क्या है? सच तो यह है कि नौकरशाही को दुर्भाग्यवश घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि आज संसार के प्रत्येक देश में आज सरकारी विभाग सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्थाएं मानी जाती हैं। सरकारी विभाग न केवल किसी देश की बौद्धिक मानव शक्ति को रोजगार में समायोजित करते हैं, बल्कि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निर्णय लेकर लोगों का जीवन सुलभ और सुरक्षित रखते हैं। इस तथ्य की साधारण अवहेलना की गई है।

यद्यपि मैक्स वेबर ने ब्योरोज पर महत्वपूर्ण ध्यान देकर विधिक-तार्किक मॉडल के माध्यम से नौकरशाही की तर्कसंगतता को स्वीकार करने का प्रयास किया, लेकिन वेबर का प्रभाव निर्णय-निर्माण सिद्धान्त पर नहीं पड़ा।

आधुनिक विकसित और विकासशील देशों में नौकरशाही का वास्तविक स्वरूप, उसकी कार्यशैली और उसका अन्तिम लक्ष्य क्या है इस प्रकार साइमल, ट्रैमैन, बुचानन, तुलोक, राइकर और साइमन ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन सर्वाधिक प्रभावशाली नजरिया ऐन्थॉनी डाउन्स ने रखा है। यहाँ हम उसके विश्लेषण को संक्षेप में रखेंगे-

1. ऐन्थानी डाउन्स इस परिकल्पना के साथ नौकरशाही के सम्बन्ध में अपना नजरिया रखता है कि नौकरशाह अन्य लोगों की तरह आत्म हितों से प्रेरित होते हैं। यही दृष्टिकोण अर्थशास्त्री एडम स्मिथ का भी था। डाउन्स सर्वप्रथम संगठन की बात करता है, जिनका आकार बड़ा है और जिसके सदस्य निवैयक्तिक पारस्परिक सम्बन्ध रखते हैं। उनकी सेवा पूर्णकालिक होती है। वे अपने पेश के लिए समर्पित होते हैं, पदोन्नति के लिये वे अपने वरिष्ठों पर निर्भर रहते हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि नौकरशाह इस तरह अपने आचरण को ढालते हैं, जिनसे उनके वरिष्ठ प्रभावित हों।
2. नौकरशाह केवल ब्योरोज के लिए काम नहीं करते, वे किसी भी बड़े संगठन में काम कर सकते हैं। उनकी मुख्य भूमिका ही उनको पदोन्नति का अवसर प्रदान करती है। उनका योगदान खुले बाजार में आंका नहीं जा सकता।

3. इस तरह यह स्वीकार करके कि नौकरशाह एक बदनाम शब्द है डाउन्स “नौकरशाह” को “अधिकारी” (official) कहना पसन्द करता है।
4. डाउस की परिकल्पना का सार यह है कि अधिकारियों के सामने जो निश्चित लक्ष्य होते हैं वे हैं- शक्ति; आय; प्रतिष्ठा; सुरक्षा; सुविधा; वफादारी (एक विचारधारा, एक संस्था, या राष्ट्र के प्रति); अपने काम में गर्व; तथा अन्त में जनहित सेवा की इच्छा।

हितों की पूर्ति की दृष्टि से अधिकारियों को दो भागों में विभक्त किया गया है, जो इस प्रकार हैं-

- विशुद्ध आत्म-हितीय अधिकारी जो केवल अपने हितों के लिये काम करते हैं, न कि ब्योरोज या समाज के लिए;
- मिश्रित उद्देशीय अधिकारी, जिनका उद्देश्य अपने हितों की पूर्ति के अतिरिक्त, सामाजिक मूल्यों के प्रति भी वफादारी होती है।

डाउन्स एक और तथ्य की ओर भी इशारा करता है। वह यह है कि ब्योरोज स्वयं अथवा स्वतः जन्म नहीं लेते। स्वयं अधिकारी अपने हितों की पूर्ति के लिए उनके निर्माण तथा विस्तार की सिफारिश करते हैं, ताकि उनको पदोन्नति के अवसर निरन्तर मिलते रहें तथा नये अधिकारियों की संख्या में बढ़ोत्तरी होती रहे।

5.11 लोक सेवा के संदर्भ में नौकरशाही-भारतीय परिप्रेक्ष्य

भारतीय नौकरशाही ब्रिटेन की देन है। नौकरशाही पर चिन्तन तथा इसका विश्लेषण भी योरोप में हुआ है। ब्रिटेन की नौकरशाही कुलीन घरानों पर आधारित थी। नौकरशाह प्रायः आक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्व विद्यालयों के पढ़े हुये होते थे। ब्रिटेन ने अपने उपनिवेशों में भी नौकरशाही की परम्परा डाली। अधिकांशतः अंग्रेज नौकरशाह उपनिवेशों में प्रशासनिक सेवा के लिये भेजे गये, जो स्वयं को स्वर्ग-जन्मे (heaven born) मानते थे।

इन कुलीन प्रशासकों के लिये वास्तव में उपनिवेश स्वर्ग थे। वे अपनी पूरी कुलीनीय मानसिकता के साथ उपनिवेशों में आते थे। उपनिवेश के लोगों को अत्यंत हीन दृष्टि से देखते थे। दासों जैसा उनके साथ बर्ताव करते थे। उपनिवेशों की सम्पदा को लूटकर अपने देश चले जाते थे और वहाँ आलीशान भवन बनाकर, लार्ड या सर की पदवी पाकर ऐश की जिन्दगी गुजारते थे।

स्वतंत्रता तक भारत की भी यही कहानी थी। भारत में प्रवेश करने वाले आई0सी0एस0 अधिकारी भारतीयों को कुत्तों से अधिक कुछ नहीं समझते थे। वे स्वयं को स्वामी और भारतीयों को दास समझते थे। वे साधारण भारतीय समाज से हटकर सिविल लाइंस में रहते थे। सिविल लाइंस का अर्थ था सभ्य लोगों के रहने की जगह, जहाँ असभ्य भारतीयों को घुसने का भी अधिकार नहीं था। यह अंग्रेज अधिकारी बड़े-बड़े बंगलों में रहते थे, जिनके परिवार के बाहर लिखा होता था-“भारतीय कुत्तों का प्रवेश वर्जित है।” यही स्थिति उनके कतबों की थी।

भारत के पर्वतों में तो स्थिति और दयनीय थी। कुमाऊँ में बेगार की प्रथा थी, जिनका अर्थ था यात्रा के लिये कुमाउंनी मजदूरी का टट्टू, खच्चर या घोड़े की तरह प्रयोग करना। साहब और मेम साहिबा एक मजदूर के कन्धों पर चढ़ जाते थे और उनको किसी प्रकार की दया नहीं आती थी। 1 जनवरी 1917 को बेगार व्यवस्था को समाप्त करने के लिए कानून बना जब इसके विरुद्ध कुमायूं मे आवाज उठी।

संक्षेप में नौकरशाही की अंग्रेजी मानसिकता ने भारत में सामाजिक अलगाववाद को बढ़ावा दिया जिसका नतीजा 1857 का विद्रोह था। सर सय्यद अहमद खाँ ने अपनी पुस्तक ‘असबाबे बगावत-ए-हिन्द’ में इस सामाजिक विषमता को ही विद्रोह का कारण बताया।

लेकिन धीरे-धीरे भारत में लोक सेवा की स्थिति बदलने लगी। सुधारों की श्रृंखला आरंभ हुई। 1917 में प्रस्तुत प्रतिवेदन में लार्ड इस्लिंगटन की अध्यक्षता में नियुक्त आयोग की सिफारिशों में एक चौथाई पद भारतीयों के लिए सुरक्षित रखने की बात कही गई। इसी बीच उच्च पदों पर भारतीयकरण की मांग की जाने लगी। उच्च पदों पर

भारतीय नियुक्त होने लगे लेकिन उनकी प्रवृत्ति भी वही रही जो अंग्रेज अधिकारियों की थी। उनका व्यवहार अपने यताहत भारतीयों के साथ वैसा ही था जैसा अंग्रेज अधिकारियों का था। अन्तर केवल यह था, जहाँ अंग्रेज अधिकारी कुलीन वर्ग के थे, वहाँ भारतीय अधिकारी सामन्ती परिवारों से थे।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, नये परिवार संविधान के तहत संधीय आयोग की स्थापना की गई। भारतीय सिविल सेवा (के स्थान पर भारतीय प्रशासनिक सेवा ने स्थान ग्रहण किया। इसके अतिरिक्त भारतीय विदेश सेवा का गठन किया गया। पुनः सुधारों की श्रृंखला आरंभ हुई, जो ए0डी0 गोरवाला और एपल्पी (1953 से 1956 तक) की सिफारिशों का नतीजा थीं। अब भारत में तीन अखिल भारतीय सेवाएँ आरंभ हुईं-अखिल भारतीय सेवाएँ, केन्द्रीय सेवाएँ तथा राज्य सेवाएँ।

1952 तक भारत में सामन्ती व्यवस्था समाप्त कर दी गई। अतः अब लोक सेवाओं में जो प्रत्याशी चयनित होकर आने लगे वे अधिकांशतः मध्यमवर्गीय थे। मध्य वर्ग की अपनी संस्कृति और अपनी मानसिकता होती है, जिस से भारतीय लोक सेवा प्रभावित होने लगी। अतः इसी लोक सेवा ने जब नौकरशाही का रूप धारण किया, तो स्थिति और भयावह हो गयी। वे सारी बुराईयाँ जिन से भारतीय समाज ग्रस्त है, नौकरशाही में व्यक्त होने लगी- जातिवाद, साम्प्रदायिकता, अपराधीकरण, भ्रष्टाचार, संवेदनविहीनता, अलगाववाद, राजनीति तटस्थता के स्थान पर राजनीतिक वफादारी, उदासीनता और अकर्मठता। संक्षेप में भारतीय लोक सेवकों ने वह स्थिति प्राप्त कर ली है, जिसकी ओर ऐन्थानी डाउन्स ने इशारा किया अर्थात् आय और शक्ति की प्राप्ति, प्रतिष्ठा की चिन्ता, स्वयं को सुरक्षित रखने की भावना, सुविधाओं की ओर झुकाव। इस तरह समाज सेवा या राष्ट्र सेवा गौड़ हो जाती है।

5.12 नौकरशाही बनाम लोकसेवा के सकारात्मक पहलू

भारतीय नौकरशाही का नकारात्मक पहलू तस्वीर का एक रूख है। वह निराशाजनक आवश्यक है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि आधुनिक नौकरशाही एक अनुपयोगी संस्था बन गई। आधुनिक नौकरशाही लोकसेवा के रूप में विकास के लिये अपरिहार्य है। इसके अभाव में राज्य या समाज लड़खड़ाकर गिर जायेगा। आज लोक प्रशासन विकास प्रशासन बन गया है। विकास प्रशासन की अवधारणा की उत्पत्ति और विकास प्रजातांत्रिक राजनीति, आर्थिक विकास का दबाव, व्यस्क मताधिकार, सार्वभौम शिक्षा, कल्याणकारी कार्यक्रम और ग्रामीण विकास से सम्बन्धित समाज का अधुनिकीकरण, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति का नजरिया, प्रशासन की विषम और जटिल प्रकृति एवं राजनीतिक संगठन, संवैधानिक तकाजे, शहरी एवं ग्रामीण जन-परिस्थितियों से निपटने के लिये प्रभावशाली प्रबन्धन तथा प्रपंच की राजनीति के वातावरण में प्रशासनिक-राजनीतिक द्विविभक्तिकरण-यह वे सारी चुनौतियाँ हैं, जिनका नौकरशाही को साझा करना पड़ता है और इसमें कोई संदेह नहीं कि लोक सेवा किसी न किसी हद तक इन्हे चुनौतियों का सामना करने में सफल रही है।

आज प्रशासन विकास से जुड़ा हुआ है। विकास समाज के गतिशील परिवर्तन और एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था की ओर अग्रसर होने का दूसरी नाम है। विकास का अर्थ केवल आर्थिक विकास से नहीं है। विकास प्रशासन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों को कार्यान्वित करने की विधि से है। दूसरे, यदि प्रशासनिक क्षमताओं में वृद्धि होती है तो यह भी विकास है। विकास प्रशासन को नियोजित परिवर्तन माना जा सकता है। तथ्यों की दृष्टि से विकास प्रशासन का सम्बन्ध योजना, नीति, कार्यक्रम तथा परियोजन (Project) से है। विकास प्रशासन का रूप बहुआयामी है। इसका कार्यक्षेत्र विशाल है। इसमें शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, सिंचाई, परिवहन, सामाजिक न्याय सब कुछ आता है। यह किसी भी राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है। संक्षेप में नौकरशाही या लोक सेवा विकास प्रशासन का माध्यम है।

अभ्यास प्रश्न-

1. सेवी वर्ग को किस विचारक ने ‘मानव शक्ति’ कहा?

क. विलियम राइकर ने	ख. डेविड ईस्टन ने
ग. एल0डी0 व्हाइट ने	घ. मैसलो ने
2. विधिक-तार्किक नौकरशाही का विचार किसने प्रतिपादित किया?

क. फ्रेड रिग्स ने	ख. मैक्स वेबर ने
ग. हबर्ट साइमन ने	घ. कार्ल मार्क्स ने
3. इंग्लैण्ड के पहला लोक सेवा आयोग किस प्रशासक की सिफारिशों का परिणाम था?

क. चार्ल्स ट्रेवेलियन	ख. सर स्टेफर्ड
ग. ट्रेवेलियन नार्थकोट	घ. पीटर ड्रकर
4. भारत में भारतीय नागरिक सेवा के स्थान पर भारतीय प्रशासनिक सेवा का नाम किसने दिया?

क. जवाहरलाल नेहरू ने	ख. एप्लवी ने
ग. मौलाना आजाद ने	घ. सरदार बल्लभ भाई पटेल ने
5. ब्रिटले कमेटी का सम्बन्ध किस देश से है?

क. अमरीका से	ख. जर्मनी से
ग. भारत से	घ. इंग्लैण्ड से
6. शब्द ‘नौकरशाही’ का प्रयोग किसने किया?

क. डी0 गोरने ने	ख. मैक्स वेबर ने
ग. एन्थानी डाउंस ने	घ. पार्सन्स ने

5.13 सारांश

- लोक सेवा वास्तव में प्रशासन का सार है। यह स्वयं में साध्य भी है और साधन भी। अपने शुद्ध रूप से यह एक सेवा है, लेकिन अपने विकृत रूप में यह नौकरशाही बन जाती है।
- प्रशासन के तीन अंग हैं- संगठन या प्रशासनिक संरचना; संगठन में कार्यरत कर्मी जिनमें ऊँचे पद पर आसीन लोगों को अधिकारी या सेवी वर्ग कहा जाता है, तथा नीतियाँ, नियम तथा विनियम जिनके तहत सेवी वर्ग प्रशासन का संचालन करता है।
- लोक सेवा विकास का परिणाम है। वैसे तो अपने आधुनिक रूप में यह इंग्लैण्ड की देन है लेकिन भारत में इसकी जड़े प्राचीन भारत, मुगल काल तथा ब्रिटिश काल तक फैली हुई है। ईस्ट इण्डिया कम्पनी का शासन काल समाप्त होने के बाद भारत में लोक सेवा पूरी तरह विकसित हो गयी। विकास की यह प्रक्रिया आज तक चल रही है।
- स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में लोक सेवा बहुमुखी विकास की शर्त बन गई। सेवी वर्ग का कुशल, प्रशिक्षित तथा विशिष्टीकरण, पक्षपात रहित सेवी वर्ग का चयन तथा राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ और संवेदनशीलता यह सेवी वर्ग के गुण हैं।
- लोक सेवा को नौकरशाही का नाम दिया गया है। जब परहित के स्थान पर आत्म हित हावी होता है तो लोक सेवा नौकरशाही बन जाती है। यह एक बदनाम शब्द है, जिसको जन विरोधी मानसिकता का नाम दिया गया है।

- मैक्स वेबर ने नौकरशाही को सकारात्मक रूप में लिया है और नौकरशाही का एक प्रतिमान तैयार किया है जो उसके विधिक-तार्किक सिद्धान्त पर आधारित है। वह नौकरशाही को आधुनिक राज्य के लिए अपरिहार्य मानता है। अधिकांश देशों ने वेबर के मॉडल को स्वीकार किया है। इस मॉडल की जो विशेषताएं उसने बताई हैं, उनमें-शासकीय कार्य की निरन्तरता; प्रशासनिक अभिकरण का अस्तित्व, लिखित नियम; पदसोपनियता, निर्वैयक्तिकरण; लिखित दस्तावेज इत्यादि।
- लोक सेवा कल्याण राज्य का अभिन्न अंग है। इसका लक्ष्य जनतंत्रीय समाज में संवैधानिक तकाजों को पूरा करना है; साथ ही जन-कल्याणकारी राज्य के उद्देश्यों को पूरा करना है और आकस्मिक आपदाओं और संकट कालीन परिस्थितियों में जन समाज को सुरक्षा प्रदान करना है।
- लोक सेवा और नौकरशाही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों में बहुत सी समानताएँ हैं लेकिन अन्तर के केवल मनोवैज्ञानिक है।
- नौकरशाही की मानसिकता भारत को इंग्लैण्ड से विरासत में मिली है। अन्तर यह है कि पहले यह कुलीन और सामन्ती थी, लेकिन अब मध्यवर्गीय है जो समाज की सभी असामाजिक प्रवृत्तियों को अभिव्यक्त करती है। इस दृष्टि से यह अधिक कष्टदायक है।
- भारतीय लोक सेवा पर इंग्लैण्ड में होने वाले सुधारों का गहरा प्रभाव पड़ा है, व्हिटले कमेटी, राल्फ एशटन कमेटी और फुल्टन कमेटी की सिफारिशों को भारतीय लोक सेवा ने भी स्वीकार किया। इन सुधारों का सारांश लोक सेवा की भर्ती, प्रशिक्षण तथा सेवा शर्तों से भी है और लोक सेवा की संरचना, संगठन और कार्य विधि से भी। इन सुधारों ने लोक सेवा की प्रकृति को तय किया है।
- लोक सेवा की प्रकृति के नौ प्रमुख लक्षण हैं: विकास का परिणाम; अनेक वर्गों में विभाजित; ब्रिटिश लोक सेवी ताज के सेवक; न्यायालय नियंत्रण क्षेत्र से बाहर; नियमनों के अनुसान काम, सुरक्षा की गारन्टी; राजनीतिक तटस्थता; नौकरशाही की सुरक्षा की अनुकूल शर्तें; कल्याणकारी प्रवृत्ति तथा सेवी वर्ग में निरन्तर वृद्धि।
- एन्थोनी डाउन्स ने नौकरशाही को सकारात्मक रूप में लिया है। वह इस संस्था को ब्योरो कहता है और नौकरशाहों को अधिकारी कहना पसन्द करता है। आफिशियल की विशेषता है, परहित के साथ-साथ आत्महिता।
- लोक सेवा का सम्बन्ध विकास से है। विकास का बड़ा व्यापक अर्थ है, इसलिये प्रशासन को आज विकास के संदर्भ में देखा जाता है।

5.14 शब्दावली

ब्योरियॉक्रेसी- यह एक फ्रांसीसी शब्द है, जिसका सर्व प्रथम प्रयोग 18वीं सदी के अर्द्ध में फ्रांसीसी अर्थशास्त्री डी0 गोरने ने किया था। तत्पश्चात 19वीं सदी में इस शब्द का प्रयोग जे0एस0 मिल, मोस्का और मिशेल ने, जबकि मैक्स वेबर ने इसी समय में इस शब्द का प्रयोग किया। ब्योरियॉक्रेसी का अर्थ कार्यालय या सरकारी कार्यालय से लिया जाता है। ब्योरों का अर्थ है विभाग।

प्रशासनिक विकास- इसका अर्थ मात्र आर्थिक या सामाजिक विकास से नहीं है। इसका अर्थ मानसिक स्थिति से है। एक स्थिति से दूसरी अधिक व्यापक स्थिति की ओर अग्रसर होना विकास है। यह भौतिक भी है और मनोवैज्ञानिक भी। यह सम्पूर्ण परिवर्तन की शर्त है।

विधिक-तार्किक प्रतिमान- मैक्स वेबर ने नौकरशाही का यह मॉडल तैयार करके लोक सेवा के क्षेत्र में एक क्रान्ति का काम किया है।

निर्वैयक्तिक- जहाँ व्यक्ति या अधिकारी एक उपकरण या मशीन के रूप में काम करें, जिस की अपनी कोई इच्छा या हित न हो। जो केवल संरचना या नियमों के अनुसार काम करें, जिसमें उसका अपना व्यक्तित्व शामिल न हो।

5.15 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. ग, 2. ख, 3. ग, 4. घ, 5. घ, 6. क

5.16 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अवस्थी एण्ड अवस्थी: लोक प्रशासन।
2. डी0 रविन्द्र प्रसाद, वी एस प्रसाद: प्रशासनिक चिन्तक।
3. अवस्थी अवस्थी: भारतीय प्रशासन।
4. त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी: तुलनात्मक लोक प्रशासन।
5. Dwight Waldo : The Study of Public Administration.
6. Fred W. Riggo : Administration in Developing Countries.

5.17 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. D. Ravindra Prasad : Administrative Thinkers.
2. Albrow, Martin : Bureaucracy, London, 1970.
3. Arora, Ramesh : Administrative Theory, New Delhi, 1984.
4. Blau, Peter : Bureaucracy in Modern Society, New York, 1962.

5.18 निबन्धात्मक प्रश्न

1. लोक सेवा का अर्थ समझाइये तथा लोक सेवा और नौकरशाही के सम्बन्धों पर प्रकाश डालिये
2. आधुनिक नौकरशाही की क्या विशेषताएं हैं? भारतीय संदर्भ में नौकरशाही और लोक सेवा के सम्बन्धों को समझाइये।
3. विकास प्रशासन का क्या अर्थ है? क्या लोक सेवा विकास प्रशासन है?

इकाई- 6 नौकरशाही के आधार

इकाई की संरचना

- 6.0 प्रस्तावना
- 6.1 उद्देश्य
- 6.2 नौकरशाही: एक विवेचना
- 6.3 मैक्स वेबर और नौकरशाही
- 6.4 वैबेरियन नौकरशाही के आधार
- 6.5 नौकरशाही के आधार पर मार्क्स का विश्लेषण
- 6.6 नौकरशाही, राज्य और हीगेल
- 6.7 ऐन्थॉनी डाउन्स और नौकरशाही
- 6.8 पर्यावरणीय सिद्धांत और नौकरशाही
- 6.9 नौकरशाही के आधार का व्यवहारिक पहलू
- 6.10 सारांश
- 6.11 शब्दावली
- 6.12 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 6.13 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 6.14 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 6.15 निबन्धात्मक प्रश्न

6.0 प्रस्तावना

इस इकाई में नौकरशाही के आधारों का विश्लेषण किया गया है। वास्तव में सभी प्रशासनिक चिन्तकों ने नौकरशाही के अभिलक्षण और उसके सिद्धान्तों पर बहस की है। इन्हीं विशेषताओं को नौकरशाही के आधार कहा जा सकता है। ये आधार सार्वभौमिक हैं और स्थायी हैं। नौकरशाही का सबसे बड़ा सिद्धान्तकार मैक्स वेबर है। सभी अन्य चिन्ताकें ने उसका अनुसरण किया है। वेबर का नौकरशाही का मॉडल विधिक-तार्किक नाम से जाना जाता है। “वैधानिकता” और “तार्किकता” यही दो ऐसी अवधारणायें हैं जो नौकरशाही को आधार मोहय्या करती हैं।

नौकरशाही का दूसरा चिन्तक कार्ल मार्क्स है जो नौकरशाही के नाकारात्मक रूप को दर्शाता है। उसकी नजर में नौकरशाही का आधार आर्थिक अथवा भौतिक व्यवस्था है, जिसको वह पूंजीवादी और सामन्तीवादी कहता है। इस व्यवस्था के संरक्षक ही नौकरशाही के आधार हैं। नौकरशाही परजीवी है और उसका काम पूंजीवादी वर्ग की यथास्थिति को बनाये रखना है।

हीगेल ने नौकरशाही का आधार राज्य को माना है, जो मनुष्य के व्यक्तित्व की सबसे महान अभिव्यक्ति है। ऐन्थानी डाउन्स ने ब्योरोज को नौकरशाही का आधार माना है। दूसरी ओर रिम्स ने पर्यावरणीय परिवेश को नौकरशाही का निर्णायक आधार माना है।

6.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करके के उपरान्त आप-

- नौकरशाही के चरित्र, स्वरूप, अभिलक्षणों का समझ सकेंगे।

- मैक्स वेबर की विधिक-तार्किक नौकरशाही को जान पायेंगे।
- वेबर के अनुसार वैधानिकता और तार्किकता ही नौकरशाही के वास्तविक आधार हैं, ये समझ पायेंगे।
- मार्क्स द्वारा प्रस्तुत नौकरशाही की नकारात्मक भूमिका को जान पायेंगे और समझ पायेंगे कि राज्य का अस्तित्व किस तरह नौकरशाही के लिए अनिवार्य है।
- ऐन्थानी डाउन्स की नजर में नौकरशाही ब्योरोज पर टिकी हुई है। ब्योरोज की विशेषता क्या है, ये समझ पायेंगे।
- रिग्स किस तरह परिवेश को नौकरशाही का आधार मानता है, यह जान पायेंगे।

6.2 नौकरशाही: एक विवेचना

सेवी वर्ग अथवा लोकसेवकों ने एक संस्था का रूप ले लिया है, जिसे लोक प्रशासन में नौकरशाही का नाम दिया गया है। अभी तक नौकरशाही या ब्योकुरियॉक्रेसी की कोई निश्चित सर्वमान्य परिभाषा सामने नहीं आई है। केवल उसके अभिलक्षणों, स्वरूपों के आधार पर नौकरशाही को पहचाना जा सकता है। अपनी, एक विशिष्ट मानसिकता और व्यवहार के कारण नौकरशाही एक बदनाम शब्द बन गया है। लेकिन मैक्स वेबर ने नौकरशाही का पक्ष लेते हुये, उसे प्रशासनिक व्यवस्था का एक अपरिहार्य अंग बनाकर उसको एक वैज्ञानिक शास्त्र बनाने का प्रयास किया है। जिस गहनता के साथ वेबर ने नौकरशाही का अध्ययन करके उसका एक प्रतिमान तैयार किया है, उस कारण वेबर और नौकरशाही एक दूसरे के पर्यायवाची बन गये हैं।

नौकरशाही की अवधारणा की जन्म स्थली जर्मनी है। इसका नामकरण फ्रांस में हुआ है। इंग्लैण्ड में इसका पालन पोषण हुआ है और अब संसार के कोने-कोने में यह फल-फूल रही है। आज यह आधुनिक प्रशासनिक संस्कृति का एक अविभाज्य अंग बन चुकी है।

नौकरशाही एक प्रशासनिक संरचना भी है, एक नीति-निर्माण अथवा निर्णय-निर्माण के कार्यान्वयन का एक माध्यम भी है और एक मानसिकता भी फ्रांसीसी अर्थशास्त्री डी० गोरने से लेकर जे०एस० मिल, मोसनका और मिशेल जैसे राजनीतिक दार्शनिकों ने नौकरशाही को अपने चिन्तन का विषय बनाया। यहाँ तक कि यह राजनीतिक चिन्तन की परिधि से निकल कर समाजशास्त्र के दायरे में आ गयी। आज यह लोक प्रशासन का विषय है तो केवल इसलिए कि बिना नौकरशाही के प्रशासन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता।

मैक्स वेबर, मार्क्स, हीगेल और ऐन्थॉनी डाउंस ऐसे चार चिन्तक हैं, जिन्होंने अपने-अपने नजरिये से नौकरशाही के अभिलक्षणों और आधारों पर प्रकाश डाला है। यहाँ चारों के दृष्टिकोणों को समझने का प्रयास किया जायेगा।

6.3 मैक्स वेबर और नौकरशाही

मैक्स वेबर ने कहीं भी नौकरशाही को परिभाषित नहीं किया है और न ही उसके आधारों पर बहस की है। उसने केवल नौकरशाही के अभिलक्षण बताएँ हैं और लक्षणों के आधार पर उसने नौकरशाही के रूप को प्रस्तुत किया है।

यहाँ हम वेबर द्वारा प्रस्तुत विधिक-तार्किक नौकरशाही के अभिलक्षणों की संक्षिप्त चर्चा करके यह बताने का प्रयास करेंगे कि नौकरशाही की विशेषतायें ही वास्तव में नौकरशाही के आधार हैं, जिनकी अनुपस्थिति में नौकरशाही का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा।

सर्वप्रथम यह याद रखना है कि वेबर ने 'सत्ता' पर बहुत अधिक बल दिया है, और सत्ता की रौशनी में उसने दो प्रकार की नौकरशाही की पहचान की है- वंशानुगत नौकरशाही जो परम्परागत और करिश्माई सत्ताओं की विशेषता है; और विधिक-तार्किक नौकरशाही जो केवल कानून के दायरे में पाई जाती है तथा जिसके औचित्य के

पीछे तार्किकता अथवा विवेक होता है। वेबर की नौकरशाही की अवधारणा का यही विधिक-तार्किक पहलू है, और वह इसी सिद्धान्त को आदर्श नौकरशाही के मॉडल का आधार मानता है। मैक्स वेबर द्वारा प्रस्तुत नौकरशाही का मॉडल वास्तव में प्रशासन और लोक सेवा के क्षेत्र में एक अद्भुत क्रान्ति है, जिसके पक्ष एवं विरोध में बहुत कुछ लिखा जाता रहा है, लेकिन उसका यह सिद्धान्त अकाट्य है।

वेबर ने नौकरशाही के आधारों की व्याख्या से पहले कुछ तार्किक परिकल्पनाओं का सहारा लिया है। वह सर्वप्रथम इस परिकल्पना के साथ आगे बढ़ता है कि किसी भी प्रकार की 'सत्ता' के पीछे मौलिक रूप से 'वैधता' होती है। उसका विश्वास है कि सत्ता की वैधता पांच महत्वपूर्ण विश्वासों (Beliefs) पर आधारित है-

1. प्रशासन में एक कानूनी नियम का अस्तित्व होता है जिसके माध्यम से संगठन के सदस्यों से आदेशों का पालन कराया जा सके।
2. कानून नियमों की भावनात्मक अथवा निराकार व्यवस्था का नाम है, जो विशिष्ट मामलों पर लागू होता है तथा संगठन का हित देखता है।
3. वह व्यक्ति जो सत्ता का प्रयोग करता है (अधिकारी) वह भी इस निर्वैयक्तिक आदेश का पालन करता है।
4. केवल एक सदस्य ही सदस्य की हैसियत से कानून का पालन करता है (एक संगठन के अन्दर)।
5. आदेश का पालन सत्ताधारी व्यक्ति का नहीं होता है, बल्कि उस निर्वैयक्तिक व्यवस्था का होता है जो उस व्यक्ति को पद प्रदान करती है।

उक्त पाँचों विश्वासों का सारांश यह है कि कानून सर्वोपरि है। कानून निर्वैयक्तिक है। सत्ता का आधार कानून है। जिस व्यक्ति को यह प्राप्त होता है, वह सत्ताधारी है, लेकिन आदेश के पालन का अर्थ है निर्वैयक्तिक व्यवस्था का पालन। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि निर्वैयक्तिक व्यवस्था तथा वैधता में गहरा सम्बंध है। यह सम्बंध ही नौकरशाही का सब से मजबूत आधार है।

नौकरशाही क्यों अस्तित्व में आई, इसका कारण बताते हुये वेबर ने लिखा- ऐतिहासिक, तकनीकी और प्रशासनिक कारणों ने सर्वप्रथम नौकरशाहीकरण की प्रक्रिया आरंभ की, कानून के शासन ने नौकरशाही का संगठनात्मक ढाँचा तैयार किया, अधिकारियों की विशिष्ट योग्यता, उनकी पेशेवराना महारत तथा उनके विशिष्ट आचरण तथा सोच ने उनको एक अभिजात वर्ग का दर्जा दे दिया तथा आधुनिक संसार में नौकरशाही की महत्वपूर्ण भूमिका है, विशेष रूप से सरकारी संस्थाओं में स्वयं नौकरशाही ने शासकीय रूप ले लिया।

इस तरह संक्षेप में नौकरशाही के चार आधारों की ओर वेबर ने इशारा किया कि तकनीकी और प्रशासनिक प्रगति: कानून के शासन का अस्तित्व: अधिकारियों की विशिष्ट प्रशासनिक पहचान: तथा (घ) सरकारी संस्थाओं का फैलाव।

6.4 वैबेरियन नौकरशाही के आधार

मैक्स वेबर ने नौकरशाही से सम्बंधित, अपना मान्यताओं परिकल्पनाओं तथा विश्वासों के आधार पर विधिक तार्किक नौकरशाही का जो एक आदर्श प्रतिमान तैयार किया, वह छः विशेषताओं पर टिका हुआ है, जिनको नौकरशाही का आधार कहा जा सकता है। यह विशेषताएँ या आधार हैं- (1) निर्वैयक्तिक व्यवस्था (2) नियम (3) सामर्थ्य का क्षेत्र (4) पदानुक्रम (5) व्यक्तिक तथा लोक ध्येय: तथा (6) लिखित दस्तावेज। इन्हीं बिन्दुओं पर आगे चलकर विस्तार से चर्चा की जाएगी-

1. **निर्वैयक्तिक व्यवस्था-** निर्वैयक्तिक व्यवस्था वेबर की नौकरशाही की सब से अधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि प्रशासनिक सत्ता या शक्ति का केन्द्र वह वह पद या विभाग है यहाँ अधिकारी पदासीन है, न कि कोई विशेष व्यक्ति।

2. **नियम-** किसी भी प्रशासनिक इकाई में नियम सर्वोपरि है, जिनके तहत संगठन की संरचना तथा सत्ता का आकार या प्रयोग तैय होता है। यही तार्किकता है और यही विधिक तार्किक सिद्धांत का सार है। मटर्न ने बेवर के इस विचार की सराहना की है लेकिन वह यह भी मानता कि प्रशासक का नियमों से चिपके रहना विलम्ब को जन्म देता है जो प्रशासन के लिये घातक है।
 3. **सामर्थ्य का क्षेत्र-** इसका अर्थ है कि प्रत्येक अधिकारी को उसकी क्षमता अथवा सामर्थ्य के अनुसार वह कार्य सौंपा जाता है, जो श्रम विभाजन के क्रमवद्ध व्यवस्था के अनुसार होता है। दूसरे, अधिकारी को दिये गये कार्यों को करने की सत्ता भी सौंपी जाती है, तीसरे अधिकारियों को कार्यों को सम्पन्न करने के लिये परिभाषित साधन भी मोहय्या कराये जाते हैं। इस तरह अधिकार अपनी क्षमता का सदुपयोग कर सकता है।
 4. **पदसोपान अथवा पदानुक्रम-** पदानुक्रम का अर्थ यह है कि प्रत्येक कार्यालय का संगठन पदानुक्रम सिद्धांत का पालन करता है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक अवर या निचला कार्यालय उच्चतर के नियंत्रण तथा निरीक्षण के अधीन रहता है। इसका अर्थ यह भी है कि सर्वोच्च सत्ता के अधीन पूर्ण प्रशासनिक स्टाफ निश्चित पदानुक्रम के अनुसार काम करता है।
 5. **व्यक्तिक तथा लोक ध्येय-** इसका अर्थ है कि अधिकारी के व्यक्तिक हित और जन हित प्रशासनिक दृष्टि से पूरी तरह प्रथक हैं। प्रशासनिक अधिकारी उत्पादन के साधनों के स्वामी नहीं है और न ही प्रशासन उनके अपने हित की पूर्ति के लिए है। यह नियम नौकरशाहों पर पाबन्दियाँ लगाकर पद या स्थिति के दुरुपयोग को रोकता है।
 6. **लिखित दस्तावेज-** वेबेरियन नौकरशाही की अन्तिम विशेषता यह है कि सभी प्रशासनिक कृत्यों, निर्णयों, तथा नियमों को लिखित रूप में तैयार किया जाता है और इनका लिखित रूप में रिकार्ड रखा जाता है। यहाँ तक कि मौखिक बातचीत को भी लेख बद्ध किया जाता है। यह दस्तावेज प्रशासन को जवाबदेह बनाता है और भविष्य की कार्यवाही के संदर्भ का काम करता है।
- वेबेरियन मॉडल की कुछ और विशेषताएँ भी हैं, जैसे- तकनीकी तौर पर योग्य और अर्हता प्राप्त लोगों का चयन, उनको निश्चित वेतन मिलना, पूर्ण कालिक पेशा, पदोन्नति के अवसर, कठोर अनुशासन तथा नियंत्रण। अन्तिम विशेषता नौकरशाही प्रशासन का एकतंत्रीय होना है। प्रशासन तकनीकी दृष्टि से सर्वोत्तम क्षमताओं का परिचय देती है।

6.5 नौकरशाही के आधार पर मार्क्स का विश्लेषण

मार्क्स नौकरशाही का सिद्धान्तकार नहीं था, लेकिन उसने नौकरशाही का जिस नजरिए से विश्लेषण किया वह साम्यवादी सोच का नतीजा है उसके अनुसार नौकरशाही की उत्पत्ति के चार स्रोत हैं - धर्म, राज्य का अस्तित्व वाणिज्य तथा यांत्रिकी अथवा टेकनॉलोजी।

1. अपने प्रारम्भिक काल में धर्म शास्त्रियों (पण्डित, पादरी) का धार्मिक परम्पराओं को निभाने के लिए महत्वपूर्ण अधिकार ग्रहण करना और तत्पश्चात् प्रशासकों या नौकरशाहों का दर्जा प्राप्त कर लेना। धार्मिक कार्यों के अतिरिक्त नीति-निर्माण, निर्णय तथा विधि निर्माण के अधिकार प्राप्त करना, यहाँ तक कि धर्म के दायरे से निकलकर सामाजिक वर्गों में विभाजित होना और अन्तः शासकों, प्रशासकों या नौकरशाहों का दर्जा प्राप्त कर लेना।
2. सामाजिक वर्गों के आन्तरिक द्वन्द ने राज्य को जन्म दिया। प्रशासकों के माध्यम से कानूनों का निर्माण और उनका कार्यान्वयन आरम्भ हुआ। इन्हीं के माध्यम से कराधान की व्यवस्था हुई और अन्ततः अपने विशिष्ट लक्षणों के कारण इनको नौकरशाह कहलाया जाने लगा।

3. राज्य के विकास ने आर्थिक अथवा वाणिज्यिक गतिविधियाँ बढ़ाईं। वित्त प्रबन्धन के सारे दायित्व प्रशासकों को सौंपे गये। वाणिज्यिकी प्रशासन-प्रबन्धन ने नौकरशाहों को राज्य के लिए अपरिहार्य बना दिया।
4. तकनीकी और यांत्रिकी विकास ने आर्थिक औद्योगिक विकास के नये दरवाजे खोल दिये। पूंजीवादी व्यवस्था अस्तित्व में आ गई। यहां वर्ग-टकराव और तेज हो गया नौकरशाही की भूमिका भी बदल गई अब नौकरशाहों का पूंजीपतियों, सामन्तियों और शासकों के हितों की रक्षा करना परम् का धर्म हो गया। यहाँ तक कि यांत्रिकी और नौकरशाही का एक नया सम्बंध सामने आ गया, जिसे ब्योरियों क्रेसी के साथ-साथ टेक्नॉक्रेसी या शिल्पतिज्ञ कहा गया।

मार्क्स बनाम नौकरशाही के संदर्भ में यह याद रखना है कि नौकरशाही, राज्य और आर्थिक अथवा भौतिक परिवेश का आपस में गहरा सम्बन्ध है। आर्थिक व्यवस्था ने राज्य के स्वरूप, चरित्र और लक्ष्य को निश्चित किया है। राज्य के हितों की रक्षा के लिए नौकरशाही एक उपकरण के रूप में काम करती है।

यहाँ सरलता से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मार्क्सवादी नजरिए से नौकरशाही का पहला और अन्तिम आधार राज्य है। जब तक राज्य का अस्तित्व है तब तक नौकरशाही का भी अस्तित्व है। मार्क्स ने राज्य के विलुप्तीकरण के सिद्धांत से इसी सत्य की ओर इशारा किया है। उसके अनुसार समाजवादी या साम्यवादी व्यवस्था में राज्य विलुप्त हो जायेगा, तब नौकरशाही भी अर्थहीन हो जायेगी।

नौकरशाही किस तरह राज्य अथवा उत्पादन के स्वामियों की रक्षा करती है, इस बात को स्पष्ट करते हुए मार्क्स ने लिखा- नौकरशाही का चरित्र ही दानकारी है। वह पूंजीपतियों, सामन्तियों तथा सत्ता धारियों के हितों की रक्षा के लिए समाज के कमजोर तबकों का दमन करती है। नौकरशाही अपनी नियंत्रकीय शक्ति के माध्यम से सत्ताधारी वर्ग के हितों को आगे बढ़ाती है। उसकी प्रकृति रहस्यमयी है। वह अपनी इस विशेषता से सत्ताधारियों की वास्तविकताओं को गोपनीय और रहस्यमय बनाए रखती है। और समाज और सत्ताधारियों के मध्यम अलगाव को गहरा करती है, तथा सत्ताधारियों की रक्षा करके, कमजोर तबकों को कुचल कर और व्यवस्था की यथास्थिति को बनाए रखकर, नौकरशाही स्वयं अपने अस्तित्व को बनाए रखती है, क्योंकि मार्क्स के अनुसार नौकरशाही परजीवी है।

6.6 नौकरशाही, राज्य और हीगेल

मार्क्स के समान हीगेल ने भी नौकरशाही का आधार राज्य को ही माना है, लेकिन जहाँ राज्य एवं नौकरशाही के बारे में मार्क्स का नजरिया नकारात्मक है, वही हीगेल दोनों संस्थाओं को सकारात्मक रूप में लेता है।

हीगेल के अनुसार नौकरशाही राज्य का एक मुख्य शासी निकाय है। राज्य सामाजिक व्यवस्था का अन्तिम विकास है तथा मनुष्य की आत्म अभिव्यक्ति का सर्वोच्च अन्तिम चरण है। जब राज्य अस्तित्व में आ जाता है तब स्वतः जन क्रियाएँ आरंभ होती हैं। इस परिवेश में शासक नौकरशाह तथा नारियों के स्वामी राजनीतिक अनिकताओं की भूमिका अदा करते हैं।

हीगेल के अनुसार राज्य तथा लोक समाज में अन्तर है। लोक समाज विशेष वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन राज्य जनहित की अभिव्यक्ति है। नौकरशाही दोनों निकायों को जोड़ने का काम करती है। अतः हीगेल की नजर में भी नौकरशाही का आधार राज्य ही है, लेकिन उसकी भूमिका सकारात्मक और रचनात्मक है। राज्य की प्रकृति में सार्वभौमिकता है। इसलिए नौकरशाही भी सार्वभौमिक है: यह सामान्य हितों की रक्षा करती है और समाज की प्रत्येक बात को कानून की कसौटी से देखती है।

हीगेल नौकरशाही के तीन आधार मानता है- (क) नौकरशाही निश्चित परिभाषित पदानुक्रम पर आधारित सम्बंधों की एक व्यवस्था है, जिस में विशिष्टीकरण के साथ पद सत्ता भी है (ख) नौकरशाही का आधार समाज का मध्य

वर्ग है। वे मध्य वर्ग से आकार वर्तमान नौकरशाही व्यवस्था का अंग बन जाते हैं (ग) इस समावेश के बाद नव नियुक्त अधिकारी एक विनियोगक यांत्रिकी के अनुसार काम करते हैं, जिसका अर्थ है आन्तरिक व बाहरी दबावों के अनुसार काम करना। यह दबाव युवा नौकरशाहों के आचरण और स्वभाव को निश्चित करते हैं।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि मार्क्स और हीगेल दोनों ही राज्य को नौकरशाही का आधार मानते हैं। मार्क्स राज्य को दमनकारी मानता है और नौकरशाही को इस दमन का एक उपकरण (apparatus)। लेकिन हीगेल राज्य को ईश्वर की एक प्रतिछाया मानता है, जिसका लक्ष्य मनुष्य का नैतिक और भौतिक उत्थान है और नौकरशाही इस लक्ष्य की प्राप्ति में एक सहयोगी की भूमिका अदा करती है।

6.7 ऐन्थॉनी डाउन्स और नौकरशाही

ऐन्थॉनी डाउन्स ने अपने प्रसिद्ध निबन्ध 'इनसाइड ब्योकुरियाँकरेसी' (Inside Bureaucracy) में नौकरशाही का विश्लेषण किया है। उसने यह स्वीकार किया है कि नौकरशाही एक बदनाम शब्द बन चुका है, जबकि सच यह है कि नौकरशाही का उद्भव ब्योरोज (Bureause) से हुआ है जो आज सम्पूर्ण सभ्य समाज की प्रशासनिक व्यवस्था पर छाया हुआ है।

विवादों से बचने के लिए उसने नौकरशाही के स्थान पर आधिकारीतंत्र तथा नौकरशाहों के स्थान पर 'अधिकारी' (officials) कहना पसंद किया है।

डाउन्स के अनुसार 'ब्योरोज' नौकरशाही या आधिकारीतंत्र का पहला आधार है। उसने ब्योरोज का विशद विश्लेषण किया है -

1. ब्योरोज का अर्थ है सरकारी कार्यालय, जिनका रूप भले ही विभागीय हो, सम्भागीय अथवा आयोगीय हो।
2. ब्योरोज अधिकारियों के समूह हैं जिनका प्रायः आकार बड़ा होता है, जो स्वतः अपना बड़ा आकार ग्रहण करते रहते हैं।
3. ब्योरोज संगठन का एक विशिष्ट रूप है जिनमें वे सारी विशेषताएँ होती हैं जिनसे एक संगठन पहचाना जाता है।
4. ब्योरोज की विशेषता उनकी सार्वभौमिकता है। समाज के प्रत्येक पहलू- आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक पहलुओं पर उनकी गहरी छाप है। वे इन क्षेत्रों में निति-निर्माण का कार्य करते हैं।

डाउन्स के अनुसार ब्योरोज का आधार 'संगठन' है। लोक प्रशासन में संगठन मात्र एक ढांचा या संरचना नहीं है। संगठन एक स्पष्ट परिभाषित इकाई है जो निश्चित सिद्धांतों पर टिका होता है। अनेक प्रशासनिक चिन्तकों ने इस पर विस्तार से लिखा है, जिनमें मार्च, साइमन, बलाओं और स्कॉट ने संगठन की औपचारिकता को मुख्य रूप से दर्शाया है। लेकिन डाउन्स वह पहला चिन्तक है, जिसने ब्योरोज और संगठन में गहरा सम्बंध स्थापित किया है। उसके अनुसार ब्योरोज का पूर्ण व्यवहार संगठन निश्चित करता है।

कर्मचारी किसी भी संगठन की आत्मा है। इस मानवीय पहलू के बिना ब्योरोज या संगठन पर चर्चा करना अर्थहीन है। ऐन्थॉनी कर्मचारीगण (चमतेवदमसस) को अधिकारी अथवा 'आफिशियल्ज' कहता है। इनमें और नौकरशाहों में कोई अन्तर नहीं है। इन अधिकारियों की अनेक विशेषताएँ हैं: (1) ये अधिकारी सर्वोपरि 'आत्मनहित से प्रेरित होते हैं, यद्यपि जन हित भी इनका ध्येय होता है। (2) अधिकारी एवं कर्मचारी पूर्ण कालिक आधार पर काम करते हैं; (3) संगठन के भीतर ही उनकी पदोन्नति होती है; (4) वे अपने से उच्च अधिकारियों के आदेशों का पालन करते हैं (5) नौकरशाह एक बड़े आकार के ब्योरोज का सदस्य होता है (6) नौकरशाह किस महारत से अपने कर्तव्य को अन्जाम देता है, यह पदोन्नति का मापदण्ड होता है, तथा (7) नौकरशाह का ध्येय, शक्ति प्राप्त करना, अपनी

आय बढ़ाना, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना, सुख सुविधाएं प्राप्त करना और अपने कार्य पर गर्व करना विशेष महत्व रखता है।

डाउन्स की नजर में नौकरशाही का चौथा आधार पर्यावरण है। यहाँ पर्यावरण का अर्थ है वह स्थिति जिस में अधिकारी काम करते हैं। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि अधिकारी परिस्थितियों के अनुसार काम करते हैं। पर्यावरण अधिकारियों का वास्तविक संसार होता है। वे इस संसार को बदलते नहीं हैं, बल्कि उसके अनुसार स्वयं को बदलते हैं। उनको इस बात से कोई सरोकार नहीं होता कि राजनीतिक व्यवस्था का क्या रूप है- वे लोकतंत्र में, राजतंत्र में, कुलीन तंत्र में और अधिनायक तंत्र में स्वयं को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेते हैं- समाजवाद में वे समाजवादी, पूंजीवाद में वे पूंजीवादी, और साम्यवाद में वे साम्यवादी नजर आते हैं। धर्म निरपेक्षता में वे धर्म निरपेक्ष, और धर्मपरकता में वे धर्मान्धी भी बन सकते हैं। लेकिन यह सब चोले आस्थायी होते हैं। स्थायी होता है उनका अपना निजि स्वार्थ जो ब्योरोज के बढ़ने और विकसित होने से पूरा होता है।

डाउन्स ब्योरोज की सफलता के लिए संगठन की पदसोपनियता पर जोर देता है। यही वही बिन्दु है जिस पर सब से अधिक बल मैक्स वेबर ने दिया था। पद सोपनीय संरचना से आदेश, आदेश के अनुपालन और उत्तरदायित्व के मध्य समन्वय और अनुशासन के माध्यम से सन्तुलन पैदा होता है। इस सिद्धांत से संवाद में आसानी होती है। सूचना एवं संचार में प्रवाह बना रहता है। और इस तरह ब्योरोज का ध्येय पूरा होता है।

संक्षेप में डाउन्स ने नौकरशाही का सब से महत्वपूर्ण आधार ब्योरोज को ही माना है। उसने ब्योरोज के आचरण पर खुल कर लिखा है उसका मानना है कि ब्योरोज पैदा नहीं होते हैं, वे बनाए जाते हैं। उसके अनुसार उत्साही अथवा जोशीले नौकरशाह नित्य नये ब्योरोज को बनाने की सोचते रहते हैं, ताकि उनको पदोन्नति के अवसर मिलते रहें और युवा नौकरशाहों के लिए रास्ते खुलें।

6.8 पर्यावरणीय सिद्धांत और नौकरशाही

नौकरशाही के आधारों में पर्यावरणीय सिद्धांत एक मजबूत और निर्णयक आधार है। यह एक ऐसा आधार है जो भौतिक भी है और मनोविज्ञानिक भी। नौकरशाही के मानवीय पहलू को यदि प्रभावित करने वाला कोई तत्व है तो वह पर्यावरणीय तत्व ही है, जो मनुष्य के पूरे व्यवहार को तैय करता है।

नौकरशाही मानवों का एक ऐसा समूह है जो अत्याधिक जागरूक एवं संवेदशील होता है। कुछ तो वह स्वयं एक विशिष्ट चिन्तन का मालिक होता है और कुछ प्रशिक्षण के माध्यम से उसके व्यवहार को ढाला जाता है। संक्षेप में, नौकरशाही और उसका पर्यावरण एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अतः इस प्रक्रिया के गतिज को समझाना नौकरशाही की प्रशासनिक व्यवस्था को समझने के लिए जरूरी है।

पर्यावरणीय दृष्टिकोण जैसे शब्द को वनस्पति विज्ञान से ग्रहण किया गया है। जिस तरह पेड़-पौधे अपने पर्यावरण से प्रभावित होकर फलते-फूलते हैं, इसी तरह प्रशासन भी अपने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण से प्रभावित होकर अपनी दिशा और दशा तैय करता है।

प्रशासन पर वरचस्व नौकरशाही का होता है। अतः प्रशासन पर पर्यावरणी के प्रभाव का अर्थ है, नौकरशाही के आचरण को प्रभावित करना। इस दृष्टिकोण का प्रतिपादन गॉस, राबर्ट ए0डल और राबर्ट मर्टन ने किया, लेकिन इस दृष्टिकोण का सब से प्रभावशाली चिन्तक फ्रेड रिग्म् है। उसने प्रशासन का आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, तकनीकी, राजनीतिक और संचार तत्वों के साथ सम्बंध निश्चित करके यह सिद्ध किया कि प्रशासनिक व्यवस्था को, जिस पर नौकरशाही का नियंत्रण है, पर्यावरण प्रभावित करता है।

नौकरशाहों के विचार, उन की सोच और आचरण सब पर पर्यावरणीय परिवेश का गहरा प्रभाव पड़ता है और बदले में वे अपने आचरण से समाज में भी बदलाव लाते हैं। इसलिए किसी प्रशासनिक व्यवस्था में नौकरशाही की भूमिका अहम होती है, क्योंकि वे नीति-निर्माण, निर्णय-निर्माण तथा विधि निर्माण को प्रभावित करते हैं।

6.9 नौकरशाही के आधार का व्यवहारिक पहलू

नौकरशाही की विशेषता, चरित्र, स्वरूप अथवा उसके आधारों के बारे में अब तक जो कुछ लिखा गया है वह नौकरशाही के सिद्धांतकारों अथवा विश्लेषण कर्ताओं के अनुमानों, परिकल्पनाओं और औपचारिक विश्वासों का परिणाम है, जो औपचारिकताओं से भरपूर है। नौकरशाहों या प्रशासनिक अधिकारियों का अपना एक अलग संसार है जिसमें रहकर वे काम करते हैं, जिसमें किसी बाहरी शक्ति का दखल नहीं है और यदि है भी तो वह उसे कूड़ेदान में फेंक देते हैं।

नौकरशाह इस परिकल्पना पर चलते हैं कि प्रशासन एक वैज्ञानिक परिस्थिति के एक मनोवैज्ञानिक स्थिति भी है, जासे प्रशासकों के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। एक दृष्टि से ये व्यवहार परिकतावादी दृष्टिकोण से प्रभावित होते हैं। नौकरशाह मशीन नहीं है, न ही वे रोबो है वह हाड़-मास के मनुष्य हैं, जिनकी अपनी इच्छाएँ हैं, अभिलाषाएँ हैं इनकी अपनी कल्पनाएँ हैं, अपने लक्ष्य हैं, अपने हित हैं जिन से यह प्रभावित होते है। इनका व्यवहार परिस्थितियों का भी दास है। अतः यह औपचारिकताओं का कम अनौपचारिकताओं का सहारा अधिक लेते हैं। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो विलम्ब की बीमारी बढ़ेगी और भ्रष्टाचार के रूप में उभरेगी।

राजनीतिज्ञों के फैसले अटपटे, मनमाने और राजनीतिक लाभ या हानि से प्रेरित होते हैं। यदि उन फैसलों के अनुसार नौकरशाही चलती है तो उसका अन्जाम भयावाह भी हो सकता है और नौकरशाह जानते हैं कि यदि फैसलों का सकारात्मक स्वरूप सामने आया तो उसका श्रेय राजनीतिक निर्णय निर्माणता को मिलेगा, यदि दाँव उल्टा पड़ता है तो नौकरशाही को कोसा जायेगा। इसलिसे नौकरशाही नीति निर्माण से लेकर निर्णय-निर्माण तक फूंक-फूंक कर कदम बढ़ाती है, क्योंकि असफलता की गाज उस पर गिरेगी, उसका बुरी स्थिति में स्थानान्तरण होगा, पदोन्नति रोक दी जायेगी अथवा उसे अन्य दूसरे तरीकों से उत्पीड़ित किया जाएगा। इस स्थिति से बचने के लिए नौकरशाही औपचारिकता तथा अनौपचारिकता दोनों माध्यमों से काम लेकर, अत्याधिक उत्साही, निर्माण, बाद-दिमाग, सटकी, या फिर सजग, गतिशील, कर्मठ अथवा कल्पना वादी या आदर्शवादी राजनेता की मनीवृत्ति के अनुसार प्रशासनिक कार्यों का संचालन करता है। डेविड ईस्टन, लासवैल, विलियम राइकर इत्यादि राजनीति शास्त्रियों ने इसी व्यवहारपरकता पर जोर दिया है।

अभ्यास प्रश्न-

1. ब्योरियॉक्रेसी का क्या अर्थ है?

क. सरकार	ख. संगठन
ग. प्रशासन	घ. अधिकारीतंत्र
2. मैक्स वेबर ने नौकरशाही के जिस प्रतिमान (मॉडल) का सिद्धांत प्रस्तुत किया उसका नाम क्या है?

क. विधिक	ख. तार्किक
ग. ब्योरोज	घ. विधिक तार्किक
3. नौकरशाही 'परजीवी' है, यह कथन किसका है?

क. हीगेल का	ख. ऐजेल्ज का
ग. मार्क्स का	घ. बाकुमिन का
4. किसने नौकरशाही को आफीशियज या अधिकारी कहना उचित समझा?

क. एन्थॉनी डाउन्स ने	ख. डेविड इस्टन ने
ग. मार्क्स ने	घ. इनमें से कोई नहीं
5. नौकरशाही के आधारों में कौन सा आधार नहीं है?

क. पदानुक्रम	ख. नौकरशाह का राजनीति
--------------	-----------------------

6.10 सारांश

नौकरशाही पर आधारों के दृष्टिकोण से किसी प्रशासनिक चिन्तकों कोई प्रथक रूप से सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है। नौकरशाही पर मैक्स वेबर से लेकर एन्थोनी डान्जस ने जो कुछ लिखा है उसके प्रकाश में नौकरशाही के अनेक आधार उभर कर सामने आते हैं।

- नौकरशाही एक संरचना भी है, एक सिद्धांत भी है और एक मानसिकता भी।
- व्योकरियोक्रेसी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसीसी अर्थशास्त्री डा0 गोरने ने किया। बाद में यह शब्द लोक सेवा के लिये प्रयोग होने लगा।
- मैक्स बैबर वह पहला विचारक है जिसने नौकरशाही पर विस्तृत चर्चा की और नौकरशाही का एक विशिष्ट सिद्धांत प्रतिपादित किया। उसने आदर्श नौकरशाही का एक चित्रण प्रस्तुत किया जिस पर उसका प्रसिद्ध प्रतिमान या मॉडल आधारित है। इस प्रतिमान को उसने विधिक-तार्किक का नाम दिया।
- मैक्स वेबर ने नौकरशाही की उसके हर पहलू से चर्चा की: नौकरशाही के अभिलक्षण नौकरशाही पर टिके उसके विश्वास वेबेरियन नौकरशाही का सार हैं।
- कार्ल मार्क्स एक ऐसा चिन्तक है, जिसने प्रत्येक संस्था को अपने वर्ग संघर्ष के नजरिये का परिणाम बताया है जो उत्पादन के मालिक और राजनीतियों के हितों की रक्षा करता है।
- हीगेल के अनुसार नौकरशाही सामान्य हितों का प्रतिनिधित्व करती हैं इस विचार की मार्क्स ने आलोचना की है और कहा कि नौकरशाही केवल पूंजीपातियों, भू स्वामियों तथा शासकों के हितों की रक्षा करती हैं।
- नौकरशाही के अनेक आधार निश्चित किये जा सकते हैं जिनमें व्योरोज संगठन, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, कर्मचारी, पर्यावरण, व्योरोज की पद सोपनीयता विशेष हैं।
- नौकरशाही औपचारिकताओं तथा अनौपचारिकताओं दोनों तत्वों पर टिकी हुई है। जहाँ तक उसके औपचारिक स्वरूप का सम्बन्ध है वह सैधांतिक है, लेकिन उसकी अनौपचारिकता उसके व्यवहारिक पहलू को दर्शाता है, जो यथार्थ पर टिकी हुई है।
- रिम्स ने पर्यावरणीय परिवेश को प्रशासन और नौकरशाही का आधार माना है। पर्यावरणीय परिवेश नौकरशाही के व्यवहार को निश्चित करता है।

6.11 शब्दावली

व्योरोज- इसका अर्थ है सरकारी कार्यालय। यह प्रशासन की पहली कड़ी है जो प्रशासनिक तकाजों की पूर्ती करते हैं। व्योरोज से व्योरियोक्रेसी बना है। एन्थानी डाउन्स ने व्योरोज से जुड़ी प्रशासनिक व्यवस्था को एक संस्था मानकर उसे नौकरशाही माना है। लेकिन क्योंकि नौकरशाही को बदनाम माना जाता है, इसलिये उसने नौकरशाहों को अधिकारी या officials कहा है।

निर्वैयक्तिक (Impersonal)- इसका अर्थ है कि सत्ता, शक्ति और अधिकार इनका सम्बंध पद सहेजों व्यक्ति ग्रहण करता है। एक नौकरशाह या अधिकारी जो कुछ है वह पद के कारण सत्ता, शक्ति तथा अधिकार का स्रोत है। कोई अन्य व्यक्ति इसका स्रोत नहीं है। इस तरह अधिकारी का स्वयं में अपना कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व है उसका पद जो कानूनी रूप में परिभाषित है। अधिकारी का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है और यदि है तो उसका सम्बन्ध उसके पद से नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर वह किसी अन्य व्यक्ति का नौकर नहीं है, न ही वह किसी अन्य का है।

पर्यावरण (Environment)- प्रशासनिक दृष्टि से पर्यावरण आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक परिवेश या वह स्थिति है, जिसमें एक ब्योरोज में लगे लोग काम करते हैं। यहाँ इसका अर्थ प्रकृति या वातावरण से नहीं है। प्रशासनिक पर्यावरण अधिकारियों या नौकरशाहों के व्यवहार को निश्चित और निर्धारित करता है।

6.12 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. घ, 2. घ 3. ग, 4. क, 5. ख

6.13 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अवस्थी अवस्थी: भारतीय प्रशासन।
2. अवस्थी अवस्थी: लोक प्रशासन के सिद्धांत।
3. त्रिलोकनाथ चतुर्वेदी: तुलनात्मक लोक प्रशासन।
4. डा० रविन्द्र प्रसाद: प्रशासनिक चिन्तक
5. अमरेश्वर अवस्थी: लोक प्रशासन तथा भारत में लोक प्रशासन

6.14 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. Awasthi Awasthi: Bureaucracy and Development.
2. Albrow Martin : Bureaucracy Lawdor.
3. Blou Peter : Bureaucracy in Modern Society.
4. Downs Anthony: Inside Bureaucracy.

6.15 निबन्धात्मक प्रश्न

1. वेबर का विधिक तार्किक नौकरशाही का सिद्धांत क्या है?
2. मार्क्स नौकरशाही को वर्ग संघर्ष का परिणाम मानता था, क्यों?
3. नौकरशाही के कितने आधार हैं? समझाइये।
4. पर्यावरणीय सिद्धांत क्या है? वह किस तरह नौकरशाही को प्रभावित करता है।

इकाई- 7 भारत में लोक सेवा का विकास

इकाई की संरचना

- 7.0 प्रस्तावना
- 7.1 उद्देश्य
- 7.2 भारत में लोक सेवाओं के विकास का इतिहास: प्राचीन काल
 - 7.2.1 मुगल शासन काल की प्रशासनिक व्यवस्था
 - 7.2.2 ईस्ट इण्डिया कम्पनी का प्रशासनिक काल
- 7.3 प्रशासनिक सुधारों का दौर
- 7.4 सन् 1935 से लेकर सन् 1947 तक प्रशासनिक विकास
- 7.5 प्रशासनिक संस्थाओं का विकास
- 7.6 लोक सेवा का विकास: ब्रिटिश संदर्भ
- 7.7 लोक सेवा का विकास: स्वतंत्र भारत में
- 7.8 स्वतंत्र भारत में लोक सेवाएं: स्वरूप और विशेषताएं
- 7.9 लोक सेवा और राजनीति के सम्बन्ध
- 7.10 लोक सेवा विकास की वर्तमान स्थिति
- 7.11 सारांश
- 7.12 शब्दावली
- 7.13 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 7.14 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 7.15 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 7.16 निबन्धात्मक प्रश्न

7.0 प्रस्तावना

भारत को लोक सेवाएं ब्रिटिश शासन से विरासत में मिली हैं। वैसे प्राचीन काल में भी विशेष रूप से कौटिल्य के समय किसी न किसी रूप में लोक सेवाओं के दर्शन होते रहे हैं। इस्लामी शासन काल अथवा मुगल शासन काल में भी लोक सेवाओं की परम्परा थी। मुगल काल के पतन के बाद ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने कुछ निश्चित सिद्धान्तों पर लोक सेवा की नींव डाली, लेकिन जब ब्रिटिश ताज के शासन का दौर आरंभ हुआ तब विधिवत् रूप से भारत में लोक सेवा का युग आरंभ हो गया। इसके बाद बड़ी तेजी के साथ लोक सेवाओं में सुधार होने लगे।

एचीसन आयोग (1886), इस्लिंग्टन आयोग (1912), माण्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट (1918), भारत सरकार अधिनियम (1919), ली आयोग (1923) भारत में लोक सेवा के सुधार और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम थे। भारत में अनेक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम उठाये गये, जिसमें लोक सेवा आयोग की स्थापना (1926) तथा भारत सरकार अधिनियम (1935) मील का पत्थर माने जाते हैं।

1935 से लेकर 1945 तक लोक सेवा पूरी तरह विकसित हो चुकी थी। लोक सेवाओं का भारतीयकरण हो गया था। आज भारत में अखिल भारतीय लोक सेवाओं का जो रूप है, वह 1935 के अधिनियम की देन है। भारतीय लोक सेवाएं सतत् विकास की ओर अग्रसर हैं और वे संवैधानिक मर्यादा को ध्यान में रखते हुये भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत कर रही है।

7.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप-

- भारत में लोक सेवाओं के विकास के इतिहास से परिचित होंगे।
- मुगल शासन काल तथा ईस्ट इण्डिया काल के प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ले सकेंगे।
- प्रशासनिक सुधारों के दौर (1858) से लेकर 1947 तक की प्रशासनिक घटनाओं का अध्ययन कर सकेंगे,
- ब्रिटिश संदर्भ में आप भारत की लोक सेवाओं की प्रकृति को समझ सकेंगे।
- स्वतंत्र भारत में लोक सेवा के विकास की क्या स्थिति है, इसको आप जान सकेंगे।
- लोक सेवा और राजनीति के सम्बन्धों की भी जानकारी ले पायेंगे।

7.2 भारत में लोक सेवाओं के विकास का इतिहास: प्राचीन काल

लोक सेवा की अवधारणा भारत के लिए नई नहीं है। वह बिन्दु जहाँ से भारत का इतिहास से आरंभ होता है, वहीं से लोक सेवा की कहानी भी आरंभ होती है। 300 वर्ष ईसा पूर्व लिखे गये कौटिल्य के अर्थशास्त्र को सेवी वर्ग की महत्ता, विशेषता तथा व्यवहारिकता पर सर्वोत्तम एक प्राचीनतम ग्रन्थ (Treatise) माना जाता है। कौटिल्य व्यवहारिक राजनीति का पहला लेखक था, जिसने कोरे सिद्धान्त से सम्पन्न शासक या प्रशासक को राज्य के लिये घातक बताया था। वह पहला भारतीय चिन्तक था, जिसने कुलीन वर्ग (Elite Class) को लोक सेवा सौंपने की सलाह दी थी। कुलीन वर्ग के सदस्य जन्म से बुद्धिमान, बहादुर, ज्ञानी, शिक्षित, धनी तथा स्वाभी भक्त होते हैं। कौटिल्य का सुझाव था कि राजा को ऐसे योग्यता सम्पन्न लोगों को मंत्री और अधिकारी बनाना चाहिये। अर्थशास्त्र में सेवी वर्ग की सेवा की शर्तों का भी उल्लेख है।

7.2.1 मुगल शासन काल की प्रशासनिक व्यवस्था

प्राचीन भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था मध्य काल तक चलती रही। स्थानीय हिन्दु रजवाड़ों में महाकाव्यों तथा स्मृतियों की प्रशासनिक झलक मध्यकाल तक देखने को मिलती रही। लेकिन तभी भारत में मुगलों के आगमन के बाद प्राचीन भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था विलुप्त होने लगी। भारत में सेन्ट्रल एशिया, तुर्की, इरानी और अरब प्रशासनिक चिन्तन का दौर आरम्भ हो गया। मुगल काल में अनेक प्रशासनिक क्षेत्रों में लोक सेवाओं को संगठित किया गया। क्योंकि अब भारत छोटे राज्यों के दौर से निकलकर साम्राज्य की ओर अग्रसर था, तब उसी आकार की अनिवार्यताओं और मांगों के अनुसार प्रशासनिक व्यवस्था को रूप दिया गया। अब पहली बार शासक और शासितों के सम्बन्ध स्थापित हुए तथा दूसरी ओर मुगल बादशाहों ने स्थानीय रजवाड़ों को भी मान्यता दी जिसने एक तरह से संघीय राज्य व्यवस्था को जन्म दिया, इसलिये एकीकरण की दृष्टि से प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित हुई।

मुगल बादशाहों ने मुगल सूबेदारों तथा हिन्दु रजवाड़ों को अपनी-अपनी परिस्थितियों के अनुसार प्रशासनिक व्यवस्था संगठित करने की छूट दी जिसके परिणाम स्वरूप स्थानीय स्तर पर कई प्रकार की लोक सेवाएँ गठित की गयीं, तथा उनके कार्यों, शक्तियों एवं दायित्वों का निर्धारण किया गया। क्योंकि इस समय का भारतीय समाज कृषि प्रधान था, इसलिये अधिकतर लोक सेवाओं का सम्बन्ध जमींदारी, रय्यतदारी, लगान इत्यादि से अधिक था।

मुगलों की एक विशेषता यह थी कि उन्होंने भारतीय प्रशासनिक प्राचीन परम्पराओं का भी सम्मान करते हुये, अपनी व्यवस्थाओं में उनका समावेश किया। जिसका नतीजा यह निकला कि मुगल कालीन भारतीय प्रशासन

अरब-तुर्की परम्पराओं तथा प्राचीन भारतीय परम्पराओं की एक नई व्यवस्था बन गयी। तत्कालीन सैनिक और पुलिस अधिकारी 'अमीर' तथा राजकोष अधिकारी 'अमील' अरब परम्पराओं के प्रतीक थे। लेकिन उस समय की भू-राजस्व व्यवस्था भारत की प्राचीन परम्पराओं के अनुरूप बनी रही।

7.2.2 ईस्ट इण्डिया कम्पनी का प्रशासनिक काल

18वीं सदी में मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। शासन की बागडोर ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथ में आ गई। अब समय बदल रहा था। भारत औद्योगिक और वाणिज्यिक युग की ओर बढ़ने लगा था। कम्पनी ने भारत की प्राचीन और मुगलों की मध्यकालीन प्रशासनिक परम्पराओं को ध्वस्त करते हुये, एक नई इबारत लिखना आरंभ की। अपनी प्रकृति के अनुसार उसने लोक सेवा में 'योग्यता' को रौंद कर 'लूट-प्रथा' आरंभ कर दी। देश की सत्ता जिस गवर्नर जनरल के हाथ में आती थी वह प्रशासन के लिये अपने अधिकारी नियुक्त करता था। यह एक प्रकार से प्रशासनिक सिद्धान्त और व्यवहार पर प्रहार था। हाँ, इतना जरूर हुआ कि वारेन हेस्टिंग्स, लार्ड कार्नवेलिस तथा लार्ड वेलेजली जैसे गवर्नर जनरलों ने लोक सेवा और लोक सेवियों को योग्यता की नजर से देखा और प्रशासन के सुधार के लिये कुछ सराहनीय कदम उठाये। लोक सेवकों की चयन प्रक्रिया तथा उनके प्रशिक्षण पर जोर दिया। लोक सेवाओं को कवेनेन्टेड तथा अनकवेनेन्टेड (लिखित वचन तथा अलिखित वचन) के रूप में सेवाओं को दो वर्गों में विभाजित कर दिया।

धीरे-धीरे यहाँ भी स्थिति बदलने लगी। कम्पनी के जिन अधिकारियों के हाथ में सत्ता थी, वे घमन्डी, रंगभेद में विश्वास करने वाले और भारतीयों को अपना दास समझने वाले लोग थे। परिणामस्वरूप जब रंग-भेद, सामाजिक अलगाव और आर्थिक शोषण की प्रवृत्ति बढ़ने लगी तो अचानक 1857 में धैर्य का प्याला टूट गया, जो एक भयानक विद्रोह के रूप में सामने आया। लेकिन इस स्थिति को 1854 में सर चार्ल्स वुड तथा लार्ड मैकाले ने पहले ही भांप लिया था। इसलिये प्रशासनिक सुधारों का दौर आरंभ हो गया।

1857 के विद्रोह के फलस्वरूप कम्पनी का शासन समाप्त हो गया तथा सत्ता ब्रिटिश क्राउन के पास पहुँच गयी। लार्ड मैकाले की सिफारिशों के अनुरूप सारी सरकारी शक्तियाँ प्रशासकों के हाथों में केन्द्रित हो गयीं। अब सत्ता का एक नया चेहरा सामने आया। सर एडमण्ड ब्लण्ट ने लिखा: "उच्च ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी वास्तव में भारत के स्वामी बन गये। वे अन्य किसी सत्ता के प्रति उत्तरदायी न होकर परस्पर एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी बन गये।"

7.3 प्रशासनिक सुधारों का दौर

1858 में भारत सरकार अधिनियम सामने आया जिसके तहत भारत सचिव को भारतीय लोक सेवा में प्रवेश के लिये नियम बनाने का अधिकार सौंपा गया। इधर, क्योंकि लोक सेवा के भारतीयकरण की मांग जोर पकड़ रही थी, इसलिए 1831, 1861 और 1870 में भारतीय लोक सेवा अधिनियम पारित किये गये। 1876 में तत्कालीन वायसराय लार्ड लिटन ने लोक सेवा के भारतीयकरण की ओर कुछ कदम उठाये लेकिन वे भारतीयों की उच्च पदों पर पहुँचने की आकाँक्षायें पूरी नहीं कर सके। तत्पश्चात् भारतीयों के दबाव के कारण प्रशासनिक सुधारों की एक झड़ी लग गयी: एचीसन आयोग 1886; इस्लिंगटन आयोग 1912; माटेग्यू चेम्स फोर्ड रिपोर्ट 1918; भारतीय सरकार अधिनियम 1919; स्टाफ चयन मण्डल 1922; ली आयोग 1923; लोक सेवा आयोग 1926; तथा 1935 का लोक सेवा से सम्बन्धित अधिनियम-इन सब आयोगों ने भारतीय लोक सेवा के विकास में एक अहम भूमिका अदा की। यहाँ इन सभी आयोगों तथा अधिनियमों की विशेषताओं को संक्षेप में समझने का प्रयास किया जायेगा।

एचीसन आयोग, 1886: इस आयोग की मुख्य सिफारिशें थीं (क) कवेनेन्टेड तथा अनकवेनेन्टेड सेवाओं के अन्तर को मिटाकर उसके स्थान पर सामान्य सेवा तीन श्रेणियों में वर्गीकृत की जाए-भारतीय लोक सेवा, प्रान्तीय सेवा एवं अधीनस्थ सेवा। भारतीय लोक सेवा में भर्ती के लिए इंग्लैण्ड में प्रतियोगी परीक्षाएँ आयोजित की जायें जो भारतीयों और योरोपीय प्रत्याशियों को परीक्षा में खुले तौर पर बैठने का अधिकार दें। अन्य दो प्रकार की सेवायें केवल भारतीयों के लिए सुरक्षित हों तथा प्रान्तीय स्तर पर उनकी परीक्षाएँ आयोजित की जायें। इस तरह इन सिफारिशों में भारतीयों को लोक सेवा में प्रवेश के अनेक अवसर मिल गये।

इस्लिंगटन आयोग, 1912: 1912 में भारतीय लोक सेवाओं पर लार्ड इस्लिंगटन की अध्यक्षता में एक शाही आयोग गठित किया गया। इसकी सिफारिशें इस प्रकार थीं (क) लोक सेवाओं में भर्ती के लिए इंग्लैण्ड तथा भारत में एक साथ प्रतियोगी परीक्षाएँ कराई जायें, (ख) उच्चतम लोक सेवाओं के 25 प्रतिशत पद भारतीयों के लिये रखे गए। इन पदों पर अंशतः सीधे तथा अंशतः पदोन्नति द्वारा भर्ती की जाये। यह सिफारिशें 1917 में प्रकाशित की गयीं तब तक परिस्थितियाँ बदल चुकी थीं, इसलिये यह सिफारिशें महत्वहीन हो गयीं।

माण्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, 1918: भारतीय प्रशासन में सुधार के लिए 1918 में माण्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट को मील का एक पत्थर माना जाता है। इसकी तीन सिफारिशें महत्वपूर्ण थीं: (अ) सिविल सर्विस परीक्षा भारत एवं इंग्लैण्ड में एक साथ ली जाए। (ब) भारतीय सिविल सेवा में भारतीय प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिये प्रारम्भ में वरिष्ठ स्तर के 1/3 पदों पर भर्ती भारत में की जाए तथा प्रत्येक वर्ष इसमें डेढ़ प्रतिशत भारतीयों की वृद्धि की जाये। (स) भारतीय लोक सेवा के अधिकारियों के वेतनमान, सेवानिवृत्ति वेतन, अवकाश तथा भत्तों में वृद्धि की जाये। 1919 के अधिनियम में इन सिफारिशों को स्वीकार करते हुये क्रियान्वित किया गया।

भारत सरकार अधिनियम, 1919, यह वह पहला अधिनियम है, जिसने भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिये रास्ता साफ किया, लेकिन भारतीय सचिव ने इस सम्बन्ध में कोई कदम नहीं उठाया।

ली आयोग, 1923: 1923 में ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड ली की अध्यक्षता में एक आयोग स्थापित किया जिसका उद्देश्य लोक सेवाओं की संरचना, सेवा की शर्तें तथा अधिकारियों की नियुक्ति के तरीकों पर विचार करना था। इस आयोग की सिफारिशें लोक सेवा का सम्बन्ध केवल उच्चतर सेवाओं से था। आयोग ने पहला सुझाव यह दिया कि लोक सेवा आयोग की स्थापना शीघ्र-अतिशीघ्र की जाये। लोक सेवा आयोग के कार्य दो प्रकार के हों (1) लोक सेवाओं के लिए भर्ती करना तथा भर्ती के लिये उपयुक्त योग्यताओं का स्तर निर्धारित करना, (2) लोक सेवाओं की सुरक्षा एवं अनुशासनात्मक नियन्त्रण।

ली आयोग ने विकेन्द्रीकरण की दृष्टि से लोक सेवाओं को तीन वर्गों में विभाजित किया- (1) प्रशासन के सुरक्षित भाग से सम्बन्धित सेवायें, जैसे आईसीएस, आईपीएस, भारतीय वन सेवा इत्यादि। यह भी सिफारिश की गयी कि नियुक्ति तथा नियंत्रण की शक्तियाँ भारत सचिव के पास रहें; (2) हस्तान्तरित क्षेत्र की सेवायें, जैसे भारतीय शिक्षा सेवा, भारतीय कृषि सेवा, भारतीय पशु चिकित्सा सेवा इत्यादि। इन पदों पर नियुक्तियाँ अखिल भारतीय आधार पर की जायें, तथा (3) भारतीय सरकार के अधीन केन्द्रीय सेवायें, जैसे राजनीति विभाग, आबकारी विभाग तथा धर्म विभाग की लोक सेवाएं। इन सभी सेवाओं पर नियुक्तियाँ भारत सचिव द्वारा की जायें।

लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926, फरवरी 1926 में भारत सचिव ने लोक सेवा आयोग की स्थापना कर दी। इसमें चार सदस्य तथा एक सभापति था। सर रास बार्कर इस आयोग के प्रथम सभापति नियुक्त किये गये। अभी यह एक स्वतंत्र निकाय नहीं था। इसे गृह विभाग के साथ संलग्न किया गया। अभी इस आयोग को केवल परामर्शदाता का ही दर्जा दिया गया। साइमन कमीशन ने स्वीकार कि आयोग शक्तियों की दृष्टि से मात्र एक छाया ही था। वह भर्ती के मामले में अन्तिम निर्णायक नहीं था।

1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम भारत के संवैधानिक इतिहास में एक अहम घटना मानी जाती है। कूपलैण्ड के अनुसार 1935 का अधिनियम “रचनात्मक राजनीतिक विचार की एक

महान कहानी थी।” इस अधिनियम के तहत भारत को भविष्य में संघात्मक व्यवस्था मिली। संघीय कार्यपालिका, संघीय व्यवस्थापिका तथा संघीय न्यायापालिका की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ।

7.4 1935 से लेकर 1947 तक प्रशासनिक विकास

1935 में भारत में ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम को लाकर एक अहम संवैधानिक और प्रशासनिक कदम उठाया। जैसा कि लिखा जा चुका है यह अधिनियम रचनात्मक राजनीतिक विचार की एक महान सफलता था। इस अधिनियम में द्वैध-शासन को अब केन्द्रीय स्तर पर लागू करने का प्रावधान एक महत्वपूर्ण कदम था। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में संघीय कार्यपालिका, संघीय विधान मण्डल तथा संघीय न्याय पालिका की स्थापना की गयी। प्रान्तों में स्वायत्त की स्थापना के लिये भूमिका तैयार की गई। गवर्नर की शक्तियों को तीन भागों में विभाजित किया-स्वेच्छा सम्बन्धी शक्तियाँ, व्यक्तिगत शक्तियाँ और परामर्शपरक शक्तियाँ विशेष रूप से मन्त्रियों के संदर्भ में।

1935 के भारत अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद द्वारा जो विभिन्न अधिनियम पारित किये गये, प्रशासनिक विकास की दृष्टि से उन्हें चार वर्गों में बांटा जा सकता है-

1. भारत में उत्तरदायी तथा प्रतिनिधित्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना तथा उनकी सदस्य संख्या और प्रकृति का क्रमिक विकास;
2. इन संस्थाओं द्वारा शासन को उत्तरदायी बनाकर जनतंत्रीय रूप देना;
3. भारतीय प्रशासन का भारतीयकरण और भारतीयों की प्रशासन में भागीदारी को बढ़ाना; तथा
4. सेवी वर्ग की उपयोगिता को स्वीकार करना, उनकी विशेष भूमिका स्वीकार करना तथा उनके हितों की रक्षा करना।

भारत में आज जो केन्द्रीकृत अखिल भारतीय सेवाओं का रूप है, वह भी 1935 के भारत अधिनियम की देन है। इसका कारण गवर्नर के वे विशेष अधिकार थे, जो 1935 के अधिनियम ने उनको दिये थे। 1935 के अधिनियम ने वास्तव में भारत के भावी संविधान की आधारशिला रख दी और इसके साथ भारतीय प्रशासन के विकास को भी आगे बढ़ाया। हमें यह स्वीकार करना होगा कि वर्तमान में जो संवैधानिक और प्रशासनिक विकास की तस्वीर है, वह अंग्रेजी शासन की देन है। हमें यह व्यवस्था विरासत में मिली है। विकास की यह कहानी 1935 से 1947 तक अंग्रेजों के माध्यम से चलती रही।

7.5 प्रशासनिक संस्थाओं का विकास

सन् 1858 से लेकर 1919 (भारत परिषद् अधिनियम) से गुजरता हुआ। 1935 के ऐतिहासिक भारत अधिनियम के चैनल के रास्ते होता हुआ भारत का प्रशासनिक विकास 1947 तक पहुँचा और तब से अब तक प्रगति के पथ पर अग्रसर है। संक्षेप में विकास की इस कहानी को समझने के लिये अधोलिखित बिन्दुओं का अध्ययन अनिवार्य है-

1. **केन्द्रीय सचिवालय का विकास-** मौजूदा सचिवालय ब्रिटिश शासन की देन है। प्रशासनिक एकता स्थापित करने, प्रशासनिक इकाइयों में समन्वय पैदा करने तथा प्रशासनिक कार्यों में एकरूपता लाने के लिये 1833 में एक चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन सचिवालय की स्थापना की गई। यह विभिन्न विभागों की एक संयुक्त संस्था थी, जिसका 1843 से 1919 और तत्पश्चात् 1947 तक इस का पुनर्गठन और विभिन्न सुधारों के माध्यम से इसका वर्तमान स्वरूप सामने आया। अनेक महत्वपूर्ण विभागों का जन्म सचिवालय के माध्यम से ही हुआ। 1947 तक सचिवालय में 19 विभाग थे। यह सिलसिला आगे तक चलता रहा।

2. **वित्त प्रशासन-** वित्त प्रशासन का इतिहास पुराना है, लेकिन ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन काल में यह पूरी तरह भ्रष्टाचार और लूट खसोट से ग्रस्त हो गया। इसलिये वित्त का केन्द्रीकरण करने का प्रयास किया जाने लगा। सर्वप्रथम 1870 में वित्तीय विकेन्द्रीकरण के दिशा में लार्ड मयो द्वारा एक निश्चित योजना तैयार की गयी। 1877 में एक योजना के अन्तर्गत भूमि कर, स्थानीय चुंगी, स्टाम्प, स्टेशनरी, कानून तथा न्याय और सामान्य प्रशासन की कुछ व्यय मदें प्रान्तीय सरकारों को हस्तान्तरित कर दी गयीं। तत्पश्चात् 1882 से लेकर 1907 तक अनेक सुधारात्मक उपायों के आधार पर वित्त प्रशासन को केन्द्रीय, प्रान्तीय और स्थानीय निकायों अथवा सरकारों में विभाजित कर दिया गया। इसी तरह वित्तीय साधनों का भी विभाजन कर दिया गया। विकेन्द्रीकरण की इस प्रक्रिया में चार्ल्स हॉब हाउस आयोग (1907) का बड़ा योगदान है। नतीजा यह निकला कि 1919 के अधिनियम द्वारा प्रान्तीय बजट केन्द्रीय सरकार से अलग कर दिये गये।

7.6 लोक सेवा का विकास: ब्रिटिश संदर्भ

लोक सेवा का जो रूप आज भारत में है, वह विकास का परिणाम है, प्राचीन भारत में लोक सेवार्थे अविकसित थी, क्योंकि उस समय का समाज सरल था। मुगल या मुस्लिम शासन काल में लोक सेवा को नये आयाम मिले लेकिन उनका रूप उतना वैज्ञानिक नहीं था, जितना धीरे-धीरे ब्रिटिश काल में सामने आया। ब्रिटिश शासन काल का दौर औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियाँ बढ़ने के साथ ईस्ट इण्डिया कम्पनी काल से आरंभ हुआ लेकिन लोक सेवाओं के क्षेत्र में लूट-प्रथा के चलते प्रशासनिक प्रगति के लिये एक बाधा बन गया। तत्कालीन लोक सेवकों की प्रकृति और व्यवहार के कारण ही सामाजिक अलगाव की नींव पड़ी, भारतीयों में बेचैनी बढ़ी जो अन्तः 1857 की बगावत के रूप में फूटी। यह बगावत ही ईस्ट इण्डिया कम्पनी के पतन और अन्त का कारण बनी। परिणामस्वरूप 1858 में ब्रिटिश महारानी या ताज का शासन आरंभ हुआ और इस एहसास के साथ कि लोक सेवार्थे ही शासन के पतन या उत्थान का कारण बनती हैं, उनके विकास के लिये कदम उठाये जाने लगे।

अब इस तथ्य को स्वीकार किया जाने लगा कि लोक सेवाओं को योग्यता पर आधारित होना चाहिये। इस नजरिये से वारेन हेस्टिंग्स का नाम याद रखना होगा। यह ऐसा गवर्नर जनरल था जिसने भू-राजस्व की वसूली तथा शान्ति और व्यवस्था को बनाये रखने के लिये मजबूत लोक सेवाओं की आधारशिला रखी। यहाँ से ब्रिटिशकालीन लोक सेवा के विकास की कहानी कुछ इस तरह है:

वारेन हेस्टिंग्स, कार्नवालिस, लार्ड क्लाइव, लार्ड वैलेजली तथा लार्ड मैकाले कम्पनी काल के ऐसे गवर्नर जनरल थे, जिन्होंने पूरी निष्ठा के साथ लोक सेवाओं के स्वरूप, प्रकृति और स्वभाव को बदलने का प्रयास किया। इन्हीं के दौर में भू-राजस्व की वसूली तथा शान्ति व्यवस्था को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये गये; 1781 में जिलाधीश, मजिस्ट्रेसी तथा न्याय प्रशासन को एकीकृत करने का काम हुआ। लार्ड क्लाइव ने भी प्रशासनिक सुधार के लिये प्रयास किये, लेकिन जब उसे सफलता नहीं मिली तब लार्ड कार्नवालिस ने 1785 से 1793 तक अनेक सुधारात्मक कदम उठाये।

फोर्ट विलियम कालिज की स्थापना लोक सेवाओं के प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम था। भारत से प्रशासक प्रशिक्षण के लिये फोर्ट विलियम जाने लगे। 1833 में भारत में समस्त व्यक्तियों के लिये समान रूप से खुली प्रतियोगिता की पद्धति को स्वीकृति मिली। भारतीय लोक सेवाओं का इतिहास 1854 को भी याद रखना होगा। तब लार्ड मैकाले की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने आई.सी.एस. के लिये जो सिफारिशों की वे आज भी भारतीय लोक सेवाओं के गठन और कार्यप्रणाली की आधारशिला है।

1886 में भारत के वायसराय लार्ड डफरिन ने चार्ल्स एचिसन की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की जिसकी सिफारिशों के आधार पर सामान्य लोक सेवा को भारतीय लोक-सेवा, प्रान्तीय सेवा औऱ अधीनस्थ सेवा-तीन श्रेणियों में वर्गीकृत कर दिया गया। इस तरह क्वेनेण्टेड तथा अनेवेनेण्टेड सेवाओं का अन्तर समाप्त हो गया।

1918 में गठित माण्टेग्यू-चैम्सफोर्ड समिति ने एक रिपोर्ट तैयार की, जो लोक सेवाओं के सुधार के लिये एक वरदान सिद्ध हुई। इस रिपोर्ट की महत्वपूर्ण सिफारिशें थीं: (1) लोक सेवा की परीक्षा इंग्लैण्ड और भारत में एक साथ कराई जाए, (2) वरष्ठि पदों पर एक-तिहाई भर्ती भारत में की जाये, ताकि भारतीयों की संख्या में वृद्धि हो, (3) आई.सी.एस. की सेवा शर्तों-सुरक्षा, वेतन तथा पदोन्नति में सुधार किये जायें। 1919 के भारत शासन अधिनियम के बाद इसे लागू किया गया।

1920 का वर्ष भारतीय लोक सेवाओं के लिये संकट का काल था। प्रान्तीय तथा केन्द्रीय विधान मण्डलों में इन सेवाओं के तौर तरीकों की कटु आलोचना होने लगी; लोक सेवा के अधिकारी व्यक्तिगत रूप से भर्तसना का निशाना बनने लगे। भारतीय मंत्रियों ने इन लोक सेवकों को प्रायः अपंग बना दिया। 1920 में असहयोग आन्दोलन ने लोक सेवाओं पर कड़ा प्रहार किया। यहाँ तक कि अंग्रेज अधिकारी भारत छोड़ने का मन बनाने लगे। इधर इन सेवाओं के भारतीयकरण की मांग फिर उठने लगी। इस स्थिति से निपटने के लिए एक उच्च लोक-सेवा विषयक शाही आयोग की नियुक्ति लार्ड ली की अध्यक्षता में की गई। इस आयोग ने लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया।

1935 के भारत सरकार अधिनियम के कारण तीन सकारात्मक नतीजे सामने आये; (1) राज्यों में लोक सेवा आयोगों की स्थापना की गई; (2) चिकित्सा सेवाओं के लिये एक प्रथम आयोग बनाने की सिफारिश की गई; तथा सभी अन्य सेवाओं को भारत मंत्री के क्षेत्राधिकार से निकाल दिया गया और इन पर गवर्नर जनरल और गवर्नरों का नियंत्रण स्थापित किया गया।

हमको यह स्वीकार करना होगा कि ब्रिटिश काल के भारत में अंग्रेज निरन्तर भारतीय नजरिये से तथा भारतीय परिस्थितियों के अनुसार लोक सेवाओं में सुधार करते रहे। 1935 का अधिनियम इसे तथ्य का सर्वोत्तम उदाहरण है।

7.7 लोक सेवा का विकास: स्वतंत्र भारत में

वास्तव में 1935 का भारत सरकार अधिनियम इस परिकल्पना पर आधारित था कि निकट भविष्य में भारत आजाद होगा और सत्ता भारतीयों के हाथों में होगी। इस तरह 1935 का अधिनियम का भारतीय संविधान की आधारशिला के रूप में सामने आया। नतीजा यह निकला कि स्वतंत्रता के साथ ही लोक सेवाओं का स्वरूप भारत सरकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप बदलने लगा। जो नई तस्वीर सामने आई उसका सार था-

1. आई.सी.एस. के स्थान पर नवीन अखिल भारतीय सेवा, जैसे आई.ए.एस. और आई.पी.एस. की स्थापना; आई.एफ.एस. (भारतीय विदेश सेवा) तथा भारतीय वन सेवा की स्थापना।
2. तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को एहसास था कि देश का चहुमुखी विकास पूरी तरह गतिशील प्रशासन पर निर्भर करता है, इसलिये उन्होंने 1951 में गोरवाला और 1953 में ऐपल्बी को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार लोक सेवाओं के लिये अपना प्रतिवेदन देने के लिये नियुक्त किया। इनकी सिफारिशों के अनुसार 1954 में दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना की गई।
3. 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोक सेवा में सुधार के लिये जो सुझाव दिये, उनके तहत 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया। 1956 में गृह मंत्रालय ने एक प्रशासनिक सतर्कता सम्भाग की स्थापना की। इसी वर्ष एक वेतन आयोग की नियुक्ति की गई, जिसका उद्देश्य केन्द्रीय एवं अखिल भारतीय सेवाओं के वेतन स्तर एवं सेवा शर्तों का पुनरीक्षण करना था। लोक सेवाओं में प्रशिक्षण की दृष्टि से नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तथा विशेषीकृत प्रशिक्षण अभिकरण स्थापित किये गये। राज्यों में भी इसी प्रकार की प्रशिक्षण संस्थायें स्थापित की गयीं।

प्रशासनिक सुधार आयोग, 1966 की स्थापना लोक सेवाओं के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसका वास्तविक उद्देश्य लोक सेवाओं के संगठन तथा कार्य विधि में अनिवार्य सुधार लाना था। इस आयोग ने जो अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया उसमें प्रमुख सिफारिश यह थी कि लोक-कल्याणकारी राज्य में बढ़ती हुई लोक सेवाओं पर नियंत्रण के लिये एक केन्द्रीय अभिकरण (एजेन्सी) का होना जरूरी है। प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन स्वीकार करते हुये भारत सरकार ने 27 जून 1970 को कैबिनेट सचिवालय में सेवी वर्ग विभाग की स्थापना की। 1972 में एक अधिसूचना द्वारा सेवी वर्ग विभाग को वे सभी कार्य सौंप दिये गये, जिनकी सिफारिश आयोग ने की थी। संक्षेप में इन सिफारिशों में (1) सामान्य सेवी वर्ग सम्बन्धी नीति की रचना करना; (2) प्रतिभाओं की खोज वरिष्ठ प्रबन्ध के लिये सेवी वर्ग का विकास तथा वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही; (3) मानव शक्ति नियोजन, प्रशिक्षण एवं आजीवन सेवा का विकास; (4) सेवी वर्ग प्रशासन में विदेशी सहयोग; (5) सेवी वर्ग प्रशासन में शोध कार्य; (6) कर्मचारी वर्ग में अनुशासन पैदा करना; (7) संघीय लोक सेवा आयोग, तथा राज्य सरकारों इत्यादि के मध्य कड़ी का कार्य करना; तथा स्थापना मण्डल के परामर्श से केन्द्रीय सचिवालय में कार्य करना। वर्तमान में सेवी वर्ग विभाग गृह मंत्रालय का एक स्वतंत्र विभाग है। अब यह प्रधानमंत्री के अधीन रहकर कार्य करता है।

7.8 स्वतंत्र भारत में लोक सेवाएं: स्वरूप और विशेषताएं

अनेक बार बताया जा चुका है कि आधुनिक भारतीय लोक सेवा ब्रिटिश शासन की देन है। यह सतत् विकास का परिणाम है। अंग्रेजों ने भारत को भले ही लूटा-खसोटा हो, लेकिन प्रशासन के क्षेत्र में उनके अद्वितीय योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। यहाँ भारतीय लोक सेवाओं के कुछ ऐसे पहलुओं पर बात की जायेगी जो एक साधारण विद्यार्थी को समझना चाहिये। यह प्रमुख बिन्दु इस तरह हैं-

1. भारतीय लोक सेवा में भर्ती योग्यता के आधार पर की जाती है। योग्यता की जांच खुली प्रतियोगिता द्वारा होती है, जिसका माध्यम लोक सेवा आयोग है। यह संस्था स्वतंत्र, निष्पक्ष और गैर राजनीतिक है।
2. उच्च लोक सेवा में भर्ती की आयु 21 से 32 वर्ष है। सिफारिश यह भी की गई है कि भर्ती की अधिकतम सीमा 32 वर्ष से घटाकर 27 वर्ष कर देनी चाहिये। यह भी आवश्यक है कि उच्च लोक सेवा के उम्मीदवार अपने विचारों में परिपक्व हों, कुशाग्र बुद्धि सम्पन्न हों, दृढ़ निश्चय के धनी हों तथा अच्छा सामान्य ज्ञान रखते हों। परीक्षा में दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं हैं-लिखित व्यवस्था और साक्षात्कार व्यवस्था।
3. लोकसेवा के लिये चुने हुये प्रत्याशियों के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था।
4. नौकरी में सुरक्षा, अच्छे वेतन की व्यवस्था और पदोन्नति के न्यायोचित अवसर प्रदान करना ताकि लोक सेवियों की कार्यक्षमता का विकास हो और उनका मनोबल ऊँचा रहे।
5. भारतीय लोक सेवा का 'बहुदेशीय स्वरूप' है। अधिकारी समय-समय पर अलग-अलग पद ग्रहण करते रहते हैं। इस तरह उनको प्रत्येक विभाग का ज्ञान रहता है। विशेषकर आई.ए.एस. एक बहु पदीय सेवा है। अधिकारी प्रशासन की प्रत्येक शाखा से परिचित हो यह लोक सेवा का उद्देश्य है।
6. केन्द्रीय एवं प्रान्तीय लोक सेवाएं 'प्रथम', 'द्वितीय', तृतीय तथा चतुर्थ वर्गों में विभाजित होती हैं। इनके वर्गों के अनुसार इनके कार्य, पद और शक्तियाँ होती हैं। भारत में इस समय तीन अखिल भारतीय सेवायें हैं- आई.ए.एस., आई.पी.एस. तथा आई.एफ.एस.।
7. लोक सेवा के पद प्रत्यक्ष भर्ती और पदोन्नति दोनों पद्धतियों से भरे जाते हैं।
8. भारतीय सेवी वर्ग प्रणाली की एक अन्य विशेषता यह है कि कुछ सेवार्यें संघ तथा राज्य दोनों के लिये समान रूप से गठित की गई हैं, जैसी कि अखिल भारतीय सेवार्यें। ये अधिकारी पूर्णतः केन्द्रीय अथवा

राज्यों की सेवा में नहीं होते हैं, लेकिन दोनों में से किसी एक के अन्तर्गत विभिन्न समयों में कार्य करते हैं। इन सेवाओं में भर्ती समान अर्हताओं और वेतनमान और और अखिल भारतीय आधार पर की जाती है।

7.9 लोक सेवा और राजनीति के सम्बन्ध

लोक सेवकों एवं राजनीतिज्ञों के मध्य सम्बन्धों की प्रकृति एक विवादास्पद विषय रहा है। मार्क्स का तो दृष्टिकोण यह था कि नौकरशाही अपने अस्तित्व के लिए पूरी तरह राजनीतिज्ञों पर न केवल निर्भर रहती है, बल्कि राजनीतिज्ञों की यथास्थिति को बनाये रखने के लिए सतत् प्रयास भी करती रहती है। इसलिए मार्क्स ने नौकरशाही को परजीवी (Parasitic) कहा था। नौकरशाही न केवल राजनीतिज्ञों की सहायता करती है, बल्कि वह समाज के सभी प्रभुत्व वाले तबकों की यथास्थिति को बनाये रखती है।

नौकरशाही की एक और विशेषता है, जिसकी ओर मार्क्स ने इशारा किया है, वह है नौकरशाही की 'गोपनीयता और रहस्यमयता'। वह राजनीतिज्ञों की वास्तविक चालों और इरादों को साधारण जन समाज से छुपाती है। "वह राजनीतिज्ञों की हरकतों पर पर्दा डालती है और उनकी चालों को रहस्यमय बनाये रखती है।" इस तरह नौकरशाही राजनीतिज्ञों, सत्ताधारियों और पूँजीपतियों तथा जन-समाज में दूरियाँ बनाये रखती है और अलगाव पैदा करती है।

पश्चिमी जगत तथा लोक सेवा और राजनीति के रिश्ते, पश्चिमी जगत में नौकरशाही के प्रति दृष्टिकोण बहुत कुछ हद तक उदारवादी रहा है। यहाँ लोगों ने मैक्स वेबर द्वारा प्रस्तुत नौकरशाही की रूपरेखा को स्वीकार किया। वेबर ने नौकरशाही और तार्किकता को सिक्के के दो पहलू माना था। वह नौकरशाही और तार्किकता (तंजपवदंसपजल) को अप्रथक्कारी मानता है। इसलिए पश्चिमी जगत में राजनीति एवं नौकरशाही में कम से कम टकराव देखने को मिला। यहाँ तक एहास होने लगा कि 'व्यक्तित्व' के अनुसार कभी तो नौकरशाही राजनीति पर हावी हो जाती थी और कभी राजनीति नौकरशाही पर। प्रायः टकराव स्थिति अधिक बनी रहती थी, इसलिये वेबर ने नौकरशाही की "राजनीतिक तटस्थता" को सफल नौकरशाही की एक शर्त माना। और इस तरह राजनीति एवं प्रशासन में द्विविभाजन (कपबीवजवउल) का सिद्धान्त स्वीकार किया जाने लगा।

भारतीय संदर्भ, 15 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के साथ आजाद हो गया। अंग्रेजों से विरासत में जो स्वतंत्र भारत को मिला उनमें न्याय व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था के अतिरिक्त जो सर्वोत्तम संस्था प्राप्त हुई, वह प्रशासन व्यवस्था थी। प्रशासन व्यवस्था में भी लोक सेवा सर्वोपरि थी। लोक सेवा को भारत ने उसकी सम्पूर्ण मानसिकता सहित ग्रहण कर लिया।

भारत में स्वतंत्रता से पूर्व नौकरशाही के रूप में आई.सी.एस. थे, जिनका और लोक सेवा दोनों का स्वरूप ब्रिटिश था, इसलिये दोनों में द्वन्द्व और टकराव की संभावना कम थी। परिणामस्वरूप अंग्रेजी शासन में नौकरशाही और राजनीतिज्ञों सहयोग और समन्वय बिलकुल चुस्त-दुरूस्त था।

स्वाधीनता के बाद आई.सी.एस. का स्थान आई.ए.एस. और राज्य स्तर पर पी.सी.एस. ने ले लिया, लेकिन व्यक्ति तो बदल गये, प्रशासनिक सोच और आचरण नहीं बदला। इसलिये, स्वतंत्रता के प्रारम्भिक दिनों में नवीन प्रशासनिक ढाँचे में अधिकारियों की मानसिक स्थिति कुछ अजीबोगरीब थी। उन्हें शासन के नवीन राजनीतिक तत्व-मन्त्रियों के साथ सद्भावना और सहयोग के साथ काम करने में कुछ कठिनाई महसूस होती थी। आई.ए.एस. अधिकारी स्वयं को राजनीतिज्ञों से उच्चतर समझते थे और वे यह सोचते थे कि सरकार उनकी इच्छानुसार चलना चाहिये। लेकिन उस समय के राजनेता भी कोई साधारण व्यक्तित्व के नहीं होते थे। स्वतंत्रता की जंग उन्होंने ने लड़ी थी और जीती थी। इसलिये नौकरशाही और राजनीति में टकराव स्वाभाविक था।

स्वयं पण्डित जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रधानमंत्री को भी इन अधिकारियों को नियंत्रण में रखने और अपनी नीतियों को उनसे क्रियान्वित कराने में कठिनाई का सामना करना पड़ता था, लेकिन जैसे-जैसे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती गयीं। धीरे-धीरे परिस्थितियों के अनुसार प्रशासनिक अधिकारियों का यह रवैय्या भी बदलता गया। स्वयं

प्रशासन का लोकतांत्रिकीकरण होता चला गया और “नौकरशाही” अपने स्वरूप और मानसिकता को बदल कर “लोक सेवक” बनती चली गई। इन अधिकारियों के कर्तव्यों और कार्यों में इस प्रकार के परिवर्तन लाए गये हैं कि वे जन समाज की आवश्यकताओं, संवैधानिक तकाजों और राजनीतियों के इरादों या इच्छाओं में ताल-मेल विठाकर काम करने लगे। अब जनता में और अधिकारियों में संवाद बढ़ रहा था, दूरी घट रही थी और इस तरह देश अपनी मंजित की ओर बढ़ रहा था। आज यह कहा जा सकता है कि भारतीय लोक सेवाओं का लोकतांत्रिकीकरण हो चुका है। अब लोक सेवा का विकास, लोकतंत्र के विकास और भारत के विकास का प्रतीक बन गया है।

7.10 लोक सेवा विकास की वर्तमान स्थिति

स्वतंत्रता के बाद भारतीय प्रशासन में मूलभूत परिवर्तन हुए हैं। प्रशासन की नवीन प्रवृत्तियाँ जन्म लेने लगीं हैं। संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है, जिसका अर्थ है कि संविधान की प्रस्तावना को मूल भावना के अनुसार देश की सभी संस्थाओं को अपना काम करना है। यह बात अखिल भारतीय और राज्य सेवाओं के विकास के लिये भी अनिवार्य है। लोक सेवाओं का उत्तरदायित्व और कर्तव्य उत्तरदायी सरकार को मजबूती देने के लिये जरूरी है।

संवैधानिक तकाजों के अनुसार राज्य का कर्तव्य है कि सभी नागरिकों को स्वतंत्रता, स्तर और अवसर की समानता का वातावरण मिले। सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार-अभिव्यक्ति, विश्वास और पूँजी की स्वतंत्रता प्राप्त हो। लोक सेवा को संविधान की इस भावना का सम्मान करना होता है।

इस संदर्भ में यह याद रखना आवश्यक है कि भारतीय लोक सेवा के विकास का इतिहास, उसकी वर्तमान संरचना एवं प्रशासनिक कार्यविधि पर उसके अतीत ने उस पर गहरी छाप छोड़ी है। अतीत की प्रशासनिक विरासतें और वर्तमान का प्रशासनिक स्वरूप अप्रथक्कीकरण है। शताब्दियों के अन्तराल में भारतीय प्रशासकों की आदत का अन्तर बन जाने के कारण ये विरासतें प्रभावी हैं, और प्रशासन को निरन्तरता देती हैं। आज भी ब्रिटिश प्रशासनिक प्रभाव को भारतीय प्रशासन के विविध आयामों में देखा जा सकता है।

भारतीय प्रशासन के जिन क्षेत्रों में यह ब्रिटिश प्रभाव देखने को मिलता है, उनमें से प्रमुख हैं-सचिवालय व्यवस्था, जिला एवं क्षेत्रीय प्रशासन, लोक सेवार्यें, संसदीय एवं न्याय प्रणालियाँ। इनमें यदि सब से अधिक प्रभावित संस्था है तो वो लोक सेवा ही है। बहुत कुछ लोकतांत्रिक होने के बाद भी भारतीय लोक सेवार्यें कहीं न कहीं अपने स्वभाव, अपने व्यवहार और अपनी सोच ने ब्रिटिश लोक सेवा के आज भी समीप है।

भारतीय लोक सेवा का एक नकारात्मक पहलू भी है। जहाँ ब्रिटिश लोक सेवक कुलीन परम्पराओं के अनुसार चलते थे, वहाँ आज ये मध्यवर्गीय लोक सेवी वर्ग समाज की नकारात्मक प्रवृत्तियों से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। भारत के चहुमुखी विकास के बाद भी कुछ क्षेत्रों में स्थिति अस्पष्ट तथा भ्रमित है। देश की राजनीतिक अस्थिरता, राजनीति के अपराधीकरण, जातिवाद, साम्प्रदायिकता, धर्मान्धता और भ्रष्टाचार का बढ़ता प्रभाव-यह सब कुछ लोक सेवकों को भ्रमित करता है। कानून की स्थिति में गिरावट, हिंसा का बढ़ता प्रभाव, प्रशासन का गिरता स्तर-यह न केवल लोक सेवा के विकास में एक बाधा है, बल्कि लोकतान्त्रिक मूल्यों के भी विपरीत है। इन बातों का प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।

अभ्यास प्रश्न-

1. एचीसन आयोग किस सन् में गठित किया गया?

क. 1886

ख. 1857

ग. 1860

घ. 1868

2. लोक सेवा आयोग की स्थापना किस सन् में हुई?

क. 1924	ख. 1948
ग. 1926	घ. 1928
3. 1935 में कौन-सा ऐतिहासिक अधिनियम आया?

क. भारत परिषद अधिनियम	ख. भारत सरकार अधिनियम
ग. भारत लोक सेवा अधिनियम	घ. इनमें कोई नहीं।
4. 1966 में कौन-सा आयोग गठित किया गया?

क. प्रशासनिक सुधार आयोग	ख. इस्लिंगटन आयोग
ग. ली आयोग	घ. एचीसन आयोग
5. गोरवाला और ऐपेल्बी को किस प्रधानमंत्री ने प्रशासनिक अध्ययन के लिये आमंत्रित किया?

क. लाल बहादुर शास्त्री ने	ख. मोरारजी दिसाई ने
ग. श्रीमती इन्दिरा गांधी ने	घ. पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने

7.11 सारांश

- लोक सेवाओं के विकास को तीन चरणों में विभाजित किया गया है-प्राचीन भारत में वैदिक काल से लेकर कौटिल्य के काल तक, मध्य युग में इस्लामी काल से लेकर मुगल शासन काल तक, तथा आधुनिक काल में ईस्ट इण्डिया कम्पनी काल से लेकर ब्रिटिश काल तक यह विकास चला।
- लोक सेवाओं का वर्तमान काल 1935 से आरंभ होकर, स्वाधीनता के वर्षों से गुजरते हुये अब तक यथावत् चल रहा है। 1858 से लेकर आज तक विकास की जो कहानी है, इसे लोक सेवा या प्रशासनिक सुधारों की कहानी माना जा सकता है। 1831, 1961, 1970, 1876 से चल कर 1918, 1922, 1923, 1926 और 1935 तक सुधारों को सतत विकास का सिलसिला चलता रहा। आज भी यह विकास जारी है, नई संस्थाओं ने जन्म लिया है, नये प्रशासनिक विचार उभरे हैं, नई चुनौतियाँ सामने आयी हैं और उनका पूरे साहस से समाधान खोजा गया है।
- 1935 से लेकर आज तक अनेक प्रशासनिक संस्थाओं का विकास हुआ है-केन्द्रीय सचिवालय, वित्त प्रशासन, लोक सेवा आयोग, भारतीय विदेश विभाग, भारतीय वन विभाग आदि प्रमुख हैं।
- लोक सेवा का आधुनिक इतिहास ब्रिटिश शासन से आरंभ होता है। इसलिये आज भारत का लोकसेवा का जो स्वरूप है, वह ब्रिटिश काल की विरासत है, जिसकी अवहेलना करके नया भारत एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है। वारेन हेस्टिंग्स, कार्नवेलिस, लार्ड क्लाइव, लार्ड वैलेजी तथा लार्ड मैकाले जैसे ईस्ट इण्डिया कम्पनी के गवर्नर जनरलों में भारत में प्रशासनिक और लोक सेवाओं की बुनियाद रखी।
- इतना ही नहीं 1886 में भारतीय वायसराय लार्ड डफरिन ने चार्ल्स एचिसेन के माध्यम से लोक सेवा को भारतीय लोक सेवा, प्रान्तीय सेवा और अधीनस्थ सेवा तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया। तत्पश्चात् 1918 में माण्टेग्यू-चैम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर लोक सेवा की परीक्षा भारत और इंग्लैण्ड में एक साथ होने लगी, वरिष्ठ पदों पर एक तिहाई भर्ती भारतीयों के लिये सुरक्षित की गई। 1919 के भारत अधिनियम इन शर्तों से लागू किया गया।
- स्वतंत्र भारत लोक सेवा की तस्वीर धीरे-धीरे बदलने लगी। आई.सी.एस. के स्थान पर आई.ए.एस. तथा आई.पी.एस. ने स्थान ग्रहण कर लिया।

- गोरवाला और ऐपल्बी की सिफारिशों के आधार पर 1954 में दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना की गई। 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया तथा 1956 में सतर्कता सम्भाग की स्थापना की गयी। इसी वर्ष में वेतन आयोग और प्रशासनिक सुधार आयोग अस्तित्व में आया।
- स्वतंत्र भारत में लोक सेवाओं के सुधार पर विशेष ध्यान दिया गया। भर्ती के नियम तय किये गये, प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई, नौकरी की शर्तों को तैयार किया गया तथा लोक सेवाओं को वर्गीकृत किया गया।
- लोक सेवा के विकास के कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। आज के मध्य वर्गीय लोक सेवक समाज की उन सभी बुराईयों का प्रतिबिम्ब है, जो किसी भी समाज को खोखला करती हैं-जातिवाद, धर्मान्धता, साम्प्रदायिकता, हिंसा, आपराधीकरण तथा भ्रष्टाचार और इन सब बातों में राजनीतिज्ञों, अपराधियों और नौकरशाही का गठजोड़-वे पहलू हैं जो देश के विकास में बाधा डालते हैं।

7.12 शब्दावली

द्विविभक्तिकरण (dichotomy)- लोक प्रशासन में द्विविभक्तिकरण शब्द का प्रयोग प्रशासन और राजनीति के विभक्तिकरण से लिया जाता है। यह एक विवादास्पद विषय है, जिसके बारे में राजनीति शास्त्री एवं प्रशासनिक चिन्तक एकमत नहीं हैं। कुछ चिन्तक राजनीति और प्रशासन के गठजोड़ को एक बुराई मानते हैं और कुछ एक अनिवार्यता। वेबर प्रशासन और राजनीति के द्विविभक्तिकरण का समर्थक है।

ताज या क्राउन (Crown)- साधारण अर्थ में ताज वह आभूषण है जो राजा या रानी पहनते हैं। लेकिन संवैधानिक अर्थ में ताज एक संस्था है, जिसका सम्बन्ध विशेष रूप से इंग्लैण्ड के राजतंत्र से है। राजा अथवा रानी नशवर है लेकिन ताज का अस्तित्व बना रहता। मशहूर कहावत है कि ज़पदह पे कमकए स्वदह सपअम जीम ापदह इसका अर्थ है कि राजा शरीर के रूप में तो मर गया, लेकिन राजा राजतंत्र की संस्था के रूप में जीवित है।

7.13 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. क,
2. ग,
3. ख,
4. क,
5. घ

7.14 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. शर्मा, हरिशचन्द्र: प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार एवं संस्थाएं, 971
2. सुब्रह्मण्यम, बी: भारतीय प्रशासन, 1974
3. पायली, एम0वी0: भारतीय संविधान, 1966
4. अवस्थी एवं महेशवरी: लोक प्रशासन, 1992
5. फड़िया, बाबू लाल: भारत में लोक प्रशासन, 1993

7.15 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. Avasthi and Avasthi : Indian Administration.
2. Ravindara Prasad, d : Administrative Thinkers.
3. fffPiner and Presthus : Public Administration.
4. Gladden, G.E. : Dynamics of Public Administration, 1971

7.16 निबन्धात्मक प्रश्न

1. कौटिल्य के प्रसिद्ध ग्रन्थ का नाम क्या है? उसमें लोक सेवी वर्ग की किन विशेषताओं पर बल दिया गया है?
2. ब्रिटिश काल में लोक सेवा के विकास के लिये वारेन हेस्टिंग्स-कार्न वलिस, लार्ड क्लाइव तथा लार्ड मैकाले जैसे गवर्नर जनरलों ने क्या कदम उठाये?
3. गोरवाला और ऐपलबी ने लोक सेवा के सुधार के लिये क्या सिफारिशें की?
4. स्वतंत्रता के बाद लोक सेवा के सन्दर्भ में आई.सी.एस. के स्थान पर कौन सा कैडर स्थापित किया और कितन वर्गों में विभाजित किया गया?
5. स्वतंत्र भारत में लोक सेवकों तथा राजनीतिज्ञों के सम्बन्ध कैसे हैं? इनका नकारात्मक स्वरूप क्या है?

इकाई- 8 लोक सेवाओं का वर्गीकरण

इकाई की संरचना

- 8.0 प्रस्तावना
- 8.1 उद्देश्य
- 8.2 लोक सेवा में वर्गीकरण का अर्थ
- 8.3 वर्गीकरण के सिद्धान्त
- 8.4 पद वर्गीकरण की उपयोगिता
- 8.5 वर्गीकरण की शर्तों और नकारात्मक पहलू
- 8.6 भारत में पद वर्गीकरण: ब्रिटिश संदर्भ
- 8.7 लोक-सेवा वर्गीकरण: भारतीय संदर्भ
- 8.8 पद वर्गीकरण का तुलनात्मक अध्ययन: ग्रेट-ब्रिटेन-फ्रांस
- 8.9 पद वर्गीकरण का मूल्यांकन
- 8.10 सारांश
- 8.11 शब्दावली
- 8.12 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 8.13 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 8.14 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 8.15 निबन्धात्मक प्रश्न

8.0 प्रस्तावना

लोक सेवा आधुनिक प्रशासन का आधार है। लोक सेवा को तार्किक और वैज्ञानिक बनाने का समय-समय पर प्रयास होता है। पद वर्गीकरण इन्हीं प्रयासों का एक नतीजा है। प्रशासनिक व्यवस्था में 'पद' का बहुत महत्व है। सारी शक्तियाँ, अधिकार, उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य पद से सम्बन्धित हैं। जो व्यक्ति पद को ग्रहण करता है, उसको उस उत्तरदायित्व और कर्तव्य को निभाना होता है, जो पद में विद्यमान है। पदासीन व्यक्ति पद छोड़ सकता है, और वह महत्वहीन बन जाता है, लेकिन पद बना रहता है। उसका महत्व कम नहीं होता है। प्रशासन को अधिक तार्किक बनाने के लिये, तथा पदों में भिन्नता लाकर पदों की पहचान बनाए रखने के लिए पद वर्गीकरण की व्यवस्था की गई है। आज यह व्यवस्था सभी विकसित और विकासशील देशों की प्रशासनिक पहचान है। इस इकाई में पद वर्गीकरण के अर्थ, उसकी, विशेषता, उपयोगिता तथा उसके नकारात्मक पहलुओं की विवेचना की गई है। भारत, ब्रिटेन तथा फ्रांस में वर्गीकरण के व्यवहारिक पहलुओं पर भी नजर डाली गई है।

8.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप

- लोक सेवा की प्रशासन व्यवस्था में पद वर्गीकरण का अर्थ, महत्व एवं उपयोगिता को समझ सकेंगे।
- पद वर्गीकरण के सिद्धान्तों, शर्तों और उसकी सकारात्मक भूमिका की जानकारी ले सकेंगे।
- भारत लोक सेवाओं के क्षेत्र में पद वर्गीकरण की क्या स्थिति है, यह जान पायेंगे।
- भारत, ब्रिटेन तथा फ्रांस के पद वर्गीकरण का तुलनात्मक अध्ययन संक्षेप में कर सकेंगे।

- पद वर्गीकरण के नकारात्मक पहलुओं को भी समझ सकेंगे।

8.2 लोक सेवा में वर्गीकरण का अर्थ

भारत में लोक सेवाओं के विकास के साथ अनेक बाधाएँ भी बनी रहती हैं। उन्हीं में से एक वर्गीकरण की समस्या है। 1992 तक भारत में तीन अखिल भारतीय सेवाएँ, 51 केन्द्रीय सेवा ग्रुप “ए” तथा अनेक राज्य स्तरीय सेवाएँ थीं।

भारतीय प्रशासनिक संरचना में प्रशासनिक अधिकारियों की एक निश्चित पदसोपनीयता के अनुसार परिभाषित स्थिति है। इन अधिकारियों के अलग-अलग प्रकार के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व होते हैं। किसी भी पद का आकार व्यक्ति न होकर कर्तव्य व उत्तरदायित्व होता है। व्यक्ति पद रिक्त कर सकता है, तब वह व्यक्ति शून्य हो जाता है, लेकिन पद का महत्व बना रहता है। पद ही किसी को जिलाधीश, कमिश्नर, अधीक्षक या लिपिक बनाता है। रिक्त पद अपनी महत्ता नहीं खोता है, रिक्त व्यक्ति महत्वहीन हो जाता है।

जिन लोक सेवाओं के एक समान उत्तरदायित्व और कर्तव्य होते हैं, उन्हें एक वर्ग या श्रेणी में रखा जाता है। दूसरी प्रकृति के पदों पर आसीन सेवियों को यदि उनमें समानता है तो उनके लिये दूसरी श्रेणी होती है। यहाँ भी मापदण्ड उत्तरदायित्व और कर्तव्य होते हैं। अतः अनिवार्य है कि प्रशासनिक कार्यों की विभिन्न के आधार पर सेवाओं को भी श्रेणीबद्ध किया जाये। इसी विभिन्नता को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिये सेवाओं का वर्गीकरण अनिवार्य हो जाता है। यही लोक सेवाओं का वर्गीकरण है।

वर्गीकरण की परिभाषा: लगभग सभी विकसित एवं विकासशील देशों में लोक सेवाओं को वर्गीकृत किया गया है। प्रशासन के इस बिन्दु का इतना अधिक महत्व है कि अनेक प्रशासनिक चिन्तकों ने शब्द ‘वर्गीकरण’ की व्याख्या करने तथा उसे परिभाषित करने का प्रयास किया है। उदाहरण के लिए डिमांक तथा डिमांक के अनुसार लोक प्रशासन में “वर्गीकरण का अर्थ है, तुलनात्मक कठिनाइयों एवं उत्तरदायित्वों के अनुसार पदसोपनीयता के आधार पर पदों को छांटना और श्रेणीबद्ध करना।” दूसरी ओर पिप्पर ने लिखा “वर्गीकरण से हमारा तात्पर्य यह है कि समान कार्य तथा समान उत्तरदायित्व वाले पद एक ही श्रेणी में रखे जायें, चाहे किसी विभाग या सेवा से जुड़े हुये हों।” प्रो० व्हाइट के अनुसार सेवा की कार्मिक आवश्यकता जिस संरचना पर टिकी होती है, वह पदवर्गीकरण की योजना कही जा सकती है। जब लोक सेवाओं में उत्तरदायित्वों और कार्यों का तार्किक विश्लेषण किया जाता है, तब जो निष्कर्ष निकलकर आता है, उसे वर्गीकरण कहा जाता है। व्हाइट के अनुसार वर्गीकरण के माध्यम से बहुत गुंथे हुए पद स्पष्ट हो जाते हैं। लोक सेवा बड़ी विषम होती है, उसकी जटिलता को सरलता में बदलना वर्गीकरण का काम है। इससे क्रमिक स्थितियाँ निर्धारित होती हैं, जिसके द्वारा एक नया कार्मिक अगल सोपानों पर आगे बढ़ता है।

पदों की विशेषता में पदों का सम्बन्ध उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों से है। इसमें योग्यताओं का भी समावेश है। वर्गीकरण सदा पदों का होता है और पद सदा विद्यमान रहता है, भले ही पद रिक्त रहे। वर्गीकरण व्यक्ति के महत्व को नहीं दर्शाता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन सा व्यक्ति किसी पद पर कार्यरत है। वर्गीकरण में यह बात भी सारहीन होती है कि पदासीन व्यक्ति की योग्यता क्या है, और उसको क्या वेतन मिल रहा है। वेतन का अन्तर श्रेणी का अन्तर नहीं होता है।

आज प्रशासनिक दृष्टि से विकसित लेकिन विषम समाज में वर्गीकरण का महत्व बहुत बढ़ गया है। लोक सेवकों की एक लम्बी फौज है, इसलिए अनिवार्य है कि उन्हें श्रेणीबद्ध करके पंक्तिबद्ध किया जाए ताकि लोक सेवियों को पहचानने में सुविधा हो। लाखों कर्मचारियों के बारे में अलग-अलग विचार करना संभव नहीं है। प्रो० व्हाइट का इस सम्बन्ध में कहना है “नियुक्ति, वेतन का प्रश्न, पदोन्नति की पंक्ति, स्थानान्तरण की आवश्यकताओं तथा

प्रतिदिन के विषय को तुरन्त एवं सावधानी से सुलझाने के लिये यह आवश्यक है कि पदों को वर्गों में समूहीकृत कर दिया जाये।”

8.3 वर्गीकरण के सिद्धान्त

वर्गीकरण लोक सेवाओं का महत्वपूर्ण पहलू है। यह कुछ निश्चित सिद्धान्तों पर किया जाता है। यह सिद्धान्त निम्नलिखित हैं-

1. **सेवा के आधार पर-** इसके अन्तर्गत विभिन्न लोक सेवाओं के आधार पर तरह-तरह के वर्गों का निर्माण किया जाता है; जैसे भारतीय विदेश सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा आदि।
2. **किसी पद या विषय या कर्मक्षेत्र-** इस सिद्धान्त के अनुसार पदों को कार्यों के क्षेत्र से जोड़ा जाता है अथवा उस विषय को ध्यान में रखा जाता है, जिसका सम्बन्ध पद से होता है। इन दो बातों के आधार पर (कार्यक्षेत्र या विषय) पद वर्गीकरण किया जाता है। जैसे- शिक्षा, राजस्व, स्वास्थ्य, समाज कल्याण इत्यादि।
3. **नियंत्रण एवं निरीक्षण का मापदण्ड-** इस सिद्धान्त का सम्बन्ध संगठन की पदसोपनीय व्यवस्था से है। जिन पदों का ऊपर से अधिक नियंत्रण और निरीक्षण हो, उनको निम्न स्तर का पद माना जाता है, लेकिन निरीक्षण की यदि यह मात्रा कम से कम हो तब वे पद उच्च श्रेणी के माने जाते हैं।
4. **उत्तरदायित्व का सिद्धान्त-** जैसा कि लिखा जा चुका है, पद का सम्बन्ध कर्तव्य और उत्तरदायित्व से है और जिस अधिकारी को अधिक उत्तरदायित्व का पद दिया जाता है, वह अधिकारी उतना ही बड़ा होगा और उसके अधिकार और शक्तियाँ उतनी ही अधिक होंगी।
5. **कार्य की प्रकृति-** पद का सम्बन्ध कार्यों से होता है। प्रत्येक कार्य की एक प्रकृति होती है। कुछ कार्य बड़े विषम और जटिल होते हैं, लेकिन कुछ अपनी प्रकृति से सरल होते हैं। सरल कार्य का पद छोटा माना जाता है, और जटिल कार्य का पद बड़ा माना जाता है। अतः जटिल पद पर आसीन अधिकारी बड़ा माना जाता है और सरल पद का कर्मचारी छोटा माना जाता है।
6. **योग्यता के आधार पर-** अनेक ऐसे पद हैं जिनके लिये ऊँची योग्यता, शिक्षा और अनुभव निर्धारित है, ऐसे पद बड़े होंगे और उन पर पदासीन अधिकारी भी ऊँचे माने जायेंगे। लेकिन सामान्य योग्यताओं वाले पद नीचे माने जायेंगे।

उक्त इन छः सिद्धान्तों के आधार पर ही भारत में लोक सेवाओं के पदों को वर्गीकृत किया गया है।

8.4 पद वर्गीकरण की उपयोगिता

वास्तविकता तो यही है कि किसी देश का शासन पूरी तरह लोक प्रशासन पर टिका होता है। इस तथ्य को सब से पहले वुडरो विल्सन ने अपने प्रसिद्ध प्रबन्ध 'दि स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन' में स्वीकार किया था। विल्सन प्रशासन को वैज्ञानिक बनाना चाहता था। उसका यह निबन्ध ही लोक प्रशासन के शास्त्र का आरंभ माना जाता है। मैक्स वेबर दूसरा चिन्तक है, जो नौकरशाही को लोक प्रशासन की आत्मा मानता है। उसने नौकरशाही को तार्किकता की नजर से देखा और उसे एक ओर कानून से जोड़ा तो दूसरी ओर तार्किकता से।

भारत में पद वर्गीकरण का विचार समान कार्य के लिये समान वेतन के सिद्धान्त के साथ पनपा। वर्गीकरण सामान्यतः मनमाने व्यवहार पर एक प्रहार है। इसमें न्याय की भावना है। यह सब को लाभ पहुँचाता है। लोक सेवा में ये एक मनोवैज्ञानिक उपचार है। टकराव की संभावना को दूर करता है। मनमानी से भ्रम पैदा होता है, जो प्रशासन के लिये घातक है। वर्गीकरण आर्थिक नियंत्रण के लिये जरूरी है। इस पद्धति के निम्नलिखित उपयोगिता है-

1. **भर्ती कर सरलीकरण-** विभिन्न विभागों में कितनी भर्ती होनी है, वर्गीकरण से यह बात सरलता से जानी जा सकती है। भर्ती संस्थान विभाग की इस मांग के अनुसार भर्ती के लिये अनिवार्य कदम उठाता है।
2. **प्रशासनिक स्पष्टता-** वर्गीकरण से प्रशासन क्रमबद्धता और व्यवस्था के साथ चलता है। इस सिद्धान्त से उत्तरदायित्वों तथा कर्तव्यों को समझने में आसानी रहती है तथा व्यवस्था और अनुशासन बना रहता है।
3. **पदोन्नति में सरलीकरण-** वर्गीकरण से श्रेणियों की क्रमिकता का पता रहता है। इस तरह यह जानना आसान होता है कि किस वर्ग के किस कर्मचारी को किस श्रेणी पर पदोन्नत करना है। अक्सर पदोन्नति स्वतः नहीं होती, योग्यता और काम के प्रति निष्ठा अपनी भूमिका अदा करती है। यह सिद्धान्त व्यक्ति को पदोन्नति के लिये चुस्त दुरुस्त रखता है।
4. **बजट बनाने में सुविधा-** विभागों को यह मालूम होता है कि किसी सम्भाग में कितने कर्मचारी हैं और उनका पद एवं वेतन क्या है। वर्गीकरण के आधार पर वार्षिक बजट का अनुमान लगाना सरल हो जाता है।
5. **लोक सेवियों में सहयोग एवं समन्वय-** वर्गीकरण से प्रत्येक वर्ग के कर्मियों में यह एहसास पैदा होता है कि वे प्रशासनिक सेवाओं के संदर्भ में एक ही परिवार के सदस्य हैं। उनके हित समान हैं और वे अकेले नहीं हैं।
6. **कर्तव्यों तथा दायित्वों का स्पष्ट विभाजन-** वर्गीकरण से लोक सेवाओं के प्रत्येक पद के कर्तव्यों एवं दायित्वों को निश्चित करने में सुविधा होती है और कार्य-सम्पन्नता के मापदण्ड तय किये जा सकते हैं।

उक्त बिन्दुओं से यह सिद्ध होता है कि किसी भी प्रकार की शासन प्रणाली में प्रशासन का कार्य बिना वर्गीकरण के संचालित नहीं किया जा सकता। फाइनर के अनुसार “सभी देशों का अनुभव बताता है कि प्रशासनिक वर्गीकरण का क्या महत्व है। बिना वर्गों या श्रेणियों के न तो तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है और न ही पदों और पदासीन अधिकारियों का मूल्यांकन किया जा सकता है।”

8.5 वर्गीकरण की शर्तें और नकारात्मक पहलू

1. **लोक सेवाओं में वर्गीकरण-** लोक सेवाओं में वर्गीकरण एक पेंचीदा विषय है। थोड़ी सी असावधानी पूरी प्रशासनिक संरचना को बिगाड़ सकती है। अतः सब से पहले वर्गीकरण की मांगों को समझना होगा। वर्गीकरण करते समय जिन बातों को ध्यान में रखना होगा, वे इस प्रकार हैं-
 - वर्गीकरण स्पष्ट होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का उलझाव न हो। गुंथा हुआ वर्गीकरण भ्रम पैदा कर सकता है।
 - प्रत्येक श्रेणी या वर्ग की स्पष्ट रूप से अलग-अलग व्याख्या होनी चाहिये।
 - पदोन्नति एक बड़ा मनोवैज्ञानिक विषय है। पदोन्नति के नियमों को स्पष्ट और निश्चित होना चाहिए।
 - कर्तव्यों एवं दायित्वों को श्रेणीबद्ध करना चाहिये। ऐसा विभाजन भ्रमित करने वाला न हो।
 - शैक्षणिक योग्यताओं, अनुभव और आयु का निर्धारण स्पष्ट नियमों के अनुसार तय होना चाहिये।
 - पदों, वर्गों और सेवाओं को अलग-अलग शीर्षकों में परिभाषित होने चाहिए।
2. **वर्गीकरण का नकारात्मक पहलू-** यद्यपि वर्गीकरण लोक सेवा की एक अनिवार्य शर्त है, लेकिन यह सिद्धान्त दोष मुक्त नहीं है। इसके अनेक गुण तथा विशेषताएं हैं, लेकिन इसकी निम्नलिखित हानियाँ भी हैं-

- प्रत्येक पद के कर्तव्यों एवं दायित्वों का स्पष्ट निर्धारण और उनका मूल्यांकन संभव नहीं है। भारत जैसे देश के संदर्भ में यह आलोचना सत्य है। अप्रथक नौकरशाही में प्रथक या संगठित पद नहीं हो सकते।
- वर्गीकरण के कारण कर्मचारियों में यदि कुछ समय के लिए फेर बदल किया जाता है तो कर्मचारी उसका विरोध करते हैं। वे अपने पद और कर्तव्यों को कानूनी अधिकार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनमें 'लकीर के फकीर- वाली भावना आ जाती है।
- वर्गीकरण मनुष्य को एक मशीन या वस्तु बना देता है। इसमें न तो व्यक्ति के गुणों का ध्यान रखा जाता है और न उनकी भावनाओं का। इस तरह लोक सेवक हतोत्साहित रहते हैं और उनका मनोबल टूटता रहता है। यह स्थिति अच्छी प्रतिभा और बौद्धिक क्षमता वाले व्यक्तियों को निराश करती है। इस तरह प्रशासन में शिथिलता आती है और कार्यकुशलता का हास होता है।
- विकासशील देशों में विकास की गति तेज होती है। इसी गति के अनुपात में लोक-सेवकों के दायित्वों में परिवर्तन लाना जरूरी होता है, जो एक जटिल काम है।

उक्त दोषों का यह अर्थ नहीं है कि वर्गीकरण अनावश्यक है। लगभग सभी प्रशासनिक विचारकों ने लोक प्रशासन में वर्गीकरण को अनिवार्य बताया है। विशेष रूप एल.डी. व्हाइट तो पद-वर्गीकरण को "जीवनवृत्ति के रूप" में देखते हैं।

3. **पद-वर्गीकरण-** पद-वर्गीकरण सेवी वर्ग प्रशासन के लिए अत्यन्त आवश्यक है। लेकिन सभी देशों में पद-वर्गीकरण के आधार एक समान नहीं हैं। फ्रांस का उदाहरण दिया जा चुका है। अन्य देशों में दो प्रमुख पद वर्गीकरण है- (अ) स्थिति वर्गीकरण (Rank Classification), एवं (ब) दायित्व वर्गीकरण (Duties Classification), भारत, पाकिस्तान, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, मलेशिया आदि देशों में स्थिति वर्गीकरण प्रचलित है। अधिकारी का दर्जा या उसकी व्यक्तिगत स्थिति-स्थिति वर्गीकरण का आधार होता है। यहाँ पद सम्बन्धी दायित्व या कर्तव्य आधार नहीं होता है। कनाडा, अमरीका, फिलिपाइन्स, थायवान में दायित्व वर्गीकरण प्रचलित है। दायित्व वर्गीकरण के समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धान्त को अपनाया जाता है।

8.6 भारत में पद वर्गीकरण: ब्रिटिश संदर्भ

पद वर्गीकरण भी भारत को अंग्रेजों से विरासत में मिला है। प्राचीन या मुगल काल में पद-वर्गीकरण की कोई परम्परा नहीं थी। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन काल में कर्मियों को दो भागों में विभाजित किया गया था- एक भाग था संविदाबद्ध (covenanted) लोक सेवकों का और दूसरा भाग था, असंविदाबद्ध (Uncovenanted) कर्मियों का। एचीसन आयोग (1886-87) की सिफारिशों के अनुसार लोक सेवकों को तीन वर्गों में बांटा गया- (क) इम्पीरियल सेवा, (ख) प्रान्तीय सेवा, तथा (ग) अधीनस्थ सेवा। इस वर्गीकरण की कमियों को देखते हुए इस्लिंग्टन आयोग (1912-15) ने त्रिवर्गीय वर्गीकरण को समाप्त कर दिया और लोक सेवाओं को दो वर्गों में विभाजित कर दिया- उच्च वर्ग सेवा तथा निम्न वर्ग सेवा।

सन् 1926 में 'इम्पीरियल' शब्द के स्थान पर 'भारतीय' शब्द का प्रयोग आरंभ हुआ। साथ ही 'उच्च' तथा 'निम्न' के स्थान पर 'प्रथम श्रेणी' तथा 'द्वितीय श्रेणी' कहा जाने लगा। अब दो प्रकार के लोक सेवक थे- 'भारतीय' (Indian) वह लोक सेवक कहलाए गये जो भारत मन्त्री के द्वारा नियुक्त किए जाते थे और दूसरे 'केन्द्रीय' लोक सेवक, जो गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त होते थे। एक ओर विशेषता यह थी 'राजपत्रित'

(Gazetted) और 'अराजपत्रित' (non-gazetted) के आधार पर भी वर्गीकरण था। यह परम्परा आज भी भारत में चल रही है।

सन् 1930 के बाद भारत सरकार की सेवाओं का वर्गीकरण 'अखिल भारतीय' तथा 'केन्द्रीय' वर्गों में किया गया। अखिल भारतीय सेवा में दो सेवायें प्रमुख थीं- इण्डियन सिविल सर्विस (I.C.S.) तथा इण्डियन फॉरेन सर्विस (I.F.S.) केन्द्रीय सेवाओं को प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, अधीनस्थ सेवा और निम्न सेवा में विभक्त किया गया। प्रान्तों में भी वर्गीकरण का यही आधार रखा गया।

स्वतंत्रता के बाद यद्यपि वर्गीकरण के प्रचलित स्वरूप को नकारा नहीं गया, लेकिन लोक-सेवाओं की श्रेणियों में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। आज केन्द्रीय सरकार में उच्च सेवाओं की दो श्रेणियाँ हैं- अखिल भारतीय सेवायें, एवं केन्द्रीय लोक सेवायें। वर्तमान भारत में सेवाओं को पाँच वर्गों में विभक्त किया गया है- अखिल भारतीय सेवायें; केन्द्रीय सेवाएं- इनमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवायें शामिल हैं; राज्य सेवाएं, इनमें भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणियाँ आती हैं; केन्द्रीय सचिवालय सेवाएं, यहाँ भी सेवाओं का चार श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया है; तथा विशिष्ट सेवाएं, जिनमें तकनीकी ज्ञान या विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है।

8.7 लोक-सेवा वर्गीकरण: भारतीय संदर्भ

पिछले पन्नों में भारत में सेवाओं के वर्गीकरण के संक्षेप में समझाया गया। जिसके अनुसार अखिल भारतीय सेवायें; केन्द्रीय सेवाएं; राज्य सेवाएं; केन्द्रीय सचिवालय सेवाएं तथा विशिष्ट सेवाओं का उल्लेख किया गया है। आगे हम विस्तार से इन सेवाओं को समझाने का प्रयास करेंगे-

1. **अखिल भारतीय सेवाएं-** अखिल भारतीय सेवायें संविधानिक मान्यता रखती हैं। संविधान में विशेष रूप से भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा का उल्लेख किया गया है। संविधान ने भारतीय संसद को यह भी अधिकार दिया है कि वह कानून के दायरे में अन्य सेवाओं की भी स्थापना करे। इस अधिकार के अन्तर्गत भारतीय संसद ने 'भारत वन सेवा' की स्थापना की है। अखिल भारतीय सेवा प्रथम श्रेणी की सेवा है। इसके सदस्यों की भर्ती, प्रशिक्षण, वेतन तथा अन्य शर्तों का निर्धारण केन्द्रीय सरकार करती है। अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए भी केन्द्रीय सरकार को ही अधिकार है।

साधारणतयः अखिल भारतीय सेवायें अपने-अपने कार्यकाल के अधिकतर समय में राज्य सरकार की सेवा में रहती हैं। वस्तुतः इनकी नियुक्ति विभिन्न राज्यों के काडरों अथवा संवर्गों पर होती है। जब केन्द्रीय सरकार को इन अधिकारियों की सेवा की आवश्यकता होती है तो वे राज्य सरकारों से इन्हें उधार लेती हैं। चौथे वेतन आयोग ने अखिल भारतीय सेवाओं को छह श्रेणियों में बाँटा था। यह हैं-

- उच्चतम वेतनमान- स्थिर या फिक्स्ड-सचिव
- उच्चतम वेतनमान- स्थिर या फिक्स्ड-अतिरिक्त सचिव
- उच्चतम वेतनमान-संयुक्त सचिव
- चयनित वेतनमान
- वरिष्ठ वेतनमान
- कनिष्ठ वेतनमान

प्रारम्भ से सभी लोक सेवक अधिकारी कनिष्ठ वेतनमान में ही नियुक्त किये जाते हैं। धीरे-धीरे उन्हें वरिष्ठ वेतनमान तथा उच्चतम वेतनमान दिया जाता है। लेकिन यह पदोन्नति नहीं कही जा सकती।

2. **केन्द्रीय सेवाएं-** जो अधिकारी भारत सरकार (केन्द्रीय सरकार) के विभिन्न विभागों में कार्य करते हैं, उनका सम्बन्ध केन्द्रीय सेवाओं से होता है। केन्द्रीय सेवायें दो श्रेणियों में विभक्त होती हैं-प्रथम श्रेणी की सेवायें तथा द्वितीय श्रेणी की सेवायें। केन्द्रीय सेवाओं की प्रथम श्रेणी के अन्तर्गत लगभग 33 सेवायें आती हैं, जिनमें प्रमुख हैं- (1) भारतीय लोक-परीक्षण एवं लेखा से; (2) भारतीय विदेश सेवा; (3) भारतीय डाक सेवा; (4) भारतीय डाक-तार संचार सेवा; (5) केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा; (6) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा; (7) केन्द्रीय राजस्व सेवा; (8) भारतीय विदेश सेवा; (9) केन्द्रीय सूचना केन्द्र; तथा (10) भारतीय सांख्यिकी सेवा। अन्य 23 सेवायें भी महत्वपूर्ण हैं। यह सेवायें प्रथम श्रेणी में आती हैं। द्वितीय श्रेणी की केन्द्रीय लोक सेवायें 24 वर्गों में विभाजित हैं। इन में प्रमुख हैं- (1) केन्द्रीय सचिवालय सेवा; (2) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा; (3) आय-कर सेवा; (4) भारतीय जलवायु सेवा; (5) केन्द्रीयीय एक्साइज सेवा; (6) सीमा शुल्क सेवा; (7) भारतीय सर्वेक्षण सेवा; (8) केन्द्रीय यांत्रिक सेवा; (9) सामान्य केन्द्रीय सेवा; तथा (10) भारतीय भू-सर्वेक्षण।
3. **राज्य सेवाएं-** ऐसी लगभग 15 सेवायें हैं (चौथे वेतन आयोग के अनुसार) इनमें (1) राज्य प्रशासनिक सेवा; (2) राज्य पुलिस सेवा; (3) राज्य शिक्षा सेवा; (4) राज्य सचिवालय; (5) राज्य स्वास्थ्य सेवा; (6) राज्यकृषि सेवा; (7) राज्य श्रम सेवा; (8) राज्य वन सेवा; (9) राज्य उद्योग सेवा; तथा (10) राज्य सिंचाई सेवा प्रमुख हैं।
4. केन्द्रीय सचिवालयीय सेवाओं को अलग दर्जा दिया गया है। इनमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के अधिकारी व कर्मचारी आते हैं।
5. विशिष्ट सेवाओं में वे सेवायें हैं जिनमें तकनीकी ज्ञान या विशेष बौद्धिक क्षमता की आवश्यकता होती है। तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की सेवायें (केन्द्रीय) अधीनस्थ सेवायें कही जाती हैं। यह विभागों के सामान्य कार्यों का संचालन करती हैं। उच्च अधिकारियों के आदेशों का पालन करना इनका उत्तरदायित्व है।

8.8 पद वर्गीकरण का तुलनात्मक अध्ययन: ग्रेट-ब्रिटेन-फ्रांस

लोक सेवाओं का विचार ही ब्रिटिश प्रशासन की देन है, क्योंकि यहाँ प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में लोक सेवाओं की व्यवस्था है। वर्तमान में ब्रिटिश लोक सेवाओं को छः वर्गों में विभक्त किया गया है। यह इस प्रकार हैं-

1. **प्रशासनिक वर्ग-** यह भारतीय प्रशासनिक सेवा के समान है और सम्पूर्ण ब्रिटिश लोक सेवा का आधार है। इसमें जो अधिकारी आते हैं, उनमें स्थाई सचिव से लेकर सहायक प्रधान प्रमुख हैं। अपने कार्यों और कर्तव्यों से यह वर्ग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर निर्णय-निर्माण, नीति-निर्धारण और विभागीय संचालन का उत्तरदायित्व इसी वर्ग पर है। यह अधिकारी कठिन प्रतियोगिता परीक्षा से गुजर कर चयनित होते हैं। 25 प्रतिशत पदों की भर्ती पदोन्नति द्वारा होती है।
2. **अधिशासी वर्ग-** इस वर्ग के लोक सेवकों का मुख्य कार्य दिन प्रतिदिन के सरकारी कामकाज का निस्तारण करना है। राजस्व संग्रह, क्षेत्रीय और स्थानीय कार्यालयों के प्रबन्ध आदि का दायित्व विशेष रूप से अधिशासी वर्ग पर ही होता है। इस वर्ग के अधिकारियों को कुछ प्रशासनिक कार्य भी करने पड़ सकते हैं। इस तरह प्रशासनिक कार्यों तथा दिन प्रतिदिन के कार्यों में अन्तर प्रायः बहुत कम होता है। समाज के आवश्यकताओं को देखते हुए सरकारी कार्य क्षेत्र का विस्तार हुआ है। काम-काज में जटिलता भी आई है और इस तरह प्रशासनिक वर्ग तथा अधिशासी वर्ग के कार्यों का अन्तर घटा है।
3. **विशिष्ट वर्ग-** इस वर्ग में व्यावसायिक, वैज्ञानिक और तकनीकी स्टाफ समाविष्ट होता है। इस वर्ग की बौद्धिक क्षमता एवं योग्यता सम्पन्न व्यक्ति जैसे वैरिस्टर, सॉलिस्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक,

लाइब्रेरियन, सहायक शिल्पी आदि आते हैं। यह वर्ग प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर चयनित न होकर मान्य योग्यता, विशिष्ट प्रशिक्षण और अनुभव के आधार पर साक्षात्करी के माध्यम से चुना जाता है।

4. **लिपिक वर्ग-** इस वर्ग में प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर 16-17 वर्ष के युवक-युवतियों को चुना जाता है। इनका काम है रिकॉर्ड रखना, नियमों के अनुसार पत्राजात, दावों आदि की जाँच पड़ताल करना। अधिकार वर्ग के आदेशानुसार दिन प्रतिदिन के कार्यों का निपटारा करना, तथा तथ्य एवं आँकड़े एकत्र करना इनका विशेष कार्य है।
5. **लेखक सहायक वर्ग-** इस वर्ग में सहायक लिपिक, टाइपिस्ट और कम्प्यूटर और डुप्लीकेट मशीनें चलाने वाले होते हैं।
6. **सन्देशवाहक एवं निम्न वर्ग-** इस वर्ग में संदेशवाहक, दफ्तरी, सफाई कर्मचारी आते हैं।

पद वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनात्मक दृष्टि से फ्रांस में लोक सेवाओं के पद वर्गीकरण का बहुत महत्व है। फ्रांस में लोक सेवा संरचना की चार इकाईयाँ है-श्रेणियाँ, कोप्स, सेवायें तथा ग्रेड्स।

श्रेणियाँ प्रशासन में मुख्य रूप से व्यक्ति के शैक्षणिक पृष्ठभूमि पर आधारित होती हैं तथा देश के प्रशासन में व्यापक भूमिका निभाती हैं।

कोर्प्स एक व्यापक नाम है। सभी लोक सेवक जिस सेवा के आजीवन सदस्य बनते हैं, वह सेवा एक कोर्प्स का अंग होती है। कोर्प्स एक फ्रेंच शब्द है जो वर्गों का पर्यायवाची हो सकता है। लेकिन कोर्प्स की तुलना में वर्गों का महत्व कम होता है। ऐसे वे तमाम समूह जिन में लोक सेवाओं के समान ग्रेड्स तथा समान नियमों और योग्यताओं के द्वारा प्रशासित होते हों, वे कोर्प्स की परिभाषा में आते हैं। प्रत्येक कोर्प्स एक सील बन्द इकाई के समान है। एक सेवा में लम्बरूप में विभिन्न कोर्प्स की एक श्रृंखला होती है। ग्रेड्स की इकाईयाँ हैं, जिन का अस्तित्व प्रत्येक कोर्प्स में होता है।

1946 के अधिनियम को फ्रांस की लोक सेवाओं के इतिहास में एक क्रान्तिकारी कदम माना जाता है। इस अधिनियम ने जिन चार प्रकार की सेवाओं का उल्लेख किया है, उनमें से दो व्यावसायिक वर्ग की थी। इनके प्रथम को असैनिक प्रशासक तथा दूसरे को प्रशासनिक सचिव कहा गया। इन दोनों सेवाओं के नीचे अधिकारियों के दो वर्ग हैं। इन दोनों वर्गों के कर्मचारी लिपिक वर्ग तथा संदेशवाहक वर्ग के होते हैं। फ्रांस की उच्चतम लोक सेवा का स्वरूप इस प्रकार है-

1. **असैनिक प्रशासक-** इस वर्ग की संरचना ग्रेट ब्रिटेन के प्रशासनिक वर्ग के मॉडल को ध्यान में रखकर की गई है। इस वर्ग के सभी सदस्य एक जैसे अनुशासनात्मक नियमों के अधीन रहते हैं, तथा एक ही समूह एवं आजीवन सेवा का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह एक ही कोर्प्स के सदस्य माने जाते हैं, भले ही इनका सम्बन्ध किसी भी विभाग से हो। इनकी सेवायें पाँच रैंक में विभाजित हैं- Administrators-adjoint, Administrative Class iii, Administrative Class ii, Administrative Class i and Class Exceptional. मार्शल डेबरे के अनुसार प्रशासनिक मामलों के व्यवहारों को सरकार की सामान्य नीति के अनुरूप ढालना, कानूनों और नियमों का प्रारूप तैयार करना, उनके कार्यान्वयन के लिए निर्देश तैयार करना तथा लोक सेवाओं के मध्य समन्वय पैदा करना, असैनिक प्रशासकों का उत्तरदायित्व है। प्रशासनिक श्रेणी के अधिकारियों का काम प्रशासनिक आधार पर लिये गये निर्णयों तथा निर्मित की गई नीतियों के अनुसार कार्यों का कार्यान्वयन करना होता है। इस वर्ग के कर्मचारी अत्यन्त शिक्षित, योग्य, प्रशिक्षित और गतिशील होते हैं।
2. **निष्पादक सचिव-** यह फ्रांस की उच्च सेवाओं की द्वितीय श्रेणी है। यह ग्रेट ब्रिटेन के निष्पादक वर्ग से समानता रखती है। इस श्रेणी में सभी उच्चतर गैर लिपिकीय कार्य, जैसे अनुवादक कार्य, लेखा कार्य शामिल कर लिये जाते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा इस श्रेणी के सदस्यों की भर्ती की जाती है।

3. **एकीकृत प्रशासनिक सेवा-** फ्रांस में स्थायी सचिव के रूप में एक ही कार्यालय का विकास नहीं हो पाया है। सभी मंत्रालयों में अनेक निदेशालय हैं तथा प्रत्येक की अध्यक्षता एक महानिदेशक करता है। इस पद पर आने वाला अधिकारी ग्राण्ड कोर्प्स का सदस्य होता है।
4. **कोर्प्स का अस्तित्व-** फ्रांस में लोक सेवाओं के पुनर्गठन के बाद भी कोर्प्स का महत्व कम नहीं हुआ है। यद्यपि कोर्प्स की व्यवस्था ने लोक सेवा के विकास के प्रवाह को रोका है, लेकिन फ्रेंच राजनीतिज्ञों तथा प्रशासनिक चिन्तकों ने कोर्प्स को एक बहुमूल्य विरासत के रूप में संजोये रखा है। इस फैसले के कुछ बुरे परिणाम भी निकले हैं-लोक सेवा के बहाव में रूकावट आयी है। उच्च स्तर पर प्रशासनिक एकरूपता नहीं आ सकी। सभी कोर्प्स पर अधिकारियों का अधिकार है, परिणाम स्वरूप पदोन्नति व्यवस्था महत्वपहीन हो गई है। कुल मिलाकर कोर्प्स व्यवस्था पूरी तरह फ्रांस लोकसेवा पर हावी है।

8.9 पद वर्गीकरण का मूल्यांकन

1. समालोचकों द्वारा यद्यपि पद वर्गीकरण को लोक सेवा के विकास के लिए अनिवार्य बताया है, लेकिन समय-समय पर इस सिद्धान्त की अलोचना भी की है। जिन बिन्दुओं पर पद वर्गीकरण की ओलाचना हुई है, वे इस प्रकार हैं-
 - आलोचकों की मान्यता यह है कि पद वर्गीकरण का आधार वैज्ञानिक नहीं है।
 - पद वर्गीकरण में ग्रेडों की संख्या बहुत अधिक है। भारत में ऐसे ग्रेडों की संख्या 36 है।
 - पद वर्गीकरण के कारण एक सेवा में कार्य करने वाले कर्मचारियों को दूसरी सेवा में कार्य करने का कोई अधिकार नहीं होता है, यद्यपि सेवा के नियम सबके लिये एक होते हैं, जिनको 'सिविल सर्विस नियम' कहा जाता है।
 - ऐपल्बी ने भारतीय वर्गीकरण व्यवस्था के छः दोष बताए हैं' कठोरता; बौद्धिक अनुप्रेरणा; बड़ी सीमा तक श्रंखलाग्रस्त; अन्तर- विभागीय ईर्ष्या; सामान्य लोगों से प्रभावित; तथा विकास के प्रवाह में बाधिता।
2. भारतीय परिवेश में पद वर्गीकरण- इस प्रश्न पर कि क्या भारतीय परिवेश में लोक सेवा के क्षेत्र में पद वर्गीकरण लागू किया जाना चाहिये? वास्तव में यह प्रश्न आज भारत में विवादास्पद बना हुआ है। विशिष्ट सेवाओं द्वारा इसका समर्थन किया जाता है, लेकिन सामान्य सेवाओं के क्षेत्र में इसका विरोध होता रहा है। यहाँ यह याद रखना होगा कि प्रशासनिक सुधार आयोग (1966-70) द्वारा पद वर्गीकरण पद्धति का समर्थन किया गया था।

वास्तविकता यह है कि पद वर्गीकरण की जड़े पूरी भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत गहरी हैं। उनको एक झटके से उखाड़ फेंकना असंभव है। और यदि यह संभव हो भी जाए तब उसकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी, यह किसी को मालूम नहीं है। समालोचकों का मानना है कि इस सम्बन्ध में कोई निश्चित निर्णय लेने के पूर्व पद-वर्गीकरण के सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक पक्ष का पूर्ण परीक्षण अनिवार्य है।

अभ्यास प्रश्न-

1. पद वर्गीकरण में 'कोर्प्स' शब्द का प्रयोग किस देश ने किया?

क. अमरीका	ख. फ्रांस
ग. ब्रिटेन	घ. रूस
2. वर्गीकरण में पदों का सम्बन्ध किससे है?

क. शक्ति से	ख. प्रभाव से
-------------	--------------

- ग. उत्तरदायित्व से घ. अधिकार से
3. किसके शासनकाल में संविदाबद्ध (Covenant) तथा असंविदाबद्ध (Unconvenant) की परम्परा पड़ी?
4. क. ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन काल में ख. ब्रिटिश शासनकाल में
ग. मुगल शासनकाल में घ. 1947 के बाद भारतीय शासन के आरम्भिक काल में
5. भारत में पर वर्गीकरण का आधार क्या है?
क. सेवा ख. वेतन
ग. ग्रेड घ. अधिकार
6. पद वर्गीकरण के आधार पर भारत में कितने प्रकार की भारतीय लोक सेवायें हैं?
क. पाँच प्रकार की ख. छः प्रकार की
ग. चार प्रकार की घ. दो प्रकार की

8.10 सारांश

लोक प्रशासन में पद वर्गीकरण सभी विकसित और विकासशील देशों की विशेषता है। आज यह लोग सेवाओं का एक अभिन्न अंग है। संसार में पद वर्गीकरण की विशेषताएं, उसके सिद्धांत और उसके सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलू इस प्रकार हैं-

- लोक सेवा की भाषा में पद वर्गीकरण का अर्थ है “तुलनात्मक कठिनाइयों एवं उत्तरदायित्वों के अनुसार पद सोपनियता के आधार पर पदों को छांटना और श्रेणीबद्ध करना।”
- वर्गीकरण का तात्पर्य यह है कि समान कार्य तथा समान उत्तरदायित्व वाले पद एक ही श्रेणी में रखे जाएं, चाहे वे किसी विभाग अथवा सेवा से जुड़े हों।
- पदों का संबंध उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों से है। इसमें योग्यता का भी समावेश रहता है। वर्गीकरण सदा पदों का होता है, और पद सदा विद्यमान रहता है, भले ही पद रिक्त ही रहें।
- आज के विषम समाज में पद वर्गीकरण का महत्व बहुत बढ़ गया है। लाखों लोक सेविओं को श्रेणीबद्ध करके उन्हें पहचानने में सुविधा होती है। लोक सेवकों की सेवा शर्तों को सरलता से सुलझाने में वर्गीकरण की एक अहम भूमिका रहती है।
- वर्गीकरण कुछ निश्चित सिद्धांतों पर किया जाता है। इनमें सेवा, विषय या कर्म क्षेत्र, नियंत्रण एवं निरीक्षण का मापदण्ड, कार्य की प्रकृति, योग्यता इत्यादि मुख्य हैं।
- पद वर्गीकरण की उपयोगिता को लगभग सभी देशों तथा प्रशासनिक विचारकों ने स्वीकार किया है। मैक्स बेबर ने लोक सेवाओं को “तार्किकता” से जोड़ कर एक तरह लोक सेवा के औचित्य को स्वीकार किया।
- पद वर्गीकरण से भर्ती का सरलीकरण, प्रशासनिक स्पष्टता, पदोन्नति में सुविधा, बजट बनाने में आसानी, लोक सेवा में सहयोग एवं समन्वय तथा कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का स्पष्ट विभाजन होता है।
- वर्गीकरण की सफलता के लिए कुछ शर्तों को स्वीकार करना पड़ता है, जैसे वर्गीकरण स्पष्ट होना चाहिए। प्रत्येक श्रेणी की अलग-अलग व्याख्या होनी चाहिए। पदोन्नति निश्चित एवं स्पष्ट होने चाहिए। भ्रमित करने वाले न हों।

- पद वर्गीकरण के अनेक नकारात्मक पहलू हैं, जैसे कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का स्पष्ट निर्धारण करना संभव नहीं है। यह सिद्धान्त कर्मचारियों में असंतोष पैदा करता है। यह व्यवस्था मनुष्य को एक मशीन बना देती है, जिससे मनोवैज्ञानिक तनाव पैदा होता है। पद वर्गीकरण विकास की गति के साथ गतिशील नहीं है, जिससे विकास में एक बांधा आती है।
- भारत को पद वर्गीकरण की व्यवस्था विरासत में मिली है। पहले 'कंवेनेन्टेड' तथा 'अनकंवेनेन्टेड' की परम्परा को ग्रहण किया गया। तत्पश्चात् 'राजपत्रित' और 'अराजपत्रित' वर्ग सामने आये जो आज भी लोक सेवा में विद्यमान हैं। 1930 के बाद भारतीय लोक सेवाओं को 'अखिल भारतीय' तथा 'केन्द्रीय' वर्गों में विभक्त किया गया।
- ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ऐसे दो देश हैं, जहाँ से लोक सेवा में पद वर्गीकरण की परम्परा शुरू हुई। ब्रिटेन में प्रशासनिक लोक सेवाओं को श्रेणियों, सेवाओं, ग्रेड्स तथा कोर्प्स में विभाजित किया गया है। इनमें कोर्प्स सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई है।
- पद वर्गीकरण के कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। यह सिद्धान्त वैज्ञानिक नहीं है। वर्गीकरण में ग्रेडों से संख्या बहुत होती है, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा होती है। लोक सेवा के अधिकारियों को दूसरी सेवा में जाने का अवसर नहीं मिलता, जिनसे उनका प्रशासनिक जीवन निरीह हो जाता है।
- नकारात्मक पहलू होने के बाद भी पद वर्गीकरण का महत्व कम नहीं आंका जा सकता। अभी तक इस सिद्धान्त का विकल्प नहीं खोजा जा सका है।

8.11 शब्दावली

कोर्प्स (Copers)- लोक प्रशासन के क्षेत्र में यह एक फ्रेंच शब्द है, जिसका अर्थ है विभागों का समूह। फ्रेंच लोक सेवा में पद वर्गीकरण की दृष्टि से कोर्प्स सब से बड़ी इकाई है और उच्च लोक सेवक किसी न किसी कोर्प्स से जुड़े रहते हैं।

स्थिति वर्गीकरण (Rank Classification)- अधिकारी का दर्जा या उसकी स्थिति वर्गीकरण का आधार होता है।
दायित्व वर्गीकरण (Duty Classification)- इसका अर्थ है कि लोक सेवा में पद का सम्बन्ध व्यक्ति से न होकर दायित्वों से होता है। दायित्वों की भिन्नता पदों की विभिन्नता को दर्शाती है।

8.12 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. ख, 2. ग, 3. क, 4. क, 5. ख

8.13 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. सुब्रह्मण्यम, बी: भारतीय प्रशासन, 1974
2. अवस्थी-अवस्थी: भारतीय प्रशासन, 1997
3. त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी: तुलनात्मक लोक प्रशासन।
4. डिमॉक, एम.ई.: मॉडर्न पॉलिटिक्स एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन।
5. फड़िया, बाबू लाल: भारत में लोक प्रशासन, 1993

8.14 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

Ferrel Heady : Public Administration : A Comparative Perspective.

White, L.D. : Introduction to the Study of Public Administration.

F. Ridley and J. Blondel : Public Administration in France.

8.15 निबन्धात्मक प्रश्न

1. पद वर्गीकरण के अर्थ को स्पष्ट करते हुए पद वर्गीकरण के सिद्धान्तों की वयाख्या कीजिए।
2. पद वर्गीकरण के क्या लाभ हैं? तथा भारत में लोक सेवा में पद वर्गीकरण की स्थिति क्या है?
3. ग्रेट ब्रिटेन तथा फ्रांस में पद वर्गीकरण की में तुलना कीजिये।

इकाई- 9 सामान्यज्ञ बनाम विशेषज्ञ

इकाई की संरचना

- 9.0 प्रस्तावना
- 9.1 उद्देश्य
- 9.2 सामान्यज्ञ बनाम विशेषज्ञ: चरित्र-चित्रण
 - 9.2.1 विशेषज्ञ: प्रकृति और आचरण
 - 9.2.2 विशेषज्ञ और सामान्यज्ञ में अन्तर
- 9.3 सामान्यज्ञ बनाम विशेषज्ञ विवाद
- 9.4 अपनी श्रेष्ठता के सम्बन्ध में सामान्यज्ञों के तर्क
- 9.5 विशेषज्ञों के तर्क
- 9.6 विवाद का समाधान
- 9.7 प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 के सुझाव
- 9.8 भारत सरकार की ओर से विवाद के समाधान के लिए पहल
- 9.9 निष्कर्ष
- 9.10 सारांश
- 9.11 शब्दावली
- 9.12 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 9.13 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 9.14 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 9.15 निबन्धात्मक प्रश्न

9.0 प्रस्तावना

सामान्यज्ञ बनाम विशेषज्ञ का विवाद ब्रिटेन की फुल्टन, समिति 1965 की देन है, जिसने पहली बार सामान्यज्ञ तथा विशेषज्ञ नामों को अपने प्रतिवेदन में उदघृत किया। भारत में यह विवाद ब्रिटेन से ही आया है। विवाद केवल यह है कि अधिक महत्व किसका है? सामान्यज्ञ का या विशेषज्ञ का, विशेष रूप से शासकीय व्यवस्था के संदर्भ में। सामान्यज्ञ के तर्क हैं कि प्रशासन बिना उनके नहीं चल सकता; नीति-निर्माता वही हैं; वही मंत्रियों को परामर्श देते हैं, इसलिए वे श्रेष्ठ हैं; वे गरिमामय हैं और वे प्रतिष्ठित हैं।

विशेषज्ञों का तर्क है कि वे भी अपने क्षेत्र में दक्ष हैं, वे यांत्रिकी में निपुण हैं, देश का आर्थिक, वैज्ञानिक और संरचनात्मक विकास उनके कन्धों पर है। लेकिन सरकार सामान्यज्ञों की तुलना में उनकी अवहेलना करती है, वेतन, भत्ते और अन्य सुख सुविधाओं में वे सामान्यज्ञों से पिछड़े हुये हैं। इस तरह यह विवाद विशेषज्ञों में एक मनोसंकट की स्थिति पैदा करता है, जो विकास में बाधा पहुँचाता है।

9.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करके के उपरान्त आप-

- सामान्यज्ञ तथा विशेषज्ञ का अर्थ समझ सकेंगे।
- सामान्यज्ञ तथा विशेषज्ञ विवाद का कारण और परिणाम समझ सकेंगे।
- अपने-अपने पक्ष में सामान्यज्ञों और विशेषज्ञताओं के तर्क जान पायेंगे।

- विवाद को सुलझाने के लिए सरकार की ओर से क्या उपाय सुझाये गये हैं, इनकी जानकारी ले सकेंगे।
- विवाद के समाधान के लिए विभिन्न आयोगों की क्या सिफारिशें हैं, उनसे परिचित होंगे।

9.2 सामान्यज्ञ बनाम विशेषज्ञ: चरित्र-चित्रण

लोक प्रशासन की सरलतम भाषा में सामान्यज्ञ वे प्रशासनिक कर्मचारीगण (Personnel) हैं, जो राज्य की प्रशासनिक सेवाओं को अन्जाम देते हैं। इनका इतिहास उतना ही पुराना है, जितनी पुरानी आधुनिक सभ्यता। कौटिल्य ने अपने विश्व प्रसिद्ध ग्रन्थ अर्थशास्त्र में राज्य के जिन महत्वपूर्ण कर्मियों को राज्य की प्रगति के लिए अनिवार्य बताया था, वे यही सामान्यज्ञ थे। भारत में चाहे मुस्लिम काल हो या मुगलकाल हर चरण में सामान्यज्ञ प्रशासकों का वरचस्व बना रहा। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के दौर में भी लूट प्रथा के अनुसार एक तरह से प्रशासनिक सत्ता सामान्यज्ञों के हाथ में थी। 1858 में जब ताज या ब्रिटिश संसद के हाथों में भारतीय शासन की बागडोर आई तो प्रशासन का वह सारा स्वरूप जो ब्रिटेन की विशेषता थी, भारत पर छा गया। इस नये ब्रितानी स्वरूप को लोक सेवा, नौकरशाही अथवा नागरिक सेवा का नाम दिया गया, जिसका आधार आई.सी.एस. अधिकारी थे।

आरंभ में इंग्लैण्ड के 20-21 वर्ष के शिक्षित, प्रतिभाशाली युवाओं को आई.सी.एस. की प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के बाद भारत में प्रशासनिक लोक सेवा के लिए चुना जाता था। यह अधिकारी एक निश्चित उद्देश्य-ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा एवं सेवा तथा आत्महित के लिए भारत आते थे और निश्चित समय तक सेवा करके अपने देश लौट जाते थे। यह अधिकारी स्वयं को बहुत श्रेष्ठ समझते थे और इसी श्रेष्ठता के भ्रम से ग्रस्त रहकर प्रशासन करते थे। इन्होंने कभी भी भारत को आत्मसात नहीं किया, बल्कि पूरी तरह सामाजिक अलगाव की नींव डालकर भारत से विदा होते थे।

ब्रिटिश आई.सी.एस. की इस मानसिकता और आचरण ने धीरे-धीरे भारतीयों को विचलित करना आरंभ कर दिया। लोक सेवा के भारतीयकरण की मांग तेज होने लगी। भारतीयों की मांग को गम्भीरता से लिया जाने लगा। 1886 में चार्ल्स एचीसन की अध्यक्षता में एक आयोग स्थापित किया गया। इस आयोग ने सामान्य लोक सेवा को भारतीय नागरिक सेवा, प्रान्तीय सेवा तथा अधीनस्थ सेवा में वर्गीकृत कर दिया। तत्पश्चात् माण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर 1919 में लोक सेवा की परीक्षा इंग्लैण्ड और भारत में एक साथ ली जाने लगी, और इस तरह भारतीय लोक सेवा में भारतीयों की संख्या बढ़ाने का रास्ता खुला। जब लोक सेवा के भारतीयकरण की मांग और तेज हो गयी तो लार्ड ली आयोग की स्थापना की गई। इसका परिणाम यह निकला कि 1935 से लोक सेवाओं के भारतीय करण का मार्ग पूरी तरह प्रशस्त हो गया। स्वतन्त्रता के बाद आई.सी.एस. के स्थान पर नवीन अखिल भारतीय सेवाएँ, यथा- आई.ए.एस. और आई.पी.एस. की स्थापना की गयी। 1951 में आई.एफ.एस. की सेवा भी अस्तित्व में आ गयी।

यह सब कुछ लिखने का उद्देश्य यह है कि समय के साथ-साथ राजनीतिक सत्ता और व्यवस्था बदलने के बाद यद्यपि प्रशासनिक क्षेत्र में मानवीय तत्व बदल गये, संरचना बदल गयी, लक्ष्य बदल गये, लेकिन जो नहीं बदल सकी, वह है लोक सेवियों की मानसिकता और उनका आचरण। लोक सेवा ने पूरी तरह नौकरशाही का चोला पहन लिया है। ब्रिटिश काल में इसने अभिजात वर्ग (Elite Class) का रूप धारण कर लिया था, लेकिन अब क्योंकि नौकरशाही मध्यवर्ग से है, इसलिए यह अभिजात वर्गीय तो नहीं हो सकी, लेकिन वो स्वयं को श्रेष्ठतम् समझने लगी। आज भी यह साधारण लोगों से दूर सिविल लायंस के विशाल बंगलों में निवास करती है। एक मंत्री से मिलना आसान है, लेकिन एक जिलाधीश या कमीशनर से मिलना बहुत कठिन है।

9.2.1 विशेषज्ञ: प्रकृति और आचरण

यूरोप में औद्योगिक क्रान्ति के कारण राज्य में एक नया वर्ग उदित हुआ। यह वर्ग था तकनीशियनों, वैज्ञानिकों, विधिशास्त्रियों और अर्थशास्त्रियों का। ये वे वर्ग थे जो उद्योगों के क्षेत्र में अपना सक्रिय योगदान देते थे। आगे चलकर इन्हीं वर्गों में स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित कर्मी भी जुड़ गये। जैसे-जैसे आर्थिक जगत का विकास होता गया, इन कर्मियों का भी महत्व बढ़ता गया। यहाँ तक कि जहाँ लोक सेवकों को सामान्यतः कहा गया, इन विशिष्ट कर्मियों को विशेषज्ञ कहा जाने लगा। इस तरह शासकीय समाज तकनीकी दृष्टि से सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ में आज विभक्त हो चुका है।

‘सामान्यवादी’ एवं ‘विशेषज्ञ’ शब्दों की कोई स्पष्ट सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। समझ में केवल इतना ही आ सकता है कि जो लोक सेवा में प्रतियोगी परीक्षा द्वारा चयनित होते हैं, वे सामान्यज्ञ की श्रेणी में आते हैं। इनकी कोई विशेष पृष्ठभूमि नहीं होती और यह सरलता से नियमानुसार शासन के एक विभाग या शाखा से दूसरे विभाग में स्थानान्तरित होते रहते हैं। अधिकांशतः इनका कार्य प्रबन्धन का होता है। कुछ समालोचकों का मानना है कि इनका कार्यक्षेत्र पोस्टकोर्ब (POSDCORB)- नियोजन, संगठन, पर्यवेक्षण, निर्देशन, समन्वय, प्रतिवेदन तथा बजट-निर्माण की परिधि में आता है।

यदि सामान्यज्ञ को समझ लिया जाये तो विशेषज्ञ को समझना आसान होगा। एक लोक सेवक (IAS) किसी एक प्रशासनिक कार्य में निपुण, दक्ष और अनुभवी हो जाए, तब उसे भी विशेषज्ञ माना जाएगा। लेकिन सामान्यतः वो अधिकारी जो अपनी विशिष्ट तकनीकी शिक्षा के आधार पर लोक सेवा आयोग से प्रतियोगी परीक्षा द्वारा चयनित होता है और चयन के बाद प्रशिक्षण की प्रक्रिया से गुजर कर वह विशिष्ट तकनीकी पद पर नियुक्त होता है और उसी विशेष विभाग में उसकी पदोन्नति होती रहती है, तो वह अधिकारी विशेषज्ञ कहलाएगा। इस तरह विशेषज्ञ को जो बात सामान्यज्ञ से पृथक करती है, वह है उसकी विशिष्ट शिक्षा और प्रशिक्षण। विशेषज्ञ अपने क्षेत्र में ‘दक्ष’, तकनीकी दृष्टि से प्रतिभाशाली और समय के साथ अनुभवी होता है।

भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने विशेषज्ञ सेवाओं को कार्यात्मक सेवाओं की संज्ञा दी है। फुल्टन समिति (ब्रिटेन की लोक-सेवा समिति, 1966-68) ने उन कर्मचारियों को विशेषज्ञों का नाम दिया है, जो अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार शासन में एक से अधिक विभिन्न पदों पर कार्य करते हैं। इस श्रेणी के अधीन अधिवक्ता, चिकित्सक, अभियान्त्रिक, वैज्ञानिक, लेखाकार, अर्थशास्त्री, ड्राफ्टमैन आदि आते हैं।

9.2.2 विशेषज्ञ और सामान्यज्ञ में अन्तर

संक्षेप में सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ का अंतर स्पष्ट करना जरूरी है। भारतीय लोक-प्रशासन संस्थान ने सेवीवर्ग प्रशासन पर एक सेमीनार का आयोजन किया था। विषय था ‘सामान्यवादी अधिकारियों’ एवं ‘विशेषज्ञ’ अधिकारियों को परिभाषित करना।’ यद्यपि सेमीनार इस उद्देश्य में असफल रहा, लेकिन कुछ तथ्य स्पष्ट हुए-

- ऐसे तमाम लोक सेवक जिन्होंने अखिल भारतीय लोक सेवा की अनिवार्य प्रतियोगिता सम्बन्धी शिक्षा प्राप्त की हो, तथा तत्पश्चात् अनिवार्य प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, उनको चयनित और प्रशिक्षित करके मध्यस्तरीय निरीक्षणात्मक पदों पर नियुक्त कर दिया जाता है, ऐसे कर्मचारी को सामान्यज्ञ अधिकारी कहा जाता है। इन अधिकारियों के लिए सामान्यतः अनिवार्य तकनीकी या व्यावसायिक अर्हतायें निर्धारित नहीं है।
- दूसरी व्यवस्था यह है कि मध्यस्तरीय पदों पर ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है, जिन्होंने सम्बन्धित पद के लिए निर्धारित अनिवार्य तकनीकी या व्यावसायिक योग्यता प्राप्त की हो। ये व्यक्ति अपनी शिक्षा एवं विशिष्टता के आधार पर उन्हीं पदों पर नियुक्त होते हैं, जिनके लिए इनका चयन हुआ है। ऐसे

अधिकारियों को विशेषज्ञ कहा जाता है। इनके कार्य अपनी प्रकृति से तकनीकी होते हैं। यह अपने कार्यक्षेत्र में 'दक्ष' या माहिर होते हैं, इसलिए इनको विशेषज्ञ का दर्जा दिया गया है।

9.3 सामान्यज्ञ बनाम विशेषज्ञ विवाद

विवाद चाहें कहीं भी हों-व्यक्तियों के मध्य, दलों के मध्य या वर्गों के मध्य, उनके कारण चार हो सकते हैं- मनोवैज्ञानिक, भौतिक, कार्यात्मक अथवा परिस्थितियां। कहीं न कहीं यह चारों कारण सामान्यज्ञ तथा विशेषज्ञ के टकराव में भी देखने को मिलते हैं। विश्व के अनेक लोकतांत्रिक देशों की प्रशासनिक व्यवस्था में सामान्यज्ञ एवं विशेषज्ञों के मध्य अनेक मुद्दों पर विवाद और टकराव की समस्या व्याप्त है। विशेष तौर से इंग्लैण्ड, अमरीका और भारत इस प्रशासनिक द्वन्द से पूरी तरह ग्रस्त हैं। इस विवाद की पृष्ठभूमि 1965 में ब्रिटेन की 'फुल्टन समिति' ने तैयार की थी। उसने अपनी सिफारिश में पहली बार 'सामान्यज्ञ' तथा 'विशेषज्ञ' शब्दों का प्रयोग किया और दोनों वर्गों के कार्यों एवं दायित्वों का विश्लेषण करते हुए 'सामान्यज्ञ' की श्रेष्ठता को इंगित करके दोनों वर्गों में टकराव और द्वन्द को हवा दे दी। संघर्ष की यह बीमारी भारत में भी पहुँच गई, यहाँ तक कि इस विवाद ने डॉ० शाह को आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया, जिसके फलस्वरूप देश में इंजीनियरों ने हड़ताल कर दी।

सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ के मध्य संघर्ष के अनेक कारण हैं। इनमें पहला है- मनोवैज्ञानिक, दूसरा भौतिक है, तीसरा कार्यात्मक और चौथा परिस्थितियां।

1. **मनोवैज्ञानिक कारण-** अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से, अपनी परम्पराओं से, अपनी विरासत से और अपनी मानसिकता से सामान्यज्ञ स्वयं को श्रेष्ठतम समझता है, न केवल किसी एक वर्ग के मुकाबले बल्कि पूरे समाज के संदर्भ में। इंग्लैण्ड में जहाँ इसका विधिवत् जन्म हुआ, वहाँ इसने बहुत जल्दी अभिजात वर्ग का रूप ले लिया; स्वयं को 'स्वर्ग-जन्मा' मानने लगा; उपनिवेशों में इस वर्ग के अधिकारियों ने केवल स्वामियों की तरह ही व्यवहार किया और उपनिवेशी निवासियों को लगभग अपना गुलाम बना लिया। आश्चर्य की बात यह है कि जब लोक सेवाओं का भारतीयकरण हो गया और भारतीय युवा आई.सी.एस. की परीक्षा उत्तीर्ण करके विभिन्न पदों पर अधिकारी बने तो उन्हें भी अंग्रेजों के रंग-रूप को छोड़कर वह सब कुछ विरासत के रूप में ग्रहण कर लिया जो नौकरशाही की पहचान थी।

स्वतन्त्रता के बाद भी स्थिति नहीं बदली। केवल आई.सी.एस. का नाम आई.ए.एस. हो गया। मानसिकता ज्यों की त्यों वही बनी रही। भारतीय आई.ए.एस. अधिकारी, पूरी तरह 'उत्कृष्ट मनोग्रंथि' के आवेश में जकड़े रहे। उनकी 'सनक' (Complex) में कोई सुधार नहीं हुआ।

दूसरी ओर विशेषज्ञ सामान्यज्ञ की मानसिकता के विरुद्ध प्रतिकार (Counter-reaction) भावना से मजबूर होकर मनःसंकट (Psychic Crisis) में पहुँच जाते हैं। वे किसी भी रूप में स्वयं को कमतर नहीं समझते हैं, और किसी भी स्थिति में वे सामान्यज्ञों के आधिपत्य में रहना सहन नहीं कर सकते। तब सामान्यज्ञों और विशेषज्ञों में टकराव होना स्वाभाविक है। सामान्यज्ञों की प्रतिष्ठा को सदा बनाए रखना और विशेषज्ञों को उनके अधीन रखना अन्याय है।

2. **भौतिक कारण-** भौतिक कारणों को आर्थिक भी कहा जा सकता है। भौतिक कारणों में सबसे अहम वेतन विसंगतियाँ हैं। विशेषज्ञों का तर्क है कि उनके कार्य और उत्तरदायित्व किसी भी रूप में सामान्यज्ञों (आई.ए.एस.) से कम नहीं है। उनका कहना है कि वे दक्षता के ऐसे कार्य करते हैं, जो सामान्यज्ञ नहीं कर सकते, जबकि वे सामान्यज्ञों के प्रशासनिक कार्यों को पूरी निपुणता के साथ अंजाम दे सकते हैं। लेकिन ऐसा होने पर भी सामान्यज्ञों को विशेषज्ञों की तुलना में वेतन अधिक दिया जाता है तथा उनको तरह-तरह के भत्ते भी दिए जाते हैं। पदोन्नति के मामले में भी सामान्यज्ञ अधिक भाग्यशाली हैं। एक आई.ए.एस. को जल्दी-जल्दी पदोन्नति देकर 5 वर्ष बाद जिलाधीश व 15 वर्ष के बाद केन्द्र सरकार में सह-सचिव तथा

राज्य में आयुक्त बना दिया जाता है। इसके विपरीत विशेषज्ञ को उच्च पद पर पहुँचते-पहुँचते 20-25 वर्ष लग जाते हैं।

3. **कार्यात्मक कारण-** कार्यात्मक कारण में मुख्य मुद्दा नीति-निर्माण और निर्णय-निर्माण के क्षेत्र का है। नीति-निर्माण अथवा निर्णय-निर्माण का कार्य सामान्यज्ञों को मिला हुआ है। यहाँ तर्क यह है कि विशेषज्ञों द्वारा एकत्रित तथ्यों एवं आंकड़ों के आधार पर जो कुल कार्य का 90 प्रतिशत है, सामान्यज्ञ निर्णय-निर्माण और नीति-निर्माण का काम करके अपने महत्व और श्रेष्ठता को सिद्ध करते हैं। यह अनुचित और अतार्किक है। विशेषज्ञों का तर्क है कि नीति-निर्माण का काम भी विशेषज्ञ को मिलना चाहिए, जिसमें उनकी भूमिका अधिक रहती है। विशेषज्ञों का यह तर्क तो उचित है, लेकिन शासन स्तर पर केवल सामान्यज्ञ को दक्षता और श्रेष्ठता को स्वीकार किया जाता है। ऐसी स्थिति में दोनों वर्गों में टकराव होना स्वाभाविक है।
4. **परिस्थितिय कारण-** शासन में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक संगठन अथवा निकाय है, जिसे सचिवालय कहते हैं। केन्द्र और राज्य के सचिवालय शासन के विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े होते हैं। मंत्रालयों में मंत्री होते हैं, लेकिन सचिवालयों में सचिवों की एक शृंखला होती है। इन सचिवों एवं मंत्रियों में एक प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है, जो संवाद और सूचना के माध्यम से निरन्तर जारी रहता है। यह सचिव सामान्यज्ञ से होते हैं और क्योंकि वे प्रत्यक्ष रूप से मंत्रियों के सम्पर्क में रहते हैं, इसलिए इनका महत्व भी अधिक हो जाता है।

दूसरी ओर प्रत्येक राज्य और केन्द्र में मुख्यालय स्तर पर निदेशालय होते हैं, जिनके मुखिया निदेशक होते हैं। स्थिति यह होती है कि सचिव और निदेशक का रिश्ता पदसोपनीय आधार पर होता है। एक तरह से निदेशक सचिव के अधीन होता है। वह अपनी मर्जी से अपने विभाग के मंत्री से नहीं मिल सकता है। यदि मंत्री चाहता है तो वह निदेशक को बुलाकर बात कर सकता है लेकिन प्रायः वह विभाग के सचिव के माध्यम से ही राजनीतिक स्तर पर बात करता है। क्योंकि निदेशक विशेषज्ञ होता है और विभाग का अधिकांश कार्य निदेशालय के ही माध्यम से होता है, इसलिए विशेषज्ञ को तब बड़ी मानसिक चोट पहुँचती है, जब सामान्यज्ञ (सचिव) उसको आदेश देता है। ये ऐसा परिस्थितिय कारण है जो सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ के टकराव की तीव्रता को बढ़ाता है।

9.4 अपनी श्रेष्ठता के सम्बन्ध में सामान्यज्ञों के तर्क

सामान्यज्ञों तथा विशेषज्ञों के मध्य का विवाद तब और आसानी से समझ में आयेगा जब स्वयं इन दोनों वर्गों के प्रवक्ताओं के मन को टटोला जाए। सर्वप्रथम हम सामान्यज्ञों के तर्कों को लेते हैं-

1. सामान्यज्ञ स्वयं को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से श्रेष्ठ मानते हैं। वे अपनी श्रेष्ठता की जड़े ब्रिटिश शासन काल में खोजते हैं। वे समझते हैं कि वे ब्रिटिश लोक सेवियों (ICS) के आधिकारिक वारिस हैं। उनके मौलिक वर्ग (नौकरशाह) ब्रिटिश साम्राज्य की धरती पर ब्रिटिश राजा के शासन के बाद प्रशासन के 'शाह' हैं। उनका दावा है कि वे भारत में आज भी अपने पूर्वजों की प्रशासनिक विरासत को संजोए हुए हैं।
2. सामान्यज्ञों का दूसरा तर्क यह है कि वे ऐसे प्रशासनिक काम करते हैं जिनका सीधा सम्बन्ध जनहित से है, इसलिए वे जन सम्पर्क में रहते हैं, जनता की आवश्यकताओं और इच्छाओं से परिचित रहते हैं। इसलिये, विभिन्न विभागों के निकायों पर सामान्यज्ञों का वर्चस्व स्वाभाविक होता है।
3. सामान्यज्ञों का दावा है कि नीति-निर्माण की वैधानिकता की बारीकियों को वे ही जानते हैं। यह उनका उत्तरदायित्व है कि नीतियाँ सम्बन्धी ऐसे निर्णय लें, जो कानूनी दृष्टि से सटीक हो, जो संविधान की मर्यादा को भी बनाये रखें और जिनके नतीजे जन-हित में भी हों।

4. लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनेता अपनी नीतियों, विश्वासों, विचारधाराओं तथा वायदों (मैनीफेस्टो) के आधार पर निर्वाचित होकर आते हैं तथा सत्ता ग्रहण करके उनका यह कर्तव्य होता है कि वे जनता से किए वायदों को पूरा करें। सामान्यज्ञों का कहना है कि केवल वे ही सत्ताधारियों द्वारा किये गये वायदों को पूरा कर सकते हैं। राजनेता अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए सामान्यज्ञों पर ही निर्भर रहते हैं।
5. सामान्यज्ञों का मंत्रियों से प्रत्यक्ष संवाद रहता है। विशेषज्ञों में मंत्रियों को समझाने की, विश्वास दिलाने की अथवा आश्चस्त करने की महारत नहीं होती है। विशेषज्ञ अड़ियल और दंभी होते हैं। और वे न तो मंत्री की दशा को समझते हैं न उसको विश्वास दिला सकते हैं। वे सदा अभिनीत से प्रभावित रहकर मंत्री को परामर्श देते हैं।
6. पाल एपल्वी विशेषज्ञ को संकीर्ण प्रवृत्ति का मानता है। वह किसी भी समस्या को तकनीकी दृष्टि से देखता है, ओर उसी संदर्भ में फैसले लेता है। अतः वह लचीलेपन से दूर रहता है। नतीजा यह निकलता है कि सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ के नजरियों में सामंजस्य बिठाना कठिन होता है।

9.5 विशेषज्ञों के तर्क

1. विशेषज्ञों के भी अपने पक्ष में और सामान्यज्ञों के महत्व के विरुद्ध अनेक मजबूत तर्क हैं। उनकी पहली शिकायत ये है कि शासन की नजर में आई.ए.एस. अधिकारियों का अधिक महत्व है। सचिवालय में 50 प्रतिशत से अधिक उपसचिव जैसे उच्च पदों पर आई.ए.एस. की नियुक्ति की जाती है। नतीजा यह निकलता है कि सचिव एवं उप-सचिव के पदों पर सामान्यज्ञों के आसीन रहने से विशेषज्ञों का मंत्रियों से सीधा सम्बन्ध टूट जाता है, जिसके कारण वे तकनीकी विषयों पर अपने सुझावों और दृष्टिकोणों को मंत्रियों तक नहीं पहुँचा सकते। आज भी विशेषज्ञ राजनीतिक संवाद में सामान्यज्ञों की भूमिका अहम होती है, जिसके कारण मंत्री की नजर में सामान्यज्ञ का रूतबा बढ़ता है और विशेषज्ञों का महत्व कम हो जाता है। विशेषज्ञों का तर्क है कि राजनीतिक स्तर पर तकनीकी समस्याओं और आवश्यकताओं की सही व्याख्या केवल विशेषज्ञ ही कर सकता है, लेकिन सामान्यज्ञ उस से यह अधिकार भी छीन लेता है, जिससे समस्या की जटिलता तो बढ़ती ही है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विशेषज्ञों में हीनता की भावना पैदा होती है। और ये सच है कि किसी भी स्तर पर असंतोष, तनाव और अवसाद (कमचतमेपवद) को जन्म देता है, जो विकास के लिए घातक होता है।
2. विशेषज्ञ कहते हैं कि सामान्यज्ञ नीति-निर्माण या निर्णय निर्माण के लिए विशेषज्ञों पर निर्भर करते हैं, जो उनके द्वारा एकत्रित एवं संयोजित तथ्यों एवं आंकड़ों के आधार पर फैसले करते हैं। यदि विशेषज्ञ अपनी विशेषज्ञयी जिम्मेदारी न निभाएँ तो सामान्यज्ञ राजनीतिज्ञों के सामने असहाय हो जायेंगे।
3. विशेषज्ञों का कहना है कि तकनीकी कार्यों जैसे-कृषि, सिंचाई, आर्थिक नियोजन, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग में सामान्यज्ञ शून्य होते हैं और उनकी कोई भूमिका नहीं होती है।
4. यदि कोई कार्य या योजना सफल होती है तो उसका श्रेय राजनीतिज्ञ और सामान्यज्ञ दोनों लेते हैं, लेकिन अगर इस योजना में असफल हो गये तो सारा दोष विशेषज्ञों के सिर मढ़ दिया जाता है।
5. विशेषज्ञों का एक मजबूत तर्क ये है कि वे भी प्रशासनिक कार्यों को उतनी महारत से कर सकते हैं, जिस तरह सामान्यज्ञ करते हैं, क्योंकि उनकी नजर, तकनीकी और पैनी होती है। जबकि सामान्यज्ञ तकनीकी कामों से अनभिज्ञ होता है। लेकिन दुख की बात यह है कि सामान्यज्ञों को देश के उच्चतम पदों पर बैठाया जाता है, जबकि एक सशक्त और दक्ष विशेषज्ञ को आई.ए.एस. और आई.एफ.एस. के सामने तुच्छ समझा जाता है, भले ही वह देश का महान वैज्ञानिक हो, अर्थशास्त्री हो अथवा वह एक विश्व ख्याति का चिकित्सक हो।

6. विशेषज्ञों का दावा है कि वे ही ऐसा वर्ग हैं जो देश को विकास की बुलन्दियों तक पहुँचाने में सक्षम हैं। वो देश को सैनिक और असैनिक क्षेत्रों में सशक्त और महान बनाने की क्षमता रखते हैं। वो देश के लिए गौरवशाली काम करता है। लेकिन दुख की बात यह है कि यदि वह प्रधानमंत्री का विशेष सलाहकार भी बनता है तो भी केन्द्र के मुख्य सचिव से नीचा समझा जाता है।

उक्त बहस से यह बात साफ है कि सामान्यज्ञों तथा विशेषज्ञों के मध्य टकराव ने प्रशासकीय व्यवस्था को प्रभावित किया है, जिसके प्रतिकूल परिणाम सामने आए हैं। उदाहरण के लिए विकास के कार्यों (निर्माण कार्य) में वित्त निर्गत न करके सामान्यज्ञ, विशेषज्ञों के काम में बाधा पहुँचाते हैं। बदले में विकास कार्यों में सुस्ती लाकर विशेषज्ञ नीतियों के कार्यान्वयन में विलम्ब करते हैं। और इस तरह आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो जाता है।

9.6 विवाद का समाधान

शासन के स्तर पर सामान्यज्ञों तथा विशेषज्ञों के विवाद की तीव्रता को देखते हुए, समस्या को गंभीरता से लिया गया है। उसने समय-समय पर यह स्वीकार किया है कि इस विवाद में एक प्रशासनिक संकट का रूप ले लिया है। अतः शासन की ओर से इस समस्या के तार्किक समाधान के लिए अनेक परामर्शदात्री समितियों की स्थापना की गई। विशेष रूप से इनमें संसदीय समितियाँ थीं, जिन्होंने इस द्वन्द्व के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया है, और इस दृष्टि से प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। सारांश में ऐसी समितियों के सुझाव इस प्रकार हैं-

1. योजना आयोग (1959) की एक सिफारिश में सुझाव दिया गया कि प्रशासन के पुरातन संगठन में इस तरह संशोधित किया जाए कि विशेषज्ञ प्रशासन के सभी स्तरों पर, उत्तरदायित्व पूर्ण ढंग से अपना योगदान प्रदान कर सकें।
2. द्वितीय वेतन आयोग ने सुझाव दिया कि जिस विभाग का कार्य मुख्यतः तकनीकी हो, उस विभाग का सचिव ऐसा व्यक्ति हो, जो प्रशासनिक योग्यता भी रखता हो और क्षेत्र विशेष में तकनीकी ज्ञान भी रखता हो।
3. संसद की प्राक्कलन समिति ने 1969 में अपनी सिफारिश में कहा कि सरकार को चाहिए कि वह वैज्ञानिक, औद्योगिक एवं तकनीकी विषयों से सम्बद्ध विभागों के प्रशासनिक अध्यक्षों के रूप में तकनीकी पृष्ठभूमि वाले अधिकारियों की भर्ती करे।
4. तृतीय वेतन आयोग ने 1973 के अपने प्रतिवेदन में कहा कि वह प्रशासनिक सेवा में सामान्यज्ञों तथा विशेषज्ञों की समानता की मांग का समर्थन करते हैं। इस संदर्भ में तर्क औचित्यपूर्ण ओर प्रासंगिक हैं। आयोग ने इंजीनियरी सेवा के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा कि उनको वे सारी सुविधाएँ दी जायें जिनके वे अधिकारी हैं।
5. प्रशासनिक सुधार समिति (राजस्थान) 1962 ने सिफारिश की कि तकनीकी विभागाध्यक्षों को सचिवालय में नीति निर्माण में संयुक्त किया जाना चाहिए। समिति के अनुसार विभिन्न शाखाओं की चीफ इंजीनियर नीति निर्माण का काम बखूबी कर सकते हैं। ऐसी ही सिफारिश प्रशासनिक सुधार समिति ने भी की। उसने अपनी सिफारिश (1963) में कहा कि विभिन्न विभागों के चीफ इंजीनियरों को सचिवालय में पदेन सचिव तथा पदेन उपनिदेशक के पद पर लाना चाहिए।

9.6.1 प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 के सुझाव

प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 ने भारत के कार्मिक प्रशासन में सुधार और सामान्यज्ञ तथा विशेषज्ञ के द्वन्द्व से उत्पन्न समस्या के समाधान हेतु कुछ सुझाव दिए थे, जो इस प्रकार हैं-

- आई.ए.एस. सेवा के लिए एक कार्यात्मक क्षेत्र निश्चित किया जाये तथा भू-राजस्व कार्यों तथा विनियमात्मक कार्यों को शामिल किया जाए;
- लोक सेवा में वेतन क्रमों में समान उत्तरदायित्व वाले अधिकारियों को समान वेतन क्रम में रखा जाये;
- प्रथम श्रेणी के सभी पदों को समान वेतन क्रमांकों में रखा जाये;
- प्रथम श्रेणी के इंजीनियरिंग पदों पर भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से करनी चाहिए;
- प्राविधिक पदों के वरिष्ठ स्तर पर विश्व विद्यालय तथा औद्योगिक अनुभव वाले लोगों को रखा जाये;
- गैर-तकनीकी सेवाओं की परीक्षा में स्वास्थ्य (डॉक्टर) एवं प्राविधिक (इंजीनियर) विषयों को भी रखा जाए;
- केन्द्र में सचिवालय में भर्ती राज्य कर्मचारियों से की जाए;
- अनुभवी प्रशासकों एवं विशेषज्ञों की सहायता से सरकार को लोक सेवा के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार करनी चाहिए।

प्रशासनिक सुधार आयोग की दिलचस्पी सामान्यज्ञ एवं विशेषज्ञ के टकराव की समस्या को हल करने में थी। चतुर्थ वेतन आयोग (1986-87) ने 'समानता' के सिद्धान्त पर विराम लगा दिया। उसने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा: 'प्रशासनिक अधिकारियों' की श्रेष्ठता को स्वीकार करना चाहिए, विशेषज्ञों को प्रशासनिक अधिकारियों के मुकाबले वरीयता नहीं दी सकती। विशेषज्ञों को दूसरी पंक्ति में रहकर ही काम करना होगा। आयोग ने जान बूझकर विशेषज्ञों को वेतनमान कम कर दिए तथा सामान्यज्ञों के वेतन और भत्तों में बढ़ौतरी के लिए उदार रूख अपनाया। पाँचवे वेतन आयोग ने भी लगभग यही रूख अपनाया। इसका स्पष्ट कारण यह था कि आयोगों तथा वेतन आयोगों के सदस्य स्वयं सामान्यज्ञ से थे और वे राजनेताओं के अधिक समीप थे।

9.7 भारत सरकार की ओर से विवाद के समाधान के लिए पहल

भारत सरकार ने विवाद की गंभीरता और उसे बुरे परिणामों को देखते हुए समाधान हेतु अनेक कदम उठाये हैं। उनमें से महत्वपूर्ण कदम निम्नवत् हैं-

1. **कार्यकाल प्रणाली का कमजोर होना-** परम्परागत प्रणाली यह थी कि सामान्यज्ञ अधिकारियों का जिले या क्षेत्र से सचिवालय एवं सचिवालय से जिले या क्षेत्र में स्थानान्तरण किया जाता था। यह प्रणाली अब समाप्त हो गई है। अब यह स्वीकार किया जाने लगा है कि वरिष्ठ अधिकारियों को स्थायी रूप से सचिवालय में ही रखा जाये।
2. **नवीन विशेषज्ञ अखिल भारतीय एवं केन्द्रीय सेवाओं की स्थापना-** भारत शासन अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत स्वतन्त्रता से पहले काल में केवल दो अखिल भारतीय सेवाएँ थीं- भारतीय सिविल सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा। स्वतन्त्रता के बाद भारतीय सिविल सेवा के स्थान पर भारतीय प्रशासनिक सेवा अस्तित्व में आ गई। 1963 में भारतीय वन सेवा, भारतीय अभियान्त्रिकी सेवा तथा भारतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा की भी सृष्टि की गई। इस तरह नवीन अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करके विशेषज्ञ सेवाओं के महत्व को स्वीकृति मिली है। यह भी सिफारिश की गई है कि इन सेवाओं के अधिकारियों को अच्छा वेतन तथा अन्य सेवाएँ भी प्रदान की जायें ताकि इनमें श्रेष्ठता का एहसास बढ़े।
3. **प्रशासनिक दायित्व के पदों पर विशेषज्ञों की नियुक्ति-** प्रशासनिक पदों पर विशेषज्ञों की नियुक्ति सरकार की ओर से एक अच्छी पहल है। जैसे- अब अक्सर शिक्षा विभाग का सचिव शिक्षा शास्त्री या विज्ञान सम्बन्धी मामलों के विभाग का सचिव वैज्ञानिक हो सकता है, यद्यपि राज्यों में यह रूझान अभी

कम देखने को मिलता है, लेकिन कुछ राज्यों में ऐसी पहल शुभ संकेत है। योजना आयोग में तो केवल विशेषज्ञ अधिकारी ही कार्यरत हैं।

भारत सरकार की ओर से सामान्यज्ञ एवं विशेषज्ञ के विवाद को हल करने के लिए कुछ और संरचनात्मक क्षेत्र में कदम उठाने पर जोर दिया गया है, जिनके मुख्य इस प्रकार हैं-

- पृथक पद सोपान- इस व्यवस्था के अन्तर्गत विशेषज्ञों को अधिक मान्यता मिलेगी, यद्यपि वेतनक्रम सामान्य होगा। स्वीडन, पश्चिमी जर्मनी तथा ऑस्ट्रेलिया में यह प्रणाली प्रचलित हैं।
- समान्तर पद-सोपान- इस प्रणाली में महानिदेशक (विशेषज्ञ), उच्च सचिव (सामान्यज्ञ) एवं निदेशक (अधीनस्थ विशेषज्ञ), उच्च सचिव (सामान्यज्ञ) एवं निदेशक (अधीनस्थ विशेषज्ञ) अवर सचिव के साथ मिलकर काम करते हैं।
- संयुक्त पद सोपान- इस व्यवस्था में उच्च-सचिव (सामान्यज्ञ) तथा निदेशक (विशेषज्ञ) संयुक्त रूप से स्थायी सचिव (सामान्यज्ञ) के अधीन काम करते हैं। यहाँ सामान्यज्ञवादी एवं विशेषज्ञ दोनों को ही मन्त्रालय को परामर्श देने का अवसर मिलता है।
- एकीकृत पद सोपान- यह सर्वाधिक क्रान्तिकारी सुझाव है। सुझाव यह है कि सामान्य स्तर की एक प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से लोक सेवा में भर्ती की जानी चाहिए और वेतन एवं सेवा की शर्तें भी समान होनी चाहिए। इस सेवा को भारतीय संघीय सेवा का नाम दिया जा सकता है। भारत में इस प्रणाली पर मंथन हो रहा है, जबकि पाकिस्तान में अगस्त 1973 से एकीकृत लोक सेवा के निर्माण की पहल की जा चुकी है, और सभी को समान अवसर प्रदान किए गए हैं।

लेकिन भारत में वास्तविकता यह है कि सामान्यज्ञ एवं विशेषज्ञ विवाद के समाधान के लिए जो भी कदम उठाये जाते हैं, कहीं न कहीं भारतीय नौकरशाही उनमें बाधाये खड़ी कर देती है, क्योंकि निर्णय-निर्माण का अधिकार उसी को प्राप्त है जिसका विरोध करना राजनीतिक स्तर पर भी संभव नहीं है।

9.8 निष्कर्ष

ब्रिटेन, अमरीका तथा फ्रांस में सामान्यज्ञ बनाम विशेषज्ञ का विवाद काफी हद तक सुलझा लिया गया है, लेकिन भारत में यह अभी तक जारी है। स्वतंत्रता के बाद परिवर्तित परिस्थितियों ने सामान्यज्ञों और विशेषज्ञों दोनों के महत्व को स्वीकृति दी है। स्पष्ट रूप से प्रशासन में दो क्षेत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण समझे गये हैं- नीति निर्माण तथा नीति कार्यान्वयन। यह दो क्षेत्र विभिन्न विभागों के मंत्रियों को सामान्यज्ञों से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ते हैं। दोनों के मध्य सीधा संवाद होता है। सामान्यज्ञ नीति निर्माण में मंत्रियों को परामर्श देता है; मंत्रियों की अक्षमताओं, भावनाओं तथा जनता से किये गये वायदों को समझाने का प्रयास करता है। इसलिए विशेषज्ञ को नीति निर्माण का कार्य सौंपना अनुचित होगा। लेकिन इतना जरूर है कि तकनीकी क्षेत्र में सामान्यज्ञ का ज्ञान लगभग शून्य होता है। अतः यहाँ विशेषज्ञ को मंत्रियों को परामर्श देने का अधिकार मिलना चाहिए।

जहाँ तक वेतन और भत्तों तथा अन्य सुविधाओं का प्रश्न है। विशेषज्ञ को भी सामान्यज्ञ के समान वेतन तथा भत्ते मिलना चाहिए, क्योंकि विशेषज्ञ अपने कार्यालय से लेकर क्षेत्र में जाकर भी काम करता है।

जहाँ तक सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रश्न है तो यह एक स्वनिष्ठ (subjective) विषय है। समाज या कोई वर्ग अथवा स्वयं व्यक्ति दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं और क्यों सोचते हैं, यह सब कुछ परम्पराओं और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आज तक जितने नोबेल पुरस्कार मिले हैं वे लगभग विशेषज्ञों को ही मिले हैं। हमारा किसी के प्रति क्या नजरिया है, इस पर कोई पाबन्दी नहीं लगाई जा सकती। प्रतिष्ठा और महत्व को वेतन या भत्तों से नहीं मापा जा सकता।

फिर भी यह स्वीकार करना चाहिए कि परिस्थिति विशेष में अथवा समस्या विशेष के समाधान के लिए विशेषज्ञ होते हैं। ऐसी स्थिति में नीति विषयक प्रश्नों पर निर्णय लेते समय विशेषज्ञों की सलाह पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यहाँ सामान्यज्ञ की स्थिति निर्णायक की तथा विशेषज्ञ की स्थिति सलाहकार की होती है। इन दोनों के नजरियों में तारतम्य स्थापित रहना चाहिए। इसलिए सामान्यज्ञ को विशेषज्ञ से व्यवहार में अत्यंत सतर्क, ज्ञानशील तथा शालीन होना चाहिए। उसे विशेषज्ञ के आत्म-सम्मान को किसी भी तरह ठेस नहीं पहुँचाना चाहिए। जहाँ तक संभव हो दोनों के वेतन, भत्ते और अन्य भौतिक सुविधाएँ समान होना चाहिए। राजनीतिक स्तर पर भी विशेषज्ञों को पूरा सम्मान मिलना चाहिए। तकनीकी क्षेत्रों में नीति निर्णायक विशेषज्ञ होने चाहिए। सामान्यज्ञ बनाम विशेषज्ञ विवाद को चौथे वेतन आयोग की नजर से कभी भी नहीं देखना चाहिए, जिसने विवाद को कम करने के बजाये और बढ़ाया, जिसकी वजह से विशेषज्ञों की देशव्यापी हड़ताल का सामन करना पड़ा था। पाँचवें और छठे वेतन आयोग का रूख तर्क ओर न्याय पर आधारित है। इन वेतन आयोगों की सिफारिशों की रौशनी में विवाद की तीव्रता को कम किया जा सकता है।

अभ्यास प्रश्न-

- आई.ए.एस. का मौलिक नाम क्या है?

क. आई.पी.एस.	ख. आई.एफ.एस.
ग. आई.सी.एस.	घ. आई.आर.एस.
- सामान्यज्ञ का अर्थ है-

क. असैनिक कर्मचारियों का वर्ग	ख. किसी भी प्रकार के सरकारी कर्मचारी
ग. सामान्य कार्यालयों के कर्मचारी	घ. नौकरशाह
- फुल्टन समिति (1965) का किस देश से सम्बन्ध है?

क. अमरीका से	ख. फ्रांस से
ग. ग्रेट ब्रिटेन से	घ. भारत से
- किस समिति ने पहली बार 'सामान्यज्ञ' और 'विशेषज्ञ' शब्दों का प्रयोग किया?

क. प्रशासनिक सुधार समिति (राजस्थान)	ख. प्राक्कलन समिति (1969)
ग. फुल्टन समिति (1965)	घ. हार्थॉर्न समिति
- नीति-निर्माण का उत्तरदायित्व किसका है?

क. विशेषज्ञों का	ख. सामान्यज्ञों का
ग. मंत्रियों का	घ. संसद का
- किस वेतन आयोग ने विशेषज्ञों की तुलना में सामान्यज्ञों को वरियता दी?

क. चौथे वेतन आयोग ने	ख. पाँचवे वेतन आयोग ने
ग. छठे वेतन आयोग ने	घ. सातवें वेतन आयोग ने

9.9 सारांश

लोक प्रशासन में सामान्यज्ञ एवं विशेषज्ञ का विवाद एक गंभीर समस्या है। इसने भारत के विकास की गति को धीमा किया है। यह विवाद क्या है, इसे सारांश में समझना होगा-

- मानवीय स्तर पर किसी देश के बहुमुखी विकास की जिम्मेदारी दो प्रकार के सरकारी कर्मचारीगण पर निर्भर करती है- (1) सामान्यज्ञ जिनका काम मुख्यतया प्रशासनिक होता है, तथा (2) विशेषज्ञ जिनका काम तकनीकी होता है।

- सामान्यज्ञों में ऐसे व्यक्ति आते हैं जिन्होंने अनिवार्य शिक्षा प्राप्त की हो तथा जिनका चयन उनकी योग्यता तथा बौद्धिक क्षमता के आधार पर लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाये।
- विशेषज्ञों में ऐसे युवा आते हैं जिन्होंने एक निश्चित तकनीकी शिक्षा प्राप्त की हो और जो अपनी दक्षता के आधार पर लोक सेवा आयोग से चुनकर आयें।
- सामान्यज्ञों में अधिकांशतः आई.ए.एस., आई.पी.एस. तथा आई.एफ.एस. के अधिकारी होते हैं, जबकि विशेषज्ञों में वैज्ञानिक, डॉक्टर, इन्जीनियर, अर्थशास्त्री, विधिशास्त्री इत्यादि आते हैं।
- सामान्यज्ञों को आमतौर से लोक सेवक या नौकरशाह (Bureaucrats) कहा जाता है, जबकि विशेषज्ञों को आजकल शिल्पी-तांत्रिक (Technocrats) कहा जाता है।
- नौकरशाह या सामान्यज्ञ स्वयं को अधिक शक्तिशाली, प्रभावशाली, प्रतिशिक्षित और महत्वपूर्ण मानते हैं। इनकी मानसिकता अभिजातीय और सामन्ती होती है। यह मानते हैं कि उनकी जड़े अतीत के गौरवशाली इतिहास में हैं, इनको प्रशासन करने का स्वाभाविक और दैवी अधिकार है।
- विशेषज्ञ भी अपनी हैसियत को किसी तरह कमतर नहीं आंकते। उनका दावा है कि वे अपने कार्य में दक्षता और महारत रखते हैं। बिना उनके देश का विकास एक क्षण के लिये भी आगे नहीं बढ़ सकता।
- लेकिन सच यह है कि शासकीय स्तर पर सामान्यज्ञों को अधिक महत्व दिया जाता है। इनका वेतनमान, इनके भत्ते तथा इनकी सुविधायें विशेषज्ञों की तुलना में कहीं अधिक होती हैं।
- सामान्यज्ञ प्रशासनिक कार्यों के अतिरिक्त नीति-निर्माण का कार्य भी करते हैं। वे मंत्रियों को परामर्श देते हैं और उनके समीप रहते हैं, इसलिये उनका महत्व विशेषज्ञों से अधिक होता है।
- इसी कारण वे शासकीय तथा सामाजिक स्तर पर अधिक प्रतिष्ठित मानते जाते हैं।
- इस तरह सामान्यज्ञों और विशेषज्ञों में टकराव मनोवैज्ञानिक रूप का होता है, जिसने अनेक बार देश को संकट में डाला है।
- भारत सरकार ने इस विवाद को गंभीरता से लिया है और इसके समाधान के लिए समय-समय पर आयोगों और समितियों द्वारा प्रयास किये हैं।
- अब धीरे-धीरे सरकार की समझ-बूझ से यह विवाद धीमा पड़ता जा रहा है, यद्यपि नौकरशाही की मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आया है।
- वर्तमान युग इलेक्ट्रॉनिकी, डिजीटल (बाइनरी डिजिट से संचालित सूचना संग्रह) कम्प्यूटरिंग का है, जो विशेषज्ञों की देन है और जिसने प्रशासनिकों को भी अतिरिक्त मस्तिष्क प्रदान कर दिया है, ऐसे में विशेषज्ञों का कृतज्ञ होकर और प्रोत्साहन देकर उनका सम्मान करना पूरे समाज का कर्तव्य है।

9.10 शब्दावली

सबजैक्टिव (Subjective)- आत्मनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ अर्थात् कोई व्यक्ति दूसरे के बारे में क्या सोचता है और क्यों सोचता, यह सब कुछ उसके नजरिए पर निर्भर करता है।

Psychic Crisis- मनोसंकट अर्थात् किसी व्यक्ति का किसी घटना, व्यवहार अथवा समस्या को देखकर या महसूस करके मानसिक उथल-पुथल से ग्रस्त हो जाना और ऐसी प्रतिक्रियायें व्यक्त करना जो हानिकारक हो सकती हैं।

Ecological- परिस्थितिय अर्थात ऐसा वातावरण जो व्यक्ति के आचरण और सोच को निश्चित करता है। यह वातावरण, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक हो सकता है।

9.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. ग 2. घ 3. ग 4. ख 5. ख 6. क

9.12 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अवस्थी/अवस्थी: भारतीय प्रशासन।
2. Ashok Chandra : Indian Administration.
3. Maheshwari, S.R. : Indian Administration.
4. Sarkaria Report, Part 1 (1998)

9.13 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. Maheshwari, S.R. : The Administrative Reforms Commission.
2. Buch, M.N. : Administrative Ineffectiveness.

9.14 निबन्धात्मक प्रश्न

1. सामान्यज्ञ तथा विशेषज्ञ का अन्तर बताते हुए सामान्यज्ञ-विशेषज्ञ विवाद के चार कारणों को स्पष्ट कीजिए।
2. चौथे वेतन आयोग का रूख सामान्यज्ञों के बारे में क्या था? इसका क्या परिणाम निकला?
3. सामान्यज्ञ क्यों स्वयं को विशेषज्ञों से उच्चतर मानते हैं?
4. प्रशासनिक सुधार आयोग, 1966 की सिफारिशों को समझाइए।
5. सरकार की ओर से सामान्यज्ञों तथा विशेषज्ञों के विवाद को सुलझाने के लिये कौन से पदसोपनीय सम्बन्धी सुझाव दिये गये?

इकाई- 10 संघ लोक सेवा आयोग/राज्य लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग

इकाई की संरचना

10.0 प्रस्तावना

10.1 उद्देश्य

10.2 कार्मिक अभिकरण : अर्थ एवं उद्देश्य

10.3 भारत में कार्मिक अभिकरण

10.4 संघ लोक सेवा आयोग

10.4.1 संघ लोक सेवा आयोग का उद्भव एवं विकास

10.4.2 संघ लोक सेवा आयोग का संगठन

10.4.3 संघ लोक सेवा आयोग के कार्य

10.4.4 संघ लोक सेवा आयोग की सलाहकार भूमिका

10.4.5 संघ लोक सेवा आयोग की भूमिका का मूल्यांकन

10.5 राज्य लोक सेवा आयोग

10.5.1 राज्य लोक सेवा आयोग के गठन सम्बन्धी प्रावधान

10.5.2 राज्य लोक सेवा आयोग का संगठन

10.5.3 राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य

10.5.4 राज्य लोक सेवा आयोग की सलाहकार भूमिका

10.5.5 राज्य लोक सेवा आयोग की भूमिका का मूल्यांकन

10.6 कर्मचारी चयन आयोग

10.6.1 कर्मचारी चयन आयोग के गठन सम्बन्धी प्रावधान

10.6.2 कर्मचारी चयन आयोग का संगठन

10.6.3 कर्मचारी चयन आयोग के कार्य

10.6.4 कर्मचारी चयन आयोग की भूमिका का मूल्यांकन

10.7 कार्मिक अभिकरणों की भूमिका का मूल्यांकन

10.8 सारांश

10.9 शब्दावली

10.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

10.11 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

10.12 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

10.13 निबन्धात्मक प्रश्न

10.0 प्रस्तावना

लोक प्रशासन की क्रियाओं को संपादित करने के लिए एक विस्तृत तंत्र की आवश्यकता होती है और तंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्मिकों की विशाल संख्या की जरूरत पड़ती है। राज्य के कार्यों में अत्यधिक विस्तार होने के कारण लोक सेवकों की महत्ता विगत कुछ वर्षों से काफी बढ़ गई है। लोक प्रशासन की गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता इसके कार्मिकों पर निर्भर करती है। लोक सेवकों के पदों की भर्ती के लिए एक ऐसे निकाय की आवश्यकता होती है जो राजनीतिक एवं प्रशासनिक दबाव से मुक्त होकर कार्य कर सके। विकासशील एवं

प्रजातांत्रिक देशों में इस कठिन एवं दुरूह कार्य को लोक सेवा आयोग द्वारा संपन्न किया जाता है। लोक सेवा आयोग लोक सेवाओं में योग्यता को एकमात्र मापदंड मानकर उसे अन्य राजनीतिक संस्थाओं के संभावित दबावों से बचाता है तथा निष्पक्षता बनाए रखता है। यद्यपि इस प्रकार के आयोग परामर्श दायी संस्थाओं के रूप में कार्य करती है, फिर भी इनकी सिफारिशें स्वीकार नहीं की जाती। भारत में संघ लोक सेवा आयोग के महत्व को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है।

कार्मिक ऐसी धुरी हैं जिनके इर्द-गिर्द चारों ओर प्रशासन घूमता रहता है। भारत में संघ लोक सेवा आयोग को केन्द्रीय लोक सेवकों की नियुक्ति का कार्य सौंपा गया है तथा राज्य स्तर पर गठित राज्य लोक सेवा आयोग राज्य के लोक सेवकों की नियुक्ति करता है। इसी प्रकार प्रशासन के निचले स्तर के कार्मिकों की नियुक्ति कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होता है।

इस अध्याय का उद्देश्य पाठकों को भारत में लोक सेवाओं के विविध कार्मिक अभिकरणों से परिचय कराना है। इसमें संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग एवं कर्मचारी चयन आयोग के उद्भव एवं विकास, संगठन, कार्य एवं भूमिका के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा।

भारत के कार्मिक अभिकरणों की आवश्यकता, क्रम-विकास आदि मुद्दों पर चर्चा से भी पाठकों का ज्ञानवर्धन होगा।

10.1 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन करने के उपरान्त आप-

- भारत के विविध कार्मिक अभिकरणों के महत्व एवं कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर पायेंगे।
- साथ ही आपको संघ लोक सेवा आयोग के उद्भव एवं विकास, संगठन, कार्य एवं भूमिका के बारे में ज्ञान प्राप्त कर पायेंगे।
- आप राज्य लोक सेवा आयोग के गठन, कार्य एवं भूमिका के सम्बन्ध के बारे में जान सकेंगे तथा
- कर्मचारी चयन आयोग के गठन सम्बन्धी प्रावधान, कार्य एवं भूमिका से भी आप अवगत होंगे।

10.2 कार्मिक अभिकरण: अर्थ एवं उद्देश्य

किसी संगठन को ऐसे योग्यता प्राप्त कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या में नियुक्ति की व्यवस्था करना आवश्यक होता है जो उसके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक विभिन्न कार्य कर सके। कर्मचारियों की पूर्ति के इस कार्य को भर्ती तथा चयन द्वारा संपन्न किया जाता है। किसी संगठन में लोक सेवकों का चयन सर्वाधिक आवश्यक कार्य है। राज्य के स्वरूप और गतिविधियों के विस्तार के साथ प्रशासन का महत्व भी बढ़ता गया है। आज के संदर्भ में राज्य केवल सतही और विनियामक कार्य ही नहीं करता बल्कि वह लोगों की राज्य के प्रति आकांक्षाओं के अनुरूप आर्थिक विकास को गति देता है और सामाजिक और संस्कृति प्रगति को भी एक परिवर्तित रूप देता है। सरकार के कार्य, परिस्थितियों के अनुसार विगत कई दशकों से परिवर्तित हुए हैं और अब प्रशासन एक गतिमूलक, परिवर्तनमूलक और उद्देश्यमूलक प्रणाली का रूप ले चुका है। इस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था में कार्मिक अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कार्मिकों को व्यवसायिक और प्रेरणात्मक रूप से तैयार करने के लिए एक ठोस संगठनात्मक प्रणाली का विकसित होना अत्यावश्यक है और ऐसी संगठनात्मक संरचना की छवि हमें केंद्रीय कार्मिक अभिकरण में दिखाई पड़ती है। केंद्रीय कार्मिक अभिकरण ऐसे ही माध्यम हैं जो सभी महत्वपूर्ण कार्मिक गतिविधियों को क्रियान्वित करते हैं तथा भावी नीतियों को बनाने में और विकास कार्यक्रमों की योजना बनाने में

सही दिशा भी प्रदान करते हैं। कार्मिक अभिकरण सक्रिय कार्मिक नीति बनाने और कार्मिक संबंधी आधुनिक प्रयोगों को लागू करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

10.3 भारत में कार्मिक अभिकरण

भारत जैसे विशाल देश में कार्मिक अभिकरणों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। भारत चीन के बाद विश्व की सबसे घनी आबादी वाला देश है। पर्याप्त श्रमिक बल, कुशल स्नाकतकों की अपार संख्याव तथा तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था के चलते, रोजगार के अवसरों की ज़रूरत में अत्यधिक वृद्धि हुई है। स्वतंत्रता के पश्चात कार्मिक संबंधी कार्यों का निष्पादन केंद्र स्तर पर गृह मंत्रालय अपनी सेवा तथा स्थापना शाखा के अधिकारियों के माध्यम से करता था। भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसाओं के पश्चात वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग की स्थापना की गई थी। उस समय यह मंत्रिमंडल सचिवालय में स्थित था और प्रधानमंत्री के नियंत्रण में कार्य करता था। विविध अध्ययन दलों तथा आयोगों की अनुशंसा के आधार पर इसमें समयानुसार परिवर्तन भी किए गए। अनंतर अखिल भारतीय सेवाओं तथा केंद्रीय सेवाओं के कार्मिकों को नियंत्रित एवं निर्देशित करने, संघीय कार्यालयों के विरुद्ध जन शिकायतों का निवारण करने तथा केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों को पेंशन संबंधी मामलों में कार्रवाई करने के लिए कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय की स्थापना 1985 में की गई थी। 1985 में केंद्रीय सचिवालय के मंत्रालयों में पुनर्गठन करते हुए कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय की स्थापना की गई। यह मंत्रालय प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करता है, जिसकी सहायता के लिए राज्यमंत्री और उप मंत्री नियुक्त होते हैं। कार्मिक, प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायत एवं पेंशन भोगी कल्याण मंत्रालय में तीन अलग-अलग विभाग शामिल हैं: कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग।

इसके साथ ही, भारतीय संविधान के अनुच्छेद- 315 के अधीन गठित एक संवैधानिक प्राधिकरण के रूप में संघ लोक सेवा आयोग उच्च सिविल सेवा के अधिकारियों तथा संघ सरकार के संबंधित अन्य पदों की परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से अधिकारियों की भर्ती करने के अलावा केंद्रीय कार्मिक प्रशासन की संरचना में एक सलाहकार की भूमिका भी निभाता है। राज्य स्तर पर यह व्यवस्था राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा संपादित की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग विभिन्न सेवाओं एवं पदों पर भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करते हैं।

भारत के संविधान में लोक सेवा आयोगों के तीन वर्गों पर विचार किया है। संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 में एक 'संघीय लोक सेवा आयोग' और राज्यों के लिए 'राज्य लोक सेवा आयोग' के गठन का प्रावधान है। संघ लोक सेवा आयोग संघ सरकार की सेवाओं संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, एक संयुक्त लोक सेवा आयोग दो या अधिक राज्यों की और राज्य लोक सेवा आयोग एक राज्य की सेवाओं संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग तो सांविधानिक निकाय हैं, परन्तु संयुक्त लोक सेवा आयोग का निर्माण संसद के अधिनियम द्वारा ही हो सकता है।

10.4 संघ लोक सेवा आयोग

लोक सेवकों की नियुक्ति के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक निष्पक्ष संस्था की स्थापना है, जो राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव से मुक्त होकर कार्य करे। साथ ही नियुक्तियों समय पर हो तथा मापदंड योग्यता पर आधारित हो, इन्हीं सारी बिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में भारत में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है तथा इसे संवैधानिक दर्जा भी प्रदान किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, जो कार्मिक प्रशासन के मामले में सरकार के एक निष्पक्ष और सुविज्ञ परामर्शदाता की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका हमारी कार्य पद्धति में एक

महत्वपूर्ण स्थान है और यह एक दक्ष और निष्पक्ष लोक सेवा बनने में सरकार की सहायता करता है। भारतीय शासन अधिनियम, 1919 द्वारा सर्वप्रथम एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी यद्यपि यह आयोग 1926 में स्थापित हो पाया। अनंतर 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा संघ में लोक सेवा आयोग की स्थापना के अतिरिक्त प्रांतों में भी लोक सेवा आयोग की व्यवस्था का प्रावधान रखा गया। स्वतंत्र भारत में संविधान के लागू होते ही संघीय सरकार के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग तथा संघ के घटक भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया।

संघ लोक सेवा आयोग भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार के लोकसेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करती है। संविधान के अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक में एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है।

10.4.1 संघ लोक सेवा आयोग का उद्भव एवं विकास

भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का लंबा इतिहास है। स्वतंत्रता से पूर्व इस प्रकार के आयोगों के गठन के प्रयास ब्रिटिश शासकों द्वारा किए गए थे। यहाँ तक कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी कर्मचारियों की आवश्यकता को देखते हुए इस दिशा में प्रयास किए। लोक सेवा के सिविल कर्मचारी की संज्ञा सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उन कर्मचारियों को दी गई थी जो भारत में इसके वाणिज्यिक कार्यों के प्रशासन से संबंधित थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी तब इंग्लैंड में इसके 'कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स' द्वारा चुने जाते थे और भर्ती किए जाते थे। भर्ती के उद्देश्य से, पूर्वी व्यापार और वाणिज्यिक लेखाओं का प्राथमिक ज्ञान उम्मीदवारों की योग्यता माना जाता था लेकिन कुल मिलाकर भर्ती प्रश्रय के आधार पर की जाती थीं। चूँकि नियुक्तियाँ निदेशकों द्वारा नामित व्यक्तियों के लिए पूर्णतः आरक्षित थी, अतः इससे सेवाओं के लिए भर्ती में और अधिक भ्रष्ट तरीके इस्तेमाल होने लगे।

सर्वप्रथम 1833 में लार्ड ग्रेनविल ने यह मांग कि उम्मीदवारों की भर्ती निदेशकों द्वारा किए गए नामांकनों के बजाए प्रतियोगिता के आधार पर होनी चाहिए। लेकिन 1853 तक इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई। फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदत्त चार्टर अधिनियम, 1833 में एक खंड जोड़ा गया कि भविष्य में सिविल सेवा के लिए पात्रता का मानदंड उपयुक्तता होगी और जाति तथा रंग का कोई भेदभाव नहीं बरता जाएगा। भारत में सिविल सेवाओं में नियुक्तियों के लिए नामांकन के संबंध में निदेशकों का अधिकार अप्रैल, 1854 के अंत तक जारी रहने दिया गया। 1833 के अधिनियम को अमल में लाने के लिए उपायों पर सलाह देने के लिए सर चार्ल्स वुड ने 1854 में लार्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की और इससे, सिद्धान्त रूप में ही सही, भारतीय सिविल सेवा में नियुक्तियाँ, बिना किसी भेदभाव के, प्रतियोगिता के आधार पर होने लगीं। समिति ने सिफारिश की कि प्रत्याशियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होना चाहिए। कर्मचारियों की अंतिम रूप से नियुक्ति से पहले परिवीक्षा अवधि होनी चाहिए और हेलीबरी कॉलेज बंद कर देना चाहिए।

प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली की प्रथम परीक्षा भारत में हुई और फिर धीरे-धीरे यह इंग्लैंड में भी अपनाई गई। लेकिन सेवाओं के भारतीयकरण की प्रक्रिया 1909 तक बहुत धीमी गति से चलती रही। मार्ले-मिंटो सुधार शुरू किए गए लेकिन यह सुधार भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर सके।

संघ लोक सेवा आयोग के उद्भव एवं विकास को तीन काल खंड में विभाजित किया जाता है-

प्रथम काल (1926-37)- लोक सेवा निकायों के स्थापना का प्रयास उन दिनों हुआ जब 1919 में तत्कालीन अंग्रेजी शासकों ने भारत के लिए स्वायत्त शासन की आवश्यकता स्वीकार की। सन 1919 के भारतीय शासन अधिनियम में इस भावना की व्यावहारिक अभिव्यक्ति मिलती है। उसमें एक सार्वजनिक सेवा आयोग की स्थापना

का प्रावधान था जिसकी सेवाओं के लिये पदाधिकारियों की भर्ती, भारत की सार्वजनिक सेवाओं का नियंत्रण तथा ऐसे अन्य कर्तव्य होंगे जिनका निर्देश सपरिषद भारत सचिव करेंगे। परंतु उस आयोग की स्थापना तत्काल नहीं हुई। भारत सरकार अधिनियम, 1919 तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मांटैग्यू तथा तत्कालीन वायसराय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लार्ड चैम्सफोर्ड द्वारा प्रस्तुत संयुक्त रिपोर्ट पर आधारित था। यह भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की दिशा में पहला कदम था। इस अधिनियम में एक सक्षम और स्वतंत्र सिविल सेवा रखने के महत्व को मान्यता दी गई थी। बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के सिविल कर्मचारियों की किसी विशेषज्ञ निकाय द्वारा भर्ती करने की तथा ऐसे एक स्थायी कार्यालय की स्थापना की आवश्यकता पर बल दिया गया। अधिनियम के निर्माताओं ने यह अवलोकन किया था कि भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना हो जाने पर भारतीय लोक सेवाओं में अपेक्षाकृत अधिक संख्या में आ सकेंगे और साथ ही सिविल कर्मचारियों की राजनीतिक हस्तक्षेप से सुरक्षा भी हो सकेगी। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लाके सेवा आयोग की सदस्य संख्या, अध्यक्ष को मिलाकर, पाँच से अधिक नहीं हो सकती थी। प्रत्येक सदस्य अपने पद पर पाँच वर्ष तक रह सकता था और पुनः नियुक्ति के लिए पात्र था।

अनंतर 1923 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को प्रशासन की प्रत्येक शाखा के साथ सम्बद्ध स्थापित करने की अपनी घोषित नीति के अनुपालन में लार्ड ली की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया। लॉर्ड ली के नेतृत्व में नियुक्त शाही आयोग को भारतीय उच्च सेवाओं के संबंध में विचार एवं विवरण प्रस्तुत करना था। उस शाही आयोग ने तत्काल उस लोक सेवा आयोग की स्थापना की आवश्यकता पर विशेष बल दिया। आयोग की राय थी कि सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभाने की दिशा में सहायता प्रदान करने के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना आवश्यक थी। इसका विचार था कि लोक सेवा आयोग की स्थापना के संबंध में उसकी सिफारिश उस रिपोर्ट की एक आधारभूत विशेषता थी और सेवाओं के भविष्य के लिए उसके प्रस्तावों का पूरी संरचना का अभिन्न और अनिवार्य अंग थी। आयोग की सिफारिशों की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि उन्होंने प्रान्तों के लिए ऐसे आयोगों का सुझाव नहीं दिया था और राय दी थी कि केन्द्र के लोक सेवा आयोग की विशेषज्ञता का उपयोग प्रान्तीय सरकार को भी करने दिया जाए। शाही आयोग का प्रस्ताव था कि उक्त आयोग के निम्नलिखित चार मुख्य कार्य होंगे- (क) सार्वजनिक सेवाओं के लिये कर्मचारियों की भर्ती, (ख) सेवाओं में प्रविष्ट होनेवाले व्यक्तियों की योग्यताओं का विधान तथा उचित मानक स्थापित करना, (ग) सेवाओं के अधिकारों की सुरक्षा करना तथा नियंत्रण एवं अनुशासन की व्यवस्था करना तथा (घ) सामान्य रूप से सेवा संबंधी समस्याओं पर परामर्श एवं अनुमति देना।

अनुशासकों के फलस्वरूप लोकसेवा आयोग की स्थापना अक्टूबर 1926 में हुई। इसका एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य थे। यह प्रावधान किया गया कि अखिल भारतीय प्रथम और द्वितीय श्रेणियों की सेवाओं के, उन प्रतियोगिता परीक्षाओं के पाठ्यक्रमों के निर्धारण, जिनके द्वारा कर्मचारियों का निर्वाचन हो, उक्त सेवाओं के लिये पदोन्नति, अनुशासनीय कार्य, वेतन, भत्ते, पेंशन, प्रॉविडेंट फंड एवं पारिवारिक पेंशन विषय आदि मामलों में सरकार उससे परामर्श ले। किसी वर्ग विशेष या सभी सेवाओं के नियम तथा छुट्टी आदि के नियमों के प्रश्नों पर भी सरकार उक्त आयोग से परामर्श करेगी। इसे अखिल भारतीय सेवाओं, केन्द्रीय सेवा प्रथम श्रेणी में भर्ती से संबंधित सभी विषयों पर गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सलाह देनी थी। आयोग को सौंपे गए कार्य मात्र परामर्शी स्वरूप के थे। ली आयोग चाहता था कि जहाँ तक भारत में सेवाओं में भर्ती का संबंध है, लोक सेवा आयोग का प्राधिकार अंतिम होना चाहिए। लेकिन तब भारत सरकार ने उसकी सिफारिशों पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसलिए लोक सेवा आयोग को केवल परामर्शी शक्तियों सहित गठित किया गया।

लंदन में 1930 में सम्पन्न पहली गोलमेज कांफ्रेंस में एक प्रस्ताव रखा गया था कि, प्रत्येक प्रान्त में और केन्द्र सरकार के संबंध में, यथास्थिति, गवर्नर अथवा गवर्नर जनरल द्वारा एक सांविधानिक लोक सेवा आयोग नियुक्त

क्रिया जाएगा। ब्रिटिश सरकार के जो सांविधानिक प्रस्ताव 15 मार्च, 1933 को प्रकाशित हुए थे, उनमें भी व्यवस्था थी कि फेडरल लोक सेवा आयोग के साथ-साथ प्रान्तों में भी लोक सेवा आयोग गठित किए जाए। भारतीय सांविधानिक सुधारों पर संयुक्त समिति (1933-34) भी ऐसे प्रस्तावों पर सहमत थी और उसने भी सारे भारत के लिए एक से अधिक लोक सेवा आयोग गठित करने की आवश्यकता को स्वीकार किया था।

द्वितीय काल (1937-50)- भारतीय लोक सेवा आयोग के 1930-36 के क्रियाकलापों से पता चलता है कि यह आयोग एक शक्तिशाली कार्मिक अभिकरण नहीं बन सका। यह कार्यपालिका से स्वतंत्र नहीं था। भारत सरकार अधिनियम, 1935, जिसके अंतर्गत प्रान्त पूर्णतया उत्तरदायी बन गए थे, ने सिविल सेवा आयोग के कार्यों का सांविधानिक प्राधिकार बढ़ा दिया था। सन 1935 के भारतीय विधान के परिच्छेद 266 में, उपर्युक्त प्रस्तावों को स्थाई रूप दिया गया। उसमें लोक सेवा आयोगों के कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दिया गया। यह कहा जा सकता है कि उक्त विधान के द्वारा ही आयोगों की अंतिम एवं स्थायी रूप में रचना की गई थी। इस अधिनियम के 1937 में लागू होने से लोक सेवा आयोग का नाम फेडरल लोक सेवा आयोग रख दिया गया। इसमें यह भी व्यवस्था थी कि प्रान्त भी अपने-अपने लोक सेवा आयोग गठित करें। आज के केंद्रीय अथवा राज्यों के आयोग का संगठन, रूप एवं आधार, सब उसी पर आधारित हैं।

इस आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा किया जाना था। आयोग के सदस्यों की संख्या, उनकी पदावधि, सेवा शर्तों आदि गवर्नर जनरल पर ही निर्भर था। प्रावधान यह था कि आयोग के कम से कम आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए जिन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के अधीन कम से कम दस वर्ष तक पद संभाला हो। इस आयोग को निम्नलिखित मामलों पर सरकार को सलाह भी देनी थी-

- सिविल सेवाओं और सिविल पदों के लिए भर्ती के तरीकों से संबंधित सभी मामले।
- सिविल सेवाओं और सिविल पदों पर नियुक्तियों करने तथा पदोन्नतियाँ करने और एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण करने व ऐसी नियुक्ति, पदोन्नति अथवा अन्तरण के लिए उम्मीदवार की उपयुक्तता के संबंध में मामले।
- सिविल कर्मचारी की हैसियत से सेवारत व्यक्ति से संबंधित सभी अनुशासनिक मामले।
- किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा उसकी ड्यूटियों के निष्पादन में किए गए कार्यों के खिलाफ, यदि कोई कानूनी कार्यवाही की जाती है तो उसमें अपने बचाव के लिए किए गए व्ययों के प्रतिपूर्ति के लिए दावों से संबंधित मामले, और
- सिविल कर्मचारी की हैसियत में किसी सरकारी कर्मचारी को पहुँची क्षति के लिए पेंशन प्रदान करने संबंधी मामले, तथा गवर्नर जनरल द्वारा आयोग को भेजे गए कोई अन्य मामले।

तृतीय काल(1950 से अब तक)- फेडरल लोक सेवा आयोग अपने वर्तमान रूप में 1947 से 1950 के बीच काम करता रहा। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो इसका स्थान अंतिम रूप से संघ लोक सेवा आयोग ने ले लिया। भारत की स्वाधीनता कुछ दृष्टियों से संघ लोक सेवा आयोग के लिए एक नए युग का सूत्रपात हुआ। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संघ लोक सेवा आयोग को न्यायपालिका तथा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के साथ-साथ लोकतंत्र को दृढ़ बनाने का साधन समझा। अतः उन्होंने इसे न केवल सांविधानिक दर्जा दी, बल्कि इसकी स्वतंत्रता के बचाव के लिए विस्तृत उपायों की भी व्यवस्था की।

10.4.2 संघ लोक सेवा आयोग का संगठन

भारतीय संविधान में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या तथा सेवा संबंधी शर्तों का उल्लेख नहीं किया गया है तथा इसे राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है। लोक सेवा आयोग (संघ अथवा संयुक्त) का अध्यक्ष

तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान के प्रावधानों के अनुसार राज्य आयोग के मामले में अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। संविधान में आयोग के सदस्यों के संख्या नियत नहीं की गई है किन्तु आयोग के आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए जिन्होंने भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक किसी न किसी पद पर कार्य किया हो।

सामान्यतया संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 10 सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, होता है। सामान्यतया सदस्यों की नियुक्ति करते समय नियुक्ति करते समय प्रशासनिक योग्यता के साथ साथ उनके चरित्र, कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी को भी ध्यान में रखा जाता है। ये कभी भी अपना इस्तीफ़ा राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। कार्यकाल पूर्ण होने से पहले राष्ट्रपति इन्हें पद की अवमानना या अवैध कार्यों में लिप्त होने के लिए बर्खास्त कर सकता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद- 317 में सदस्यों के अपदस्थ करने की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है इसके अनुसार राष्ट्रपति निम्न स्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य किसी सदस्य को कार्यकाल के पूर्व भी हटा सकता है - क. यदि अध्यक्ष या सदस्य दिवालिया हो गया हो, ख. यदि आयोग के सेवाकाल में उन्होंने अन्य वेतनभोगी पद स्वीकार किया हो तथा ग. यदि राष्ट्रपति के विचार में अध्यक्ष या सदस्य शारीरिक अथवा मानसिक दुर्बलता के कारण अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने में असमर्थ हो।

उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त दुराचरण और कदाचार के अपराध में भी राष्ट्रपति उन्हें सर्वोच्च न्यायालय से जांच कराकर हटा सकता है। शब्द 'कदाचार' को संविधान में स्पष्ट कर दिया गया है। कोई सदस्य कदाचार का दोषी तब माना जाएगा जब (क) वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की ओर से किए गए किसी करार या संविदा में उसका हित लाभ हो या वा उससे संबंधित हो अथवा (ख) वह किसी निगमित कम्पनी के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर ऐसे करार अथवा संविदा में किसी भी रूप से लाभ का भागीदार हो।

संघ लोक सेवा आयोग के लिए राष्ट्रपति आयोग के सदस्यों में से एक सदस्य को एक कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकता है यदि-आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाये अथवा, आयोग का अध्यक्ष अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो।

इस तरह का सदस्य एक कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, जब तक किसी व्यक्ति को कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाये या जब तक अध्यक्ष पुनः अपना कार्य आरंभ ना कर दे, जैस भी मामला हो।

आयोग के सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा अन्य शर्तों को तय करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है जिसे उनकी पदावधि में बदला नहीं जा सकता। 7 वें वेतन आयोग के अनुरूप संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को रु. 2,50,000 तथा तथा सदस्यों को रु. 2,25,000 मासिक वेतन मिलता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन सहित अन्य सभी प्रकार के खर्चे भारत सरकार की संचित निधि से दिए जाते हैं।

इसके साथ ही आयोग का सचिवालय भी है, जिसमें अनेक प्रकार के कर्मचारी कार्यरत हैं। औपचारिक रूप से आयोग के कार्यालय को केंद्रीय सचिवालय का ही एक अंग माना जाता है। कार्यालय के कर्मचारियों की संख्या घटती-बढ़ती रहती है। आयोग में एक सचिव और दो अतिरिक्त सचिव होते हैं। साथ ही कार्यपालक निदेशक, सूचना प्रणाली निदेशक, परीक्षा सुधार संयुक्त सचिव, 14 उपसचिव और अनेक विशेषज्ञ अधिकारी और अन्य कार्यालय अधिकारी कार्यरत होते हैं। इनके अतिरिक्त आयोग में कार्यों की प्रकृति के आधार पर ढेर सारी नियुक्तियां भी की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के सचिव का दर्जा भारत सरकार के संयुक्त सचिव के समकक्ष है तथा उसका वेतनमान और अन्य सेवा शर्तें भारत सरकार के संयुक्त सचिवों के अनुरूप ही है। संविधान के अनुच्छेद-318 में संघ लोक सेवा आयोग में कर्मचारियों की संख्या एवं उनकी सेवा शर्तों के संबंध में विनियम

बनाने की बनाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। आयोग का कर्मचारी केंद्रीय सचिवालय के विभागों में स्थानांतरित अथवा पदोन्नत हो सकता है।

भारत के संघ लोक सेवा आयोग का मुख्यालय धौलपुर हाउस, नई दिल्ली में स्थित है। कुंडलाकार की यह सुन्दर इमारत इंडिया गेट के बगल में शाहजहां रोड पर स्थित है। पहले यह धौलपुर राजघराने का निवास हुआ करता था और इसका निर्माण भी नई दिल्ली के निर्माण के दौरान 1920 के दशक में किया गया था।

10.4.3 संघ लोक सेवा आयोग के कार्य

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-315 के अधीन गठित एक संवैधानिक प्राधिकरण के रूप में संघ लोक सेवा आयोग उच्च सिविल सेवा के अधिकारियों तथा संघ सरकार के संबंधित अन्य पदों की परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से अधिकारियों की भर्ती करने के अलावा केंद्रीय कार्मिक प्रशासन की संरचना में एक सलाहकार की भूमिका भी निभाता है। समय के साथ इसके कार्यों में विस्तार हुआ है। संघ लोक सेवा आयोग के जो कार्य संविधान में अनुच्छेद- 320 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किए गए हैं वे वही हैं जो भारत सरकार अधिनियम, 1935 में फेडरल लोक सेवा आयोग के लिए विनिर्दिष्ट किए गए थे। इन कार्यों को मोटे तौर पर तीन वर्गों में बाँटा गया है- यथा (1) नियामक, (2) कार्यपालक (3) अर्ध-न्यायिक

- 1. नियामक कार्य-** नियामक कार्यों में संघ लोक सेवा आयोग सरकार को निम्नलिखित से संबंधित मामलों में सलाह देता है- भर्ती के तरीके और नियुक्तियाँ, पदोन्नतियाँ तथा एक सेवा में दूसरी सेवा में अन्तरण करने के लिए अपनाए जाने वाले सिद्धान्त। फिर भी, संयुक्त राज्य अमेरिका के लोक सेवा आयोग को जिस प्रकार का नियामक अधिकार क्षेत्र मिला हुआ है, भारत में संघ लोक सेवा आयोग को ऐसी कोई शक्तियाँ नहीं मिली हैं। संघ लोक सेवा आयोग का कार्य क्षेत्र मात्र परामर्शी है। संविधान के अनुच्छेद-320 (3) में केवल यह उल्लेख है कि यह आयोग का कर्तव्य है कि वह सरकार को सिविल सेवा में भर्ती की पद्धतियों, पदोन्नतियों और अन्तरणों से संबंधित सभी मामलों में सलाह दे। यद्यपि संघ लोक सेवा आयोग के कुछ कार्यों को प्रायः नियामक कार्य कहा जाता है, परन्तु वास्तव में वह कार्य भी मात्र सलाहकारी कार्य ही है।
- 2. कार्यपालक कार्य-** आयोग का एक विशिष्ट सांविधानिक कर्तव्य है कि वह संघ की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाएँ ले। इस प्रावधान के अधीन संघ लोक सेवा आयोग प्रति वर्ष विभिन्न वर्गों के पदों के लिए अनेक लिखित परीक्षाएँ लेती है। साथ ही विशिष्ट और अन्य वर्गों के पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के लिए साक्षात्कार भी आयोजित किए जाते हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि आयोग का कार्य-क्षेत्र राजपत्रित अधिकारियों तक ही सीमित रखा गया है, जिनकी संख्या सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या की तुलना में बहुत कम है। वस्तुतः आयोग का कार्यपालक कार्य क्षेत्र केन्द्र सरकार के कुल कर्मचारियों के 1.9 प्रतिशत कर्मचारियों पर ही लागू होता है। संघ लोक सेवा आयोग का दूसरा कार्यपालक कार्य है, राष्ट्रपति को प्रति वर्ष आयोग द्वारा पिछले वर्ष के दौरान किए गए कार्य की रिपोर्ट प्रस्तुत करना। राष्ट्रपति यह रिपोर्ट, एक ऐसे ज्ञापन के साथ सदन के दोनों सदनों के समक्ष रखते हैं जिसमें उन मामलों को स्पष्ट किया जाता है, जिनमें आयोग की सलाह नहीं मानी गई थी और साथ ही न मानने के कारण भी दिए जाते हैं।
- 3. अर्ध-न्यायिक कार्य-** संघ लोक सेवा आयोग की अर्द्ध-न्यायिक अधिकार क्षेत्र और विस्तार दोनों दृष्टियों से सीमित है। वास्तव में, इसको कोई सचमुच के अपीली अधिकार नहीं है। कर्मचारियों के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाइयों पर यह केवल सलाह दे सकता है। संविधान के अनुसार, सरकार को निम्नलिखित मामलों में आयोग की सलाह लेनी चाहिए-

- सरकारी कर्मचारी के संबंध में, परिनिन्दा, वेतन वृद्धि अथवा पदोन्नति रोकना, निम्न वेतनमान में पदावनत करना, अनिवार्य सेवा-निवृत्ति, सेवा से हटाना अथवा पदच्युत करना आदि जैसी अनुशासनिक कार्यवाहियां।
- किसी कर्मचारी द्वारा अपनी ड्यूटी के निष्पादन में किए गए कार्यों के संबंध में उसके खिलाफ की गई कानूनी कार्यवाही में उस कर्मचारी द्वारा किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति के दावे, और
- किसी कर्मचारी को पहुँची क्षति के संबंध में पेंशन देने के दावे और ऐसी पेंशन की राशि के संबंध में सभी प्रश्न।

संघ लाके सेवा आयोग के जो कार्य निर्धारित किए गए हैं, वे जैसा ऊपर बताया गया है कि भारत के संविधान से तो लिए ही गए हैं साथ ही अन्य स्रोतों से भी लिए जाते हैं। जैसे- संसद द्वारा बनाए गए कानून, कार्यपालिका के नियम, विनियम और आदेश और परिपाटियाँ। संविधान के अनुच्छेद 318 और 320 के अनुसार केन्द्र सरकार कुछ विनियमों और आदेशों के माध्यम से आयोग को कुछ कार्य सौंप सकती है। साथ ही राष्ट्रपति भी, समय-समय पर विनियमों के माध्यम से उन मामलों को भी परिनिश्चित कर सकते हैं जिनमें आयोग की सलाह आवश्यक नहीं होती।

आयोग कुछ ऐसे कार्य भी करता है जो परिपाटियों के माध्यम से उसे सौंपे गए हैं, यद्यपि संविधान में इनकी व्याख्या नहीं है। संविधान के अधीन रक्षा सेनाओं के लिए भर्ती का कार्य आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि रक्षा सेवाएँ सिविल सेवाओं का अंग नहीं हैं। लेकिन 1948 से आयोग केडेटों के चयन के लिए लिखित परीक्षा ले रहा है, जो अब एक नियमित कार्यकलाप बन गया है। इसी प्रकार संघ लोक सेवा आयोग उच्च योग्यता प्राप्त वैज्ञानिकों तथा प्रौद्योगिकियों के पूल के लिए वैज्ञानिकों तथा तकनीशियनों का चयन करता है, जो केन्द्र सरकार, वैज्ञानिक संस्थानों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, विश्व विद्यालयों आदि में प्रतिनियुक्त किए जाते हैं। यह कार्य संघ लोक सेवा आयोग द्वारा केवल परिपाटियों के आधार पर किए जा रहे हैं।

संघ लोक सेवा आयोग संविधान के अनुच्छेद 320 और 321 के अंतर्गत संघ की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों की अखिल भारतीय सेवाएँ, केंद्रीय सेवाएँ, और सार्वजनिक सेवाएँ शामिल हैं। आयोग विभिन्न सेवाओं के लिए लगभग दर्जन भर परीक्षाओं का आयोजन करता है, जैसे अभियांत्रिकी, चिकित्सा, वन सेवा आदि। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षाओं के माध्यम से विविध सेवाओं के लिए अभ्यर्थियों का चयन करता है इसमें से सबसे चर्चित भारतीय प्रशासनिक, भारतीय पुलिस सेवा व भारतीय राजस्व सेवा हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा, सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा, भारतीय अभियांत्रिकी सेवा, भारतीय आर्थिक और सांख्यिकी सेवा, संयुक्त चिकित्सा सेवा, विशिष्ट श्रेणी रेलवे प्रशिक्षु सेवा, भूगर्भ सेवा, विभागीय अधिकारी/आशुलिपिक (श्रेणी 'ख')/श्रेणी-1) परिसीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा तथा 'स्पेशल क्लास रेलवे प्रशिक्षु परीक्षा' परीक्षाओं का आयोजन करता है। यह किसी भी सेवा के लिए संयुक्त भर्ती तैयार करने और परिचालन योजनाओं में राज्यों को सहायता करता है जिसके लिए विशेष योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए दो या उससे अधिक राज्यों द्वारा अनुरोध किया गया हो।

10.4.4 संघ लोक सेवा आयोग की सलाहकार भूमिका

यद्यपि आयोग को महत्वपूर्ण सांविधानिक कर्तव्य और कार्य सौंपे गए हैं, फिर भी इसकी भूमिका मात्र सलाहकार और परामर्शी की है। भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग की भूमिका भी परामर्शी ही थी। उस समय यह विचार किया गया था कि यदि आयोग को अधिक अधिकार दिए गए तो इससे

कार्यपालिका की शक्तियों के साथ हस्तक्षेप हो सकता है। संघ लोक सेवा आयोग का कार्य सरकार को केवल मात्र सलाह देना है और कार्यपालिका इसकी सलाह मानने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य नहीं है। लोक सेवा आयोग स्थिति के अनुसार निम्नलिखित मामलों में अपना परामर्श देगा, ये मामले हैं-

- सभी मामले सिविल सेवाओं तथा सिविल पदों की नियुक्ति के तरीके से संबन्धित।
- सिविल सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियों करने में और एक सेवा से दूसरे में स्थानान्तरण तथा पदोन्नति और इस तरह की नियुक्तियों, स्थानान्तरण और पदोन्नति के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता पर सिद्धांतों का अनुसरण करना।
- एक नागरिक की हैसियत से भारत सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले सभी अनुशासनात्मक मामले जिसमें इन मामलों से संबन्धित स्मारक या याचिकाएं शामिल हों।
- अपने आधिकारिक कर्तव्य के निष्पादन में या किए गए कृत्यों का उसके खिलाफ स्थापित कानूनी कार्यवाही की रक्षा करने में एक सिविल सेवक द्वारा उठाए गए खर्च का किसी भी प्रकार का दावा करना।
- भारत सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति घायल होने पर पेंशन के हक के लिए दावा कर सकता है और किसी भी हक के लिए राशि से संबन्धित कोई भी प्रश्न कर सकता है।
- कार्मिक प्रबंधन से संबंधित कोई भी मामला राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित।

संघ लोक सेवा आयोग के प्रदर्शन से संबन्धित वार्षिक रिपोर्ट को राष्ट्रपति के समक्ष पेश किया जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में ज्ञापन के साथ प्रस्तुत करता है जिसमें यह बताया गया होता है कि कहाँ पर आयोग की सलाह को नहीं स्वीकार किया गया और इस गैर स्वीकृति के पीछे का कारण क्या है।

यह समझा जा सकता है कि संविधान के अधीन, कुछ ऐसे मामले हैं जिन पर सरकार आयोग की सलाह लेने के लिए बाध्य है। इस प्रावधान का उल्लंघन असांविधानिक माना जाएगा। लेकिन सरकार आयोग की सलाह स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। साथ ही संविधान में एक नया अनुच्छेद- 323 जोड़कर आयोग की सलाह स्वीकार न करने पर एक सांविधानिक अवरोध लगा दिया गया है। जिन मामलों में आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की जाती है, उन मामलों में इस अनुच्छेद की अपेक्षाओं के अनुसार, सरकार को संसद के समक्ष एक ज्ञापन प्रस्तुत करना होता है जिसमें सलाह स्वीकार न करने के कारण बताए जाते हैं। साथ ही, आयोग की सलाह पर, कार्यवाही करने के लिए मंत्रालय अथवा विभाग की शक्तियाँ सोच-समझकर इस तरह सीमित कर दी गई है कि वे आयोग तब तक अस्वीकार नहीं कर सकते जब तक मंत्रीमंडल की नियुक्ति समिति का अनुमोदन प्राप्त न हो जाए। आयोग की सलाह के खिलाफ कोई भी प्रशासनिक विभाग तब तक कार्रवाई नहीं कर सकता जब तक कि उसे समिति की सहमति प्राप्त न हो जाए। इन आंतरिक और बाध्य प्रतिबंधों के कारण आयोग की सलाह स्वीकार न करने के मामलों की संख्या नगण्य रही है।

10.4.5 संघ लोक सेवा आयोग भूमिका का मूल्यांकन

संघ लोक सेवा आयोग केंद्रीय भर्ती अभिकरण है। यह प्रतिभा प्रणाली को बनाए रखने और पदों के लिए सबसे उपयुक्त लोगों को आगे लाने के लिए उत्तरदायी है। यह परीक्षा आयोजित करता है और समूह क एव समूह ख में अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं में कर्मियों की नियुक्ति के लिए सरकार को अपनी सिफ़ारिश भेजता है। संघ लोक सेवा आयोग की भूमिका स्वभाव से सलाहकार की होती है और सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। हालांकि, सरकार संसद के प्रति जवाबदेह है, यदि, वह आयोग की सलाह को खारिज कर दे। इसके अलावा, संघ लोक सेवा आयोग का संबंध परीक्षा प्रक्रिया से है और ना की सेवाओं के वर्गीकरण, कैडर प्रबंधन, प्रशिक्षण, सेवा शर्तों आदि के साथ संबंध रखता है। इन मामलों को कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

के अधीन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सरकार पदोन्नति और अनुशासनात्मक मामलों पर संघ लोक सेवा आयोग से सलाह लेती है। लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जो संघ लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आते हैं। वे इस प्रकार हैं-

- भारत के संविधान में अनुच्छेद- 335 के अंतर्गत व्यवस्था है कि विभिन्न पदों की नियुक्ति के मामलों में सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों पर विचार करेगी। अनुच्छेद- 320(4) के अनुसार, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षणों की सीमा निर्धारित करने के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग की सलाह लेना आवश्यक नहीं है। लेकिन एक बार ऐसी शर्तें निर्धारित हो जाने के बाद आयोग, एक भर्ती एजेंसी के रूप में, चयन की कार्य पद्धति शुरू कर देता है।
- राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसे विनियम बना सकता है जिनसे कुछ मामले संघ लोक सेवा आयोग की सलाह के कार्य क्षेत्र से बाहर रखे जा सकते हैं। ऐसे सभी विनियमों को अनुमोदन के लिए अधिक से अधिक चैदह दिनों की अवधि के लिए संसद के दोनों सदनों में रखा जाना अनिवार्य है। संसद, यदि आवश्यक समझे तो, इनमें संशोधन कर सकती है अथवा इन्हें रद्द कर सकती है।

जिन पदों की भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग की सलाह आवश्यक नहीं है, वे हैं- अधिकरणों, आयोगों, उच्च-अधिकार प्राप्त समितियों के सदस्यों अथवा अध्यक्षों के पद उच्च तकनीकी अथवा प्रशासनिक पद, ऐसी अस्थायी रिक्तियाँ भरना जहाँ नियुक्तियाँ एक वर्ष से कम अवधि के लिए की जाती हैं।

अपने 70 वर्ष के कार्यकाल में लोक सेवा आयोग ने अपने संविधानिक उद्देश्यों को काफी सीमा तक पूरा किया है और वास्तव में यह सिद्ध कर दिया है कि यह किसी खास वर्ग विशेष का प्रतिनिधि नहीं बल्कि निष्पक्ष और राजनीतिक रूप से किसी भी प्रकार के दबावों से अपने आप को अछूता पाता है। आयोग ने कार्यपालिका के दबाव के विरुद्ध बिना भय या पक्षपात कर अधिक अच्छी मिसाल कायम की है।

10.5 राज्य लोक सेवा आयोग

भारत के संविधान के भाग-14 के अनुच्छेद- 315 में प्रावधान है कि इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। यदि दो या उससे अधिक राज्य उन राज्यों के समूह के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए सहमत हैं और यदि प्रत्येक राज्य की विधानसभा में इस आशय का प्रस्ताव पारित हो गया हो तो संसद विधि द्वारा संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना करेगी। इसके अतिरिक्त संघ लोक सेवा आयोग राज्य के राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से राज्य की सभी या किसी भी अपेक्षा को पूरा कर सकता है।

भारत 29 राज्यों और 7 केन्द्र शासित प्रदेशों का एक संघीय ढांचा है। भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने प्रांतीय स्तर पर लोक सेवा आयोग की स्थापना की जिसे राज्य लोक सेवा आयोग के रूप में जाना जाता है तथा भारत के संविधान ने इसे स्वायत्त निकायों के रूप में संवैधानिक दर्जा दिया है। राज्य लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। राज्य लोक सेवा आयोग राज्य के सबसे बड़े भर्ती अधिकरण होते हैं। यह राज्य के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती करते हैं।

10.5.1 राज्य लोक सेवा आयोग का गठन सम्बन्धी प्रावधान

संविधान के भाग-14 में अनुच्छेद 315 से 323 में ही राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता व शक्तियों के अलावा इसके गठन व सदस्यों की नियुक्ति व बर्खास्तगी का उल्लेख है। राज्यपाल राज्य सरकार की सिफारिश पर राज्य सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति

राज्यपाल (अनुच्छेद- 316) करता है। सांविधानिक व्यवस्था के अनुसार राज्यपाल, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या तथा उनकी सेवा संबंधी शर्तों का निर्धारण करेगा तथा आयोग के सदस्यों या कर्मचारियों की संख्या और उनकी सेवा शर्तों का भी विनियमन करेगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति के बाद उसकी सेवा संबंधी शर्तों में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता जिससे उसे कोई नुकसान हो।

कार्यकाल की अवधि पूरी हो जाने के बाद लोक सेवा आयोग की सदस्य धारित करने वाला व्यक्ति उस पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भारत सरकार अथवा किसी अन्य राज्य सरकार में भावी नियोजन के लिए अयोग्य होगा तथापि राज्य लोक सेवा का आयोग का अध्यक्ष अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद किसी अन्य प्रयोजन को छोड़कर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य पद पर नियुक्ति के लिए योग्य होगा।

10.5.2 राज्य लोक सेवा आयोग का संगठन

राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है। परंतु नियुक्ति की अधिकतम आयु 62 वर्ष रखी गयी है। एक राज्य लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए गए अन्य सदस्य शामिल होते हैं। नियुक्त सदस्यों में से आधे सदस्यों को भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य की सरकार के तहत कार्यालय में कम से कम दस साल के लिए कार्यरत होना चाहिए। संविधान ने आयोग के सामर्थ्य को स्पष्ट रूप से नहीं बताया है। राज्यपाल के पास सदस्यों की संख्या के साथ साथ आयोग के कर्मचारियों और उनकी सेवा की शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार होता है।

राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकते हैं। राज्य लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों का पदमुक्ति के बारे में भी संघ लोकसेवा आयोग के समान ही प्रावधान है। राज्यपाल अध्यक्ष या सदस्यों को निलम्बित कर सकते हैं लेकिन ऐसा तभी संभव है जबकि सर्वाच्च न्यायालय की रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास भेजी जा चुकी हो। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से किसी एक को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकते हैं यदि- आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाये; या आयोग का अध्यक्ष अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो।

इस तरह का सदस्य एक कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है जब तक किसी व्यक्ति को कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त ना किया जाये या जब तक अध्यक्ष पुनः अपना कार्य आरंभ ना कर दे, जैसी भी स्थिति हो।

राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को राज्य की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। राज्य लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। अधिकांश राज्यों में सातवें वेतन आयोग संस्तुतियों के अनुसार अब अध्यक्ष का वेतन 80,000 रुपये के बजाए 2,25,000 रुपये प्रति महीने है जबकि सदस्यों का वेतन 64,000 रुपये के बजाए 1,82,200 रुपये प्रति महीने है।

10.5.3 राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य

संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 में एक 'संघीय लोक सेवा आयोग' और राज्यों के लिए 'राज्य लोक सेवा आयोग' के गठन का प्रावधान है। संघ लोक सेवा आयोग संघ सरकार की सेवाओं संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, एक संयुक्त लोक सेवा आयोग दो या अधिक राज्यों की और राज्य लोक सेवा आयोग एक राज्य की सेवाओं संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। अनुच्छेद- 320 के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य निम्नलिखित होते हैं-

- राज्य लोक सेवा आयोग का यह दायित्व होगा कि राज्य लोक सेवा संबंधी पदों की नियुक्ति के लिए परीक्षाएं आयोजित करे।
- राज्य लोक सेवा आयोग स्थिति के अनुसार निम्नलिखित मामलों में अपना परामर्श देगा, ये मामले हैं- सिविल सेवाओं और सिविल सेवा संबंधी पदाधिकारियों की भर्ती से संबंधित सभी मामले तथा लोक सेवाओं के पदों से संबंधित भर्ती करने और एक से दूसरी सेवा के अधिकारियों को पदोन्नति देने और स्थानांतरित करने तथा उसकी उम्मीदवारी को उपयुक्तता के आधार पर एक से दूसरी सेवा में स्थानांतरित करने के औचित्य तथा उम्मीदवारों की ऐसी भर्ती, पदोन्नति और स्थानांतरण के औचित्य के संदर्भ में अपनाए गए नियमों के मामले।
- राज्य सरकार के अंतर्गत लोक सेवाओं में सेवारत व्यक्ति के संबंध में ज्ञापन अथवा याचिका सहित सभी अनुशासनात्मक मामले।
- राज्य सरकार में सिविल सेवा में तैनात किसी व्यक्ति या उनकी ओर से किया गया ऐसा दावा, जिसमें कार्य के निष्पादन के दौरान किसी कार्य के लिए उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई में अपने बचाव पक्ष में किए गए खर्च के संबंध में राज्य के समेकित निधि में से धनराशि की मांग की गई हो तथा
- राज्य के शासन के अंतर्गत लोकसेवा में सेवरत किसी व्यक्ति को दुर्घटना की स्थिति में पेंशन देने संबंधी दावे या ऐसे दावों के संबंध में निर्धारित की गई धनराशि से जुड़े मामले।
- इसके साथ ही राज्य लोक सेवा आयोग राज्यपाल को यथास्थिति भेजे गए मामलों पर भी परामर्श देगा। इसके अतिरिक्त राज्य विधान मंडल अधिनियम के माध्यम से लोक सेवा आयोग को लोक सेवा आयोग को कार्मिक प्रबंधन से संबन्धित अतिरिक्त कार्य भी सौंप सकता है। लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत करनी होगी। यह रिपोर्ट राज्य के विधान मंडल में प्रस्तुत की जाएगी, जिसके साथ राज्य सरकार द्वारा आयोग का परामर्श ना मानने वाले मामले और अन्य कार्यों का विवरण संबंधी ज्ञापन भी संलग्न होगा।

10.5.4 राज्य लोक सेवा आयोग की सलाहकार भूमिका

लोक सेवा आयोग को संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत महत्वपूर्ण दायित्व दिए गए हैं, परंतु भूमिका केवल एक परामर्शदाता की सौंपी गई है। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग का स्वरूप भी परामर्श दात्री था। लोक सेवा आयोग भारत सरकार को अपना परामर्श देता है परंतु सरकार उस परामर्श को मानने के लिए विधिक रूप से बाध्य नहीं है संविधान निर्माता आयोग को मात्र परामर्श दात्री भूमिका सौंपना चाहते थे क्योंकि उन्हें मंत्रिमंडल या कार्यपालिका के लिए किसी अन्य अभिकरण के परामर्श की वैधता मंजूर नहीं थी। सरकार द्वारा आयोग को परामर्श को ना मानने के संबंध में संविधान में कथित तौर पर आवश्यक उपाय किए गए हैं। प्रतिवर्ष राज्य लोक सेवा आयोग के मामले में राज्य की विधान मंडल में आयोग की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एक ज्ञापन भी प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। इसमें सरकार द्वारा आयोग का परामर्श अस्वीकार करने के मामले और उनके कारणों से संबंधित विवरण होता है। इसके अलावा आयोग द्वारा किए गए परामर्श को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के अनुमोदन के बगैर ना मंजूर नहीं किया जा सकता। इन नियमों के कारण ऐसे मामले कम ही सामने आते हैं।

10.5.5 राज्य लोक सेवा आयोग भूमिका का मूल्यांकन

प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग होता है। यह संघ लोकसेवा आयोग की भांति ही कार्य करता है। राज्य लोक सेवा आयोग भी भारतीय संविधान के अंतर्गत ही कार्य करते हैं तथा इनकी कार्यप्रणाली संघ लोकसेवा आयोग की समान ही होती है। परन्तु लोकसेवा आयोग की कार्य प्रणाली हर राज्य की मांग के अनुरूप अलग-अलग होती है। विविध राज्य लोक सेवा आयोग ने, कुछ अपवादों को छोड़कर, अपने संविधानिक उद्देश्यों को काफी सीमा तक पूरा किया है और वास्तव में यह सिद्ध कर दिया है कि यह किसी खास वर्ग विशेष का प्रतिनिधि नहीं बल्कि निष्पक्ष और राजनीतिक रूप से किसी भी प्रकार के दबावों से अपने आप को अछूता पाता है। आयोग ने कार्यपालिका के दबाव के विरुद्ध बिना भय या पक्षपात कर अधिक अच्छी मिसाल कायम की है।

10.6 कर्मचारी चयन आयोग

कर्मचारी चयन आयोग भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय से संबद्ध एक संस्था है। कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना का उद्देश्य भारत सरकार के गैर तकनीकी संवर्ग के पदों पर निम्न स्तर के कर्मचारियों की भर्ती करने संबंधी व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाना है। भारत सरकार के मंत्रालयों व विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में गैर तकनीकी समूह 'ग' और समूह 'घ' के अराजपत्रित पदों में भर्ती का कार्य आयोग द्वारा किया जाता है। इसके लिए समय-समय पर आयोग द्वारा परीक्षायें आयोजित किये जाते हैं। संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों की अधिकता को देखते हुए तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना संसद की आकलन समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी।

10.6.1 कर्मचारी चयन आयोग का गठन सम्बन्धी प्रावधान

संसद की आकलन समिति ने अपनी 47वीं रिपोर्ट (1967-68) में कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी जिसके आधार पर निम्न श्रेणी के पदों पर कर्मचारियों की भर्ती संबंधित परीक्षाएं आयोजित करने का दायित्व एक नई संस्था को देने का फैसला किया गया। विविध नियुक्ति संबंधी परीक्षा आयोजित करने के कारण संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा एवं परिणाम की घोषणा करने में अनावश्यक विलंब हो जाता था तथा निम्न स्तर के पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति की समस्या बनी रह जाती थी। इसलिए एक निकाय की स्थापना आवश्यकता महसूस हुई। अंतरिम तौर पर सचिवालय प्रशिक्षण विद्यालय में एक परीक्षा स्कन्ध स्थापित किया गया जिसे बाद में सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान कहा गया।

प्रशासनिक सुधार समिति ने भी कार्मिक प्रशासन संबंधी अपनी रिपोर्ट में इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया था कि केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकांश पद तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी से संबंध रखते हैं। नियुक्ति संबंधी व्यवस्थाओं को समान स्वरूप देने के लिए विभिन्न अनुशांसाएं की थी। आयोग की इन अनुशांसाओं के पश्चात भारत सरकार ने वर्ष 1975 में एक अधीनस्थ चयन आयोग की स्थापना का निर्णय लिया। इस आयोग द्वारा विभिन्न सरकारी एवं अधीनस्थ कार्यालयों में लिपिक आशुलिपिक एवं विविध सैनी एवं निम्न श्रेणी के पदों पर नियुक्ति संबंधी परीक्षाएं आयोजित करने और सफल परीक्षार्थियों की सिफारिश करने का उत्तरदायित्व एक नवगठित चयन आयोग को सौंपा गया। इसे बाद में कर्मचारी चयन आयोग का नाम दिया गया जो जुलाई 1976 से गतिमान हुआ। इसे पहले "अधीनस्थ सेवा आयोग" कहते थे। इसका पुनः नामकरण सितंबर 1977 में 'कर्मचारी चयन आयोग' के रूप में हुआ।

10.6.2 कर्मचारी चयन आयोग का संगठन

कर्मचारी चयन आयोग केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का संबंध कार्यालय है, इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। साथ ही एक सदस्य सचिव सह-परीक्षा नियंत्रक होते हैं जिनकी नियुक्ति समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों के अधीन की जाती है। सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो पहले हो, होता है। सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। आयोग की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाती है। सचिव दोनों सदस्यों के अधीन कार्य करता है। आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली के सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड में स्थित है। वर्तमान में आयोग में एक निदेशक, दो संयुक्त निदेशक, एक उप सचिव, 9 अनु सचिव, 4 उप निदेशक, एक वित्त अधिकारी, 24 अनुभाग अधिकारी और 183 से अधिक अन्य कर्मचारी मुख्यालय में कार्यरत हैं।

इसके अतिरिक्त कर्मचारी चयन आयोग के सात क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो इलाहाबाद, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, बैंगलुरु और चेन्नई में स्थित हैं। इसके साथ ही, कर्मचारी चयन आयोग के दो उप-क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो रायपुर और चंडीगढ़ में स्थित हैं। उप-क्षेत्रीय कार्यालय में क्षेत्रीय निदेशक प्रधान होते हैं, जिनकी सहायता के लिए उप निदेशक नियुक्त होते हैं। कर्मचारी चयन आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय आयोग की नीतियों तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, क्षेत्रीय कार्यालय के पर्यवेक्षण में राज्य सरकार के साथ संपर्क बनाए रखने तथा अपने केंद्र में अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर रहकर परीक्षा और साक्षात्कारों का आयोजन करने में आयोग की सहायता करते हैं।

10.6.3 कर्मचारी चयन आयोग के कार्य

कर्मचारी चयन आयोग का कार्य भारत सरकार के मंत्रालयों व विभागों, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों और महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक एवं महालेखाकारों के कार्यालयों में गैर-तकनीकीय समूह 'ग' और 'घ' के अराजपत्रित पदों में भर्ती करना है। अधीनस्थ सेवा आयोग की स्थापना सरकारी क्षेत्र में निम्न श्रेणी के पदों में भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन करने के लिए की गई है। कर्मचारी चयन आयोग ने सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान की परीक्षा स्कंध द्वारा आयोजित किए जाने वाले परीक्षा संबंधित सभी कार्य अपनी स्थापना के वक्त ही ले लिए थे। धीरे धीरे आयोग ने दिल्ली और दिल्ली के बाहर स्थित संपूर्ण केंद्र सरकार के संगठनों में सभी मध्य स्तरीय और अधीनस्थ स्तर के गैर तकनीकी पदों पर नियुक्ति करने का कार्य संपादित करना शुरू किया जो संपूर्ण सरकारी पदों का लगभग 55 फ्रीसदी है। आयोग नीतियां तैयार करने के लिए उत्तरदायी है जिसमें परीक्षाओं की एवं अन्या प्रक्रियाओं की योजना बनाना शामिल है, ताकि परीक्षाओं और चयन परीक्षणों को सुव्यवस्थित रूप से चलाया जा सके। कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा के साथ-साथ संयुक्त उच्चतर माध्यमिक परीक्षा, आशुलिपिक सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, इंजीनियरिंग सहायक, कनिष्ठ अभियंता सीमित विभागीय परीक्षा और अन्य परीक्षा आयोजित करता है।

कर्मचारी चयन आयोग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं-

- केंद्रीय सरकार के निम्न श्रेणी के लिपिकों की भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन।
- केंद्रीय सचिवालय के आशुलिपिक सेवा संवर्ग की भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन।
- केंद्रीय सचिवालय के लिपिक श्रेणी तथा वर्ग चतुर्थ सेवर भारतीय में पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षाओं का आयोजन।
- अंग्रेजी और हिंदी की टंकण परीक्षा का आयोजन आदि।

इस प्रकार, भारत सरकार के लगभग 55 प्रतिशत पद, जो मध्य एवं अधीनस्थ स्तर के गैर तकनीकी पद होते हैं तथा उन पर नियुक्ति का कार्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ही किया जाता है। वर्तमान समय में इस आयोग के पास

कुछ नए कार्य भी सौंपे गए हैं। भर्ती के लिए योग्यताओं पर परामर्श, पद विशेषीकरण, विशेष वर्गों एवं श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए चयन के विशेष प्रयास, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों के लिए नियुक्ति से पूर्व प्रशिक्षण आदि ऐसे विषय हैं, जिन पर कर्मचारी चयन आयोग कार्य करता है।

10.6.4 कर्मचारी चयन आयोग भूमिका का मूल्यांकन

स्थापना से लेकर आज तक कर्मचारी चयन आयोग की भूमिका सकारात्मक रही है। लगातार बढ़ रहे नियुक्तियों की जिम्मेदारियों का निर्वाह इस संस्था ने बखूबी किया है। विगत कुछ वर्षों में पद संबंधी अपेक्षाओं और उम्मीदवारों की उपलब्धता को देखते हुए कर्मचारी चयन आयोग ने मंत्रालयों, विभागों और संगठनों को परामर्श देने का कार्य भी अपने हाथों में ले लिया है। साथ ही जिन क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की उम्मीदवार उपलब्ध हैं, वहां आयोग ने अपने अथक प्रयास से अपनी परीक्षाओं को लोकप्रिय बनाया है और विगत कुछ वर्षों से इन वर्गों के छात्र-छात्राएं विविध परीक्षाओं के माध्यम से कर्मचारी आयोग द्वारा सम्मिलित किए जा रहे हैं। यह आयोग शिक्षण सामग्री और शिक्षण केंद्र आदि के माध्यम से नियुक्ति पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था करके एक उत्प्रेरक अभिकरण की भूमिका भी निभाता है। कर्मचारी चयन आयोग मूक बधिर लोगों के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान भी चलाता है। इस आयोग द्वारा परीक्षाएं आयोजित करने और उम्मीदवारों के चयन में अपनाई गई कार्य विधियां क्रियाएं संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इस संदर्भ में दशकों से अपनाई गई प्रणाली पर ही आधारित है परंतु आयोग ने प्रशासनिक तंत्र की स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सरकारी कर्मचारियों की व्यापक नियुक्ति संबंधी अपेक्षाओं के अनुरूप कुछ नए परिवर्तन भी किए हैं।

10.7 कार्मिक अभिकरणों की भूमिका का मूल्यांकन

राज्य के स्वरूप और गतिविधियों के विस्तार के साथ प्रशासन का महत्व भी बढ़ता गया है। आज के संदर्भ में राज्य केवल सतही और विनियामक कार्य ही नहीं करता बल्कि वह लोगों की राज्य के प्रति आकांक्षाओं के अनुरूप आर्थिक विकास को गति देता है और सामाजिक और संस्कृति प्रगति को भी एक परिवर्तित रूप देता है। सरकार के कार्य, परिस्थितियों के अनुसार विगत कई दशकों से परिवर्तित हुए हैं और अब प्रशासन एक गतिमूलक, परिवर्तनमूलक और उद्देश्यमूलक प्रणाली का रूप ले चुका है। इस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था में कार्मिक अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कार्मिकों को व्यवसायिक और प्रेरणात्मक रूप से तैयार करने के लिए एक ठोस संगठनात्मक प्रणाली का विकसित होना अत्यावश्यक है और ऐसी संगठनात्मक संरचना की छवि हमें केंद्रीय कार्मिक अभिकरण में दिखाई पड़ती है। केंद्रीय कार्मिक अभिकरण ऐसे ही माध्यम हैं जो सभी महत्वपूर्ण कार्मिक गतिविधियों को क्रियान्वित करते हैं तथा भावी नीतियों को बनाने में और विकास कार्यक्रमों की योजना बनाने में सही दिशा भी प्रदान करते हैं। कार्मिक अभिकरण सक्रिय कार्मिक नीति बनाने और कार्मिक संबंधी आधुनिक प्रयोगों को लागू करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपने 70 वर्ष के कार्यकाल में लोक सेवा आयोग ने अपने संविधानिक उद्देश्यों को काफी सीमा तक पूरा किया है और वास्तव में यह सिद्ध कर दिया है कि यह किसी खास वर्ग विशेष का प्रतिनिधि नहीं बल्कि निष्पक्ष और राजनीतिक रूप से किसी भी प्रकार के दबावों से अपने आप को अछूता पाता है। आयोग ने कार्यपालिका के दबाव के विरुद्ध बिना भय या पक्षपात कर अधिक अच्छी मिसाल कायम की है।

अभ्यास प्रश्न-

1. केन्द्रीय कार्मिक विभाग की स्थापना कब की गई थी?
2. भारत के संविधान में लोक सेवा आयोगों के कितने वर्गों पर विचार किया गया है?
3. सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा का आयोजन कौन करता है?

4. राज्य लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट किसके सम्मुख प्रस्तुत की जाती है ?
5. कर्मचारी चयन आयोग के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं ?

10.8 सारांश

इस प्रकार इस इकाई में हमने विविध केंद्रीय अभिकरण के उद्भव एवं विकास, संगठन एवं कार्यों के संबंध में व्यापक रूप से चर्चा की, जो विविध कार्मिक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार हैं। परामर्श दात्री भूमिका तथा उन उपायों पर भी चर्चा की, जो सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से संभावित अनादर के संबंध में संविधान में उपस्थित हैं। भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान राष्ट्रवादियों ने जो राजनीतिक आन्दोलन चलाया, उसकी एक प्रमुख मांग थी कि लोक सेवा आयोग में भर्ती भारत में हो, क्योंकि तब इसकी परीक्षा इंग्लैंड में हुआ करती थी। प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना अक्टूबर 1926 को हुई। आजादी के बाद संवैधानिक प्रावधानों के तहत 26 अक्टूबर 1950 को लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। इसे संवैधानिक दर्जा देने के साथ साथ स्वायत्ता भी प्रदान की गयी ताकि यह बिना किसी दबाव के योग्य अधिकारियों की भर्ती कर सके। स्वतंत्रता के बाद, संविधान सभा ने अनुभव किया कि सिविल सेवाओं में निष्पक्ष भर्ती सुनिश्चित करने के साथ ही सेवा हितों की रक्षा के लिए संघीय एवं प्रांतीय, दोनों स्तरों पर लोक सेवा आयोगों को एक सुदृढ़ और स्वायत्त स्थिति प्रदान करने की आवश्यकता महसूस की गई। इस नव स्थापित लोक सेवा आयोग को संघ लोक सेवा आयोग नाम दिया गया। संघ लोक सेवा आयोग भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक ऐसी संस्था है, जो भारत सरकार के लोक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाएँ संचालित करती है। आयोग की मुख्य भूमिका केंद्र तथा राज्यों (अर्थात् अखिल भारतीय सेवा) के लिए सामान्य विभिन्न केंद्रीय सिविल सेवाओं तथा पदों एवं सेवाओं में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों का चयन करना है।

संघ और राज्य लोक सेवाओं की स्थापना के अलावा वर्ष 1976 में कर्मचारी चयन आयोग का गठन किया गया जिसे सरकार के मध्य स्तरीय और गैर तकनीकी श्रेणी की अधीनस्थ कर्मचारियों की भर्ती संबंधी दायित्व सौंपा गया। इस इकाई में हमने कर्मचारी चयन आयोग के कार्यों की भी व्याख्या की है।

10.9 शब्दावली

संविधान- राजनीतिक व्यवस्था को नियमित एवं नियंत्रित करनेवाला देश का सर्वोच्च कानून, प्रश्न- किसी पर अनुग्रह करके नियुक्ति प्रदान करने का तरीका, ढांचा- संरचना, दिवालिया- ऐसा व्यक्ति जिसके पास धन धन लौटाने के लिए पर्याप्त धन माल्या संपत्ति ना हो, परिनिन्दा- त्रुटियों को दर्शाने वाली टिप्पणी, अध्यादेश- विधान मंडल की कार्यवाही न होने की स्थिति में राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा लाया गया कानून

10.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. वर्ष 1970 में, 2. तीन, 3. संघ लोक सेवा आयोग, 4. राज्यपाल के 5. सात

10.11 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अवस्थी एवं माहेश्वरी, 2002, लोक प्रशासन, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा।
2. निग्रो, फेलिक्स ए., 1963, पब्लिक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, हाल्ट, न्यूयॉर्क।
3. सरन, पी., 2005, आधुनिक लोक प्रशासन, मीनाक्षी प्रकाशन, नयी दिल्ली।
4. डे, बाटा के., 1978, भारत में नौकरशाही का विकास और लोक प्रबंध उपपल पब्लिशिंग हाउस, नयी दिल्ली।

10.12 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. शर्मा, एम. पी., 2005, लोक प्रशासन, किताब महल, इलाहाबाद।
 2. भट्टाचार्य, मोहित, 2012, लोक प्रशासन, वर्ल्ड प्रेस, कोलकाता।
-

10.13 निबन्धात्मक प्रश्न

1. संघ लोक सेवा आयोग के उद्भव एवं विकास का वर्णन कीजिए।
2. संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों की समीक्षा कीजिए।
3. संघ लोक सेवा आयोग की परामर्शदात्री भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।
4. राज्य लोक सेवा आयोग के संगठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए।
5. कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना के उत्तरदायी कारणों का विश्लेषण कीजिए।
6. कर्मचारी चयन आयोग के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए।

इकाई- 11 केन्द्रीय एवं राज्य प्रशिक्षण संस्थान

इकाई की संरचना

- 11.0 प्रस्तावना
- 11.1 उद्देश्य
- 11.2 प्रशिक्षण का महत्व
- 11.3 प्रशिक्षण के प्रकार
- 11.4 प्रशिक्षण की महत्वपूर्ण पद्धतियां
- 11.5 प्रशिक्षण संस्थानों का उद्देश्य
- 11.6 केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान
- 11.7 राज्य प्रशिक्षण संस्थान
- 11.8 प्रशिक्षण संस्थानों की महत्ता
- 11.9 प्रशिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन
- 11.10 सारांश
- 11.11 शब्दावली
- 11.12 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 11.13 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 11.14 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 11.15 निबन्धात्मक प्रश्न

11.0 प्रस्तावना

प्रशिक्षण मानव संबंध विकास का एक महत्वपूर्ण आयाम है। ज्ञानार्जन और संबंधित कार्य प्रणाली को समझने के लिए प्रशिक्षण एक आवश्यक माध्यम है। प्रशिक्षण की महत्ता को ध्यान में रखकर स्वतंत्रता के पश्चात भारत में राष्ट्रीय और राज्य दोनों ही स्तर पर अनेक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए हैं। ये संस्थान विविध प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाते हैं तथा कर्मचारियों में आवश्यक दक्षता, ज्ञान एवं दृष्टिकोण का विकास करते हैं। प्रशिक्षण एक सक्रिय, सुनियोजित और सुविचारित प्रक्रिया है। इसका प्रयोजन कर्मचारियों की उनके कार्यकुशलता, ज्ञान और कार्य क्षमता को सुधारना है तथा इसका लक्ष्य कर्मचारियों को उच्च जिम्मेदारियों के लिए तैयार करना भी है। लोक सेवकों की योग्यता, कुशलता, बुद्धि व दृष्टिकोण को एक निश्चित दिशा में अग्रसर करने का प्रयास प्रशिक्षण कहलाता है। किसी कार्यविशेष को कुशलता के साथ करने हेतु कर्मचारियों के ज्ञान, कुशलता, अभिरुचि तथा क्षमताओं में वृद्धि की प्रक्रिया का नाम प्रशिक्षण है। राज्य के कार्यों में अत्यधिक विस्तार होने के कारण लोक सेवकों की महत्ता विगत कुछ वर्षों से काफी बढ़ गई है। लोक प्रशासन की गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता इसके कार्मिकों पर निर्भर करती है। लोक सेवाओं में नियुक्त व्यक्ति पूर्व से ही न्यूनतम शैक्षिक योग्यताधारी होते हैं। आमतौर पर लोक सेवा में प्रवेश करने से पूर्व ही वे अपनी शिक्षा पूरी कर चुके होते हैं, परंतु शिक्षा की प्रक्रिया उसके बाद भी जारी रहती है। विभिन्न परिवर्तनों एवं तकनीक से उनकी कुशलता और दक्षता को सुधारने का प्रयास किया जाता है। इस कार्य शिक्षा को लोक सेवाओं में प्रशिक्षण कहा जाता है। भारत जैसे विकासशील देश में प्रशिक्षण कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु कई प्रशिक्षण संस्थाएं स्थापित की गई हैं और समय-समय पर इनमें आवश्यक संरचनात्मक एवं व्यवहारिक परिवर्तन भी किए गए हैं।

इस अध्याय का उद्देश्य पाठकों को प्रशिक्षण के महत्व, प्रशिक्षण के प्रकार तथा विविध प्रशिक्षण संस्थानों से परिचय कराना है। इसमें प्रशिक्षण संस्थानों का उद्देश्य, भारत में प्रशिक्षण एजेंसियां और संस्थाएं, केन्द्रीय एवं राज्य प्रशिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण संस्थानों की महत्ता एवं प्रशिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन आदि विषयों पर भी विस्तार से चर्चा से की जाएगी। इस इकाई में प्रशिक्षण के विभिन्न कार्यों के संबंध में केन्द्रीय एवं राज्य प्रशिक्षण संस्थानों के महत्व तथा संस्थानों द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें प्रशिक्षण के लिए प्रमुख अभिकरण- केन्द्रीय तथा राज्य प्रशिक्षण संस्थान के कार्यों पर भी प्रकाश डाला जाएगा।

11.1 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन करने के उपरान्त आप-

- प्रशिक्षण के महत्व एवं प्रकार के बारे में जान सकेंगे।
- साथ ही प्रशिक्षण संस्थानों के उद्देश्य, भारत में प्रशिक्षण एजेंसियां और संस्थाएं, केन्द्रीय एवं राज्य प्रशिक्षण संस्थान के बारे में भी अवगत होंगे।
- भारत में प्रशिक्षण की प्रणाली एवं प्रशिक्षण संस्थानों की महत्ता को समझने में सक्षम हो पाएंगे तथा
- प्रशिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन भी कर पाएंगे।

11.2 प्रशिक्षण का महत्व

प्रशिक्षण प्रशासन एवं प्रबन्धन की एक विधा है। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की दक्षता, ज्ञान एवं दृष्टिकोण में विकास कर उन्हें मौजूदा और भावी कार्यों के योग्य बनाना है। कार्य निष्पादन हेतु एक बुनियादी निवेश के रूप में प्रशिक्षण कार्य करता है। लोक सेवकों को संगठन के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के संबंध में प्रशिक्षित करना अनिवार्य है। प्रशिक्षण सरकारी सेवा में नियुक्त कर्मचारियों को इस योग्य बना देता है कि जिससे कि वह संगठन में उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों से परिचित हो जाए। इस प्रकार प्रशिक्षण कार्यों की भूमिका और महत्व के प्रति जागरूक बनाता है।

किसी भी लोकतान्त्रिक व्यवस्था में प्रशिक्षण को आवश्यक माना गया है। प्रशिक्षण कार्य एवं संगठन की आवश्यकताओं के लिए एक कर्मचारी के ज्ञान निपुणताओं, व्यवहार, अभिरूचियों तथा मनोवृत्तियों में सुधार करता है, परिवर्तन उत्पन्न करता है तथा ढालता है। प्रशिक्षण का उद्देश्य लोक सेवकों की कार्यकुशलता और क्षमता को बढ़ाना है। प्रशिक्षण का शाब्दिक अर्थ किसी खास कला या व्यवसाय शिक्षा देना है। लोक प्रशासन में प्रशासन का अर्थ किसी कर्मचारी की कार्यकुशलता, शक्ति और बुद्धिमत्ता को सुधारने तथा वांछित दिशा में उसकी रुचि और मूल्य को विकसित करने का सक्रिय प्रयास करना है। व्यापक अर्थों में प्रशिक्षण जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। शिक्षा के समान ही प्रशिक्षण जीवन पर्यंत चलने वाली एक लंबी प्रक्रिया है, परंतु शिक्षा की तुलना में प्रशिक्षण के उद्देश्य सीमित और निश्चित होता है। शिक्षा किसी व्यक्ति के बाल्यकाल से प्रारंभ होकर व्यक्तित्व, चरित्र, व्यवहार, रुचियां, क्षमता आदि के निर्माण को प्रभावित करती है और व्यापक मानसिकता उत्पन्न करती है। परंतु प्रशिक्षण किसी विशेष किस्म के कार्य अथवा व्यवसाय के लिए अपेक्षित कार्यकुशलता और ज्ञान में सुधार करता है। इस प्रकार प्रशिक्षण की अपेक्षा शिक्षा अधिक व्यापक अवधारणा है। फिर भी प्रशिक्षण और शिक्षा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अधिकांश बार वे परस्पर व्यापी होते हैं। साधारण शब्दों में, प्रशिक्षण किसी कार्य विशेष को सम्पन्न करने के लिए एक कर्मचारी के ज्ञान एवं निपुणताओं में वृद्धि करने का कार्य है। प्रशिक्षण एक

अल्पकालीन शैक्षणिक प्रक्रिया है तथा जिसमें एक व्यवस्थित एवं संगठित कार्य-प्रणाली उपयोग में लायी जाती हैं, जिसके द्वारा एक कर्मचारी किसी निश्चित उद्देश्य के लिए तकनीकी ज्ञान एवं निपुणताओं को सीखता है।

प्रशिक्षण कार्मिक प्रशासन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर प्रशासनिक कार्यकुशलता बहुत हद तक निर्भर करती है। बदली हुई परिस्थितियों में प्रशिक्षण की आवश्यकता अत्यधिक महसूस की गई है। प्रशिक्षण प्रबंध का सर्वप्रथम एवं सर्वोपरि उत्तरदायित्व है। संगठन के कार्यों को संपन्न कराने के लिए शिक्षण एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में उभरा है। व्यक्ति में जो कुशलता, आदत, ज्ञान आदि जो पूर्व में विद्यमान रहते हैं, उन्हें प्रशिक्षण द्वारा अधिक परिमार्जित किया जा सकता है। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य प्रशासन में कार्यकुशलता स्थापित कर कर्मचारियों को उच्च स्तर के कार्यों का उत्तरदायित्व वहन करने की क्षमता विकसित करना है तथा उनकी तकनीकी योग्यताओं के विकास द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उनकी कार्यकुशलता को बढ़ाना भी है। प्रशासनिक अधिकारियों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाने में प्रशिक्षण का अत्यधिक योगदान है। इस प्रकार अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मानसिक एवं बौद्धिक क्षमता में वृद्धि प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण कार्य है।

प्रशिक्षण का उद्देश्य कर्मचारियों को उनके वर्तमान तथा आगामी कार्यों से परिचित होने हेतु सक्षम बनाना है। प्रशिक्षण एक सक्रिय, सुनियोजित और सुविचारित प्रक्रिया है। प्रशिक्षण के महत्व निम्नलिखित हैं-

1. उच्चतर कार्यनिष्पादन- प्रशिक्षण के द्वारा समग्र रूप से संस्था तथा कर्मचारी दोनों के कार्य की गुणवत्ता तथा मात्रा बेहतर बनती है। ज्ञान, कार्यकुशलता तथा उत्पादकता में वृद्धि होती है।
2. प्रक्रियाओं की एकरूपता- इसके द्वारा कार्य करने की सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध कार्यविधियों का मानकीकरण किया जा सकता है तथा उन्हें सभी कर्मचारियों को सिखाया जा सकता है, जिससे कार्यनिष्पादन की गुणवत्ता में सुधार होता है।
3. सीखने की कम अवधि- इससे कार्यनिष्पादन के स्वीकार्य स्तर तक पहुंचने हेतु आवश्यक सीखने की अवधि तथा लागत दोनों में कमी लाने में सहायता मिलती है। कर्मचारियों को गलतियां करके तथा दूसरों को देखकर काम सीखने पर समय व्यर्थ नहीं गंवाना पड़ता।
4. उच्च मनोबल- इससे कर्मचारियों के कार्य संबंधी संतोष तथा मनोबल में वृद्धि होती है तथा सकारात्मक सोच विकसित होती है जिसके कारण वे अपने कार्य तथा संस्था के प्रति अधिक सहायक तथा वफ़ादार बनते हैं। अनुशासन तथा संबंधों में सुधार आने के फ़लस्वरूप अनुपस्थिति की दर तथा श्रमिकों के आवर्तन में कमी आती है।
5. कम पर्यवेक्षण- इससे कर्मचारियों के विस्तृत तथा निरंतर पर्यवेक्षण की आवश्यकता कम होती है तथा वे अपने कार्य में आत्मनिर्भर हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है, उन्हें क्या करना है और कैसे करना है।
6. सामाजिक-आर्थिक विकास की योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक- देश के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु प्रशिक्षण की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है बल्कि बदलती परिस्थितियों के संबंध में आवश्यक भी होती है।
7. सहभागितापूर्ण प्रबंधन- इससे प्राधिकारों के प्रत्यायोजन तथा विकेंद्रीकरण में सहायता मिलती है। प्रशिक्षित कर्मचारी नये तथा चुनौतीपूर्ण कार्य स्वीकार करने हेतु तत्पर रहते हैं।

इस प्रकार सरकार के निरंतर कार्यों में विस्तार के फलस्वरूप प्रशासन अब जटिल और तकनीकी बन गया है। योग्यता प्रणाली पर आधारित भर्ती नीतियां और कार्यक्रम लोक सेवाओं में सर्वोत्तम योग्यता प्राप्त और सक्षम व्यक्तियों को चुनने का प्रयास करते हैं। कुशल प्रशासन हेतु लोक सेवकों को उपयुक्त एवं प्रभावी प्रशिक्षण आवश्यक है। लोक सेवा के कर्मचारियों का प्रशिक्षण आधुनिक काल में प्रबंधन का महत्वपूर्ण पहलू है। अधिकांश चुने गए व्यक्तियों में उपाधियां पूर्व से ही धारित होती है जो बदलते परिदृश्य में पर्याप्त नहीं होती। प्रशिक्षण अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नवीन परिस्थितियों के अनुसार प्रशासनिक कार्यों को कुशलता पूर्वक करने में

मददगार सिद्ध होता है एवं उसकी कार्यकुशलता एवं दक्षता को सुधारता है। लोक सेवकों को अपने संगठन के लक्ष्यों और उद्देश्यों, संघ कार्य के स्वरूप, वास्तविक कार्य करने की तकनीक और पद्धतियों के बारे में ज्ञान प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा दिया जा सकता है। इसी प्रकार बदलते हुए परिदृश्य में अर्जित ज्ञान और कार्यकुशलता को नवीन एवं अद्यतन बनाने हेतु प्रशिक्षण आवश्यक है, जो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कार्य की प्रकृति, परिणाम की महत्ता और विकासात्मक कार्यों में रुचि मौजूदा समय की आवश्यकता को और महत्वपूर्ण बनाती है।

11.3 प्रशिक्षण के प्रकार

सभी प्रजातांत्रिक देशों में लोक सेवकों का प्रशिक्षण बुनियादी महत्व का होता है। प्रशिक्षण न केवल नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए आवश्यक है बल्कि उनके लिए भी आवश्यक है, जो सेवा में कार्यरत हैं। इसकी प्रकृति अलग-अलग हो सकती है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम देश में विद्यमान सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक दशाओं को रखकर तैयार किए जाते हैं। प्रशिक्षण देशों में भिन्न-भिन्न प्रकार से और विभिन्न तकनीकों से दिया जाता है। सामान्यतया प्रशिक्षण को निम्नलिखित श्रेणियों में विभक्त किया जाता है-

1. **औपचारिक एवं अनौपचारिक प्रशिक्षण-** प्रमुखतया प्रशिक्षण दो प्रकार के होते हैं- अनौपचारिक और औपचारिक। अनौपचारिक प्रशिक्षण का अर्थ है, वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन के अधीन वास्तविक काम करते हुए काम सीखना। अतः यह प्रशिक्षण अनुभव से या प्रयत्न एवं भूल पद्धति द्वारा होता है। प्रशिक्षु को प्रशासनिक कुशलता की प्राप्ति वास्तविक काम करते हुए अर्थात् व्यवहार के दौरान होती है। इसको 'काम पर प्रशिक्षण' कहते हैं। लोक प्रशासन में यह प्रशिक्षण की परंपरागत पद्धति है। ए.डी. गोरवाला के शब्दों में, "एक अच्छे कलेक्टर (जिलाधीश) का घर नए सहायक कलेक्टर के लिए अक्सर ही उसका दूसरा घर होता है।" दूसरी ओर, औपचारिक प्रशिक्षण विशेषज्ञ मार्गदर्शन तथा निरीक्षण के अंतर्गत व्यवस्थित ढंग से पूर्व नियोजित और सुस्पष्ट पाठ्यक्रमों के द्वारा दिया जाता है। औपचारिक प्रशिक्षण की परम्परा प्रक्रिया में पूर्व निर्धारित योजना के अन्तर्गत विशिष्ट प्रशिक्षकों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण विधिवत् प्रशिक्षण केन्द्र में संगोष्ठी, वाद-विवाद, व्याख्यान आदि के माध्यम से दिया जाता है। इसमें विशेष प्रकार के प्रशासनिक कौशल व कार्यविधि का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके विपरीत अनौपचारिक प्रशिक्षण अनुभव एवं व्यक्तिगत सम्पर्क पर आधारित होता है। इसमें नवनियुक्त अधिकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रहकर उसके आचरण को देखकर अनुभव ज्ञान व कौशल की प्राप्ति करता है। अनौपचारिक प्रशिक्षण लोक प्रशासन में प्रशिक्षण का परंपरागत तरीका है और व्यावहारिक प्रशासन इसे आज भी प्राथमिकता देते हैं परंतु यह प्रक्रिया सीखने की सबसे कठिन तरीका है और इसमें कर्मचारियों को काफी धैर्य और लता की आवश्यकता होती है। अनौपचारिक प्रशिक्षण अधिकांश देशों में लोकप्रिय नहीं है।
2. **अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन प्रशिक्षण-** अल्पकालीन प्रशिक्षण अल्पविधि के लिए दिया जाता है, जबकि दीर्घकालीन प्रशिक्षण एक लम्बे समय तक चलता है। अल्पकालीन प्रशिक्षण किन्हीं विशेष परिस्थितियों में दिया जाता है। जैसे- युद्ध के समय मोर्चे पर भेजते समय नवनियुक्त सैनिकों को दिया गया प्रशिक्षण। इसके विपरीत दीर्घकालीन प्रशिक्षण में विषय की गहन जानकारी एक लम्बी अवधि में प्रदान की जाती है। जैसे- शान्तिकाल में सैनिकों को दिया गया प्रशिक्षण। यह प्रशिक्षण जटिल व तकनीकी प्रकृति का होता है। अवधि के अनुसार प्रशिक्षण को अल्पकालिक और दीर्घकालिक वर्गों में रखा जाता है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम यदि कुछ सप्ताहों या एक-दो माह का होता है तो उसे अल्पकालिक प्रशिक्षण कहते हैं और यदि

यह छह महीने से एक या दो-तीन वर्ष का होता है तो उसे दीर्घकालिक प्रशिक्षण कहा जाता है। भारत में दीर्घकालिक प्रशिक्षण का उदाहरण भारतीय विदेश सेवा का प्रशिक्षण है जिसकी अवधि तीन वर्ष होती है।

3. **विभागीय एवं केन्द्रीय प्रशिक्षण-** विभागीय प्रशिक्षण विभाग या कार्यालय के अन्दर ही अनुभवी विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रदान किया जाता है। यह प्रशिक्षण विभाग की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप दिया जाता है। इसके विपरीत उच्च एवं जटिल कार्यों के लिए प्रशिक्षण विभाग के केन्द्रीय मुख्यालय या केन्द्रीय सत्ता द्वारा दिया जाता है। प्रशिक्षण जब विभाग द्वारा (विभाग के अंदर) आयोजित किया जाता है तो उसे विभागीय प्रशिक्षण कहते हैं। यह विभाग के वरिष्ठ एवं अनुभवी सदस्य देते हैं। इस प्रकार के प्रशिक्षण का उदाहरण एस. बी. पी. राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद द्वारा दिया जाने वाला प्रशिक्षण है।

दूसरी ओर विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन जब केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान द्वारा होता है तो उसे केंद्रीय या केंद्रीयकृत प्रशिक्षण कहते हैं। इस प्रकार के प्रशिक्षण का उदाहरण एल.बी.एस. राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी द्वारा दिया जाने वाला प्रशिक्षण है।

4. **कौशल एवं सामान्य प्रशिक्षण-** कौशल प्रशिक्षण विशिष्ट योग्यता प्रदान करने के उद्देश्य से दिया जाता है। उदाहरणार्थ- पुलिस विभाग को आपराधिक कृत्यों की खोज व निवारण हेतु दिया गया प्रशिक्षण। इसके विपरीत, सामान्य प्रशिक्षण किसी विशिष्ट कौशल को बढ़ाने के लिए नहीं वरन् कार्य-सम्पादन को सुगम बनाने की दृष्टि से दिया जाता है। इसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि क्षेत्रों की जानकारी देते हुए ऐसी पृष्ठभूमि तैयार की जाती है जिससे कि प्रशिक्षणार्थी सरलता से विषय को ग्रहण कर सकें।

5. **प्रवेश-पूर्व, सेवाकालीन एवं प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण-** लोक सेवाओं में प्रवेश से पूर्व दिया गया प्रशिक्षण प्रवेश-पूर्व प्रशिक्षण है जबकि किसी व्यक्ति विशेष को सेवा में प्रवेश के बाद दिया गया प्रशिक्षण प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण कहलाता है। महाविद्यालयों और विश्व विद्यालयों की औपचारिक शिक्षा के पश्चात् चयनित लोक सेवकों का प्रशिक्षण विभिन्न संस्थानों में आयोजित किए जाते हैं। इसे सेवाकालीन प्रशिक्षण भी कहा जाता है। सेवाकालीन प्रशिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक पद्धति का संयुक्त रूप भी हो सकता है और इस सेवा के सभी स्थानों पर दिया जा सकता है। इससे कर्मचारी की दक्षता और कार्य निष्पादन सुधारने में सहायता मिलती है तथा उन्हें व्यवसायिक रूप से अधिक सक्षम और योग्य बनाया जाता है। कभी-कभी कर्मचारी के वास्तविक कार्य से प्रवेश उत्तर प्रशिक्षण का सीधा संबंध नहीं होता परंतु उनकी सामान्य योग्यता और संगठनात्मक कार्य निष्पादन सुधारने प्रत्यक्ष रूप से बहुत सहायक होता है। सेवा में पद-स्थापन से पूर्व दिया जाने वाला प्रशिक्षण 'प्रवेश-पूर्व प्रशिक्षण' कहलाता है। शिक्षण संस्थाएँ इस प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। वर्तमान में विश्व विद्यालयों में तकनीकी व व्यावसायिक प्रशिक्षण को विशेष महत्व दिया जा रहा है। सेवाकालीन प्रशिक्षण पहले से कार्यरत कर्मियों को दिया जाता है जिससे कि वे अपने कार्य को अधिक कुशलता व दक्षता के साथ सम्पन्न कर सकें। यह एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। यह प्रशिक्षण सामूहिक या व्यक्तिगत किसी भी रूप में हो सकता है। महाविद्यालय एवं विश्व विद्यालय की शिक्षा तथा व्यवसाय अथवा तकनीकी शिक्षा को प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण की संज्ञा दी गई है। प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण काफी प्रचलित प्रथा है। सेवाकालीन प्रशिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक पद्धति का संयुक्त रूप हो सकता है तथा इसे सेवा के सभी स्तरों पर दिया जाता है। कर्मचारियों की दक्षता और कार्य निष्पादन सुधारने में सहायता मिलती है तथा उन्हें व्यवसायिक रूप से अधिक सक्षम और योग्य थी बनाया जाता है। यह प्रशिक्षण उन प्रत्याशियों को दिया जाता है जो सार्वजनिक सेवा में निकट भविष्य में प्रवेश करना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में, यह विभिन्न

संस्थानों और कॉलेजों में दिए जाने वाला व्यावसायिक शिक्षण है। यह शिक्षण एप्रेंटिसशिप और इंटरशिप के रूप में संयुक्त राज्य अमरीका में बेहद लोक प्रिय है।

6. **अनुस्थापन प्रशिक्षण-** अनुस्थापन प्रशिक्षण सेवाकालीन प्रशिक्षण का ही एक प्रकार है। किसी भी संगठन में नवनियुक्त कर्मचारियों को उसके पद व स्थिति से महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है उसे ही 'अनुस्थापन प्रशिक्षण' कहा जाता है। अभिविन्यास प्रशिक्षण नए लोक सेवकों को संगठन कार्य करने की स्थिति तथा पद्धतियों का ज्ञान से परिचय वही विन्यास प्रशिक्षण द्वारा दिया जाता है। यह एक योजनाबद्ध प्रशिक्षण है जिसका मूल उद्देश्य कर्मचारियों की मूल अवधारणा, नए वातावरण संगठन के लक्ष्य और उद्देश्य और संगठन में उसके अपने स्थान से परिचित कराना है। हाल के वर्षों में विभिन्न देशों में इस प्रकार के प्रशिक्षण का महत्व बढ़ रहा है।

इस प्रकार विभिन्न संगठनों द्वारा अपने उद्देश्यों एवं आवश्यकताओं के आधार पर भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उपयोग अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने हेतु किया जाता है। ज्ञान का नवीनीकरण एवं विकास सूचनाओं का प्रसार, कार्य-शैलियों में परिवर्तन तथा वैयक्तिक विकास आदि इस प्रशिक्षण के प्रमुख उद्देश्य हैं।

आधारभूत प्रशिक्षण कार्मिक विकास के व्यवसायिक पहलुओं से भी संबंध है। यह विशेष क्षमता के संवर्धन और एक विशेष कार्य हेतु दक्षता को सुधारने में मदद करता है। इस प्रकार का प्रशिक्षण व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थानों, कॉलेजों आदि द्वारा आयोजित किया जाता है और यह कार्य के दौरान या कार्यस्थल पर उद्देश्यों की शिक्षा देकर भी आयोजित किया जाता है। सेवा में भर्ती के बाद प्रशिक्षण कार्य आदि के विभिन्न रूपों स्थिति निर्धारण संपादन में दिया जा सकता है।

11.4 प्रशिक्षण की महत्वपूर्ण पद्धतियां

1. **औपचारिक शिक्षा द्वारा प्रशिक्षण-** आजकल अधिकांश देशों में औपचारिक शिक्षा द्वारा प्रशिक्षण की तकनीक अपनाई गई है। इसके अंतर्गत व्याख्यान या कक्षाएं आयोजित करके नवनियुक्त कर्मचारियों को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा औपचारिक रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है। यदा-कदा बाह्य विशेषज्ञों द्वारा भी व्याख्यान का आयोजन किया जाता है। निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर यह प्रशिक्षण सामूहिक चर्चा, संगोष्ठी आ अभिभाषण और कार्यशाला ऊपर आधारित होती है। विभागीय अध्यक्ष भी इस दौरान कर्मचारियों को संबोधित करता है तथा उन्हें आवश्यक निर्देश भी देता है। औपचारिक प्रशिक्षण में फिल्म, दृश्य-श्रवण उपकरण तथा कंप्यूटरों का ही प्रयोग किया जाता है।
2. **कार्य करते हुए अर्जित अनुभव द्वारा प्रशिक्षण-** प्रायः अधिकारी और कर्मचारी कार्य करने के दौरान अर्जित अनुभवों से बहुत कुछ सीखते हैं और इसी सीखने की प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए उनका स्थानांतरण एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग में किया जाता है। वरिष्ठ तथा अनुभवी अधिकारियों द्वारा समय-समय पर अनुदेश या निर्देश इस सीखने की प्रक्रिया में नए कर्मचारियों की सहायता करते हैं। अल्पकालिक तौर पर अंतर विभागीय विनिमय कार्यक्रम या अध्ययन दौरे द्वारा भी कर्मचारियों की दक्षता को सुधारने का प्रयास किया जाता है। समय के साथ यह सीखने की प्रक्रिया अधिक परिपक्व होती जाती है और प्रशासक के रूप में उसकी कार्यशैली में आवश्यक सुधार भी लाती है। लेकिन यह पद्धति काफी धीमी है और इसमें अत्यधिक समय भी लगता है। अक्सर इसके स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्य और निश्चित समय सीमा नहीं होती है।
3. **प्रशिक्षण की सम्मेलन पद्धति-** वर्तमान समय में यह पद्धति सर्वाधिक प्रचलित है। प्रशिक्षण हेतु विभिन्न विभागों से चुने गए अधिकारियों एवं कर्मचारियों के समूह को एक मंच पर लाकर चर्चा द्वारा अनुभव और विचारों को साझा किया जाता है। प्रशिक्षण की यह व्यवस्था विश्लेषण पद्धति भी कही जाती

है। इसमें दूसरों के अनुभव से सीखने का पर्याप्त अवसर भी प्राप्त होता है और प्रशिक्षण पा रहे कर्मचारियों की भूमिका भी सक्रिय बनी रहती है। चर्चा को सही दिशा में रखने के लिए अनुदेशक का कार्य भी महत्वपूर्ण हो जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कई अन्य देशों में सम्मेलन पद्धति बहुत ही लोकप्रिय है। भारत में भी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के अल्पकालिक प्रशिक्षण के लिए इस पद्धति का उपयोग किया जाता है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रशिक्षण की कोई भी पद्धति सर्वश्रेष्ठ नहीं है। इसे आवश्यकता, समय एवं उद्देश्यों को देखकर ही निर्धारित किया जाना चाहिए। भिन्न-भिन्न देश प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकताओं के अनुकूल विभिन्न पद्धतियों का समावेश कर अपने कार्यक्रमों को संचालित करते हैं। संगोष्ठी, सम्मेलन, कार्यशाला इस सामूहिक चर्चाएं और क्षेत्र के दौरे इस संदर्भ में काफी आवश्यक हो जाते हैं। पुनश्चर्या और अभिविन्यास पाठ्यक्रम की उपयोगिता भी इस संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण हो जाती है।

11.5 प्रशिक्षण संस्थानों का उद्देश्य

प्रशासनिक कार्यों को सम्पन्न करने की एक निश्चित विधि होती है जिसे प्रशिक्षण के माध्यम से ही सीखा जा सकता है। प्रशिक्षण का उद्देश्य केवल तकनीकी कार्यों एवं नित्य के कार्यों का निष्पादन सिखाना ही नहीं वरन् एक समझदार एवं गम्भीर दृष्टिकोण का विकास करना भी है। प्रशिक्षण, कार्यों को सही एवं प्रभावपूर्ण ढंग से सम्पन्न करने के लिए कर्मचारियों को जानकारी प्रदान करने की प्रक्रिया है, जिससे कि उनकी कार्य के प्रति समझ, कार्यक्षमता तथा उत्पादकता में वृद्धि हो सके। विश्व के सभी देशों में लोक सेवकों का प्रशिक्षण एक आवश्यक तथ्य है किंतु विकासशील देशों में इसकी आवश्यकता और महत्व अधिक है। विकासशील देशों में प्रशिक्षण की तात्कालिक आवश्यकता के कई महत्वपूर्ण कारक हैं। इन कारकों की वजह से विकासशील देशों में विकास नीतियों की संपूर्ण सफलता उपयुक्त प्रशिक्षण पर ही निर्भर है। अधिकांश विकासशील देशों में सामान्यतया प्रशिक्षित और योग्यता प्राप्त व्यक्तियों की कमी है और प्रशिक्षण की सुविधाएं और प्रशिक्षण संस्थान अपर्याप्त हैं। सरकार के कार्यों में निरंतर वृद्धि के फल स्वरूप लोक सेवकों को नए प्रकार के कार्यों को संपादित करने में उच्च कोटि की दक्षता और तकनीकी दृष्टि से प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। प्रशासन जटिल, तकनीकी और विशेषीकृत हो गया है, वहीं दूसरी ओर विकासशील देशों में सामाजिक आर्थिक स्थितियां लगातार बदल रही हैं और तीव्र गति से होने वाले परिवर्तनों की चुनौतियों के लिए प्रशासन के नवीनीकरण की आवश्यकता है। विकासशील देशों में चलाए जाने वाले विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन असाधारण तेजी और दक्षता से करने के लिए अक्सर प्रशासन पर दबाव बना रहता है, जिसे लोक सेवकों के प्रशिक्षित होने की अवस्था में ही तुरंत निस्तारित किया जा सकता है।

सर्वप्रथम ब्रिटेन में लोकसेवकों के लिए प्रशिक्षण की भूमिका का विश्लेषण एशेटन कमेटी रिपोर्ट, 1944 में किया गया था। कमेटी के अनुसार बड़े स्तर के किसी भी संगठन में कुशलता दो तत्वों पर निर्भर है। उसको सौंपे गए कार्य विशेष को करने के लिए व्यक्ति की तकनीकी कुशलता और एक संगठित संस्था के तौर पर संगठन की कम सुनिश्चित कुशलता, जो संस्था को संघटित करने वाले व्यक्तियों की सामूहिक भावना और उनके दृष्टिकोण से पैदा होती है। प्रशिक्षण को इन दोनों का ध्यान रखना चाहिए। एशेटन कमेटी रिपोर्ट, 1944 ने प्रशिक्षण के निम्नलिखित पाँच उद्देश्य बताये-

- कार्मिकों में विश्व सनीय कार्य चातुर्य उत्पन्न करना।
- कार्मिकों को इस योग्य बनाना कि वे परिवर्तित परिस्थितियों में अपने कार्य को दक्षतापूर्वक एवं सुगमता से सम्पदा कर सकें।

- कार्मिकों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाकर उन्हें अनुभव कराना कि वे सेवक हैं, स्वामी नहीं।
- कार्मिकों में सामुदायिक भावना उत्पन्न करना तथा उन्हें यन्त्रीकरण से बचाना।
- कार्मिकों को दायित्वों की पूर्ति हेतु अधिक क्षमता प्रदान करना।

यह कहा जा सकता है कि प्रशासन में प्रशिक्षण कर्मचारियों के दक्षता सुधारता है। साथ ही कर्मचारियों की व्यवसायिक कार्यकुशलता और ज्ञान को प्रशिक्षण बढ़ाता है ताकि वे अपना काम प्रभावी ढंग से कर सकें। नए कर्मचारियों के संगठन में प्रवेश का प्रशिक्षण एक सहायक माध्यम है और उसे संगठन के लक्षण तथा उद्देश्य संगठन में उसकी अपनी भूमिका तथा उसके कार्यों के निर्वहन की तकनीकी ज्ञान और पद्धतियों से अवगत कराता है जिसके फलस्वरूप कर्मचारी संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपना सर्वोत्तम योगदान दे सकते हैं। प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य प्रशासनिक अधिकारी को अपने कार्य में कुशल एवं दक्ष बनाना है। प्रशिक्षण के पश्चात् कर्मचारी का व्यक्तित्व तो वही रहता है किन्तु उसके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन आ जाता है। प्रशिक्षण कर्मचारियों को क्षेत्र विशेष में हुए नवीनतम प्रगति और विकास की जानकारी देता है। विश्व के सभी देशों में लोक सेवकों का प्रशिक्षण एक आवश्यक तथ्य है किन्तु विकासशील देशों में इसकी आवश्यकता और महत्व अधिक है। विकासशील देशों में प्रशिक्षण की तात्कालिक आवश्यकता के कई महत्वपूर्ण कारक हैं। सरकार के कार्यों में निरंतर वृद्धि के फल स्वरूप लोक सेवकों को नए प्रकार के कार्यों को संपादित करने में उच्च कोटि की दक्षता और तकनीकी दृष्टि से प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। प्रशासन जटिल, तकनीकी और विशेषीकृत हो गया है, वहीं दूसरी ओर विकासशील देशों में सामाजिक आर्थिक स्थितियां लगातार बदल रही हैं और तीव्र गति से होने वाले परिवर्तनों की चुनौतियों के लिए प्रशासन के नवीनीकरण की आवश्यकता है। विकासशील देशों में चलाए जाने वाले विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन असाधारण तेजी और दक्षता से करने के लिए अक्सर प्रशासन पर दबाव बना रहता है, जिसे लोक सेवकों के प्रशिक्षित होने की अवस्था में ही तुरंत निस्तारित किया जा सकता है। इस प्रकार उन्हें ज्ञान से अद्यतन बनाए रखता है। संगठन के लक्ष्य और तकनीकों में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं इसलिए प्रशिक्षण कर्मचारियों को नए संगठनात्मक परिवर्तनों के अनुकूल बनाता है। प्रशिक्षण में भर्ती किए गए व्यक्तियों में विद्यमान कमियों को पूरा करता है तथा सरकार के प्रशासनिक कार्यों के लायक बनाने तथा उसी दिशा में डालने के लिए प्रशिक्षण अत्यावश्यक है। प्रशिक्षण कर्मचारियों में निष्ठा और मनोबल बढ़ाता है तथा कर्मचारियों के लिए सामुदायिक सेवा और अपनेपन की भावना विकसित करता है। कर्मचारियों को इस बात का एहसास होता है कि वे और उनका काम संगठन और समुदाय का अनिवार्य अंग है। कार्यों में समर्पण कर्मचारियों को गौरव परम संतोष प्रदान करता है।

प्रशिक्षण, कार्यों को सही एवं प्रभावपूर्ण ढंग से सम्पन्न करने के लिए कर्मचारियों को जानकारी प्रदान करने की प्रक्रिया है, जिससे उनकी कार्य के प्रति समझ, कार्यक्षमता तथा उत्पादकता में वृद्धि हो सके। प्रशिक्षण का उद्देश्य कर्मचारियों को उनके वर्तमान तथा आगामी कार्यों से परिचित होने हेतु सक्षम बनाना है। प्रशिक्षण एक सक्रिय, सुनियोजित और सुविचारित प्रक्रिया है। नए कर्मचारियों के संगठन में प्रवेश का प्रशिक्षण एक सहायक माध्यम है और उसे संगठन के लक्षण तथा उद्देश्य संगठन में उसकी अपनी भूमिका तथा उसके कार्यों के निर्वहन की तकनीकी ज्ञान और पद्धतियों से अवगत कराता है, जिसके फलस्वरूप कर्मचारी संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपना सर्वोत्तम योगदान दे सकते हैं। संगठन के लक्ष्य और तकनीकों में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं इसलिए प्रशिक्षण कर्मचारियों को नए संगठनात्मक परिवर्तनों के अनुकूल बनाता है। प्रशिक्षण में भर्ती किए गए व्यक्तियों में विद्यमान कमियों को पूरा करता है। सरकार के प्रशासनिक कार्यों के लायक बनाने तथा उसी दिशा में डालने के लिए प्रशिक्षण अत्यावश्यक है। प्रशिक्षण कर्मचारियों में निष्ठा और मनोबल बढ़ाता है। प्रशिक्षण प्रक्रिया मात्र अस्तित्व ही प्रशिक्षणार्थियों में उनके कार्य तथा कार्यालय में सम्मान और गौरव का भाव पैदा करता है। प्रशिक्षण कर्मचारियों

के लिए सामुदायिक सेवा और अपनेपन की भावना विकसित करता है। कर्मचारियों को इस बात का एहसास होता है कि वे और उनका काम संगठन और समुदाय का अनिवार्य अंग है। कार्यों में समर्पण कर्मचारियों को गौरव परम संतोष प्रदान करता है। प्रशिक्षण कर्मचारियों को जनता के करीब लाता है। यह उनमें यह आधारभूत सिद्धांत संचालित करता है कि भी जनता के सेवक हैं ना कि मालिक और यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अत्यावश्यक है। प्रशिक्षण क्षमता का दृष्टिकोण विकसित करता है और कर्मचारियों की दृष्टि और दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है।

11.6 केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान

भारत में लोक सेवकों का प्रशिक्षण संबंधी समस्या और समाधान ब्रिटिश विचारधारा ने काफी हद तक प्रभावित किया है। भारत में लोक सेवकों का प्रशिक्षण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के दौरान प्रारंभ होता है। भारत में सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में वरिन हेस्टिंग्स ने 'प्रशिक्षण' की आवश्यकता अनुभव की। उनके मतानुसार ईस्ट इंडिया कम्पनी के कर्मचारियों को भारतीय भाषाओं व पद्धतियों आदि का ज्ञान कराने के लिए प्रशिक्षण आवश्यक था। इसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हेतु लॉर्ड वेलेजली (1798-1805) ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। तत्पश्चात् 1813 ई में 'हेलिबरी कॉलेज' भी इसी उद्देश्य से स्थापित किया गया। यह सन् 1857 ई तक चलता रहा। इसके बाद लोक सेवकों को ब्रिटिश विश्व विद्यालय कैम्ब्रिज या किसी अन्य में प्रशिक्षण देने की पद्धति आरम्भ की गयी उन्हें भारतीय कानून, भारतीय भाषा, भारतीय राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक इतिहास का प्रशिक्षण प्राप्त करना होता था। एक भारतीय भाषा का ज्ञान होना भी अनिवार्य था।

भारत में केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान द्वारा लोक सेवाओं के लिए प्रशिक्षण देने का एक संस्थापक कार्य काफी लंबे समय से संपादित किया जा रहा है। इनकी मौजूदगी स्वतंत्रता से पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में हुई थी। यद्यपि कोलकाता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज और ईस्ट इंडिया कॉलेज जैसे हेलबरी कॉलेज के नाम से भी जाना जाता था, जैसे संस्थान थे जो अपने उच्च स्तर के सिविल सेवकों को दिया जाने वाला प्रशिक्षण देते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों के कारण हुए सरकार के कार्यों में विस्तार के फलस्वरूप लोक सेवकों को प्रणालीबद्ध और अद्यतन प्रशिक्षण पर बल दिया गया है। लोक सेवकों का प्रशिक्षण आज केंद्र और राज्य सरकारों की कार्मिक नीति का अभिन्न अंग है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग अखिल भारतीय और केन्द्रीय सेवाओं की प्रशिक्षण नीतियां बनाने और उनका समन्वय करने और राज्य सरकार के कर्मचारियों की क्षमता निर्माण का कार्य भी करता है। स्वतंत्रता के पश्चात लोक प्रशासन पर गोरवाला रिपोर्ट 1951 से लेकर प्रशासनिक सुधार आयोग तक प्रशासनिक सुधार आयोग के बाद तैयार किए अधिकतर प्रशासनिक सुधार की रिपोर्टों में व्यवस्थित सुसंगत प्रशिक्षण और लोक सेवाओं के जीवन वृत्ति के विकास पर बल दिया गया है।

केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने कई प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए हैं जो लोक सेवकों को समय-समय पर उनके उनके सेवाकाल के दौरान भी सामान्य और व्यवसायिक दोनों प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। इन प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या अधिक है। स्वाधीन भारत में लोक सेवकों के प्रशिक्षण हेतु निम्नलिखित संस्थान हैं-

- लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी।
- सरदार बल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद।
- भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली।
- सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान, नई दिल्ली।
- प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज, हैदराबाद।

- राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद।
- रेलवे स्टाफ कॉलेज, बड़ोदरा।
- राष्ट्रीय वित्तीय प्रबन्धन, संस्थान।
- राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी, नागपुर।

कुछ महत्वपूर्ण केन्द्रीय संस्थानों का विवरण निम्न है-

1. **लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी-** भारत में उच्च लोक सेवकों के प्रशिक्षण के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिक्षण केंद्र है। वर्ष 1959 में भारतीय प्रशासनिक सेवा स्टाफ कॉलेज, शिमला तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण विद्यालय, दिल्ली को संयुक्त कर इस संस्थान की स्थापना की गई थी। 2 अक्टूबर 1972 से इसे लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी नाम दिया गया। यह अकादमी भारतीय सिविल सेवाओं के सदस्यों को सामान्य बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शुरुआती स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करती है। अखिल भारतीय एवं केंद्रीय सेवाओं के नवनियुक्त प्रशिक्षु अधिकारियों को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन संस्थान मसूरी में 4 माह के आधारभूत पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण दिया जाता है और तत्पश्चात वे अपनी-अपनी प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। आधार पाठ्यक्रम का उद्देश्य सामान्य दृष्टिकोण का विकास है तथा मौलिक विषयों से शिक्षा देने के लिए सभी अखिल भारतीय सेवाओं के प्रथम वर्ग के लिए 5 महीने का पाठ्यक्रम आधारित पाठ्यक्रम भी कहा जाता है।

वर्ष 1969 से भारत सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षण के लिए नया प्रारूप प्रस्तुत किया है, जिसे सैंडविच पाठ्यक्रम अर्थात् मिश्रित पाठ्यक्रम भी कहा जाता है। अधिकारियों, जिनका सेवा का लाभ हो 15 साल हो चुका है, वह छोटे-छोटे पाठ्यक्रम गोष्ठियों, सम्मेलनों आदि में सम्मिलित होते हैं। इन पाठ्यक्रमों का संबंध सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय नीति, अंतर विभागीय नियोजन और समन्वय आदि से संबंधित होता है। इन पाठ्यक्रमों के लिए सामान्य और प्राविधिक दोनों प्रकार के अधिकारी आमंत्रित किए जाते हैं। वर्तमान में इस अकादमी में तीन प्रकार के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था है- अखिल भारतीय परीक्षा अधीन अधिकारियों के अंतिम परीक्षा नियमों के अंतर्गत पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए 1 वर्ष पाठ्यक्रम तथा 10 साल तक के अधिकारियों के लिए सप्ताह का पाठ्यक्रम।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा परीक्षा में चयनित उम्मीदवार जिन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा तथा केंद्रीय सेवा वर्ग का आवंटित किया जाता है, इन्हें एक साथ लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी उत्तराखंड में आधारभूत पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण दिया जाता है। आधारभूत पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षु अधिकारियों को लोक सेवाओं की मूलभूत जानकारी देने, उन्हें अभिप्रेरित करने, संविधान और प्रशासन तंत्र को समझने तथा भारतीय परिवेश और मूल्यों को जानने के अतिरिक्त अन्य सेवाओं के साथ समन्वय का भाव दिखाना होता है। आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षु अधिकारियों को भारत का सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, राजनीतिक सिद्धांत, भारत का संविधान और शासन, लोक प्रशासन विधि, आधारभूत अर्थशास्त्र और जनसंख्या अध्ययन तथा हिंदी भाषा का सामान्य अध्ययन करवाया जाता है। इस आधारभूत प्रशिक्षण के बाद आई.ए.एस. संवर्ग के अधिकारी अकादमी में ही बने रहते हैं, जबकि अन्य सेवाओं के अधिकारी अपने विशिष्ट प्रशिक्षण संस्थानों में अग्रिम प्रशिक्षण हेतु चले जाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में व्यवसायिक प्रशिक्षण भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए इसके बाद प्रारंभ

होता है जो 26 सप्ताहों तक चलता है। इसके अंतर्गत शिक्षकों को प्रशासनिक सेवाओं के दायित्वों का अध्ययन कराया जाता है।

व्यवसायिक प्रशिक्षण के पहले चरण के पूर्ण होने के बाद प्रशिक्षु अधिकारी आवंटित राज्य में जिला स्तरीय व्यवसाय प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं जो 1 वर्ष का होता है। इस दौरान 3 सप्ताह का संस्थागत प्रशिक्षण जिसमें उन्हें राज्य के प्रशासनिक तंत्र से संबंधित सामने महत्वपूर्ण बातें सिखाई जाती है। इसके उपरांत प्रशिक्षु अधिकारियों को वास्तविक प्रशासनिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए विभिन्न कार्यालयों एवं क्षेत्रों में भेजा जाता है। इस प्रकार के प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य सामान्य कानून एवं नियम, कार्मिक प्रशासन, वित्तीय एवं राजस्व प्रशासन, भूमि सुधार और नियोजन तथा विकास का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना होता है।

2. **सरदार बल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद-** केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज, माउंट आबू 1975 तक भारतीय पुलिस सेवा के नए नियुक्त अधिकारियों को प्रवेश के समय व्यवसायिक प्रशिक्षण देता था। अब इसका कार्य राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद करता है। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज, माउंट आबू अब भारतीय पुलिस सेवा और राज्य पुलिस सेवा दोनों के मध्यवर्ती और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को पुनःचर्चा प्रशिक्षण और सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह अकादमी भारतीय पुलिस सेवा के नए अधिकारियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। इस अकादमी का उद्देश्य भारतीय पुलिस के लिए ऐसे अधिकारियों को प्रशिक्षण द्वारा तैयार करना था जो बल का नेतृत्व ईमानदारी समर्पण और जनसेवा की भावना के साथ कार्य करें। केंद्रीय सचिव की अध्यक्षता में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के रूप में लेकर एक सलाहकार बोर्ड गठित किया जाता है जो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण करता है। यह पुलिस अकादमी भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए बुनियादी पाठ्यक्रम सेवाकालीन प्रबंधन पाठ्यक्रम आयोजित करती है। साथ ही पुलिस और अर्धसैनिक बलों के पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए विशेष पाठ्यक्रम भी चलाए जाते हैं। अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुशासन, चरित्र, अपराध शाखा, व्यवहारिक ज्ञान, विद्रोह और आतंकवाद, आपदा प्रबंधन, आम जनता-पुलिस संबंध पर विशेष बल देती है।
3. **प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज हैदराबाद-** प्रशासकीय स्टाफ कॉलेज हैदराबाद की स्थापना प्राविधिक शिक्षा संबंधी अखिल भारतीय परिषद की सिफारिश पर 1957 में हुई थी। इंग्लैंड में स्थापित हैनले एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज की तर्ज पर गठित की गई है। सामान्यतया 8 से 15 वर्ष की व्यावहारिक अनुभव के आधार पर हर मनुष्य जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों के साथ रहने के कारण अपने कार्य के संबंध में एक अलग स्थिति में सोच कर उससे लाभ उठा सकता है तथा यह भी संभव है कि उसे उच्चतर उत्तरदायित्व के योग्य बनाने हेतु यह एक सर्वोत्तम सफल प्रमाणित शैक्षणिक चरण है। निजी क्षेत्र के प्रशासन सार्वजनिक क्षेत्र के सदस्य प्रशासकीय स्टाफ कॉलेज हैदराबाद में 10-10 की संख्या में सिंडिकेट के रूप में बांट दिए जाते हैं। विभिन्न विषयों के अनुभवी सदस्यों को एक साथ अपने अनुभवों को साझा करने का एक मंच प्रदान किया जाता है। शासकीय स्टाफ कॉलेज हैदराबाद में इस प्रकार के पाठ्यक्रम के मुख्य अंश संगठनों की संरचना, आंतरिक संबंध और प्रशासन तथा जीवन से संबंधित होते हैं। इन विषयों में अर्थशास्त्र, आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक संस्थाएं, नियोजन और विकास, व्यापारिक संबंध एवं सरकार, संविधान की कार्यप्रणाली, प्रबंधन, सार्वजनिक व्यापारिक लेखा तथा उद्योग जगत से संबंधित सूचनाओं का आदान-प्रदान होता है। प्रशिक्षण प्रणाली सामूहिक चर्चा के आधार पर होती है। विभिन्न सुझावों के आधार पर एक विस्तारपूर्वक रिपोर्ट तैयार की जाती है और इन पर व्यापक चर्चा होती है।

4. **राष्ट्रीय ग्राम विकास संस्थान हैदराबाद-** 1956 में स्थापित संस्थान ग्राम विकास प्रशासन के क्षेत्र में नियुक्त उच्च और मध्यम स्तर के लोक सेवकों के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम में आयोजित करता है तथा ग्राम विकास से के क्षेत्र में यह अनुसंधान कार्य भी संपादित करता है। राष्ट्रीय विकास संस्थान हैदराबाद जून 1958 में इस उद्देश्य के साथ स्थापित किया गया था कि अधिकाधिक संख्या में ऐसे महत्वपूर्ण कर्मचारी तैयार किए जाएं, जो कार्यक्रम के प्रशासकीय एवं समाजशास्त्रीय पहलुओं से परिचित हों। ग्रामीण विकास में अध्ययन, अनुसंधान करना इस संस्था का प्रमुख अंग है। यह ग्रामीण विकास संस्थान पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का आयोजन करता है, जिसमें आधारभूत जानकारीयों प्रदान की जाती है। पाठ्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी अपने विचारों एवं अनुभवों के परस्पर आदान-प्रदान से सामुदायिक विकास कार्यक्रम और समग्र राष्ट्रीय योजना के बीच अंतर संबंध को समझने का प्रयास करते हैं। साथ ही सामुदायिक विकास के लक्ष्य तक पहुंचने में संतुलन और समन्वय के प्रयोग पर भी इस कार्यक्रम में बल दिया जाता है। यह पाठ्यक्रम सामान्य प्रशासकीय नमूने जैसा संगठित प्रशिक्षण नहीं होता बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य कार्यक्रम में लगे प्रमुख कर्मचारियों में नए विचारों को जगाना और अनुभवों के आधार पर उन्हें बेहतर मंच प्रदान करना होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में विकास आयुक्त विकास से जुड़े अन्य अधिकारी शासन के सचिव, उप सचिव, प्राविधिक विकास विभागों के प्रधान एवं क्षेत्रीय पदाधिकारी, आयुक्त, जिलाधीश, अतिरिक्त जिलाधीश, चयनित खंड विकास अधिकारी तथा विविध केंद्र सरकार के मनोनीत अधिकारी और कर्मचारी भी प्रतिभाग करते हैं। यह संस्थान जनप्रतिनिधियों को भी प्रशिक्षित करने का कार्य संपादित करता है। इसके अंतर्गत संसद और विधानमंडल के सदस्य, जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं सदस्य, विश्व विद्यालय के प्रतिनिधि एवं अन्य देशों से भाग लेने वाली व्यक्तियों को भी यह प्रशिक्षित करता है।
5. **भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली-** भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना पॉल अपेल्बी रिपोर्ट 1953 की अनुशंसा के आधार पर 1954 में नई दिल्ली में की गई थी। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, लोक प्रशासन में अनुसंधान के अलावा केंद्रीय और राज्य सरकारों के वरिष्ठ और मध्य स्तर के कर्मचारियों के लिए अल्पकालिक अभिविन्यास और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित करता है। यह पाठ्यक्रम बड़े स्तर के अधिकारियों के लिए नियमित रूप से संचालित किए जाते हैं जो विशेषीकृत व्यवसायिक पाठ्यक्रम संबंधी विषयों के वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों के व्याख्यान पर निर्भर करता है। यह संस्थान विविध पाठ्यक्रमों द्वारा लोक सेवकों को लोक प्रशासन के विविध पहलुओं से परिचित कराता है। सामान्यतः केंद्र और राज्य सरकारों की उप सचिव एवं अवर सचिवों की श्रेणी के कर्मचारी इन पाठ्यक्रमों में भाग लेते हैं। मध्य श्रेणी के अधिकारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम लगातार संचालित किए जाते हैं जिसमें विचार-विनिमय का अवसर प्रदान करने के अतिरिक्त समस्याओं के संबंध में आधुनिकतम विचारों का आदान-प्रदान भी होता है। इसके साथ ही सामूहिक चर्चा, विचारों के आदान-प्रदान की आधार पर प्रशिक्षण कार्य संपादित किया जाता है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली 1975 से लगातार 9 माह का शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करता रहा है जो देश का एकमात्र अनूठा पाठ्यक्रम है।
6. **रेलवे स्टाफ कॉलेज, बड़ोदरा-** यातायात परिवहन तथा वाणिज्य विभाग तथा रेलवे लेखा सेवा के लिए नियुक्त कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त बड़ोदरा का स्टाफ कॉलेज सी भारत पदाधिकारियों के लिए विशेष पाठ्यक्रम का आयोजन भी करता है। भारतीय रेलवे लेखा सेवा के नवनियुक्त कर्मचारी भी आने में 2 माह का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम व्यवहारिक होता है। इसका सीधा संबंध नवीनतम कार्यप्रणाली से होता है।

7. **सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान, नई दिल्ली-** इस संस्थान का पुराना नाम केंद्रीय सचिवालय प्रशिक्षण है जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। केंद्रीय सचिवालय और क्षेत्रीय संगठन के पदाधिकारियों के पदों के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए संस्थान की स्थापना की गई थी। इसमें संगठन और नीतियां कार्यालय की कार्यप्रणाली वित्तीय नियम और विनियम इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाता है। शिक्षण पूर्ण करने के पश्चात व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए इन कर्मचारियों को विभिन्न मंत्रालय में नियुक्त किया जाता है। उच्च श्रेणी में कार्यरत कर्मचारियों के लिए यह विद्यालय पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का भी आयोजन करता है।

कई केंद्रीय सेवाओं के अलग-अलग शिक्षण संस्थान भी स्थापित हैं जो अपने लोक सेवकों को व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। पुलिस, आयकर, लेखा और लेखा परीक्षा, रेलवे, दूरसंचार, विदेशी व्यापार आदि सेवाओं के क्षेत्र में विभिन्न व्यवसायिक संस्थानों द्वारा उनके संबंधित सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए भी नया पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। राज्य में इस प्रकार की व्यवस्था विगत कुछ वर्षों में देखने को मिली है। इसके अतिरिक्त कुछ विश्वविद्यालय लोक प्रशासन और सार्वजनिक उद्यम विभाग आदि भी उच्च और मध्यम स्तरीय लोक सेवकों के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करते हैं। आयकर प्रशिक्षण विद्यालय, नागपुर; रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा; सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान नई दिल्ली; राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून; केंद्रीय लेखा परीक्षा और लेखा प्रशिक्षण स्कूल शिमला; अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थान मुंबई; राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान नई दिल्ली; राष्ट्रीय नागरिक सेवा महाविद्यालय नागपुर एवं प्रशिक्षण संस्थान सहारनपुर; डाक स्टाफ कॉलेज गाजियाबाद; भारतीय प्रबंध संस्थान हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, कोजिकोंड, चेन्नई; केंद्रीय संस्थान मुंबई; भारतीय राजस्व सेवा प्रशिक्षण संस्थान नागपुर; राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान नई दिल्ली; जयपुर लोक प्रशासन संस्थान; हिमालय पर्वतारोहण संस्थान पटियाला; पर्यावरण अध्ययन संस्थान नई दिल्ली; विविध क्षेत्रों में भारत के प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान हैं।

11.6 राज्य प्रशिक्षण संस्थान

केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के अतिरिक्त मध्यवर्ती स्तर पर राज्य की लोक सेवाओं के लिए राज्य प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई है। विगत कुछ वर्षों में राज्य सरकारों के कार्यों में अत्यधिक बदलाव आया है और राज्य के कार्यों का दायरा अप्रत्याशित रूप से बढ़ा है। फलस्वरूप राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित लोक सेवकों को राज्य की प्रकृति के अनुरूप विकासात्मक एवं नागरिक सुविधाएं प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता समय-समय पर महसूस की गई है। कर्मचारियों की संख्या में निरंतर वृद्धि के कारण विशेष तकनीक, आधुनिक प्रबंध कौशल और तकनीकी स्तर की वृद्धि हेतु जैसे आयाम निरंतर जुड़ते गए हैं।

अधिकांश राज्यों में प्रशिक्षण का कार्य काफी लंबे समय से उपेक्षित रहा है। हालांकि प्रशासनिक सुधार समितियों द्वारा राज्य के विभिन्न स्तरों के लोक सेवकों को संस्थागत प्रशिक्षण एवं आधारभूत प्रशिक्षण देने पर समय-समय पर बल दिया गया। महाराष्ट्र प्रशासनिक पुनर्गठन समिति (1962 -1968), आंध्र प्रदेश प्रशासनिक सुधार समिति (1964 -1965) और मैसूर वेतन आयोग (1966 -1968) ने इस संदर्भ में अपनी अनुशंसाएँ प्रस्तुत की थी। प्रशासनिक सुधार आयोग और राज्य स्तर के प्रशासनिक अध्ययन दलों द्वारा लोक सेवकों को प्रशिक्षण की आवश्यकता के संदर्भ में अनुशंसा भी की गई जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए अपना एक प्रशिक्षण कॉलेज या संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया गया। अध्ययन दलों के अनुसार प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है और यह न केवल नए नियुक्त कर्मचारियों को ही दिया जाना चाहिए, बल्कि उसे भी देना चाहिए जो पहले से सेवारत हैं।

प्रत्येक राज्य का अपना एक अधिकारी प्रशिक्षण विद्यालय होना वांछनीय है। विभिन्न संस्थाएं राज्यों में प्रशिक्षण के संबंध में राज्य प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करने के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होते हैं।

देश में लगभग 21 राज्य प्रशिक्षण संस्थान हैं जिनमें महत्वपूर्ण संस्थान निम्न हैं- प्रशासनिक संस्थान, हैदराबाद। सरदार पटेल लोक प्रशासन संस्थान, अहमदाबाद। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान, चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, शिमला। सरकारी प्रबंधन संस्थान, त्रिवेन्द्रम। पंजाब राज्य लोक प्रशासन संस्थान, चंडीगढ़। एच. सी. एम. राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर। प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, कोलकाता। प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, नैनीताल। राज्य आयोजना संस्थान, लखनऊ और प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, मैसूर।

राज्य प्रशिक्षण संस्थान सामान्यतया विशिष्ट कार्यों का निष्पादन करते हैं, जो निम्न हैं-

1. राज्य में आर्बटित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को राज्य की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा उनके कार्यों से संबंधित राज्य के प्रशासनिक तंत्र से परिचित कराना तथा उन्हें उस राज्य की विशेषताओं को समझने के योग्य प्रशिक्षित करना।
2. केंद्रीय व राज्य सेवाओं के कर्मचारियों के लिए विभिन्न मंत्रालयों द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन।
3. राज्य सरकार के नवनियुक्त कर्मचारियों को प्रशासनिक तंत्र के मूलभूत मूल्यों एवं उनसे जुड़े विविध आयामों का परिचय भी राज्य प्रशिक्षण संस्थानों का कार्य है।
4. राज्य प्रशिक्षण संस्थान सामान्य प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, कार्यालय प्रबंधन, कंप्यूटर आदि विशिष्ट विषयों का प्रशिक्षण भी प्रदान करते हैं। सुविधा रहित संस्थानों या विभागों में मूलभूत अवस्था अपना ना होने के कारण भी प्रशिक्षण संस्थान ऐसे कार्यक्रमों को संचालित करते हैं।
5. राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए उनके रुचि के विशिष्ट क्षेत्रों में पुनश्चर्या और सेवाकाल के दौरान दिए जाने वाले प्रशिक्षण के पाठ्यक्रमों का आयोजन भी राज्य प्रशिक्षण संस्थान करते हैं।
6. राज्य के विभागों एवं प्रशिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का काम भी राज्य प्रशिक्षण संस्थान द्वारा किया जाता है।
7. राज्य प्रशिक्षण संस्थान यह भी सुनिश्चित करते हैं कि समस्त विभागों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाए और राज्य स्तर पर इन सभी क्रियाकलापों का समन्वय भी किया जाए।

इस प्रकार देश में विद्यमान विभिन्न राज्य प्रशिक्षण संस्थान में लोक सेवकों को विविध प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, परंतु उनकी संरचना और कार्यक्रमों में एकरूपता का अभाव दिखता है। वर्तमान परिस्थिति में एकरूपता आवश्यक है और यह कार्य राज्य प्रशिक्षण संस्थानों को अन्य संस्थानों से जोड़कर किया जा सकता है। केन्द्रीय संस्थानों की बेहतर तकनीकों का भी उपयोग किया जा सकता है। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। कार्यकुशलता, प्रभावशीलता, नैतिकता आदि जटिल एवं चुनौतीपूर्ण उत्तरदायित्व के निर्वाह के लिए प्रशिक्षण को ज्ञान कौशल और अभिवृत्ति में वृद्धि का कारक बनना होगा। साथ ही लोक सेवकों को नई प्रौद्योगिकी, ज्ञान एवं सूचना से परिचित होना अत्यंत आवश्यक है।

11.8 प्रशिक्षण संस्थानों की महत्ता

राज्य के कार्यों में निरंतर वृद्धि होने के साथ-साथ लोक प्रशासन में शिक्षण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की उपयुक्त योजना का निर्माण आवश्यक हो गया है। नियुक्ति के पश्चात् प्रशासकीय क्षमता पर कार्मिकों के प्रशिक्षण का काफी प्रभाव पड़ता है। सरकार के प्रत्येक कार्य के लिए उसके अनुरूप प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। संसदीय प्रजातंत्र की परंपरा के प्रति सम्मान की भावना का विकास एवं राष्ट्रीय दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने हेतु यह आवश्यक हो जाता है कि लोक सेवकों को दक्ष और कार्य कुशल बनाने के साथ-साथ उन्हें तदनु रूप प्रशिक्षित भी

किया जाए। भारत विविधताओं का देश होने के कारण अलग-अलग प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त है। ग्रामीण एवं शहरी विभाजन रेखा तथा निरंतर बदलते परिदृश्य में लोक सेवकों का अभिमुखीकरण आवश्यक तथ्य है। प्रशिक्षण की अवधारणा समय के साथ परिवर्तित होती रही है। प्राचीन काल में गुरु-शिष्य परंपरा एक प्रथा थी। इसमें गुरु से स्पष्ट ज्ञान, कार्यकुशलता और कला सीखने के लिए विद्यार्थी अपने घर से दूर गुरुकुल आश्रम में रहते थे तथा विविध प्रकार के शिक्षाओं से प्रशिक्षित होते थे। परंतु यह व्यवस्था केवल समाज के उच्च वर्गों तक सीमित थी। सामान्य नागरिकों का व्यवसाय उनके जन्म और जाति के आधार पर तय होता था तथा उनके परिवार या समुदाय के अनुरूप ही औपचारिक या अनौपचारिक प्रशिक्षण दिया जाता था। निजी क्षेत्र, व्यापार और प्रबंध के क्षेत्र में यूरोप में प्रारंभ औद्योगिक क्रांति के पश्चात व्यवस्थित और प्रणाली प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। उद्योग विस्तार के बाद कार्य कुशल और विशेषज्ञ कामगारों की आवश्यकता हुई ताकि कार्यकुशलता और गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। इस प्रकार प्रशिक्षण की तत्काल आवश्यकता औद्योगिक क्रांति के काल में प्रारंभ हुई। परंतु सामान्य प्रशासन के क्षेत्र में प्रशिक्षण को जरूरी नहीं समझा गया क्योंकि सरकार के कार्य सीमित थे। लोक सेवकों के परीक्षण प्रक्रिया के माध्यम से अनुभव द्वारा सीखने की उम्मीद की जाती थी और यही प्रणाली काफी लंबे समय तक चलती रही। आधुनिक युग में सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के बदलाव के कारण आदमी के राज्य और लोक कल्याणकारी राज्य हो गए हैं। सरकार के कार्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है तथा समय के अनुसार वैज्ञानिक और औद्योगिक प्रगति प्रगति ने जीवन में काफी बदलाव लाए हैं जिससे शासन के कार्यों में कई गुना वृद्धि हुई है। प्रशासन को चलाने के लिए अत्यंत कुशल कार्मिकों की आवश्यकता है और इसके लिए योजनाबद्ध प्रयोजनमूलक प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस की गई है। जिस कारण प्रत्येक देश में लोक सेवकों को किसी न किसी प्रकार से प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य संस्थान स्थापित किए गए हैं। राज्य प्रशिक्षण संस्थान प्रशिक्षण के संदर्भ में राज्य स्तर पर एक ऐसा संस्थान है जिसका मुख्य कार्य राज्य की प्रमुख सेवाओं के लिए आधारभूत, पुनश्चर्या और सेवाकाल के दौरान दिए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना ही नहीं बल्कि राज्य के सभी विभागों संगठनों के सभी स्तरों के विभिन्न कर्मचारियों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं का निर्धारण करना और आवश्यक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करना भी है। प्रशिक्षण के लिए यह एक बेहतर योजना भी तैयार करती है और समय-समय पर विविध मूल्यांकन द्वारा प्रशिक्षण स्तर के उन्नयन का प्रयास भी करती है।

11.9 प्रशिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन

राज्य के कार्यों में विस्तार के फलस्वरूप लोक प्रशासन के कार्यों में भी अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। वर्तमान युग में इस कारण लोक सेवकों की भूमिका अति महत्वपूर्ण हो जाती है। लोक सेवकों का प्रशिक्षण आज केंद्र और राज्य सरकारों की कार्मिक नीति का अभिन्न अंग है। केंद्र राज्य सरकारों ने कई प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए हैं जो लोक सेवकों को समय-समय पर उनके उनके सेवाकाल के दौरान भी सामान्य और व्यवसायिक दोनों प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। भारत जैसे देश में लोक सेवकों को नवीनतम परिवर्तन एवं कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए समय-समय पर यथा अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते रहे हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों से कर्मचारियों और अधिकारियों को उनके ज्ञान और अनुभव में वृद्धि हुई है, लेकिन प्रशिक्षण प्रणाली पूरी तरह से आशाओं पर खरी नहीं उतरती है। लोक सेवकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम विगत कुछ वर्षों से आयोजित की जा रहे हैं उनमें कुछ कमियां प्रतीत होती है। सर्वप्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या एवं प्रकार की आवश्यकता से अधिक वृद्धि हुई है। ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन होने लगा है जो आकर्षक तो प्रतीत होते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं होते हैं। इन कार्यक्रमों में प्रशासन की वास्तविक समस्याओं पर सही विचार नहीं होता। प्रशिक्षण एक व्यवसाय सा प्रतीत होने लगा है। बहुधा ऐसे कर्मचारी प्रशिक्षण के लिए प्रेषित किए जाते हैं जिनका चयन वैध

नहीं होता। द्वितीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विशेषकर लोक प्रशासन द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्य और चुनौतियों की दृष्टि से व्यावहारिक और उद्देश्य पूर्ण नहीं होते। प्रशिक्षण का कार्मिक प्रबंधन से कोई संबंध है, अक्सर देखने को नहीं मिलता। प्रायः देखने में आता है कि एक व्यक्ति को जिस क्षेत्र में प्रशिक्षण मिलता है उसमें उसकी नियुक्ति नहीं होती। प्रशिक्षण में तकनीकी अध्ययन वालों को मनोविज्ञान और समाजशास्त्र की शिक्षा नहीं दी जाती है और सामान अध्ययन वाले को विज्ञान आदि की जानकारी दी जाती है। इस प्रकार प्रशिक्षणार्थी का बहुमुखी विकास नहीं हो पाता। बदलते परिदृश्य में जिसे उदारीकरण वैश्वीकरण निजीकरण के कारण प्रशासन की महत्व अधिक बढ़ी है। प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।

भारत जैसे विशाल देश में जहां सरकार के कार्यों में निरंतर वृद्धि हुई है। प्रशिक्षण के लिए किए गए प्रबंध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं। बदलते परिदृश्य में जिसे उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण के कारण प्रशासन की महत्व अधिक बढ़ा है। प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। कार्यकुशलता, प्रभावशीलता, नैतिकता आदि जटिल एवं चुनौतीपूर्ण उत्तरदायित्व के निर्वाह के लिए प्रशिक्षण को ज्ञान कौशल और अभिवृत्ति में वृद्धि का कारक बनना होगा। साथ ही लोक सेवकों को नई प्रौद्योगिकी, ज्ञान, सूचना से परिचित होना अत्यंत आवश्यक है। प्रशिक्षण को क्षमता निर्माण का एक सशक्त माध्यम माना जाता है। लोक सेवकों को दायित्व निर्वहन की योग्य बनाने जनसाधारण के प्रति संवेदनशील बनाने एवं परिवर्तन करने योग्य बनाने के लिए लोक सेवाओं में कार्यकुशलता, मितव्ययिता और प्रभावशीलता लाने के लिए शिक्षण पद्धति का सहारा लिया जाता है। शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए प्रयासों की आवश्यकता है। भारतीय प्रशिक्षण पद्धति के दोषों को दूर करने के लिए आधारभूत पाठ्यक्रम के साथ-साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। बौद्धिक गुणों के विकास के साथ ही भारतीय संविधान के निदेशक तत्वों में वर्णित गुणों के विकास पर भी बल दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए कि प्रशिक्षणार्थी में परस्पर सहयोग की भावना एवं नेतृत्व आदि गुणों का विकास हो सके। प्रशासकों को सेवा काल के दौरान ही अवकाश देकर प्रशिक्षण हेतु भेजा जाना चाहिए और निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के प्रशिक्षण की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

राज्य प्रशिक्षण संस्थान केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान के साथ मिलकर एक बेहतर योजना को रूप दे सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों से संपर्क साध कर इन्हें प्रशिक्षण को और प्रोफाइल बनाए जाने की आवश्यकता है। विविध स्तर पर समन्वय स्थापित कर इसे एक रूप दिया जा सकता है। इसी प्रकार जिला स्तर पर नियुक्त नए कर्मचारियों के लिए क्षेत्रीय प्रभागीय जिला स्तर पर विकेंद्रीकृत प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना आवश्यक है। हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार के प्रयोग किए गए हैं और लोक प्रशासन संस्थान द्वारा विविध जिलों में इसकी शाखाएं भी स्थापित की गई है। केरल में भी इस प्रकार के प्रयोग सफल रहे हैं। प्रशिक्षण का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देना है। पराया प्रशिक्षकों की गुणवत्ता प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रभाव से निर्धारित होती है। प्रशिक्षार्थियों के सम्मुख आने वाले जीवन की वास्तविक कठिनाइयों और उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान चर्चा के माध्यम से अध्ययन करने को प्रोत्साहित करना प्रशिक्षण का वास्तविक उद्देश्य है। प्रशिक्षण के संबंध में लगातार विकसित हो रहे तकनीकों को भी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान उपलब्ध कराया जाना चाहिए। व्याख्यान देने की प्रणाली का प्रतिस्थापन मामला अध्ययन आदि प्रणालियों द्वारा प्रशिक्षण को और भी रोचक बनाया जा सकता है। इस प्रकार प्रशिक्षण संस्थान प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नवीनता लाकर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को रोचक और प्रभावी बना सकते हैं। राज्य शिक्षण संस्थानों की भूमिका इस प्रकार से काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। उचित व सफल प्रशिक्षण पर ही प्रशासनिक कार्यकुशलता निर्भर है। अतः इस दिशा में सार्थक कदम उठाना नितान्त आवश्यक है।

अभ्यास प्रश्न-

1. प्रशासकीय स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थापित है?
2. लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी किस राज्य में स्थित है?

3. भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली की स्थापना कब की गई थी?
4. एच. सी. एम. लोक प्रशासन संस्थान किस राज्य में स्थापित है?
5. रेलवे लेखा सेवा के लिए नियुक्त कर्मचारियों को प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है ?

11.10 सारांश

वर्तमान में लोक सेवकों का प्रशिक्षण कार्मिक प्रबंधन का एक अभिन्न अंग बन गया है। प्रशिक्षण मनोवृत्ति को परिवर्तन करने तथा उत्पादकता में वृद्धि लाने में सहायक सिद्ध होता है। विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण साधन सिद्ध होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में प्रशिक्षण एक महत्व का केंद्र बिंदु और सरकार के कार्मिक नीतियों का एक महत्वपूर्ण भाग बन गया है। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप यह जान चुके होंगे कि सरकार के कार्यों के विस्तार के साथ ही प्रशासनिक क्रियाकलाप जटिल और तकनीकी बन गए हैं जिसके लिए विशेष ज्ञान और कार्यकुशलता की आवश्यकता है। लोक सेवकों को उपयुक्त और प्रभावी प्रशिक्षण देने के लिए प्रायः सभी देशों में प्रशिक्षण की व्यापक व्यवस्था की गई है। भारत इसका अपवाद नहीं है। स्वतंत्रता के पश्चात नवीनतम उभरती हुई स्थिति के अनुरूप लोक सेवकों के जिम्मेदार और क्रियाशील बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को निर्धारित किया गया। हाल के वर्षों में प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या में भी काफी विस्तार हुआ है तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रकार और से भाग लेने वालों की श्रेणियों में असाधारण वृद्धि भी हुई है। प्रशिक्षण का महत्व नवीन ज्ञान कौशल और मनोभाव परिवर्तन में स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा रहा है, किंतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मूल्यांकन के पश्चात यह प्रतीत होता है की प्रशिक्षण संस्थान अभी भी आवश्यक तत्वों को समावेशित नहीं कर पा रहे तथा नवीनतम परिवर्तनों के अनुसार इन्हें समन्वय स्थापित करने में कुछ समय अवश्य लगेगा।

11.11 शब्दावली

मंत्रालय-सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों के लिए कार्यकारी एवं उत्तरदायी संस्था, परिवीक्षाधीन- वास्तविक तैनाती के शुरुआती एक या दो वर्ष की अवधि, जिसमें प्रशिक्षण भी शामिल है, के दौरान लोक सेवकों को परिवीक्षाधीन अधिकारी कहा जाता है, अभिविन्यास- समय के अनुसार ज्ञान को अद्यतन करना, उपबंध- प्रावधान

11.12 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. हैदराबाद, 2. उत्तराखंड, 3. 1954 में, 4. राजस्थान, 5. रेलवे स्टाफ कॉलेज, बड़ोदरा

11.13 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. शर्मा, एम. पी., 2005, लोक प्रशासन, किताब महल, इलाहाबाद।
2. माहेश्वरी, श्रीराम, 2010, भारतीय प्रशासन, ओरिएंट ब्लैकस्वान, नई दिल्ली।
3. चतुर्वेदी, टी. एन., 1989, लोक प्रशासन में प्रशिक्षण: बदलते परिप्रेक्ष्य, आई.आई.पी.ए., नई दिल्ली।
4. माथुर, हरिमोहन, 1982, सेवाकालीन प्रशिक्षण के विषय, आई.आई.पी.ए., नई दिल्ली।
5. निग्रो, फेलिक्स ए., 1963, पब्लिक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, हाल्ट, न्यूयॉर्क।

11.14 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. सरन, पी., 2005, आधुनिक लोक प्रशासन, मीनाक्षी प्रकाशन, नयी दिल्ली।
2. सक्सेना, ए.पी., 1985, सरकारी प्रशिक्षण: उद्देश्य और अवसर, आई.आई.पी.ए. नई दिल्ली।

-
3. डे, बाटा के., 1978 , भारत में नौकरशाही का विकास और लोक प्रबंध, उप्पल पब्लिशिंग हाउस, नयी दिल्ली।
-

11.15 निबन्धात्मक प्रश्न

1. प्रशिक्षण के महत्व एवं प्रकार का वर्णन कीजिए।
2. प्रशिक्षण संस्थानों के उद्देश्य एवं प्रशिक्षण के प्रकार का का मूल्यांकन कीजिए।
3. केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों की प्रशिक्षण प्रणालियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
4. राज्य प्रशिक्षण संस्थानों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।
5. भारत में प्रशिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

इकाई- 12 प्रशासनिक अधिकरण

इकाई की संरचना

- 12.0 प्रस्तावना
- 12.1 उद्देश्य
- 12.2 प्रशासनिक अधिकरण : अर्थ एवं विशेषताएं
- 12.3 प्रशासनिक अधिकरण का उद्भव एवं विकास
- 12.4 प्रशासनिक अधिकरण की संरचना
- 12.5 प्रशासनिक अधिकरण का गठन
- 12.6 प्रशासनिक अधिकरण के कार्य एवं अधिकार
- 12.7 प्रशासनिक अधिकरण की कार्य प्रणाली
- 12.8 प्रशासनिक अधिकरण की भूमिका का मूल्यांकन
- 12.9 सारांश
- 12.10 शब्दावली
- 12.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 12.12 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 12.13 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 12.14 निबन्धात्मक प्रश्न

12.0 प्रस्तावना

प्रशासनिक राज्य के उद्भव एवं विकास के साथ लोक प्रशासन के कार्यों में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। फलस्वरूप कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि हुई है। साथ ही विधायी कार्य भी काफी बढ़े हैं। इन कारणों से अधिकारी तथा कर्मचारियों के मध्य लगातार गतिरोध भी बढ़ा है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में न्यायालय नागरिकों के अधिकारों एवं स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में उभरे। काफी समय तक उन्होंने राज्य के प्राधिकार की कीमत पर सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी की। कल्याणकारी राज्य के उदय होने पर व्यक्तिगत अधिकारों की अपेक्षा सामाजिक हितों को प्राथमिकता दी जाने लगी। रोजगार की स्थिति पर सामूहिक नियंत्रण के विकास, रहन-सहन के तरीके और लोगों की बुनियादी आवश्यकता में परिवर्तन के फलस्वरूप ऐसे न्यायालय की तकनीकी आवश्यकता महसूस की जाने लगी जो न्यायालय में मुकदमे बाजी द्वारा दी गई सुविधा की अपेक्षा समय के अनुसार सामाजिक आवश्यकताओं के अधिक अनुकूल हो। इस प्रकार प्रशासन का एकीकरण सामाजिक नीति और विधान लागू करने के लिए एक तंत्र के रूप में उभरा। साथ ही, व्यापार और वाणिज्य के तेजी से विकास के फलस्वरूप सामान्य न्यायालय बढ़ते हुए कार्य भार से निपटने की स्थिति में नहीं हैं। सेवा संबंधी तकनीकी ज्ञान एवं अन्य आवश्यकताओं को देखते हुए विश्व के अधिकांश देशों में प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई ताकि कार्यरत कर्मचारियों को शीघ्र एवं सस्ताप न्याय दिलाया जा सके। राज्य के कार्यों में अत्यधिक विस्तार होने के कारण प्रशासनिक अधिकरण की महत्ता विगत कुछ वर्षों से काफी बढ़ गई है।

इस अध्याय के माध्यम से पाठकों को प्रशासनिक अधिकरण से परिचय कराना है। इसमें प्रशासनिक अधिकरण के अर्थ एवं महत्व, प्रशासनिक अधिकरण का उद्भव एवं विकास एवं प्रशासनिक अधिकरण की संरचना के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा। साथ ही प्रशासनिक अधिकरण का संगठन, प्रशासनिक अधिकरण के कार्य एवं अधिकार,

प्रशासनिक अधिकरण की कार्य प्रणाली, प्रशासनिक अधिकरण की भूमिका का मूल्यांकन आदि मुद्दों पर चर्चा से भी पाठकों का ज्ञानवर्धन होगा।

12.1 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन करने के उपरान्त आप-

- प्रशासनिक अधिकरण के अर्थ एवं विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर पायेंगे।
- प्रशासनिक अधिकरण का उद्भव एवं विकास, प्रशासनिक अधिकरण की संरचना के बारे में ज्ञान प्राप्त कर पायेंगे।
- प्रशासनिक अधिकरण का संगठन एवं प्रशासनिक अधिकरण के कार्य एवं अधिकार के सम्बन्ध के बारे में जान सकेंगे तथा
- प्रशासनिक अधिकरण की कार्य प्रणाली तथा प्रशासनिक अधिकरण की भूमिका का मूल्यांकन से भी आप अवगत होंगे।

12.2 प्रशासनिक अधिकरण: अर्थ एवं विशेषताएं

कार्मिक प्रबंधन को नियंत्रित करने वाले नियमों तथा विनियमों की विस्तृत व्यवस्थान के बावजूद भी कुछ सरकारी कर्मचारी कभी-कभी सरकार के निर्णयों से व्यतथित हो सकते हैं। इन मामलों का निपटारा करने में न्यायालयों को कई वर्ष लग जाते थे और मुकद्दमेबाजी बहुत महंगी हो जाती है। सरकार के निर्णयों से व्योथित कर्मचारियों को शीघ्र और सस्ता न्याय उपलब्ध करवाने के प्रयोजन से, सरकार ने 1985 में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण स्थापित किया था जो अब सेवा से सम्बन्धित ऐसे सभी मामलों पर विचार करता है, जिन पर पहले उच्च न्यायालयों सहित उनके स्तर तक के न्यायालयों द्वारा कार्रवाई की जाती थी।

प्रशासनिक अधिकरण एक अर्द्ध-न्यायिक संस्था है जिसे प्रशासनिक या कर-संबंधी विवादों को हल करने के लिये स्थापित किया जाता है। यह विवादों के अधिनिर्णयन, संघर्षरत पक्षों के बीच अधिकारों के निर्धारण, प्रशासनिक निर्णयन, किसी विद्यमान प्रशासनिक निर्णय की समीक्षा जैसे विभिन्न कार्यों का निष्पादन करती है। सामान्य रूप से प्रशासनिक अधिकरण का आशय ऐसे व्यक्ति या संस्था से है जिसके पास दावों तथा विवादों पर निर्णयन, अधिनिर्णयन या निर्धारण का प्राधिकार होता है।

प्रशासनिक अधिकरण की आवश्यकता विविध कारणों से आवश्यक है। विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की बड़ी संख्या से निपटने के लिये विभिन्न विधानों के तहत घरेलू अधिकरणों और अन्य अधिकरणों की स्थापना की जाती है। न्यायालयों के कार्यभार को कम करने, निर्णयन में तेजी लाने और एक ऐसे मंच का निर्माण करने हेतु जहाँ अधिवक्ताओं और विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ उठाया जा सके। प्रशासनिक अधिकरण न्याय तंत्र में एक महत्वपूर्ण और विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। वे लंबित मामलों के बोझ से दबे न्यायालयों के बोझ को कम करने हेतु पर्यावरण, सशस्त्र बलों, कराधान और प्रशासनिक मुद्दों से संबंधित विवादों की सुनवाई करते हैं।

प्रशासनिक अधिकरणों की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं-

1. प्रशासनिक अधिकरण किसी विधि के अंतर्गत गठित सांविधिक संस्थाएँ हैं।
2. प्रशासनिक अधिकरण में राज्य की न्यायिक शक्ति निहित होती है और इस प्रकार शुद्ध प्रशासनिक कार्यों से अलग यह अर्द्ध-न्यायिक कार्य करते हैं।
3. प्रशासनिक अधिकरण औचित्य एवं और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर कार्य करते हैं।

4. प्रशासनिक अधिकरण नागरिक प्रक्रिया न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया व साक्ष्य के कठोर नियमों का पालन करने हेतु बाध्य नहीं होते है।
5. इनसे न्यायसंगत, पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है।

12.3 प्रशासनिक अधिकरण का उद्भव एवं विकास

एक लोक कल्याणकारी राज्य आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास हेतु विविध क्रियाकलापों को संपादित करती है। स्वतंत्र भारत के सामने राष्ट्र निर्माण एवं सामाजिक-आर्थिक प्रगति एक चुनौती के रूप में उभरा था। सामाजिक-आर्थिक प्रगति एवं पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन के फलस्वरूप भारत में राष्ट्र निर्माण का बृहत् कार्य स्वतंत्रता के पश्चात बड़े पैमाने पर संपादित हुआ। क्रियाकलापों में परिवर्तन के फलस्वरूप सरकार के लक्ष्य और प्रशासन की कार्यवाही काफी हद तक अपने आयामों में विस्तृत होती चली गई। लोक प्रशासन के एक नए आयाम विकास प्रशासन के उद्भव के बाद लोक नीतियों का क्रियान्वयन नौकरशाही पर निर्भर हो गया। अनंतर लोक सेवकों के कार्यों में विस्तार होता गया और भारत में कार्यों के विविध पहलू जुड़ते चले गए। विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक संतुष्ट और प्रेरित लोग कार्मिक की महत्ता को भारतीय प्रशासन ने आवश्यक समझा। कार्यों में विस्तार, राजनीतिक नेतृत्व से अनुबंध तथा कार्य परिवेश को लेकर लोक सेवकों की संतुष्टि समय के साथ उभरने लगी। इन्हीं गतिरोधों और असंतोष को समाप्त करने तथा लोक सेवा कार्मिकों के सेवा संबंधी विवादों का फैसला करने हेतु प्रशासनिक अधिकरण के रूप में एक उपयुक्त संस्थागत ढांचे की स्थापना की गई ताकि संतुष्ट और प्रेरित लोग कार्मिक उच्च प्राथमिकता वाले विकास लक्ष्यों को साकार रूप दे सके।

प्रशासनिक अधिकरणों का विकास बीसवीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण घटना है। समस्याओं के निराकरण हेतु प्रशासनिक अधिकरणों का उद्भव केवल भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में हुआ है, जो एक नए प्रकार के न्याय, सार्वजनिक जनहित परक न्याय, प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किए गए हैं। भारत में भी केंद्र और राज्य स्तर पर समय-समय पर प्रशासनिक अधिकरण स्थापित किए गए, जिनके अधिकार क्षेत्र में व्यापार, उद्योग, बैंकिंग, कराधान जैसी गतिविधियों के क्षेत्र शामिल थे। नियुक्ति तथा सेवा शर्तों से संबंधित अन्य शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु प्रशासनिक अधिकरणों के गठन का प्रश्न लंबे समय तक भारत सरकार के विचाराधीन ही रहा। न्यायिक संस्थाओं के कार्य में अत्यधिक विस्तार, बढ़ते अदालती मामले, खर्चे एवं समय संबंधी कारणों से लोक कार्मिकों को सुलभ न्याय नहीं मिल पा रहा था। सरकार के साथ उनके विवादों में सरकारी कर्मचारियों को समाधान की आवश्यकता समय-समय पर महसूस की जा रही थी। सभी वर्गों, श्रेणी या समूह के कर्मचारियों में सेवा संबंधी मामलों के लंबे समय तक विचाराधीन होने के कारण असंतोष बढ़ता जा रहा था। कर्मचारियों के बेहतर अभिप्रेरण तथा आत्मबल के बनाए रखने के लिए समय-समय पर उनकी सेवा संबंधित शिकायतों के निपटारे की आवश्यकता पर बल दिया जाता रहा। कार्यक्षमता प्रभावित होने की भी आशंका समय-समय पर विभिन्न संगठनों ने उठाई। अनंतर प्रशासनिक सुधार आयोग (1966-1970) ने लोक सेवा अधिकरण की स्थापना की अनुशंसा सरकार को दी, जिसके अनुसार यह अधिकरण उन मामलों में अंतिम अपील प्राधिकरण के रूप में कार्य करें, जहां सरकारी आदेश से कर्मचारी को बर्खास्तगी नौकरी से हटाने और उसकी पदावनति का गंभीर दंड मिला हो। जे. सी. शाह की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने वर्ष 1969 में ही एक स्वतंत्र अधिकरण स्थापित किए जाने की सिफारिश की थी, जो केवल सेवा संबंधी मामलों में अंतिम निर्णय ले सके। ऐसा प्रस्ताव सेवा संबंधी मामलों में कर्मचारियों की ढेर सारी याचिकाओं के लंबित होने के कारण किया गया था।

वर्ष 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस ओर ध्यान दिलाया था कि सरकारी कर्मचारियों को अदालती लड़ाई में समय गंवाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। उनके सेवा संबंधी शर्तों एवं कार्यक्षेत्र के विवादों के निस्तारण हेतु लोक सेवा प्राधिकरण की स्थापना आवश्यक है, जिसका सेवा से संबंधित विवादों के हल करने के

मामले में फैसला अंतिम होना चाहिए। कुशल प्रशासन हेतु इसकी आवश्यकता समय-समय पर महसूस की जा रही थी। विविध मंचों के माध्यम से इस आवश्यकता की ओर ध्यान दिलाया जाता रहा। यह आवश्यक माना गया कि लोक सेवा अधिकरण की स्थापना जनहित में सरकारी कर्मचारियों के कष्ट और शिकायतों का फैसला करने के लिए आवश्यक होगी। भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार लोक सेवा अधिकरण की स्थापना भारत में की गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद- 323 के अनुसार संसद को यह अधिकार मिल गया कि वह सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी निगम या सरकार के नियंत्रण के अधीन या भारत के साथ ही क्षेत्र के अंदर किसी राज्य स्तर के या स्थानीय या दूसरे प्राधिकरण या संघ के मामले के संबंध में सरकारी नौकरी या पद पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों की भर्ती और सेवा संबंधित शिकायतों को प्रशासनिक अधिकारों के जरिए निपटाया जाने की व्यवस्था करे।

संविधान के अनुच्छेद-323 ए के प्रावधानों के अनुसार लोकसभा में 29 जनवरी 1985 को प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम लाया गया, जिसे 27 फरवरी 1988 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई। यह प्रावधान संघ और राज्यों के विषयों के संबंध में लोक सेवाओं और सार्वजनिक पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित विवादों और शिकायतों का अधिनिर्णयन करता है। कार्मिक प्रबंधन को नियंत्रित करने वाले नियमों तथा विनियमों की विस्तृत व्यवस्था के बावजूद भी कुछ सरकारी कर्मचारी कभी-कभी सरकार के निर्णयों से व्यथित हो सकते हैं। इन मामलों का निपटान करने में न्यायालयों को कई वर्ष लग जाते थे और मुकद्दमेबाजी बहुत महंगी थी। प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 तीन प्रकार के अधिकरणों का प्रावधान करता है। केंद्र सरकार एक प्रशासनिक अधिकरण स्थापित करती है, जिसे केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कहा जाता है। केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार के अनुरोध पर उस राज्य के कार्मिकों के लिये एक प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कर सकती है। दो या दो से अधिक राज्य एक संयुक्त अधिकरण की माँग कर सकते हैं, जिसे संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण कहा जाता है, जो इन राज्यों के लिये प्रशासनिक अधिकरणों की शक्तियों का उपयोग करता है। विभिन्न प्रशासनिक और कर-संबंधी विवादों के समाधान के लिये कई अधिकरण गठित किये गए हैं जिनमें केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, आयकर अपीलीय अधिकरण, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रतिस्पर्धा अपीलीय अधिकरण, प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण आदि शामिल हैं।

प्रशासनिक अधिकरण सामान्य न्यायिक प्रणाली से भिन्न हैं, जो कानूनों की व्याख्या तब करते हैं और उन्हें लागू करते हैं जब न्यायालय द्वारा या अन्य संस्था के तरीकों द्वारा अनौपचारिक दावों में लोक प्रशासन के नियमों को चुनौती दी जाती है। इस प्रकार के अधिकरण न तो न्यायालय हैं और न ही वे कार्यकारी निकाय हैं। इनकी स्थापना कार्यपालिका द्वारा की जाती है और ये व्यापक नियमों या सामान्य न्यायालयों को शासित करने वाली प्रक्रिया से बंधे नहीं होते। कल्याणकारी राज्य के अंग के रूप में सामाजिक आवश्यकताओं के रूप में अधिकरण आवश्यक प्रतीत हुए हैं। व्यापार और वाणिज्य की प्रगति के कारण सामान्य न्यायालय कार्यभार को निपटाने की स्थिति में नहीं है। जिसके परिणामस्वरूप अत्यधिक देरी होती है, वही प्रशासनिक अधिकरण त्वरित और कम खर्चीला न्याय उपलब्ध कराता है। त्वरित और सस्ती कार्यवाही हेतु प्रशासनिक अधिकरण आवश्यक हो जाते हैं ताकि जनधन को हानि न पहुंचे। जटिल आर्थिक और सामाजिक प्रक्रिया से उत्पन्न तकनीकी समस्याओं को प्रशासनिक अधिकरण त्वरित गति से निष्पादित करता है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, सीमा शुल्क और उत्पाद अपीलीय प्राधिकरण, एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार आयोग, निर्वाचन आयोग, विदेशी मुद्रा विनियम बोर्ड, आयकर अपीलीय प्राधिकरण, रेलवे प्राधिकरण और औद्योगिक प्राधिकरण विविध प्रकार के प्रशासनिक अधिकरण हैं।

12.4 प्रशासनिक अधिकरण की संरचना

प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 में केंद्र स्तर पर एक केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य प्रशासनिक अधिकरण तथा दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण का प्रावधान किया गया। जुलाई 1985 में प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम पारित होने के बाद केंद्र स्तर पर 1 नवंबर 1985 को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई, जिसका मुख्य न्यायापीठ दिल्ली में तथा अन्य न्याय पीठें- इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में हैं। वर्तमान में जहाँ भी उच्च न्यायालय हैं, वहाँ प्राधिकरण की पीठ है। इस प्रकार देश में कुल 17 मुख्य पीठें तथा 33 डिविशन बेंच हैं। प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के अनुसार केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण को उन व्यक्तियों के नियुक्ति एवं सेवा संबंधी विषयों के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्राधिकार और प्राधिकार मिल गया, जो अखिल भारतीय सेवाओं और संघ की किसी और लोक सेवा के सदस्य हैं या संघ में किसी सरकारी पद पर हैं या एक गैर सैनिक की क्षमता से प्रतिरक्षा से संबंधित या प्रतिरक्षा सेवाओं में किसी पद पर कार्यरत हैं। प्रशासनिक अधिकरणों का विस्तार जून 1986 में और हो गया जिसके अंतर्गत अधिकरण की और न्याय पीठें क्रमशः अहमदाबाद, हैदराबाद, जोधपुर, पटना, कटक और जबलपुर में स्थापित हुईं। 1988 में एर्नाकुलम में 15 वीं पीठ की स्थापना की गई थी। साथ ही, नागपुर, गोवा, औरंगाबाद, जम्मू, शिमला, इन्दौर, ग्वालियर, बिलासपुर, राँची, पांडीचेरी, गंगटोक, पोर्टब्लेयर, शिलांग, अमरातल्ला, कोहिमा, इम्फाल, इटानगर, आइजोल और नैनीताल में चल पीठें (सर्किट सिटिंग) लगती हैं।

प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत ही राज्य प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया, जो राज्य सरकार के कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों का निपटारा कर सके। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त प्रशासनिक अधिकरणों का प्रावधान किया गया, जिसके अंतर्गत उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु की सरकारों के विशेष अनुरोध पर संबंधित राज्य सरकारों के कर्मचारियों की सेवा संबंधी मामलों के लिए प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना की गई है। अरुणाचल प्रदेश के लिए भी एक संयुक्त अधिकरण की स्थापना की गई जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की गुवाहाटी पीठ के साथ संयुक्त रूप से काम करती है।

संविधान का भाग XI V-क के प्रावधान को 1976 के 42 वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया। अनुच्छेद 323, क और 323, ख क्रमशः अन्य मामलों से संबंधित प्रशासनिक न्यायाधिकरण अथवा अधिकरण प्रदान करता है। अनुच्छेद 323, क के तहत, नियुक्ति और संघ के या किसी राज्य अथवा स्थानीय मामलों या फिर भारत सरकार के स्वामित्व या सरकार द्वारा नियंत्रित किसी भी निगम और सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थाओं के संबंध में सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों से संबंधित विवादों और शिकायतों पर अधिनिर्णय करने के लिए संसद के पास प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना करने का अधिकार है।

12.5 प्रशासनिक अधिकरण का गठन

प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक प्रशासनिक अधिकरण में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा न्यायिक और प्रशासनिक सदस्य होंगे जितने संबंधित सरकार- केंद्र सरकार, कोई एक राज्य सरकार या संयुक्त रूप से उचित समझे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हेतु संबंधित व्यक्ति को किसी उच्च न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए अथवा भारत सरकार में सचिव के पद पर कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए अथवा केंद्र या राज्य सरकार के अधीन सचिव के समकक्ष वेतनमान किसी अन्य पद पर कार्य किया होना चाहिए। न्यायिक सदस्य के लिए संबंधित व्यक्ति को किसी उच्च न्यायालय का कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए या भारतीय विधि सेवा का सदस्य होना चाहिए और उस

सेवा की प्रथम श्रेणी में कम से कम 3 वर्ष तक किसी पद पर कार्यरत होना चाहिए। वही प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्ति हेतु संबंधित व्यक्ति को भारत सरकार के अपर सचिव पद पर कम से कम 2 वर्ष तक कार्य किया होना चाहिए या राज्य सरकार के अधीन समकक्ष वेतनमान वाले किसी पद पर कार्य किया होना चाहिए या भारत सरकार के संयुक्त सचिव पद पर कम से कम 3 वर्ष तक कार्य किया होना चाहिए या केंद्र या राज्य सरकार की अधीन समकक्ष पद पर कार्य किया होना चाहिए और उसके पास प्रशासन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए।

प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण और राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए केंद्र सरकार को अधिकृत करता है। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य शामिल हैं और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। न्यायिक और प्रशासनिक क्षेत्रों से केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति होती है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण का कोई भी अन्य सदस्य अपने कार्यकाल के बीच में ही अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भेज सकता है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा राज्य या संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित नियुक्तियां संबंधित राज्य/राज्यों के राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष या न्यायिक सदस्य की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह के बिना नहीं की जा सकती है। यदि अध्यक्ष के त्यागपत्र उसकी मृत्यु या अन्य किसी कारण से अध्यक्ष का पद खाली रहता है या वह अनुपस्थिति बीमारी या अन्य किसी कारण से अपना कार्य करने की स्थिति में नहीं होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के पद संभालने तक अथवा अपने कार्य पर वापस आने तक उसके कार्य को संपादित करता है।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए या अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के संदर्भ में 65 वर्ष की अवस्था तक और अन्य सदस्यों के संदर्भ में 62 वर्ष की अवस्था तक जो भी अवधि कम हो उस अवधि तक कार्य करते हैं। प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या न कोई सदस्य राष्ट्रपति को लिखित रूप से अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है लेकिन त्याग पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से 3 माह की अवधि पूरी होने तक या अपना कार्यकाल पूरा होने तक या अपने उत्तराधिकारी करके कार्य पर आने की तारीख तक जो भी अवधि सबसे कम हो अपने पद पर बना रहता है। उन्हें उस पद से तभी हटाया जा सकता है जब राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा जांच के पश्चात उनके दुर्व्यवहार या अक्षमता की पुष्टि हो जाने पर इस आधार पर उन्हें हटाने का आदेश दें और इससे पहले उन्हें अधिनियम के उपबंधों के अधीन इन आरोपों के प्रत्युत्तर का उचित अवसर प्रदान किया जाएगा। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का अध्यक्ष केंद्र या राज्य सरकार के अधीन भविष्य में नियुक्ति या सेवा के योग्य होगा परंतु केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का उपाध्यक्ष, उसी प्रशासनिक अधिकरण या किसी अन्य राज्य या संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण के उपाध्यक्ष पद के लिए योग्य होगा। किसी राज्य या संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण का अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य की हैसियत से या किसी अन्य राज्य या संयुक्त प्रशासनिक अधिकारियों के अध्यक्ष की हैसियत से नियुक्ति के लिए योग्य होगा। राज्य या संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण का उपाध्यक्ष राज्य प्रशासनिक अधिकरण का अध्यक्ष हो सकता है। वह केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण या अन्य किसी राज्य या संयुक्त प्रशासनिक का अध्यक्ष भी हो सकता है। किसी प्रशासनिक अधिकरण का सदस्य, ऐसे ही प्रशासनिक अधिकरण का अध्यक्ष उपाध्यक्ष की हैसियत से यानी किसी प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य की हैसियत से नियुक्ति के लिए सर्वथा योग्य होगा। इसके अतिरिक्त केंद्रीय, राज्य प्रशासनिक अधिकरण का उपाध्यक्ष, सदस्य और किसी अन्य राज्य प्रशासनिक अधिकारी भारत सरकार या केंद्र सरकार के अधीन किसी और नियुक्तियों की योग्य नहीं होगा। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य प्रशासनिक अधिकरण के सामने उपस्थित नहीं होंगे, कार्य नहीं करेंगे या वकालत नहीं करेंगे, जिसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष या सदस्य रह चुके हैं। अध्यक्ष न्याय पीठ पर

अपने वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों का उपयोग करेगा जो उसके पास औपचारिक रूप से प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते और सभी सेवा निवृत्ति लाभों समेत सेवा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित हो, ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा जिससे उन्हें नुकसान हो।

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की प्रमुख पीठ दिल्ली में स्थित है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्यों में अतिरिक्त पीठें भी हैं। वर्तमान में 17 नियमित पीठ (बेंचे) और 4 सर्किट बेंच हैं। कैट के पास निम्नलिखित सेवा क्षेत्र के मामलों में अधिकार है: अखिल भारतीय सेवा का कोई भी एक सदस्य, संघ के किसी भी सिविल सेवा या संघ के तहत किसी भी सिविल पद पर नियुक्त एक व्यक्ति, रक्षा सेवाओं में नियुक्त कोई भी नागरिक या रक्षा से जुड़ा कोई भी एक पदा। हालांकि, रक्षा बलों के सदस्य, अधिकारी, सुप्रीम कोर्ट और संसद के सचिवालय के स्टाफ कर्मचारी कैट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं।

12.6 प्रशासनिक अधिकरण के कार्य एवं अधिकार

प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 ने सरकारी कर्मचारियों को न्याय देने के क्षेत्र में एक नया अध्याय प्रारम्भ किया। प्रशासनिक अधिकरण का गठन संविधान के अनुच्छेद- 323, ए के आधार पर हुआ है, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार को, केंद्र और राज्यों के कार्य संचालन के संबंध में लोक सेवा और पदों पर नियुक्ति व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों के संबंध में विवादों और शिकायतों के निपटारे हेतु संसद द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण स्थापित करने की शक्ति प्राप्त है। प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 में निहित प्रावधानों के अनुसार, स्थापित प्रशासनिक अधिकरणों को इसके अंतर्गत आने वाले कार्मिकों की सेवा संबंधी मामलों पर मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय के 18 मार्च 1977 के निर्णय के परिणाम स्वरूप, किसी प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ संबंधित उच्च न्यायालय की खण्डपीठ को अपील की जाएगी। प्रशासनिक न्यायाधिकरण का क्षेत्राधिकार इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले वादी के केवल सेवा संबंधी मामलों पर है। इस अधिनियम की प्रक्रियात्मक सरलता का सहज अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि इसके समक्ष शिकायतकर्ता स्वयं अपनी पैरवी कर सकता है। शासन अपने मामले विभागीय अधिकारियों अथवा वकील के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। इस प्रकार न्यायाधिकरण का उद्देश्य शिकायतकर्ता को त्वरित और सस्ता न्याय प्रदान करना है।

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के पास निम्नलिखित सेवा क्षेत्र के मामलों में अधिकार है: अखिल भारतीय सेवा का कोई भी एक सदस्य, संघ के किसी भी सिविल सेवा या संघ के तहत किसी भी सिविल पद पर नियुक्त एक व्यक्ति, रक्षा सेवाओं में नियुक्त कोई भी नागरिक या रक्षा से जुड़ा कोई भी एक पदा। किन्तु रक्षा बलों के सदस्य, अधिकारी, सुप्रीम कोर्ट और संसद के सचिवालय के स्टाफ कर्मचारी कैट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की संहिता में निर्धारित प्रक्रिया के लिए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण बाध्य नहीं है, किन्तु प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है। एक अधिकरण के पास उसी प्रकार की शक्तियां होती हैं जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की संहिता के तहत एक सिविल कोर्ट के पास होती हैं। कोई व्यक्ति अधिकरण में आवेदन कानूनी सहायता के माध्यम से या फिर स्वयं हाजिर होकर कर सकता है। किसी न्यायाधिकरण अथवा अधिकरण के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में तो अपील की जा सकती है लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में नहीं। प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम-1985 के अध्याय-3 में प्रशासनिक अधिकरण के अधिकार क्षेत्र एवं पदाधिकारियों के संबंध में व्यापक रूप से चर्चा की गई है अधिनियम की धाराओं के अनुसार केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद- 136 के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर और सभी अदालतों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले क्षेत्राधिकार, अधिकार और प्राधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। यह प्रावधान केंद्र या प्रतिरक्षा सेवा के अधीन गैर-सैनिक पदों पर कार्य करने वाले या संघ की लोक सेवाओं के सदस्यों

पर या अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति एवं अन्य सेवा संबंधी मामलों पर प्रभावी होती है। सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर देश में किसी और अन्य किसी ने अदालत को सेवा संबंधी विवादों में किसी क्षेत्राधिकार या प्राधिकार का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। राज्य और संयुक्त प्रशासनिक अधिकरणों को वही प्राधिकार प्रदान किया गया है। कानूनी और संवैधानिक अधिकारों को लागू करने के लिए अदालतों का भारत में एक श्रेणीबद्ध ढांचा है। कोई भी व्यक्ति एक अदालत के फैसले के विरुद्ध दूसरी अदालत में अपील कर सकता है लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों का ऐसा कोई श्रेणीबद्ध ढांचा नहीं है और सेवा संबंधी मामलों के निपटारे के लिए संबंधित व्यक्ति केवल किसी एक प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष ही अपनी शिकायतें दर्ज कर सकता है। यह व्यवस्था फ्रांस में प्रचलित व्यवस्था से सर्वथा भिन्न है जहां प्रशासनिक अधिकारियों का एक श्रेणीबद्ध ढांचा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-136 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को प्रशासनिक अधिकारों के फैसलों पर क्षेत्राधिकार प्राप्त है। फिर भी अधिकार के तौर पर कोई भी पीड़ित व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं दर्ज कर सकता। यह सर्वोच्च न्यायालय के विवेक पर सर्वथा निर्भर करता है कि वह अपील के लिए विशेष अनुमति दे या ना दे।

प्रशासनिक अधिकरणों के पास रिट जारी करने का अधिकार है। मामलों का निपटारा करते प्रशासनिक अधिकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत कानूनों एवं नियमों का पालन करते हैं। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रशासनिक अधिकरण लोक व्यवहार संहिता 1988 में वर्णित प्रक्रिया से प्रभावी नहीं है, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से निर्देशित होती हैं। प्रशासनिक अधिकरण को अपनी प्रक्रिया को चलाने का अधिकार होगा जिसमें जांच के स्थान और समय निर्धारित करने अधिकार है और इसमें यह फैसला भी शामिल है, जिसमें वह कार्यवाही सार्वजनिक रूप से करें या निजी तौर पर करें। अवमानना के संबंध में दंड देने का प्रशासनिक अधिकरण के पास उच्च न्यायालय जैसे ही क्षेत्राधिकार अधिकार और प्राधिकार हैं और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए न्यायालय अवमानना अधिनियम-1971 के प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्था भी है। इससे प्रशासनिक अधिकरण की गंभीरता को स्पष्ट रूप दिया गया है तथा आदेशों की अवहेलना ना हो सके इसके लिए भी पर्याप्त आधार भी प्रदान किया गया है।

12.7 प्रशासनिक अधिकरण की कार्य प्रणाली

प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 प्रशासनिक अधिकरण के कार्यप्रणाली का विस्तार रूप से वर्णन करता है। अध्याय 4 में प्रशासनिक अधिकरण में आवेदन करने के तरीकों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आने वाले किसी मामले में किसी आदेश को लेकर यदि किसी व्यक्ति को कोई शिकायत है तो वह उसके निराकरण के लिए प्रशासनिक अधिकरण में अपना आवेदन कर सकता है। इस प्रकार के आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर ही होंगे तथा उनके साथ आवश्यक कागजात और प्रमाण पत्र भी संलग्न होने चाहिए तथा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क भी जमा होना चाहिए। लेकिन आवेदन शुल्क ₹100 से अधिक नहीं होगा। सामान्यतया प्रशासनिक अधिकरण तब तक किसी आवेदन को स्वीकार नहीं करता जब तक उसे यह संतुष्टि ना हो जाए कि आवेदन करता प्रासंगिक नियमों के अंतर्गत उपलब्ध सभी उपायों को आजमा चुका हो। इसमें कोई भी प्रतिवेदन किया गया होना सम्मिलित है अगर प्रतिवेदन करने के 6 महीने के पश्चात कोई आदेश जारी नहीं किया जाता है तो आवेदन करता प्रशासनिक अधिकरण में अपील कर सकता है लेकिन आवेदन या अपील खारिज हो जाने का अंतिम आदेश मिलने के 1 साल के भीतर प्रशासनिक अधिकरण में अपील की जानी चाहिए और अगर खारिज होने का अंतिम आदेश जारी नहीं हुआ है तो 6 महीने की अवधि पूरी करने के पश्चात 1 वर्ष के अंदर यह प्रशासनिक अधिकरण में की जाती है। अगर आवेदन करता प्रशासनिक अधिकरण को

इस बारे में संतुष्ट कर देता है कि उसके पास सामान्य निर्धारित अवधि के अंतर्गत आवेदन न कर पाने के पर्याप्त कारण हैं तो प्रशासनिक अधिकरण उसके आवेदन को 1 साल के बाद भी स्वीकार कर सकती है।

प्रशासनिक अधिकरण प्रत्येक आवेदन पर निर्णय लेने के लिए कागजात लिखित प्रतिवेदन की जांच करती है और कभी-कभी किसी मामले में यदि आवश्यक हुआ तो मौखिक तर्क सुनने के बाद ही अपना फैसला दे देती है। आवेदनकर्ता खुद प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष उपस्थित हो सकता है या किसी पेशेवर वकील के माध्यम से वह अपना पक्ष रख सकता है। दोनों पक्ष प्रशासनिक अधिकरण के मानने को बाध्य हैं उसके आदेश को आदेश में धारित अवधि के अंतर्गत मानना होगा और जहां अवधि का जिक्र नहीं किया गया है, वहां आदेश मिलने के 6 महीने के अंतर्गत उसका पालन करना होगा। कोई भी पक्ष संविधान के अनुच्छेद-136 के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी कर सकता है। प्रशासनिक अधिकरण व्यवहार संहिता 1988 में वर्णित प्रक्रिया से बनी हुई नहीं है। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से निर्देशित होती है जो स्थिति के अनुसार लोचदार और सामंजस्य की गुंजाइश वाले होते हैं। इसलिए प्रशासनिक अधिकरण किसी स्थिति विशेष के अनुसार अपनी प्रक्रिया को रूपांतरित करने में मदद करते हैं।

राज्य के स्वरूप और गतिविधियों के विस्तार के साथ प्रशासन का महत्व भी बढ़ता गया है। आज के संदर्भ में राज्य केवल सतही और विनियामक कार्य ही नहीं करता बल्कि वह लोगों की राज्य के प्रति आकांक्षाओं के अनुरूप आर्थिक विकास को गति देता है और सामाजिक और संस्कृति प्रगति को भी एक परिवर्तित रूप देता है। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की संहिता में निर्धारित प्रक्रिया के लिए कैट बाध्य नहीं है, किन्तु प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है। एक अधिकरण के पास उसी प्रकार की शक्तियां होती हैं जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की संहिता के तहत एक सिविल कोर्ट के पास होती हैं। कोई व्यक्ति अधिकरण में आवेदन कानूनी सहायता के माध्यम से या फिर स्वयं हाजिर होकर कर सकता है। किसी न्यायाधिकरण अथवा अधिकरण के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में तो अपील की जा सकती है लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में नहीं।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की संहिता में निर्धारित प्रक्रिया के लिए कैट बाध्य नहीं है, लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है। एक अधिकरण के पास उसी प्रकार की शक्तियां होती हैं जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की संहिता के तहत एक सिविल कोर्ट के पास होती हैं। एक व्यक्ति अधिकरण में आवेदन कानूनी सहायता के माध्यम से या फिर स्वयं हाजिर होकर कर सकता है। एक न्यायाधिकरण अथवा अधिकरण के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में तो अपील की जा सकती है लेकिन सुप्रीम कोर्ट में नहीं। चंद्र कुमार मामले (1997) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक अधिकरण के आदेश के खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती है और इसके लिए पीड़ित व्यक्ति को पहले संबंधित उच्च न्यायालय से संपर्क करना चाहिए।

12.8 प्रशासनिक अधिकरण की भूमिका का मूल्यांकन

प्रशासनिक अधिकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और यह प्रणाली उपयोगी और प्रभावी सिद्ध हुई है। इससे जहां एक और सामान्य न्यायालयों को राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों की सेवा संबंधी मामलों में उनके लिए शीघ्र और सस्ता न्याय भी सुनिश्चित हुआ है। प्रशासनिक अधिकरण के कई ऐसे लोग हैं जो सामान्य न्यायालयों के पास नहीं होते। प्रशासनिक अधिकरण न केवल प्रशासनिक न्याय का सबसे उपयुक्त माध्यम है बल्कि व्यक्तियों को निष्पक्ष न्याय देने का प्रभावी माध्यम भी है। सामान्य तौर पर न्याय न मिलने के बाद कर्मचारी प्रशासनिक अधिकरण से न्याय की उम्मीद अवश्य करते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों से उन्हें उस लाभ की उम्मीद होती है जिन पर उनका अधिकार बनता है। लोचदार और सामंजस्य के कारण, प्रशासनिक अधिकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कठोर नियमों या विगत फैसले या कानून के नियमों से बंधे ना होने के कारण प्रशासनिक अधिकरण कानून की यांत्रिकता से मुक्त होती है।

सामान्य यात्रियों की लंबी एवं खर्चीली प्रक्रिया की तुलना में प्रशासनिक अधिकारियों से प्राप्त होने वाला न्याय काफी सस्ता है। प्रशासनिक अधिकरण इस प्रकार एक लोकप्रिय न्यायिक मंच है, जहां कर्मचारी आसानी से पहुंच सकते हैं और उन्हें सेवा के छोटे-छोटे मामलों में भी त्वरित न्याय मिल सकता है। न्यायालयों के पास मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दीवानी, फौजदारी और संवैधानिक मामलों की याचिकाओं से उत्पन्न व्यस्तताएं भी प्रशासनिक अधिकरणों के स्थापित होने के बाद राहत प्रदान करती है।

इन लाभ या खूबियों के बावजूद प्रशासनिक अधिकारियों के काम करने की कुछ सीमाएं हैं। प्रशासनिक अधिकरण का श्रेणीबद्ध ढांचा नहीं है। ढांचा ना होने के कारण सेवा संबंधी मामलों में न्यायिक पुनरावलोकन की संभावना नहीं होती है। प्रशासनिक अधिकरण इसके साथ ही एक समान नजीर पर निर्भर नहीं होती इसीलिए वे कभी-कभी परस्पर विरोधी या मनमाने फैसले लेते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के अधिकारी एवं सदस्यों में कानून या न्यायिक कार्य का कोई पिछला अनुभव नहीं भी हो सकता है और उनकी नियुक्ति अन्य आधारों पर भी की गई हो। प्रशासनिक अधिकारियों के पास रिट जारी करने का अधिकार होता है जो अभी तक संविधान की व्यवस्थाओं के अंतर्गत केवल सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के पास था। न्यायालयों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच रिट जारी करने के प्राधिकार को साझा करने संबंधी स्पष्ट प्रावधान नहीं है। प्रशासनिक अधिकरण की संरचना में किसी अपीलीय मंच के ना होने के कारण काफी असुविधा भी होती है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की यदि कोई पीठ फैसला देती है तो यह फैसला पूरे देश पर लागू होता है क्योंकि भारत के लिए केवल एक ही प्रशासनिक अधिकरण और देश के विभिन्न भागों में स्थित पीठ थे। अगर कोई अपील का स्थान भी हो जहां संतोषजनक फैसले के विरुद्ध अपील की जा सकती तो यह सरकारी कर्मचारियों और सरकार के लिए न्याय पाने का सम्मानित तरीका हो सकता था।

सदस्यों की कमी के बावजूद मामलों के निपटाने में अधिकरणों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अनेक निर्णय, देश में सेवा क्षेत्र के विकास की दिशा में मील के पत्थर साबित हुए हैं। इनमें कुछ सुधार आवश्यक है। अधिकरणों की आंतरिक न्यायिक अधिप्रभाव मूल्यांकन की आवश्यकता है। वर्तमान में अधिकांश कानून अस्पष्टता के दायरे में हैं जहाँ शासन में अधिक पारदर्शिता व सरकार के प्रति प्रतिबद्धता के लिये न्याय-शास्त्र की शिक्षा व प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यक है। अधिकरण के कामकाज में तेजी लाने के लिये कृत्रिम-बुद्धिमत्ता के उपयोग की आवश्यकता है। और भी, 'अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार' के प्रति प्रतिबद्धता की जरूरत है। 'प्रदर्शन, सुधार और कायाकल्प' सिद्धांत की प्राप्ति की दिशा में सेवा शर्तों के विभिन्न पहलुओं में सुधार लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। अधिकरण पिछले कुछ वर्षों में शिकायत-मुक्त सेवा वितरण प्रणाली की प्राप्ति की दिशा में सरकार का एक आवश्यक अंग रहा है और इसी दिशा में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम तथा अन्य सेवाओं के मामलों में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गए हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण के सदस्यों की सेवा शर्तों के बारे में बताते हुए इस बात पर भी जोर दिया कि सदस्यों का कार्यकाल पर्याप्त अवधि का होना चाहिए। सेवा संबंधी मामलों में मुकदमेबाजी वर्तमान में काफी बढ़ गई है। अधिकरणों में लगभग 50,000 मामले लंबित हैं, अतः मामलों में कमी लाने के लिये निर्णय स्पष्ट, तर्कपूर्ण और संक्षिप्त होने चाहिये तथा न्यायिक आदेशों को सभी तथ्यों, संबंधित कानूनों और पूर्ववर्ती फैसलों को ध्यान में रखकर जारी करना चाहिये।

सरकार के कार्य, परिस्थितियों के अनुसार विगत कई दशकों से परिवर्तित हुए हैं और अब प्रशासन एक गतिमूलक, परिवर्तनमूलक और उद्देश्यमूलक प्रणाली का रूप ले चुका है। इस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था में कार्मिक अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कार्मिकों को व्यवसायिक और प्रेरणात्मक रूप से तैयार करने के लिए एक ठोस संगठनात्मक प्रणाली का विकसित होना अत्यावश्यक है और ऐसी संगठनात्मक संरचना की छवि हमें अधिकरणों में दिखाई पड़ती है। अपने कार्यकाल में अधिकरणों ने अपने उद्देश्यों को काफी सीमा तक पूरा किया है और वास्तव में यह सिद्ध कर दिया है कि यह किसी खास वर्ग विशेष का प्रतिनिधि नहीं बल्कि निष्पक्ष और राजनीतिक रूप से किसी

भी प्रकार के दबावों से अपने आप को अछूता पाता है। अधिकरणों ने कार्यपालिका के दबाव के विरुद्ध बिना भय या पक्षपात कर अधिक अच्छी मिसाल कायम की है।

अभ्यास प्रश्न-

1. केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कब की गई थी?
2. प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 कितने प्रकार के अधिकरणों का प्रावधान करता है?
3. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को प्रशासनिक अधिकारों के फैसलों पर क्षेत्राधिकार प्राप्त है?
4. संविधान का भाग XI V-क के प्रावधान को किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया?
5. केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण का मुख्य न्यायपीठ कहाँ स्थित है?

12.9 सारांश

इस इकाई में प्रशासनिक अधिकरणों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। प्रशासनिक अधिकरण सरकारी कार्य में लगे कार्मिकों की सेवा या सेवा संबंधी मामलों का निपटारा करता है। इस अध्याय में आपको विविध प्रकार के अधिकरण, उनके संगठन, अधिकार क्षेत्र, अधिकारों एवं प्राधिकार के संबंध में भी पर्याप्त जानकारी दी गई है। प्रशासनिक अधिकरण के माध्यम से प्रशासनिक न्याय आधुनिक समाज की विविध एवं पेचीदा आवश्यकताओं को ही कहीं अधिक उपयुक्त तरीके से पूरा करती है। विगत कुछ वर्षों के अनुभव के आधार पर यह उपयोगी और प्रभावी भी सिद्ध हुआ है। इससे ना केवल न्यायालयों को बल्कि कर्मचारियों को भी शीघ्र और सस्ता न्याय भी उपलब्ध हुआ है। कम खर्च, यांत्रिकता से मुक्ति, तुलनात्मक दृष्टिकोण से अधिक लचीलापन, लोचदार विवादों का शीघ्र निपटारा तथा सुगमता के कारण प्रशासनिक अधिकरणों का महत्व बढ़ा है। वही कुछ ऐसे कारक हैं जो उनके प्रभावी ढंग से कार्य करने में बाधक भी हैं। प्रशासनिक अधिकारियों में न्याय क्षेत्र के प्रसिद्ध, प्रशिक्षित एवं अनुभवी व्यक्तियों के अभाव के कारण तथा निष्पक्ष दृष्टिकोण और तटस्थता के अभाव ऐसे कारक हैं जो अक्सर समस्याएं खड़ी करते हैं। न्यायिक स्तर बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि प्रशासनिक अधिकारियों में न्याय अनुभव वाले व्यक्तियों को अधिक से अधिक संख्या में शामिल किया जाए तथा न्यायालयों में प्रशासनिक व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति और स्पष्ट समझ होनी चाहिए जिससे कि अरुचिकर लक्षणों को भी समाप्त किया जा सके।

12.10 शब्दावली

प्रशासनिक अधिकरण- विधायिका द्वारा स्थापित विशेष निकाय, जो न्याय की भावना से कार्य करते हुए प्रशासनिक फैसलों से उत्पन्न विवादों का निपटारा करते हैं।

पीठ- पारंपरिक तौर पर पीठ न्यायाधीशों का प्रतीक होती है और बाहर वकीलों और अधिवक्ताओं का।

न्यायिक समीक्षा- विधायिका या कार्यपालिका द्वारा पारित किसी भी आदेश की संवैधानिकता को निर्धारित करने के उद्देश्य से सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया गया अधिकार।

रिट- यह एक कानूनी प्रलेख होता है जो किसी व्यक्ति विशेष को कोई कार्य करने या न करने का आदेश देता है।

रूपांतर- रूप को परिवर्तित या किसी अन्य रूप में विकसित करने से संबंधित है।

कानून का नियम- डाइसी द्वारा प्रस्तुत इस नियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति देश के कानून से ऊपर नहीं है और प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता या पद के अनुसार सामान्य कानून के दायरे में है और सामान्य अदालतों के अधिकार क्षेत्र के अधीन भी है।

संविधान- राजनीतिक व्यवस्था को नियमित एवं नियंत्रित करनेवाला देश का सर्वोच्च कानून।

प्रश्रय- किसी पर अनुग्रह करके नियुक्ति प्रदान करने का तरीका

ढांचा- संरचना

12.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. वर्ष 1985 में, 2. तीन प्रकार के, 3. अनुच्छेद- 136, 4. 42 वें संशोधन अधिनियम, 5. दिल्ली में

12.12 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. माहेश्वरी, श्रीराम, 2010, भारतीय प्रशासन, ओरिएंट ब्लैकस्वान, नई दिल्ली।
2. बसु, डी.डी., 1986, प्रशासनिक कानून, प्रेन्टिस हॉल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली।
3. डे, बाटा के., 1978, भारत में नौकरशाही का विकास और लोक प्रबंध, उप्पल पब्लिशिंग हाउस, नयी दिल्ली।
4. जैन, पी. सी., 1981, एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन : कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फ्रांस, यू. के., यू. एस. ए., एंड इंडिया, स्टर्लिंग पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।
5. नायक, राधाकांत, 1989, एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस इन इंडिया, सेज पब्लिकेशंस, नई दिल्ली।

12.13 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. सरन, पी., 2005, आधुनिक लोक प्रशासन, मीनाक्षी प्रकाशन, नयी दिल्ली।
2. शर्मा, एम. पी., 2005, लोक प्रशासन, किताब महल, इलाहाबाद।
3. भट्टाचार्य, मोहित, 2012, लोक प्रशासन, वर्ल्ड प्रेस, कोलकाता।

12.14 निबन्धात्मक प्रश्न

1. प्रशासनिक अधिकरण क्या है? इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
2. भारत में प्रशासनिक अधिकरण के उद्भव एवं विकास का मूल्यांकन कीजिए।
3. प्रशासनिक अधिकरण की संरचना पर प्रकाश डालिए।
4. प्रशासनिक अधिकरण के कार्यों की समीक्षा कीजिए।
5. प्रशासनिक अधिकरण के लाभ एवं हानियों का मूल्यांकन कीजिए।

इकाई- 13 कार्मिक नीति

इकाई की संरचना

- 13.0 प्रस्तावना
- 13.1 उद्देश्य
- 13.2 नीति निर्धारण का अर्थ
- 13.3 कार्मिक नीति
- 13.4 भारत में सार्वजनिक कर्मचारी
- 13.5 कार्मिक नीतियों के निर्धारण हेतु संगठन / संस्था
- 13.6 कार्मिक विभाग
- 13.7 नवीन नीति परिदृश्य
- 13.8 सारांश
- 13.9 शब्दावली
- 13.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 13.11 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 13.12 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 13.13 निबन्धात्मक प्रश्न

13.0 प्रस्तावना

किसी भी राज्य की उत्कृष्टता का आधार उसका प्रशासनिक ढांचा होता है। प्रशासन एवं मानव संसाधन ऐसे आयाम हैं जो राज्य की नीतियों एवं मानव समाज के विकास को अपनी दक्षता एवं कार्य कुशलता से प्राप्त करने का कार्य करते हैं। समाज का स्वरूप और राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति भी प्रशासन द्वारा ही निर्मित और निर्धारित होती है। राज्य के कार्यों में अत्यधिक विस्तार होने के कारण लोक सेवकों की महत्ता विगत कुछ वर्षों से काफी बढ़ गई है। वर्तमान युग में प्रशासन का कार्य अधिक जटिल और दुरूह हो गया है। लोक प्रशासन की गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता इसके कार्मिकों पर निर्भर करती है। कार्मिकों का प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण चुनौतीपूर्ण कार्य है। मानव शक्ति का कुशल प्रबंधन प्रशासन को गतिशील बनाता है। इस प्रकार यह प्रशासन का जीवित तत्व या प्राण है।

प्रशासन राज्य की नीतियों को क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। प्रशासन इस भूमिका को अपने मानव संसाधन द्वारा निष्पादित करता है। मानव संसाधन का प्रबंध राज्य की प्रबंध प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके अंतर्गत कार्मिक नीति की रूपरेखा, कर्मचारियों के विभिन्न पहलुओं का एक निवेश के रूप में एकीकरण करती है। प्रमाणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रशासन में बहुत लंबे समय तक कर्मचारियों को कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया और उन्हें समस्त गतिविधियों में सहायक मात्र ही माना जाता था। समय के साथ इस अवधारणा में परिवर्तन आया है।

इस अध्याय के माध्यम से पाठकों को नीति निर्धारण के अर्थ, सार्वजनिक कर्मचारी की अवधारणा एवं कार्मिक नीति से परिचय कराना है। इसमें लोक सेवकों के कार्मिक नीतियों की अवधारणा, भारत में कार्मिक नीति, कार्मिक नीतियों के निर्धारण हेतु संगठन/संस्था तथा कार्मिक विभाग जैसे विषयों पर भी विस्तार से चर्चा होगी।

13.1 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन करने के उपरान्त आप-

- कार्मिक नीतियों का व्यापक अध्ययन कर पाएंगे, जो बड़े पैमाने पर अपनाई जाती है।
- नीति निर्धारण के अर्थ एवं सार्वजनिक कर्मचारी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- साथ ही लोक सेवकों के कार्मिक नीतियों की अवधारणा तथा भारत में कार्मिक नीति के बारे में जान सकेंगे।
- भारत में कार्मिक नीतियों के निर्धारण हेतु संगठन/संस्था तथा कार्मिक विभाग विषयों को समझने में भी सक्षम हो पाएंगे तथा
- नवीन नीति परिदृश्य का मूल्यांकन कर पाएंगे।

13.2 नीति निर्धारण का अर्थ

नीति निर्धारण की प्रक्रिया प्रशासन की केन्द्रीय प्रक्रियाओं में से एक है। एपेल्बी के अनुसार नीति निर्माण ही लोक प्रशासन का सार है। नीतियाँ आवश्यकता के अनुकूल कार्य करने तथा वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करती है। नीतियाँ, व्यवहार के वे नियम हैं जो प्रशासनिक निर्णयों का मार्गदर्शन करती हैं। ये ऐसे आधार-स्तम्भ हैं, जिसके सहारे उद्देश्यों की ओर बढ़ा जाता है।

नीति निर्धारण शब्द का प्रयोग लोक प्रशासन में व्यापक रूप से किया जाता है। नीति निर्धारण और नीति निर्माण भिन्न प्रकार के निर्णय लेने की प्रक्रिया है। नीतियाँ सामान्य तौर पर यथार्थ और सार्थकता के अधिकार क्षेत्रों से संबंधित मानी जाती है। यह अधिक समय के लिए वैध होती है और व्यापक कार्य के लिए मार्गदर्शक के रूप में भी कार्य करती है। इस प्रकार नीति निर्धारण मानवीय घटना के लिए एक ऐसी सक्रिय प्रक्रिया है जो संबंधित तथ्यों एवं पक्के मूल्यांकन से बनाई जाती है और जिसमें भविष्य के कार्य रूप के लिए रूपरेखा होती है और जिसका लक्ष्य सर्वश्रेष्ठ साधनों द्वारा उद्देश्य की पूर्ति होता है।

नीति निर्धारण शब्द इस प्रकार विविध प्रक्रियात्मक प्रयासों का एक रूप है, जिसमें निम्नलिखित तथ्यात्मक गतिविधियाँ समाहित होती हैं- विषयों का विनियोजन, समस्याओं का निर्धारण, नए विचारों की खोज तथा समस्याओं का विश्लेषण, उद्भवन, संश्लेषण, मूल्यांकन, कार्य योजनाओं को अधिग्रहित करना, तथा कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन तथा उनकी समीक्षा।

यद्यपि नीति निर्धारण से पूर्व सारे तथ्यों पर विचार किया जाता है और सारे आयाम और उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन भी प्रायः कर लिया जाता है, परंतु वास्तविकता में विशिष्ट अनुभव, व्यक्तिगत ज्ञान तथा व्यवसायिक निपुणता के साथ-साथ अन्य प्रवृत्तियाँ भी नीति निर्धारण को प्रभावित करती हैं। भारत में लोक प्रशासन तदर्थ व्यवस्था एवं अन्य बुराइयों से पीड़ित है। स्वतंत्रता के बाद लोक प्रशासन ने भारत में एक लंबा सफर तय किया है। ब्रिटिश काल में प्रशासन जनता से बिल्कुल मुक्त था तथा राष्ट्रीय विकास, आर्थिक नियोजन, सामाजिक प्रगति और जनकल्याण से इसका कोई लेना देना नहीं था। लोक प्रशासन अपने स्वरूप में पुरातन बना हुआ था तथा इसकी कार्यशैली भी अत्यंत औपचारिक थी। यथास्थितिवादी होने के कारण इसकी कार्यशैली विकासोन्मुख और प्रगतिशील नहीं थी। स्वतंत्रता के पश्चात इसमें आमूल परिवर्तन हुए और नए आयामों की ओर इसका रुझान शुरू हुआ। इनमें प्रमुख थे- जनकल्याण, राज्य के कार्यों में अभूतपूर्व वृद्धि, प्रक्रियात्मक परिवर्तन तथा व्यवस्था से जुड़े कर्मचारियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि आदि।

13.3 कार्मिक नीति

लोक प्रशासन की प्रक्रियाओं को संपादित करने के लिए एक विस्तृत तंत्र की आवश्यकता होती है और इस तंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्मिकों की एक विशाल संख्या की जरूरत भी पड़ती है। किसी संगठन के इन्हीं

कार्मिकों की भर्ती, प्रशिक्षण, प्रोन्नति, सेवा शर्तों आदि का अध्ययन कार्मिक प्रशासन का प्रमुख विषय है। लोक सेवकों के संबंध में जो नीति अपनाई जाती है, उसी से संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति में सफलता का निर्धारण किया जा सकता है। मैक्स वेबर का कहना है एक स्वस्थ सेवी वर्ग संबंधी नीति वह है, जिसमें सभी कार्मिकों के कार्य निर्धारित कर दिए जाएं और उन्हें पूरा करने के लिए कर्मचारियों को पूरा अधिकार सौंपा जाए। कार्य की संपन्नता व्यवस्थित और प्रणालीबद्ध तरीके से हो।

सफल कार्मिक प्रशासन कुशल प्रशासन का आधारभूत तत्व है। यह संगठित मानव शक्ति ही हैं जो किसी भी प्रशासन या व्यवस्था की मूल्यवान संपत्ति है। शासन, प्रशासन और प्रबंधन के समस्त संसाधनों का सदुपयोग, मानवीय कुशलताओं और प्रतिबद्धताओं पर ही निर्भर करता है। नीति निर्धारण एक प्रकार का निर्णय निर्धारण है जो विविध तत्वों के मूल्यांकन द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत समस्याओं की पहचान, विश्लेषण, कार्यकारी योजनाओं को अपनाया जाना, उसको क्रियान्वित करना तथा उस पर दृष्टि रखना शामिल है। कभी-कभी नीति निर्धारण करने में विशेष प्रवीणता और अनुभव आवश्यक तथ्य प्रतीत होते हैं। एक सफल कार्मिक नीति का संबंध कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, वर्गीकरण, पदोन्नति, वेतन भत्ते, अनुशासनात्मक कार्यवाही, अवकाश, परिवेदना निवारण, पेंशन, सेवानिवृत्ति आदि से संबंधित है। कर्मचारियों की दक्षता, सुरक्षा और विकास के संरक्षण एवं उसमें कोई भ्रंति या उलझन उत्पन्न ना हो सके, कार्मिक नीति पर निर्भर होता है। संगठन की योजनाओं और लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सुविचारित नीति का होना आवश्यक है। यह नीतियां मार्गदर्शक का कार्य करती है, जिसका अनुसरण करते हुए संगठन कर्मचारियों के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। संगठन और कर्मचारियों की मांग और पूर्ति का अनुमान तथा नियोजन को व्यवहारिकता प्रदान करने के लिए गंभीर एवं प्रयासों से कार्मिक नीतियां देश, काल और परिस्थिति के अनुसार बनाई जाती है।

कार्मिक प्रशासन संबंधी नीति की दिशा में चार सरकारी अभिकर्ताओं का विशेष उत्तरदायित्व होता है, ये हैं- विधानमंडल, मुख्य कार्यकारी, कार्मिक विभाग और सरकारी विभाग। सरकार के निरंतर कार्यों में विस्तार के फलस्वरूप प्रशासन अब जटिल विशेषज्ञ और तकनीकी बन गया है। किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था में नियोजन, प्रशिक्षण, कल्याण तथा सुरक्षा सम्बन्धित समस्याओं के निदान के लिये कार्मिक विभाग की स्थापना की जाती है। आज के युग में श्रम विधान तथा उद्योगों में श्रमिक संघ की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए कार्मिक विभाग का महत्व और अधिक बढ़ गया है। किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था के कार्मिक विभाग के दायित्व जिस अधिकारी के द्वारा संभाले जाते हैं, उसे मुख्य कार्मिक कहा जाता है। इसे श्रम विधान, औद्योगिक संबंध, मजदूरी भुगतान की विधियों, संगठन तथा उद्योग की समस्त संक्रियाओं का पूरा ज्ञान होना चाहिए। नियोजन, मानव संबंध, कर्मचारियों के पारिश्रमिक एवं श्रम कल्याण संबंधी कार्य आधुनिक काल में प्रबंधन का महत्वपूर्ण पहलू है।

13.4 भारत में सार्वजनिक कर्मचारी

राज्य के कार्यों में विस्तार के फलस्वरूप प्रशासन की भूमिका में भी विस्तार हुआ है और अब लोक प्रशासन विकास प्रशासन बन गया है, जो कार्य एवं लक्ष्य की प्रति उन्मुख है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति में सार्वजनिक कर्मचारी एक प्रमुख अंग है। भारतीय प्रशासनिक प्रणाली का केंद्र बिंदु सर्वजनिक कार्मिक प्रशासन है।

भारत में सार्वजनिक संस्थानों में कार्मिक प्रबंध के लिए नियोजित नीति का प्रावधान स्वतंत्रता के पश्चात किया गया है। आरंभ में कार्मिक प्रबंध के लिए कोई नियोजित नीति नहीं थी। निम्न स्तर पर तथा मध्यम स्तर पर कर्मचारियों के संबंध में उपयुक्त नीति का सर्वथा अभाव था। विशेषकर नीति निर्धारण अधिकारों की प्रत्यायुक्ति में तथा रचनात्मकता के प्रवेश करने में उनका उचित स्थान नहीं था। क्रियात्मक नौकरशाही भी मुख्यधारा से कटा हुआ था। कर्मचारियों के उपयुक्त प्रयोग, उनको प्रेरित करने वाले नीतियों एवं कार्य योजनाओं के अभाव के कारण

विकास उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधक सिद्ध हुई और कार्मिक प्रशासन लगभग पंगु सा होता चला गया। नौकरशाही के प्रबंध और कर्मचारियों के कार्य कौशल का निष्पक्ष मूल्यांकन के लिए एकसमान नीति का भी सर्वथा अभाव था। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की कार्मिक प्रणाली तथा लोक प्रशासन की संरचना में सुधार हेतु अनेक आयोगों और समितियों का गठन किया गया। 1960 के दशक के मध्य तक लगभग बारह समितियों और आयोगों द्वारा इस संबंध में सुझाव दिए गए। इन आयोगों और समितियों में निम्नलिखित शामिल हैं-

- सचिवालय पुनर्गठन समिति, 1947
- केंद्रीय (प्रथम) वेतन आयोग 1946-47
- सरकारी मशीन पुनर्गठन रिपोर्ट, 1949
- लोक प्रशासन की रिपोर्ट, 1951
- सरकारी मशीनरी पर रिपोर्ट (कार्य कौशल में सुधार), 1952
- भारत में लोक प्रशासन सर्वेक्षण की रिपोर्ट, 1953
- राज्य पुनर्गठन आयोग, 1955
- लोक सेवाओं पर रिपोर्ट, 1956
- केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवा एवं वेतनमान के संबंध में जांच आयोग (दूसरा वेतन आयोग), 1957
- भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रिपोर्ट, 1962
- भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति की रिपोर्ट, 1964 तथा पंचवर्षीय योजनाएं

इन सभी रिपोर्टों ने कार्मिक प्रणाली को अधिक प्रभावशाली बनाने तथा नई चुनौतियों से निपटने के उपाय हेतु व्यापक सुझाव दिए। इन सुझावों में कार्मिक प्रबंध को सक्रिय बनाने के लिए बेहतर उपायों को अपनाने की सलाह दी गई लेकिन ये सुझाव पर्याप्त नहीं थे और आज तक बहुत सारे सुधारों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। प्रशासन स्वतंत्रता के इतने वर्षों के पश्चात भी अपनी कार्यप्रणाली में आज भी अपनी पुरातन प्रवृत्तियों को बरकरार बनाए हुए हैं तथा सोच एवं कार्यशैली में कोई आधारभूत परिवर्तन नहीं आया है। कार्मिक प्रणाली में कोई भी नवीन, अपूर्व या सक्रिय नीति आज तक नहीं अपनाया गया। सरकार अब नागरिकों के विविध पहलुओं में सकारात्मक एवं व्यापक भूमिका निभा रही है और यह भूमिका परिवर्तन, जनकल्याण आदि नवीनतम मुद्दों से जुड़ा हुआ है। सामाजिक-आर्थिक प्रगति तथा राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों को देखते हुए भारत में भी प्रशासन के दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता समय-समय पर महसूस की जाती रही है। भारतीय संविधान में समस्त नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का आश्वासन दिया गया है तथा भाग तीन में वर्णित मूल अधिकारों के अंतर्गत राज्य के निरंकुशता से व्यक्तिगत सुरक्षा का प्रावधान भी किया गया है। सभी नागरिकों के लिए मौलिक स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। भाग-4 में वर्णित राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों के अंतर्गत भी राज्य का यह मौलिक दायित्व होगा कि वह ऐसी परिस्थितियां पैदा करें जिससे देश के नागरिक सुख पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। इस संवैधानिक संस्कृति ने सरकार पर समस्त सामाजिक एवं व्यक्तिगत जीवन को एक नया रचनात्मक रूप देने का दायित्व सौंपा है।

13.5 कार्मिक नीतियों के निर्धारण हेतु संगठन/संस्था

कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए नीति के अभाव में अन्य व्यवस्थात्मक त्रुटियां भी जिम्मेदार थीं। भारत में कार्मिक नीतियों और कार्य योजनाओं से संबंधित कोई समर्पित संगठन नहीं था। कर्मचारियों के हित में

गृह मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय व्यवस्था विभाग शुरू से ही संयुक्त रूप से प्रबंधात्मक दायित्व संभाल रहे थे और संघ लोक सेवा आयोग एक सलाहकार की भूमिका में था। भारत सरकार का व्यवस्था अधिकारी जो मंत्रिमंडलीय सचिव का अधीनस्थ था, एक सरकारी प्रतिनिधि था, जो उच्च स्तर के कर्मचारियों की नियुक्ति के कार्य की भी देखरेख करता था। इस प्रकार कार्यभार विभाजित थे। जिसका परिणाम यह हुआ कि समेकित केंद्रीय निर्देशन का अभाव हमेशा बना रहा। प्रगति दायित्वों को लगभग हाशिये पर छोड़ दिया गया था, जिसके कारण कर्मचारी हितों पर ध्यान देना पूरी तरह संभव न हो सका।

1. **कार्मिक अभिकरण पर मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट, 1956-** तीसरी लोकसभा की मूल्यांकन समिति ने अपने 93वीं रिपोर्ट में यह टिप्पणी की- 'ऐसी सरकार जिसका उद्देश्य जनकल्याण हो तथा जिसकी प्रशासनिक सेवा बहुत बड़ी हो, उसकी भूमिका निरंतर व्यापक होती जाती है।' इसके लिए आवश्यक है कि कर्मचारियों पर प्रभावी नियंत्रण किसी एक ही संस्था द्वारा किया जाए। यह समेकित संस्था मंत्रिमंडलीय सचिव के नियंत्रण में कार्य करें और सारी सेवाओं की शर्तों को निर्धारित और भी नियमित करें। इस प्रकार यह समेकित अभिकरण गृह और वित्त मंत्रालय के दोहरे नियंत्रण का स्थान ले ले।

2. **प्रशासनिक सुधार आयोग-** लोक प्रशासन की प्रणाली संबंधित त्रुटियों को दूर करने के लिए, प्रशासन के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए तथा लोक प्रशासन के विविध विषयों पर व्यापक दृष्टिकोण के लिए भारत सरकार ने 1966 में के. हनुमथप्पा के नेतृत्व में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया, जिसकी अधिकार सीमा संबंधी शर्तें काफी विस्तृत थीं। बीस अध्ययन दलों की सहायता से आयोग ने बीस रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिनमें 5 रिपोर्ट सार्वजनिक कर्मचारियों के प्रशासन के संबंध में थीं। ये रिपोर्ट थे-

- भारत सरकार की मशीनरी और उसकी कार्य प्रक्रिया पर रिपोर्ट
- सार्वजनिक प्रतिष्ठानों पर रिपोर्ट
- कार्मिक प्रशासन पर रिपोर्ट
- केंद्र और राज्य के संबंधों पर रिपोर्ट तथा
- राज्य प्रशासन पर रिपोर्ट

3. **कार्मिक प्रशासन पर प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट-** प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट कार्मिक प्रशासन से संबंधित था, जिसका विषय केवल कर्मचारी ही था। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए तीन समितियों की सहायता या सलाह ली गई जो थे-

- कार्मिक प्रशासन पर पाटिल अध्ययन दल
- भर्ती, चयन, संघ राज्य लोक सेवा आयोग तथा प्रशिक्षण पर थोराट अध्ययन दल तथा
- पदोन्नति, आचार नियम, अनुशासन एवं मनोबल पर नगरकट्टी अध्ययन दल।

आयोग ने कार्मिक प्रशासन से संबंधित देश की भविष्य कालीन कार्यप्रणाली के संबंध में महत्वपूर्ण नीतियों एवं योजनाओं को नया रूप दिया। प्रशासनिक सुधार आयोग ने निम्नलिखित विषयों पर नीति संबंधी विशेष सुझाव दिए थे-

- **कार्यात्मकता, विशिष्टवाद तथा अधिकारी वर्ग-** प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार ऐसा क्रियात्मक क्षेत्र बनाया जाए जिसमें भू राजस्व प्रशासन, शासकीय दायित्वों को निभाना तथा राज्यों में विधायी कार्य सम्मिलित हो। इसके अतिरिक्त सारे कार्यक्षेत्र, जिनकी देखभाल दूसरे सेवाओं के सदस्य

नहीं करते हो, सारे पदों पर, चाहे वह प्रधान कार्यालय में हो या क्षेत्र में हो, क्रियात्मक सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया जाना चाहिए या फिर ऐसे अधिकारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए जो सेवा में संवर्गित नहीं किए गए हो। उप सचिव अथवा केंद्रीय प्रधान कार्यालय में समान स्तर के पद, जो किसी विशेष क्रियात्मक क्षेत्र में नहीं आते, निम्नलिखित आठ विशिष्ट प्रकार के क्षेत्रों में विभाजित करने का सुझाव दिया गया- आर्थिक प्रशासन, औद्योगिक प्रशासन, कृषि एवं ग्रामीण विकास प्रशासन, सामाजिक एवं शिक्षा प्रशासन, कार्मिक प्रशासन, वित्तीय प्रशासन, रक्षा प्रशासन एवं आंतरिक सुरक्षा तथा नियोजन। क्रियात्मक क्षेत्र में प्रबंध संबंधी वरिष्ठ पदों पर पदानुसार क्रियात्मक सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति का सुझाव भी प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया। इसके साथ ही क्रियात्मक क्षेत्र से बाहर वरिष्ठ पदों पर ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए जो उपरोक्त 8 विशिष्ट क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र के प्रबंध तथा नीति समूह के सदस्य के रूप में कार्य का अनुभव रखते हो और जिन्होंने अपनी सेवा के कम से कम सत्रह साल पूरे कर लिया हो।

- **समेकित वर्गीकरण की रूपरेखा-** प्रशासनिक सेवाओं के सभी पदों को अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित करने की अनुशंसा प्रशासनिक सुधार आयोग ने की थी। प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार इन पदों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकरण कर देना चाहिए। जैसे पद जिनमें एक समान योग्यताएं आवश्यक हो और जिन का कार्यक्षेत्र लगभग समान हो, उनका वर्गीकरण एक ही श्रेणी में करना चाहिए। श्रेणियों की संख्या 20 से 25 के बीच होनी चाहिए। 9 सामान्य वेतन दरों का निर्धारण प्रथम श्रेणी के सभी पदों का मूल्यांकन करके निर्धारित किया जाना चाहिए। इनमें कनिष्ठ, मध्य स्तर तथा वरिष्ठ, इन तीन स्तरों में विभाजन आवश्यक है। कनिष्ठ से मध्य स्तर में तथा मध्य से वरिष्ठ स्तर में पदोन्नति चयन प्रक्रिया द्वारा होना चाहिए।
- **संवर्ग प्रबंध नियोजन-** प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार आगामी 5 वर्षों के पूर्वानुमान के आधार पर कर्मचारियों की मांग प्रस्तुत की जानी चाहिए। भर्ती के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा एवं दूसरी ऐसे प्रथम श्रेणी के सेवाओं के लिए, जिसमें कोई अलग तकनीक ना हो, भर्ती एक ही प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा की जानी चाहिए और इस परीक्षा में प्रत्याशियों को अपनी मनपसंद सेवाओं के क्रमानुसार चुनने की छूट भी होनी चाहिए। एक ऐसी समिति की स्थापना भी होनी चाहिए जो भर्ती के द्रुतगामी तरीके, प्रचार पर किए जाने वाले व्यय में कटौती करने और उच्च स्तर की सेवाओं के लिए होने वाली परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में संशोधन समय-समय पर करने के तरीके भी सुझाए। ऐसी प्रतियोगिता परीक्षा में प्रवेश पाने वालों की ऊपरी आयु सीमा बढ़ाकर 26 वर्ष की जानी चाहिए। ऐसे प्रतिभाशाली अधिकारियों को, जो प्रथम श्रेणी की सेवा में नहीं है, आगे बढ़ने के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले प्रथम श्रेणी के रिक्त पदों का अनुपात, जहां भी 40 प्रतिशत से कम हो, अनुपात को बढ़ाना चाहिए तथा हर उस अधिकारी को जिसने सेवा काल के 6 वर्ष पूरे कर लिए हैं और जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है, उसे एक केवल एक और अवसर प्रथम श्रेणी के पद के लिए प्रतियोगिता परीक्षा मंजूर किया जाना चाहिए। यदि वह सारी शर्तें और शिक्षा के स्तर को पूरा करता हो तो इस बात का विशेष ध्यान आवश्यक नहीं है कि उसने कितने अवसरों का उपयोग किया है।
- **प्रशिक्षण-** सरकार को प्रशासनिक सेवा के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए उद्देश्य और प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिए स्पष्ट और दूरदर्शी नीति होनी चाहिए। सचिवालय में मध्य स्तर के प्रबंधकों के प्रशिक्षण में व्यापक रूप से तीन बातें आवश्यक होनी चाहिए- प्रधान कार्यालय में कार्य में प्रशिक्षण, आठ

विशिष्टताओं में विशेष पाठ्यक्रम और उप-क्षेत्र विशिष्टतावाद प्रशिक्षण। नीति और नियोजन में प्रशिक्षण का प्रावधान सभी विशिष्ट पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण के अंश के रूप में किया जाना चाहिए।

- **कार्य कौशल का मूल्यांकन-** प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार प्रत्येक वर्ष के अंत में हर एक अधिकारी की वार्षिक आख्या जो 300 शब्दों से अधिक का न हो और उसमें उसकी उपलब्धियों का उल्लेख आवश्यक रूप से किया जाए। यह विवरण उस अधिकारी को प्रस्तुत किया जाए, जिससे उसकी गुप्त रिपोर्ट लिखनी है और वह विवरण गुप्त रिपोर्ट का एक अंग माना जाएगा। मूल्यांकन करते समय अधिकारी को उस विवरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए तथा अपनी टिप्पणी लिखने के बाद उसे उच्च पदस्थ अधिकारी को समीक्षा के लिए प्रस्तुत करना चाहिए। समीक्षा करने वाला अधिकारी इस पर टिप्पणी कर उस अधिकारी की कोटि का निर्धारण करेगा।
- **पदोन्नति-** प्रथम श्रेणी में पदोन्नति के लिए रिक्त स्थानों, जिसमें अखिल भारतीय सेवाएं भी शामिल हैं, में आधे स्थान विद्यमान तरीके और शेष आधे रिक्त स्थान परीक्षा के आधार पर भरे जाएं। ऐसी परीक्षाओं में द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को ही बैठने की अनुमति हो, यदि उन्होंने सेवाकाल पूर्ण कर लिया हो और वार्षिक गुप्त रिपोर्ट में नकारात्मक टिप्पणी न की गई हो।
- **अनुशासन-** दुष्कर्म या अवज्ञा, उपेक्षा, धमकी अथवा हिंसा के प्रयोग, अनुचित आचार जैसे अनुशासन संबंधी मामलों के संक्षिप्त निपटारे के लिए नियमों में आवश्यक रूप से प्रावधान किया जाना चाहिए।
- **न्यायालय पीठ-** प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार प्रशासनिक सेवा न्यायालय की स्थापना किया जाना चाहिए जिसमें ऐसे मामलों को, जिसमें सेवा से बर्खास्तगी और बड़े पदों से हटा कर छोटे पदों पर नियुक्ति जैसे बड़े दंड दिए गए हो, अंतिम अपीलिय न्यायालय काम करेंगे।
- **स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति-** सेवाकाल के 15 वर्ष पूर्ण कर लिए अधिकारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुमति दी जानी चाहिए और उन्हें अनुपात अनुसार पेंशन और आनुतोषिक या अनुग्रह राशि भी दिया जाना चाहिए।
- **प्रोत्साहन-** विशेष कार्य योजना को निर्धारित सीमा में पूरा करने के लिए अधिकारियों को शील्ड अथवा धनराशि देकर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत मामलों में प्रशंसा पत्र भी दिए जा सकते हैं।

इसके अतिरिक्त कार्मिक प्रशासन रिपोर्ट में महत्वपूर्ण सिफारिशों की गई है जो नवीन कार्मिक नीति को नया रूप देने के संबंध में है और जिनका प्रभाव सार्वजनिक सेवाओं पर पड़ता है।

13.6 कार्मिक विभाग

लोक सेवकों के चयन, प्रशिक्षण, कार्मिक नीति आदि के संबंध में एक ऐसे निकाय की आवश्यकता होती है जो राजनीतिक और प्रशासनिक दबावों से मुक्त होकर उत्तरदायित्व का निर्वाह करे। प्रजातांत्रिक और विकासशील देशों में इस कार्य को संपादित करने के लिए एक विशेष मंत्रालय या निकाय की स्थापना की जाती है। भारत में अखिल भारतीय सेवाओं तथा केंद्रीय सेवाओं के कार्मिक प्रकरणों को नियंत्रित, निर्देशित तथा समन्वित करने, केंद्र के कार्यालयों के विरुद्ध प्राप्त जन शिकायतों का निवारण करने तथा केंद्र सरकार से सेवानिवृत्त कार्मिकों के पेंशन संबंधी मामलों में कार्रवाई करने हेतु कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय की स्थापना वर्ष 1985 में की गई थी। इससे पूर्व इस मंत्रालय से संबंधित कार्य कभी मंत्रिमंडल सचिवालय तो कभी गृह मंत्रालय या वित्त मंत्रालय के द्वारा संपन्न किए जाते रहे हैं। मार्च, 1954 में पॉल एच. एपेलबी की सिफारिशों में से एक पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में मंत्रिमंडल सचिवालय में संगठन एवं पद्धति (ओ.एंड.एम.) प्रभाग बनाया गया था। मार्च, 1964 में गृह मंत्रालय के अधीन प्रशासनिक सुधार विभाग बनाया गया और संगठन एवं पद्धति (ओ.एंड.एम.) प्रभाग का

कार्यभार मंत्रिमंडल सचिवालय से प्रशासनिक सुधार विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया। दिनांक 7 फरवरी, 1973 को प्रशासनिक सुधार से संबंधित कार्य को मंत्रिमंडल सचिवालय के अधीन दिनांक 1 अगस्त, 1970 को बनाए गए कार्मिक विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया और कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार के रूप में इसे पुनर्नामित किया गया। प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसा सक्रियता और दायित्व को बढ़ावा देती है। यह विविध क्षेत्रों में नवीन नीतियों को अंगीकार करने पर भी विशेष बल देती है। कार्मिक विषयों का संचालन करने के लिए पुरानी व्यवस्था प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर आधारित नवीन कार्मिक समस्याओं के समाधान के लिए अपर्याप्त थी। इसलिए सरकार ने अगस्त 1970 में नए कार्मिक विभाग की स्थापना की प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्ययन दल भारत सरकार की मशीनरी और इसकी कार्य प्रक्रिया पर बनाए गए देशमुखअध्ययन दल ने एक प्रभावशाली केंद्रीय कार्मिक एजेंसी को स्थापित करने का सुझाव दिया था। देशमुख अध्ययन दल के अनुसार भारत सरकार की मशीनरी के लिए आवश्यक सुधारों में सबसे महत्वपूर्ण था। कार्मिक विभागों से तकनीकी और व्यवस्थापन संबंधी अनेक सेवाओं को अधिक अधिकारियों को स्थान दिए जाने की वकालत इस अध्ययन दल ने की थी ताकि इस अभिकरण के नेतृत्व को मजबूत किया जा सके।

कार्मिक विभाग का संगठनात्मक ढांचा कुछ इस प्रकार था-

- नीति एवं नियोजन कक्ष
- प्रशिक्षण कक्ष/विभाग
- अखिल भारतीय सेवा कक्ष/विभाग
- व्यवस्था/संस्थान कक्ष/विभाग
- सतर्कता कक्ष/विभाग
- व्यवस्था अधिकारी का कक्ष विभाग

नीति और नियोजन कक्ष/विभाग को छोड़कर सारे कक्ष/विभाग अपने सारे उत्तरदायित्व हेतु पहले गृह मंत्रालय की ही भागते थे। 1970 की अगस्त में अलग कर कार्मिक विभाग की स्थापना की गई थी। नीति एवं नियोजन कक्ष/विभाग के जिम्मे भारत सरकार के कार्मिक प्रशासन क्षेत्र में नीति और नियोजन संबंधी गतिविधियों को निर्धारित करने तथा उसको रूप देने का कार्यभार सौंपा गया। इस प्रकार यह एक प्रकार का परिपार्श्व नियोजन का आधार था जिसमें कार्मिक प्रबंध और सार्वजनिक कार्मिक प्रबंध के समग्र पहलुओं पर सभी प्रकार का कार्य करना था। नीति निर्धारण कक्ष को प्रशासन पर रिपोर्ट में दी गई प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने का कार्यभार सौंपा गया। दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों को भी संचालित करना इसका उत्तर दायित्व था। समय के अनुसार अन्वेषण पर बल इसकी गतिविधियों में समाप्त हो गया और सरकार के अन्य कक्षों के रूप में इसका प्रारंभ हो गया। प्रशिक्षण के क्षेत्र में प्रशिक्षण विभाग ने निस्संदेह अच्छी भूमिका निभाई किंतु इस विभाग को अनेक दैनिक कार्यों को अपने प्रमुख कार्यों को रूप में करना पड़ा। जिससे इसकी छवि भी धूमिल हुई दूसरे कक्ष और विभागों के पास कोई नवीनतम कार्य नहीं थे। वे नए कार्मिक विभाग में भी वही कार्य संपादित करते रहे जो गृह मंत्रालय में कर रहे थे।

कर्मचारियों की उपलब्धता के मामले में भी भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अन्य केंद्रीय सेवाओं जैसे परंपरागत स्रोतों पर निर्भर करने की पुरानी नीति वर्तमान ही रही। इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया। संरचनात्मक रूप में भी वही कार्य शैली अपनाई जाती रही और समय के साथ नूतन प्रयोग और नूतन कार्य विधि इस संरचना में स्थान नहीं ले पाई। ब्रिटेन की तुलना में भारत में यह प्रयोग संतोषजनक और सफल नहीं माना गया। प्रारंभ में उत्साह ज्यादा दिन तक भारत में बना नहीं रहा और मंत्रिमंडल सचिव के प्रधानमंत्री के संपर्क होने का अवसर का लाभ भी नहीं उठाया जा सका।

अप्रैल, 1977 में कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग को मंत्रिमंडल सचिवालय से गृह मंत्रालय में स्थानांतरित किया गया। मार्च, 1985 में कार्मिक तथा प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के रूप में पूर्ण मंत्रालय बना दिया गया। 10 दिसम्बर, 1985 को कार्मिक तथा प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय को तीन विभागों क्रमशः कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग और पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग सहित कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के रूप में पुनर्नामित किया गया।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है तथा प्रधानमंत्री की सहायता हेतु राज्य मंत्री की नियुक्ति भी की जाती रही है। नौकरशाही के शीर्ष पर इस मंत्रालय का शीर्ष अधिकारी कार्मिक सचिव कहलाता है। कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तीन विभागों में विभक्त हैं- कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग तथा पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय कार्मिक मामलों के लिए विशेषकर भर्ती प्रशिक्षण कर्मचारियों से संबंधित कल्याण योजनाएं, प्रशासनिक सुधार, पेंशन आदि कामकाज से संबंधित है या विभाग भर्ती नियमों, पदोन्नति तथा वरिष्ठता निर्धारण, प्रतिनियुक्ति, सेवा शर्तों को अनुशासित करने वाले नियम एवं विनियम के लिए उत्तरदायी है। उच्च लोक सेवा की पदों पर कार्मिकों की भर्ती हेतु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से की जाती है जबकि समूह- ग और सेना के राजपत्रित कर्मचारियों की भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाती है। यह विभाग अखिल भारतीय सेवा संवर्गों भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय वन सेवा तथा तीनों सचिवालय सेवाओं- केंद्रीय सचिवालय सेवा, केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा, केंद्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के संबंध में प्रबंधन हेतु उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त यह विभाग गृह मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय के परामर्श से अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में नियम और भी नियमों का निर्माण करता है। यह उसमें समय- समय पर संशोधन भी करने का अधिकार रखता है और विभाग सेवा के संबंधों की समीक्षा हेतु भी जिम्मेदार है।

कार्मिक विभाग वरिष्ठ स्तर पर नियुक्तियां तथा भारत सरकार के कार्मिक नीतियों के संबंध में कार्य करता है। भारत सरकार के वरिष्ठ पदों पर नियुक्तियों के प्रस्ताव पर विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है। इनके संबंध में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति का अनुमोदन लिया जाना अपेक्षित होता है। इनमें केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियुक्तियां, मंत्रालयों, विभागों में संयुक्त सचिवों और उप सचिवों के पदों पर केंद्रीय स्टाफिंग पैटर्न की नियुक्तियां शामिल होती हैं। इसके अतिरिक्त पदोन्नति द्वारा की जाने वाली सभी नियुक्तियों के मामले के संबंध में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति का नियंत्रण होता है पर विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है।

कार्मिक विभाग सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने हेतु नोडल विभाग है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का प्रशिक्षण स्कंध प्रशिक्षण के क्षेत्रों की पहचान कर प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर शिक्षकों और प्रशिक्षण क्षमताओं का तथा प्रशिक्षण में नई नीतियों का विकास करता है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी एवं सचिवालय प्रशिक्षण प्रबंध संस्थान, नई दिल्ली इस विभाग के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण में दो प्रमुख शिक्षण संस्थान हैं। संस्थान केंद्र सरकार के सभी अधिकारियों को समय-समय पर मानव संसाधन विकास की अपेक्षाओं को पूर्ण करते हैं। इसके अतिरिक्त विभाग भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को लोक प्रशासन से जुड़े मुद्दों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सहायता प्रदान करता है। इसके साथ ही विभागीय नीति बनाने के लिए और क्रियान्वित करने के लिए कार्य करता है।

1. **कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-** वैचारिक दृष्टि से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की भूमिका को दो भागों में बांटा जा सकता है। यह विभाग अपनी महती नोडल भूमिका में नीति-निरूपक तथा सरकार के सजग प्रहरी के रूप में कार्य करता है और यह सुनिश्चित करता है कि यथानिर्धारित, कतिपय स्वीकृत

मानकों और मानदण्डों का सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा भर्ती, सेवा-शर्तों के विनियमन एवं कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति के साथ-साथ अन्य/ सम्बद्ध मामलों में पालन किया जाए। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग केन्द्रीय सरकार के सभी संगठनों को कार्मिक-प्रबंध के मुद्दों पर सलाह भी देता है। यह विभाग, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.) तथा केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीसीएस) का संवर्ग-नियंत्रक प्राधिकारी होने के नाते सीधे रूप से उत्तरदायी है। यह विभाग, केन्द्रीय स्टारफिंग योजना का भी संचालन करता है, जिसके अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं तथा समूह 'क' केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों में से उपर्युक्त अधिकारियों का चयन किया जाता है तथा उन्हें प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यकाल विशेष हेतु उप सचिव/निदेशक तथा संयुक्त सचिव के स्तर के पदों पर तैनात किया जाता है। यह विभाग सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों/उद्यमों, निगमों, बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशकों/प्रबंध मण्डल के सदस्यों के पदों पर नियुक्ति के मामलों को भी देखता है।

- **भर्ती अभिकरण-** संघ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग ऐसे दो संगठन हैं जिनके माध्यम से यह विभाग केन्द्र सरकार के कामकाज के लिए कार्मिकों की भर्ती सुनिश्चित करता है। संघ लोक सेवा आयोग, संविधान के प्रावधान के अंतर्गत गठित हुआ है तथा इसकी जिम्मेदारी, अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती के साथ-साथ, संघ सरकार के अधीन उच्चतर सिविल सेवाओं तथा सिविल पदों पर नियुक्ति हेतु परीक्षाएं संचालित करने की है। भर्ती की पद्धतियों, एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नतियां तथा स्थानांतरण किए जाने में अपनाए जाने वाले सिद्धांतों तथा अनुशासनिक मामलों से जुड़े सभी मामलों में आयोग से परामर्श किए जाने के अनिवार्य प्रावधान हैं। कर्मचारी चयन आयोग की जिम्मेदारी, सहायकों, आशुलिपिकों इत्यादि अधीनस्थ कर्मचारियों की भर्ती करने की है।
- **प्रशिक्षण प्रभाग-** प्रशिक्षण प्रभाग राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति, जो कि अप्रैल, 1996 में अंगीकार की गई थी, के कार्यान्वयन का समन्वय करने का कार्य देखता है। यह विभाग केन्द्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए विभिन्न श्रेणियों के कई विषयों पर कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी करता है। प्रशिक्षण प्रभाग राज्य सरकार के विभिन्न स्तर के कर्मचारियों के लिए विशेष पैकेज के अंतर्गत क्षमता निर्माण पहलों को विकसित करता है और इनका आयोजन करता है। इस विभाग के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण में दो प्रमुख प्रशिक्षण संस्थाएं, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी एवं सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान, नई दिल्ली है। पहली संस्था, मसूरी में स्थित अकादमी, मुख्यतः भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अन्य अखिल भारतीय सेवाओं और केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती किए गए अधिकारियों को प्रवेशकालिक प्रशिक्षण सुलभ करवाने के लिए जिम्मेदार है। सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सदस्यों के लिए जिम्मेदार है। सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सदस्यों को प्रवेशकालिक प्रशिक्षण तथा सेवाकालिक प्रशिक्षण मुहैया करवाता है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली जो कि एक स्वायत्तर संगठन है, को प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा अंशकालिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

2. **भारत सरकार के अधीन वरिष्ठ पदों पर नियुक्तियां-** भारत सरकार के अधीन वरिष्ठ पदों पर नियुक्तियों के सभी प्रस्तावों की, जिनके सम्बन्ध में मंत्रिमण्डल की नियुक्ति समिति का अनुमोदन लिया जाना अपेक्षित होता है, जांच-पड़ताल और उन पर यथोचित कार्रवाई, मंत्रिमण्डल की नियुक्ति समिति के सचिव के रूप में कार्यरत स्थानपना अधिकारी के माध्यम से की जाती है। इनमें, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र

के उपक्रमों में बोर्ड स्तर की नियुक्तियां तथा मंत्रालयों/विभागों में संयुक्त सचिवों, निदेशकों और सचिवों की नियुक्तियां शामिल होती हैं।

- **प्रशासनिक सतर्कता-** कार्मिक प्रबंध का एक आवश्यक घटक है, नौकरशाही की व्यावसायिक आचार संहिता और मानकों को बनाए रखना। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लोक सेवाओं की सत्यनिष्ठा बनाए रखने और भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए सरकार की नीति का निर्धारण करता है और उस क्षेत्र में मंत्रालयों/विभागों के विभिन्न क्रियाकलापों का समन्वय करता है। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों की यह जिम्मेवारी है कि वे निवारक उपाय करके कर्मचारियों के बीच अनुशासन और सत्य निष्ठा बनाए रखें और उनके कार्य के कार्यात्मक संचालनात्मक क्षेत्र में भ्रष्टाचार का उन्मूलन करें।
- **केन्द्रीय सतर्कता आयोग-** केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सभी सतर्कता मामलों पर सलाह प्रदान की जाती है। इसकी उन सभी मामलों में अधिकारिता और शक्तियां हैं, जिनमें केन्द्रीय सरकार की कार्यकारी शक्तियां हैं। आयोग को संघ लोक सेवा आयोग की तरह स्वतंत्रता और स्वारयत्ता प्राप्त है। आयोग का कार्यालय सतर्कता भवन, आई.एम.ए. कॉलोनी, नई दिल्ली में है।
- **केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो-** केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो देश का अग्रिम अन्वेषण अभिकरण है और भ्रष्टाचार की बढ़ती चुनौती को नियंत्रित करने और बैंकिंग, गैर-बैंकिंग तथा आर्थिक और अन्य परम्परागत अपराधों की एक बड़ी संख्या का अन्वेषण करने के लिए राष्ट्र प्रहरी है। इसके कार्यों में जुड़े नए कार्य हैं- आतंकवादी अपराधों और जानबूझकर किए गए सम्पत्ति-विध्वंस अथवा कला विध्वंस के अपराधों का अन्वेषण। राज्य सरकारों, उच्च न्यायालय तथा उच्चणतम न्यायालय की सहमति से इस अभिकरण को मामले भेजे जाते हैं और इस सामान्य धारणा, कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो अधिक सच्ची होती है, के कारण केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच करवाए जाने की मांग बढ़ती जा रही है।
- **संयुक्त परामर्शदायी तंत्र-** ऐसे सेवा मामले जिनका प्रशासन और सरकारी कर्मचारियों के सामान्य हितों से सरोकार है, के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार और इसके कर्मचारियों के बीच संयुक्त, परामर्श के लिए एक सुसंरचित तंत्र है। यह त्रि-स्तरीय तंत्र है जिसमें राष्ट्रीय परिषद्, विभागीय कार्यालय परिषद् और श्रेणीय/कार्यालय परिषद् शामिल हैं। कर्मचारियों के हितों अथवा इसके विशिष्ट समूहों के हितों सम्बन्धी सेवा मामलों पर इस तंत्र द्वारा विचार किया जाता है।
- **केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण-** कार्मिक प्रबंधन को नियंत्रित करने वाले नियमों तथा विनियमों की विस्तृत व्यवस्था के बावजूद भी कुछ सरकारी कर्मचारी कभी-कभी सरकार के निर्णयों से व्यवथित हो सकते हैं। इन मामलों का निपटान करने में न्यायालयों को कई वर्ष लग जाते थे और मुकद्दमेबाजी बहुत महंगी थी। सरकार के निर्णयों से व्यवथित कर्मचारियों को शीघ्र और सस्ता न्याय मुहैया करवाने के प्रयोजन से, सरकार ने 1985 में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण स्थापित किया था जो अब सेवा से सम्बन्धित ऐसे सभी मामलों पर विचार करता है जिन पर पहले उच्च न्यायालयों सहित उनके स्तर तक के न्यायालयों द्वारा कार्रवाई की जाती थी। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की दिल्ली में स्थित प्रधान न्यायपीठ सहित, अब इसकी 17 नियमित न्यायपीठें देश के विभिन्न भागों में कार्य कर रही हैं।
- **कर्मचारी कल्याण-** इस तथ्य के आलोक में कि कर्मचारियों के कामकाज की स्थिति तथा उनके और उनके परिवारों की रहन-सहन की स्थितियों में सुधार से उनकी कार्य कुशलता और उनका

मनोबल बढ़ता है यह विभाग विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करता है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के कल्याण हेतु स्थापित चार पंजीकृत समितियों के सम्बन्ध में नोडल अभिकरण (एजेसी) है। ये समितियां हैं- केन्द्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक और खेल-कूद बोर्ड, गृह-कल्याण-केन्द्र, केन्द्रीय भण्डार और सिविल सेवा अधिकारी संस्थान हैं। ये चारों समितियां दिल्ली में अवस्थित हैं।

- **लोक उद्यम चयन बोर्ड-** इस मंत्रालय के तीन विभागों के अतिरिक्त, लोक उद्यम चयन बोर्ड, अगस्त 1986 से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के हिस्से के रूप में कार्य कर रहा है। लोक उद्यम चयन बोर्ड, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उच्चम प्रबंधकीय पदों के कार्मिकों के चयन और तैनाती का काम देखने वाला विशेषज्ञ निकाय है। बोर्ड का मूल रूप से 1974 में गठन किया गया था और इस उद्योग मंत्रालय (लोक उद्यम ब्यूरो) के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया था। 1986 में बोर्ड का प्रशासनिक नियंत्रण, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अंतरित कर दिया गया।
- **केन्द्रीय सूचना आयोग-** सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-12 के अनुक्रम में केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन केन्द्र सरकार द्वारा एक राजपत्र अधिसूचना द्वारा किया गया। आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्तक हैं, जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

13.7 नवीन नीति परिदृश्य

कार्मिक नीति एक व्यापक गतिविधि है जिसके विभिन्न आयाम स्पष्ट होते हैं। किसी भी व्यवस्था में भर्ती या चयन से पूर्व ही कार्मिक प्रबंध का कार्य प्रारंभ हो जाता है। व्यवस्था की समस्त नियुक्ति नीति स्वयं भर्ती की प्रक्रिया पर प्रभाव डालती है। भर्ती के विविध पहलुओं का आकलन, पदोन्नति का आधार आदि ऐसे विषय हैं, जिनका निर्णय प्रारंभ में ही ले लिया जाता है। सीधी भर्ती का अनुपात, आयु, अनुभव, पदोन्नति का आधार और अन्य नीति संबंधी मामले में प्रबंधकों को पूर्व में ही निर्णय लेने होते हैं। संवर्ग का दीर्घकालीन नियोजन शुरू में ही करने होते हैं और अधिकांश संस्थानों में इस हितकर कार्मिक सिद्धांत का पालन कराने का प्रयास किया भी जाता है। भर्ती और चयन प्रक्रिया के रीति विज्ञान संबंधी प्रश्न इस भर्ती योजनाओं की रूपरेखा के अनुसार होते हैं। रोजगार/नियुक्ति नीति को प्रशिक्षण और विकास नीति, पदोन्नति नीति, उत्साह बढ़ाने की नीति आदि से जुड़ना आवश्यक हो जाता है। इसके साथ-साथ कर्मचारी कल्याण नीतियां, विवाद प्रबंध संबंधी नीति का निर्धारण भी समय के अनुसार होता है। एक व्यापक कार्मिक नीति मौलिक निर्माण स्तंभ के रूप में कार्य करते हैं परंतु अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इसमें लापरवाही और तदर्थता अत्यधिक है। कार्मिक प्रगति और कार्मिक नीति के संदर्भ में मानवीय पहलुओं की हमेशा से उपेक्षा होती रही है और कार्यकुशलता पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता। भारत में सार्वजनिक संस्थान के कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने की बचनबद्धता का भाव दिखाई नहीं देता और न ही भविष्य कालिक हितों की ओर अपने ही लोगों के विकास की कोई चिंता है। बहुत सारे संस्थान मुख्य अधिकार के बिना काम कर रहे हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों पर इससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद इनकी प्राप्ति प्रायः नहीं हो पाती और लक्ष्य प्राप्त न करने की स्थिति में अपमान भी नहीं समझा जाता है। इन सब का कारण यह है कि लक्ष्यों के बारे में सचेत न होना और परिणाम के प्रति हमारी कार्मिक नीति के ढांचे को मूल आधार नहीं माना जाना है।

अभ्यास प्रश्न-

1. कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी?

2. लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहाँ स्थापित है?
3. प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे?
4. सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान किस शहर में स्थापित किया गया है?
5. देश का अग्रिम अन्वेषण अभिकरण क्या है?

13.8 सारांश

इस इकाई में लोकनीति की संकल्पना, भारत में कार्मिक प्रणाली के लिए अब तक किए गए प्रयासों और कार्मिक प्रणाली की समस्याओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। कार्मिक प्रबंधन लगातार उपेक्षा का शिकार हुआ है और इसके प्रति व्यवसायिक दृष्टिकोण के अभाव के कारण विविध चुनौतियां भी विगत कुछ वर्षों में उभरी हैं। सार्वजनिक कर्मचारियों के प्रति उपेक्षा और विचार शून्यता अवहेलना लगातार प्रकाश में आती रही है। मानव संसाधन एक ऐसी संपत्ति है, जिसका मूल्य समय के साथ निरंतर बढ़ता जाता है और किसी संगठन की सफलता इस तत्व पर ही निर्भर करती है। अब तक के कार्मिक प्रणाली ने मानव तत्व को अधिक महत्व नहीं दिया है जो इस दिशा में बहुत बड़ी विसंगति को दर्शाता है। नीति निर्धारकों में सांप्रदायिकता, विभाजक प्रवृत्तियां, वंश परंपरा आदि भरे होने की शिकायतें लगातार मिलती रही हैं। आवश्यकता इस बात की है कि मानव संसाधन प्रबंध नीति में संपूर्ण व्यवस्थात्मक एकता, वैज्ञानिक बुद्धिवाद तथा तथा भविष्यवाद जैसे गुण दर्शित होने चाहिए। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि नीति निर्धारक ऐसे कार्य करते हैं जिसका नीति निर्धारण से कोई संबंध नहीं होता। प्रोत्साहन नीति के अभाव में उपलब्धि, प्रेरणा, गतिशीलता या भविष्य के प्रति आशा आदि संगठन से विलुप्त होते जा रहे हैं। पुराने नियम और विनियम आज भी प्रचलित हैं और प्रणाली नकारात्मक विशेषताओं से जुड़ गई है। आवश्यकता एक उचित और उपयुक्त कार्मिक प्रणाली अपनाने की है। इस दिशा में प्रयास तात्कालिक तौर पर होने चाहिए ताकि संगठन की खामियों का यथाशीघ्र निवारण किया जा सके।

लोक सेवकों की कार्मिक नीति कार्मिक प्रबंधन का एक अभिन्न अंग है। सरकार के कार्यों के विस्तार के साथ ही प्रशासन जटिल और तकनीकी बन गए हैं, जिसके लिए विशेष प्रयास और कार्यकुशलता की आवश्यकता है। इसमें बहुत सारी कमियां हैं जिसमें समय के अनुसार सुधार लाने की आवश्यकता है।

13.9 शब्दावली

नीति- सोच समझकर बनाये गये सिद्धान्तों की प्रणाली है जो उचित निर्णय लेने और सम्यक परिणाम पाने में मदद करती।

मंत्रालय- सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों के लिए कार्यकारी एवं उत्तरदायी संस्था।

विभाग- नीतियों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु मंत्रालय का एक भाग।

उपबंध- प्रावधान।

13.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. 1985 में,
2. मसूरी,
3. के. हनुमंथप्पा,
4. नई दिल्ली
5. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

13.11 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. निग्रो, फेलिक्स ए., 1963, पब्लिक पर्सोनेल एडमिनिस्ट्रेशन, हाल्ट, न्यूयॉर्क।
2. माहेश्वरी, श्रीराम, 2010, भारतीय प्रशासन, ओरिएंट ब्लैकस्वान, नई दिल्ली।
3. शर्मा, एम. पी., 2005, लोक प्रशासन, किताब महल, इलाहाबाद।

4. घोष, पी., 1969, पर्सोनेल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, सुधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
5. गोयल, एस. एल., 1964, पब्लिक पर्सोनेल एडमिनिस्ट्रेशन, स्टर्लिंग पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।

13.12 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. सैम्पसन, चार्ल्स, 1983, वैल्यूस, ब्यूरोक्रैसी एण्ड पब्लिक, यूनिवर्सिटी प्रेस ऑफ अमेरिका, लंदन।
2. कटारिया, सुरेन्द्र, 1997, कार्मिक प्रशासन, आर. बी. एस. ए. पब्लिशर्स, जयपुर।
3. सरन, पी., 2005, आधुनिक लोक प्रशासन, मीनाक्षी प्रकाशन, नयी दिल्ली।

13.13 निबन्धात्मक प्रश्न

1. नीति निर्धारण के अर्थ एवं महत्व का वर्णन कीजिए।
2. आधुनिक समय में कार्मिक प्रशासन के दायित्वों का मूल्यांकन कीजिए।
3. केन्द्रीय कार्मिक मंत्रालय की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
4. कार्मिक क्षेत्र में निर्धारित नवीन नीतियों का मूल्यांकन कीजिए।

इकाई- 14 भर्ती (सेवाओं में आरक्षण)

इकाई की संरचना

- 14.0 प्रस्तावना
- 14.1 उद्देश्य
- 14.2 भर्ती का अर्थ एवं विशेषताएं
- 14.3 भर्ती का महत्व
- 14.4 भर्ती की प्रक्रिया
- 14.5 भर्ती के प्रकार
- 14.6 भर्ती की अर्हता पद्धतियाँ
- 14.7 अर्हता निर्धारण की विधियाँ
- 14.8 श्रेष्ठ भर्ती नीति की आवश्यक शर्तें
- 14.9 भारत में भर्ती की पद्धति
- 14.10 आरक्षण
- 14.11 संवैधानिक सुरक्षा
- 14.12 लोक सेवाओं में पदों का आरक्षण
- 14.13 सारांश
- 14.14 शब्दावली
- 14.15 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 14.16 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 14.17 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 14.18 निबन्धात्मक प्रश्न

14.0 प्रस्तावना

संपूर्ण कार्मिक तंत्र के ढांचे की आधारशिला भर्ती है। प्रशासनिक संरचना में भर्ती और चयन की प्रक्रिया का विशेष महत्व है। इसी से प्रशासन की उपयोगिता एवं समाज तथा प्रशासनिक तंत्र के संबंध निर्धारित होते हैं। भर्ती और चयन की प्रक्रिया शक्तिशाली लोक सेवा की कुंजी है। प्रशासनिक संगठन की सफलता के लिए आवश्यक है कि उसमें कार्य करने वाले कार्मिकों में वांछित योग्यता हो तथा उनकी योग्यता का परीक्षण उचित प्रकार की परीक्षा, साक्षात्कार आदि के द्वारा निर्धारित की जाए। योग्यता तथा निष्पक्ष भर्ती व्यवस्था से ही कर्मठ व्यक्ति संगठन में सम्मिलित हो सकते हैं। भर्ती के लिए योग्यता निर्धारण, पदों के विज्ञापन, प्राप्त आवेदनों की छंटनी, परीक्षा आयोजन, साक्षात्कार आदि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करवाना कार्मिक प्रशासन का प्रमुख कार्य है। चयन प्रक्रिया का प्रारंभ भर्ती प्रक्रिया से होता है। भर्ती प्रत्याशित कर्मचारियों की खोज एवं उन्हें संगठन में आवेदन के लिए प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया है। प्रत्येक संगठन योग्य कार्मिकों की भर्ती एवं चयन करके अपनी सफलता को सुनिश्चित करता है। भर्ती इस प्रकार मानव शक्ति नियोजन का एक महत्वपूर्ण अंग है। भारत सहित प्रायः सभी देशों में लोक सेवाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के भर्ती हेतु व्यापक प्रावधान किए गए हैं।

इस इकाई के माध्यम से पाठकों को भर्ती के अर्थ, महत्व, भर्ती के उद्देश्य, भर्ती के प्रकार तथा भर्ती की पद्धतियाँ एवं तकनीक से परिचय कराना है। इसमें लोक सेवकों के भर्ती की अवधारणा, भर्ती की भारतीय प्रणाली, भारत में भर्ती एजेंसियां और संस्थाएं, भर्ती की भारतीय प्रणाली का मूल्यांकन आदि विषयों पर भी विस्तार से चर्चा होगी।

14.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप-
 कार्मिक प्रशासन में भर्ती के अर्थ, महत्व एवं उद्देश्य को समझ सकेंगे।
 भर्ती की प्रक्रिया के विभिन्न चरण तथा भर्ती की विभिन्न पद्धतियों की व्याख्या कर सकेंगे।
 भर्ती की अर्हता पद्धति के उद्भव एवं महत्व का वर्णन तथा उपयुक्तता की जांच कर सकेंगे।
 भारत में प्रचलित भर्ती प्रणाली का विश्लेषण कर सकेंगे। तथा
 भारत में लोक सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण से संबंधित
 आवश्यकताओं और प्रावधानों को समझ सकेंगे।

14.2 भर्ती का अर्थ एवं विशेषताएं

किसी संगठन में भर्ती या चयन कार्मिक प्रबंध का आधारभूत कार्य है। भर्ती की दूषित नीति के कारण प्रशासन में अस्थाई दुर्बलता जाती है और प्रशासन सुस्त और अयोग्य व्यक्तियों के लिए स्वर्ग बन जाता है। योग्य कार्मिक किसी भी संगठन की मूल्यवान परिसंपत्ति हैं और ये संगठन की प्रगति और स्थायित्व के लिए जिम्मेवार हैं। राज्य के कार्यों में अत्यधिक विस्तार होने के कारण लोक सेवकों की महत्ता विगत कुछ वर्षों से काफी बढ़ गई है। लोक प्रशासन की गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता इसके कार्मिकों पर निर्भर करती है।

नियुक्ति एवं अधिप्राप्ति एक व्यापक प्रक्रिया है। भर्ती एवं चयन इसके आवश्यक अंग हैं। भर्ती नियुक्ति का प्रथम चरण है। भर्ती अभ्यर्थियों की खोज, आवश्यकता और स्रोतों के निर्धारण तक सीमित है जबकि चयन इसके बाद की प्रक्रिया है। किसी संगठन को योग्यता प्राप्त कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या में भर्ती करना आवश्यक होता है। उसके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक विविध क्रियाकलाप द्वारा कर्मचारियों की पूर्ति के इस कार्य को भर्ती द्वारा संपन्न किया जाता है। संगठन में भर्ती और चयन संबंधी कार्य कार्मिक प्रशासन का बुनियादी कार्य है। भर्ती, प्रत्याशित कर्मचारियों की खोज एवं उन्हें संगठन में आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया है। भर्ती करते समय संगठनों को श्रम-बाजार की प्रकृति तथा मानव शक्ति के स्रोत को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। नियुक्ति के लिए आवेदनकर्ताओं की संख्या इस बात पर आश्रित रहती है कि कार्य प्रकृति क्या है एवं रिक्त पदों की संख्या कितनी है। विद्यमान आर्थिक स्थितियां, कौशल का उपलब्ध होना, भर्ती करने वाली कम्पनी की साख आदि अन्य तत्व हैं जो भर्ती को प्रभावित करते हैं।

भर्ती का सरल अर्थ है- रिक्त पद पर उपयुक्त कार्मिक की नियुक्ति। भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित गतिविधियों के आधार पर इसके संकुचित और व्यापक दो अर्थ होते हैं- संकुचित अर्थों में भर्ती, रिक्त पद पर योग्य उम्मीदवार की नियुक्ति तक सीमित है। व्यापक अर्थों में भर्ती रिक्त पद के लिए योग्य उम्मीदवार के चयन से लेकर उस पद पर उसकी सामर्थ्यपूर्ण स्थापना तक की कार्यवाहियों से संबंधित हैं। भर्ती को विविध विद्वानों ने परिभाषित किया है जिनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं-

एल.डी.व्हाइट के अनुसार, “रिक्त पदों के लिए आयोजित परीक्षाओं हेतु योग्य व्यक्तियों को आकर्षित करना ही भर्ती है।”

जे. डी. किंग्सले के शब्दों में, “भर्ती का अर्थ है, लोक सेवाओं के लिए प्रार्थियों को प्रतियोगात्मक रूप से आकर्षित करना। यह व्यापक प्रक्रिया का एक अंग है। इसमें परीक्षा और प्रमाणन प्रक्रियाएं भी शामिल हैं।”

एडविन फिलप्पो के अनुसार, “भर्ती सम्भावित कर्मचारियों की खोज करने तथा उन्हें संगठन कार्यों के लिए आवेदन करने के लिए उत्प्रेरित करने की प्रक्रिया है।”

क्लिंजर के अनुसार, “भर्ती योग्य आवेदकों को आकर्षित करने की प्रक्रिया है।”

प्रो. ब्यूल के अनुसार, “किसी विक्रय पद के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध प्रार्थियों की सक्रिय खोज करना ही भर्ती है।” एम.पी.शर्मा के शब्दों में, “भर्ती का सीधा अर्थ है, योग्य तथा उपयुक्त व्यक्ति की रिक्त स्थान पर नियुक्ति।” उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि कर्मचारियों की भर्ती वह क्रिया है जिसके द्वारा संस्था में विभिन्न रिक्त पदों के लिए व्यक्तियों की खोज की जाती है तथा उन्हें रिक्त पदों तथा उनके लिए आवश्यक योग्यता के संबंध में जानकारी देकर उन्हें संस्था में आवेदन करने के लिए प्रेरित किया जाता है, ताकि संगठन के लक्ष्यों की पूर्ति की जा सके। किसी संगठन में भर्ती तथा चयन कर्मचारी संबंधी मूलभूत कार्य है। भर्ती द्वारा ही लोक सेवाओं का स्तर एवं योग्यता निश्चित होती है और इसी से शासन की उपयोगिता और समाज और शासन तंत्र के बीच संबंध निर्धारित होते हैं। भर्ती संपूर्ण कार्मिक प्रशासन के ढांचे की आधारशिला है। इस प्रकार भर्ती चयन की विस्तृत प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, जो परीक्षा, साक्षात्कार एवं प्रमाणीकरण इत्यादि की प्रक्रिया को समाहित करता है। भर्ती योग्य आवेदकों को आकर्षित करने की प्रक्रिया है। भर्ती की विशेषताएं निम्न हैं-

1. भर्ती प्रशासन में निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।
2. भर्ती योग्य व्यक्तियों के खोज की प्रक्रिया है।
3. भर्ती एक सकारात्मक प्रक्रिया है जिसमें चयन अनुपात को बढ़ाने का उद्देश्य रहता है।
4. भर्ती वर्तमान तथा भावी दोनों प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जा सकती है।
5. इसमें व्यक्तियों को आवेदन करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जाता है।
6. इसमें भर्ती के विभिन्न स्रोतों का निर्धारण करके उन्हें बनाये रखने का प्रयास किया जाता है।
7. भर्ती के द्वारा प्रत्येक कार्य के लिए पर्याप्त मात्रा में आवेदकों की पूर्ति उत्पन्न होनी चाहिये ताकि नियुक्ता को चयन की सुविधा हो।।
8. भर्ती एवं चयन परस्पर सम्बद्ध हैं, यद्यपि दोनों में पर्याप्त अन्तर होता है।

भर्ती की ठोस नीति की आवश्यकता को सर्वप्रथम चीन में अनुभव किया गया था और योग्यता के सिद्धांत पर आधारित भर्ती को अपनाने की ठोस नीति को मान्यता भी चीन में ही प्रारंभ की गई। आधुनिक समय में प्रशा सबसे पहला देश है जिसने भर्ती प्रणाली का विकास किया था। भारत में योग्यता का सिद्धांत 1853 से प्रारंभ हुआ जबकि ब्रिटेन में इसे 1857 में स्वीकार किया गया है। अमेरिका में योग्यता सिद्धांत 1883 में आरंभ हुआ जबकि फ्रांस में प्रतियोगिता परीक्षाओं की शुरुआत 1847 से हुई थी। भर्ती के योग्यता सिद्धांत ने लूट सिद्धांत का स्थान लिया है लेकिन यह परिवर्तन धीरे-धीरे ही हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लूट-खसोट की प्रणाली काफी लंबे समय तक चलती रही। राष्ट्रपति गारफील्ड की हत्या के बाद इसमें परिवर्तन किया गया और 1883 में पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भर्ती का प्रावधान किया गया।

14.3 भर्ती का महत्व

प्रशासनिक व्यवस्था में भर्ती सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। किसी संगठन को ऐसे योग्यता प्राप्त कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या में पूर्ति की व्यवस्था करना आवश्यक होता है जो उसके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक विभिन्न कार्य कर सके। लोक सेवाओं के गुण और कार्यकुशलता भर्ती और भर्ती संबंधी नीतियों पर निर्भर करते हैं। भर्ती सम्भावित कर्मचारियों के स्रोतों का निर्धारण करने, व्यक्तियों को कार्य अवसरों के बारे में सूचित करने तथा उन प्रार्थियों को संस्था में आकर्षित करने की प्रक्रिया है, जो कार्य को निष्पादित करने की वांछित योग्यता रखते हैं।

कर्मचारियों की पूर्ति के कार्य को भर्ती तथा चयन द्वारा संपन्न किया जाता है। लोक सेवकों की योग्यता और नैतिक स्तर का निर्धारण भर्ती प्रक्रिया के द्वारा ही संभव है। समाज के प्रति सरकार और प्रशासन की प्रासंगिकता और उपयोगिता एक स्वस्थ एवं निष्पक्ष भर्ती प्रणाली पर ही निर्भर करती है। भर्ती पद्धति स्वस्थ एवं निष्पक्ष तथा इसका क्रियान्वयन कुशलतापूर्वक एवं बिना भेदभाव के होना चाहिए। भर्ती कुशल व्यक्तियों के सिविल सेवा में

प्रवेश हेतु प्रवेश द्वार खोलने का कार्य करता है। यह एक सुदृढ़ लोक सेवा का आधार स्तंभ भी है। स्टॉल के अनुसार भर्ती संपूर्ण सार्वजनिक कार्मिक रचना की आधारशिला है। प्रशासनिक आवश्यकता के लिए सर्वोत्तम, कुशाग्र बुद्धि और अत्यधिक कार्य दक्ष व्यक्तियों की पूर्ति भर्ती प्रणाली द्वारा ही संभव है। आधुनिक समय में लोकसेवा सबसे महत्वपूर्ण जीवन वृत्ति सेवा है और जीवन वृत्ति सेवा का कोई भी घटक भर्ती नीति से बढ़कर महत्वपूर्ण नहीं है। इस प्रकार भर्ती कार्मिक प्रशासन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर प्रशासनिक कार्य कुशलता बहुत हद तक निर्भर करती है।

सरकार के निरंतर कार्यों में विस्तार के फलस्वरूप प्रशासन अब जटिल विशेषज्ञ और तकनीकी बन गया है। योग्यता प्रणाली पर आधारित भर्ती नीतियां और कार्यक्रम लोक सेवाओं में सर्वोत्तम योग्यता प्राप्त और सक्षम व्यक्तियों को चुनने का प्रयास करते हैं। सरकारी सेवाओं में रिक्त पदों की भरने की संपूर्ण प्रक्रिया भर्ती से विस्तृत मालूम पड़ती है। फिर भी भर्ती को सामान्यतया उस प्रक्रिया के रूप में समझा जाता है जिसके द्वारा रिक्त पदों को भरने के लिए लोगों की सेवा में नियुक्ति की जाती है। प्रत्येक संगठन योग्य कार्मिकों की भर्ती एवं चयन करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकता है। भर्ती एवं चयन मानव शक्ति नियोजन का एक महत्वपूर्ण अंग तथा मानव संसाधन विकास का एक आवश्यक कार्य है। प्रशासन में अनेक कारणों से मानव संसाधनों में परिवर्तन होते रहते हैं। नवीन तकनीकों में परिवर्तनों के कारण भी नये कर्मचारियों की आवश्यकता उत्पन्न हो सकती है। भर्ती एवं चयन संगठन में नयी मानव शक्ति जोड़ने की प्रक्रिया है तथा यह कर्मचारी नियोजन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है।

14.4 भर्ती की प्रक्रिया

भर्ती सभी देशों के प्रशासनिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अकुशल, अयोग्य और अनुपयोगी व्यक्तियों के सेवा में भर्ती हो जाने के पश्चात सबसे खर्चीला प्रशासन भी देश हित में कुछ नहीं कर सकता। शासन में सुयोग्य और कुशल व्यक्तियों का चयन उचित भर्ती व्यवस्था द्वारा ही संभव है। किसी भी देश की भर्ती पद्धति विशेषकर उस देश की संवैधानिक व्यवस्था तथा सामाजिक राजनीतिक नीतियों पर निर्भर करती है। भर्ती की पुरानी विधियां अब देश, काल, परिस्थिति के अनुसार पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गई हैं और लोक सेवा अधिकारी की भर्ती के लिए सभी देशों ने अर्हता पद्धति को स्वीकार कर लिया है।

भर्ती प्रक्रिया रिक्त पदों के विज्ञापन या उद्घोषणा के साथ ही शुरू हो जाती है। उच्चतर पदों पर लोक सेवा आयोग या विभिन्न अधीनस्थ पदों पर अन्य एजेन्सी द्वारा भर्ती विज्ञापन प्रकाशित करने के पूर्व संबंधित विभागों से रिक्त पदों की जानकारी प्राप्त की जाती है। अतः लोक सेवा में भर्ती का प्रथम चरण यही से शुरू होता है। विज्ञापन जारी होने के पश्चात अगला चरण आवेदन पत्रों की जांच होता है। उपयुक्त आवेदकों को परीक्षा या साक्षात्कार के लिए बुलावा भेजा जाता है। यदि परीक्षा में आवेदक की संख्या ज्यादा हुई तो उसके बाद रिक्त पदों के लिए निश्चित अनुपात (सामान्यतया 1 पद के विरुद्ध 3 उम्मीदवार) में साक्षात्कार हेतु प्रत्याशियों को आमंत्रित किया जाता है। योग्यता क्रम के अंकों के आधार पर प्रत्याशियों को चयनित घोषित किया जाता है। नियुक्ति देने के पूर्व चयनितों का चरित्र-सत्यापन और चिकित्सकीय परीक्षण भी करवाया जाता है। अन्ततः उन्हें पद पर स्थापित कर दिया जाता है। यद्यपि अधिकांश पदों पर व्यवहारिक पद स्थापना के पूर्व उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता है।

लोक सेवा के अधिकारी राज्य के पूर्णकालिक तथा पेशेवर कर्मचारी होते हैं तथा उनकी नियुक्ति एक विशेष प्रक्रिया द्वारा की जाती है, जिसे भर्ती की संज्ञा दी जाती है। भर्ती की प्रक्रिया विविध चरणों में संपन्न होती है। प्रमुख चरण निम्न हैं-

1. **पदों और नौकरियों की आवश्यकता-** सरकारी विभागों तथा अन्य संस्थाओं से अध्याचन के पश्चात यह निर्धारित होता है कि कितने कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी है अथवा प्रोन्नत किया जाना है। भर्ती प्रक्रिया आरंभ करने से पहले यह सारी सूचनाएं भर्ती अधिकारी/अभिकरण द्वारा एकत्र की जाती है।

तत्पश्चात रिक्त पदों का वर्गीकरण कर यह सुनिश्चित किया जाता है कि कितने पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी है। उसी समय रिक्त पदों के लिए अपेक्षित अर्हताएं, अनुभव इत्यादि के निर्धारण पर भी विचार किया जाता है।

2. **भर्ती नीति की शर्तों, अर्हता एवं अन्य पहलुओं का निर्धारण-** पदों एवं आवश्यकता निर्धारण के पश्चात दूसरा चरण अपेक्षित योग्यता और अन्य शर्तों का निर्धारण से संबंधित हैं, जिन्हें समाचार पत्रों, बुलेटिन, एवं अन्य माध्यमों के द्वारा सूचित किया जाता है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, पूर्व अनुभव, उम्र सीमा, निवास, राष्ट्रीयता, शारीरिक उपयुक्तता इत्यादि के संबंध में निर्णय इसी दौरान लिया जाता है तथा अंतिम निर्णय लेने से पूर्व भर्ती संबंधी संवैधानिक व्यवस्था और सरकार की नीतियों पर भी विचार कर लिया जाता है।
3. **आवेदन पत्रों की रूपरेखा तैयार करना-** अगले चरण के रूप में उपयुक्त आवेदन पत्र की रूपरेखा तैयार करना आवश्यक हो जाता है, जिन्हें अभ्यर्थियों को विभिन्न रिक्त पदों में आवेदन करने के लिए दिया जाता है। आवेदन पत्र में सभी स्तंभ होने चाहिए जो व्यक्ति के बारे में प्रासंगिक सूचना दे सके। विभिन्न पदों तथा परीक्षाओं या सेवाओं के लिए विविध प्रकार के आवेदन पत्रों की रूपरेखा तैयार की जाती है।
4. **पद एवं परीक्षा इत्यादि का विज्ञापन निकालना-** अपेक्षित अर्हता और शर्तों इत्यादि के निर्धारण के पश्चात विभिन्न माध्यमों द्वारा परीक्षाओं का विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है ताकि अधिकाधिक योग्य अभ्यर्थियों को आवश्यक रूप से आकर्षित एवं प्रेरित किया जा सके। कभी-कभी समाचार पत्रों में भी आवेदन-पत्र का प्रारूप निकाल दिया जाता है ताकि अभ्यर्थियों को आवेदन करने में सहूलियत हो। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रत्येक शनिवार को अपने विज्ञापनों का प्रकाशित किया जाना इसी भर्ती प्रक्रिया का एक प्रमुख सोपान है।
5. **आवेदन पत्रों का सूक्ष्म परीक्षण करना-** निर्धारित तिथि के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों को सूक्ष्म परीक्षण के बाद छटनी की जाती है तथा आवेदक को इस विषय के बारे में सूचित भी किया जाता है। तत्पश्चात परीक्षा की तिथि अथवा साक्षात्कार के लिए बुलावा पत्र प्रेषित किया जाता है जिस पर परीक्षा की तिथि, समय, स्थान इत्यादि आवश्यक जानकारियां दर्ज की गई होती है। इस अवस्था में आकर बहुत सारे अयोग्य और अक्षम अभ्यर्थियों का नाम भर्ती प्रक्रिया से निकाल दिया जाता है।
6. **परीक्षा, साक्षात्कार एवं अन्य जांचों को आयोजित करना-** सुयोग्य और उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन के लिए उनकी योग्यता और क्षमता की जांच आवश्यक है और यह कार्य लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या किसी दूसरे प्रकार के जांच के द्वारा ही संभव है। यह परीक्षाएं किसी व्यक्ति की अर्हता जांच करने की औपचारिक प्रक्रिया है। प्रक्रियाओं के माध्यम से अर्हता अभ्यर्थी की श्रेणी, अभ्यर्थी का क्रम और योग्य अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाती है। परीक्षा के पश्चात सफल अभ्यर्थियों की एक सूची प्रकाशित की जाती है। साक्षात्कार में भी एक समरूप प्रक्रिया ही अपनाई जाती है और सफल या योग्य अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित होती है।
7. **प्रमाणीकरण-** परीक्षा, साक्षात्कार तथा विभिन्न प्रकार के जांच के पश्चात सफल अभ्यर्थियों का नाम या क्रमांक समाचार पत्रों या सूचना पट्ट पर घोषित कर दी जाती है। सफल एवं योग्य अभ्यर्थियों की सूची कार्मिक संस्था द्वारा प्रमाणित की जाती है और यह सूची सरकार को इस अनुमोदन के साथ भी जाती है कि अभ्यर्थियों का चयन एवं नियुक्ति की अंतिम सूची से किया जाए। संघ लोक सेवा आयोग जैसी संस्था का यह अंतिम कार्य है। सामान्यतया योग्य अभ्यर्थियों का चयन एवं नियुक्ति सरकार द्वारा केवल इसी

प्रमाणित सूची से की जाती है, लेकिन कुछ आपत्तियों के आधार पर इस सूची से किसी भी अभ्यर्थी का नाम सरकार हटा भी सकती है।

8. **चयन-** उपलब्ध योग्य एवं प्रतिभावान अभ्यर्थियों में से अभ्यर्थियों को चुनने की प्रक्रिया के नाम चयन है। यदि भी अभ्यर्थियों की योग्यता की जांच लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार द्वारा की जाती है तथा कार्मिक संस्थाओं द्वारा योग्य अभ्यर्थियों को प्रमाणित भी किया जाता है। फिर भी अंतिम चयन सरकार का उत्तरदायित्व है। भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में सामान्यतया सरकार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित अभ्यर्थियों की सत्यापित सूची में से ही नियुक्तियां करती है लेकिन किसी विशेष कारण से यदि किसी अभ्यर्थी का नाम निरस्त किया जाता है तो सरकार इसका कोई ठोस उपयुक्त और समुचित कारण संसद में प्रस्तुत करती है क्योंकि प्रजातंत्र में अंतिम रूप से सरकार को ही जनता को उत्तर देने के लिए उत्तरदायी बनाया गया है।
9. **नियुक्ति-** उपयुक्त और योग्य अभ्यर्थियों के चयन के पश्चात औपचारिक नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है। समस्त नियुक्तियां एक सुयोग्य कार्यकारी अधिकारी के द्वारा की जाती हैं। भारत में केंद्र सरकार की सभी नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम से तथा राज्य सरकारों की नियुक्तियां राज्यपाल के नाम से की जाती है। सरकार द्वारा प्रेषित नियुक्ति पत्र विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे स्थाई नियुक्ति, अल्पकालिक नियुक्ति, परिविक्षाधीन नियुक्ति तथा अनिश्चितकालीन नियुक्ति आदि। आरंभ में किसी भी अभ्यर्थी को स्थाई नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता है। सामान्यतया चयनित अभ्यर्थियों को परिवीक्षा के आधार पर नियुक्त किया जाता है। यह अवधि 6 महीना, 1 वर्ष या 2 वर्ष हो सकती है। परिवीक्षा की अवधि में अभ्यर्थियों से विविध पदों पर कार्य करने को कहा जाता है। जिसके मूल्यांकन के पश्चात उसकी सूचना नियुक्ति अधिकारी को दी जाती है। सफलतापूर्वक परिवीक्षा की अवधि पूर्ण करने के पश्चात अभ्यर्थियों को सेवा में स्थाई कर लिया जाता है।
10. **पदस्थापन-** परिवीक्षा की अवधि पूर्ण होने के पश्चात सेवा का पुष्टिकरण किया जाता है और उसे समुचित पद पर पदस्थापित किया जाता है, जिसे नियोजन या पदस्थापन कहा जाता है। उसे उस पद से संबंधित किसी विशेष प्रकार के कार्य का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। कुछ वर्षों तक कार्य करने के अनुभव के पश्चात नियुक्त अधिकारी उस पद के दायित्वों का निर्वहन करता है।

14.5 भर्ती के प्रकार

भर्ती के संबंध में विविध विधियों का प्रयोग दुनिया के देशों में किया जाता है। विभिन्न देशों में भर्ती के विविध प्रकार या विधियों को अपनाया गया है, उनमें हैं-

1. **प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भर्ती-** भर्ती की दो विधियां हैं- आंतरिक भर्ती यानी प्रोन्नति से भर्ती करना और बाह्य उपलब्ध लोगों से भर्ती करना। बाह्य उपलब्ध और योग्य अभ्यर्थियों द्वारा जब रिक्त पदों पर भर्ती की जाती है तो उसे प्रत्यक्ष भर्ती कहते हैं लेकिन जब पहले से ही सेवारत उपयुक्त और अनुभवी अभ्यर्थियों के द्वारा रिक्त पद भरा जाता है तो उस प्रोन्नति को अप्रत्यक्ष भर्ती कहा जाता है। आंतरिक स्रोत से आशय उपक्रम में कार्य करने वाले कर्मचारियों की उच्च पदों पर पदोन्नति, स्थानान्तरण व समायोजन से है। बाह्य स्रोत से भर्ती निम्न वर्गीय कर्मचारियों की जाती है। भर्ती की दोनों विधियों के कुछ लाभ और कुछ हानियां हैं लेकिन विश्व के लगभग सभी देशों में यही दो विधियां अपनाई जाती हैं। सामान्यतया निर्णय स्तरीय पदों को प्रत्यक्ष भर्ती तथा उच्च स्तरीय पदों को पदोन्नति यानी अप्रत्यक्ष भर्ती के द्वारा भरा जाता है। विभिन्न देशों में उनके राजनीतिक और प्रशासनिक नीतियों के अनुसार विवेक सम्मत और व्यवहारिक दोनों प्रकार की भर्ती नीतियों के सम्मिश्रण को अपनाया जाता है।

प्रत्यक्ष भर्ती प्रणाली के लाभ के साथ साथ हानियाँ भी बहुत हैं। प्रत्यक्ष भर्ती प्रणाली योग्य उम्मीदवारों को शुभ अवसर प्रदान करता है। अतः प्रजातांत्रिक सिद्धांत है। इसमें आपूर्ति के स्रोत विस्तृत हैं तथा इसके द्वारा युवा और अति योग्य अभ्यर्थी सिविल सेवा में आते हैं। इसमें नए चेहरे, नए विचार, परिवर्तन, तकनीकी, प्रशासकीय, सामाजिक, राजनीतिक अवस्थाओं का सेवाओं में प्रति भी मन होता है। इसमें परिवर्तनशील अवस्था और तकनीकों के साथ सेवा प्रगति कर सकती हैं तथा कर्मचारीगण अपनी अर्हता बढ़ाने के लिए कठिन परिश्रम भी करते हैं।

वहीं दूसरी ओर प्रत्यक्ष भर्ती प्रणाली की हानियाँ भी हैं। इसमें उत्तरदायी पदों पर अनुभव ही नहीं युवकों को भर्ती किया जाता है जिनमें कम से कम आरंभ में अपने कर्तव्य निर्वाह के लिए दक्षता और आत्मविश्वास का अभाव रहता है। प्रत्यक्ष विधि के द्वारा नियुक्त अनुभवहीन युवों के लिए प्रशिक्षण परम आवश्यक हो जाता है। इस भर्ती पद्धति में सरकारी सेवाओं में पहले से कार्य कर रहे लोगों की प्रोन्नति व्यवसाय अवरुद्ध हो जाते हैं। इससे उनकी कार्यकुशलता और निष्ठा पर बुरा असर पड़ता है। यह लोक सेवाओं का कार्यभार अत्यधिक बढ़ा देता है। भविष्य में उन्नति के अवसर नहीं दिखने पर कर्मचारियों और अन्य योग्य और कुशल लोगों में विश्वास पैदा करता है। इसमें कर्मचारी के अनुभव, कठिन परिश्रम और कार्यकुशलता पूर्ण हो जाते हैं तथा अधिक समय नष्ट करने वाली और अधिक खर्चीली भी है।

दूसरी ओर अप्रत्यक्ष भर्ती प्रणाली में नियुक्त व्यक्तियों को प्रशासनिक और सरकारी कार्यों का अपेक्षित अनुभव रहता है तथा वह भी अपने कर्तव्य निर्वाह पूर्ण विश्वास और उत्तरदायित्व के साथ करते हैं तथा इस विधि के द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के लिए दीर्घावधि प्रशिक्षण आवश्यक नहीं है। यह कर्मचारियों में सेवा में प्रगति और तरक्की का अवसर प्रदान करता है तथा कठिन परीक्षण करने हेतु प्रोत्साहित भी करता है। अप्रत्यक्ष भर्ती लोक सेवा आयोग का कार्यभार काफी हद तक कम कर देता है तथा इसके माध्यम से कर्मचारी के कार्यकुशलता, अनुभव का उपयोग देश की प्रगति किया जाता है। अप्रत्यक्ष भर्ती प्रणाली कम समय नष्ट करने वाला और कम खर्चीला है। वहीं दूसरी ओर अप्रत्यक्ष भर्ती प्रणाली के हानियाँ भी कम नहीं हैं। इस भर्ती प्रणाली में सेवा में पूर्व से विद्यमान सीमित अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान किया जाता है जो अप्रजातांत्रिक है। इसमें आपूर्ति के स्रोत और प्रतिबंधित होते हैं तथा इसके द्वारा सक्षम अभ्यर्थियों को सिविल सेवा में प्रवेश के अवसर को नकारा जाता है। इस प्रकार यह भय पैदा करता है। नए चेहरे, नए विचारों को प्रवेश करने से रोकता है। इसमें शीघ्र परिवर्तनशील संसार के साथ सिविल सेवा प्रगति नहीं कर पाती है तथा प्रोन्नति की अवसर की प्रतीक्षा कर्मचारी हमेशा करते ही रह जाते हैं।

दोनों प्रकार की भर्तियों के गुण और दोषों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक पद्धति के कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक पहलू हैं श्रेष्ठ पद्धति दोनों विधियों को अपनाकर निर्मित की जाती है।

2. **सकारात्मक और नकारात्मक भर्ती-** जब भर्ती के अभिकरण सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिए सक्रिय रूप से सर्वाधिक योग्य और अत्यधिक का कार्य कुशल अभ्यर्थियों की खोज करते हैं तो इसे भर्ती की सकारात्मक विधि कहा जाता है। इसके विपरीत अभ्यर्थियों का ध्यान आकर्षित किए बगैर अयोग्य और अनुपयुक्त अभ्यर्थियों को बाहर रखने के लिए भर्ती की नकारात्मक विधि का उपयोग किया जाता है। वर्तमान समय में अभ्यर्थियों को आगे लाने हेतु आकर्षित करने के लिए अनेक देशों में सकारात्मक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रचार साहित्य, सिनेमा इत्यादि को अपनाया जाता है।
3. **सामूहिक और व्यक्तिगत भर्ती-** एक बड़ी संख्या में गैर-तकनीकी और सामान्य सेवाओं के रिक्त पदों को भरना सामूहिक भर्ती की तकनीक है। सरकारी में भारी संख्या में रिक्त पदों को भरने के लिए जनसंचार माध्यमों के द्वारा विज्ञापन निकाला जाता है। तत्पश्चात परीक्षा और साक्षात्कार की कठिन विधि अपनाई जाती है। लोक सेवा आयोग भारत में इन्हीं विधियों को दोनों विधियों को प्रयोग में लाते हैं।

14.6 भर्ती की अर्हता पद्धतियाँ

लोक सेवाओं के कर्मचारियों के लिए आवश्यक अर्हता संबंधी प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं बिंदुओं पर लोक सेवाओं की कार्यकुशलता निर्भर करती है। लोक सेवाओं के लिए अर्हता पद्धतियाँ दो प्रकार की होती हैं- सामान्य और विशेष। सामान्य अर्हता सभी लोग कर्मचारियों पर लागू होते हैं और एक प्रकार से सार्वभौमिक रूप से प्रयोग में आने वाली होती हैं। सामान्य अर्हताएं- नागरिकता, अधिवास, लिंग भेद और आयु से संबंध रखते हैं। विशेष अर्हताएं- शिक्षा, अनुभव, प्राविधिक ज्ञान, व्यक्तिगत विशेषताओं से संबंधित होती हैं। आइये इनका विस्तृत अध्ययन करते हैं-

- 1. नागरिकता-** लोक सेवा के पदों के लिए आवेदन करने वालों को राज्य का नागरिक होना आवश्यक है। विदेशियों को लोक सेवा में कोई पद नहीं दिया जा सकता। यदि कोई विदेशी नियुक्त कर भी लिया जाता है तो उसका कार्यकाल थोड़े समय के लिए ही होता है। भारत में नेपाल के परिजनों के लिए लोक सेवाओं के पदों पर नियुक्ति की सुविधाएं हैं क्योंकि भारत के साथ इस देश के दृढ़ ऐतिहासिक संबंध हैं।
- 2. अधिवास या निवास-** अधिवास संबंधी अर्हता को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा स्थापित की गई थी, जहां आज भी संघीय राज्यों को राष्ट्रीय सेवाओं में यथोचित प्रतिशत स्थान दिया जाता है। भारत में अधिवास संबंधी नियम 1957 तक लागू थे। राज्य पुनर्गठन आयोग ने भारत की लोक सेवाओं की पात्रता के लिए इन प्रावधानों पर आपत्ति की थी और इन्हीं आलोचनाओं के केंद्र सरकार ने लोक सेवा अधिनियम 1957 पारित किया, जिसके द्वारा राज्य की लोक सेवाओं में प्रवेश पाने के संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करके देश की एकता को सुदृढ़ बनाया गया।
- 3. लिंग भेद-** कुछ समय पूर्व तक अधिकतर देशों में महिलाओं को लोक सेवा में नौकरी करना निषिद्ध था। अब यह लगभग समाप्ति की ओर है। भारतीय संविधान निर्धारित करता है कि सभी नागरिकों को राज्य के पदों पर नियुक्ति संबंधी मामलों में समान अवसर प्राप्त होंगे।
- 4. आयु-** भारत, ब्रिटेन और अन्य देशों में लोक सेवा में नव युवकों की भर्ती की जाती है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिक परिपक्व स्त्री पुरुषों को ही नौकरी में लिया जाता है। इसका सरकार के सभी वर्ग संबंधी ढांचे पर प्रभाव पड़ता है। आधुनिक समय में जबकि प्रशासनिक कार्यों में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, उच्चतर आयु समूह के व्यक्तियों को ही लोक सेवा में प्रवेश पाने से वंचित नहीं किया जा सकता। भारत में 18 से 30 वर्ष तक की आयु के युवक लोकसेवा प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं और जाति जनजाति में यह सीमा 5 वर्ष स्थापित की गई है जबकि पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 3 वर्ष की छूट है। अमेरिका की भर्ती प्रणाली की एक विशेषता यह है कि कोई भी व्यक्ति अमेरिकी लोक सेवा में लगभग किसी भी स्तर पर तथा किसी भी आयु में प्रवेश पा सकता है।
- 5. शिक्षा संबंधी अर्हता-** इस संबंध में दो प्रकार की नीतियां प्रचलित हैं। लोक सेवा में प्रवेश पाने के लिए निश्चित शिक्षा संबंधी योग्यता निर्धारित की गई है। वहीं अमेरिकी में शिक्षा संबंधित प्रावधान नहीं है। भारत में लोक सेवा के लिए प्रणाली की सामान्य व्यवस्था के अनुसार अनिवार्य न्यूनतम अर्हता स्नातक उपाधि होती है।
- 6. अनुभव-** संयुक्त राज्य अमेरिका में लोक सेवा में किसी भी आयु के प्रवेश दिया जा सकता है। कार्य के वास्तविक अनुभव का बहुत अधिक महत्व है तथा उसकी बहुत मांग रहती है। भारतीय प्रणाली में महाविद्यालयों/विश्व विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त युवकों की भर्ती की जाती है। फिर भी विधिक सेवाओं के लिए अनुभव को मांगा जाता है।

7. **व्यक्तिगत अर्हता-** लोक सेवकों में निष्पादन की योग्यता, चातुर्य, युक्ति, ईमानदारी, क्षमता, सच्चाई और मिलजुल कर कार्य करने की योग्यता होना आवश्यक है।
8. **प्राविधिक योग्यता अनुभव-** विकास उन्मुख सरकार के लिए अर्थशास्त्री, कानूनी परामर्शदाता, इंजीनियर, वैज्ञानिक और ऐसे ही अनेक प्राविधिक कर्मचारियों को अधिकाधिक शासकीय सेवा में भर्ती करना आवश्यक है।

दुनिया के सभी प्रजातांत्रिक देशों में भर्ती की अर्हता पद्धति को अपनाया गया है। अर्हता पद्धति के अनुसार खुली प्रतियोगिता के द्वारा चयनित योग्य और उपयुक्त अभ्यर्थियों के द्वारा सरकारी सेवाओं में रिक्त पदों को भरा जाता है। खुली प्रतियोगिता का उद्देश्य अभ्यर्थियों की योग्यता और क्षमता को आंकना होता है और यह कार्य प्रायः लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, साक्षात्कार, कार्य निष्पादन परीक्षा, पूर्व अनुभव कार्य के पूर्व रिकार्डों के परीक्षण के द्वारा किया जाता है।

प्राचीन भारत एवं चीन में कर्मचारियों का चयन योग्यता के आधार पर किए जाने के प्रमाण मिलते हैं, किंतु आधुनिक काल में अर्हता सिद्धांत अपेक्षाकृत नवीन है। सबसे पहले यह भारत और ब्रिटेन में क्रमशः 1854 और 1855 में प्रारंभ किया गया, किंतु अमेरिका में अर्हता सिद्धांत सबसे पहली बार 1833 के पेंडलटन एक्ट के द्वारा लागू किया गया। जब एक बेरोजगार एवं हतोत्साहित युवक ने लूट खसोट प्रणाली के खिलाफ राष्ट्रपति गारफील्ड की हत्या कर दी थी। अर्हता सिद्धांत अपनाने से पूर्व विश्व में तीन पद्धतियां विद्यमान थीं- कार्यालयों का विक्रय, क्रय पद्धति तथा इनामी पद्धति।

फ्रांस की क्रांति से पहले वहां सार्वजनिक नीलामी के द्वारा ऊंची बोली लगाने वालों के हाथों बेचा जाता था जिससे राज्य के लिए राजस्व भी प्राप्त होता था और धन वालों को सरकारी पद प्राप्ति हेतु अवसर भी प्राप्त हो जाता था। इस प्रकार सरकार के प्रति पक्षपात एवं राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त करने वाली यह व्यवस्था थी। ब्रिटेन तथा अन्य देशों में प्रश्रय प्रणाली को अपनाया गया था जिसके अनुसार सरकारी सेवा में अभ्यर्थियों की नियुक्ति नियुक्ति अधिकारी के द्वारा चयन के आधार पर की जाती थी। जिससे वह व्यक्तिगत या राजनीतिक आधार पर सहायता करना चाहता था। परिवार और रिश्तेदारी, व्यक्तिगत निष्ठा, राजनीतिक संबंध, सभी प्रकार के पक्षपात और भाई भतीजावाद भर्ती के इस प्रणाली में शामिल थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक यह पद्धति भारत और यूरोप में भी प्रचलित थी। इनामी पद्धति अमेरिका में प्रचलित थी, जहां निर्वाचन में जीतने वाले पार्टी के द्वारा इनाम के रूप में सरकारी सेवा में नियुक्तियां की जाती थी। जब भी कोई नई पार्टी सत्ता में आती थी तो वह अपने समर्थकों को पद पर भर्ती थी और पूर्व सरकार द्वारा नियुक्त सभी कर्मचारियों को बर्खास्त कर देती थी। इस प्रकार सत्ताधारी पार्टी में निष्ठा अनुभूति रखने वाले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से निष्ठावान रहते थे। उन्हें सरकारी तौर पर लोक सेवकों को नियुक्त किया जाता था। अमेरिका में यह पद्धति 1833 के एक्ट के पास होने तक एक शताब्दी से भी अधिक समय तक प्रचलित रहा।

प्रजातांत्रिक भावनाओं की वृद्धि तथा प्रशासन की जटिलताओं के कारण उपरोक्त भर्ती की प्रविधियां पुरानी हो गई हैं। योग्यता और अर्हता के आधार पर भर्ती करना विश्व के सभी देशों में प्रारंभ हो चुका है। इनामी प्रणाली कहीं भी प्रचलन में नहीं है।

14.7 अर्हता निर्धारण की विधियाँ

अधिकांश देशों में लोक सेवा के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर होती है। प्रशासन में भर्ती हेतु योग्यता सिद्धांत के अंतर्गत एक केंद्रीय निष्पक्ष और गैर-राजनीतिक तथा स्वतंत्र केंद्रीय कार्मिक संस्था जैसे लोक सेवा आयोग इत्यादि आवश्यक होते हैं। अभ्यर्थियों की अर्हता सरकार द्वारा नियुक्त

केंद्रीय कार्मिक संस्था के द्वारा ही हो पाती है। सामान्यतया अभ्यर्थियों की अर्हता की जांच के लिए किया निम्नांकित विधियों के संयोजन से की जा सकती है। ये विधियां हैं-

1. **लिखित परीक्षा-** बुद्धि, स्मरण शक्ति, ज्ञान तथा सूचनाओं की तर्कसंगत प्रस्तुति के लिए कल्पना और क्षमताओं की जांच हेतु लिखित परीक्षा एक सामान्य विधि है। लिखित परीक्षाएं दो प्रकार की होती हैं- निबंधात्मक तथा लघु उत्तरीय या वस्तुनिष्ठ। भारत में निबंधात्मक परीक्षाएं सामान्य है। प्रश्न पत्र में से दिए गए कुछ प्रश्नों का उत्तर दो से तीन घंटे में पूर्ण रूप से विस्तृत निबंधात्मक रूप से अभ्यर्थियों को लिखने हेतु प्रस्तुत किया जाता है। इस विधि से अभ्यर्थियों की सामान्य बौद्धिक क्षमता, तथ्यपरक सूचना अभिव्यक्ति की क्षमता, स्मरणशक्ति, तर्कपूर्ण विवेचन की योग्यता तथा विचारों की स्पष्टता इत्यादि के संबंध में जांच की जाती है। लेकिन निबंधात्मक परीक्षा पद्धति में मूल्यांकन कठिन और व्यक्तिपरक होता है। दूसरी प्रकार की परीक्षा लघु उत्तरीय या वस्तुनिष्ठ होती है। इस प्रकार के प्रश्न पत्र में बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिसे एक निर्दिष्ट सीमा के भीतर उत्तर देना होता है। कभी-कभी रिक्त स्थानों की पूर्ति अथवा सही या गलत कथन के रूप में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रणाली अभ्यर्थी की तथ्यात्मक सूचना और सही ज्ञान को परखने में उपयोगी सिद्ध होता है। इसे तत्काल अभ्यर्थी की निर्णय लेने की क्षमता और स्मरण शक्ति की जांच होती है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का निर्माण तथा मूल्यांकन भी वस्तुनिष्ठ नहीं होता है तथा इसमें परीक्षक किए आत्म मूल्यांकन के लिए कोई स्थान नहीं होता। फिर भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की योग्यता और क्षमता को जांचने के लिए यह सर्वाधिक सरल विश्व सनीय विधि है। अनेक देशों में दोनों प्रकार की परीक्षाओं का प्रचलन है। उच्च स्तर पर जहां ज्ञानी व्यक्ति और तार्किक चिंतन आवश्यक है वही निबंधात्मक प्रश्नों को ही प्रमुखता दी जाती है। निम्न स्तर पर जहां अभ्यर्थियों की संख्या बहुत बड़ी होती है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली को प्रमुखता दी जाती है। इस परीक्षा में अभ्यर्थियों की सामान्य ज्ञान, योग्यता और बौद्धिक क्षमता आँकने के लिए लिखित परीक्षा भी आयोजित की जाती है। भारत और ब्रिटेन में कुछ अनिवार्य सामान्य पत्र जैसे सामान्य निबंध, सामान्य ज्ञान तथा सामान्य अंग्रेजी इत्यादि में लिखित परीक्षाएं ली जाती है। साथ ही अभ्यर्थियों की रुचि के अनुसार कुछ शैक्षिक वैकल्पिक प्रश्न पत्रों की भी परीक्षाएं होती है जो प्रायः महाविद्यालय या विश्वविद्यालय स्तर के पाठ्यक्रमों से लिया जाता है। इस प्रकार की परीक्षा के पीछे यह तर्क दिया जाता है कि प्रशासन में विशिष्ट ज्ञान की अपेक्षा बौद्धिक क्षमता अधिक आवश्यक है और एक तेज और तीक्ष्ण बुद्धि वाला व्यक्ति सभी प्रकार के प्रशासनिक कार्यों के लिए उपयोगी है।
2. **पूर्व कार्य के रिकार्डों का मूल्यांकन-** शासकीय सेवाओं में बहुत सारे ऐसे पद होते हैं, जिनके लिए लिखित परीक्षा या साक्षात्कार सही प्रणाली सिद्ध नहीं होती। वकालत, चिकित्सा, इंजीनियरिंग एवं वैज्ञानिक तथा इसी प्रकार की ढेर सारी सेवाओं में विशिष्ट एवं तकनीकी पदों के रिक्त स्थानों को अभ्यर्थियों के अर्हता, अनुभव कार्य के पूर्व रिकार्डों के परीक्षण के पश्चात ही भरा जाता है। न्यूनतम अर्हता को पूर्ण करने वाले आवेदकों को अपने प्रस्तुत किए गए रिकॉर्ड के आधार पर विशेषज्ञों के एक बोर्ड द्वारा जांच की जाती है और सभी गुणों के आधार पर उनका चयन किया जाता है। सरकारी सेवाओं में उच्च स्तरीय वैज्ञानिक तकनीकी एवं विशिष्ट पदों की नियुक्ति में इसी विधि का प्रयोग किया जाता है तथा विश्व विद्यालयों में अध्यापकों की भर्ती भी इसी विधि से की जाती है।
3. **शारीरिक जांच परीक्षण-** लोक सेवकों के लिए यह आवश्यक है कि वह शारीरिक तौर पर पूरी तरह स्वस्थ हो। साथ ही सेवा प्रारंभ करने से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति इस संबंध में एक प्रमाण पत्र भी देना पड़ता है। शारीरिक योग्यता का यह प्रमाण पत्र पुलिस, सशस्त्र बलों तथा अन्य क्षेत्रीय सेवाओं में अनिवार्य है।

4. **मनोवैज्ञानिक जांच परीक्षण-** उच्च स्तरीय पदों पर भर्ती हेतु अभ्यर्थियों की बुद्धि, मानसिक योग्यता इत्यादि की जांच के लिए मनोवैज्ञानिक जांच परीक्षण आवश्यक समझा जाता है। इस जांच को अपनाने से अभ्यर्थियों की क्षमता की जांच की जाती है तथा यह जांच अन्य जांचों की मात्र पूरक ही है। यह चयन करने के कोई पूर्ण और स्वतंत्र विधि नहीं है।

इस प्रकार सरकारी नौकरियों में उपयुक्त में योग्य अभ्यर्थियों को भर्ती के लिए इन सभी विधियों का उपयोग किया जाता है। सिविल सेवा में सर्वोत्तम और योग्य व्यक्तियों को पाना ही इन सब का चरम उद्देश्य है। कार्मिक चयन में वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता लाने के लिये लोक सेवा के बाहर के अभिकरण आवश्यक समझे गए और इस प्रकार स्वतंत्र लोक सेवा आयोग का जन्म हुआ। सर्वप्रथम ब्रिटेन में 1855 में लोकसेवा आयोग (3 सदस्यीय) गठित हुआ था, जो 1968 से लोकसेवा विभाग (फुल्टन सिफारिश) का अंग बनकर कार्य कर रहा है, तथा इसमें अब 6 सदस्य हैं। अमेरिका में 1871-1872 में लोकसेवा आयोग गठित हुआ, लेकिन 1883 के पेण्डलटन अधिनियम द्वारा स्थापित होकर 01 जनवरी 1979 तक कार्यशील रहा। 1979 से उसका स्थान विभिन्न पृथक संस्थाओं ने ले लिया है। भारत में संघ, राज्य और राज्यों के संयुक्त लोकसेवा आयोग के प्रावधान अनुच्छेद- 315 में किये गये हैं। साथ ही अधीनस्थ पदों पर भर्ती हेतु केन्द्र में स्टाफ चयन बोर्ड कार्यरत है। इसके अलावा रेलवे बोर्ड और बैंकिंग भर्ती बोर्ड हैं जो क्रमशः रेलवे और बैंक में भर्ती करते हैं।

14.8 श्रेष्ठ भर्ती नीति की आवश्यक शर्तें

भर्ती कार्मिक प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। भर्ती की नीति यदि अच्छी नहीं है तो सक्षम और अयोग्य लोग लोक सेवाओं में चले आते हैं और शासन व्यवस्था पर बुरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि भर्ती की नीति सुनियोजित और निष्पक्ष हो। भर्ती की नीति में गतिशीलता, लोचशीलता, ईमानदारी, विशेषज्ञता आधारित होना चाहिए। श्रेष्ठ भर्ती निधि की आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं-

1. भर्ती की नीति सकारात्मक होनी चाहिए और इसकी योजना सरकारी सेवाओं में सर्वोत्तम, अत्यधिक कार्यसक्षम और योग्य लोगों को आकर्षित करने के लिए होनी चाहिए।
2. भर्ती की नीति प्रजातांत्रिक होनी चाहिए और जिससे अत्यधिक योग्य लोगों को अवसर प्रदान होने चाहिए तथा सरकारी सेवाओं में रिक्त स्थानों के बारे में आपूर्ति करने वाले सभी स्रोतों द्वारा सूचित होना चाहिए।
3. भर्ती की नीति आकर्षक होनी चाहिए तथा सरकारी सेवाओं के लिए अस्थाई रूप से से अच्छी रोजगार क्षेत्र का निर्माण करना चाहिए। सभी प्रतिभाशाली लोगों को सरकारी सेवाओं में लाने के लिए आकर्षक साहित्य प्रचार तकनीक का प्रयोग करना चाहिए तथा यह निरंतर चलता रहना चाहिए।
4. भर्ती विधि निष्पक्ष और अराजनीतिक होनी चाहिए। भर्ती लोक सेवा आयोग जैसे एक स्वतंत्र निष्पक्ष और राजनीतिक संस्था के द्वारा ही होनी चाहिए। सिविल सेवा अधिकारी की भर्ती में सरकार या राजनेताओं का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।
5. भर्ती अर्हता सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए तथा अर्हता एवं योग्यता की जांच के पश्चात केवल योग्य, गुणवान एवं प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों को ही भर्ती किया जाना चाहिए।
6. भर्ती करने वाली संस्थाओं को अर्हता जांच की आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाना चाहिए और समय-समय पर इन पद्धतियों का पुनरावलोकन भी आवश्यक है ताकि नए आधुनिक पद्धतियों को अपनाया जा सके।
7. भर्ती नीति में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष भर्ती पद्धतियों का सुंदर मिश्रण होना चाहिए अर्थात् पहले से कार्यरत और प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों को प्रोन्नति दिया जाना चाहिए और उन्हें उच्च पदों पर नियुक्त भी किया

जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर प्रतिभा संपन्न नवयुवकों को भर्ती कर सर्वोत्तम सफलता और सुंदर भर्ती नीति हेतु दोनों पद्धतियों को संयुक्त किया जाना चाहिए।

8. भर्ती नीति नवीन रीतियुक्त होना चाहिए। नवीनतम परिवर्तनों तथा सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक बदलाव को समाहित करते हुए नीतियों का निर्माण आवश्यक है।
9. उचित व्यक्ति का उचित पद पर पदस्थापन भर्ती का एक महत्वपूर्ण आयाम है। चयन प्रक्रिया की समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थियों को इस प्रकार से पदस्थापित किया जाना चाहिए जिससे कि उचित व्यक्ति को उचित सेवा में पदस्थापन हो सके।

14.9 भारत में भर्ती की पद्धति

भारत में ब्रिटिश प्रतिमान पर आधारित योग्यता पद्धति भर्ती में अपनाई गई है। अभ्यर्थियों की सामान्य योग्यता तथा बुद्धि परीक्षण खुली प्रतियोगिता के अंतर्गत अर्हता पद्धति पर आधारित है। भारतीय संविधान के अनुसार अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं में भर्ती का अधिकार संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा गया है परंतु अंतिम भर्ती राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्य सेवाओं के लिए भर्ती का कार्य राज्य लोक सेवा आयोग करता है और नियुक्ति पत्र राज्यपाल के नाम से निर्गत किया जाता है। अखिल भारतीय सेवाओं तथा उच्च केंद्रीय सेवाओं के लिए संघ लोक सेवा आयोग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करता है। भर्ती के लिए लिखित और मौखिक परीक्षाओं का एक सुव्यवस्थित आयोजन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है जिसमें उच्च स्तरीय पदों के लिए स्नातक को ही प्रतियोगिता में बैठने सम्मिलित होने का अधिकार मिलती है। भारतीय प्रणाली पर ब्रिटिश प्रणाली का छाप है और प्रशासकीय सेवा में प्रवेश पाने के लिए भारत में अनिवार्य न्यूनतम अर्हता कला, विज्ञान, तकनीकी प्रबंधन या चिकित्सा विषयों में विश्व विद्यालय की उपाधि होती है। लिपिकीय सेवाओं में प्रवेश पाने के लिए न्यूनतम अर्हता 2010 से 12 वीं या उसके समकक्ष निर्धारित की गई है।

संघ लोक सेवा आयोग विविध चरणों में अर्हता परीक्षा संपन्न करता है। सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा की 1978 तक प्रचलित प्रणाली में समस्त अभ्यर्थी एक संयुक्त परीक्षा में बैठते थे और छटनी की कोई व्यवस्था इन सेवाओं हेतु नहीं थी। अनंतर डॉ. दौलत सिंह कोठारी समिति की अनुशंसाओं के आधार पर भर्ती की नई प्रणाली 1979 से प्रारंभ की गई। इस नई प्रणाली के अंतर्गत सिविल सेवा परीक्षा दो चरणों में संपन्न करने का प्रावधान था- प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और सिविल सेवा प्रधान परीक्षा।

प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा में वस्तुपरक प्रकार के दो प्रश्न पत्र होते थे- सामान्य अध्ययन का प्रथम प्रश्न पत्र 150 अंक तथा ऐच्छिक विषयों में से चुना गया एक प्रश्न पत्र 300 अंको का होता था। इस प्रकार कुल मिलाकर 450 अंकों में से केवल यही उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते थे। उक्त वर्ष की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होते थे। मुख्य परीक्षा में लिखित परीक्षा व साक्षात्कार प्रश्न होता था। लिखित परीक्षा में परंपरागत निबंधात्मक शैली की प्रश्न होते थे। उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा लिखित एवं साक्षात्कार में प्राप्त किए गए आधार पर अंतिम योग्यता निर्धारित किया जाता था।

1988 में सतीश चंद्र की अध्यक्षता में एक अन्य समिति नियुक्त की गई जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में कुछ विषयों को सम्मिलित करने की सिफारिश की। मुख्य परीक्षा में निबंध का प्रश्न पत्र सम्मिलित करने की अनुशंसा की गई और व्यक्तित्व परीक्षा के अंक 250 से बढ़ाकर 300 कर दिए गए और यह प्रावधान 1993 की परीक्षाओं से प्रारंभ कर दिया गया। सिविल सेवा परीक्षा की समीक्षा हेतु संघ लोक सेवा आयोग ने 19 जुलाई 2000 को एक समिति योगेंद्र कुमार अलघ के नेतृत्व में गठित की जिसने अपनी रिपोर्ट 22 अक्टूबर 2000 को आयोग के अध्यक्ष को सौंपी थी। समिति के अनुसार अभ्यर्थियों की योग्यता, ज्ञान, कौशल, समाज और मूल्यों को

बढ़ावा देने के लिए सही पद्धति लागू की करने की सलाह दी गई। 2004 में पी. सी. होता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जिसने सिविल सेवाओं में सुधार की अनुशंसा की।

सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभिक प्रणालियों पाठ्यक्रम का नया स्वरूप 18 अक्टूबर 2010 को भारत सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की सलाह पर जारी किया गया था, जिसके अनुसार वर्ष 2011 से केवल प्रारंभिक परीक्षा के स्तर में बदलाव किया गया। मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के अवसर पर नया विस्तृत बदलाव 2013 में लागू किया गया था। द्वितीय प्रशासनिक आयोग द्वारा भी भर्ती की प्रणाली की समीक्षा की गई थी। नवीन परीक्षा की रूपरेखा के अनुसार प्रधान परीक्षा के चयन हेतु सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाती है जो वस्तुपरक होती है। अब इस परीक्षा में दो अनिवार्य पत्र होते हैं जिसमें एक प्रश्न पत्र 200 अंकों का होता है और दोनों प्रश्न पत्रों का सारांश एक समान होता है। यह बदलाव 15 मई 2011 को आयोजित परीक्षा से लागू किया गया था किंतु 2015 से इन प्रश्न पत्रों के प्रणाली में बदलाव किया गया। प्रधान परीक्षा हेतु अभ्यर्थी एक वैकल्पिक विषय का चयन कर सकता है। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किए जाते हैं और उत्तर दोनों में से किसी एक भाषा में लिखा जा सकता है। मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार एक बोर्ड द्वारा किया जाता है जो न केवल बौद्धिक गुणों को अपितु उसके सामाजिक लक्षणों और सामाजिक घटनाओं में उसकी रुचि का भी मूल्यांकन करता है। इसमें उम्मीदवार की मानसिक सतर्कता, आलोचनात्मक ग्रहण शक्ति, स्पष्ट और तर्कसंगत प्रतिपादन की शक्ति, संतुलित निर्णय की शक्ति, चिंतन की विविधता और नेतृत्व और सामाजिक संगठन की योग्यता, बौद्धिक और नैतिक ईमानदारी की भी जांच करती है। अंतिम परीक्षा परिणाम लिखित और मौखिक परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर घोषित किया जाता है। पदों की विवरण नियुक्ति और अंतिम पदस्थापन हेतु अंतिम सूची केंद्रीय गृह मंत्रालय को प्रेषित की जाती है।

निम्न स्तरीय केंद्रीय सेवाओं तथा तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के चयन का कार्यभार कर्मचारी चयन आयोग को सौंपा गया है जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा इनका चयन करता है। राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है, जो उच्च स्तरीय राज्य सेवाओं की भर्ती हेतु संघ लोक सेवा आयोग की चयन विधि का अनुसरण करते हैं। राज्य की निम्न स्तरीय सेवाओं के लिए बहुत से राज्यों में राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड या क्षेत्रीय चयन बोर्ड या अधीनस्थ चयन बोर्ड का गठन किया गया है। भारत में रेलवे लेखा और अंकेक्षण विभाग, औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा सार्वजनिक संस्थाओं की अपनी अलग अलग भर्ती की व्यवस्था है। यह सब संघ लोक सेवा आयोग के अंतर्गत केंद्रीय भर्ती योजना से बाहर रखे गए हैं।

भारत में प्रचलित भर्ती पद्धति का गहन विश्लेषण करने के पश्चात कुछ खामियां नजर आती हैं। इस प्रणाली में कल्पनाशीलता का अभाव प्रतिबिंबित होता है। एपेलबी के शब्दों में, ऐसा लगता है कि रिक्त पदों के विज्ञापन वकीलों ने लिखे हैं। भर्ती पद्धति पुरानी घिसी-पिटी पद्धति तथा रटंत विधा पर आधारित है तथा इसमें मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का अभाव है। गोरेवाला ने साक्षात्कार के स्थान पर मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की वकालत की। साक्षात्कार पद्धति की भी आलोचना की जाती रही है, यह दोषपूर्ण प्रतीत होती है।

14.10 आरक्षण

भारत में कुछ विशेष समुदाय के लोग विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, निम्न स्तरीय जातीय, विभिन्न उप-जातियों सदियों से विविध सुविधाओं से दूर-दूर थी। शताब्दियों का बहिष्कार, गरीबी उत्पीड़न, दमन और सभी प्रकार का शोषण इन समुदायों पर इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इतिहास ने इन्हें स्थाई असुविधा के गर्त में धकेल दिया था तथा आर्थिक शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी परिस्थिति में ही इन्हें रखा था। इसलिए उन लोगों के प्रति विशेष व्यवहार अतीत के पक्षपात के आधार पर और भविष्य में उन्नति के लिए न्याय संगत माना गया और इस प्रकार के विशेष व्यवहार से आशा की जाती है कि अवरुद्ध समानता और अतीत के दमन के प्रभावों

को न्यूनतम कर देगा। सरकारी सेवाओं व संस्थानों में पर्याप्त भागीदारी नहीं रखने वाले पिछड़े जाति, समुदायों तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों को सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने हेतु सरकार अपने कानून के तहत सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में आरक्षण देती है। भारत के संसद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के लिए भी आरक्षण नीति को विस्तारित किया गया है। आम आबादी में उनकी संख्या के अनुपात के आधार पर उनके बहुत ही कम प्रतिनिधित्व को देखते हुए शैक्षणिक परिसरों और कार्यस्थलों में सामाजिक विविधता को बढ़ाने के लिए कुछ समूहों के लिए प्रवेश मानदंड को नीचे किया गया है। कम प्रतिनिधित्व समूहों की पहचान के लिए सबसे पुराना मानदंड जाति है।

भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के संविधान ने पहले के कुछ समूहों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया। संविधान निर्माताओं का मानना था कि जाति व्यवस्था के कारण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ऐतिहासिक रूप से पिछड़े रहे और उन्हें भारतीय समाज में सम्मान तथा समान अवसर नहीं दिया गया और इसीलिए राष्ट्र-निर्माण की गतिविधियों में उनकी हिस्सेदारी कम रही। संविधान निर्माताओं ने बड़ी ही सूझबूझ एवं अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए संविधान की प्रस्तावना में ही सभी नागरिकों को सामान आधिकार देने की बात कही है, चाहे वह सामाजिक आधार हो, राजनीतिक आधार हो या फिर आर्थिक आधार। इसके आधार पर संविधान के सोलहवें अध्याय के अनुच्छेद 330 से 335 के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद-335 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। राजनीति और प्रशासन में आरक्षण का प्रावधान किया गया ताकि इन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में पुनः जोड़ सके। जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान देश की सांस्कृतिक सहिष्णुता और सभी वर्गों के नागरिकों को सामान रूप से प्रशासन और सत्ता में भागीदारी के अवसर प्रदान करने की राष्ट्रीय नीति का परिचायक है।

14.11 संवैधानिक सुरक्षा

संविधान सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर प्रदान करता है। साथ ही संविधान का अनुच्छेद-16 (4) यह प्रावधान करता है कि किसी भी पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए सरकार नौकरियों में स्थान या पद आरक्षित कर सकती है। इसके साथ ही संविधान का अनुच्छेद- 355 सरकार को यह अधिकार देता है कि समाज के पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों को विशेष सुविधा प्रदान कर सकती है। हालांकि संविधान में पिछड़े वर्ग की परिभाषा नहीं दी गई है, संविधान में पिछड़े समुदायों के लिए नौकरी में आरक्षण की कोई निश्चित सीमा नहीं है। लोक सेवाओं से आरंभ होकर विधायक प्रतिनिधि संस्थाओं में सैनिक संस्था में प्रवेश हेतु प्राथमिकता से पेशेवर के आर्थिक उन्नति के लिए प्रेरणा स्रोत विभिन्न सुधारक कार्यवाही में सही में स्थान का आरक्षण उपलब्ध है। इस प्रकार आरक्षण तीन क्षेत्रों में होता है- विधायी, शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी सेवा में। प्रथम क्षेत्र में आरक्षण का प्रावधान संविधान में स्वयं किया गया है, जबकि द्वितीय संसद द्वारा बनाए गए हैं और तृतीय आरक्षण नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की प्रतिष्ठा से संबंधी कार्यवाही संस्था द्वारा प्रदान किया गया। आरंभ में आरक्षण और विशेष सुविधाएं केवल 10 वर्षों के लिए प्रदान की गई थी जिसे क्रम से बढ़ाया जा रहा है।

संविधान के भाग तीन में समानता के अधिकार की भावना निहित है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद- 15 में प्रावधान है कि किसी व्यक्ति के साथ जाति, प्रजाति, लिंग, धर्म या जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद- 15(4) के मुताबिक यदि राज्य को लगता है तो वह सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद- 16 में अवसरों की समानता की बात कही गई है। अनुच्छेद- 16(4) के मुताबिक यदि राज्य को लगता है कि सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों को

पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह उनके लिए पदों को आरक्षित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार अधिकतम आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत है लेकिन कुछ राज्यों में यह सीमा 50 प्रतिशत से ज्यादा है। आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों को भारत सरकार के नौकरी एवं शिक्षण संस्थाओं में 49.5 प्रतिशत तक का आरक्षण प्राप्त है। वर्तमान में केंद्र सरकार का आरक्षण प्रणाली इस प्रकार है - अनुसूचित जाति- 22.5 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति- 15 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग- 27 प्रतिशत। राज्यों में प्रतिनिधित्व अनुपात अलग-अलग हैं, इनके निर्धारण का आधार संबंधित राज्य की जनसंख्या है।

14.12 लोक सेवाओं में पदों का आरक्षण

भारत में जाति और समुदाय के आधार पर सरकारी नौकरियों में आरक्षण काफी समय से प्रचलित प्रणाली है। विशेष रूप से गैर ब्राह्मण समुदाय और जातियों के द्वारा सभी सरकारी सेवा में सभी जातियों की पर्याप्त एवं उचित प्रतिनिधित्व के लिए कई बार आंदोलन और प्रदर्शन भी किए गए हैं। 1919 में मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार में गैर-ब्राह्मण वर्ग के लोगों के लिए सरकारी सेवाओं में कुछ निश्चित और विशेष प्रतिनिधित्व प्रदान किया था। लोक सेवाओं में असंतुलित प्रतिनिधित्व को हटाने की मांग को लेकर यह असुविधा प्राप्त वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास था। 1925 में भारत सरकार ने सरकारी सेवाओं में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कुछ प्रतिशत पद आरक्षित करने का कार्य आरंभ किया था। 1934 में यह आदेश भी जारी किया गया था कि सभी रिक्त पदों में 25 प्रतिशत स्थान मुसलमानों के लिए आरक्षित होगा, जिन्हें प्रत्यक्ष नियोजन कैसे भरा जाएगा तथा 8.5 प्रतिशत स्थान अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लिए आरक्षित होगा। 1943 में सरकार ने रिक्त पदों में से 8.5 प्रतिशत पद अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कर दिया तथा 1946 में इसे 12.5 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया, किंतु अनुसूचित जनजातियों को ब्रिटिश सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई प्रश्न ही आरक्षण नहीं दिया गया और जनजातियों को नौकरी में आरक्षण को आरक्षण की मांग को स्वतंत्रता के पश्चात सरकार द्वारा स्वीकार किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत इन तथ्यों को समाहित किया तथा संपूर्ण आरक्षण नीति का पुनरावलोकन भी किया। अनुसूचित जाति के समुदाय के छोड़कर शेष अन्य वर्गों के लिए खुली प्रतियोगिताओं में आरक्षण व्यवस्था समाप्त कर दी गई। अनंतर 1951 में संविधान संशोधन कर अनुच्छेद- 15(4) में यह प्रावधान किया गया कि जिन सरकारी सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व इन वर्गों का नहीं है, ऐसे सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के विकास के लिए विशेष प्रबंध किया जाए। भारत सरकार की तरह राज्य सरकारों ने भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया है। आरक्षण नीति को लागू करने के लिए नियम और विनियम बनाए गए हैं और अनुसूचित जातियों के लिए 12.25 प्रतिशत स्थान आरक्षित थी जिसे 1970 में बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया। वर्तमान समय में 15 प्रतिशत नौकरियां अनुसूचित जाति एवं 7.5 प्रतिशत नौकरी अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किया गया। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए 10 वर्षों के लिए आरक्षण दिया गया था जिसे लगातार बढ़ाया जा रहा है। 1953 में गठित काका कालेलकर आयोग का मुख्य काम सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की स्थिति का मूल्यांकन था। पिछड़ी जाति शब्द का जन्म भी इसी कमेटी से हुआ था, परंतु पिछड़ी जाति से संबंधित सिफारिशों को सरकार ने अस्वीकार किया था। लेकिन अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति से संबंधित सभी सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार किया। अनंतर 1979 में सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की स्थिति के मूल्यांकन करने के लिए मंडल आयोग का गठन हुआ था, परंतु काफी लंबे समय तक इसकी सिफारिशें ठंडे बस्ते में पड़ी रहीं। 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों को तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सरकारी नौकरियों में लागू किया था। वर्ष 2006 से केंद्रीय सरकार के शैक्षिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण शुरू हुआ और कुल आरक्षण 49.5 प्रतिशत तक चला गया। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ कहा गया था कि

आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। भारत के कुछ राज्यों को छोड़कर (जैसे- तमिलनाडु) बाकी सभी राज्यों में 50 सीमा लागू है।

भारत में आरक्षण की शुरुआत सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को समृद्ध बनाने के लिए हुई थी लेकिन समय के साथ आरक्षण वोट बैंक की राजनीति का शिकार बनती चली गई। वर्तमान समय में हर राजनीतिक दल सत्ता प्राप्ति के लिए आरक्षण शब्द का उपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण आरक्षण का मूल उद्देश्य समाप्त होता जा रहा है।

अभ्यास प्रश्न-

1. भर्ती की ठोस नीति की आवश्यकता को सर्वप्रथम किस देश ने अनुभव किया था?
2. आधुनिक समय में कौन सा सबसे पहला देश है जिसने भर्ती प्रणाली का विकास किया?
3. भारत में योग्यता का सिद्धांत कब प्रारंभ हुआ?
4. इनामी पद्धति किस देश में प्रचलित थी?
5. काका कालेलकर आयोग कब गठित किया गया था?

14.13 सारांश

वर्तमान में लोक सेवकों की भर्ती एवं चयन कार्मिक प्रबंधन का एक अभिन्न अंग है। सरकार के कार्यों के विस्तार के साथ ही प्रशासन जटिल और तकनीकी बन गया है, जिसके लिए विशेष ज्ञान और कार्यकुशलता की आवश्यकता है। स्वतंत्रता के पश्चात नवीनतम उभरती हुई स्थिति के अनुरूप लोक सेवकों की भर्ती प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी होनी चाहिए। प्रशासकीय संरचना में भर्ती की प्रक्रिया संपूर्ण प्रशासन तंत्र की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। लोक प्रशासन में भर्ती देश की संवैधानिक आवश्यकता और राजनीतिक दृष्टिकोण के अनुकूल होना आवश्यक है जबकि निजी प्रशासन के समक्ष ऐसी कोई सीमा नहीं होती। संगठन को ऐसे योग्यता प्राप्त कर्मचारियों को पर्याप्त संख्या में आपूर्ति की व्यवस्था करना आवश्यक होता है जो उसके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक विभिन्न कार्य संपादित कर सकें। कर्मचारियों की इस आपूर्ति के कार्य को भारतीय चयन द्वारा संपन्न किया जाता है। कार्मिक प्रशासन में भर्ती पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। यदि भर्ती पद्धति दोषपूर्ण है तो अयोग्य और असक्षम एवं अयोग्य लोग लोक सेवाओं में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे प्रशासन का पतन हो जाता है।

14.14 शब्दावली

मानदंड- नियम या आधार, अर्हता- योग्यता, वरिष्ठता- सेवा प्रारंभ करने की तिथि से लेकर गणना की गयी सेवा की अवधि, विचारधारा- विचारों का समूह जो निहित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आधार होता है, मंत्रालय- सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों के लिए कार्यकारी एवं उत्तरदायी संस्था, विभाग- नीतियों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु मंत्रालय का एक भाग, आंदोलन- असंतोष की अभिव्यक्ति का माध्यम, उपबंध- प्रावधान

14.15 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. चीन, 2. प्रशा, 3. 1853 से, 4. अमेरिका में, 5. 1953 में

14.16 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची प्रतिशत

1. भट्टाचार्य, मोहित, 2012, लोक प्रशासन, वर्ल्ड प्रेस, कोलकाता।
2. शर्मा, एम. पी., 2005, लोक प्रशासन, किताब महल, इलाहाबाद।
3. अवस्थी और माहेश्वरी, 2010, लोक प्रशासन, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा।

-
4. निग्रो, फेलिक्स ए., 1963, पब्लिक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, हाल्ट, न्यूयॉर्क।
-

14.17 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. डे, बाटा के., 1978, भारत में नौकरशाही का विकास और लोक प्रबंध, उप्पल पब्लिशिंग हाउस, नयी दिल्ली।
 2. सरन, पी., 2005, आधुनिक लोक प्रशासन, मीनाक्षी प्रकाशन, नयी दिल्ली।
 3. अवस्थी एवं अवस्थी, 2017, भारत में लोक प्रशासन, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा।
-

14.18 निबन्धात्मक प्रश्न

1. भर्ती के अर्थ एवं महत्व का वर्णन कीजिए।
2. भर्ती के उद्देश्य एवं इसके प्रकार का मूल्यांकन कीजिए।
3. भर्ती की अर्हता पद्धतियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
4. अर्हता निर्धारण की विधियों का मूल्यांकन कीजिए।
5. श्रेष्ठ भर्ती नीति की आवश्यक शर्तें क्या हैं? विश्लेषण कीजिए।
6. भारत में भर्ती की पद्धति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
7. आरक्षण क्या है? लोक सेवाओं में पदों के आरक्षण का मूल्यांकन कीजिए।

इकाई- 15 पदोन्नति

इकाई की संरचना

- 15.0 प्रस्तावना
- 15.1 उद्देश्य
- 15.2 पदोन्नति का अर्थ
- 15.3 पदोन्नति का महत्व
- 15.4 पदोन्नति के प्रकार
- 15.5 पदोन्नति के सिद्धांत
- 15.6 पदोन्नति के लिए अर्हता- जांच पद्धतियाँ
- 15.7 श्रेष्ठ पदोन्नति नीति की आवश्यक शर्तें
- 15.8 भारत में पदोन्नति पद्धति
- 15.9 सारांश
- 15.10 शब्दावली
- 15.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 15.12 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 15.13 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 15.14 निबंधात्मक प्रश्न

15.0 प्रस्तावना

पदोन्नति आधुनिक कार्मिक प्रशासन का महत्वपूर्ण आयाम है। लोक सेवकों को कार्यकुशल एवं दक्ष बनाये रखने की सबसे बड़ी प्रेरणा उनकी पदोन्नति में निहित है। पदोन्नति का सम्बन्ध केवल उन्हीं कार्मिकों से होता है जो कि पहले से संगठन में किसी पद पर होते हैं। इसीलिए पदोन्नति के लिए 'भीतर या अन्दर से भर्ती' शब्द का भी प्रयोग किया जाता रहा है। लोक सेवक और कार्मिक प्रशासन पदोन्नति व्यवस्था के दो पक्ष होते हैं। पदोन्नति के फलस्वरूप लोक सेवा के कार्य और दायित्व बढ़ते हैं तथा कार्मिक प्रशासन को उपयुक्त पद हेतु उपयुक्त कार्मिक मिल जाता है। विलोबी ने पदोन्नति को कार्मिक प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य बताया है। इसका कारण यह है कि पदोन्नति कार्य के सफल और संतोषजनक क्रियान्वयन के द्वारा ही संपूर्ण कार्मिक व्यवस्था की सफलता निर्धारित की जाती है। किसी भी संगठन में कार्यरत कार्मिकों की कार्यकुशलता उनकी संतुष्टि तथा मनोबल के स्तर से भी प्रभावित होती है। पदोन्नति पद, स्तर, सम्मान में वृद्धि करने तथा योग्यता के आधार पर आगे बढ़ने से सम्बद्ध है। यह सरकारी कर्मचारी को श्रम एवं निष्ठा से कार्य करने के लिए एक पुरस्कार के रूप में दी जाती है। कार्य कुशल, सुयोग्य और संतुष्ट सिविल सेवा अधिकारी की प्राप्ति तथा कर्मचारियों के जीवन में प्रगति और विकास करने की स्वभाविक मानवीय अभिलाषा को पदोन्नति पूर्ण करती है। वहीं दूसरी ओर सरकार के लिए पदोन्नति अप्रत्यक्ष भर्ती की एक पद्धति है जिसके माध्यम से सेवारत लोगों में से योग्य और प्रतिभाशाली लोगों के चयन के द्वारा उच्च स्तरीय रिक्त पदों को भरा जाता है।

इस इकाई के माध्यम से पाठकों को पदोन्नति के महत्व, आवश्यकता, प्रकार और विभिन्न तकनीकों से परिचय कराना है। साथ ही पदोन्नति सिद्धांत जैसे अर्हता का सिद्धांत बनाम वरिष्ठता सिद्धांत, पदोन्नति के प्रकार एवं विधियों, अतीत में अपनाई गई तथा वर्तमान में प्रचलित पदोन्नति पद्धति की व्याख्या भी करेंगे। साथ ही इसमें

लोक सेवकों के पदोन्नति की अवधारणा, पदोन्नति की भारतीय प्रणाली का मूल्यांकन आदि विषयों पर भी चर्चा होगी।

15.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप-

- पदोन्नति के अर्थ, महत्व एवं उद्देश्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- साथ ही पदोन्नति के प्रकार तथा प्रशिक्षण की पद्धतियाँ एवं तकनीक के बारे में जान सकेंगे।
- भारत में पदोन्नति की प्रणाली को समझने में सक्षम हो पाएंगे तथा
- पदोन्नति की भारतीय प्रणाली का मूल्यांकन कर पाएंगे।

15.2 पदोन्नति का अर्थ

लोक सेवकों को कार्यकुशल एवं दक्ष बनाये रखने की सबसे बड़ी प्रेरणा उनकी पदोन्नति है। पदोन्नति का सम्बन्ध केवल उन्हीं कार्मिकों से होता है जो कि पहले से संगठन में किसी पद पर होते हैं। पदोन्नति के लिए 'भीतर या अन्दर से भर्ती' का भी प्रयोग किया जाता रहा है। पदोन्नति का अर्थ है- दायित्वों एवं वेतनमान में वृद्धि होना। पदोन्नति का सम्बन्ध प्रत्येक वर्ष होने वाला वार्षिक वेतन वृद्धि से नहीं है वरन् इसका अर्थ कर्मचारी की पद सम्बन्धी प्रस्थिति में वृद्धि से भी है।

पदोन्नति शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द प्रमोट (promote) का पर्यायवाची है, जबकि आंग्ल भाषा शब्द प्रमोट लैटिन भाषा के शब्द प्रिमोवीर (promovere) शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है- आगे बढ़ाना। वस्तुतः पदोन्नति से अर्थ पद और स्तर में वृद्धि से है। पदोन्नति को विभिन्न विद्वानों ने निम्न शब्दों में परिभाषित किया है- विलियम जी. टॉरपे के अनुसार, "पदोन्नति पदाधिकारी के एक पद से दूसरे पद पर पहुँचने की ओर संकेत करती है जो उच्चतर श्रेणी या उच्चतर न्यूनतम वेतन वाला होता है। पदोन्नति का अर्थ कर्मचारी के कर्तव्यों व उत्तरदायित्वों में वृद्धि करना है।"

विलोबी के शब्दों में, "वेतन वृद्धि का अर्थ केवल यह है कि कर्मचारी के वर्तमान पद अथवा उसके कार्य की प्रकृति में कोई परिवर्तन किये बिना उसके वेतन में वृद्धि कर दी गयी है। पदोन्नति का अर्थ है कि कर्मचारी को निम्न स्तर के पद से उच्च स्तर के पद पर नियुक्त कर दिया गया है।"

एल. डी. ह्वाइट के शब्दों में, "पदोन्नति का अर्थ है- किसी एक पद से दूसरे पद पर नियुक्ति ऐसा पद जो कि उच्चतर श्रेणी का है तथा जिसमें जटिलतर प्रकृति एवं अधिक बड़े उत्तरदायित्व का कार्य करना पड़ता है। इसमें पदनाम परिवर्तन व वेतन वृद्धि शामिल हैं।"

पॉल पिगर्स एवं चार्ल्स ए. मेयर्स के अनुसार, "पदोन्नति से आशय किसी कर्मचारी को एक निपुणताओं तथा विशेष रूप से बढ़ी हुई आय अथवा वेतन दर से प्रदान करना है।"

फिलिप्पो के अनुसार, "पदोन्नति किसी में एक कार्य से दूसरे कार्य पर परिवर्तन शामिल है जो ऐसे बेहतर स्तर एवं उत्तरदायित्व प्रदान करता है।"

स्कॉट एवं स्पीगल के अनुसार, "पदोन्नति किसी कर्मचारी का ऐसे कार्य पर स्थानांतरण है जो पहले से अधिक धन अथवा ऊंचा स्तर प्रदान करता है।"

उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि पदोन्नति में निम्नलिखित तीन तत्त्व सम्मिलित हैं- बेहतर कार्य एवं स्तर, अधिक उत्तरदायित्व तथा अधिक वेतन। स्पष्ट होता है कि पदोन्नति द्वारा विभाग के अन्दर ही एक उच्चतर पद पर पदस्थापना होती है। पदोन्नति उच्च प्रतिष्ठा, बेहतर हैसियत तथा अधिक जिम्मेदारी बढ़ाने हेतु एक संगठित

गतिविधि है। यह कर्मचारी को उच्च पद की जिम्मेदारी सौंपे जाने की प्रक्रिया है। उच्च पद रिक्त होने पर विभाग के निम्न स्तरीय कर्मचारियों में से उसकी पूर्ति की जाती है। इस उच्च पदस्थिति में उत्तरदायित्वों व कार्यों में वृद्धि हो जाती है तथा उसके अनुसार ही वेतन वृद्धि भी होती है। शासन के लिए पदोन्नति प्रत्यक्ष पद्धति है, अर्थात् पूर्व से सेवारत लोगों में से योग्य एवं प्रतिभावान लोगों के चयन द्वारा उच्च स्तरीय रिक्त पदों को भरना है। वही सरकारी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति निम्न स्तरीय पद, वर्ग या सेवा से उच्च कार्य, अधिकार एवं उत्तरदायित्व सहित उच्च स्तरीय पद वर्ग या सेवा में एक तरक्की है। इसका अर्थ कर्मचारियों के लिए पद, प्रतिष्ठा तथा वेतन में वृद्धि से भी है। समान पद या उत्तरदायित्व वाली सेवा में एक पद से दूसरे पद पर स्थानांतरण को पदोन्नति नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार वेतन में वार्षिक वृद्धि भी पदोन्नति नहीं है। पदोन्नति का अर्थ पद और वेतनमान दोनों में परिवर्तन से है।

अतः पदोन्नति एक कर्मचारी की उच्च स्तर पर प्रगति है जहाँ पर उसके कौशल ज्ञान एवं सेवाओं का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा। किन्तु सभी पदोन्नतियों में से सभी गुण नहीं पाए जाते। कई बार पदोन्नति में उच्च प्रतिष्ठा, बेहतर हैसियत व अधिक जिम्मेदारी तो मिलती है पर वेतन में वृद्धि नहीं। ऐसी पदोन्नति को 'शुष्क पदोन्नति' कहा जाता है। इसी प्रकार, कभी-कभी कर्मचारी की वेतन वृद्धि तो कर दी जाती है परन्तु उच्च पद, बेहतर प्रतिष्ठा व जिम्मेदारी नहीं मिलती, इसे उच्चीकरण कहा जाता है। अतः पदोन्नति कर्मचारी की कार्यकुशलता एवं संगठन के प्रति वफादारी का पुरस्कार है। यह कर्मचारी की ऐसे पद पर प्रगति है जहाँ पर उसके ज्ञान कौशल एवं सेवाओं का बेहतर प्रयोग हो सकेगा।

पदोन्नति की विभिन्न परिभाषाओं के विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट है कि इसके निम्नलिखित महत्व पूर्ण तत्त्व हैं-

- प्रगति- पदोन्नति में संगठनात्मक ढांचे को उच्च स्तर के पद पर पहुँचना शामिल है। यह एक कर्मचारी के निम्न स्तर के पद से उच्च स्तर के पद पर पहुँचने की प्रक्रिया है। इससे कर्मचारी के स्तर में वृद्धि होती है।
- अधिक वेतन- प्रमोशन का एक अन्य महत्व पूर्ण तत्त्व, कर्मचारी को अधिक आय अथवा वेतन में लाभ है। परन्तु कभी-कभी कर्मचारी को उच्च पद एवं जिम्मेदारी तो सौंप दी जाती है पर वेतन वृद्धि नहीं की जाती है। इससे 'शुष्क पदोन्नति' कहा जायेगा। इसी प्रकार अपग्रेडेशन में कर्मचारी के वेतन में वृद्धि कर दी जाती है, परन्तु उसे उच्च पद एवं जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाती।
- बेहतर जिम्मेदारी, प्रतिष्ठा एवं पद- पदोन्नति से कर्मचारी की जिम्मेदारी, प्रतिष्ठा एवं पद में वृद्धि होती है। यह एक ऐसा पद है जिसके साथ बेहतर प्रतिष्ठा एवं उच्च जिम्मेदारी जुड़े होते हैं।
- पदोन्नति के अन्य तत्त्वों में बेहतर सुविधाएँ, अच्छी कार्य दशाएँ, उच्च पद की चुनौतियाँ, कौशल, ज्ञान व गुणों के बेहतर उपयोग के अवसर एवं कर्मचारी का विकास शामिल है।

राज्य के कार्यों में अत्यधिक विस्तार होने के कारण लोक सेवकों की महत्ता विगत कुछ वर्षों से काफी बढ़ गई है। वर्तमान युग में प्रशासन का कार्य अधिक जटिल और दुरूह हो गया है और इसके कुशल निष्पादन हेतु विशेष ज्ञान और तकनीकी कुशलता की आवश्यकता होती है। बदलते परिदृश्य में नए मापदंडों पर खरे उतरने के लिए पदोन्नति अत्यावश्यक है। आज पदोन्नति कार्मिक प्रबंधन का एक अभिन्न अंग है। पदोन्नति की विशेषताएँ या लक्षण निम्नलिखित हैं-

- पदोन्नति में पद का नाम परिवर्तित हो जाता है। पदोन्नति से प्राप्त पद अधिक श्रेष्ठ, सम्मानजनक और चुनौतीपूर्ण होता है।
- यह निम्न पद से उच्च पद पर पहुँचने की प्रक्रिया है।

- पदोन्नति से कार्मिक का वेतन भी बढ़ जाता है। यह मात्र वेतन वृद्धि नहीं है अपितु इसका पहला तत्व ऊंचे पद की प्राप्ति है और वेतनवृद्धि इसका परिणाम है।
- पदोन्नति प्रतिष्ठा तथा सम्मान का सूचक है। पदोन्नति में कार्मिक के दायित्व उच्च तथा अधिक हो जाते हैं।
- यह संगठन की आंतरिक प्रक्रिया है। अर्थात् संगठन में पहले से कार्यरत कार्मिकों में से ही पदोन्नति होती है।
- पदोन्नति का निर्णय स्वयं कार्मिक नहीं करता अपितु उच्चाधिकारी करते हैं, लेकिन पदोन्नति लेने या अस्वीकार करने का अधिकार संबंधित कार्मिक का होता है।

15.3 पदोन्नति का महत्व

पदोन्नति जीवन-वृत्ति सेवा का एक अनिवार्य अंग है। कार्मिक प्रशासन में सर्वोत्तम लोगों को भर्ती करना प्रथम एवं प्रमुख सोपान है। इसके साथ ही प्रतिभाशाली लोगों को सेवा में बनाए रखना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। पदोन्नति के अवसर से ही उत्तम योग्य एवं कार्य कुछ लोगों को सिविल सेवा में बनाए रखना संभव है। लोक सेवा के लिए चुने गए कर्मचारी एक लंबे समय तक सेवा में उन्नति एवं विकास करते हैं। पदोन्नति की विशेष योजना श्रेष्ठ एवं प्रतिभाशाली लोगों को इस सेवा में आने के लिए आकर्षित करती है। कार्यकुशलता, कठिन श्रम एवं निष्ठावान तथा परिश्रम से कार्य करने के लिए पदोन्नति एक संभावित पुरस्कार है। प्रत्येक मनुष्य जीवन में प्रगति और विकास चाहता है और दूसरों में अपनी पहचान बनाना चाहता है। विकास और पहचान की आधारभूत इच्छाओं की पूर्ति पदोन्नति के साधन द्वारा की जा सकती है। पदोन्नति की एक अच्छी पद्धति कर्मचारियों में अपनी सेवा के प्रति लगाव की भावना को बढ़ाती है तथा संगठन के नीतियों और कार्यक्रमों में निरंतरता बनाए रखने में योगदान देती है। सिविल सेवा में अच्छी प्रथा एवं परंपरा का निर्माण करने के लिए पदोन्नति अवसर भी प्रदान करती है। सरकारी सेवा के रिक्त पदों को बाह्य अभ्यर्थियों की प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा तथा पहले से सेवारत कर्मचारियों को पदोन्नत कर भरा जाता है। भर्ती की प्रत्यक्ष विधि को पदोन्नति पद्धति कहा जाता है। विश्व के लगभग सभी देशों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों विधियों को स्वीकार किया गया है।

पदोन्नति प्रक्रिया की उपयोगिता निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण है। पदोन्नति के कारण एक तरफ संगठन की जीवन्तता बनी रहती है तो दूसरी ओर कर्मचारियों की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति भी होती है। सरकारी सेवा के कर्मचारियों के निष्ठा पूर्वक कार्य करने के लिए पदोन्नति एक पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाती है। पदोन्नति के अभाव में कर्मचारी लाभ एवं अभिप्रेरण से वंचित हो जाता है। पदोन्नति प्रतिभाशाली युवाओं को सरकारी सेवा में अभिप्रेरित करने का एक सशक्त माध्यम है। कुशल, सुयोग्य और संतुष्ट सिविल सेवा कर्मचारियों की प्राप्ति हेतु पदोन्नति एक आवश्यक तथ्य है। जीवन में प्रगति एवं विकास की स्वभाविक मानसिक लालसा पदोन्नति से ही पूर्ण होती है तथा पदोन्नति सरकारी कर्मचारियों की नैतिकता को भी प्रोत्साहित करती है। पदोन्नति के महत्व निम्न हैं-

1. सिविल सेवा में अच्छी प्रथा और परंपरा का निर्माण करने के लिए तथा सरकार की इस सद्भावना से जुड़ने में पदोन्नति पद्धति सहायक होती है।
2. यह अनुभवी कर्मचारियों को संगठन में बनाए रखती है।
3. सेवा में कर्मचारियों की निरंतरता, उनको उच्च से उच्चतर स्तर के उत्तरदायित्व निभाने की योग्य बनाती है तथा कार्यों द्वारा प्राप्त किए गए अनुभव और क्षमता का सदुपयोग पदोन्नति देने के लिए किया जाता है।
4. उच्च स्तरीय सरकारी सेवा में पदोन्नति के पर्याप्त अवसर प्रशासन की कार्य कुशलता में वृद्धि करते हैं।

5. पदोन्नति कर्मचारियों की बढ़ती हुई दैनिक भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने का अवसर प्रदान करती है और कर्मचारी इसके बदले सेवा में अपना सर्वोत्तम योगदान देता है।
6. पदोन्नति प्रत्येक कर्मचारी के लिए व्यापक प्रेरणा का स्रोत है। यह कर्मचारियों के लिए एक ऐसा वह आकर्षण है जो उस में आंतरिक उर्जा का संचार करता है। यह कार्मिकों को श्रेष्ठ कार्य करने को प्रोत्साहित करती है।
7. यह सेवाओं में कदाचार और भ्रष्टाचार को भी कम करने में सहायक होता है। ईमानदारी, निपुणता और निष्ठा का विस्तार भी पदोन्नति करती है।
8. इस व्यवस्था से कार्मिक-विकास को दिशा मिलती है। पदोन्नति की शृंखला उपलब्ध होने पर निम्न पदों पर भी योग्य कार्मिक आना पसन्द करते हैं। पदोन्नति के कारण कर्मचारी तथा संगठन में अपनत्व का रिश्ता कायम होता है।

पदोन्नति के कारण संगठन की प्रतिष्ठा तथा कार्यकुशलता बढ़ती है, क्योंकि जिन संगठनों में पदोन्नति के कम अवसर होते हैं, उनको योग्य एवं श्रेष्ठ कर्मचारी शीघ्र ही छोड़ देते हैं। वृत्तिका विकास एवं मनोबल वृद्धि में पदोन्नति का महत्व स्वयंसिद्ध है। पदोन्नति प्रक्रिया से कार्मिक एवं संगठन दोनों के लिए संगठन की जीवंतता बनी रहती है तो दूसरी ओर कर्मचारियों की महत्वकांक्षाओं की पूर्ति भी होती है। पदोन्नति प्रणाली योग्य व्यक्तियों को सार्वजनिक सेवा की ओर आकर्षित करने तथा सेवा छोड़कर जाने से रोकने के लिए आवश्यक है। पदोन्नति से समस्त प्रशासन प्रत्येक स्तर पर लाभान्वित होता है। इससे कार्मिकों में संतोष बने रहने तथा सेवा ना छोड़ने की सोच बनी रहती है। साथ ही यह संगठन के कार्यों का उत्तरदायित्व पूर्ण तरीके और कुशलता से निर्वहन करता है। पदोन्नति प्रणाली कर्मचारियों के काम के प्रति उनकी रुचि बनाए रखती है तथा अच्छा काम करने के लिए उन्हें प्रेरित भी करती रहती है। ए. डब्ल्यू. प्रॉक्टर के अनुसार पदोन्नति की कर्मचारियों के लिए पुरस्कार अथवा संभावित पुरस्कार के रूप में सीधी सार्थकता है। वास्तविक पदोन्नति एक पुरस्कार है, जबकि पदोन्नति का विषय एक संभावित पुरस्कार है जो भविष्य की वस्तु है, लेकिन वह अत्यंत महत्व का है। पदोन्नति कार्मिक प्रशासन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, जिस पर प्रशासनिक कार्यकुशलता बहुत हद तक निर्भर करती है।

उच्च स्तरीय सरकारी सेवाओं में यदि पदोन्नति के पर्याप्त अवसर होंगे, तभी निम्न स्तरीय सेवाओं में भी प्रतिभाशाली लोग आने को तैयार होंगे तथा इससे प्रशासन में कार्यकुशलता की वृद्धि होगी। समय के साथ सरकारी सेवाओं में नवीनतम व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करना आवश्यक है। सेवा में उनकी निरंतरता उच्च से उच्च स्तर दायित्व निभाने के योग्य बनाने में मददगार सिद्ध होती है। लोक सेवा में चयनित कर्मचारियों के द्वारा प्राप्त किए गए अनुभव क्षमता का उपयोग उन्हें अधिक उत्तरदायित्व पूर्ण कार्यों पर कार्य करने का अवसर प्रदान करती है। इस प्रकार मानव शक्ति का सर्वोत्तम उपयोग पदोन्नति की पद्धति द्वारा ही संभव है। पदोन्नति कर्मचारियों की बढ़ती हुई दैनिक बहुत ही आवश्यकताओं को पूर्ति करने का शुभ अवसर प्रदान करता है तथा कर्मचारी इसके बदले सेवा में अपना सर्वोत्तम योगदान देते हैं। पदोन्नति सेवाओं में कदाचार की घटनाओं को भी कम करने में सहायक होती है तथा शिकायत की संभावना भी संस्थानों में कम हो जाती है। सरकारी कार्यों को अत्यधिक ईमानदारी, निपुणता तथा निष्ठा से करने में पदोन्नति एक प्रेरक स्रोत के रूप में कार्य करती है वहीं दूसरी ओर पदोन्नति अनुशासन एवं नैतिकता को भी बढ़ावा देती है। संगठनों द्वारा कर्मचारियों को पदोन्नति की उद्देश्यों की प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए की जाती है-

- कर्मचारियों को अधिक क्रियाशीलता हेतु अभिप्रेरित करना। कर्मचारियों में आत्म-विकास को बढ़ावा देना तथा उन्हें उनकी पदोन्नति के अवसरों की प्रतीक्षा करने हेतु तैयार करना।
- संगठन के उच्च स्तर के कार्यों के लिए आवश्यक ज्ञान एवं निपुणताओं की प्राप्ति हेतु कर्मचारी में प्रतिस्पर्धात्मक भावना का विकास करना तथा उत्साह का संचार करना।

- योग्य एवं सक्षम लोगों को संगठन के प्रति आकर्षित करना तथा उनकी सेवायें प्राप्त करना।
- संगठनात्मक पद सोपान में समुचित स्तरों पर कर्मचारियों के ज्ञान एवं निपुणताओं का उपयोग करना, जो कि संगठनात्मक प्रभावशीलता तथा कर्मचारी सन्तुष्टि में परिणत होता है।
- कर्मचारियों में संगठन के प्रति निष्ठा एवं अपनत्व की भावना को विकसित करना तथा उनके मनोबल को ऊंचा करना।
- अच्छे मानवीय सम्बन्धों के निर्माण हेतु संगठन के प्रति बचनबद्ध एवं निष्ठावान कर्मचारियों को पुरस्कृत करना।
- श्रम संघों का संगठन के प्रति विश्वास सृजन का प्रयास करना।
- परिवर्तित वातावरण में उच्च स्तर के रिक्त पदों का उत्तरदायित्व ग्रहण करने हेतु तत्पर रहने के लिए कर्मचारियों के समक्ष आन्तरिक स्रोत का विकास करना आदि।

15.4 पदोन्नति के प्रकार

पदोन्नति उच्च प्रतिष्ठा, बेहतर हैसियत तथा अधिक जिम्मेदारी बढ़ाने हेतु एक संगठित गतिविधि है। पदोन्नति सामान्यतया तीन प्रकार की होती है-

1. **क्षैतिजीय पदोन्नति या श्रेणी आधारित-** एक ही वर्ग में निम्न से उच्च श्रेणी में पदोन्नति जैसे कनिष्ठ लिपिक की वरिष्ठ लिपिक के पद पर या तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में या इस प्रकार की पदोन्नति। इस प्रकार की पदोन्नति में उत्तरदायित्वों एवं आय में वृद्धि तथा पद नाम में परिवर्तन सम्मिलित होता है। परन्तु, पदोन्नति कर्मचारी कार्य वर्गीकरण के अन्तर्गत ही रहता है, अर्थात् इसमें मौलिक कार्य वर्गीकरण ज्यों का त्यों ही रहता है।
2. **लम्बवत् पदोन्नति या वर्ग आधारित-** इस प्रकार की पदोन्नति बढ़े हुए उत्तरदायित्वों, प्रतिष्ठा तथा आय के साथ-साथ कार्य की प्रकृति में परिवर्तन में परिणत होती है। दूसरे शब्दों में, जब पदोन्नति कार्य वर्गीकरण की सीमाओं के बाहर होती है तो वह लम्बवत् पदोन्नति कहलाती है। जैसे निम्न वर्ग से उच्च वर्ग में पदोन्नति जैसे द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी या लिपिक से कार्यकारी वर्ग में पदोन्नति।
3. **सेवा आधारित-** निम्न स्तरीय सेवा से उच्चस्तरीय सेवा में पदोन्नति अर्थात् राज्य सेवा से अखिल भारतीय सेवा में पदोन्नति।

इसके साथ ही कभी-कभी पारिश्रमिक में वृद्धि के स्थान पर शुष्क पदोन्नति भी की जाती है। इसमें पद नाम भिन्न होता है, परन्तु उत्तरदायित्वों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पदोन्नत कर्मचारी को एक अथवा दो वार्षिक वेतन वृद्धि दी जा सकती है।

15.5 पदोन्नति के सिद्धांत

किसी भी सरकारी सेवा में पदोन्नति के अवसर सीमित होने के कारण पदोन्नति के मानक सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। पदोन्नति हेतु सीमित संख्या में पदों की उपलब्धता तथा नियमित अंतराल पर स्थान रिक्त न होने के कारण निम्न स्तरीय कर्मचारी को अत्यधिक प्रतीक्षा करनी पड़ती है और सभी इच्छुक कर्मचारियों को पदोन्नति देना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। व्यवहारिक रूप से प्रशासन की संरचना एक पिरामिड के समान होती है जिसमें जैसे-जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं पदों की संख्या घटती जाती है और अंत में पिरामिड एक बिंदु पर जाकर समाप्त हो जाती है। पदोन्नति के अवसर सीमित होने के कारण आवश्यकता इस बात की महसूस की जाती है कि पदोन्नति पूर्ण परिभाषित और मान्यता प्राप्त सिद्धांतों पर ही आधारित होना चाहिए।

संगठनों द्वारा अपनी प्रकृति, आकार तथा प्रबन्धन के अनुसार पदोन्नति के लिए विभिन्न आधार अपनाये जाते हैं। सामान्यतः पदोन्नति के दो सुस्थापित आधार- योग्यता तथा वरिष्ठता हैं। पदोन्नति के सिद्धांत जिन्हें एक विकल्प या संयुक्त रूप से अपनाया जाता है, वे हैं-

1. **वरिष्ठता सिद्धांत-** वरिष्ठता पर आधारित पदोन्नति एक परम्परागत एवं सरल प्रणाली है। इसे 'ज्येष्ठता का सिद्धान्त' भी कहा जाता है। इसमें लम्बी अवधि से कार्यरत व्यक्तियों को पदोन्नति प्रदान की जाती है। अन्य शब्दों में पहले भर्ती होने वाले व्यक्ति की पदोन्नति पहले होती है। वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की शुरुआत ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासनकाल में ही हो चुकी थी। यह सिद्धान्त अनुभवी कार्मिक को पुरस्कार में विश्वास करता है। वरिष्ठता को पदोन्नति के आधार के रूप में मानने के पीछे यह तर्क है कि एक ही कार्य पर सेवा की अवधि तथा किसी कर्मचारी द्वारा संगठन के अन्तर्गत अर्जित ज्ञान की मात्रा एवं निपुणता के स्तर के बीच एक सकारात्मक सह-सम्बन्ध होता है। यह व्यवस्था इस प्रथा पर भी आधारित होती है कि जो संगठन में पहले आयेगा उसे ही समस्त हित-लाभों एवं विशेषाधिकारों में पहले अवसर दिये जाने चाहिये।

वरिष्ठता सिद्धांत एक सामान्य सिद्धांत है जिसका अर्थ किसी पद विशेष श्रेणी या वेतनमान में सेवा की अवधि से है। यह एक आसान प्रणाली है जो वस्तुनिष्ठ है। वरिष्ठता सिद्धांत पक्षपात एवं भाई-भतीजावाद के लिए कोई अवसर नहीं छोड़ता, बल्कि यह उम्र और अनुभव को अधिक महत्व देता है। इस प्रकार यह समाज में स्थापित प्रथा परंपरा के अनुसार एक प्रवृत्ति है और प्रजातांत्रिक भी है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति प्रतिभाशाली नहीं हो सकता किंतु समय के साथ उसमें वरिष्ठ होने के लिए प्रतिबद्धता निहित होती है। यह पद्धति स्वचालित है। कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए भाग-दौड़ नहीं करनी पड़ती है। इस पद्धति में आन्तरिक झगड़े समाप्त हो जाते हैं तथा राजनीतिक दवाब का भी कोई भय नहीं रहता है। अधिक आयु व अनुभव वाले व्यक्तियों के उच्च पदों पर आने से उनकी प्रतिष्ठा बनी रहती है। पदोन्नति निश्चित होने के कारण योग्य व्यक्ति इन सेवाओं की ओर आकर्षित होते हैं। पदोन्नति के इस आधार का श्रम संघों द्वारा प्रबल समर्थन किये जाने से यह विवादों को भी कम करने में सहायक होता है।

पदोन्नति का वरिष्ठता सिद्धांत सबसे पुराना और सरल तरीका है। फाइनर के अनुसार यह सिद्धांत स्वभाविक है और यह कर्मचारियों की अनावश्यक और अनुचित गतिरोध को समाप्त कर देता है। इस प्रकार की पदोन्नति में निष्पक्षता, कार्मिक उपलब्धता, स्वचालन, मनोबल निर्माण, न्याय स्थापना, अहम टकराव से बचाव आदि लाभ या गुण हैं तो दूसरी ओर दोष भी बहुत हैं। वरिष्ठता सिद्धांत में ढेर सारी खामियां समय के साथ प्रतीत होती हैं। सेवा में जो वरिष्ठ हैं और जो पदोन्नति के लिए उपयुक्त हो यह आवश्यक नहीं है। सेवा की अवधि पदोन्नति हेतु उपयुक्तता का मापदंड नहीं है। पदोन्नति के लिए अनुभव और वरिष्ठता युक्ति मूलक मापदंड नहीं है। एक ही श्रेणी के सभी लोग पदोन्नति के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। वरिष्ठता सिद्धांत यह सुनिश्चित नहीं करता कि अति उपयुक्त लोग ही उच्च स्तरीय पदों पर पदस्थापित किए जाएंगे। वरिष्ठता के कारण पदोन्नति मिलने से संगठन में योग्य कार्मिक बाहर जाना पसन्द करते हैं। बहुत से कर्मचारी कार्य में रुचि भी नहीं लेते हैं क्योंकि पदोन्नति तो नियत समय पर मिल ही जाती है। सरकारी कर्मचारियों के कार्य पर पूर्णरूपेण प्रतिकूल प्रभाव डालते हुए और कुशल एवं दक्षियानूसी लोगों को भी उच्च स्तरीय पदों पर पदोन्नति या इस सिद्धांत के अनुसार दी जा सकती हैं। अतः वरिष्ठता सिद्धांत विवेकपूर्ण और न्यायसंगत नहीं है। इसमें युवा और कर्मठ कर्मचारियों का कठिन परिश्रम कार्यकुशलता एवं नेतृत्व का गुण पुरस्कृत नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ जहां कठिन परिश्रम करने वाले सजग और उद्यमी लोगों की संगठन में आवश्यकता है वही शारीरिक रूप से कमजोर वृद्ध और कम उद्यमी लोगों को भी उच्च स्तरीय पदों पर पदोन्नति दे दी जाती है। ब्रिटेन के नौसेनाध्यक्ष फिशर ने एक बार कहा था,

‘ब्रिटिश साम्राज्य नष्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें वरिष्ठता के सिद्धान्त का पालन किया जाता है।’ वस्तुतः वरिष्ठता का सिद्धान्त प्रत्यक्षतः योग्यता का शमन करता है।

2. **योग्यता या अर्हता सिद्धांत-** पदोन्नति का यह तरीका अपेक्षाकृत आधुनिक एवं वैज्ञानिक है। इसमें योग्यता का मूल्यांकन करने के बाद पदोन्नति की जाती है। यह सिद्धान्त कर्मचारियों को कुशलता से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। योग्यता का सिद्धांत वरिष्ठता के सिद्धांत का प्रतिस्पर्धी है और पदोन्नति के लिए इसके पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं वह लगभग अकाट्य हैं। यह एक निर्विवाद सत्य है कि योग्यतम और दक्षता व्यक्ति पदोन्नति के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं।

अर्हता सिद्धांत या योग्यता सिद्धांत के अनुसार पदोन्नति वरिष्ठतम को नहीं बल्कि योग्यतम व्यक्ति को दी जानी चाहिए अर्थात् पदोन्नति के निर्धारण में लोक सेवकों की व्यक्तिगत योग्यता, क्षमता, दक्षता और कार्यकुशलता को ही महत्व दिया जाना चाहिए। वर्तमान युग में नवीन प्रशासनिक व्यवस्था हेतु सक्षम और कठिन परिश्रम करने वालों की आवश्यकता है जिनके पास योग्यता और अर्हता है। इस सिद्धांत को स्वीकार करने के पीछे यह तर्क है कि केवल योग्य और समर्थ लोग ही पदोन्नति के योग्य हैं और अक्षम लोगों को पीछे छोड़ा जाना चाहिए। प्रशासन में उच्च स्तरीय पदों पर केवल निपुण परिश्रमी और योग्य लोगों की आवश्यकता है। अर्हता सिद्धांत पदोन्नति के लिए अति उपयुक्त लोगों का ही चयन करता है। योग्यता सिद्धांत उद्यमी कठिन परिश्रम करने वाले एवं नेतृत्व के गुण रखने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारियों को पुरस्कृत करता है और प्रशासन में कार्यकुशलता तथा प्रतियोगी उत्साह को भी बढ़ाता है। यह निम्न स्तरीय कर्मचारियों को अपने कार्य में अभिरुचि लेने तथा परिश्रम के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित भी करता है।

कर्मचारियों की योग्यता के मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित विधियाँ काम में लायी जाती हैं: प्रतियोगी परीक्षाएँ, सेवा अभिलेख एवं विभागाध्यक्ष का व्यक्तिगत निर्णय। प्रतियोगी परीक्षाएँ तीन प्रकार की होती हैं- खुली प्रतियोगिता परीक्षा, सीमित प्रतियोगिता परीक्षा तथा उत्तीर्णता परीक्षा।

सेवा अभिलेख के अंतर्गत कर्मचारियों की सेवा का एक विवरण रखा जाता है, जिसके आधार पर कर्मचारियों की कार्य सम्पन्न करने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। साथ ही कर्मचारी की पदोन्नति में विभागाध्यक्ष का निर्णय सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। पदोन्नति की कोई भी प्रणाली क्यों न हो, किन्तु यह निश्चित है कि पदोन्नति द्वारा कर्मचारियों में सामान्य सन्तोष, कर्त्तव्य निष्ठता, सहयोग एवं उच्च मनोबल की भावना विकसित होती है।

लेकिन पदोन्नति के योग्यता सिद्धांत को वास्तव में लागू करना थोड़ा कठिन पड़ता है। योग्यता या अर्हता एक जटिल अवधारणा है। यह व्यक्तित्व, चरित्र, बल, नेतृत्व की क्षमता, बौद्धिक योग्यता इत्यादि को समाहित किए हुए हैं और इसे मापना आसान नहीं है। पदोन्नति का यह सिद्धांत वरिष्ठ एवं अनुभवी लोगों के अवसरों को समाप्त कर देता है या न्यून कर देता है और किसी भी प्रकार के अर्जित प्रशासनिक अनुभव और कौशल को पूर्णरूपेण उपेक्षित कर दिया जाता है। यह उन कर्मचारियों में असन्तोष एवं निराशा की भावना को उत्पन्न करती है, जो कि वरिष्ठ होते हैं तथा जिनकी पदोन्नति नहीं होती है। श्रम संघ, योग्यता के आधार पर पदोन्नति के समर्थक नहीं होते हैं, जिसके फलस्वरूप असन्तोष फैलता है तथा औद्योगिक सम्बन्ध भी बिगड़ते हैं।

वरिष्ठता एवं अर्हता सिद्धांत का व्यवहारिक संयोजन, वरिष्ठता एवं अर्हता सिद्धांत, दोनों सिद्धांतों में कुछ खूबियाँ और कमियाँ भी हैं। वरिष्ठता एवं योग्यता, दोनों ही पदोन्नति के आधारों के सापेक्षिक गुण-दोषों का विवेचन करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि दोनों ही आधार के अपने-अपने लाभ हैं तथा साथ ही उनमें दोष भी हैं। व्यवहार में, वरिष्ठता को ही आधार मानकर पदोन्नति की जाती है, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि योग्यता के महत्व को

स्वीकार ही न किया जाये। वास्तव में, दोनों ही आधारों के प्रति सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाया जाना ही उचित होता है। यदि यह स्पष्ट है कि कोई वरिष्ठ कर्मचारी नये एवं उच्च पद के कार्य को सम्पन्न कर सकता है तो चाहे वह थोड़ा कम ही योग्य क्यों न हो, उसकी पदोन्नति की जानी चाहिये। परन्तु, यदि वह बिल्कुल ही अयोग्य है तो केवल वरिष्ठता के आधार पर उसकी पदोन्नति किये जाने से संगठन का हानि ही होगी। अतः इस सम्बन्ध में निर्णय लेते समय सम्बन्धित कर्मचारी, प्रबन्ध एवं सेवायोजक तीनों के हितों को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। अतः प्रशासन में पदोन्नति हेतु वरिष्ठता एवं अर्हता दोनों सिद्धांतों का संयोजन किया जाता है। उपयुक्त और योग्य लोग तथा अनुभव दोनों को इसके अनुसार पदोन्नति का आधार बनाया जाता है। न्यूनतम योग्यता और क्षमता की जांच करते हुए उनमें से वरिष्ठ लोगों को पदोन्नति हेतु चयन में प्राथमिकता देकर पदोन्नति की जाती है। भारत सहित अनेक देशों में पदोन्नति के लिए अपनाई जाने वाली सामान्य पद्धति निम्नांकित गुणों को समाहित किए हुए हैं-

- उच्च स्तरीय पदों पर पदोन्नति केवल अर्हता सिद्धांत के आधार पर की जाती है।
- मध्यमवर्गीय पदों पर पदोन्नति वरिष्ठता अर्हता सिद्धांत के आधार पर की जाती है तथा
- निम्न स्तरीय पदों पर पदोन्नति वरिष्ठता सिद्धांत के आधार पर की जाती है लेकिन यहां भी अपवाद स्वरूप अर्हता सिद्धांत को नकारा नहीं जाता।

भारत में पदोन्नति जीवन वृत्ति सेवा का अनिवार्य अंग है। अर्हता सिद्धांत और वरिष्ठता सिद्धांत पदोन्नति के दो प्रमुख सिद्धांत हैं जिनके कुछ नकारात्मक तो कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं। अर्हता सिद्धांत को वरिष्ठता सिद्धांत के साथ संयुक्त कर पदोन्नति की एक नई विधि अपनाई गई है जो आज सर्वोत्तम विधि भी मानी जाती है। पदोन्नति प्रणाली में सुधार लाने के उद्देश्य से समय-समय पर सिफारिशें प्रस्तुत की जाती रही हैं। छठे वेतन आयोग ने अपने प्रतिवेदन में 'निश्चित जीवन वृत्ति अभिवृद्धि' की सिफारिश की जिसमें सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को वर्ष में तीन पदोन्नति मिलना अनिवार्य कर दिया गया।

15.6 पदोन्नति के लिए अर्हता जांच पद्धतियाँ

सरकारी सेवा में पदोन्नति के लिए अनुभव की अपेक्षा योग्यता या अर्हता को अधिक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। लेकिन अर्हता की जांच काफी कठिन कार्य है। युवा और अनुभवी वरिष्ठ कनिष्ठ जो एक ही संगठन में समान पदों पर काफी वर्षों से कार्यरत रहते हैं, उन सब को उच्चस्तरीय पदों पर पदोन्नति पाने की अभिलाषा रहती है। लेकिन उच्च स्तरीय पदों में रिक्त स्थान काफी कम होते हैं और इस प्रकार प्रतिस्पर्धा काफी होती है। पदोन्नति हेतु योग्यता या अर्हता जांच के लिए सामान्यतया तीन विधियों का प्रयोग किया जाता है-

1. **लिखित और मौखिक परीक्षा-** अधिकांश देशों में पदोन्नति हेतु लिखित परीक्षा ली जाती है। लिखित और मौखिक परीक्षा जांच करने की एक वस्तुनिष्ठ पद्धति है जो सभी प्रकार के पक्षपात और भाई भतीजावाद को समाप्त करता है। अधिकारियों को किसी विशेष कर्मचारी के बारे में पदोन्नति संबंधी अंतिम निर्णय लेने के कठिन कार्य से मुक्त भी कर देता है। यह कर्मचारियों को नए विकास के प्रति अधिकतम बनाता है तथा स्पर्धा में भाग लेने के लिए प्रत्येक कर्मचारियों को समान अवसर प्रदान करता है। बहुत से देशों में विभागीय परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, जिसमें पदोन्नति के इच्छुक प्रत्येक विभागीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों को अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करना होता है। भारत में अर्हता परीक्षा लोक सेवा के साथ-साथ बैंकिंग सेवा में भी है। परिश्रमी और प्रतिभाशाली कर्मचारी इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर शीघ्र ही पदोन्नत हो जाते परंतु लिखित परीक्षा पद्धति में कुछ खामियां भी हैं। पहले से परीक्षा की तैयारी में उलझन के कारण कर्मचारी अपने नियमित प्रशासनिक किए कार्यों की उपेक्षा करते रहते हैं और उसमें निष्ठावान और समर्पित अपने को उपेक्षित पाते हैं। दूसरी ओर अनुभवी कर्मचारी और

वृद्ध कर्मचारी समुचित रूप से पढ़ नहीं पाते और प्रतियोगिता के दौर में पीछे रह जाते हैं। नवयुवक कर्मचारियों के लिए यह प्रतियोगिता परीक्षा एक अच्छे अवसर के रूप में होता है।

लिखित परीक्षा की इन कमियों को दूर करने के लिए बहुत से देशों में लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार या मौखिक परीक्षा ली जाती है। साक्षात्कार के माध्यम से अभ्यर्थियों के व्यक्तित्व, मनोवृत्ति तथा आचार-व्यवहार इत्यादि को जांच हो जाती है वही साक्षात्कार के समय पूर्व के अनुभवों और अन्य सेवा संबंधी रिकॉर्ड पर भी विचार किया जाता है।

2. **कार्यकुशलता का निर्धारण-** सिविल सेवा में प्रत्येक कर्मचारी किए सेवा संबंधी रिकॉर्ड को रखना एक पुरानी और सार्वदेशिक प्रथा है जो गोपनीय रिपोर्ट, सेवा पुस्तिका, व्यक्तिगत रिपोर्ट या व्यक्तिगत फाइल इत्यादि नामों से सहेज कर रखी जाती हैं। इनका उपयोग पदोन्नति के उद्देश्य से कर्मचारी के सापेक्षिक अर्हता मूल्यांकन के लिए किया जाता है। पदोन्नति से उद्देश्य से कर्मचारियों की अपेक्षित योग्यता एवं अर्हता निर्धारण के लिए यह अपेक्षाकृत नई विधि है जिसे सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनाया गया। सेवा रिकॉर्ड का रखरखाव अपने आप में कार्य क्षमता का निर्धारण नहीं है। बड़े संगठनों में जहां बहुत सी शाखाएं और खंड होते हैं तथा कर्मचारियों की संख्या अधिक होती है। वहां कार्यकुशलता निर्धारण के लिए इस पद्धति को व्यापक रूप से अपनाया गया है।

पदोन्नति के लिए योग्यतम और सर्वाधिक कार्य कुशल कर्मचारियों हेतु कार्यकुशलता निर्धारण पद्धति सर्वाधिक उपयोगी है। कुशल लोगों को पुरस्कृत करने तथा अपेक्षाकृत कम योग्य लोगों की छटनी एक न्याय पूर्ण और विश्व सनीय पद्धति है। यह न केवल योग्य लोगों को ही बल्कि निष्ठा और सावधानी पूर्वक कार्य करने वाले लोगों को ही पुरस्कृत करती है तथा कर्मचारियों को सतर्क एवं आधुनिकतम बनाती है। कार्यकुशलता निर्धारण पद्धति के इन सकारात्मक बिंदुओं के अतिरिक्त नकारात्मक पहलू भी हैं। यह सेवा रिकॉर्ड तैयार करने वाले वरिष्ठ अधिकारियों के आत्म परक निर्णय पर निर्भर करता है। प्रभावी रूप से आवश्यक सभी गुण, विशेषता या मापदंडों को अपने में समाविष्ट कर लेने वाले अच्छी श्रेणी प्रारूप को तैयार करना एक कठिन कार्य है। इस पद्धति के कारण उपेक्षा, बेईमानी और व्यक्तिगत निर्णय के लिए अवसर की उपलब्धता हो जाती है और बाकी कर्मचारियों के उत्तेजित तथा संकोची होने के कारण उनका मनोबल भी टूट जाता है। यह श्रेणी पद्धति पदोन्नति का कोई स्वतःचालित आधार नहीं होता। अतः अंतिम निर्णय स्वयं पदोन्नति करने वाले अधिकारी को लेना पड़ता है।

इस विधि में योग्यता और निपुणता का निर्धारण सेवा रिकॉर्ड के आधार पर किया जाता है। कुछ गुण, विशेषता, कार्य निष्पादन, उत्पादन रिकॉर्ड इत्यादि के आधार पर कर्मचारियों की योग्यता का निर्धारण किया जाता है। विशेषताएं जैसे कार्य का ज्ञान, व्यक्तित्व निर्णय, पहल शक्ति, यथार्थता, उत्तरदायित्व लेने की तत्परता, स्वच्छता, समय की पाबंदी, संगठन क्षमता इत्यादि कर्मचारी के उत्पादन को निम्नांकित प्रकार से निर्धारित किया जा सकता है- सामान्य से ऊपर, सामान्य तथा सामान्य से नीचे।

या इन्हें कुछ इस तरह से निर्धारित किया जा सकता है जैसे भारत और ब्रिटेन में निर्धारित किया जाता है- अति उत्कृष्ट, बहुत अच्छा, संतोष जनक, साधारण और कमजोर।

कभी-कभी इसे इस प्रकार से भी निर्धारित किया जाता है, जैसे अमेरिका में अत्यधिक संभावना असाधारण, बहुत अच्छा, संतोष जनक, अत्यधिक असंतोषजनक, निम्न और अति निम्न।

कभी-कभी विभिन्न श्रेणियां इंगित कर भी इसे निर्धारण किया जाता है, जैसे अंक आदि।

3. **संगठन के अध्यक्ष का व्यक्तिगत निर्णय-** इस पद्धति में अर्हता का निर्धारण संगठन के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। संगठन के अध्यक्ष का सभी के विषय में जानकारी को आधार बनाकर कार्य निष्पादन के विषय में उनका व्यक्तिगत निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है। इसलिए पदोन्नति करते समय वह अपने

निर्णय के अनुसार रुचि के अनुकूल लोगों को ही पदोन्नत करता है। यह पद्धति पक्षपात और भाई-भतीजावाद पर आधारित है। एक प्रकार से यह पुरस्कार पद्धति के समान भी है और निरंकुश प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने वाला भी। प्रशासन में राजनीति और चाटुकारिता को बढ़ावा देने वाला यह निर्णय कर्मचारियों में बहुत ही अनिपुणता, असुरक्षा और अनिश्चितता की स्थिति बनाता है। इस प्रकार पक्षपात पूर्ण पदोन्नति कर्मचारियों के मनोबल को घटा आती है और चापलूसों के लिए एक अच्छा अवसर भी प्रदान करती है। इस पद्धति में पदोन्नति का निर्णय संगठन के अध्यक्ष के ऊपर होता है तथा यह व्यवसायिक औद्योगिक प्रतिष्ठानों में ही अपनाया जाता है तथा यह इसका प्रचलन सिविल सेवा में नहीं है। फिर भी कुछ उच्च स्तरीय कार्यकारी पदों पर इस पद्धति के अनुसार पदोन्नति की जाती है। विवेक एवं निर्णय का सही उपयोग संबंधित विभागाध्यक्ष ईमानदारी और निष्पक्षता के ऊपर निर्भर करता है।

पदोन्नति में जांच की विभिन्न विधियों का उपयोग सिविल सेवा में विभिन्न स्तरों पर सुविधानुसार अपनाई जाती है। साधारणतया परीक्षा एवं कार्य कुशलता निर्धारण के आधार पर निम्न एवं मध्यम वर्गीय रिक्त पदों को भरा जाता है किंतु उच्चस्तरीय पदों को कार्यकारी अध्यक्ष के व्यक्तिगत निर्णय किया नहीं भरा जाता है। वास्तव में पदोन्नति द्वारा रिक्त पदों को भरने के लिए इन विधियों को संयुक्त किया जाता है। विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार की इन विधियों को संयुक्त करने की प्रणालियां विकसित की गई हैं।

प्रो. विलोबी ने पदोन्नति के लिए पात्रता के दो आधारों का वर्णन किया है- सेवीवर्ग की योग्यताएँ एवं सेवा का स्तर। पद वर्गीकरण के समय प्रत्येक पद के कार्यों, दायित्वों एवं योग्यताओं का निर्धारण किया जाता है। इन योग्यताओं में ज्ञान, कुशलता, अनुभव, शैक्षणिक योग्यता, लिंग, निवास, तकनीकी कुशलता आदि प्रमुख होती हैं। इनके बिना पदोन्नति के लिए किसी कर्मचारी के नाम के संबंध में विचार ही नहीं किया जा सकता। जब ये आवश्यक योग्यताएँ निर्धारित की जाती हैं तभी यह तय हो जाता है कि पदोन्नति के लिए प्रत्याशियों का क्षेत्र व्यापक रहेगा अथवा संकीर्ण। दूसरी ओर, व्यक्तिगत योग्यताओं की भांति पदोन्नति की पात्रता का एक अन्य आधार प्रत्याशियों की सेवा का स्तर है। इसके अन्तर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पदोन्नति के लिए संभावित प्रत्याशी कहाँ से प्राप्त किये जायेंगे। विकल्पों को निश्चित कर देने पर पदोन्नति की रेखाएँ स्पष्ट हो जाती हैं। पदोन्नति की पात्रता के क्षेत्र पर प्रायः एक संगठनात्मक प्रतिबन्ध लगाया जाता है और पदोन्नतियाँ साधारणतः एक ही विभाग अथवा ब्यूरो के अन्तर्गत की जाती हैं, अन्तर-विभागीय पदोन्नतियों का समर्थन नहीं किया जाता है। प्रो. विलोबी की मान्यता है कि विभिन्न कर्मचारियों की सेवा की शर्तों में भारी अन्तर रहता है, इसलिए यदि उन सभी के लिए एकरूप व्यवस्था स्थापित करने की चेष्टा की गई तो यह घातक होगा। इस दृष्टि से कुछ सामान्य सिद्धान्त निर्धारित किये जा सकते हैं, ये निम्नलिखित हैं-

- प्रत्येक सेवा के लिए पदोन्नति की व्यवस्था स्वयं की होती है तथा यह अन्य सेवा से पर्याप्त भिन्न है। अतः प्रत्येक सेवा में पदोन्नति की समस्या पर पृथक से विचार किया जाना चाहिए।
- जहाँ तक सम्भव हो सके, सभी कर्मचारियों को पदोन्नति के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने की चेष्टा की जानी चाहिए।
- पदोन्नति द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करते समय संबंधित संगठन के बाहर के कर्मचारी की अपेक्षा अन्दर के कर्मचारी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

15.7 श्रेष्ठ पदोन्नति नीति की आवश्यक शर्तें

लोक सेवा एक जीवन वृत्ति सेवा है। यह प्रतिभाशाली लोगों के लिए आजीवन जीविका का माध्यम है। साथ ही यह उनकी उन्नति और विकास के लिए अवसर प्रदान करता है। उच्च स्तरीय पदों को भरने के लिए योग्य और

सक्षम लोगों को व्यवस्था में लाने का कार्य पदोन्नति की अच्छी नीति से ही संभव है। लोकसेवा जैसे जीवन वृत्ति सेवा की सफलता के लिए पदोन्नति की उपयुक्त नीति की नितांत आवश्यकता है।

आदर्श पदोन्नति व्यवस्था के दो पहलू हैं- पहला, यह प्रबन्ध को विश्वास दिलाती है कि संगठन को विभिन्न उच्च पदों पर श्रेष्ठ प्रतिभाशील व्यक्तियों की सेवा का लाभ मिलेगा तथा दूसरा- यह कर्मचारियों को विश्वास दिलाती है कि पदोन्नतियाँ योग्यता के आधार पर की गई हैं तथा पदोन्नति के अवसर व्यापक हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए स्टाल ने मुख्यतः सुझाव प्रस्तुत किए हैं, जिन्हें अपनाकर आदर्श पदोन्नति व्यवस्था को लागू किया जा सकता है- यदि ऊँची योग्यता वाले प्रत्याशी संगठन में मौजूद हों तो पदों को उन्हीं की नियुक्ति द्वारा भरा जाना चाहिए, किन्तु बाहर से प्रवेश को पूरी तरह अवरूद्ध नहीं करना चाहिए। उच्च पदों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा कार्य पर प्रशिक्षण का विकास किया जाना चाहिए। जहाँ सम्भव हो सके वहाँ अन्तर्विभागीय एवं अन्तर्मण्डलीय पदोन्नतियाँ होनी चाहिए। नई भर्ती की भाँति पदोन्नति के समय भी अवसर की समानता का ध्यान रखा जाना चाहिए। पदोन्नति के लिए कोई भी एक मापदण्ड पर्याप्त नहीं है तथा एक उपयुक्त पदोन्नति व्यवस्था में प्रणाली की दृष्टि से लोचशीलता रहनी चाहिए। एक आदर्श पदोन्नति व्यवस्था में पर्यवेक्षक का योगदान महत्वपूर्ण है। सेवीवर्ग अधिकारियों द्वारा अभिलेख प्रणाली तथा अन्य प्रक्रियाओं द्वारा पदोन्नति के पात्रों का निर्धारण करके पर्यवेक्षक को बताना चाहिए तथा अन्त में उनकी तुलनात्मक योग्यताओं के आधार पर पदोन्नति का निर्णय किया जाना चाहिए।

राज्य के कार्यों में निरंतर वृद्धि होने के साथ-साथ लोक प्रशासन में पदोन्नति की उपयुक्त नीति का निर्माण आवश्यक हो गया है। पदोन्नति नीति संस्था की सेविवर्गीय नीति का एक भाग है। यह संगठन में कर्मचारियों की पदोन्नति करने में मार्गदर्शन करती है। यह भविष्य में होने वाली कई समस्याओं को रोकने में मदद करती है।

एक श्रेष्ठ पदोन्नति नीति की आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं-

- पदोन्नति की नीति को पहले से ही सुनियोजित होना चाहिए।
- लोक सेवा का स्वच्छ और सही वर्गीकरण होना चाहिए।
- प्रत्येक सेवा या वर्ग में पद या श्रेणी पदानुक्रम रूप से व्यवस्थित होना चाहिए।
- पदोन्नति की रेखा और नियम पहले से ही निर्धारित होना चाहिए।
- पदोन्नति का कार्यभार किसी एक व्यक्ति के बदले किसी समिति या बोर्ड को देना चाहिए।
- पदोन्नति की सुव्यवस्थित रूप से स्वीकृत विधि का सही अर्थों में पालन होना चाहिए।

इसके साथ ही, कर्मचारी को पदोन्नति के लिए रिक्त स्थान में यह जाना चाहिए कि पदोन्नति सुअवसर है, न कि एक अधिकार है। उसे दूसरों के साथ प्रतियोगिता में भाग लेकर पदोन्नति का प्रयास करना चाहिए और वरिष्ठता को अत्यधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। वरिष्ठता अर्हता एवं कार्य क्षमता के सिद्धांत का मिश्रण पदोन्नति को निर्धारक होने चाहिए। उच्च स्तरीय पदों के उत्तरदायित्व को ग्रहण करने में अभ्यर्थियों के पूर्व कार्य निष्पादन सेवा रिकॉर्ड एवं योग्यता को निर्धारक तत्व के रूप में होना चाहिए। पदोन्नति हेतु अर्हता जांच के लिए योग्यता कार्यकुशलता निर्धारण परीक्षा साक्षात्कार इत्यादि के समान अनेक उपयुक्त साधनों को अपनाया जाना चाहिए। सेवा अवधि अथवा वरिष्ठता के निर्धारण के नियम व तरीके स्पष्ट होने चाहिए। पदोन्नति नीति को सभी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। इसे लागू करने में किसी प्रकार का भेद-भाव एवं पक्षपात नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय श्रम आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार पदोन्नति नीति को श्रम संघों के साथ विचार-विमर्श के बाद निर्धारित किया जाना चाहिए। इस आयोग ने सिफारिश की निम्न स्तरों पर पदोन्नति वरिष्ठता के आधार की जानी चाहिए तथा मध्यम स्तरीय प्रबन्ध पर पदोन्नति के लिए वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार को अपनाया

चाहिए। उच्च स्तरीय प्रबन्ध पर पदोन्नति केवल योग्यता के आधार पर की जानी चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय श्रम आयोग की ये अनुशंसाएं विवादों से परे नहीं हैं।

15.8 भारत में पदोन्नति पद्धति

भारत में लोक सेवा में पदोन्नति वरिष्ठता और योग्यता दोनों सिद्धांतों पर आधारित है। परंपरा के अनुसार पदोन्नति निम्न स्तर के पदों पर वरिष्ठता के आधार पर, मध्यम स्तर पर वरिष्ठता तथा स्थाई योग्यता के आधार पर तथा उच्च स्तरीय पदों पर योग्यता के आधार पर की जाती है। छोटे केंद्रीय वेतन आयोग, जो 5 अक्टूबर 2006 को भारत सरकार ने न्यायमूर्ति बी. एन. कृष्णा की अध्यक्षता में गठित किया था, उसने 24 मार्च 2008 को अपनी रिपोर्ट में निश्चित सेवा अभिवृत्ति की सिफारिश की जिसके अनुसार सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संपूर्ण कार्यकाल में तीन पदोन्नति अवश्य मिलनी चाहिए। लोक सेवा के कर्मचारियों को 10, 20 एवं 30 साल की सेवा के उपरांत पदोन्नति देने की प्रक्रिया लागू की गई है जबकि रक्षा कर्मियों को 8, 16 और 24 वर्षों की सेवा के बाद पदोन्नति दी जाएगी।

भारत में लोक सेवकों का पदोन्नति संबंधी समस्या और समाधान को ब्रिटिश विचारधारा ने काफी हद तक प्रभावित किया है। भारत में 1669 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अपने कर्मचारियों के संबंध में वरिष्ठता का नियम लागू किया गया था और इसी के साथ भारत में लोक सेवा में पदोन्नति का भी सूत्रपात हुआ। इसी वक्त कंपनी ने निश्चय किया कि लंदन से किसी व्यक्ति को किसी अन्य कर्मचारी के ऊपर अधिकारी बना कर भेजा ना जाए। 1771 में कंपनी ने व्यापारिक दायित्व के साथ-साथ दायित्व भी निर्वहन किया और वरिष्ठता के सिद्धांत का संशोधन करते हुए योग्यता सिद्धांत को मान्यता दी। अनंतर चार्टर अधिनियम, 1773 के द्वारा वरिष्ठता का सिद्धांत का समर्थन करते हुए व्यवस्थाएं निर्धारित की गईं। सिविल सेवा में 1793 के चार्टर एक्ट में स्पष्ट रूप से पदोन्नति के वरिष्ठता सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। यह सिद्धांत 1861 के भारतीय सिविल सेवा एक्ट के लागू होने तक प्रचलित रहा। यद्यपि वरिष्ठता का नियम लागू था किंतु अर्हता, योग्यता, क्षमता एवं सत्य निष्ठा इत्यादि पर भी पदोन्नति के समय विचार किया जाता था। पदोन्नति के लिए वरिष्ठता सह अर्हता सिद्धांत 1947 तक अपनाया गया।

स्वतंत्रता के पश्चात 1947 में ही पदोन्नति के संबंध में विचार शुरू हो गया। सिविल सेवा में रिक्त पदों को भरने के लिए प्रथम वेतन आयोग ने भर्ती और पदोन्नति की पद्धति को संयुक्त किए जाने की अनुशंसा की थी। इसके अनुसार वरिष्ठता सिद्धांत को कार्मिकों के रिक्त पदों को भरने के लिए अपनाया जाना चाहिए, जो कार्यालय कार्यों को अच्छी जानकारी की शर्त को आवश्यक रूप से पूरा करता हो। उच्च स्तरीय पदों को अर्हता सिद्धांत के आधार पर तथा मध्यम स्तरीय रिक्त पदों को वरिष्ठता अर्हता सिद्धांत के आधार पर भरा जाना चाहिए। प्रथम वेतन आयोग ने यह सुझाव दिया था कि लोकसेवाओं में प्रत्यक्ष भर्ती तथा पदोन्नति के बीच विवेकपूर्ण सामंजस्य होना चाहिए। आयोग का मानना था कि उच्च पदों के संदर्भ में पदोन्नति के लिए वरिष्ठता के स्थान पर योग्यता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। द्वितीय वेतन आयोग, 1969, ने भी लगभग इसी प्रकार की अनुशंसा दी। इसके अनुसार प्रशासन में उच्च स्तरीय रिक्त पदों को अर्हता सिद्धांत के आधार पर तथा मध्यम एवं निम्न स्तरीय रिक्त पदों को वरिष्ठता सह उपयुक्तता का सिद्धांत के आधार पर भरे जाने की अनुशंसा की गई थी। प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी पदोन्नति के लिए वरिष्ठता सह अर्हता सिद्धांत की अनुशंसा की थी। भारत में विगत 60 वर्षों में पदोन्नति के लिए वरिष्ठता सह अर्हता सिद्धांत प्रचलित है और दोनों पदोन्नति के घटक विभिन्न सेवाओं में परिवर्तित होते रहते हैं।

भारत में केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के द्वारा विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर कभी-कभी तो केंद्रीय लोकसेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के अनुमोदन के आधार पर भी पदोन्नति की जाती रही है। कुछ पदों के लिए पदोन्नति वित्त विभाग की मंजूरी के पश्चात की जाती है तथा कुछ उच्च स्तरीय पदों पर पदोन्नति के लिए तो

प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का अनुमोदन आवश्यक है। अधिकांश विभागों में पदोन्नति के उद्देश्य से विभागीय पदोन्नति समिति का गठन किया जाता है जो वरिष्ठता के क्रम में गोपनीय रिपोर्ट को आधार बनाकर पदोन्नति की अनुशंसा करती हैं। सहायक, वरिष्ठ सहायक, अनुभाग अधिकारी, अधीक्षक इत्यादि जैसे मध्यम एवं निम्न स्तरीय पदों पर पदोन्नति के लिए वरिष्ठता सह कार्यकुशलता के सिद्धांत को बिना विवाद के लगातार अपनाया जाता रहा है। कुछ मामलों में इस व्यवहार के अतिरिक्त पदोन्नति के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में कर्मचारियों को शामिल किए जाने की अनुमति भी दी जाती है। उच्च स्तरीय पदों पर पदोन्नति के विभागीय पदोन्नति समिति सूची से हटकर भी पदोन्नति करती है। भारत में विभिन्न श्रेणियों और सेवाओं में पदोन्नति की पद्धतियां लगातार परिवर्तित भी होती रहती हैं।

योग्यता आधारित पदोन्नति व्यवस्था को अब शनैः-शनैः मान्यता मिल रही है। वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्तियों से युक्त समाज में योग्यता को मान्यता मिलना स्वाभाविक है। पदोन्नति में योग्यता को आधार बनाने से महत्वाकांक्षी, कर्तव्यनिष्ठ तथा उत्साही कर्मिकों को प्रेरणा प्राप्त होती है, प्रशासनिक कार्य कुशलता बढ़ती है तथा प्रशासन में नवाचार या परिवर्तन प्रक्रियाएँ क्रियान्वित की जा सकती हैं, किन्तु इस सिद्धान्त के कारण जब कम कनिष्ठ व्यक्ति उच्च पद पर पहुंच जाता है तो वरिष्ठ कर्मिकों का अहं आहत होता है साथ ही कर्मिक असहयोग एवं संघर्ष प्रवृत्तियों को धारण कर लेते हैं। भारत में प्रचलित पदोन्नति पद्धति का गहन विश्लेषण करने के पश्चात कुछ खामियां नजर आती हैं, जो हैं-

1. विभागाध्यक्ष जानबूझकर संभावित प्रतियोगियों की सूची में से कुछ लोगों के नाम निकाल देते हैं। ढेर सारे कर्मचारियों के पदोन्नति के प्रार्थना पत्र विभागीय अध्यक्ष द्वारा विचारार्थ प्रेषित नहीं किए जाते हैं।
2. कर्मिकों के व्यक्तिगत सेवा रिकार्डों को निष्पक्षता एवं व्यस्तता से नहीं रखा जाता है। कर्मिकों की व्यक्तिगत फाइल की जिन बातों को पदोन्नति के समय देखा जाता है, वे पूरी तरह जांच पड़ताल और निष्पक्षता के साथ अंकित नहीं की जाती हैं।
3. पदोन्नति के द्वारा भरे जाने वाले अधिक पदों के संबंध में भी कर्मचारियों को यथा समय सूचित नहीं किया जाता है। रिक्त पदों की सूचना को कर्मचारियों के गुप्त रखा जाता है और इस कारण कभी कभी भी अपने प्रति किए गए अन्याय से अपरिचित रह जाते हैं।
4. अर्हता के बदले वरिष्ठता को भारत में अत्यधिक महत्व दिया जाता है। योग्यता के सिद्धांत को पदोन्नति के वक्त उपयुक्त स्थान नहीं मिल पाता है। इसके अनुशीलन की अपेक्षा इसका उल्लंघन अधिक किया जाता है।
5. पदोन्नति की सुव्यवस्थित मशीनरी के अभाव में भारत में अनुचित मनमाने और अव्यवस्थित ढंग से भी पदोन्नति दी जाती है तथा पदोन्नति में पक्षपात या अन्याय होने की स्थिति में इसके विरुद्ध अपील करने की कोई प्रभावकारी पद्धति नहीं है।
6. पदोन्नति के अवसर कम और प्रत्याशी अधिक होने के कारण अविश्वास एवं अन्य दुष्परिणाम सामने आते हैं।

इन कमियों को दूर करने के लिए यह सुझाव दिया गया था कि एक उपयुक्त एवं सुव्यवस्थित पदोन्नति की नीति को अपनाया जाना चाहिए। कर्मचारियों की सेवा रिकार्डों को निष्पक्ष भाव से रखा जाना चाहिए तथा मूल्यांकन अपील करने के लिए एक प्रभावशाली मशीनरी की स्थापना भी होनी चाहिए। सभी सरकारी सेवाओं में सभी स्तरों पर पदोन्नति करने के लिए समितियों या बोर्डों की स्थापना आवश्यक है तथा मध्यम स्तरीय पदों से ही अधिकारी परीक्षा तथा साक्षात्कार की शुरुआत हो जानी चाहिए। पदोन्नति की नीति हेतु अनुमान समिति (प्रथम लोकसभा) ने भी व्यापक सुझाव दिये थे। उसके अनुसार पदोन्नति का आधार योग्यता हो, न कि सेवारत व्यक्तियों की वरिष्ठता। कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में निर्णय का अधिकार केवल उन्हीं व्यक्तियों को होना चाहिए जिन्होंने कुछ

समय तक उनके कार्य और आचरण की जांच की हो। कम से कम एक तीन सदस्यीय कमेटी की अनुशंसा के आधार पर ही, जिसका एक सदस्य उस व्यक्ति के कार्य से सुपरिचित हो, पदोन्नति की जानी चाहिए और प्रत्येक ऐसे मामले में, जहां किसी वरिष्ठ अधिकारी के हित की अपेक्षा की गई हो समिति को लिखित रूप में वरिष्ठता की अपेक्षा करने के कारणों के स्पष्ट करना चाहिए।

पदोन्नति व्यवस्था की सफलता अनेक बार तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारणों के कारण होती है किंतु कभी-कभी यह इसलिए भी हो जाता है कि कार्मिक प्रबंधन उपयुक्त पदोन्नति व्यवस्था की मूलभूत विशेषताओं से परिचित नहीं होता। सरकारी सेवा के सभी पदों को आवश्यक योग्यता और कर्तव्यों का उल्लेख करते हुए मापदंडों का निर्धारण किया जाना चाहिए। विभिन्न सेवाओं और श्रेणियों में वर्गीकरण भी इस कड़ी में आवश्यक है। कर्मचारियों की पदोन्नति एक वैज्ञानिक आधार पर क्रियान्वित होने के लिए विविध तथ्यों को एक साथ समाहित किया जाना आवश्यक है।

अभ्यास प्रश्न-

1. किसने पदोन्नति को कार्मिक प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य बताया है?
2. एक ही वर्ग में निम्न से उच्च श्रेणी में पदोन्नति क्या कहलाता है?
3. पदोन्नति शब्द अंग्रेजी भाषा के किस शब्द का पर्यायवाची है?
4. भारत में लोक सेवा में पदोन्नति का सूत्रपात कब हुआ?
5. 2006 में गठित छठे केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे?

15.9 सारांश

वर्तमान में लोक सेवकों की पदोन्नति कार्मिक प्रबंधन का एक अभिन्न अंग है। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप यह जान चुके होंगे कि पदोन्नति जीवन वृत्ति सेवा का एक अनिवार्य अंग है तथा सक्षम अधिकारियों को सेवा में सर्वोच्च पद पर पहुंचने में सहायता करने का सर्वाधिक सशक्त माध्यम भी है। पदोन्नति प्रशासन को पहले से ही सेवारत कार्मिकों के सर्वोत्तम प्रतिभाओं एवं अनुभव का उपयोग करने में भी सहायता प्रदान करते हैं। यह सेवारत लोगों के मध्य से ही रिक्त स्थानों को अप्रत्यक्ष रूप से भरे जाने की प्रक्रिया है। विश्व के बहुत सारे देशों में पदोन्नति के अर्हता सिद्धांत को स्वीकार किया गया है, लेकिन साथ ही वरिष्ठता को भी उचित स्थान दिया गया है। सरकार के कार्यों के विस्तार के साथ ही प्रशासन जटिल और तकनीकी बन गया है, जिसके लिए विशेष ज्ञान और कार्यकुशलता की आवश्यकता है। उचित पदोन्नति प्रणाली योग्य व्यक्तियों को सार्वजनिक सेवा की ओर आकर्षित करने तथा सेवा छोड़कर जाने से रोकने के लिए आवश्यक है। पदोन्नति से समस्त प्रशासन प्रत्येक स्तर पर लाभान्वित होता है। इससे कार्मिकों में संतोष बने रहने तथा सेवा ना छोड़ने की सोच बनी रहती है। साथ ही यह संगठन के कार्यों का उत्तरदायित्व पूर्ण तरीके और कुशलता से निर्वहन करता है। पदोन्नति प्रणाली कर्मचारियों के काम के प्रति उनकी रुचि बनाए रखती है तथा अच्छा काम करने के लिए उन्हें प्रेरित भी करती रहती है।

15.10 शब्दावली

कार्मिक- कर्मचारी, अर्हता- योग्यता, वरिष्ठता- सेवा प्रारंभ करने की तिथि से लेकर गणना की गयी सेवा की अवधि, सेवा रिकार्ड- किसी कर्मचारी के संबंध में कार्यालय द्वारा रखा गया उसका व्यक्तिगत सेवा रिकार्ड, विभाग- नीतियों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु मंत्रालय का एक भाग, कार्य कुशलता स्तर- पूर्व सेवा के आधार पर किसी कार्मिक की सेवा का तुलनात्मक रूप से मूल्यांकन

15.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. विलोबी, 2. क्षेत्रीय पदोन्नति या श्रेणी आधारित पदोन्नति, 3. प्रमोट (promote), 4. 1669 में, 5. न्यायमूर्ति बी. एन. कृष्णा

15.12 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. शर्मा, एम. पी., 2005, लोक प्रशासन, किताब महल, इलाहाबाद।
2. भट्टाचार्य, मोहित, 2012, लोक प्रशासन, वर्ल्ड प्रेस, कोलकाता।
3. अवस्थी और माहेश्वरी, 2010, लोक प्रशासन, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा।
4. निग्रो, फेलिक्स ए., 1963, पब्लिक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, हाल्ट, न्यूयॉर्क।

15.13 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. सरन, पी., 2005, आधुनिक लोक प्रशासन, मीनाक्षी प्रकाशन, नयी दिल्ली।
2. अवस्थी एवं अवस्थी, 2017, भारत में लोक प्रशासन, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा।
3. डे, बाटा के., 1978, भारत में नौकरशाही का विकास और लोक प्रबंध, उप्पल पब्लिशिंग हाउस, नयी दिल्ली।

15.14 निबन्धात्मक प्रश्न

1. पदोन्नति के अर्थ एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
2. पदोन्नति के उद्देश्य एवं पदोन्नति के प्रकार का मूल्यांकन कीजिए।
3. पदोन्नति प्रणालियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
4. पदोन्नति की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।
5. भारत में प्रचलित पदोन्नति पद्धति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

इकाई- 16 प्रशिक्षण

इकाई की संरचना

- 16.0 प्रस्तावना
- 16.1 उद्देश्य
- 16.2 प्रशिक्षण का अर्थ
- 16.3 प्रशिक्षण का महत्व
- 16.4 विकासशील देशों में प्रशिक्षण
- 16.5 प्रशिक्षण के उद्देश्य
- 16.6 प्रशिक्षण के प्रकार
- 16.7 प्रशिक्षण की पद्धतियाँ एवं तकनीक
- 16.8 लोक सेवकों के प्रशिक्षण की अवधारणा
- 16.9 प्रशिक्षण की भारतीय प्रणाली
- 16.10 भारत में प्रशिक्षण एजेंसियां और संस्थाएं
- 16.11 प्रशिक्षण की भारतीय प्रणाली का मूल्यांकन
- 16.12 सारांश
- 16.13 शब्दावली
- 16.14 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 16.15 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 16.16 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 16.17 निबन्धात्मक प्रश्न

16.0 प्रस्तावना

प्रशिक्षण एक निश्चित उद्देश्य के लिए लोगों का ज्ञान और कौशल बढ़ाने हेतु एक संगठित गतिविधि है। प्रशिक्षित कार्मिक किसी भी संगठन की मूल्यवान परिसंपत्ति हैं और ये संगठन की प्रगति और स्थायित्व के लिए जिम्मेवार हैं। किसी कार्यविशेष को कुशलता के साथ करने हेतु कर्मचारियों के ज्ञान, कुशलता, अभिरुचि तथा क्षमताओं में वृद्धि की प्रक्रिया का नाम प्रशिक्षण है। राज्य के कार्यों में अत्यधिक विस्तार होने के कारण लोक सेवकों की महत्ता विगत कुछ वर्षों से काफी बढ़ गई है। लोक प्रशासन की गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता इसके कार्मिकों पर निर्भर करती है। लोक सेवाओं में नियुक्त व्यक्ति पूर्व से ही न्यूनतम शैक्षिक योग्यताधारी होते हैं। आमतौर पर लोक सेवा में प्रवेश करने से पूर्व ही वे अपनी शिक्षा पूरी कर चुके होते हैं, परंतु शिक्षा की प्रक्रिया उसके बाद भी जारी रहती है। विभिन्न परिवर्तनों एवं तकनीक से उनकी कुशलता और दक्षता को सुधारने का प्रयास किया जाता है। इस कार्य शिक्षा को लोक सेवाओं में प्रशिक्षण कहा जाता है। भारत जैसे विकासशील देश में प्रशिक्षण कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु कई प्रशिक्षण संस्थाएं स्थापित की गई हैं और समय-समय पर इनमें आवश्यक संरचनात्मक एवं व्यवहारिक परिवर्तन भी किए गए हैं। प्रशिक्षण लोक सेवा की कुशलता के लिए नितांत आवश्यक है। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य शासकीय कृत्यों के लिए कर्मचारियों को भलीभांति तैयार करना है।

वर्तमान युग में प्रशासन का कार्य अधिक जटिल और दुरूह हो गया है और इसके कुशल निष्पादन हेतु विशेष ज्ञान और तकनीकी कुशलता की आवश्यकता होती है। बदलते परिदृश्य में नए मापदंडों पर खरे उतरने के लिए प्रशिक्षण अत्यावश्यक है। आज प्रशिक्षण कार्मिक प्रबंधन का एक अभिन्न अंग है। भारत सहित प्रायः सभी देशों

में लोक सेवाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के उपयुक्त और प्रभावी शिक्षण हेतु व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इस इकाई का उद्देश्य पाठकों को प्रशिक्षण के महत्व, आवश्यकता, प्रकार और विभिन्न तकनीकों से परिचय कराना है। साथ ही भारत में वर्तमान प्रशिक्षण प्रणाली का मूल्यांकन भी करेंगे।

इस इकाई के द्वारा पाठकों को प्रशिक्षण का अर्थ, महत्व, विकासशील देशों में प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षण के उद्देश्य, प्रशिक्षण के प्रकार तथा प्रशिक्षण की पद्धतियाँ एवं तकनीक से परिचय कराना है। इसमें लोक सेवकों के प्रशिक्षण की अवधारणा, प्रशिक्षण की भारतीय प्रणाली, भारत में प्रशिक्षण एजेंसियां और संस्थाएं, प्रशिक्षण की भारतीय प्रणाली का मूल्यांकन आदि विषयों पर भी विस्तार से चर्चा होगी।

16.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप-

- प्रशिक्षण का अर्थ, महत्व एवं उद्देश्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- साथ ही प्रशिक्षण के प्रकार तथा प्रशिक्षण की पद्धतियाँ एवं तकनीक के बारे में जान सकेंगे।
- पाठक भारत में प्रशिक्षण की प्रणाली, प्रशिक्षण एजेंसियां और संस्थाएं को समझने में सक्षम हो पाएंगे तथा
- प्रशिक्षण की भारतीय प्रणाली का मूल्यांकन कर पाएंगे।

16.2 प्रशिक्षण का अर्थ

प्रशिक्षण प्रशासन एवं प्रबन्धन की एक विधा है। किसी भी लोकतान्त्रिक व्यवस्था में प्रशिक्षण को आवश्यक माना गया है। प्रशिक्षण का उद्देश्य ऐसे तंत्र की स्थापना करना होता है जो समय-समय पर लोक सेवकों के वास्तविक व्यवहार को सकारात्मकता देता रहे और नवीनतम ज्ञान एवं निपुणताओं में वृद्धि भी करे। प्रशिक्षण कार्य एवं संगठन की आवश्यकताओं के लिए एक कर्मचारी के ज्ञान निपुणताओं, व्यवहार, अभिरूचियों तथा मनोवृत्तियों में सुधार करता है, परिवर्तन उत्पन्न करता है तथा ढालता है। प्रशिक्षण का उद्देश्य लोक सेवकों की कार्यकुशलता और क्षमता को बढ़ाना है।

प्रशिक्षण का शाब्दिक अर्थ किसी खास कला या व्यवसाय शिक्षा देना है। लोक प्रशासन में प्रशासन का अर्थ किसी कर्मचारी की कार्यकुशलता, शक्ति और बुद्धिमत्ता को सुधारने तथा वांछित दिशा में उसकी रुचि और मूल्य को विकसित करने का सक्रिय प्रयास करना है। व्यापक अर्थों में प्रशिक्षण जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है।

शिक्षा के समान ही प्रशिक्षण जीवन पर्यंत चलने वाली एक लंबी प्रक्रिया है, परंतु शिक्षा की तुलना में प्रशिक्षण के उद्देश्य सीमित और निश्चित होता है। शिक्षा किसी व्यक्ति के बाल्यकाल से प्रारंभ होकर व्यक्तित्व, चरित्र, व्यवहार, रुचियां, क्षमता, आदि के निर्माण को प्रभावित करती है और व्यापक मानसिकता उत्पन्न करती है। परंतु प्रशिक्षण किसी विशेष किस्म के कार्य अथवा व्यवसाय के लिए अपेक्षित कार्यकुशलता और ज्ञान में सुधार करता है। इस प्रकार प्रशिक्षण की अपेक्षा शिक्षा अधिक व्यापक अवधारणा है। फिर भी प्रशिक्षण और शिक्षा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अधिकांश बार वे परस्पर व्यापी होते हैं। साधारण शब्दों में, प्रशिक्षण किसी कार्य विशेष को सम्पन्न करने के लिए एक कर्मचारी के ज्ञान एवं निपुणताओं में वृद्धि करने का कार्य है। प्रशिक्षण एक अल्पकालीन शैक्षणिक प्रक्रिया है तथा जिसमें एक व्यवस्थित एवं संगठित कार्य-प्रणाली उपयोग में लायी जाती है, जिसके द्वारा एक कर्मचारी किसी निश्चित उद्देश्य के लिए तकनीकी ज्ञान एवं निपुणताओं को सीखता है। इस प्रकार प्रशिक्षण एक

सीखने का अनुभव है। जिसके अन्तर्गत यह एक कर्मचारी में तुलनात्मक रूप से स्थायी परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, जो कि उसके कार्य का निष्पादन क्षमता में सुधार लाता है।

विभिन्न विद्वानों के द्वारा प्रशिक्षण को निम्नलिखित रूपों में परिभाषित किया गया है-

मैण्डेल के अनुसार, “प्रशिक्षण का अर्थ है- नये कार्य के लिये अभिनवीकरण, वर्तमान कार्य के लिए ज्ञान तथा कुशलता का विकास एवं भावी उत्तरदायित्वों के लिए तैयारी।”

एडविन बी. फिलिप्पा के अनुसार, “प्रशिक्षण किसी कार्य विशेष को करने के लिए एक कर्मचारी के ज्ञान एवं निपुणताओं में वृद्धि करने का कार्य है।”

स्टाल (Stahl) के मतानुसार, “कर्मचारी वर्ग के विकास में प्रशिक्षण मानवीय प्रयास के निर्देशन का एक मूल तत्व है और इस रूप में यह उस समय अधिक प्रभावशाली रहता है जबकि इसे नियोजित, व्यवस्थित एवं मूल्यांकित किया जाता है।”

एस.एल. गोयल कहते हैं, “प्रशिक्षण- (क) एक कार्य प्रक्रिया है, (ख) जिसके द्वारा कार्मिक की क्षमताओं को बढ़ाया जा सकता है, (ग) जिससे कि अपने सांगठनिक कार्यों का निष्पादन करने के लिए अपेक्षित ज्ञान, कुशलताओं तथा रुझानों के अर्थों में सांगठनिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, (घ) अपेक्षाकृत थोड़े समय में ही।”

विलियम जी. टोर्पे की परिभाषा के अनुसार, “प्रशिक्षण, कर्मचारियों के मौजूदा सरकारी पदों के लिए और भविष्य के सरकारी पदों के लिए उनको तैयार करने के उनकी कुशलताओं, आदतों, ज्ञान प्रवृत्तियों का विकास करने की प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य उनकी प्रभावशीलता में वृद्धि करना है।”

अवस्थी और माहेश्वरी कहते हैं कि, “प्रशिक्षण लोकसेवकों की कार्यक्षमता बढ़ाने के एक सुस्पष्ट प्रयास है और यह व्यावसायिक ज्ञान, व्यापक दृष्टि तथा व्यवहार के सही ढंग को प्रदान करके किया जाता है। यह लगातार महसूस की जाने वाली आवश्यकता के सम्मुख एक सतत या वांछित प्रयास है।”

इस प्रकार प्रशिक्षण एक सक्रिय, सुनियोजित और सुविचारित प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया के रूप में प्रशिक्षण विशेष और सीमित है। इसका अर्थ विशेष कार्य अथवा व्यवस्था के बारे में शिक्षण देना है। इसका प्रयोजन कर्मचारियों की उनके कार्य कुशलता ज्ञान और कार्य क्षमता को सुधारना है तथा इसका लक्ष्य कर्मचारियों को उच्च जिम्मेदारियों के लिए तैयार करना भी है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि जब लोक सेवकों की योग्यता, कुशलता, बुद्धि व दृष्टिकोण को एक निश्चित दिशा में अग्रसर करने का प्रयास किया जाता है तो यह प्रशिक्षण कहलाता है। प्रशिक्षण एक संगठित प्रक्रिया है, जिसके द्वारा लोग किसी निश्चित उद्देश्य के लिए ज्ञान तथा/अथवा निपुणताओं को सीखते हैं।

16.3 प्रशिक्षण का महत्व

प्रशिक्षण कार्मिक प्रशासन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर प्रशासनिक कार्यकुशलता बहुत हद तक निर्भर करती है। बदली हुई परिस्थितियों में प्रशिक्षण की आवश्यकता अत्यधिक महसूस की गई है। प्रशिक्षण प्रबंध का सर्वप्रथम एवं सर्वोपरि उत्तरदायित्व है। संगठन के कार्यों को संपन्न कराने के लिए शिक्षण एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में उभरा है। प्रशिक्षण के माध्यम से कर्मचारी अपने कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से संपन्न करने में समर्थ होता है। व्यक्ति में जो कुशलता, आदत, ज्ञान आदि जो पूर्व में विद्यमान रहते हैं, उन्हें प्रशिक्षण द्वारा अधिक परिमार्जित किया जा सकता है। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य प्रशासन में कार्यकुशलता स्थापित कर कर्मचारियों को उच्च स्तर के कार्यों का उत्तरदायित्व वहन करने की क्षमता विकसित करना है तथा उनकी तकनीकी योग्यताओं के विकास द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उनकी कार्यकुशलता को बढ़ाना भी है। प्रशासनिक अधिकारियों के दृष्टिकोण को

व्यापक बनाने में प्रशिक्षण का अत्यधिक योगदान है। इस प्रकार अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मानसिक एवं बौद्धिक क्षमता में वृद्धि प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण कार्य है।

सरकार के निरंतर कार्यों में विस्तार के फलस्वरूप प्रशासन अब जटिल विशेषज्ञ और तकनीकी बन गया है। योग्यता प्रणाली पर आधारित भर्ती नीतियां और कार्यक्रम लोक सेवाओं में सर्वोत्तम योग्यता प्राप्त और सक्षम व्यक्तियों को चुनने का प्रयास करते हैं। कुशल प्रशासन हेतु लोक सेवकों को उपयुक्त एवं प्रभावी प्रशिक्षण आवश्यक है। लोक सेवा के कर्मचारियों का प्रशिक्षण आधुनिक काल में प्रबंधन का महत्वपूर्ण पहलू है। अधिकांश चुने गए व्यक्तियों में उपाधियां पूर्व से ही धारित होती है जो बदलते परिदृश्य में पर्याप्त नहीं होती। प्रशिक्षण अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नवीन परिस्थितियों के अनुसार प्रशासनिक कार्यों को कुशलता पूर्वक करने में मददगार सिद्ध होता है एवं उसकी कार्यकुशलता एवं दक्षता को सुधारता है। लोक सेवकों को अपने संगठन के लक्ष्यों और उद्देश्यों, संघ कार्य के स्वरूप, वास्तविक कार्य करने की तकनीक और पद्धतियों के बारे में ज्ञान प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा दिया जा सकता है। इसी प्रकार बदलते हुए परिदृश्य में अर्जित ज्ञान और कार्यकुशलता को नवीन एवं अद्यतन बनाने हेतु प्रशिक्षण आवश्यक है, जो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

प्रशिक्षण का उद्देश्य कर्मचारियों को उनके वर्तमान तथा आगामी कार्यों से परिचित होने हेतु सक्षम बनाना है। प्रशिक्षण एक सक्रिय, सुनियोजित और सुविचारित प्रक्रिया है। प्रशिक्षण के महत्व निम्नलिखित हैं-

1. उच्चतर कार्यनिष्पादन- प्रशिक्षण के द्वारा समग्र रूप से संस्था तथा कर्मचारी दोनों के कार्य की गुणवत्ता तथा मात्रा बेहतर बनती है। ज्ञान, कार्यकुशलता तथा उत्पादकता में वृद्धि होती है।
2. प्रक्रियाओं की एकरूपता- इसके द्वारा कार्य करने की सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध कार्यविधियों का मानकीकरण किया जा सकता है तथा उन्हें सभी कर्मचारियों को सिखाया जा सकता है, जिससे कार्यनिष्पादन की गुणवत्ता में सुधार होता है।
3. सीखने की कम अवधि- इससे कार्यनिष्पादन के स्वीकार्य स्तर तक पहुंचने हेतु आवश्यक सीखने की अवधि तथा लागत दोनों में कमी लाने में सहायता मिलती है। कर्मचारियों को गलतियां करके तथा दूसरों को देखकर काम सीखने पर समय व्यर्थ नहीं गंवाना पड़ता।
4. कम पर्यवेक्षण- इससे कर्मचारियों के विस्तृत तथा निरंतर पर्यवेक्षण की आवश्यकता कम होती है तथा वे अपने कार्य में आत्मनिर्भर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है।
5. उच्च मनोबल- इससे कर्मचारियों के कार्य संबंधी संतोष तथा मनोबल में वृद्धि होती है तथा सकारात्मक सोच विकसित होती है, जिसके कारण वे अपने कार्य तथा संस्था के प्रति अधिक सहायक तथा वफादार बनते हैं। अनुशासन तथा संबंधों में सुधार आने के फलस्वरूप अनुपस्थिति की दर तथा श्रमिकों के आवर्तन में कमी आती है।
6. सहभागितापूर्ण प्रबंधन- इससे प्राधिकारों के प्रत्यायोजन तथा विकेंद्रीकरण में सहायता मिलती है। प्रशिक्षित कर्मचारी नये तथा चुनौतीपूर्ण कार्य स्वीकार करने हेतु तत्पर रहते हैं।

16.4 विकासशील देशों में प्रशिक्षण

प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य प्रशासनिक अधिकारी को अपने कार्य में कुशल एवं दक्ष बनाना है। प्रशिक्षण के पश्चात् कर्मचारी का व्यक्तित्व तो वही रहता है, किन्तु उसके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन आ जाता है। विश्व के सभी देशों में लोक सेवकों का प्रशिक्षण एक आवश्यक तथ्य है, किंतु विकासशील देशों में इसकी आवश्यकता और महत्व अधिक है। विकासशील देशों में प्रशिक्षण की तात्कालिक आवश्यकता के कई महत्वपूर्ण कारक हैं। इन कारकों की वजह से विकासशील देशों में विकास नीतियों की संपूर्ण सफलता उपयुक्त प्रशिक्षण पर ही निर्भर है। अधिकांश विकासशील देशों में सामान्यतया प्रशिक्षित और योग्यता प्राप्त व्यक्तियों की कमी है और प्रशिक्षण की

सुविधाएं और प्रशिक्षण संस्थान अपर्याप्त हैं। सरकार के कार्यों में निरंतर वृद्धि के फल स्वरूप लोक सेवकों को नए प्रकार के कार्यों को संपादित करने में उच्च कोटि की दक्षता और तकनीकी दृष्टि से प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। प्रशासन जटिल, तकनीकी और विशेषीकृत हो गया है, वहीं दूसरी ओर विकासशील देशों में सामाजिक आर्थिक स्थितियां लगातार बदल रही हैं और तीव्र गति से होने वाले परिवर्तनों की चुनौतियों के लिए प्रशासन के नवीनीकरण की आवश्यकता है। विकासशील देशों में चलाए जाने वाले विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन असाधारण तेजी और दक्षता से करने के लिए अक्सर प्रशासन पर दबाव बना रहता है, जिसे लोक सेवकों के प्रशिक्षित होने की अवस्था में ही तुरंत निस्तारित किया जा सकता है।

16.5 प्रशिक्षण के उद्देश्य

प्रशासनिक कार्यों को सम्पन्न करने की एक निश्चित विधि होती है जिसे प्रशिक्षण के माध्यम से ही सीखा जा सकता है। प्रशिक्षण का उद्देश्य केवल तकनीकी कार्यों एवं नित्य के कार्यों का निष्पादन सिखाना ही नहीं वरन् एक समझदार एवं गम्भीर दृष्टिकोण का विकास करना भी है। प्रशिक्षण, कार्यों को सही एवं प्रभावपूर्ण ढंग से सम्पन्न करने के लिए कर्मचारियों को जानकारी प्रदान करने की प्रक्रिया है, जिससे कि उनकी कार्य के प्रति समझ, कार्यक्षमता तथा उत्पादकता में वृद्धि हो सके।

लोकसेवकों के लिए प्रशिक्षण की भूमिका का विश्लेषण सर्वप्रथम ब्रिटेन में एशेटन कमेटी रिपोर्ट, 1944 में किया गया था। प्रशिक्षण के उद्देश्यों के बारे में इसने कहा था कि बड़े स्तर के किसी भी संगठन में कुशलता दो तत्वों पर निर्भर है। उसको सौंपे गए कार्य विशेष को करने के लिए व्यक्ति की तकनीकी कुशलता और एक संगठित संस्था के तौर पर संगठन की कम सुनिश्चित कुशलता, जो संस्था को संघटित करने वाले व्यक्तियों की सामूहिक भावना और उनके दृष्टिकोण से पैदा होती है। प्रशिक्षण को इन दोनों का ध्यान रखना चाहिए। एशेटन कमेटी रिपोर्ट, 1944 ने प्रशिक्षण के निम्नलिखित पाँच उद्देश्य बताये-

कार्मिकों में विश्व सनीय कार्य चातुर्य उत्पन्न करना।

- कार्मिकों को इस योग्य बनाना कि वे परिवर्तित परिस्थितियों में अपने कार्य को दक्षतापूर्वक एवं सुगमता से सम्पदा कर सकें।
- कार्मिकों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाकर उन्हें अनुभव कराना कि वे सेवक हैं, स्वामी नहीं।
- कार्मिकों में सामुदायिक भावना उत्पन्न करना तथा उन्हें यन्त्रीकरण से बचाना।
- कार्मिकों को दायित्वों की पूर्ति हेतु अधिक क्षमता प्रदान करना।

किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि इसके उद्देश्यों का निर्धारण कितनी कुशलता से किया गया है। सामान्यतः संगठनों द्वारा अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए जो उद्देश्य होते हैं, वे निम्नलिखित प्रकार से हैं-

1. कर्मचारियों को नवीनतम ज्ञान, अवधारणाओं, सूचनाओं एवं तकनीकों के विषय में जानकारी प्रदान करने तथा उन निपुणताओं, जिनकी उन्हें अपने-अपने विशेष क्षेत्रों में आवश्यकता है अथवा होगी, उनको विकसित करने के द्वारा उन्हें उनके वर्तमान पदों पर अधिक प्रभावपूर्ण रूप से कार्य सम्पन्न करने के लिए सहायता प्रदान करना।
2. कार्य एवं संगठन की वर्तमान तथा साथ ही परिवर्तित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नये तथा पुराने दोनों कर्मचारियों को तैयार करना तथा लोकसेवक को उन कार्यों के अनुकूल बनाना जो उसे एक परिवर्तनशील जगत में करने को दिए गए हैं।

3. न्यूनतम लागत, अपव्यय एवं बर्बादी तथा न्यूनतम पर्यवेक्षण पर कर्मचारियों से श्रेष्ठ ढंग से कार्य सम्पादन को प्राप्त करना।
4. प्रशिक्षण की सहायता से लोक सेवकों में जनकल्याण की भावना उत्पन्न करना।
5. वैयक्तिक एवं सामूहिक मनोबल, उत्तदायित्व की अनुभूति, सहकारिता की मनोवृत्तियों तथा मधुर सम्बन्धों को बढ़ावा देना।
6. स्थानान्तरण एवं पदोन्नति के सम्बन्ध में नवीन कार्य-दशाओं में समायोजित करने के लिए कर्मचारियों को तैयार करना।
7. कर्मचारियों की आत्म-विश्लेषण करने की योग्यता तथा कार्य सम्बन्धी निर्णय क्षमता का विकास करना तथा विभागीय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु लोक सेवकों को व्यावसायिक दृष्टि से कुशल बनाना।
8. लोक सेवकों की दृष्टि ओर दृष्टिकोण को व्यापक बनाना।
9. इस मनोवृत्ति का पोषण करना कि लोकसेवक मालिक नहीं, बल्कि जनसेवक हैं।
10. मानव संसाधन विकास के लक्ष्यों की पूर्ति करना आदि।

अतः निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि प्रशासन में प्रशिक्षण कर्मचारियों के दक्षता सुधारता है। साथ ही कर्मचारियों की व्यवसायिक कार्यकुशलता और ज्ञान को प्रशिक्षण बढ़ाता है, ताकि वे अपना काम प्रभावी ढंग से कर सकें। नए कर्मचारियों के संगठन में प्रवेश का प्रशिक्षण एक सहायक माध्यम है और उसे संगठन के लक्षण तथा उद्देश्य संगठन में उसकी अपनी भूमिका तथा उसके कार्यों के निर्वहन की तकनीकी ज्ञान और पद्धतियों से अवगत कराता है जिसके फलस्वरूप कर्मचारी संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपना सर्वोत्तम योगदान दे सकते हैं। प्रशिक्षण कर्मचारियों को क्षेत्र विशेष में हुए नवीनतम प्रगति और विकास की जानकारी देता है इस प्रकार उन्हें ज्ञान से अद्यतन बनाए रखता है। संगठन के लक्ष्य और तकनीकों में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं इसलिए प्रशिक्षण कर्मचारियों को नए संगठनात्मक परिवर्तनों के अनुकूल बनाता है। प्रशिक्षण में भर्ती किए गए व्यक्तियों में विद्यमान कमियों को पूरा करता है तथा सरकार के प्रशासनिक कार्यों के लायक बनाने तथा उसी दिशा में डालने के लिए प्रशिक्षण अत्यावश्यक है। प्रशिक्षण कर्मचारियों में निष्ठा और मनोबल बढ़ाता है तथा कर्मचारियों के लिए सामुदायिक सेवा और अपनेपन की भावना विकसित करता है। कर्मचारियों को इस बात का एहसास होता है कि वे और उनका काम संगठन और समुदाय का अनिवार्य अंग है। कार्यों में समर्पण कर्मचारियों को गौरव परम संतोष प्रदान करता है।

16.6 प्रशिक्षण के प्रकार

सभी प्रजातांत्रिक देशों में लोक सेवकों का प्रशिक्षण बुनियादी महत्व का होता है। प्रशिक्षण न केवल नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए आवश्यक है बल्कि उनके लिए भी आवश्यक है, जो सेवा में कार्यरत हैं। इसकी प्रकृति अलग-अलग हो सकती है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम देश में विद्यमान सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक दशाओं को रखकर तैयार किए जाते हैं। प्रशिक्षण देशों में भिन्न-भिन्न प्रकार से और विभिन्न तकनीकों से दिया जाता है।

सामान्यतया प्रशिक्षण को निम्नलिखित श्रेणियों में विभक्त किया जाता है-

1. **औपचारिक एवं अनौपचारिक प्रशिक्षण (Formal and Informal Training)**- मूलतया प्रशिक्षण दो प्रकार के होते हैं- अनौपचारिक और औपचारिक। अनौपचारिक प्रशिक्षण का अर्थ है- वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन के अधीन वास्तविक काम करते हुए काम सीखना। अतः यह प्रशिक्षण अनुभव से या परीक्षण और चूक पद्धति (Trial & Error Method) द्वारा होता है। प्रशिक्षु को प्रशासनिक कुशलता की प्राप्ति वास्तविक काम करते हुए अर्थात् व्यवहार के दौरान होती है। इसको 'काम पर प्रशिक्षण' कहते हैं। लोक प्रशासन में यह प्रशिक्षण की परंपरागत पद्धति है। ए.डी. गोरवाला के शब्दों में

“एक अच्छे कलेक्टर (जिलाधीश) का घर नए सहायक कलेक्टर के लिए अक्सर ही उसका दूसरा घर होता है।” दूसरी ओर, औपचारिक प्रशिक्षण विशेषज्ञ मार्गदर्शन तथा निरीक्षण के अंतर्गत व्यवस्थित ढंग से पूर्व नियोजित और सुस्पष्ट पाठ्यक्रमों के द्वारा दिया जाता है।

औपचारिक प्रशिक्षण उस किस्म का प्रशिक्षण है जिसकी योजना व्यवस्था और संचालन विशेषण और मार्गदर्शन में सावधानी के साथ किया जाता है। निश्चित समय अवधि के दौरान विशेष रूप से चुने गए प्रशिक्षणार्थियों के समूह को प्रशिक्षण संस्थानों में विशेषज्ञ प्रशिक्षक अथवा विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत औपचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। औपचारिक प्रशिक्षण की परम्परा प्रक्रिया में पूर्व निर्धारित योजना के अन्तर्गत विशिष्ट प्रशिक्षकों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण विधिवत् प्रशिक्षण केन्द्र में संगोष्ठी वाद-विवाद व्याख्यान आदि के माध्यम से दिया जाता है। इसमें विशेष प्रकार के प्रशासनिक कौशल एवं कार्यविधि का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके विपरीत अनौपचारिक प्रशिक्षण अनुभव एवं व्यक्तिगत सम्पर्क पर आधारित होता है। इसमें नवनियुक्त अधिकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रहकर उसके आचरण को देखकर अनुभव ज्ञान एवं कौशल ग्रहण करता है। इसमें वास्तविक रूप से तैयार किया गया अध्ययन पाठ्यक्रम तथा व्याख्यान संगोष्ठी या कार्यशाला में समूह चर्चा, सम्मेलन, कार्य परियोजनाएं, लिखित परीक्षाएं इत्यादि होती है। यह पूर्णकालिक या आंशिक हो सकता है। प्रशासनिक दक्षता सुधारने की आवश्यकता को देखते हुए औपचारिक प्रशिक्षण किया प्रणाली काफी लोकप्रिय हैं।

वहीं दूसरी ओर, अनौपचारिक प्रशिक्षण अनुभव द्वारा प्राप्त शिक्षण है, जिसे कर्मचारी अपने संगठन में वास्तविक निर्धारित कार्य के दौरान अर्जित करता है। यह संगठनात्मक क्रियाकलाप है। अनौपचारिक प्रशिक्षण के लिए कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए कोई योजना बनाना आवश्यक नहीं है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षक अथवा किसी प्रकार के प्रशिक्षण संस्थान की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी कोई निश्चित अवधि भी नहीं होती है और ना ही इसके लिए विशेष रूप से चुने गए प्रशिक्षणार्थियों के समूह की आवश्यकता होती है। यह लोक प्रशासन में प्रशिक्षण का परंपरागत तरीका है और व्यावहारिक प्रशासन इसे आज भी प्राथमिकता देते हैं, परंतु यह प्रक्रिया सीखने की सबसे कठिन तरीका है और इसमें कर्मचारियों को काफी धैर्य और लता की आवश्यकता होती है। अनौपचारिक प्रशिक्षण अधिकांश देशों में लोकप्रिय नहीं है।

अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन प्रशिक्षण (Short-Term and Long-Term Training)- अल्पकालीन प्रशिक्षण अल्पविधि के लिए दिया जाता है, जबकि दीर्घकालीन प्रशिक्षण एक लम्बे समय तक चलता है। अल्पकालीन प्रशिक्षण किन्हीं विशेष परिस्थितियों में दिया जाता है। जैसे- युद्ध के समय मोर्चे पर भेजते समय नवनियुक्त सैनिकों को दिया गया प्रशिक्षण। इसके विपरीत दीर्घकालीन प्रशिक्षण में विषय की गहन जानकारी एक लम्बी अवधि में प्रदान की जाती है। जैसे- शान्तिकाल में सैनिकों को दिया गया प्रशिक्षण। यह प्रशिक्षण जटिल व तकनीकी प्रकृति का होता है।

अवधि के अनुसार प्रशिक्षण को अल्पकालिक और दीर्घकालिक वर्गों में रखा जाता है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम यदि कुछ सप्ताहों या एक-दो माह का होता है तो उसे अल्पकालिक प्रशिक्षण कहते हैं और यदि यह छह महीने से एक या दो-तीन वर्ष का होता है तो उसे दीर्घकालिक प्रशिक्षण कहा जाता है। भारत में दीर्घकालिक प्रशिक्षण का उदाहरण भारतीय विदेश सेवा का प्रशिक्षण है जिसकी अवधि तीन वर्ष होती है।

2. **विभागीय एवं केन्द्रीय प्रशिक्षण (Departmental and Central Training)-** विभागीय प्रशिक्षण विभाग या कार्यालय के अन्दर ही अनुभवी विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रदान किया जाता है।

यह प्रशिक्षण विभाग की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप दिया जाता है। इसके विपरीत उच्च एवं जटिल कार्यों के लिए प्रशिक्षण विभाग के केन्द्रीय मुख्यालय या केन्द्रीय सत्ता द्वारा दिया जाता है। प्रशिक्षण जब विभाग द्वारा (विभाग के अंदर) आयोजित किया जाता है तो उसे विभागीय प्रशिक्षण कहते हैं। यह विभाग के वरिष्ठ एवं अनुभवी सदस्य देते हैं। इस प्रकार के प्रशिक्षण का उदाहरण एस. बी. पी. राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद द्वारा दिया जाने वाला प्रशिक्षण है। दूसरी ओर विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन जब केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान द्वारा होता है तो उसे केन्द्रीय या केन्द्रीयकृत प्रशिक्षण कहते हैं। इस प्रकार के प्रशिक्षण का उदाहरण एल.बी.एस. राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी द्वारा दिया जाने वाला प्रशिक्षण है।

3. **कौशल एवं सामान्य प्रशिक्षण (Skill and General Training)**- कौशल प्रशिक्षण विशिष्ट योग्यता प्रदान करने के उद्देश्य से दिया जाता है। उदाहरणार्थ- पुलिस विभाग को आपराधिक कृत्यों की खोज व निवारण हेतु दिया गया प्रशिक्षण। इसके विपरीत, सामान्य प्रशिक्षण किसी विशिष्ट कौशल को बढ़ाने के लिए नहीं वरन् कार्य-सम्पादन को सुगम बनाने की दृष्टि से दिया जाता है। इसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि क्षेत्रों की जानकारी देते हुए ऐसी पृष्ठभूमि तैयार की जाती है, जिससे कि प्रशिक्षणार्थी सरलता से विषय को ग्रहण कर सकें।
4. **प्रवेश-पूर्व, सेवाकालीन एवं प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण (Pre-Entry, in-Service and Post-Entry Training)**- लोक सेवाओं में प्रवेश से पूर्व दिया गया प्रशिक्षण प्रवेश-पूर्व प्रशिक्षण है, जबकि किसी व्यक्ति विशेष को सेवा में प्रवेश के बाद दिया गया प्रशिक्षण प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण कहलाता है। महाविद्यालयों और विश्व विद्यालयों की औपचारिक शिक्षा के पश्चात् चयनित लोक सेवकों का प्रशिक्षण विभिन्न संस्थानों में आयोजित किए जाते हैं। इसे सेवाकालीन प्रशिक्षण भी कहा जाता है। सेवाकालीन प्रशिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक पद्धति का संयुक्त रूप भी हो सकता है और इस सेवा के सभी स्थानों पर दिया जा सकता है। इससे कर्मचारी की दक्षता और कार्य निष्पादन सुधारने में सहायता मिलती है तथा उन्हें व्यवसायिक रूप से अधिक सक्षम और योग्य बनाया जाता है। कभी-कभी कर्मचारी के वास्तविक कार्य से प्रवेश उत्तर प्रशिक्षण का सीधा संबंध नहीं होता परंतु उनकी सामान्य योग्यता और संगठनात्मक कार्य निष्पादन सुधारने प्रत्यक्ष रूप से बहुत सहायक होता है। सेवा में पद-स्थापन से पूर्व दिया जाने वाला प्रशिक्षण 'प्रवेश-पूर्व प्रशिक्षण' कहलाता है। शिक्षण संस्थाएँ इस प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। वर्तमान में विश्व विद्यालयों में तकनीकी व व्यावसायिक प्रशिक्षण को विशेष महत्व दिया जा रहा है। सेवाकालीन प्रशिक्षण पहले से कार्यरत कर्मियों को दिया जाता है जिससे कि वे अपने कार्य को अधिक कुशलता व दक्षता के साथ सम्पन्न कर सकें। यह एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। यह प्रशिक्षण सामूहिक या व्यक्तिगत किसी भी रूप में हो सकता है। महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय की शिक्षा तथा व्यवसाय अथवा तकनीकी शिक्षा को प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण की संज्ञा दी गई है। विगत वर्षों में सरकार ने प्रशासकीय एवं प्रबंधकीय पदों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को संचालित करने के लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना की है। कुछ ऐसे संस्थान भी हैं जो सेवा से पूर्व प्रशिक्षण के लिए विविध प्रकार की व्यवस्थाएं संचालित करते हैं। प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण काफी प्रचलित प्रथा है। सेवाकालीन प्रशिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक पद्धति का संयुक्त रूप हो सकता है तथा इसे सेवा के सभी स्तरों पर दिया जाता है। कर्मचारियों की दक्षता और कार्य निष्पादन सुधारने में सहायता मिलती है तथा उन्हें व्यवसायिक रूप से अधिक सक्षम और योग्य भी बनाया जाता है। यह प्रशिक्षण उन प्रत्याशियों को दिया जाता है जो सार्वजनिक सेवा में निकट भविष्य में प्रवेश करना चाहते हैं।

दूसरे शब्दों में, यह विभिन्न संस्थानों और कॉलेजों में दिए जाने वाला व्यावसायिक शिक्षण है। यह शिक्षण एप्रेंटिसशिप और इंटरशिप के रूप में संयुक्त राज्य अमरीका में बेहद लोकप्रिय है।

5. **अनुस्थापन प्रशिक्षण (Orientation Training)**- अनुस्थापन प्रशिक्षण सेवाकालीन प्रशिक्षण का ही एक प्रकार है। किसी भी संगठन में नवनियुक्त कर्मचारियों को उसके पद व स्थिति से महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है, उसे ही 'अनुस्थापन प्रशिक्षण' कहा जाता है। अभिविन्यास प्रशिक्षण नए लोक सेवकों को संगठन कार्य करने की स्थिति तथा पद्धतियों का ज्ञान से परिचय वही विन्यास प्रशिक्षण द्वारा दिया जाता है। यह एक योजनाबद्ध प्रशिक्षण है जिसका मूल उद्देश्य कर्मचारियों की मूल अवधारणा, नए वातावरण संगठन के लक्ष्य और उद्देश्य और संगठन में उसके अपने स्थान से परिचित कराना है। हाल के वर्षों में विभिन्न देशों में इस प्रकार के प्रशिक्षण का महत्व बढ़ रहा है।

इस प्रकार विभिन्न संगठनों द्वारा अपने उद्देश्यों एवं आवश्यकताओं के आधार पर भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उपयोग अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने हेतु किया जाता है। ज्ञान का नवीनीकरण एवं विकास सूचनाओं का प्रसार, कार्य-शैलियों में परिवर्तन तथा वैयक्तिक विकास आदि इस प्रशिक्षण के प्रमुख उद्देश्य हैं।

16.7 प्रशिक्षण की पद्धतियाँ एवं तकनीक

प्रशिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संगठनों के कर्मचारियों के ज्ञान, निपुणताओं तथा रुचियों में वृद्धि की जाती है। विभिन्न संगठनों की परिवर्तित आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह अत्यन्त आवश्यक है कि कर्मचारियों के लिए उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाये। लोक सेवकों को प्रशिक्षण प्रदान करने में विविध विधियों का उपयोग किया जाता है, जिनमें महत्वपूर्ण पद्धतियाँ हैं-

1. **औपचारिक शिक्षा द्वारा प्रशिक्षण**- आजकल अधिकांश देशों में औपचारिक शिक्षा द्वारा प्रशिक्षण की तकनीक अपनाई गई है। इसके अंतर्गत व्याख्यान या कक्षाएं आयोजित करके नवनियुक्त कर्मचारियों को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा औपचारिक रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है। यदा-कदा बाह्य विशेषज्ञों द्वारा भी व्याख्यान का आयोजन भी किया जाता है। निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर यह प्रशिक्षण सामूहिक चर्चा, संगोष्ठी, अभिभाषण और कार्यशाला पर आधारित होती है। विभागीय अध्यक्ष भी इस दौरान कर्मचारियों को संबोधित करता है तथा उन्हें आवश्यक निर्देश भी देता है। औपचारिक प्रशिक्षण में फिल्म, दृश्य, श्रवण उपकरण तथा कंप्यूटरों का ही प्रयोग किया जाता है। व्याख्यान पद्धति प्रशिक्षण का यह सबसे पुराना तरीका है। इसमें वरिष्ठ विद्वानों तथा अनुभवी अधिकारियों द्वारा व्याख्यान दिए जाते हैं। इनसे प्रशिक्षुओं को उनके काम के विभिन्न पक्षों पर नई-नई जानकारियाँ मिलती हैं। व्याख्यान विधि का एक लाभ यह है कि यह एक प्रत्यक्ष विधि है, जिसे कि प्रशिक्षार्थियों के एक बड़े समूह के लिए प्रयोग किया जा सकता है। अतः इससे समय एवं धन, दोनों की बचत होती है। इस विधि का प्रमुख दोष यह है कि इसके द्वारा केवल सैद्धान्तिक ज्ञान की प्रदान किया जा सकता है, व्यावहारिक ज्ञान नहीं।
2. **कार्य करते हुए अर्जित अनुभव द्वारा प्रशिक्षण**- प्रायः अधिकारी और कर्मचारी कार्य करने के दौरान अर्जित अनुभवों से बहुत कुछ सीखते हैं और इसी सीखने की प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए उनका स्थानान्तरण एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग में किया जाता है। वरिष्ठ तथा अनुभवी अधिकारियों द्वारा समय-समय पर अनुदेश या निर्देश इस सीखने की प्रक्रिया में नए कर्मचारियों की सहायता करते हैं। अल्पकालिक तौर पर अंतर विभागीय विनिमय कार्यक्रम या अध्ययन दौरे द्वारा भी कर्मचारियों की दक्षता को सुधारने का प्रयास किया जाता है। समय के साथ यह सीखने की प्रक्रिया अधिक परिपक्व होती जाती है और प्रशासक के रूप में उसकी कार्यशैली में आवश्यक सुधार भी लाती है। लेकिन यह पद्धति काफी

धीमी है और इसमें अत्यधिक समय भी लगता है। अक्सर इसके स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्य और निश्चित समय सीमा नहीं होती है।

3. **प्रशिक्षण की सम्मेलन पद्धति-** वर्तमान समय में यह पद्धति सर्वाधिक प्रचलित है। प्रशिक्षण हेतु विभिन्न विभागों से चुने गए अधिकारियों एवं कर्मचारियों के समूह को एक मंच पर लाकर चर्चा द्वारा अनुभव और विचारों को साझा किया जाता है। प्रशिक्षण की यह व्यवस्था विश्लेषण पद्धति भी कही जाती है। इसमें दूसरों के अनुभव से सीखने का पर्याप्त अवसर भी प्राप्त होता है और प्रशिक्षण पा रहे कर्मचारियों की भूमिका भी सक्रिय बनी रहती है। चर्चा को सही दिशा में रखने के लिए अनुदेशक का कार्य भी महत्वपूर्ण हो जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कई अन्य देशों में सम्मेलन पद्धति बहुत ही लोकप्रिय है। भारत में भी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के अल्पकालिक प्रशिक्षण के लिए इस पद्धति का उपयोग किया जाता है। इस विधि के अन्तर्गत, सामूहिक विचार-विमर्श द्वारा सूचनाओं एवं विचारों का आदान-प्रदान किया जाता है। इसके उद्देश्य एक समूह के ज्ञान एवं अनुभव से सभी को लाभान्वित करना होता है। इस विधि के अन्तर्गत भाग लेने वाले विभिन्न विषयों पर अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं, तथ्यों, विचारों एवं आँकड़ों का आदान-प्रदान एवं परीक्षण करते हैं, मान्यताओं की जाँच करते हैं, निष्कर्षों को निकालते हैं तथा परिणामस्वरूप कार्यों के निष्पादन में सुधार हेतु योगदान देते हैं।
4. **प्रशिक्षण की अभिषद (सिंडीकेट) पद्धति-** प्रशिक्षण की इस पद्धति का जन्म इंग्लैंड में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज (हेनले-ओन-थेम्स) में हुआ था। इस पद्धति में तीन या चार प्रशिक्षुओं के छोटे से दल को अध्ययन परियोजना का काम दिया जाता है। सामान्य सदस्यों के मार्गदर्शन में प्रशिक्षु से उस विषय का गहन अध्ययन कराया जाता है। अतः यह प्रशिक्षण की भागीदारी पद्धति है। अभिषद दो प्रकार के होते हैं- जानकारी संग्रह और समस्या समाधान।
5. **विषय अध्ययन पद्धति-** इसमें विषय विशेष का सघन और गहरा अध्ययन किया जाता है। इसके लिए वास्तविक मामलों का वर्णन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिनको अध्ययनाधीन मामले का निजी अनुभव होता है। इसके बाद सामान्य सदस्य के निर्देशन और देख-रेख में सामूहिक परिचर्चा की जाती है। इस तरीके से लोकसेवकों की समझ और कार्यक्षमता विकसित होती है।
6. **संवेदनशीलता प्रशिक्षण-** यह सबसे जटिल और नवीनतम पद्धति है। प्रशासनिक सिद्धांत के साहित्य में कर्मचारियों की व्यक्तिगत प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए इस पद्धति का सुझाव क्रिस आर्गिरिस ने दिया था। इसको टी-ग्रुप ट्रेनिंग भी कहते हैं। इसका लक्ष्य है- व्यवहार के अपेक्षित ढंगों के प्रति प्रशिक्षुओं की मनोवृत्तियों का अनुकूलना। ए.आर. त्यागी के शब्दों में- “टी-ग्रुप में प्रशिक्षु अपनी स्वभावगत विलक्षणताओं को अपने साथी प्रशिक्षुओं के सामने लाते हैं जो आपसी व्यवहार के द्वारा उनको रगड़कर साफ कर देते हैं। ये प्रशिक्षु अपने पुराने व्यवहार के प्रति सचेत हो जाते हैं जिसका पता उनको अन्यथा कभी नहीं चल पाता और इस प्रकार यह पद्धति उन्हें आत्मविश्लेषण तथा आत्मविकास का अवसर प्रदान करती है।”

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रशिक्षण की कोई भी पद्धति सर्वश्रेष्ठ नहीं है। इसे आवश्यकता समय एवं उद्देश्यों को देखकर ही निर्धारित किया जाना चाहिए। भिन्न-भिन्न देश प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकताओं के अनुकूल जिन विभिन्न पद्धतियों का समावेश कर अपने कार्यक्रमों को संचालित करते हैं। संगोष्ठी, सम्मेलन, कार्यशाला, सामूहिक चर्चाएं और क्षेत्र के दौरे इस संदर्भ में काफी आवश्यक हो जाते हैं। पुनश्चर्या और अभिविन्यास पाठ्यक्रम की उपयोगिता भी इस संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण हो जाती है।

16.8 लोक सेवकों के प्रशिक्षण की अवधारणा

राज्य के कार्यों में निरंतर वृद्धि होने के साथ-साथ लोक प्रशासन में शिक्षण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की उपयुक्त योजना का निर्माण आवश्यक हो गया है। नियुक्ति के पश्चात प्रशासकीय क्षमता पर कार्मिकों के प्रशिक्षण का काफी प्रभाव पड़ता है। सरकार के प्रत्येक कार्य के लिए उसके अनुरूप प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। संसदीय प्रजातंत्र की परंपरा के प्रति सम्मान की भावना का विकास एवं राष्ट्रीय दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने हेतु यह आवश्यक हो जाता है कि लोक सेवकों को दक्ष और कार्य कुशल बनाने के साथ-साथ उन्हें तदनु रूप प्रशिक्षित भी किया जाए। भारत विविधताओं का देश होने के कारण अलग-अलग प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त है। ग्रामीण एवं शहरी विभाजन रेखा तथा निरंतर बदलते परिदृश्य में लोक सेवकों का अभिमुखीकरण एक आवश्यक तथ्य है।

प्रशिक्षण की अवधारणा समय के साथ परिवर्तित होती रही है। प्राचीन काल में गुरु- शिष्य परंपरा एक प्रथा थी, इसमें गुरु से स्पष्ट ज्ञान, कार्यकुशलता और कला सीखने के लिए विद्यार्थी अपने घर से दूर गुरुकुल आश्रम में रहते थे तथा विविध प्रकार के शिक्षाओं से प्रशिक्षित होते थे। परंतु यह व्यवस्था केवल समाज के उच्च वर्गों तक सीमित थी। सामान्य नागरिकों का व्यवसाय उनके जन्म और जाति के आधार पर तय होता था तथा उनके परिवार या समुदाय के अनुरूप ही औपचारिक या अनौपचारिक प्रशिक्षण दिया जाता था। निजी क्षेत्र व्यापार और प्रबंध के क्षेत्र में यूरोप में प्रारंभ औद्योगिक क्रांति के पश्चात व्यवस्थित और प्रणाली प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। उद्योग विस्तार के बाद कार्य कुशल और विशेषज्ञ कामगारों की आवश्यकता हुई ताकि कार्यकुशलता और गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। इस प्रकार प्रशिक्षण की तत्काल आवश्यकता औद्योगिक क्रांति के काल में प्रारंभ हुई। परंतु सामान्य प्रशासन के क्षेत्र में प्रशिक्षण को जरूरी नहीं समझा गया क्योंकि सरकार के कार्य सीमित थे। लोक सेवकों के परीक्षण प्रक्रिया के माध्यम से अनुभव द्वारा सीखने की उम्मीद की जाती थी और यही प्रणाली काफी लंबे समय तक चलती रही। आधुनिक युग में सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के बदलाव के कारण लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का विकास हुआ है। सरकार के कार्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है तथा समय के अनुसार वैज्ञानिक और औद्योगिक प्रगति प्रगति ने जीवन में काफी बदलाव लाए हैं। जिससे शासन के कार्यों में कई गुना वृद्धि हुई है। विकास प्रशासन को चलाने के लिए अत्यंत कुशल कार्मिकों की आवश्यकता है और इसके लिए योजनाबद्ध, प्रयोजनमूलक प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस की गई है। जिस कारण प्रत्येक देश में लोक सेवकों को किसी न किसी प्रकार से प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए गए हैं।

16.9 प्रशिक्षण की भारतीय प्रणाली

भारत में लोक सेवकों का प्रशिक्षण संबंधी समस्या और समाधान ब्रिटिश विचारधारा ने काफी हद तक प्रभावित किया है। स्वतंत्रता के पश्चात राज्य के कार्यों में वृद्धि के कारण प्रशासनिक सेवा के सदस्यों के लिए भारत में एक भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। संगठन एवं नियोजन विभाग की स्थापना के बाद प्रशिक्षण को और भी प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया। अनंतर योजना आयोग ने भी एक ऐसे प्रशिक्षण संचालक को नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया था जिसे कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अभिनव पाठ्यक्रम तथा व्यवस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रम संगठित करने का दायित्व सौंपा जाए। विशिष्ट सेवाओं के सदस्यों को दिए जाने वाले सामान्य प्रशिक्षण संबंधी ए. के. चंदा के सुझावों को गृह मंत्रालय ने काफी हद तक स्वीकार भी किया था। 1954 में गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को ऐसी आदेश दिए थे, जिनमें अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए अभिनव पाठ्यक्रम की प्रबंध संबंधी योजना प्रस्तावित की गई थी। 1957 में दिशा में प्रारंभिक कदम उठाया गया तथा 6 से 10 तक की नौकरी कर चुके भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा स्टाफ कॉलेज शिमला में पाठ्यक्रम शुरू किया गया। अनंतर गृह

मंत्रालय ने भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण विद्यालय, दिल्ली और भारतीय प्रशासनिक सेवा स्टाफ कॉलेज, शिमला- दोनों को मिलाकर मसूरी में राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जिसने एक सितंबर 1959 से कार्य आरंभ कर दिया। 2 अक्टूबर 1972 से इसे लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहा जाने लगा है। अखिल भारतीय सेवाओं जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा और केंद्रीय सेवाओं के प्रथम श्रेणी और परिविक्षाधीन अधिकारियों को दो चरणों में संस्थागत शिक्षण दिया जाता है- आधार पाठ्यक्रम और व्यवसायिक पाठ्यक्रम। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा परीक्षा में चयनित उम्मीदवार जिन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा तथा केंद्रीय सेवा वर्ग आवंटित किया जाता है, इन्हें एक साथ लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी उत्तराखंड में आधारभूत पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण दिया जाता है। आधारभूत पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षु अधिकारियों को लोक सेवाओं की मूलभूत जानकारी देने, उन्हें अभिप्रेरित करने, संविधान और प्रशासन तंत्र को समझने तथा भारतीय परिवेश और मूल्यों को जानने के अतिरिक्त अन्य सेवाओं के साथ समन्वय का भाव दिखाना होता है। आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षु अधिकारियों को भारत का सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, राजनीतिक सिद्धांत, भारत का संविधान और शासन, लोक प्रशासन विधि, आधारभूत अर्थशास्त्र और जनसंख्या अध्ययन तथा हिंदी भाषा का सामान्य अध्ययन करवाया जाता है।

इस आधारभूत प्रशिक्षण के बाद के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अकादमी में ही बने रहते हैं जबकि अन्य सेवाओं के अधिकारी अपने विशिष्ट प्रशिक्षण संस्थानों में अग्रिम प्रशिक्षण हेतु चले जाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में व्यवसायिक प्रशिक्षण भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए इसके बाद प्रारंभ होता है, जो 26 सप्ताहों तक चलता है। इसके अंतर्गत शिक्षकों को प्रशासनिक सेवाओं के दायित्वों का अध्ययन कराया जाता है।

व्यवसायिक प्रशिक्षण के पहले चरण के पूर्ण होने के बाद प्रशिक्षु अधिकारी आवंटित राज्य में जिला स्तरीय व्यवसाय प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, जो 1 वर्ष का होता है। इस दौरान 3 सप्ताह का संस्थागत प्रशिक्षण, जिसमें उन्हें राज्य के प्रशासनिक तंत्र से संबंधित सामने महत्वपूर्ण बातें सिखाई जाती है। इसके उपरांत प्रशिक्षु अधिकारियों को वास्तविक प्रशासनिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए विभिन्न कार्यालयों एवं क्षेत्रों में भेजा जाता है। इस प्रकार के प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य सामान्य कानून एवं नियम, कार्मिक प्रशासन, वित्तीय एवं राजस्व प्रशासन, भूमि सुधार और नियोजन तथा विकास का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना होता है। व्यावहारिक स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त करते समय आने वाली समस्याओं का निराकरण संबंधित जिलाधिकारियों के मार्गदर्शन में किया जाता है। जिला स्तरीय व्यवसायिक प्रशिक्षण के अंतिम चरण में राज्य प्रशासनिक अकादमी में 4 सप्ताह का संस्थागत प्रशिक्षण दिया जाता है। जिला स्तरीय प्रशिक्षण के सभी राज्यों के प्रशिक्षु अधिकारी एक बार फिर लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी, मसूरी आते हैं, जहां उनका व्यवसाय प्रशिक्षण का द्वितीय चरण जो अंतिम चरण भी है, प्रारंभ होता है। इस प्रकार के प्रशिक्षण का उद्देश्य शारीरिक- मानसिक रूप से तैयारी, विश्लेषण लेखन और संचार क्षमता विकसित करना और जिम्मेदार अधिकारी बनाना होता है। अंत में अधिकारियों की एक लिखित परीक्षाओं होती है, जो अकादमी द्वारा आयोजित की जाती है, जिसका संचालन संघ लोक सेवा आयोग करता है। इस परीक्षा में सफल अधिकारियों को तथा 1 साल या 18 माह का सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात उन्हें सेवा में स्थाई किया जाता है। प्रशिक्षण पूर्ण कर लेने के पश्चात भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का स्थानांतरण एक जिले से दूसरे जिले में होता है। अवर सचिव के रूप में उन्हें लगभग 18 महीने के लिए सचिवालय भेजा जाता है और और अनंत है 4 साल की सेवा के पश्चात में जिलाधिकारी पद प्रदान किया जाता है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण सेवा करने अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी भारत में की गई है। हितेन माया समिति एवं रामचंद्रन समिति ने भारतीय प्रशासनिक सेवा किए सेवाकालीन प्रशिक्षण का मूल्यांकन किया और इसमें आवश्यक सुधार की अनुशंसा की है।

भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को 3 वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का पहला चरण लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में 4 माह की आधारभूत प्रशिक्षण से प्रारंभ होता है। अनन्तर इन प्रशिक्षु अधिकारियों को इंडियन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, नई दिल्ली में 4 माह का विदेश नीति, अंतरराष्ट्रीय कार्यप्रणाली, अंतरराष्ट्रीय संबंध और भाषा की जानकारी का प्रशिक्षण दिया जाता है। अधिकारी किसी जिले के प्रशासन से संलग्न होता है, ताकि वह दायित्वों के व्यावहारिक संपर्क में आने योग्य हो जाए। साथ ही कुछ समय के लिए विदेश मंत्रालय के सचिवालय में भी प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिंदी और एक देश भाषा तथा ऐसे विषयों के अध्ययन पर बल दिया जाता है। जिसका ज्ञान प्राप्त करना उन्हें आवश्यक समझा जाता है। प्रशिक्षु अधिकारियों को कुछ दिनों के लिए सेना के किसी यूनिट में और भारत दर्शन के लिए भी भेजा जाता है।

भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में 16 सप्ताह के आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकैडमी, हैदराबाद में प्रशिक्षण हेतु जाते हैं, जहां उन्हें 1 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है। पहले यह संस्थान माउंट आबू में था लेकिन आंतरिक आपातकाल के दौरान इसे हैदराबाद स्थानांतरित कर दिया गया। अधिकारियों को सर्वप्रथम संस्थागत प्रशिक्षण दिया जाता है जो 4 सप्ताह का होता है। इसके अंतर्गत भारतीय दंड संहिता, अपराधशास्त्र, भारतीय साक्ष्य अधिनियम तथा भारतीय संवैधानिक व्यवस्था की जानकारी दी जाती है। विभिन्न हथियारों का प्रशिक्षण सेंट्रल ऑफ स्कूल टेक्टोनिक्स में दिया जाता है। प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में अपराध, मनोविज्ञान, अपराध का पता लगाने में सहायक वैज्ञानिक उपकरण, भ्रष्टाचार का सामना करने की नीतियों तथा अग्नि और संकट में रक्षा आदि का अध्ययन भी सम्मिलित होता है। 1 वर्ष के प्रशिक्षण के उपरांत उन्हें संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित एक परीक्षा उत्तीर्ण करना होता है। तत्पश्चात उन्हें व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु आरंभित राज्य में सहायक पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है, यहां उन्हें विभिन्न अधीनस्थ पदाधिकारियों के कार्य करके प्रभारी प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। इसके उपरांत ने सहायक पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया जाता है।

भारतीय लेखा परीक्षण एवं लेखा सेवा में नियुक्त प्रशिक्षु अधिकारियों को शिमला में अपने विभाग के प्रशिक्षण विद्यालय में प्रशिक्षित किया जाता है, जो लेखा परीक्षण एवं लेखा सेवाओं के विविध पहलुओं से संबंधित होता है। इस प्रशिक्षण के अंत में प्रशिक्षु अधिकारियों को उन विषयों की एक विभागीय परीक्षा भी उत्तीर्ण करना होता है, जिसका संबंध उनके कार्यों से होता है। विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात प्रशिक्षु अधिकारियों को सहायक लेखा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाता है।

भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारियों को राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी, नागपुर के प्रशिक्षण विद्यालय में अपने विभागीय कार्यों को अच्छे ढंग से संपादित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इनके पाठ्यक्रम में आयकर कानून तथा परीक्षा, विभिन्न संस्थानों में छापा मारने गए तथा अन्य नियम एवं विनियमों को शामिल किया गया है। इनकी प्रशिक्षण अवधि 18 माह की होती है।

भारतीय रेल सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा में नवनियुक्त अधिकारियों को यातायात, परिवहन रेलवे नियम, दुर्घटना राहत विधियों, तथा यात्रियों से संबंधित तथ्यों की जानकारी दी जाती है। प्रशिक्षण के दौरान इन्हें व्यावहारिकता का भी ज्ञान दिया जाता है। तत्पश्चात इन्हें विविध रेल जोन में भेज दिया जाता है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अलावा अन्य अखिल भारतीय सेवाओं तथा केंद्रीय सेवाओं के लिए नियमित अंतराल पर पुनश्चर्या प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार के प्रशिक्षण भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली; प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज हैदराबाद; राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज माउंट आबू; राष्ट्रीय ग्राम विकास संस्थान हैदराबाद; भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद इत्यादि संस्थाओं द्वारा समय-समय पर संचालित किए जाते हैं।

16.10 भारत में प्रशिक्षण एजेंसियां और संस्थाएं

अधिकांश विकासशील देशों की तुलना में भारत में लोक सेवकों के प्रशिक्षण की प्रक्रिया लंबी है। ब्रिटिश काल से ही उच्च लोक सेवकों के लिए संस्थागत प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी। भारत में सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में वरिन हेस्टिंग्स ने 'प्रशिक्षण' की आवश्यकता अनुभव की। उनके मतानुसार ईस्ट इंडिया कम्पनी के कर्मचारियों को भारतीय भाषाओं व पद्धतियों आदि का ज्ञान कराने के लिए प्रशिक्षण आवश्यक था। इसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हेतु लॉर्ड वेलेजली (1798-1805) ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। तत्पश्चात् 1813 ई में 'हेलिबरी कॉलेज' भी इसी उद्देश्य से स्थापित किया गया। यह सन् 1857 ई तक चलता रहा। इसके बाद लोक सेवकों को ब्रिटिश विश्वविद्यालय कैम्ब्रिज या किसी अन्य में प्रशिक्षण देने की पद्धति आरम्भ की गयी उन्हें भारतीय कानून, भारतीय भाषा, भारतीय राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक इतिहास का प्रशिक्षण प्राप्त करना होता था। एक भारतीय भाषा का ज्ञान होना भी अनिवार्य था।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों के कारण हुए सरकार के कार्यों में विस्तार के फलस्वरूप लोक सेवकों को प्रणालीबद्ध और अद्यतन प्रशिक्षण पर बल दिया गया है। लोक सेवकों का प्रशिक्षण आज केंद्र और राज्य सरकारों की कार्मिक नीति का अभिन्न अंग है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग अखिल भारतीय और केन्द्रीय सेवाओं की प्रशिक्षण नीतियां बनाने और उनका समन्वय करने और राज्य सरकार के कर्मचारियों की क्षमता निर्माण का कार्य भी करता है। केंद्र एवं राज्य सरकारों ने कई प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए हैं, जो लोक सेवकों को समय-समय पर उनके उनके सेवाकाल के दौरान भी सामान्य और व्यवसायिक दोनों प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। इन प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या अधिक है। स्वाधीन भारत में लोक सेवकों के प्रशिक्षण हेतु निम्नलिखित संस्थान हैं- लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, सरदार बल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली, सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान, नई दिल्ली, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज, हैदराबाद, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद, रेलवे स्टाफ कॉलेज, बड़ोदरा, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबन्धन, संस्थान, राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी, नागपुर। कुछ महत्वपूर्ण संस्थानों का विवरण निम्न है-

1. **लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी-** भारत में उच्च लोक सेवकों के प्रशिक्षण के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिक्षण केंद्र है। वर्ष 1959 में भारतीय प्रशासनिक सेवा स्टाफ कॉलेज, शिमला तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण विद्यालय, दिल्ली को संयुक्त कर इस संस्थान की स्थापना की गई थी। 2 अक्टूबर 1972 से इसे लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी नाम दिया गया। यह अकादमी भारतीय सिविल सेवाओं के सदस्यों को सामान्य बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शुरूआती स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करती है। अखिल भारतीय एवं केंद्रीय सेवाओं के नवनियुक्त प्रशिक्षु अधिकारियों को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन संस्थान मसूरी में 4 माह के आधारभूत पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण दिया जाता है और तत्पश्चात् वे अपनी-अपनी प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। आधार पाठ्यक्रम का उद्देश्य सामान्य दृष्टिकोण का

विकास है तथा मौलिक विषयों से शिक्षा देने के लिए सभी अखिल भारतीय सेवाओं के प्रथम वर्ग के लिए 5 महीने का पाठ्यक्रम आधारित पाठ्यक्रम भी कहा जाता है।

वर्ष 1969 से भारत सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षण के लिए नया प्रारूप प्रस्तुत किया है, जिसे 'सैंडविच पाठ्यक्रम' अर्थात् मिश्रित पाठ्यक्रम भी कहा जाता है। अधिकारियों, जिनका सेवा का लाभ हो 15 साल हो चुका है, वह छोटे-छोटे पाठ्यक्रम गोष्ठियों, सम्मेलनों आदि में सम्मिलित होते हैं। इन पाठ्यक्रमों का संबंध सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय नीति, अंतर विभागीय नियोजन और समन्वय आदि से संबंधित होता है। इन पाठ्यक्रमों के लिए सामान्य और प्राविधिक दोनों प्रकार के अधिकारी आमंत्रित किए जाते हैं। वर्तमान में इस अकादमी में तीन प्रकार के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था है- अखिल भारतीय परीक्षा अधीन अधिकारियों के अंतिम परीक्षा नियमों के अंतर्गत पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए 1 वर्ष पाठ्यक्रम तथा 10 साल तक के अधिकारियों के लिए सप्ताह का पाठ्यक्रम होता है।

2. **सरदार बल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद-** केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज, माउंट आबू, 1975 तक भारतीय पुलिस सेवा के नए नियुक्त अधिकारियों को प्रवेश के समय व्यवसायिक प्रशिक्षण देता था। अब इसका कार्य राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद करता है। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज, माउंट आबू अब भारतीय पुलिस सेवा और राज्य पुलिस सेवा दोनों के मध्यवर्ती और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को पुनःचर्चा प्रशिक्षण और सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह अकादमी भारतीय पुलिस सेवा के नए अधिकारियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। इस अकादमी का उद्देश्य भारतीय पुलिस के लिए ऐसे अधिकारियों को प्रशिक्षण द्वारा तैयार करना था जो बल का नेतृत्व ईमानदारी समर्पण और जनसेवा की भावना के साथ कार्य करें। केंद्रीय सचिव की अध्यक्षता में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के रूप में लेकर एक सलाहकार बोर्ड गठित किया जाता है जो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण करता है। यह पुलिस अकादमी भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए बुनियादी पाठ्यक्रम सेवाकालीन प्रबंधन पाठ्यक्रम आयोजित करती है। साथ ही पुलिस और अर्धसैनिक बलों के पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए विशेष पाठ्यक्रम भी चलाए जाते हैं। अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुशासन, चरित्र, अपराध शाखा, व्यवहारिक ज्ञान, विद्रोह और आतंकवाद, आपदा प्रबंधन, आम जनता-पुलिस संबंध पर विशेष बल देती है।
3. **प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज, हैदराबाद-** प्रशासकीय स्टाफ कॉलेज हैदराबाद की स्थापना प्राविधिक शिक्षा संबंधी अखिल भारतीय परिषद की सिफारिश पर 1957 में हुई थी। इंग्लैंड में स्थापित हैनले एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज की तर्ज पर गठित की गई है। सामान्यतया 8 से 15 वर्ष की व्यावहारिक अनुभव के आधार पर हर मनुष्य जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों के साथ रहने के कारण अपने कार्य के संबंध में एक अलग स्थिति में सोच कर उससे लाभ उठा सकता है तथा यह भी संभव है कि उसे उच्चतर उत्तरदायित्व के योग्य बनाने हेतु यह एक सर्वोत्तम सफल प्रमाणित शैक्षणिक चरण है। निजी क्षेत्र के प्रशासन सार्वजनिक क्षेत्र के सदस्य प्रशासकीय स्टाफ कॉलेज हैदराबाद में 10-10 की संख्या में सिंडिकेट के रूप में बांट दिए जाते हैं। विभिन्न विषयों के अनुभवी सदस्यों को एक साथ अपने अनुभवों को साझा करने का एक मंच प्रदान किया जाता है। शासकीय स्टाफ कॉलेज हैदराबाद में इस प्रकार के पाठ्यक्रम के मुख्य अंश संगठनों की संरचना, आंतरिक संबंध और प्रशासन तथा जीवन से संबंधित होते हैं। इन विषयों में अर्थशास्त्र, आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक संस्थाएं, नियोजन और विकास, व्यापारिक संबंध एवं सरकार, संविधान की कार्यप्रणाली, प्रबंधन, सार्वजनिक व्यापारिक लेखा तथा उद्योग जगत से संबंधित सूचनाओं का आदान-प्रदान होता है। प्रशिक्षण प्रणाली सामूहिक चर्चा के

आधार पर होती है। विभिन्न सुझावों के आधार पर एक विस्तारपूर्वक रिपोर्ट तैयार की जाती है और इन पर व्यापक चर्चा होती है।

4. **राष्ट्रीय ग्राम विकास संस्थान, हैदराबाद-** सन् 1956 में स्थापित संस्थान ग्राम विकास प्रशासन के क्षेत्र में नियुक्त उच्च और मध्यम स्तर के लोक सेवकों के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम में आयोजित करता है तथा ग्राम विकास से के क्षेत्र में यह अनुसंधान कार्य भी संपादित करता है। राष्ट्रीय विकास संस्थान हैदराबाद जून 1958 में इस उद्देश्य के साथ स्थापित किया गया था कि अधिकाधिक संख्या में ऐसे महत्वपूर्ण कर्मचारी तैयार किए जाएं, जो कार्यक्रम के प्रशासकीय एवं समाजशास्त्रीय पहलुओं से परिचित हों। ग्रामीण विकास में अध्ययन-अनुसंधान करना इस संस्था का प्रमुख अंग है। यह ग्रामीण विकास संस्थान पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का आयोजन करता है, जिसमें आधारभूत जानकारियां प्रदान की जाती है। पाठ्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी अपने विचारों एवं अनुभवों के परस्पर आदान-प्रदान से सामुदायिक विकास कार्यक्रम और समग्र राष्ट्रीय योजना के बीच अंतर संबंध को समझने का प्रयास करते हैं। साथ ही सामुदायिक विकास के लक्ष्य तक पहुंचने में संतुलन और समन्वय के प्रयोग पर भी इस कार्यक्रम में बल दिया जाता है। यह पाठ्यक्रम सामान्य प्रशासकीय नमूने जैसा संगठित प्रशिक्षण नहीं होता बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य कार्यक्रम में लगे प्रमुख कर्मचारियों में नए विचारों को जगाना और अनुभवों के आधार पर उन्हें बेहतर मंच प्रदान करना होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में विकास आयुक्त विकास से जुड़े अन्य अधिकारी शासन के सचिव, उप सचिव, प्राविधिक विकास विभागों के प्रधान एवं क्षेत्रीय पदाधिकारी, आयुक्त, जिलाधीश, अतिरिक्त जिलाधीश, चयनित खंड विकास अधिकारी तथा विविध केंद्र सरकार के मनोनीत अधिकारी और कर्मचारी भी प्रतिभाग करते हैं। यह संस्थान जनप्रतिनिधियों को भी प्रशिक्षित करने का कार्य संपादित करता है। इसके अंतर्गत संसद और विधानमंडल के सदस्य, जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं सदस्य, विश्व विद्यालय के प्रतिनिधि एवं अन्य देशों से भाग लेने वाली व्यक्तियों को भी यह प्रशिक्षित करता है।
5. **भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली-** भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना पॉल ऐपल्बी रिपोर्ट- 1953 की अनुशंसा के आधार पर 1954 में नई दिल्ली में की गई थी। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, लोक प्रशासन में अनुसंधान के अलावा केंद्रीय और राज्य सरकारों के वरिष्ठ और मध्य स्तर के कर्मचारियों के लिए अल्पकालिक अभिविन्यास और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित करता है। यह पाठ्यक्रम बड़े स्तर के अधिकारियों के लिए नियमित रूप से संचालित किए जाते हैं जो विशेषीकृत व्यवसायिक पाठ्यक्रम संबंधी विषयों के वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों के व्याख्यान पर निर्भर करता है। यह संस्थान विविध पाठ्यक्रमों द्वारा लोक सेवकों को लोक प्रशासन के विविध पहलुओं से परिचित कराता है। सामान्यतः केंद्र और राज्य सरकारों की उप सचिव एवं अवर सचिवों की श्रेणी के कर्मचारी इन पाठ्यक्रमों में भाग लेते हैं। मध्य श्रेणी के अधिकारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम लगातार संचालित किए जाते हैं जिसमें विचार-विनिमय का अवसर प्रदान करने के अतिरिक्त समस्याओं के संबंध में आधुनिकतम विचारों का आदान-प्रदान भी होता है। इसके साथ ही सामूहिक चर्चा, विचारों के आदान-प्रदान की आधार पर प्रशिक्षण कार्य संपादित किया जाता है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली 1975 से लगातार 9 माह का शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करता रहा है जो देश का एकमात्र अनूठा पाठ्यक्रम है।
6. **रेलवे स्टाफ कॉलेज, बड़ोदरा-** यातायात परिवहन तथा वाणिज्य विभाग तथा रेलवे लेखा सेवा के लिए नियुक्त कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त बड़ोदरा का स्टाफ कॉलेज सी भारत पदाधिकारियों के लिए विशेष पाठ्यक्रम का आयोजन भी करता है। भारतीय रेलवे लेखा सेवा के नवनि्युक्त कर्मचारी भी

आने में 2 माह का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम व्यवहारिक होता है। इसका सीधा संबंध नवीनतम कार्यप्रणाली से होता है।

7. **सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान, नई दिल्ली-** इस संस्थान का पुराना नाम केंद्रीय सचिवालय प्रशिक्षण है जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। केंद्रीय सचिवालय और क्षेत्रीय संगठन के पदाधिकारियों के पदों के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए संस्थान की स्थापना की गई थी। इसमें संगठन और नीतियां कार्यालय की कार्यप्रणाली वित्तीय नियम और विनियम इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाता है। शिक्षण पूर्ण करने के पश्चात व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए इन कर्मचारियों को विभिन्न मंत्रालय में नियुक्त किया जाता है। उच्च श्रेणी में कार्यरत कर्मचारियों के लिए यह विद्यालय पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का भी आयोजन करता है।

कई केंद्रीय सेवाओं के अलग-अलग शिक्षण संस्थान भी स्थापित है जो अपने लोक सेवकों को व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। पुलिस, आयकर, लेखा और लेखा परीक्षा, रेलवे, दूरसंचार, विदेश, व्यापार आदि सेवाओं के क्षेत्र में विभिन्न व्यवसायिक संस्थानों द्वारा उनके संबंधित सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए भी नया पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। राज्य में इस प्रकार की व्यवस्था विगत कुछ वर्षों में देखने को मिली है। इसके अतिरिक्त कुछ विश्वविद्यालय लोक प्रशासन और सार्वजनिक उद्यम विभाग आदि भी उच्च और मध्यम स्तरीय लोक सेवकों के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करते हैं। आयकर प्रशिक्षण विद्यालय, नागपुर; रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा; सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान नई दिल्ली; राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून; केंद्रीय लेखा परीक्षा और लेखा प्रशिक्षण स्कूल शिमला; अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थान मुंबई; राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान नई दिल्ली; राष्ट्रीय नागरिक सेवा महाविद्यालय नागपुर एवं प्रशिक्षण संस्थान सहारनपुर; डाक स्टाफ कॉलेज गाजियाबाद; भारतीय प्रबंध संस्थान हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, कोजिकोंड, चेन्नई; केंद्रीय संस्थान मुंबई; भारतीय राजस्व सेवा प्रशिक्षण संस्थान नागपुर; राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली; जयपुर लोक प्रशासन संस्थान; हिमालय पर्वतारोहण संस्थान पटियाला; पर्यावरण अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली; विविध क्षेत्रों में भारत के प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान हैं।

16.11 प्रशिक्षण की भारतीय प्रणाली का मूल्यांकन

राज्य के कार्यों में विस्तार के फलस्वरूप लोक प्रशासन के कार्यों में भी अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। वर्तमान युग में इस कारण लोक सेवकों की भूमिका अति महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत जैसे देश में लोक सेवकों को नवीनतम परिवर्तन एवं कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए समय-समय पर यथा अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते रहे हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों से कर्मचारियों और अधिकारियों को उनके ज्ञान और अनुभव में वृद्धि हुई है लेकिन प्रशिक्षण प्रणाली पूरी तरह से आशाओं पर खरी नहीं उतरती है। इसमें बहुत सारी कमियां हैं जो नीचे वर्णित की गई हैं-

1. प्रथम, भारत जैसे विशाल देश में जहां सरकार के कार्यों में निरंतर वृद्धि हुई है। प्रशिक्षण के लिए किए गए प्रबंध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं। वर्तमान प्रशिक्षण सुविधाओं से केवल थोड़े से ही लोक सेवकों को लाभान्वित किया जा सका है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या प्रकार की आवश्यकता से अधिक वृद्धि हुई है। ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन होने लगा है जो आकर्षक तो प्रतीत होते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं होते हैं। इन कार्यक्रमों में प्रशासन की वास्तविक समस्याओं पर सही विचार नहीं होता। बढ़ते महत्व को ध्यान रखते हुए प्रशिक्षण एक व्यवसाय सा प्रतीत होने लगा है।

2. द्वितीय, अखिल भारतीय एवं प्रथम श्रेणी के केंद्रीय और राज्य सेवाओं जैसे उच्च लोक सेवाओं के प्रवेश बिंदु और सेवाकालीन प्रशिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है। मध्य और निम्न स्तर के कार्मिकों के प्रशिक्षण आवश्यकता की पूर्ति इन कार्यक्रमों से नहीं होती है। निम्न स्तर के कर्मचारियों के लिए अद्यतन सेवाकालीन प्रशिक्षण की रूपरेखा तैयार नहीं की गई है। इसके परिणाम स्वरूप देश के लगभग 80 से 90 प्रतिशत कर्मचारी प्रशिक्षण से वंचित रह जाते हैं।
3. तीसरा, देश में सिविल सेवा के प्रशिक्षण को गंभीरता से नहीं लिया गया है जो पद्धतियां प्रशिक्षण के दौरान अपनाई जाती हैं, वह दूसरे देशों से ली गई होती हैं और भारतीय परिदृश्य में वह उपयुक्त नहीं बैठती। प्रशिक्षणार्थियों का चयन भी सावधानीपूर्वक नहीं किया जाता है। अक्सर प्रशिक्षणार्थियों के चयन में अफसरशाही राजनीति और संरक्षण आदि को महत्व दिया जाता है। प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति सरकार एवं संगठन के लिए लाभदायक होगा, यह सर्वथा सिद्ध नहीं होता। सर्वप्रथम बहुधा ऐसे कर्मचारी प्रशिक्षण के लिए प्रेषित किए जाते हैं, जिनका चयन वैध नहीं होता।
4. चौथा, प्रशिक्षण की विषय वस्तु अक्सर अधिकारी और कर्मचारियों के लिए प्रासंगिक और सार्थक नहीं होती। अधिकांश प्रशिक्षण एजेंसियां प्रशिक्षण कार्यक्रमों और प्रणाली बंधन सेवा विकास की आवश्यकताओं के बीच में कोई समन्वय नहीं रखती। अधिकांश प्रशिक्षण कार्यक्रम लोकतांत्रिक राजनीति तथा विकास प्रशासन की आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ हैं। प्रशिक्षण अधिकतर औपचारिक होता है जिसमें व्यावहारिक ज्ञान बहुत कम होता है। प्रशिक्षण का कार्मिक प्रबंधन से कोई संबंध है अक्सर देखने को नहीं मिलता। प्रायः देखने में आता है कि एक व्यक्ति को जिस क्षेत्र में प्रशिक्षण मिलता है, उसमें उसकी नियुक्ति नहीं होती। प्रशिक्षण में तकनीकी अध्ययन वालों को मनोविज्ञान और समाजशास्त्र की शिक्षा नहीं दी जाती है और सामान अध्ययन वाले को विज्ञान आदि की जानकारी दी जाती है। इस प्रकार प्रशिक्षणार्थी का बहुमुखी विकास नहीं हो पाता।
5. पांचवा, अधिकांश मामलों प्रशिक्षण संस्थान की परंपरागत व्याख्यान नाली अद्यतन और आदमी पद्धतियों वाली नहीं होती। प्रशिक्षण कार्यक्रम लगभग व्याख्यान पद्धति पर ही बल देता रहा है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विशेषकर लोक प्रशासन द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्य और चुनौतियों की दृष्टि से व्यावहारिक और उद्देश्य पूर्ण नहीं होते।
6. और अंत में, प्रशिक्षण प्रणाली का देश में शिक्षा और अनुसंधान तथा प्रशिक्षण निष्कर्षों और प्रशासन में दक्षता प्रशिक्षण के प्रभावों का प्रणाली के मूल्यांकन नहीं किया जाता है। आने वाले वर्षों में भारतीय प्रशिक्षण संस्था को सुधारने की काफी आवश्यकता है। लोक सेवकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम विगत कुछ वर्षों से आयोजित की जा रहे हैं उनमें कुछ कमियां प्रतीत होती है।

बदलते परिदृश्य में जिसे उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण के कारण प्रशासन की महत्व अधिक बढ़ा है। प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। कार्यकुशलता, प्रभावशीलता, नैतिकता आदि जटिल एवं चुनौतीपूर्ण उत्तरदायित्व के निर्वाह के लिए प्रशिक्षण को ज्ञान कौशल और अभिवृत्ति में विधि का कारक बनना होगा। साथी लोक सेवकों को नई प्रौद्योगिकी, ज्ञान, सूचना से परिचित होना अत्यंत आवश्यक है। प्रशिक्षण को क्षमता निर्माण का एक सशक्त माध्यम माना जाता है। लोक सेवकों को दायित्व निर्वहन की योग्य बनाने जनसाधारण के प्रति संवेदनशील बनाने एवं परिवर्तन करने योग्य बनाने के लिए लोक सेवाओं में कार्यकुशलता, मितव्ययिता और प्रभावशीलता लाने के लिए शिक्षण पद्धति का सहारा लिया जाता है। शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए प्रयासों की आवश्यकता है। भारतीय प्रशिक्षण पद्धति के दोषों को दूर करने के लिए आधारभूत पाठ्यक्रम के साथ-साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। बौद्धिक गुणों के विकास के साथ ही भारतीय संविधान के निदेशक तत्वों में वर्णित गुणों के विकास पर भी बल दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम इस

प्रकार का होना चाहिए कि प्रशिक्षणार्थी में परस्पर सहयोग की भावना एवं नेतृत्व आदि गुणों का विकास हो सके। प्रशासकों को सेवा काल के दौरान ही अवकाश देकर प्रशिक्षण हेतु भेजा जाना चाहिए। और, निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के प्रशिक्षण की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

कहा जा सकता है कि उचित व सफल प्रशिक्षण पर ही प्रशासनिक कार्यकुशलता निर्भर है। अतः इस दिशा में सार्थक कदम उठाना नितान्त आवश्यक है।

अभ्यास प्रश्न-

1. एशेटन कमेटी रिपोर्ट का संबंध किस देश से है?
2. लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहाँ स्थापित है?
3. भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली की स्थापना कब की गई थी?
4. प्रशासकीय स्टाफ कॉलेज हैदराबाद की स्थापना कब हुई थी?
5. सरदार बल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थापित है?

16.12 सारांश

वर्तमान में लोक सेवकों का प्रशिक्षण कार्मिक प्रबंधन का एक अभिन्न अंग बन गया है। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप यह जान चुके होंगे कि सरकार के कार्यों के विस्तार के साथ ही प्रशासनिक क्रियाकलाप जटिल और तकनीकी बन गए हैं जिसके लिए विशेष ज्ञान और कार्यकुशलता की आवश्यकता है। लोक सेवकों को उपयुक्त और प्रभावी प्रशिक्षण देने के लिए प्रायः सभी देशों में प्रशिक्षण की व्यापक व्यवस्था की गई है। भारत इसका अपवाद नहीं है। स्वतंत्रता के पश्चात नवीनतम उभरती हुई स्थिति के अनुरूप लोक सेवकों के जिम्मेदार और क्रियाशील बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को निर्धारित किया गया। प्रशिक्षण एक ऐसा मापदंड है जो लोक सेवकों को अपने सेवाकाल के दौरान किसी न किसी रूप में गुजरना ही पड़ता है जो उनकी क्रियाशीलता और कार्य कुशलता में वृद्धि करता है परंतु लोक सेवकों के प्रशिक्षण की सुविधा और प्रशिक्षण संस्थान की प्रचुरता के बावजूद भारतीय प्रशिक्षण प्रणाली वांछित परिणाम नहीं दे पाई है। इसमें बहुत सारी कमियां हैं, जिसमें समय के अनुसार सुधार लाने की आवश्यकता है। उचित व सफल प्रशिक्षण पर ही प्रशासनिक कार्यकुशलता एवं सफलता निर्भर है। अतः इस दिशा में सार्थक कदम उठाना नितान्त आवश्यक है।

16.13 शब्दावली

प्रवेश बिंदु- चयन के बाद की अवधि परंतु वास्तविक तैनाती से पहले, मंत्रालय- सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों के लिए कार्यकारी एवं उत्तरदायी संस्था, परिवीक्षाधीन- वास्तविक तैनाती के शुरुआती एक या दो वर्ष की अवधि, जिसमें प्रशिक्षण भी शामिल है, के दौरान लोक सेवकों को परिवीक्षाधीन अधिकारी कहा जाता है, अभिविन्यास- समय के अनुसार ज्ञान को अद्यतन करना, उपबंध- प्रावधान

16.14 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. ब्रिटेन, 2. मसूरी, 3. 1954 में, 4. 1957 में, 5. हैदराबाद

16.15 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. शर्मा, एम. पी., 2005, लोक प्रशासन, किताब महल, इलाहाबाद।
2. निग्रो, फेलिक्स ए., 1963, पब्लिक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, हाल्ट, न्यूयॉर्क।
3. सरन, पी., 2005, आधुनिक लोक प्रशासन, मीनाक्षी प्रकाशन, नयी दिल्ली।

-
4. भट्टाचार्य, मोहित, 2012, लोक प्रशासन, वर्ल्ड प्रेस, कोलकाता।
-

16.16 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

अवस्थी एवं माहेश्वरी, 2002, लोक प्रशासन, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा।

डे, बाटा के., 1978, भारत में नौकरशाही का विकास और लोक प्रबंध, उप्पल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।

16.17 निबन्धात्मक प्रश्न

1. प्रशिक्षण के अर्थ एवं महत्व पर प्रकाश डालिए।
2. प्रशिक्षण के उद्देश्य एवं प्रशिक्षण के प्रकार का वर्णन कीजिए।
3. प्रशिक्षण की पद्धतियाँ एवं तकनीक क्या हैं? विस्तार से वर्णन कीजिए।
4. प्रशिक्षण की भारतीय प्रणाली का मूल्यांकन कीजिए।
5. भारत में प्रशिक्षण एजेंसियों और संस्थाओं की कार्यप्रणाली का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

इकाई-17 वेतन प्रशासन

इकाई की संरचना

- 17.0 प्रस्तावना
- 17.1 उद्देश्य
- 17.2 वेतन का शाब्दिक अर्थ
- 17.3 वेतन निर्धारण के विभिन्न सिद्धान्त
- 17.4 कार्य मूल्यांकन की पद्धतियां
- 17.5 वेतन निर्धारण सम्बन्धी पद्धतियां
- 17.6 भारत में वेतन प्रशासन का इतिहास
- 17.7 स्वतंत्र भारत के वेतन प्रशासन में अपनाए गए सिद्धान्त
- 17.8 प्रोत्साहन एवं अन्य लाभ
- 17.9 सारांश
- 17.10 शब्दावली
- 17.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 17.12 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 17.13 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 17.14 निबन्धात्मक प्रश्न

17.0 प्रस्तावना

शासकीय संस्थाओं और कार्यालयों में कामकाज के वातावरण में सुधार करना ताकि उनमें नई कार्य संस्कृति, नया प्रशासकीय व्यवहार और नया उत्साह परिलक्षित हो और साथ ही इनमें पारदर्शिता, जवाबदेही, सहभागिता और जनकल्याण की भावना सतत बनी रही। इसके लिए इन सरकारी संस्थाओं में कार्य करने वाले कार्मिकों को उनकी योग्यता, दायित्व, स्तर एवं परिवेश के अनुरूप वेतन एवं सुविधा लाभ दिया जाना चाहिए। वर्तमान आर्थिक जटिलताओं के युग में समय-समय पर वेतन/प्रतिकार योजना का निर्धारण न केवल तर्क संगत हो बल्कि न्यायोचित भी होना चाहिए।

कार्मिक प्रशासन में सदाचार और ईमानदारी सुनिश्चित करने के भी प्रतिकार योजना अथवा वेतन योजना की अहम् भूमिका होती है। वेतन वर्गीकरण एक योजना पर आधारित है कार्मिक के सेवा में आने से काफी पहले ही वेतन दरों को निश्चित कर लिया जाता है ताकि सेवा प्रदान करने वाले नवयुवक उस लोक सेवा के गौरव और वेतन दरों के आकर्षण के पश्चात् तैयार हो जाएं। अर्थात् कोई नवयुवक किस सीमा तक किसी सेवा में कार्मिक बनने को तैयार होगा यह वास्तव में इस बात पर निर्भर करेगा कि संबंधित लोक सेवा में वेतन दरों एवं अन्य लाभों (सुविधाओं) का आर्थिक मूल्य क्या है। किसी भी कर्मचारी के रहन सहन का स्तर तथा उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा काफी हद तक उसे प्राप्त होने वाले वेतन पर ही निर्भर होती है।

प्रत्याशित वेतन एवं अन्य लाभों के आधार पर ही कोई व्यक्ति अपनी जीविका का चयन करता है। मैसन हैवे का कहना है कि “हमारे समाज में निःसंदेह वेतन किसी न किसी रूप में प्रेरणा के प्रमुख आधारों में से एक है। “लोक सेवकों को पर्याप्त, आकर्षक तथा सम्मानजनक वेतन देकर ही सेवाओं में बेहतर कार्य कुशलता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही स्थापित की जा सकती है। इस संबंध में लॉर्ड इस्लिंगटन का कथन है कि “सरकार अपने कर्मचारियों को इतना और केवल इतना वेतन दे जितना कि उचित प्रकृति एवं चरित्र वाले व्यक्तियों की भर्ती के लिए

आवश्यक हो और जिसके द्वारा वे संतुष्टि तथा प्रतिष्ठा की ऐसी मात्रा कायम रख सके जो उनको प्रलोभनों से बचाए एवं उन्हें सम्पूर्ण सेवाकाल तक कुशल बनाए रखे।”

17.1 उद्देश्य

- इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप-
- वेतन निर्धारण के सामान्य सिद्धान्तों को समझ सकेंगे।
- वेतन निर्धारण तथा कार्य मूल्यांकन की पद्धतियों के प्रति समझ प्राप्त कर सकेंगे।
- भारत में वेतन प्रशासन का वर्णन कर पाएंगे।
- स्वतंत्र भारत में वेतन प्रशासन की जानकारी ग्रहण कर सकेंगे।
- कर्मचारियों को मिलने वाले प्रोत्साहन एवं अन्य लाभों से भी परिचित हो सकेंगे।

17.2 वेतन का शाब्दिक अर्थ

वेतन को अंग्रेजी में ‘सेलरी’ (Salary) कहा जाता है जो मूलरूप से लेटिन शब्द ‘सेलेरियम (Salarium) से बना है। जिसका अर्थ होता है- नमक खरीदने के लिए धन देना अर्थात् ‘नमक-धन’ इसलिए जूलियस सीजर के द्वारा रोमन सैनिकों को दिया जाने वाला वेतन उस वक्त ‘सेलेरियम’ कहलाता था।

भारत में इसे अनेक नामों से जाना जाता है जैसे पारिश्रमिक, मेहनताना, वेतन तनख्वाह आदि। ‘तनख्वाह’ शब्द मुस्लिम शासकों के समय से प्रचलन में आया जिसका शाब्दिक अर्थ ‘तन’ अर्थात् शरीर तथा ‘ख्वाह’ अर्थात् आवश्यकता या जरूरत या ‘चाहने वाला’ इस तरह शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दिया जाने वाला पारिश्रमिक ‘तनख्वाह’ कहलाती है। सामान्यतया वेतन के लिए ‘पे’ (Pay) शब्द को भी प्रयोग करते हैं जो उचित नहीं है, क्योंकि ‘पे’ (Pay) शब्द बहुप्रयोगिक है। वेतन श्रद्धांजलि देना नहीं है जो ‘पे’ (Pay) के भावार्थ में निहित है। वेतन एक निश्चित समायावधि में किए गए कार्य का पारिश्रमिक है जो नियमित रूप से मौद्रिक भुगतान में होता है।

17.3 वेतन निर्धारण के विभिन्न सिद्धान्त

लोक सेवकों (सरकारी कर्मचारियों) को देय वेतनमान निर्धारण के सामान्य एवं विशेष सिद्धान्त निम्न प्रकार हैं-

1. सामान्य सिद्धान्त- वेतन निर्धारणका सामान्य एवं सर्वमान्य सिद्धान्त यह है कि वेतन के माध्यम से कार्मिक अपनी सामान्य आवश्यकताएं पूरी कर सके। वेतन का निर्धारण इस प्रकार हो कि कर्मचारी की सामान्य जरूरतें भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य संचार और मनोरंजन आदि समुचित रूप से पूरी हो जाएं। वेतन का समुचित ना होना या कम होना कार्मिक को अनुचित एवं अनैतिक साधनों की ओर बढ़ावा दे सकता है।
2. वेतन निर्धारण में दूसरा सिद्धान्त यह अपनाया जाना चाहिए कि ‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ हो। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में उक्त सिद्धान्त को संविधान के अनुच्छेद के अन्तर्गत अपनाया गया है जिसका सामान्य अर्थ है कि-एक ही पद पर कार्यरत या सेवारत दो अलग-अलग कार्मिकों को लिंग, वंश, धर्म, स्थान और क्षेत्र के आधार पर भिन्न-भिन्न वेतन देना न तो न्यायोचित होगा बल्कि समानता के अधिकार का उलंघन भी होगा। इससे कार्मिकों के मध्य असन्तोष एवं रोष व्याप्त होगा। हीनता या विभेदपूर्ण वातावरण संघर्ष को जन्म देगा और कार्य संस्कृति निम्न स्तर पर आ जाएगी।

इस लिए यह सुनिश्चित होना चाहिए कि समान कार्य के लिए समान वेतन हो उसमें किसी प्रकार की विसंगति न हो।

3. वेतन निर्धारण के क्रम में तीसरा सिद्धान्त यह है कि राष्ट्र की आर्थिक स्थिति अर्थात् प्रति व्यक्ति औसत आय को ध्यान में रखकर उसके समानुपात में ही कार्मिकों को वेतन देना उचित होगा, इससे जहां महँगाई दर को नियंत्रित रखने में मदद मिलती है वहीं समाज में आर्थिक विषमता नजर नहीं आएगी।
4. चतुर्थ सिद्धान्त यह भी है कि राज्य या सरकार को अपने कार्मिकों के समक्ष आदर्श नियोक्ता का उदाहरण बनकर प्रस्तुत होना चाहिए इससे न केवल लोक सेवकों को बेहतर कार्य दशाएं और पर्याप्त सुविधाएं मिलेंगी बल्कि अन्य नियोक्ताओं को भी श्रेष्ठ बनने की प्रेरणा मिलेगी और आर्थिक न्याय की स्थापना का व्यवहारिक आधार तैयार होगा। दैनिक मजदूरी से लेकर लोक सेवकों का वेतन निर्धारण आर्थिक आधार पर ही न होकर सामाजिक परीक्षणों पर भी हो।
5. इस क्रम पर पाँचवां सिद्धान्त यह है कि बाजार भाव और मूल्य-दरों में परिवर्तन के समानुपात में वेतन निर्धारण का परिवर्तन होना चाहिए। सामान्य अर्थ में यदि महँगाई कम हो तो वेतन कम हो और यदि महँगाई अधिक हो तो वेतन संरचना में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए।
6. वेतन निर्धारण के एक अन्य सिद्धान्त में इस बात का खास ध्यान रखना होता है कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था, भौगोलिक परिस्थितियां मांगों के समयानुकूल हों। विशेष रूप से भौगोलिक विषम परिस्थितियों में जीवन की कठिनाईयों का संज्ञान लेते हुए भी वेतन निर्धारण करना चाहिए (उदाहरण के लिए भारत में मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्रों का तुलनात्मक जीवन)।
7. वेतन निर्धारण की संरचना बनाते समय इस सिद्धान्त का अनुपालन भी सुनिश्चित होना चाहिए कि विभिन्न स्तर के कार्मिक के वेतनमानों के मध्य बहुत अधिक भेदभाव अथवा अन्तर न हो जो तार्किक संवाद से परे हो। वरिष्ठतम और कनिष्ठतम कार्मिक के वेतनमानों की असीम दूरी कार्मिकों के मध्य विभाजन, द्वेष और निराशा को व्याप्त करेगी। इससे नकारात्मक कार्य संस्कृति को बढ़ावा मिलता है जो जनकल्याण के लिए घातक है अर्थात् वेतनमानों को न बहुत अधिक और न बहुत कम के सिद्धान्त पर निर्धारित करना चाहिए।
8. वेतन निर्धारण का एक सिद्धान्त यह मानता है कि वेतन संरचना नियोक्ता की क्षमताओं के आधार पर होना चाहिए। विभिन्न सरकारें इस नियम का अनुसरण करके ही अपने कार्मिकों/कर्मचारियों का वेतन निश्चित करती हैं। सरकारें अपनी राजस्व प्राप्ति को केवल वेतन पर ही खर्च नहीं करती बल्कि उसे समग्र विकास को गति देनी होती है।
9. वेतन निर्धारण में एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त यह है कि वेतन इतना आकर्षक तथा पर्याप्त अवश्य हो कि योग्य एवं क्षमता प्रधान व्यक्ति लोक सेवाओं को न केवल जीविका के तौर पर अपनाए बल्कि सतत रूप में उनके साथ बने भी रहें। अन्यथा इससे प्रतिभा पलायन होगा जैसा कि विदेशों या विदेशी कंपनियों के वेतनमानों का आकर्षण एवं पर्याप्तता योग्य और क्षमतावान युवकों में केन्द्र बिन्दु बना हुआ है।

सोफ्टवेयर कम्पनी 'विप्रो' के अध्यक्ष अजीम प्रेमजी का कथन है कि, "चने या मूंगफली देकर आप केवल बन्दर ही पा सकते हैं" अर्थात् बिना आकर्षक एवं पर्याप्त वेतन के प्रतिभावान एवं निष्ठावान कार्मिक पाना कठिन है।

इस प्रकार वेतन निर्धारण के विभिन्न सिद्धान्तों का विश्लेषण करने के पश्चात् कहा जा सकता है कि किसी एक सिद्धान्त के भरोसे बेहतर एवं उचित वेतन संरचना साकार नहीं हो सकती इसके लिए सभी सिद्धान्तों के मध्य समावेशी दृष्टिकोण आवश्यक है जिसमें देश की आर्थिक स्थिति, रहन-सहन की लागत तथा मूल्य स्तर, समान कार्य के लिए समान वेतन, प्रचलित बाजार दर, शासन की नीति आदर्श नियोक्त एवं आकर्षक एवं पर्याप्तता के

आधारों को सम्मिलित किया जा सके। इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भी एक स्वस्थ वेतन संरचना की विशेषताओं को रेखांकित किया गया है-

- संयुक्तिकरण(Composite)- लोक सेवकों का वेतन तथा स्वायत्तशासी, अर्द्ध स्वायत्तशासी एवं लोक उपक्रमों के कार्मिकों के वेतन में समानता होनी अति आवश्यक है इसके साथ-साथ तदर्थ तथा अस्थायी नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों को भी स्थायी कार्मिकों के समान वेतन देना चाहिए।
- अर्थपूर्ण- वेतनमान इस प्रकार का हो कि वह किसी कार्मिक के पद या सेवा की आर्थिक स्थिति का सम्पूर्ण चित्रण प्रस्तुत कर सके। कार्मिक को मिलने वाले विभिन्न भत्ते एवं आर्थिक लाभ वेतन संरचना से स्पष्ट हो जाने चाहिए।
- पर्याप्तता- कार्मिकों को दिया जाने वाला वेतन उनकी बुनियादी जरूरतों एवं जीवन स्तर के अनुरूप होने के साथ-साथ कार्मिकों की शिक्षा कौशल उत्तरदायित्वों एवं गुणों के अनुरूप भी हो।

उपरोक्त वेतन निर्धारण सम्बन्धी सिद्धान्तों का पालन करना अपेक्षित है।

17.4 कार्य मूल्यांकन की पद्धतियां

कार्मिक प्रशासन के अंतर्गत वेतन निर्धारण का सबसे बड़ा आधार कार्य का मूल्यांकन है। पुरानी कहावत भी है “जैसा काम वैसा दाम” सामान्य तौर पर विभिन्न प्रकार के संगठनों द्वारा कार्य मूल्यांकन की दो महत्वपूर्ण पद्धतियों को अपनाया जाता है-

1. **अविश्लेषणात्मक पद्धति-** इस पद्धति के अंतर्गत कार्यों का मूल्यांकन करते हुए कार्यों को श्रेणीबद्ध पदों के क्रम में रखा जाता है। विशेष रूप से यह व्यवस्था छोटे-छोटे कार्मिक संगठनों में बड़ी कारगर साबित होती है।
2. **विश्लेषणात्मक पद्धति-** इस पद्धति के अंतर्गत कार्यों का मूल्यांकन संख्यात्मकता के आधार पर किया जाता है। इसमें किसी संतुलित बिंदु या घटक तुलना पद्धति द्वारा आंकलन किया जाता है। संतुलित बिंदु पद्धति में कार्य का मूल्यांकन एक मापक्रम (स्केल) के साथ साथ किया जाता है। जबकि घटक तुलना पद्धति में विभिन्न कार्यों को भिन्न घटक मानते हुए जैसे एक अध्यापक और एक लिपिक की क्षमताएं घटक तुलना के आधार पर भिन्न होगी अर्थात् घटक मूल्यांकन में उनका मौद्रिक मूल्य भी भिन्न होगा।

उक्त के अतिरिक्त कार्मिकों के वेतन निर्धारण में कार्य मूल्यांकन के लिए पदोन्नति के विभिन्न सिद्धांतों जैसे वरिष्ठता का सिद्धांत, योग्यता का सिद्धांत, एवं वरिष्ठता तथा उपयुक्तता का सिद्धांत, को भी आधार बनाया जाता है। योग्यता के आधार पर पदोन्नति की प्रणाली को अपनाने में एक सक्षम कार्य मूल्यांकन व्यवस्था की जरूरत होती है। कार्य की मूल्यांकन पद्धति का वास्तविक लक्ष्य, कार्मिक संगठनों के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संबंधित कार्मिक की योग्यता का परीक्षण करना है। जो संगठन में कार्मिक की उपयोगिता का निर्धारण करता है जिससे उसे क्षमता अनुसार उच्च पदों पर स्थापित किया जा सके अर्थात् कार्य मूल्यांकन द्वारा कार्मिक के गुण दोषों को रेखांकित किया जाता है और ऐसा करके प्राधिकारी वर्ग संबंधित कार्मिक की सेवा, सुधार, पद परिवर्तन करके उसकी क्षमता का बेहतर उपयोग कर सकता है।

भारत में कार्य मूल्यांकन पद्धति के अंतर्गत उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कार्मिकों के संबंध में वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है। इस संबंध में कार्मिक के वार्षिक कार्य मूल्यांकन के लिए एक प्रपत्र अर्थात् गोपनीय आख्या के रूप में प्रयोग किया जाता है जिसमें कार्मिक वर्ष भर के दौरान अपने द्वारा किए गए कार्यों के और उत्तरदायित्वों के निर्वहन का उल्लेख करता है। इस आधार पर उच्च अधिकारी अथवा समीक्षा अधिकारी, समीक्षा उपरांत अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए कार्मिक के द्वारा संपन्न कार्यों के आधार पर संतोषजनक/उत्तम/अति

उत्तम/ उत्कृष्ट की श्रेणी में विभक्त कर वार्षिक गोपनीय आख्या के आधार पर कार्मिक की क्षमताओं को निर्धारित करते हैं जो कार्मिक की पदोन्नति एवं वेतन निर्धारण का आधार बनता है। इसमें दंड एवं पुरस्कार दोनों ही सम्मिलित किए जा सकते हैं।

17.5 वेतन निर्धारण की पद्धतियां

वेतन निर्धारणके सिद्धान्तों के अतिरिक्त लोक सेवकों का वेतन निर्धारण करने की विभिन्न पद्धतियां भी मौजूद हैं। प्रत्येक देश अपने कार्मिकों का वेतन निर्धारण करने की अपनी विशिष्ट पद्धति को अपनाता है। यह पद्धति उस देश की वेतन संबंधी परम्पराओं, प्रशासकीय प्रतिमानों, संविधान की प्रकृति एवं उद्देश्यों के साथ नागरिकों के चारित्रिक गुणों द्वारा भी निश्चित होती है। कुछ महत्व पूर्ण पद्धतियां निम्न प्रकार हैं-

1. विधान मण्डल वेतन संबंधी व्यापक योजना की रूपरेखा तैयार करता है और विस्तृत ब्यौरों का निर्धारण कार्यपालिका पर छोड़ देता है। यह पद्धति अधिकांशतः संघीय शासनों में अपनाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में यही स्थिति है।
2. वेतन विधान मण्डल द्वारा बनाए गये कानूनों के अनुपालन द्वारा निर्धारित होता है। इस प्रकार की पद्धति उन देशों में अपनाई जाती है जहां कार्मिक व्यवस्था अपरिपक्व हो जैसे मध्य पूर्व के देश, विशेष रूप से यह स्थानीय निकायों और छोटे प्रान्तों में प्रचलित होती है।
3. वेतन निर्धारण की एक पद्धति के अंतर्गत वेतन सौदेबाजी या सामूहिक समझौते पर भी निश्चित होते हैं। यह स्थिति सभी निजी उद्यमों और अधिकांश सार्वजनिक उद्यमों में मौजूद हैं।
4. कई बार वेतन स्थानीय या क्षेत्रीय मजदूर संघों के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं यह वेतन एक निश्चित अवधि के भीतर प्रचलित दरों पर आधारित होता है। यह पद्धति सामान्य रूप से सहकारी संघों, निगमों और लोक उपक्रमों सम्बन्धी उद्यमों में अपनाई जाती है।
5. वेतन निर्धारण की अन्तिम पद्धति एक “अनियोजित अस्त-व्यस्त व्यवस्था” पर आधारित है। यह पद्धति अतीत की अवशिष्ट परम्पराओं और अपरिपक्व कार्मिक व्यवस्था के संमिश्रण की सूचक है। आधुनिक समय में भी इसका पूर्णतः लोप नहीं हुआ है। जब सरकार कोई नया कार्य आरम्भ करती है तो सामान्यतया प्रारम्भ में वेतन निर्धारण की सुनियोजित व्यवस्था नहीं अपनाई जाती है बल्कि सेवा के अनुरूप वेतन की उचित व्यवस्था समय के साथ विकसित होने की प्रतीक्षा में छोड़ दी जाती है।

कार्मिक प्रशासन के आपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा प्रशिक्षण तथा काम का वातावरण बेहतर बनाने के क्रम में वेतन निश्चित करने की आवश्यकता निरंतर रहती है। इसके लिए हमें एक उपयुक्त तथा सापेक्षित वेतन संरचना का विकास करना होगा, जो निवेश और वेतन ढांचे में सन्तुलन कर सके इसके लिए हमें कार्मिक प्रशासन के अन्तर्गत वेतन निर्धारण के अंतर्गत कार्य मूल्यांकन की आवश्यकता महसूस होगी। कार्य मूल्यांकन की प्रक्रिया न्यूनतम कार्य सम्पादन के लिए आपेक्षित निवेश की जानकारी प्राप्त करना तथा संगठन के अंतर्गत विभिन्न कार्यों के सापेक्षिक महत्व को निश्चित करना ताकि विभिन्न महत्व के कार्यों के लिए विभिन्न वेतन निर्धारित किए जा सके।

17.6 प्राचीन भारत में वेतन प्रशासन का इतिहास

भारत प्राचीन सभ्यताओं का देश है किन्तु यह भी सत्य है कि सभ्यता के विकास क्रम के आरंभिक काल में श्रमिकों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक वर्तमान की भाँति नहीं था। मालिक अपने नौकरों से बलात श्रम करवाते थे और केवल रहने खाने एवं पहनने अर्थात् रोटी कपडा और मकान से जुड़ी उनकी आवश्यकता ही पूर्ण करते थे। समय के साथ-साथ सामन्तशाही और बड़े-बड़े राजतंत्रों का विकास हुआ, विशाल तन्त्रों की स्थापना होने लगी

और श्रमिकों को निष्ठावान बनाए रखने के लिए वेतन भोगियों के रूप में रखा जाने लगा जो बाद में वेतन भोगी कर्मचारियों के रूप में पहचाने जाने लगे। भारत में मौर्यों के साम्राज्य में प्रशासनिक तंत्र उत्कृष्टता लिए हुए था कौटिल्य के अर्थशास्त्र से इसका आभास होता है। बाद में गुप्त वंश, वर्धन वंश भी कर्मचारियों की वेतनभोगी श्रेणियों की ओर स्पष्ट संकेत करता है।

मुस्लिम शासकों के द्वारा भी कार्मिकों को वेतन दिया जाता था यद्यपि उसकी मात्रा कम होती थी। वेतन की अल्पता के कारण ही मध्यकालीन मुस्लिम शासकों के समय कर्मचारी (कार्मिक) आम जनता से 'नजराना' या 'दस्तूर' के रूप में रिश्वत या घूस लेते थे। मुगलकालीन मनसबदारी प्रथा वेतनभोगी कार्मिकों का बेहतर उदाहरण है जिसका साक्ष्य 'आईने अकबरी' व अन्य दस्तावेजों में मौजूद है।

17.7 अंग्रेजी साम्राज्य में वेतन संरचना का इतिहास

ईस्ट इंडिया कम्पनी ने अपने शुरुआती दौर में मुस्लिम शासकों की भाँति कम वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति की, किन्तु उन्हें जनता से उपहार व रिश्वत प्राप्त करने की अनुमति बनाए रखी। लार्ड क्लाइव के दूसरे कार्यकाल के दौरान कार्मिका का वेतन उनकी जरूरतों के हिसाब से बढ़ाया गया और उपहारों को लेने की मनाही कर दी गयी। एक तथ्य स्पष्ट तौर पर देखा जाता रहा कि भारतीय शासन व्यवस्था में वेतन संरचना के क्रम में भारी अन्तर विद्यमान रहा। उच्च स्तर के कर्मचारी और निम्न स्तरीय कर्मचारी के वेतन में भारी विसंगतियां थीं। प्रथम विश्व युद्ध के कारण कीमतों में वृद्धि और महँगाई दर का उच्च स्तर था। सरकारी कार्मिकों के वेतन सम्बन्धी हास को रोकने के लिए जनवरी 1919 में भारतीय सिविल सेवा के कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन सम्बन्धी सामान्य सिफारिशों के आश्वासन का परिपत्र किया। इसका मुख्य उद्देश्य वेतन के उस स्तर को प्राप्त करना था जिस स्तर पर वह 20 वर्ष पूर्व उचित एवं आकर्षक हुआ करता था। ब्रिटिश शासन में यह वेतन प्रशासन सम्बन्धी बड़ा क्रांतिकारी प्रयास रहा जिसके दूरगामी परिणाम आने वाले थे। इससे नई परिस्थितियों के चलते कीमतों में वृद्धि हुई और वेतन गिरावट (हास) के कारण कार्मिकों की कमजोर वित्तीय स्थिति का संज्ञान लिया गया, विशेष रूप से कार्मिकों के मध्य परप रहे असन्तोष के समाधान का मार्ग प्रशस्त करना था। बिहार एवं उड़ीसा की प्रान्तीय सरकारों ने कार्मिकों के वेतन संरचना में कम से कम 30 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव रखा। संयुक्त प्रांत की सरकार ने तो अपने कार्मिकों की ऋणगस्तता को वेतन में गिरावट के आधार पर स्वीकार भी किया था और वेतन में 33 प्रतिशत से 50 प्रतिशत को प्रस्तावित किया। इसी प्रकार के प्रस्ताव एवं मांगें अन्य स्थानीय सरकारों से प्राप्त हो रहे थे। यद्यपि प्रथम विश्व युद्ध के पहले से ही सेवाओं का आकर्षण समाप्त हो गया था चूँकि कोलकाता निजी क्षेत्र के प्रारम्भिक वेतन एवं सेवा शर्तें सरकारी कार्मिकों से बेहतर थीं। भारत में राजनीतिकपरिवर्तनों एवं युद्धोपरान्त गृह सिविल सेवाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से उच्च स्थानों पर भारतीय युवकों को भी लेना प्रारम्भ किया। इससे रोजगार के बेहतर अवसरों में इजाफा हुआ। सेवा में आने के पश्चात् यद्यपि उन्हें कम महत्व के पदों पर लम्बे समय तक रहना पड़ता था। जैसे कलेक्टर या जिला जज के पदों पर पदोन्नति सम्बन्धी प्रावधान में समय अन्तराल होता था। नियुक्त अधिकारियों के लिए अलग-अलग वेतनमान निश्चित किए गये। यह भी निश्चित किया कि किसी भी अधिकारी को तब तक उच्च वेतन मान नहीं दिया जाएगा जब तक दो स्थितियां उपलब्ध न हो जाएं- अधिकारी उच्चतर कार्य करने के योग्य घोषित न हो जाए और अधिकारी की नियुक्ति के लिए रिक्त स्थान उपलब्ध न हो जाए।

इस प्रकार पदोन्नति में विलम्ब का यह मुख्य कारण बना और अधिकारियों को लम्बे समय तक कोई वेतन वृद्धि प्राप्त नहीं होती थी। इससे यह तथ्य सामने आया कि विभिन्न विभागों मध्य पदोन्नति असामान्य एवं असंगत होती थी। किसी विभाग में उक्त दोनों स्थितियों के प्राप्त होने पर कार्मिक शीघ्र ही उच्च वेतन मान का पारिश्रमिक प्राप्त कर लेता और किसी विभाग में यह अपेक्षित वेतन पारिश्रमिक से काफी निम्न स्तर पर बना रहता था। इस कारण

विभिन्न विभागों में एक ही समय पर भर्ती होने वाले कार्मिकों के सेवा काल में होने वाली पदोन्नति पूर्ण रूप से न्यायिक असंगत थी और सामान्य अपेक्षाओं के विरुद्ध थी।

अतएव उक्त वेतन विसंगतियों की असामान्य परिस्थितियों को न्याय पूर्ण से सामान्य अपेक्षाओं में एकरूपता हेतु अंग्रेजी शासन द्वारा 23 जनवरी 1919 को एक परिपत्र जारी किया गया। इस परिपत्र में पहली बार एक ऐसे समयमान प्रोन्नति वेतन वृद्धि वाली व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया जिसके तहत निम्न श्रेणी के कार्मिक अधिकतम वेतन वृद्धि के अधीन हो और उच्च श्रेणी कार्मिक न्यूनतम वेतन वृद्धि के अधीन निर्धारित हो। यद्यपि न्यूनतम और अधिकतम वेतन निर्धारण सम्बन्धी विचारों में भिन्नता के कारण वेतन निर्धारण में भी भिन्नता पायी गयी। (मातहत) निम्न श्रेणी के कार्मिकों का न्यूनतम वेतन निर्धारण रु 450 से रु 650 के मध्य रखा गया और उच्च श्रेणी कार्मिकों के लिए यह रु 950-1100 के बीच रखा गया था। इसी प्रकार वरिष्ठतम पद के लिए सुझाई गयी वेतन की अधिकतम सीमा 2400-3000 के बीच थी ओर निम्न स्तरीय (मातहत) पदों के लिए अधिकतम वेतन सीमा 12 वें वर्ष पर दक्षता अवरोध करते हुए रु 1500 से रु 1600 के मध्य समाप्त कर दी गयी थी अर्थात् वेतन विसंगतियां स्पष्ट नजर आने लगी। इनके निराकरण के लिए और वेतन निर्धारण के प्रश्न पर सभी पहलुओं के अध्ययन के लिए सर मेल्कॉम हैली को नियुक्त किया गया और 5 जुलाई 1919 को अपनी सिफारिश सरकार को सौंप दी। कुछ संशोधनों के साथ भारत सरकार एवं भारत सचिव द्वारा इन सिफारिशों को स्वीकार भी किया। इसमें वेतन निर्धारण के ढाँचे को काफी हद तक न्याय संगत बनाने का प्रयास किया गया और समुद्र पार भत्ते को पूरे वेतन ढाँचे का अभिन्न अंग बनाना सम्मिलित था।

यद्यपि भारत सरकार द्वारा वेतनमानों के पुनरीक्षण सम्बन्धी अन्तिम स्वरूप को 13 फरवरी 1920 के प्रस्ताव में सम्मिलित करते हुए स्वीकार किया गया। यह पुनरीक्षित वेतनमान व्यवस्था 01 दिसंबर 1919 से प्रभावी हुई जिसका न केवल ऐतिहासिक महत्व था बल्कि वेतन निर्धारण की दिशा में मील का पत्थर और भविष्य की प्रेरणा माना गया।

17.8 स्वतंत्रता के पश्चात भारत में वेतन प्रशासन हेतु अपनाए गए सिद्धान्त

आकर्षक सेवा शर्तें एवं पारिश्रमिक ढाँचा श्रेष्ठ कर्मचारी वर्ग का सूचक है। यह उच्च स्तरीय कार्यक्षमता को बनाए रखने के लिए प्रेरणा स्रोत है। एक कार्मिक इस सेवा को आजीविका के साथ ही जीवनकृति के रूप में अपनाता है ताकि वह स्वयं और अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कर सके बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्राप्त कर सके। पर एवं वेतन के स्तर के साथ सामान्यतया सम्मान का स्तर जुड़ा है अर्थात् 'वेतन' एक गतिमान तत्व है जो व्यक्ति की कार्यकुशलता एवं समर्पण के सूचक के साथ मनोवैज्ञानिक स्तर पर मनो-सामाजिक प्रतिष्ठा के निर्धारक तत्व भी हैं। इसलिए वेतन निर्धारण मात्र एक प्रक्रिया नहीं बल्कि उसके प्रशासन की आवश्यकता पर बल दिया गया। उसके कुछ आधारभूत सिद्धान्तों जैसे- कार्य की प्रकृति के आधार पर, योग्यता के अनुरूप, राष्ट्रीय आय, देश का जीवन स्तर, सरकार एक आदर्श नियोक्ता के रूप में, निजी क्षेत्र की समकक्षता आदि को सम्मिलित करते हुए वेतन प्रशासन के सरल एवं सामान्य नियम अथवा सिद्धान्त निम्न प्रकार हैं-

1. कार्य मूल्यांकन एवं प्रतिकार योजनाएं एक दूसरे से भिन्न एवं स्पष्ट होनी चाहिए और प्रभावित कार्मिकों को स्वीकार भी होनी चाहिए।
2. कार्य मूल्यांकन एवं प्रतिकार योजनाएं उदार हों जिसमें स्थानीयता की श्रम परिस्थितियों की विशेषताएं समाहित हो सकें।
3. कार्य मूल्यांकन व्यवहारिक रूप में दोषमुक्त एवं तार्किक रूप में आसानी से समझने वाला हो।
4. वेतन प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को कार्मिक संचालक के समकक्ष स्तर पर सीधे रिपोर्ट करना चाहिए।

5. वेतन प्रशासन योजना सदैव प्रबन्धन की नीतियों एवं कार्यक्रमों के अनुकूल हो।
6. वेतन और कार्यों के समीक्षकों का चयन अत्यधिक सतर्कता के साथ निष्पक्षता और योग्यता के आधार पर होना चाहिए।
7. वेतन प्रशासन योजना, कार्मिक संगठन की विशिष्ट प्रकृति और उसके लक्ष्यों के अनुकूल होनी चाहिए।
8. वेतन योजना के प्रशासन, स्थायी मजदूरी सर्वेक्षण के संचालन में एवं नये पदों के सर्जन सम्बन्धी मूल्यांकन में कार्मिकों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए।
9. वेतन प्रशासन योजना से नियोजक एवं निगमित उद्यम में अंशधारियों के उचित एवं न्यायिक हित भी सन्तुष्ट होने चाहिए।
10. वेतन प्रशासन योजना अन्य प्रशासकीय प्रक्रियाओं में बाधक होने की अपेक्षा उन्हें सरल और गतिशील बनाने में मदद करने वाली हो।
11. संगठन में वेतन प्रशासन को उत्तरदायी एवं महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए ताकि वह प्रशासन के अन्य पक्षों के साथ पारस्परिक संबंध बनाने तथा सहयोजन करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाना चाहिए।

उक्त सिद्धान्तों एवं नियमों के प्रकाश में भारत में मौजूद वेतन ढाँचे का विकास ब्रिटिश शासन में देखा जा सकता है। इसलिंगटन आयोग द्वारा वर्ष 1912 से 1915 के मध्य अपने सुझावों में कहा था कि वेतन का निर्धारण औचित्य एवं पर्याप्तता के सिद्धान्त पर होना चाहिए अर्थात् वेतन इतना अवश्य हो कि कार्मिक आराम और सम्मान का जीवन यापन कर सके। सन 1920 के पश्चात् विश्व युद्ध एवं आर्थिक मंदी के प्रभाव के पश्चात् संशोधित वेतनमान- कनिष्ठ वेतनक्रम 450-50-802-100-1350 और वरिष्ठ वेतन क्रम न्यूनतम 1000रु एवं अधिकतम 2250रु निर्धारित किया गया था।

स्वतंत्रता से पूर्व अखिल भारतीय कांग्रेस के 1932 के करांची अधिवेशन पण्डित नेहरू प्रस्ताव स्वीकार किया गया था कि न्यूनतम वेतन रु 500 प्रतिमाह होना चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् प्रथम वेतन आयोग ने उच्चतम वेतन रु3000 रखा गया था। इसी क्रम में समय-समय पर केन्द्रीय कर्मचारियों के वेतनमान प्रशासन के लिए वेतन ढाँचा और सेवा शर्तों के लिए वेतन आयोग गठित होते रहे हैं। इन वेतन आयोगों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट ही केन्द्र तथा राज्यों के कार्मिकों के वेतन निर्धारण में मार्गदर्शक बनती रही हैं। वेतन प्रशासन व्यवस्था का विकास, क्रियान्वयन और संशोधन के आधारभूत सिद्धान्तों अथवा विचारों द्वारा निर्देशित वेतन निर्धारण के लिए गठित वेतन आयोग निम्नांकित हैं-

प्रथम वेतन आयोग एवं सिफारिशें- स्वतंत्रता के पश्चात् वेतन निर्धारण एवं पदोन्नति की समस्या को विशेष केंद्रित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायधीश श्री श्रीनिवास वरदाचारियर की अध्यक्षता में सन 1947 में प्रथम आयोग का गठन किया गया। आयोग द्वारा सुझाया गया कि लोक सेवा में चारों श्रेणियों के सभी पदों पर नियुक्ति के प्रत्यक्ष (सीधी) भर्ती और पदोन्नति के सिद्धान्त में विवेकपूर्ण सामंजस्य होना चाहिए।

यद्यपि वर्गीकरण की भारतीय पद्धति सही मायने में वेतन दरों अथवा काम की प्रकृति पर आधारित नहीं थी तथापि उसमें ये दोनों तत्व प्रतिबंधित थे। इस वेतन आयोग ने 1949 में संप्रेषित अपनी रिपोर्ट में एक टिप्पणी की थी कि यह वर्गीकरण अनुशासनात्मक कार्यों तथा अपील के अधिकार से संबंधित सुविधाओं से जुड़ा हुआ है। वेतन आयोग न 'अधीनस्थ' अथवा 'निम्न श्रेणी' के रूप में सेवाओं के वर्णन पर इस आधार पर आपत्ति की कि यह शब्दावली अपमानजनक थी और इसके स्थान पर वर्ग-3 तथा वर्ग-4 सेवाओं की शब्दावली प्रतिस्थापित करने की अनुशंसा की। आयोग ने केंद्रीय वैज्ञानिक सेवा गठित करने की दलील नामंजूर कर दी तथा इसके स्थान पर वैज्ञानिक और तकनीकी पदों को वर्ग I, II, III, IV के विद्यमान वर्गीकरण में सम्मिलित करने का सुझाव दिया। जुलाई 1974 से सरकारी कर्मचारियों का वर्गीकरण I, II, III, IV से समूह ए, बी, सी, डी में परिवर्तित कर दिया गया। कर्मचारी वर्ग इस परिवर्तन को सेवाओं के ढाँचे में लोकतंत्र के विस्तार के रूप में मानता है।

द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशें- द्वितीय वेतन आयोग (1957-1959) जिसकी अध्यक्षता श्री जगन्नाथदास द्वारा की गयी। अपनी सिफारिशों में आयोग द्वारा अखिल भारतीय और केन्द्रीय प्रथम वर्ग के विस्तार को ध्यान में रखा गया। साथ ही द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग की सेवाओं के कर्मचारियों को उच्च सेवाओं के लिए एक सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चुने जाने की सुविधा होनी चाहिए।

द्वितीय वेतन आयोग द्वारा वर्ष 1959 में संप्रेषित रिपोर्ट में की गयी अनुशंसाओं के अनुसार वर्ग-2 के लिए एकाकी मानक वेतनमान स्वीकार किया गया। वर्ग-3 में वेतनमान/श्रेणियां और भी अधिक संख्या में थी। लिपिकीय कर्मचारी वर्ग के लिए चार सुपरवाइजरी ग्रेड तथा तीन अन्य यथा उच्च श्रेणी लिपिक, निम्न श्रेणी लिपिक तथा आशुलिपिक के ग्रेड थे। केन्द्रीय सचिवालय में संपूर्ण पदानुक्रम को सचिव, अपर सचिव, सह सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, खंड अधिकारी, सहायक उच्च श्रेणी लिपिक तथा निम्न श्रेणी लिपिक की नौ श्रेणियों (ग्रेड्स) में विभाजित किया गया।

वी.ए. पड़पनंदीकर के अनुसार वर्तमान चार स्तरीय वर्गीकरण किसी वैज्ञानिक आधार पर नहीं किया गया था। इसमें अवधारणात्मक साँचे की अनिवार्यता: कमी थी और आधारभूत वर्ग पूर्णतः ऐतिहासिक घटनाओं के प्रतिफल थे। विभिन्न सेवाओं पर संख्यात्मक वर्गीकरण मात्र सुविधा की दृष्टि से आरोपित किया गया था। दूसरे शब्दों में, वर्तमान वर्गीकरण व्यवस्था कभी भी सेवाओं के किसी व्यवस्थित समूहीकरण के लिए अथवा कार्मिक प्रबन्ध के साधन के रूप में न तो बनायी गयी थी और न ही ये उसके लक्ष्य थे। वर्गीकरण के स्पष्ट सिद्धान्त के अभाव में निश्चित रूप से कार्मिक प्रशासन का एक प्रभावी साधन जाता रहा। द्वितीय वेतन आयोग ने 1959 में यह आकलन किया कि उस समय 517 विभिन्न वेतनमान थे और इनमें से केवल 177 वेतनमानों में प्रत्येक में 100 से अधिक कर्मचारी थे। वेतन और सेवा के अन्य लाभों के ऐसे विभिन्न प्रावधानों के प्रशासन के लिए उन लाभों की संगणना करने और इसे चैक करने के लिए भारत सरकार को काफी स्टाफ रखना पड़ता था। द्वितीय वेतन आयोग की अनुशंसा के फलस्वरूप वेतनमानों की संख्या घटकर लगभग 200 रह गयी।

तृतीय वेतन आयोग एवं उसकी सिफारिशें- सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायधीश श्री रघुबर दयाल की अध्यक्षता में 23 अप्रैल 1970 को भारत सरकार द्वारा गठित तृतीय वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट दो खंडों में 1973 में प्रेषित की थी। इस आयोग को उन सिद्धान्तों पर विचार करना था जिनके तहत केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की सेवा शर्तें और वेतनमान का ढाँचा शासित हो। साथ ही इसे वे उपाय भी बताने थे जो सेवा शर्तों और वर्तमान के ढाँचे में परिवर्तन लाने के लिए किए जाने चाहिए। इस वेतन आयोग को सशस्त्र बलों तथा अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों के लिए मृत्यु अथवा सेवा निवृत्ति पर मिलने वाले लाभों के ढाँचे पर भी विचार करना था। आयोग का मुख्य प्रयास 500 से अधिक वेतन मानों के तर्कसंगत कर 80 तक घटाना और इस प्रक्रिया में कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों को अच्छे वेतनमान देना था। आयोग ने वेतनमानों के अंतर को कम करने के लिए न्यूनतम वेतन 185रु प्रतिमाह तक बढ़ाया, जिसके फलस्वरूप 1 जनवरी 1970 को अधिकतम और न्यूनतम वेतन के अंतर का अनुपात 15:4 से घटकर 11:8 हो गया। इस आयोग ने वर्तमान अधिकतम वेतन में किसी परिवर्तन की अनुशंसा नहीं की। आयोग ने काम करने के घंटों, छुट्टियों, ओवर टाइम भत्ते तथा अन्य कल्याणकारी उपायों के बारे में भी अनुशंसाएँ की। साथ ही कर्मचारियों के विभिन्न व्यवसायिक समूहों के विभिन्न स्तरों की कार्यसूची की कल्पित समानता के आधार पर पदों के वर्गीकरण की अनुशंसा की। श्रेणियों की संख्या कम करने के संबंध में आयोग का मत था कि इससे कुछ क्षेत्रों में पदोन्नति के अवसर कम होंगे। आयोग ने अनुभव किया कि कर्मचारियों द्वारा अपने वेतन में स्थायी कमी स्वीकार करना संभावित नहीं है चाहे वह कमी कितनी भी थोड़ी क्यों न हो। वेतन ढाँचे के किसी भी सरलीकरण से वर्तमान वेतनमानों में किसी सामान्य कमी के बजाय समूह के उच्चतर स्तर के वर्तमान वेतनमानों के आधिक्य की ही उपेक्षा की जा सकती है। अतएव आयोग ने एकीकृत श्रेणीबद्ध ढाँचे की

योजना अपनाना उपयुक्त नहीं समझा। तथापि आयोग ने निरंतरता के आधार पर कार्य मूल्यांकन अपनाए जाने का सुझाव दिया।

तृतीय वेतन आयोग ने वेतन ढाँचा निर्धारित करने में समग्रता, व्यापकता और पर्याप्तता का सार ध्यान में रखा। आयोग ने विचार व्यक्त किया कि सरकारी वेतन तथा संगठित व्यापार और उद्योग के वेतन की विवेचनात्मक तुलना वर्तमान परिस्थितियों की समग्रता और कार्य की विषय सूची पर विचार किए बिना उचित नहीं होगी। सरकार को नियोजक के रूप में तथा देश के विकास और प्रशासन के लिए उत्तरदायी सर्वोच्च प्राधिकारी के रूप में अपनी दोहरी भूमिका ध्यान में रखनी होती है।

आयोग ने सिफारिश की कि सार्वजनिक उद्यमों के लिए एक समान वेतन नीति विकसित की जानी चाहिए और किसी सार्वजनिक उद्योग के वेतनमान दूसरे सार्वजनिक उद्योगों तथा शासन के अधीन वेतनमानों से बहुत ज्यादा भिन्न न हों। यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी सहयोजक मशीनरी स्थापित की जानी चाहिए। आयोग ने शासन के अधीन विभिन्न पदों के वेतनमान उनके कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों, काम की कठिनाईयों और जटिलताओं तथा अर्हताओं के संदर्भ में निर्धारित किये। आयोग की अनुशंसा थी कि विभिन्न वेतनमानों में दक्षतावरोध अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए और दक्षतावरोध पार करना रोजमर्रा का मामला नहीं होना चाहिए।

चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशें- न्यायमूर्ति श्री पी.एन. सिंहल की अध्यक्षता में जुलाई 1983 में भारत सरकार द्वारा गठित चतुर्थ वेतन आयोग 1 सितम्बर 1983 को अस्तित्व में आया। इस आयोग के विचारार्थ विषयों में वेतन तथा सेवा शर्तों के तत्कालीन विद्यमान ढाँचे का परीक्षण और केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों, अखिल भारतीय सेवा के कार्मिकों, संघशासित क्षेत्रों के कर्मचारियों और सशस्त्र बल के कार्मिकों को प्राप्त हो रहे अन्य लाभों का परीक्षण था। इस आयोग की सिफारिशों से सशस्त्र बल के कर्मचारियों सहित लगभग 52 लाख सरकारी कर्मचारी प्रभावित थे। आयोग ने असैनिक कर्मचारियों के वेतनमानों की संख्या 153 से घटाकर 36 कर दी। आयोग द्वारा अनुशंसित न्यूनतम तथा अधिकतम वेतनमान क्रमशः 750-940 तथा रु 9000 थे। अन्य बातों के साथ इन सिफारिशों में बड़े हुए भत्ते, यूनियन टैरीटरीज में केन्द्रीय पुलिस के पदों का उन्नयन, सशस्त्र बलों के कर्मचारियों को निःशुल्क भोजन, सेवा निवृत्ति पर 240 दिन तक की अवकाश अवधि का नकदीकरण, सभी कर्मचारियों के लिए शैक्षणिक सहायता, बच्चों के शिक्षण शुल्क की बढ़ी हुई वापसी तथा चिकित्सा भत्ता, विधवाओं, तलाकशुदा और कानूनी तौर पर अलग हुई महिलाओं के लिए 35 वर्ष तक आयु सीमा शिथिल करना, कुशल प्रशासन के लिए आधुनिक तकनीकों को लागू करना, सभी स्तरों पर कर्मचारियों को नियमित प्रशिक्षण, सशस्त्र बलों के लिए तर्कसंगत और समुन्नत भत्ते तथा सुविधाएं, अर्जित और संगृहीत अर्द्ध वेतन अवकाश को विशेषाधिकार अवकाश मानना, सांप्रदायिक छुट्टियों की समाप्ति तथा आकस्मिक अवकाश में वृद्धि सम्मिलित थी।

पंचम वेतन आयोग की सिफारिशें- श्री रत्नाबेल पाण्डियन की अध्यक्षता में वर्ष 1994 में पाँचवें वेतन आयोग का गठन किया गया। 1997 में आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। इसकी अनुशंसाओं के आधार कार्मिकों के वेतन प्रशासन में 35 ग्रेडों को स्वीकार करते हुए न्यूनतम वेतन 2750-70-3800-75-4000 स्वीकार किया और अधिकतम वेतन कैबिनेट सचिव रु 30,000 नियत कर दिया गया। जबकि वर्ग का वेतनमान 8000-275-13500 निर्धारण किया गया। भारत सरकार द्वारा अधिकांश बिन्दुओं पर सहमति प्रदान करने के पश्चात् सेवानिवृत्ति के सम्बन्ध 58 वर्ष को बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया गया साथ ही सप्ताह को 6 कार्यदिवस के रूप में करना और ओवर टाइम समाप्त करने सिफारिश को भी स्वीकार नहीं किया गया। आकस्मिक अवकाशों को 12 से घटाकर 8 कर दी गयी। कार्यकुशलता बढ़ाने एवं अवकाशों की संस्कृति से आगे बढ़ते हुए यह स्वीकार किया गया कि केवल राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री की मृत्यु के अतिरिक्त अन्य किसी राजनेता की मृत्यु पर अवकाश घोषित नहीं

होगा। पूर्व राष्ट्रपति एवं पूर्व प्रधानमंत्री भी इसी श्रेणी में आयेंगे। पाँचवें वेतन आयोग द्वारा ही भारतीय वन सेवा को भारतीय पुलिस सेवा के समकक्ष बनाया गया। सवैच्छिक सेवा निवृत्ति को आकर्षक बनाया गया तो शिथिल एवं अकुशल कार्मिकों के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति के प्रावधान भी लाए गये। अवकाश यात्रा भत्ता (L.T.C.) के प्रावधानों पर भी रोक लगा दी गयी इस प्रकार पाँचवे वेतन आयोग द्वारा वेतन प्रशासन में बड़े बदलाओं और कार्मिकों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने वाला एवं वेतन समानता वाला था। सेना, शिक्षा, विभागों के कार्मिकों के वेतन एवं पेंशन भत्ते बढ़ाए गये। साथ कई विभागों के विलयीकरण पर भी विचार हुआ।

षष्ठम वेतन आयोग एवं सिफारिशें- न्यायमूर्ति बी०एन० श्री कृष्णा की अध्यक्षता में वर्ष 2006 में छठे वेतन आयोग की स्थापना की गयी जिसने अपनी रिपोर्ट वर्ष 2008 में भारत सरकार को सौंप दी अपनी सिफारिशों के माध्यम से सुझाया कि वेतन प्रतिमाह ही किन्तु पूर्णतः रुपये में देय होगा। अपने पूर्ववर्ती वेतनमानों की संख्या को घटाते हुए पे-बैंड एवं ग्रेड-पे का प्रावधान किया। पहले की 35 ग्रेडों की संख्या कम करके 20 कर दी गयी। न्यूनतम पे बैंड 4860 तथा ग्रेड पे 1800 रुपये के साथ अधिकतम वेतन 90,000 रु निश्चित किया गया। इसमें सैन्य प्रमुख एवं कैबिनेट सचिव बराबर वेतन पर लाए गये। सभी मामलों में वार्षिक वेतन वृद्धि मूल वेतन का 3 प्रतिशत देय होगा और 1 जुलाई और 1 जनवरी निर्धारित की गयी। प्रसूति अवकाश को 6 माह कर दिया गया और 2 वर्ष का बच्चों के पालन पोषण अवकाश प्रावधान किया गया। केन्द्र सरकार द्वारा छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को 14 अगस्त 2008 को स्वीकृत करते हुए 1 जनवरी 2006 से प्रदान किया गया तथा भत्ते आदि को पुनरीक्षित कर 1 सितम्बर 2008 से दिया गया। 3 प्रतिशत वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ ही सुनिश्चित किया कि कार्मिकों को कैरियर एडवांसमेन्ट योजना के अंतर्गत 10, 20, 30, वर्ष की सेवा पर पदोन्नति का प्रावधान किया गया। प्रत्येक कार्मिक के वेतन में औसतन 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ग्रेच्युटी की अधिकतम 10 लाख रुपये की गयी। छठा वेतन आयोग निष्पादन आधारित वेतन प्रशासन का पक्षधर रहा है। सरकारी कार्यालय में कार्यसंस्कृति तथा गुणवत्ता में सुधार के प्रयासों के लिए जाना जाता है। कार्मिकों की निगरानी प्रणाली का सुदृढ़ करना इसी विशेष अनुशांसा में शामिल है। अनुबन्धित सेवाओं का विस्तार भी आवश्यक है और इस प्रकार की सेवाओं को बढ़ाया जाए। सरकारी क्षेत्रों में कार्मिकों की संख्या को कम कर मितव्ययता को अपनाने पर बल था। सैनिक सेवाओं को विशेष सेवा मानते हुए उनका वेतन मौजूदा दो गुना कर दिया गया। कार्मिकों के कार्यस्थलों पर कागजी कार्यवाही को कम करते हुए तकनीकी विकास को बढ़ावा दिया जाए।

सप्तम वेतन आयोग एवं उसकी सिफारिशें- भारत सरकार द्वारा न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर की अध्यक्षता में सातवें वेतन आयोग का गठन 04 फरवरी 2014 को किया गया और 29 जून 2016 को भारत सरकार द्वारा आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया। 7 वें वेतन आयोग की मुख्य सिफारिशें कार्मिकों के लिए न्यूनतम वेतन 18000 प्रतिमाह रखा गया था जिसे बाद में भारत सरकार द्वारा 21000 प्रतिमाह कर दिया गया। जबकि कैबिनेट सचिव के वेतन को 250000 प्रतिमाह कर दिया गया है। यह कार्मिकों के मामले में देश का अधिकतम वेतन है। सामान्य रूप से सभी कार्मिकों के लिए वेतन आयोग द्वारा 3 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि को स्वीकार किया गया है। छठे वेतन आयोग के वेतन बैंड और ग्रेड-पे की व्यवस्था को समाप्त करते हुए उसके स्थान पर ज्यादा पारदर्शिता और सहजता के लिए पे-मेट्रिक्स व्यवस्था को अपनाया गया है। इससे कार्मिकों के मूल वेतन में 2.57 प्रतिशत के गुणांक से बढ़ोतरी होगी।

जहां तक कार्मिकों को मिलने वाले भत्तों और सुविधाओं का प्रश्न है आयोग द्वारा अपनी सिफारिशों में 52 भत्तों और सुविधाओं को समायोजित करते हुए 36 भत्तों और सुविधाओं में विभाजित कर दिया गया है जो ज्यादा स्पष्ट प्रतीत होते हैं।

आवासीय भत्ता दरों में संशोधन करते हुए उसे मंहगाई भत्ते के साथ सहसंबंध स्थापित करते हुए 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ते पर शहरों की तीन श्रेणियां X, YZ, के लिए मकान भत्ता क्रमशः 27 प्रतिशत, 18 प्रतिशत एवं 9 प्रतिशत होगा। मंहगाई भत्ता 100 प्रतिशत होने पर मकान भत्ते को 30 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 10 प्रतिशत कर दिया जाएगा।

केन्द्रीय कार्मिकों एवं पेंशन भोगियों के लिए सामूहिक स्वास्थ्य बीमा योजना की सिफारिश की गयी है ताकि समय पर उनके स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके।

पेंशन धारकों को भी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षित पेंशन देने की व्यवस्था की गयी है। आयोग की एक महत्वपूर्ण सिफारिश में ग्रेच्युटी की राशि 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने को मान लिया गया है साथ ही आयोग द्वारा यह भी व्यवस्था की गयी है कि कार्मिकों को मिलने वाले वेतन और प्रोन्नति का आधार उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य दायित्व बेहतर प्रदर्शन/निष्पादन (Performance) से तय होगा।

एक अन्य सिफारिश के तहत सेवानिवृत्ति की आयु संबंधी निर्णय को आयोग द्वारा भारत सरकार की इच्छा पर छोड़ दिया है।

17.8 प्रोत्साहन, भत्ते एवं अन्य लाभ

प्रोत्साहन शब्द का प्रयोग कर्मचारियों द्वारा उत्पादकता और दक्षता की अभिवृद्धि के लिए किए गये उनके सर्वोत्तम प्रयासों के लिए उनके सामान्य वेतन के अतिरिक्त दिए जाने वाले आर्थिक और गैर आर्थिक लाभों के लिए किया जाता है। इस प्रकार प्रोत्साहन योजनाओं का मानक आधार होना चाहिए।

बेंडेल फ्रेंच के अनुसार प्रोत्साहन योजनाओं का मूल उद्देश्य मूल वेतन के अतिरिक्त वित्तीय प्रलोभन देकर संगठन के लक्ष्यों में योगदान प्राप्त करने हेतु कर्मचारियों के मनोबल और प्रेरणा में अभिवृद्धि करना है। यह मुख्य तौर पर दो प्रकार की हैं-

1. **आर्थिक प्रोत्साहन योजनाएं-** कार्मिकों को आर्थिक प्रोत्साहन देने के लिए व्यक्तिगत, सामूहिक और भागीदारी योजनाओं का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की योजनाओं में वित्तीय आधार पर लाभान्वित किया जाता है। अलग-अलग प्रोत्साहन योजनाओं को पीसग्रेट योजनाओं तथा उत्पादकता- बोनस योजनाओं में वर्गीकृत किया जाता है।
वैयक्तिक प्रोत्साहन योजनाओं को सबसे गम्भीर समस्या मानकों को निर्धारित करने की होती है। इसमें कटुता पैदा हो सकती है और गुणवत्ता घट सकती है। उत्पादकता बढ़ाने एवं लागत करने के लिए संगठन के कर्मचारियों को सुझाव पेट्री के माध्यम से उत्तम सुझाव के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। साथ ही जब सम्पूर्ण संगठन को निर्णय व नीति-निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी बनाया जाता है तो इसमें भी परिणाम सुखद आते हैं।
2. **गैर-आर्थिक प्रोत्साहन योजनाएं-** इस प्रकार की प्रोत्साहन योजनाओं में कार्मिकों को नगद धनराशि की अपेक्षा सामाजिक मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रमाण पत्रों को प्रदान किया जाता है। कार्मिकों को उनके बेहतर लक्ष्य प्राप्ति पर प्रशस्ति पत्रों, मेडल्स, पुरुस्कारों एवं योग्यता प्रमाण पत्रों को प्रोत्साहन के रूप में प्रदान करना भी अच्छा विकल्प सिद्ध हो रहा है। इससे परिश्रमी कर्मचारियों का मनोबल उच्च स्तर पर बना रहता है और उनके प्रभाव का असर संगठन के अन्य कर्मचारियों पर भी सकारात्मक पड़ता है।
3. **भत्ते एवं अन्य लाभ-** लोक सेवकों को उनके कार्य, पद तथा सेवा शर्तों के अनुरूप भत्ते भी दिए जाते हैं। शर्तों के अनुरूप भत्ते भी दिए जाते हैं जो वेतनमान से ही सम्बद्ध रहते हैं। पारिश्रमिक केवल वेतन के ही रूप में नहीं होता कुछ सीमांत लाभ भी वेतन के अनुपूरक होते हैं। कार्मिकों को मिलने वाले ये सीमान्त लाभ ही अधिक आय, अतिरिक्त सुरक्षा अथवा अधिक वांछनीय कार्यस्थिति के परिचायक हैं ये लाभ

कार्मिकों के मनोबल को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होते हैं। इन लाभों को दो वर्गों में विभाजित कर अध्ययन किया जा सकता है-

कार्मिकों का दिए जाने वाले प्रथम प्रकार के भत्ते एवं परिलब्धियों में निम्न को शामिल किया जाता है-

- मँहंगाई भत्ता(डी.ए.)- समय-समय पर जीवन निर्वाह व्यय तथा कीमतों में सतत वृद्धि की प्रतिपूर्ति करना इसका उद्देश्य है।
- नगर क्षति-पूर्ति भत्ता (सी.सी.ए.)- नगरों तथा काफी बड़े कस्बों में अन्य कारणों जैसे पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती हुई कीमत, से यात्रा व्यय में वृद्धि हो रही है और कर्मचारियों को अपने कार्यस्थल तक पहुंचने के लिए सहायता आवश्यक है।
- मकान किराया भत्ता (एच.आर.ए.)- यह कर्मचारियों को मकान किराया सुविधा की पूर्ति हेतु दिया जाने वाला भत्ता है। कर्मचारी के मूल वेतन के अनुसार इसका भुगतान किया जाता है।
- यात्रा भत्ता (टी.ए.)- एक स्थान से दूसरे स्थान तक कार्यालयीय कार्य हेतु यात्रा करने में जो व्यय होता है उसकी पूर्ति हेतु कर्मचारी को दिया जाने वाला भत्ता यात्रा भत्ता कहलाता है।
- दैनिक भत्ता (डी.ए.)- यह मुख्यालय से बाहर रहने के प्रत्येक दिन का भत्ता है, जिसका उद्देश्य कर्मचारी द्वारा अपने पोषणार्थ किए गए सामान्य दैनिक व्यय की पूर्ति करना है।
- अवकाश यात्रा अनुदान (एल.टी.सी.)- यह कर्मचारियों को 3 अथवा 5 साल में एक बार स्वीकृत किया जाता है क्योंकि वे नियोजक की सहायता के बिना ऐसी यात्राएं नहीं कर सकते हैं। यह कल्याणकारी कार्य है।
- चिकित्सा भत्ता- औषधि के असामान्य व्यय को बचाने की दृष्टि से कल्याणकारी उपाय के रूप में कर्मचारियों का चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है।
- वाहन भत्ता- एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान ले जाने के संबंध में यह भत्ता दिया जाता है।
- वर्दी भत्ता- सरकारी कर्मचारियों के कुछ वर्गों उदाहरणार्थ- पुलिस, भृत्य वर्ग आदि को अपने कर्तव्य करते समय विशिष्ट पोषाक (वर्दी) पहनना आवश्यक होता है। उन्हें अपनी पोषाक के लिए विशिष्ट भत्ता दिया जाता है।
- बच्चों का शिक्षण भत्ता- यह कर्मचारी को इसलिए दिया जाता है कि वह कुछ परिस्थितियों में अपने बच्चों को शिक्षित कर सकें।

विभिन्न नियोक्ताओं (निजी या सरकारों द्वारा) कार्मिकों को उपरोक्त भत्तों और परिलब्धियों के अतिरिक्त कार्यावधि की सुरक्षा, ब्याज, सहित तथा ब्याज रहित अग्रिम धन, छुट्टियों, पदोन्नति, भविष्यनिधि तथा सेवा काल एवं सेवा निवृत्ति के लाभ तथा पेंशन आदि के सीमान्त लाभ भी प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त पितृत्व अवकाश, मातृत्व अवकाश, बच्चों के पालन-पोषण अवकाश, धारणा अधिकार, अध्ययन अवकाश इत्यादि।

- पेंशन योजना- पेंशन योजना में सेवा निवृत्त कार्मिक को निश्चित मासिक राशि का भुगतान निहित है पेंशन योजना कार्मिकों को जब तक वे जीवित रहते हैं तक तक उन्हें सुरक्षित जीवन की गारन्टी प्रदान करती हैं। वेतन प्रशासन में पाँच प्रकार की पेंशन योजनाएं हैं। जैसे सेवा निवृत्ति पेंशन, रिटायरिंग पेंशन, असमर्थता पेंशन, क्षतिपूर्क पेंशन, और संवेदना भत्ता है।
- सामान्य/अंशदायी भविष्य निधि- कार्मिकों के लिए एक भविष्य निधि का प्रावधान है। इस योजना में कार्मिक अपने सेवा काल के दौरान प्रतिमाह एक निश्चित धनराशि भविष्य निधि में देता है और फिर

निर्धारित आयु, त्यागपत्र असमर्थता की स्थिति में स्वयं कार्मिक को और मृत्यु पर उसके आश्रितों को ब्याज सहित निधि राशि प्रदान की जाती है।

- सेवा निवृत्ति पेंशन- चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित नवीन सेवा निवृत्ति का लाभ कार्मिकों को प्राप्त है।

कार्मिक जब अपनी सेवानिवृत्ति की आयु 60/62/65 वर्ष को प्राप्त कर लेता है तो उसकी अर्हकारी सेवा अवधि पर अन्तिम दस माह की औसत परिलब्धियों पर पेंशन प्राप्त होती है। 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा पर पूर्ण पेंशन स्वीकार होती है अन्यथा अनुपातिक पेंशन ही स्वीकार होती है।

अभ्यास प्रश्न-

1. सेलीरी (Salary) मूल रूप से लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है?
2. सामान्यतया वेतन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है?
3. “चने और मूँगफली देकर आप केवल बंदर ही पा सकते हैं” यह कथन किसका है?
4. प्रथम वेतन आयोग का गठन कब किया गया?
5. छठा वेतन आयोग कब गठित हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे?
6. ग्रेड-पे की व्यवस्था को समाप्त कर पे-मेट्रिक्स की व्यवस्था की सिफारिश किस वेतन आयोग में की गयी?

17.9 सारांश

सामान्य रूप में यह कहा जा सकता है कि वेतन प्रशासन के माध्यम से, दुनिया के सभी देशों सहित भारत में कार्मिक के वेतन संबंधित सिद्धान्तों द्वारा वेतन निर्धारण का उद्देश्य कार्मिकों का हर सम्भव कल्याण है, ताकि वेतन निर्धारण की विसंगति न रहे और कार्मिकों का मनोबल उच्च स्तर का बना रहे। सरकारी कार्मिकों के वेतनमान निजी क्षेत्र के कार्मिकों की भाँति ही संतोषजनक है और कई आधारों पर उनसे बेहतर भी है। बेहतर कार्य परिस्थिति बेहतर कार्य संस्कृति को जन्म देती है। बेहतर कार्य संस्कृति संगठन को अपने उद्देश्यों के प्रति निष्ठावान बनाती है और बेहतर निष्ठा के लिए बेहतर समर्पण चाहिए। यह सब उचित वेतनमानों के निर्धारण बिना सम्भव नहीं है। समय-समय पर वेतन प्रशासन में गठित वेतन आयोगों द्वारा भी प्रशासकीय दक्षत सम्बंधी वेतनमान के निर्धारण की सिफारिशों की गयी हैं। यह भी सही है कि केवल प्रोत्साहन या वेतन निर्धारण से ही दक्षता का स्तर नहीं बढ़ सकता। इसके लिए एक ज्यादा समन्वित और सारगर्भित दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। यह दक्षता बेहतर कार्य आयोजन, अच्छे सम्बन्धों और वैज्ञानिक प्रबन्धन के साथ उचित वेतन प्रशासन के अन्तर अनुशासनात्मकता मार्ग से ही प्राप्त हो सकती है।

17.10 शब्दावली

वेतन विसंगति- वेतन में असमानता का होना, अनुबंधित- ठेका या संविदा पर रखना, प्रोत्साहन- वेतन के अतिरिक्त आर्थिक या गैर आर्थिक लाभ, आदर्श नियोजक- सेवा नियुक्ति के लिए अच्छे एवं अनुकरणीय नियोजक, अन्तर-अनुशासनात्मक- एक-दूसरे से जुड़े होना, नियोजन- भविष्य के कार्यों की योजना

17.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. सेलेरियम (Salarium), 2. पे(Pay), 3. विप्रो के अध्यक्ष अजीम प्रेमजी, 4. 1947, 5. 2006 में न्यायमूर्ति बी.एस. कृष्णा, 6. सातवें वेतन आयोग

17.12 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. सुषमा यादव एवं बलवान गौतम, लोक प्रशासन सिद्धान्त एवं व्यवहार, ओरियन्ट ब्लैकस्वान प्रा0 लि0 नई दिल्ली, 2015
2. डा0 सुरेन्द्र कटारिया, लोक प्रशासन, नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, 2011
3. डा0 महादेव प्रसाद शर्मा एवं डा0 बी0 एल0 सडाना, लोक प्रशासन: सिद्धान्त एवं व्यवहार, किताब महल इलाहाबाद, 2004
4. अवस्थी एवं माहेश्वरी, लोक प्रशासन, प्रकाशक लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा, 2011
5. अवस्थी एण्ड अवस्थी, भारतीय प्रशासन, प्रकाशक लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा, 2011

17.13 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. डा0 महादेव प्रसाद शर्मा एवं डा0 बी0 एल0 सडाना, लोक प्रशासन: सिद्धान्त एवं व्यवहार, किताब महल इलाहाबाद।
2. अवस्थी एवं माहेश्वरी, लोक प्रशासन, प्रकाशक लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा।
3. अवस्थी एण्ड अवस्थी, भारतीय प्रशासन, प्रकाशक लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा।

17.14 निबन्धात्मक प्रश्न

1. कार्मिकों के वेतन निर्धारण के सिद्धान्तों को विस्तार से समझाइये।
2. अंग्रेजी शासन के दौरान वेतन प्रशासन के इतिहास पर प्रकाश डालिए।
3. कार्मिकों के वेतन निर्धारण की पद्धतियों का उल्लेख करते हुए वेतन निर्धारण में कार्य मूल्यांकन की भूमिका को स्पष्ट कीजिए।
4. स्वतंत्र भारत में वेतन प्रशासन हेतु अपनाये गये सिद्धान्तों पर प्रकाश डालिए।
5. भारत में कार्मिकों के लिए वेतन प्रशासन की प्रासंगिकता स्पष्ट करते हुए बताएं कि क्या कार्मिकों को मिलने वाला वेतन उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप है या नहीं।
6. वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत भारत के कार्मिकों को मिलने वाले विभिन्न भत्तों एवं सुविधाओं का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए।

इकाई-18 आचरण एवं अनुशासन

इकाई की संरचना

- 18.0 उद्देश्य
- 18.1 प्रस्तावना
- 18.2 कार्मिक प्रशासन में आचरण एवं अनुशासन
- 18.3 आचरण नियमावली में सम्मिलित विषय
- 18.4 अनुशासनात्मक कार्यवाही का अर्थ एवं परिभाषा
- 18.5 अनुशासनात्मक कार्यवाही के कारण
- 18.6 अनुशासनात्मक कार्यवाही के विभिन्न रूप एवं तरीके
- 18.7 ब्रिटिश शासन के दौरान कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही
- 18.8 भारतीय संविधान में अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया संबंधी प्रावधान
- 18.9 कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधी विभिन्न चरण
- 18.10 अनुशासनात्मक कार्यवाही की समस्याएं एवं समाधान
- 18.11 सारांश
- 18.12 शब्दावली
- 18.3 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 18.14 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 18.15 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 18.16 निबन्धात्मक प्रश्न

18.0 प्रस्तावना

‘यथा राजा तथा प्रजा’ अर्थात् आमजन राजा के आचरण का अनुसरण करता है। राजा में पाए जाने वाले गुण प्रजा के लिए सदैव अनुकरणीय होते हैं। वर्तमान की लोकतांत्रिक प्रणालियों में राजा तो नहीं हैं किंतु मंत्रीगण एवं लोक सेवक ही सरकार का वास्तविक स्वरूप हैं। हर युग की भांति राजनीतिक व्यवस्थाओं के लिए कुछ ना कुछ मर्यादाएं अवश्य रही हैं जिससे वे शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सकें और जन कल्याण की भावना से ही कर्तव्यों का पालन करें। क्योंकि सरकारों को भी संगठन के रूप में परिभाषित किया गया है साथ ही संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए विशेष प्रकार के आचरण नियमों का निर्माण जरूरी है, फिर चाहे संगठन सार्वजनिक हो अथवा निजी, अपनी व्यवस्थाओं में संलग्न कार्मिकों के व्यवहार एवं आचरण को नियंत्रित एवं संतुलित करने के लिए कुछ नियम एवं विनियम रखते हैं। मानवीय स्वभाव में गुण एवं दोष दोनों का समावेश होता है किंतु वे औचित्यपूर्ण मार्ग पर चलें अथवा कार्मिकों को उचित मार्ग पर बनाए रखने के लिए प्रत्येक संगठन को अपने भीतर आचरण और अनुशासन के नियमों संबंधी संहिता की आवश्यकता होती है। राजनीतिक व्यवस्थाओं के औपचारिक संगठनों में व्यवहार कं नियत नियमों द्वारा आचरण के उच्च आदर्शों को स्थापित किया जाना न केवल संगठन के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में कारगर साबित होता है बल्कि आम जन के मध्य अनुकरणीय उदाहरणों से जीवन मूल्यों के रूप में प्रति स्थापित होनेकी संभावनाओं को पुख्ता कर देता है। एक सफल कार्मिक व्यवस्था की वास्तविक आधारशिला यह होती है कि उस व्यवस्था में सेवाओं के प्रति अनुशासन एवं सत्य निष्ठा का आचरण किस स्तर का है। यह जितना उच्च स्तर का होगा समाज उतना ही सभ्य नागरिकों के स्तर को प्राप्त करेगा। कहते हैं ‘सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्णसत्ता पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है’ अर्थात् कार्मिकों के द्वारा अधिकारिक सत्ता का दुरुपयोग रोकने के लिए भी

किसी उच्चतम आदर्शों के व्यवहार संबंधी अनुशासन की आचरण संहिता अपनाई जानी चाहिए। वर्तमान युग राज्य जैसी संस्था के सकारात्मक पहलुओं की दिशा में बढ़ते जाने का युग है जहां पुलिस राज्य की कार्यप्रणाली निष्क्रियता के दायरे से बाहर निकल रही है और मानव जीवन की बेहतरी के लिए सक्रिय भूमिका का निर्वहन कर रही है। राज्य का दायरा बढ़ने से मानवीय जीवन संबंधी उद्देश्यों को प्राप्त करने में राज्य कल्याणकारी हो चला है। वह जीवन की रक्षा ही नहीं कर रहा अपितु सदजीवन की आशाएं तलाश कर रहा है। सदजीवन के संबंध में विकास कार्यक्रमों का आयोजन राज्य के कुशल नेतृत्व एवं प्रबंधन से ही साकार हो सकता है। इन सभी विस्तृत होते आयामों का आधार वह प्रशासनिक व्यवस्था है, जिसमें कार्यरत कर्मचारी(कार्मिक) अगर अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं तो संपूर्ण नागरिक समाज विघटन की कगार पर खड़ा होगा इस विघटन के आधार, कारण और परिणाम लालफीताशाही, भ्रष्टाचार, कार्य संस्कृति में गिरावट, समय बद्धता का अभाव और मनो-सामाजिक समस्याओं में तेजी से वृद्धि देखी जा सकती है।

किसी प्रजातांत्रिक/नागरिक समाज में संपूर्ण विकास के कार्यक्रमों की सफलता समन्वित प्रयासों पर निर्भर होती है। विशेष रूप से सरकारी कार्मिक वर्ग इसके लिए उत्तरदाई होता है। नागरिक कल्याण के उद्देश्यों की प्राप्ति में यदि राज्य या सरकार की रीढ़ समझी जाने वाली कार्मिक व्यवस्था, कदाचार और अनुशासनहीनता का शिकार हो जाए तो इस दुर्बलता से न केवल प्रशासनिक व्यवस्थाओं के दुर्बल होने की संभावना बढ़ती है बल्कि अंतर-अनुशासनात्मकता के कारण मानव समाज के दुर्बल होने की संभावना बढ़ जाएगी। इस प्रकार यथा राजा तथा प्रजा के क्रम में एक आचार संहिता की नितांत आवश्यकता हमेशा बनी रहेगी।

18.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप-

- कार्मिक प्रशासन में आचरण और अनुशासन के महत्व को स्पष्ट कर सकेंगे।
- आचरण के सम्भावित नियमों और अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधी अवधारणाओं की परख कर सकेंगे।
- भारत में कार्मिकों के विरुद्ध होने वाली अनुशासनात्मक कार्यवाही को स्वतंत्रता पूर्व एवं पश्चात् समझ सकेंगे।
- अनुशासनात्मक कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली प्रक्रिया को चरणबद्ध करके समझ सकेंगे।
- कार्मिक प्रशासन और आचरण एवं अनुशासन के प्रति चिन्तन में सहभागी बन ज्ञानार्जन कर सकेंगे।

18.2 कार्मिक प्रशासन में आचरण एवं अनुशासन की विशेष भूमिका एवं आवश्यकता

किसी संगठन के प्रशासनिक कार्यों में कुशलता लाने के लिए तथा प्रशासकीय व्यवहार के सफल संचालन हेतु अनुशासन की महति आवश्यकता होती है। प्रायः यह देखा जाता है कि कार्मिकों को अच्छा वेतनमान एवं सेवा शर्तें प्रदान कर देने से ही अनुशासन स्थापित नहीं किया जा सकता और न ही कार्मिकों किससे अपेक्षित उद्देश्यों को पूर्ण करवाया जा सकता है। समस्या यह है कि कार्मिकों में प्रायः अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति को किस प्रकार दूर किया जा सकता है ताकि संगठन अपने लक्ष्य को सामूहिक एवं सम्मिलित ढंग से पूर्ण कर सके। निश्चित तौर पर इसके लिए हमें आचरण नियमावली की आवश्यकता होती है जो एक ओर कार्मिकों के अपेक्षित व्यवहार को नियंत्रित और नियमित करती है तो दूसरी ओर उन्हें दंडित एवं पुरस्कृत भी करती है। विश्व शब्दकोश में आचरण एवं अनुशासन को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि 'आचरण' कार्य संचालन अथवा स्वयं के व्यवहार की पद्धति है जबकि 'अनुशासन' एक मानसिक तथा नैतिक प्रशिक्षण है। अथवा 'आचरण और अनुशासन' नियंत्रण

व अधिकारों के अधीन व्यक्तियों के मध्य एक संपोषित व्यवस्था होती है। इस कार्य से कार्मिकों के व्यवहार में एक निर्धारित परिवर्तन लाते हुए, नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत आज्ञा अनुपालन में पारंगत करना है, साथ ही साथ बेहतर व्यवस्था स्थापन में प्रशिक्षण प्रक्रिया को आचरण एवं अनुशासन का अभिन्न अंग बनाना शामिल है।

उक्त बातों के अनुपालन से एक ऐसी कार्मिक प्रणाली का निर्माण संभव हो सकता है जो समान आचरण के उत्साही प्रभाव से ओतप्रोत होगी जो अपनी कार्यप्रणाली में ज्यादा तटस्थ, निर्दोष, जवाबदेह और पारदर्शी होगी, जिसमें बेहतर कार्य क्षमता वाली कार्य संस्कृति का आभास होगा जो चरणबद्धता एवं समयबद्धता की कसौटी पर खरी उतरेगी और यह स्वयं से उपजे दुर्व्यवहारों से निपटने की अनुशासनात्मक कार्यवाही की अद्भुत क्षमता रखेगी। यह सब कुछ तबीयत संभव होता है जब कार्मिक व्यवस्था में आचरण एवं अनुशासन की भूमिका पर न केवल ध्यान दिया जाए बल्कि उसकी भूमिका और आवश्यकता को रेखांकित करने पर बल दिया जाना चाहिए।

आचरण एवं अनुशासन की आवश्यकता एवं उसकी भूमिका निम्न बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं-

1. कार्मिक वर्ग का सरकारों के प्रति दृढ़ निष्ठावान रहना और अपने उच्च अधिकारियों के प्रति सद्व्यवहार की अनिवार्यता।
2. कार्मिकों के निजी व्यवसाय एवं व्यवहार पर प्रतिबंध ताकि वे अपने दायित्वों के प्रति पूर्ण इमानदार रहें और पूर्ण मनोयोग से आपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोगी बने रहें।
3. कार्मिकों के राजनीतिक क्रियाकलापों पर प्रतिबंध होता कि उनकी सत्य निष्ठा प्रभावित न हो वे राजनीतिक तटस्थता बनाए रखें।
4. 'यथा राजा तथा प्रजा' के आदर्श को प्राप्त करते हुए अच्छे नागरिक समाज की स्थापना करना।
5. सत्ता में अधिकार प्राप्त वर्ग के सत्ता संबंधी दुरुपयोग पर प्रतिबंध लगा कर उसे स्वार्थ रहित बनाने के लिए।
6. कार्मिक अपने दायित्व और कर्तव्य से बंधे रहें और उनमें प्रशासनिक कुशलता संबंधी क्षमता का संचार होता रहे।
7. कार्मिकों का आचरण नैतिक बना रहे ताकि कोई भी उन पर आरोप या उंगली न उठा सके।

उक्त उक्त सभी नियमों की अनिवार्यता से ही राज्य के कल्याणकारी स्वरूप को प्राप्त किया जा सकता है जो जन्म से मृत्यु तक मानवीय विकास की सभी संभावनाओं का धरातलीय सूत्रपात करता है इसके लिए आचरण एवं अनुशासन की आवश्यकता अपरिहार्य हैं।

18.3 आचरण नियमावली में सम्मिलित विषय

भारतीय संविधान के अनुच्छेद- 309 में महामहिम राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह सरकारी कार्मिकों के आचरण संबंधी आवश्यक नियम बनाए। यद्यपि सरकार कर्मचारियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है किंतु सार रूप में सभी के लिए समानता पर आधारित आचरण नियमों को प्रतिस्थापित किया गया है। इसके तहत भारत सरकार द्वारा 1951 में 'अखिल भारतीय सेवा कानून' तथा 'अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमावली-1954' बनाए गए थे।

सन 1965 में केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियमावली का निर्माण कर लागू किया गया और समय-समय पर इसमें संशोधन भी किया जाता रहा है। भारत सरकार के रेलवे उपक्रम द्वारा भी अपने गमी को के लिए रेलवे सेवा (आचरण) नियमावली 1956 बनाई गई।

उक्त विभिन्न नियमावलियों के बावजूद समान आचरण के लिए सन् 1969 में प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा अपनी सिफारिशों भी इस संबंध में दी जाती रही हैं।

सामान्य रूप से राजनीतिक कार्यकलापों पर प्रतिबंध, प्रेस, रेडियो तथा बाहरी संस्थाओं से संबंध, सरकार की आलोचना, सार्वजनिक प्रदर्शनों पर प्रतिबंध, संपत्ति, निजी व्यापार और निवेश पर प्रतिबंध आचरण नियमों को केंद्रीय विषय हैं।

संक्षेप में लोकसेवकों से संबंधित आचरण नियमों में निम्न को भी सम्मिलित किया जा सकता है-

1. कर्तव्य पालन- सरकारी कर्मचारियों को हमेशा अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अनुपालन करना चाहिए।
2. उपहार लेने व देने पर प्रतिबंध- किसी भी सरकारी सेवक को विवाह उत्सव, जन्म दिवस, अंत्येष्टि या धार्मिक उत्सव में उपहार देना या प्राप्त करना प्रतिबंधित है विशेष रूप से 20रु0 से अधिक मूल्य की राशि का हिसाब सरकार को देना चाहिए।
3. संपत्ति संबंधित नियम- सेवा में आने पर कार्मिक को संपत्ति की अद्यतन स्थिति का हलफनामा/शपथ पत्र देना होता है और प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली संपत्ति का विवरण सरकार को देना शामिल है, ताकि आय से अधिक संपत्ति पर निगाह रखी जा सके।
4. दूसरे विवाह का निषेध- सरकारी कार्मिक के लिए आचरण संबंधी नियम यह भी है कि पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी विवाह की मनाही है। कानून में भी इसके संबंधी प्रावधान हैं।
5. निजी व्यापार का निषेध- सरकारी कार्मिक निजी व्यवसाय, सट्टेबाजी और निकट संबंधी नियुक्ति की मनाही है।
6. राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध- सरकारी कर्मचारी होने के नाते कार्मिकों को जहां कुछ विशिष्ट अधिकार और उत्तरदायित्व होते हैं वहीं वह सामान्य नागरिक भी होता है, किंतु उसकी प्राथमिक निष्ठा सरकार के साथ होनी चाहिए और ऐसे में उस पर कुछ आचरण संबंधी नियमों के लागू होने से कुछ व्यवहारों का प्रतिषेध करना होता है। राजनीतिक निष्पक्षता के क्रम में प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को राजनीतिक दलों की सदस्यता ग्रहण नहीं करनी चाहिए। किसी राजनीतिक गतिविधियों में प्रतिभाग का निषेध होता है, उसे किसी राजनीतिक दल को चंदा अथवा दान की मनाही होती है। इसके अलावा सरकार के विरुद्ध राजनीतिक हड़तालों में सहभागी बनने पर प्रतिबंध होता है। कार्मिकों को सरकार की और उसके राजनीतिक विचारों की आलोचना करने का अधिकार नहीं है। अर्थात् जहां तक राजनीतिक व्यवहार का प्रश्न है प्रशासनिक कार्मिकों को राजनीति तटस्थताके आदर्श का अनुपालन करना चाहिए। इससे सार्वजनिक हित बनाए रखने में मदद मिलती है और निष्पक्षता से जनसाधारण का विश्वास कार्मिक वर्ग में बढ़ता है।

दुनिया के तमाम देशों में सरकारी कार्मिकों के राजनीतिक अधिकारों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है-

- मतदान संबंधी अधिकार और सामान्य एवं आंशिक रूप से राजनीतिक क्रियाओं में प्रतिभाग का अधिकार।
- सरकारी कर्मचारियों को जनप्रतिनिधि बनने में उम्मीदवारी संबंधी छूट का अधिकार।

संयुक्त राज्य अमेरिका में यह परंपरा बनी हुई है कि सरकारी कर्मचारियों को राजनीति में प्रतिभाग की अनुमति नहीं होनी चाहिए जबकि ब्रिटेन में कर्मचारियों को राजनीतिक रूप से तटस्थ रहने संबंधी दिशा निर्देश हैं। फ्रांस जैसे गणराज्य में कर्मचारियों को राजनीतिक कार्यकलापों में आंशिक रूप से प्रतिभाग करने की छूट है किंतु ऐसा करना औचित्यपूर्ण एवं न्यायपूर्ण होना चाहिए।

भारत में सरकारी कार्मिकों के संबंध में यह कहा जा सकता है कि सरकारी कर्मचारी मत देने एवं संघ बनाने का अधिकार तो रखते हैं किंतु उनका किसी राजनीतिक गतिविधि में सहभागी बनना प्रतिबंधित है। सरकारी कर्मचारी किसी दल के नए तो सदस्य होंगे और न ही वे किसी राजनीतिक दल को सहयोग राशि अथवा चंदा देंगे।

1960 में गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक परिपत्र में निर्देशित किया गया है कि समस्त सरकारी कर्मचारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे किसी भी राजनीतिक कार्यक्लाप अथवा गतिविधि में प्रतिभाग नहीं करेंगे। किंतु भारत सरकार उन्हें अपने हित एवं कल्याण के लिए संघों के रूप में संगठित होने का स्वागत करती है ताकि वे न्यायोचित हितों का वर्धन कर सकें।

भारतीय संदर्भ में सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण आचरण नियम निर्धारित किए हैं-

उक्त बातों के होते हुए केंद्रीय सेवा आचरण नियमावली के नियम 4 में यह निर्धारित किया गया है कि "कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी संसद अथवा विधानसभा के चुनावों के लिए प्रचार नहीं करेगा अथवा हस्तक्षेप नहीं करेगा और न ही चुनावों को प्रभावित करने के लिए अपने प्रभाव का प्रयोग करेगा और न चुनाव में भाग लेगा"।

कार्मिक की राजद्रोही भावनाओं की अभिव्यक्ति सिद्ध होने पर उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

सरकारी कर्मचारियों के संघ बनाने और हड़ताल करने का प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हैं। हड़ताल सर्वाधिक विवादित प्रश्नों में से एक है। यद्यपि भारत में सरकारी कर्मचारियों को सामान्य रूप से हड़ताल से रोका नहीं जा सकता किंतु जनमानस के लिए सेवाओं की अनिवार्यता को देखते हुए 'एस्मा' (ASMA) आवश्यक सेवा संधारण अधिनियम- 1960 के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए हड़ताल को गैरकानूनी घोषित किया जा सकता है। इसे निम्न क्षेत्र में लागू किया जा सकता है यथा बिजली, पानी, यातायात, संचार, डाकतार, चिकित्सा, खाद्य जरूरतें आदि।

18.4 अनुशासनात्मक कार्यवाही का अर्थ एवं परिभाषा

मनुष्य अच्छाई और बुराई दो भिन्न प्रकृतियों का सम्मिश्रण है। इसके चलते यह अपेक्षा करना व्यर्थ है कि किसी प्रशासनिक संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति में संगठन के सभी सदस्य निर्दोष तरीके से उच्च एवं समान उत्साह के साथ आचरण करेंगे। किसी संगठन की मजबूती इस बात पर भी निर्भर करती है कि वह आपेक्षित व्यवहार करने पर अपने सदस्यों के प्रति दंड के क्या प्रावधान करता है। इसलिए प्रत्येक संगठन में किसी न किसी रूप में अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रावधान होता है ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति में कार्मिकों के आपेक्षित व्यवहार को सही दिशा में नियंत्रित एवं संचालित किया जा सके।

टोरपे के अनुसार, "अनुशासनात्मक कार्रवाई वे प्रशासनिक कदम हैं जो कार्य की संपन्नता से संबंधित कर्मचारी के दुर्व्यवहार को ठीक करने के लिए उठाए जाते हैं।"

डॉ० स्प्रिंगल के अनुसार, "अनुशासन वह शक्ति है जो व्यक्ति अथवा समूह को उन नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए प्रेरित करती है जो किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक समझी जाती हैं। यह शक्ति या शक्ति का डर है जो व्यक्ति अथवा समूह को ऐसे काम करने से रोकती है जो समूह के उद्देश्यों के लिए विनाशकारी माने जाते हैं। यह समूह के विनियमों के उल्लंघन के लिए दंड का प्रवर्तन अथवा नियंत्रण का अनुष्ठान भी है।"

उक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही का आशय कर्मचारियों के कार्य निष्पादन से जुड़े आचरण नियमों को बनाए रखना और आपेक्षित व्यवहार के विपरीत कदाचार को दुरुस्त करने हेतु संभावित प्रशासनिक उपायों से है। इससे वैयक्तिक एवं सामूहिक कार्य क्षमता को बनाने रखने में सहायता मिलती है। आचरण के नियमों के विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही और दीवानी/फौजदारी प्रक्रियाओं में काफी विभेद पाया जाता है। फौजदारी एवं दीवानी मामलों में किसी कानूनी उल्लंघन की प्रवृत्ति पाई जाती है जिसका न्यायालयों द्वारा निराकरण किया जाता जाता है। जबकि अनुशासनात्मक कार्यवाही के नियमों को किसी कार्यालय विशेष के संबंध में स्थापित आचरण नियमावली में व्यवहारिक त्रुटियों के क्रम में देखा जा सकता है।

सामान्य रूप से आचरण नियमों के अंतर्गत निम्न विषयों को शामिल किया गया है, जहां कठोरता अधिक बढ़ती जाए-

1. राज्य के प्रति निष्ठा।
2. विशिष्ट पदाधिकारियों के प्रति उचित व्यवहार कायम रखना।
3. राजनीतिक गतिविधियों में विनियमन एवं कार्मिकों की तटस्थता संबंधी नियमों की स्थापना।
4. एक से अधिक विवाह संबंधी निषेध के अनुपालन में।
5. रिश्वत, अवैध चल-अचल संपत्ति अर्जन, निवेश ऋण, उपहार, पारितोषिक, आदि पर प्रतिबंध।
6. पारदर्शिता एवं जवाबदेही के लिए ईमानदारी की सुरक्षा करना।

इसके अतिरिक्त प्रोफेसर एल0डी0 व्हाइट ने उन परिस्थितियों की ओर ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया जहां अनुशासनात्मक कार्यवाही आवश्यक हो जाती हैं-

- कर्तव्य पालन की ओर ध्यान नहीं देना, आलसपन, कार्य के प्रति असावधानी तथा कार्य करने से मन चुराना।
- अकार्यकशलता का प्रदर्शन।
- स्थापित कानूनों का उल्लंघन, नियमों को तोड़ना, अवज्ञा अथवा पदसोपान के नियमों का पालन न करना।
- अनैतिकता।
- उन्माद।
- भ्रष्टाचार एवं पक्षपात को प्रस्ताव प्रोत्साहित करना।
- ईमानदारी का अभाव।
- जानबूझकर किसी कानून अधिनियम को लागू करने से मना करना।

उक्त के संदर्भ में अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए निम्न प्रकार के कारणों पर चर्चा करना समाचीन होगा।

18.5 अनुशासनात्मक कार्रवाई के कारण

सरकारी कर्मचारियों पर किसी आपेक्षित आचार संहिता के उल्लंघन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के विभिन्न कारणों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है-

1. सामान्य एवं छोटे अपराधों के समान आचरण-
 - आदेशों की अवहेलना
 - अभद्रता (जनता एवं सहकर्मियों के साथ)
 - अविनय अथवा शख्त लहजा
 - कदाचार (षड्यंत्र, आलोचना, आचार संहिता उल्लंघन, पक्षपात आदि)
2. गंभीर अपराधों के समान आचरण-
 - रिश्वत
 - भ्रष्टाचार
 - लेखा में जालसाजी
 - दस्तावेजों की जालसाजी एवं दुरुपयोग
 - सरकारी संपत्ति की चोरी

- सरकार को धोखा देना
- आय से अधिक संपत्ति का अर्जन
- गबन
- छल कपट पूर्ण दावे (यात्रा भत्ता, मकान किराया भत्ता) आदि
- कर्मचारियों के लिए स्थापित अध्यादेश कानूनों और दिशा निर्देशों का उल्लंघन

इन सभी उल्लेखित कारणों एवं परिस्थितियों के संदर्भ प्रकाश में सरकारी कर्मचारियों का दोष सिद्ध होने पर दंडस्वरूप अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है।

18.6. अनुशासनात्मक कार्यवाही के विभिन्न रूप एवं तरीके

सरकारी कर्मचारियों के किसी भी प्रशासनिक संगठन में अनुशासन बनाए रखने के लिए दंड स्वरूप अनुशासनात्मक कार्यवाही के ऐसे प्रावधान होना चाहिए, जिन्हें कर्मचारियों के अनुशासनहीनता होने पर उपयोग में लाया जा सके और वे नियंत्रित एवं संचालित होते रहें। कहा भी जाता है कि भय बिनु होय न प्रीत' भारतीय संविधान की धारा- 311 में स्पष्ट है कि अनुशासनिक कार्यवाही औपचारिक तथा अनौपचारिक हो सकती है। अनौपचारिक अनुशासनिक कार्यवाही का तात्पर्य कम वांछित कार्यों का आवंटन, निकट निरीक्षण, सुविधाओं की हानि, अथवा उन पर रोक, प्रासंगिक मामलों में परामर्श ना करना, प्रस्तावों अथवा सिफारिशों की अस्वीकृति से हो सकता है। इसमें कर्मचारियों के अधिकारों में काट-छांट और उस की जिम्मेदारियों को कम करना भी सम्मिलित हो सकता है। अनौपचारिक अनुशासनिक कार्यवाही करने का कारण यह भी हो सकता है कि सीधी और औपचारिक कार्यवाही को न्याय संगत सिद्ध करने के लिए यह अपराध बहुत तुच्छ अथवा अति सूक्ष्म हो सकते हैं या इन्हें सिद्ध करना बहुत कठिन हो सकता है।

औपचारिक अनुशासनिक कार्यवाही तब की जाती है जब अपराध गंभीर हो और उसे कानूनी रूप से स्थापित किया जा सकता हो, ऐसे प्रकरणों में सेवा के सदस्यों पर आरोपित की जाने वाली शक्तियां दंड निम्नांकित हैं-

1. चेतावनी देना- उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ कार्मिक कर्मचारी की अनुशासनहीनता पर डाटता फटकारता है और भविष्य में पुनरावृत्ति न होने की चेतावनी देकर छोड़ता है।
2. कार्य पटल में परिवर्तन करना- कई बार विभागाध्यक्ष अथवा उच्च अधिकारी द्वारा कार्मिक की अनुशासनहीनता पर उसके कार्य, कार्यपटलआदि में परिवर्तन कर दिया जाता है।
3. सेवा अभिलेखों में मूल्यांकन- कार्मिक के आचरण में गिरावट पर उसके सेवा अभिलेखों में उच्च अधिकारियों द्वारा टिप्पणी लिख दी जाती है जो पदोन्नति के मार्ग में बाधक बन सकती है।
4. जुर्माना लगाना- सरकारी कार्मिक की अनुशासनहीनता पर आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है।
5. वार्षिक वेतन वृद्धि रोकना- उच्च अधिकारी द्वारा कार्य संतुष्टि न होना अथवा आचरण नियमावली के उल्लंघन पर वेतन वृद्धि पर रोक लगाई जा सकती है।
6. पदोन्नति रोकना- अनुशासनहीनता का परिणाम यह हो सकता है कि कार्मिक की पदोन्नति को रोक दिया जाए। यह कठोर कार्यवाही में शामिल है।
7. स्थानांतरण करना- आचरण नियमावली का अनुपालन न करने पर कार्मिक का स्थानांतरण अन्यत्र कर दिया जाता है। यह भी कठोर अथवा सख्त कार्यवाही का भाग है।
8. पदावनति करना- कार्मिक द्वारा निर्धारित आचरण का अनुपालन न करना उसे पदोन्नति के स्थान पर अवनति भी दिला सकता है।

9. निलंबन- कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत एक और सख्त कार्रवाई निलंबन है। यह कुछ समय के लिए होता है किंतु यदि आचरण में सुधार नहीं होता तो उसे विभागीय सेवा से विमुक्त(बर्खास्त) कर दिया जाता है।
10. फौजदारी कार्यवाही एवं स्थाई बर्खास्तगी- इसका आशय है कि यदि कार्मिक द्वारा गंभीर प्रकृति का अपराध एवं अनुशासन हीनता की गयी है, जिसके लिए कानूनी प्रावधानों में फौजदारी मामला बनता है तो मुकदमा पंजीकृत कर स्थाई तौर पर बर्खास्तगी कर दी जाती है, जिसका परिणाम यह होगा कि कार्मिक कभी भी किसी प्रकार की सरकारी सेवा में प्रवेश नहीं कर पाएगा। उक्त सभी कार्यवाहियां निम्न शर्तों के साथ ही की जा सकती है-
 - कार्मिक को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जानकारी ससमय देनी होगी।
 - विभागीय विनियमों और मौजूदा कानूनों के अंतर्गत ही कार्यवाही संभव होगी।
 - बर्खास्तगी करने वाला अधिकारी, नियुक्ति करने वाले अधिकारी से या तो वरिष्ठ होगा या समकक्ष, निचली श्रेणी का अधिकारी यह निर्णय नहीं कर सकता है।
 - कार्मिक को अपने बचाव का पूर्ण न्याय संगत अवसर प्रदान किया जाएगा।
 - जांच मंडल के रूप में कम से कम एक अधिकारी उसी सेवा से होगा जिस सेवा में कार्मिक है।

18.7 ब्रिटिश शासन के दौरान कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही

भारतीय औपनिवेशिक साम्राज्य में ब्रिटिश सरकार को मजबूत करने के जिस सुदृढता एवं स्थायित्व की आवश्यकता थी वह एक अनुशासित कार्मिक वर्ग के बिना संभव नहीं था। इसी कारण भारत में अंग्रेजी सरकार बुनियादी तौर पर अपने स्थायित्व के लिए अपने कर्मचारियों पर निर्भर रहती थी। फलस्वरूप तत्कालीन अखिल भारतीय सेवाओं में सभी प्रकार की सुविधाओं, अधिकारों और उपकारों की भरमार रहती थी। ये सेवाएं गवर्नर जनरल तक के नियंत्रण में नहीं थी। वह सीधे भारत सचिव और उसकी परिषद के अधीन थी।

1. **भारत सरकार अधिनियम-1919 में अनुशासनिक कार्यवाही के प्रावधान-** अखिल भारतीय अधिकारियों राज्य परिषद सचिव के अतिरिक्त अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा सेवा से बर्खास्त नहीं किया जा सकता था। महत्वपूर्ण अनुशासनिक मामलों में उसके साथ ही प्रतिकूल व्यवहार होता था तो उसे राज्य परिषद सचिव को अपील करने का अधिकार था। प्रांत के गवर्नर से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह किसी भी ऐसे अधिकारी की शिकायत या प्ररीक्षण करे जो यह सोचता हो कि उसके वरिष्ठ अधिकारियों ने उसके साथ अन्याय किया है। वह उसकी शिकायत दूर करे, यदि ऐसा करना न्यायोचित प्रतीत हो। उसकी परिलब्धियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई भी आदेश अथवा उसकी निंदा का कोई भी आदेश गवर्नर की व्यक्तिगत सहमति के बिना पारित नहीं किया जा सकता था। उसकी नियुक्ति के पदांकन आदेश के लिए भी गवर्नर की व्यक्तिगत सहमति अपेक्षित होती थी। उसके वेतन, पेंशन आदि विधानसभा के मतदान के अधीन नहीं थे।

यें सेवाएं जनमत के प्रति उत्तरदाई और विशेषाधिकृत स्थिति में संस्थापित थी और इसलिए उन्हें भारत सरकार अधिनियम-1919 के अंतर्गत अतिसीमित उत्तरदाई शासन लागू करने वाले सुधारवादी युग के साथ समायोजित करना कठिन प्रतीत हुआ। प्रांतीय तथा केंद्रीय विधान मंडलों में प्रश्नों के द्वारा सेवा के सदस्यों की व्यक्तिगत आलोचना प्रांतों में भारतीय मंत्रियों के अधीन कार्य की अपकीर्ति, 1920-22 के असहयोग आंदोलन में अधिकारियों और उनके परिवारों को व्यक्तिगत असुविधा, प्रथम विश्व युद्ध के फलस्वरूप किमतों में वृद्धि के कारण वेतन की अपर्याप्तता- इन सभी ने इन सेवाओं के यूरोपीय सदस्यों को

हतोत्साहित और व्याकुल कर दिया तथा उनमें से कई लोगों ने मजबूरन सेवा से निवृत्त होने का निर्णय ले लिया। इस प्रवृत्ति ने 1924 ने ली आयोग की सिफारिश के कारण इन सेवाओं का अधिक से अधिक भारतीयकरण सुगम बना दिया।

2. **भारत सरकार अधिनियम-1935 में अनुशासनिक कार्यवाही के प्रावधान-** यूरोपीय अधिकारियों ने भारतीय मंत्रियों के अधीन सेवा करने की अपेक्षा सेवा से निवृत्ति लेने की इच्छा व्यक्त की। जिसके कारण भारत में सरकारी सेवाओं की विशेषाधिकृत स्थिति बनाने हेतु उन्हें ब्रिटिश सरकार ने विशिष्ट सुरक्षा देने में और अधिक रुचि ली। अतएव भारत सरकार अधिनियम-1935 में गवर्नर जनरल और गवर्नरों की विशेष जिम्मेदारियों की सूची में सरकारी सेवाओं के हितों का संरक्षण भी शामिल किया गया। (धारा 247, 249) इस प्रकार यदि राज्य सचिव की सेवाओं का कोई भी अधिकारी अपनी सेवा शर्तों से संबंधित प्रतिकूल रूप से किसी आदेश से प्रभावित होता था तो उसे गवर्नर को शिकायत करने का अधिकार था और गवर्नर को ऐसे मामले में अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करते हुए मंत्रियों की सलाह लिए बिना निपटारा करना होता था।

18.8 भारतीय संविधान में अनुशासनात्मक कार्यवाहीकी प्रक्रिया संबंधी प्रावधान

लंबे समय तक ब्रिटिश उपनिवेश रहने के कारण भारतीय परिवेश पर अंग्रेजी प्रशासनिक छाप रही है जो आजादी के पश्चात भारतीय संविधान पर भी स्पष्ट दिखाई पड़ती है। जहां तक कार्मिक प्रशासन में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रिया संबंधी प्रावधानों का प्रश्न है उस पर भी अंग्रेजी शासन के जमाने से चली आ रही आचरण नियमावली के कुछ एक संशोधनों के साथ उसे अपना लिया गया है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-309 में निहित है कि संघ राज्यों के मामलों से संबंधित सरकारी नौकरियों तथा पदों पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तें विधानमंडल के अधिनियम द्वारा विनियमित होंगी, जब तक उपयुक्त विधानमंडल के अधिनियम द्वारा प्रावधान नहीं बनाया जाता तब तक राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल, जैसा कि प्रकरण हो सरकारी नौकरियों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु सक्षम होंगे। संसद और हमारे विधानमंडल, राष्ट्रपति, राज्यपाल सक्षम संस्थाएं हैं।

अनुच्छेद-310 के अनुसार रक्षा सेवा अथवा संघ की असैनिक सेवा अथवा अखिल भारतीय सेवा का सदस्य अथवा संघ शासन के अधीन कोई भी सैनिक अथवा असैनिक पद ग्रहण करने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति की कृपा के अधीन ही अपना पद ग्रहण करता है और राज्य सरकार की सेवा का सदस्य या नियुक्त व्यक्ति उस राज्य के राज्यपाल की कृपा के अधीन अपना पद धारण करता है। संघ अथवा राज्य के अधीन कोई असैनिक पद धारण करना राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की कृपा के अधीन है। इस बात के होते हुए भी यदि कोई व्यक्ति (जो रक्षा सेवा या अखिल भारतीय सेवा संघ अथवा राज्य की असैनिक सेवा का सदस्य ना हो), संविधान के अधीन किसी पद पर किसी संविदा के अधीन नियुक्त है और यदि राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल किसी विशिष्ट योग्यता वाले व्यक्ति की सेवाएं प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक समझे तो निश्चित अवधि से पूर्व पद समाप्ति पर अथवा इस पद को खाली करने के आदेश पर क्षतिपूर्ति का भुगतान नियुक्त व्यक्ति को किए जाने का प्रावधान उस संविदा में होगा जो संविदा नियमावली समय-समय पर लागू की गई हो।

42वें संशोधन द्वारा यथा संशोधित अनुच्छेद-311 में यह प्रावधान है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो संघ की असैनिक सेवा अथवा अखिल भारतीय सेवा अथवा राज्य की असैनिक सेवा का सदस्य है अथवा संघ या राज्य के अधीन असैनिक पद ग्रहण किए हुए हैं उस प्राधिकारी के अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा सेवा से बर्खास्त नहीं किया जाएगा अथवा हटाया नहीं जाएगा। जिस प्राधिकारी द्वारा यह वह नियुक्त किया गया था उपरोक्त कोई भी व्यक्ति ऐसी जांच के बिना, जिसमें उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की सूचना दी गई हो और उन आरोपों के बारे में

सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया गया हो, न तो सेवा से अलग किया जाएगा और न उसे पदावनत किया जाएगा। जब ऐसी जांच के उपरांत उस पर कोई दंड आरोपित करना प्रस्तावित हो तो वह शास्ती जांच के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर ही आरोपित की जाएगी और उस व्यक्ति को प्रस्तावित शास्ती पर बचाव का अवसर दिया जाना आवश्यक नहीं होगा। यह खंड उन प्रकरणों पर लागू नहीं होगा जिनमें व्यक्ति को ऐसे आचरण के आधार पर पदावनत अथवा सेवा मुक्त किया गया हो जिससे उसका अपराधिक आरोप सिद्ध हुआ हो। साथ ही यह खंड उन प्रकरणों पर भी लागू नहीं होगा जहां पर पदावनत अथवा सेवा मुक्त करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो की किन्ही कारणों से उपरोक्त जांच करना संभव नहीं है अथवा जहां राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल, जैसा कि प्रकरण हो इस बात से संतुष्ट हों कि राज्य की सुरक्षा के हित में इस प्रकार की जांच करना उचित नहीं होगा। उपरोक्त प्रकार के व्यक्ति के संबंध में यदि यह प्रश्न उठता है कि उपरोक्त जांच करना युक्तियुक्त प्रकार से संभव है तो पदावनत अथवा सेवा मुक्ति के लिए प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

इस तरह देखा जाए तो भारतीय संविधान किसी कार्मिक को जहां आचार नियमावली के अनुपालन के लिए पुरस्कृत स्वरूप बेहतर वातावरण सुविधाओं का निर्माण करता है वहीं संविधान में अनुशासनात्मक कार्यवाही की विस्तृत एवं न्याय संगत प्रक्रिया का प्रावधान भी किया गया है।

18.9 कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधी विभिन्न चरण

जब यह स्पष्ट हो जाता है कि अमुक कार्मिक द्वारा विभागीय आचरण संहिता का उल्लंघन किया गया है तो उसके विरुद्ध विभिन्न कार्मिक चरणों में के माध्यम से अनुशासनात्मक कार्यवाही आरंभ की जाती है-

1. सर्वप्रथम जिस कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करनी है उससे इस बाबत स्पष्टीकरण की मांग करना।
2. स्पष्टीकरण नहीं देना या संतोषजनक नहीं होने पर कार्मिक पर आरोप लगाना।
3. यदि ऐसा प्रतीत हो कि कार्मिक सेवा में रहते हुए साक्ष्यों को प्रभावित कर सकता है तो उस कार्मिक को निलंबित करना।
4. कार्मिक के विरुद्ध आरोपों को सुनना और अभियुक्त कार्मिक को अपने बचाव का एक अवसर अवश्य देना।
5. आरोपों की जांच करना और परिणामों के आधार पर प्रतिवेदन तैयार करना।
6. कार्मिक को प्रस्तावित दंड के विरुद्ध बचाव का एक अवसर पुनः प्रदान करना।
7. 'दंड' के आदेश देना अथवा दोषमुक्ति का आदेश देना।
8. अपील की पूर्ण स्वतंत्रता, यदि कोई नियम या प्रावधान है, प्रदान करना।

जहां तक अपील के अधिकार की बात है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कर्मचारी को स्वयं राष्ट्रपति द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार नहीं है। अखिल भारतीय सेवा का सदस्य राज्य सरकार के आदेश पर राष्ट्रपति को अपील कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सदस्य राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध राष्ट्रपति के यहां अपील कर सकता है। निचली श्रेणी की सेवा के सभी कर्मचारी उस आदेश से संबंधित नियम बनाने वाले प्राधिकारी को अपील कर सकते हैं, जिस आदेश पर अपील है। अपील केवल तभी की जा सकती है जब-

- नियमों के अंतर्गत उसकी अनुमति होनी चाहिए।
- उसका रूप-विधान दोषपूर्ण न हो और उचित माध्यम से प्रेषित की गई।
- जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है उस आदेश के प्रेषण की तिथि से 6 माह के अंदर वह अपील कर प्रेषित की गई हो।

- यह उसी प्राधिकारी को प्रेषित पिछली अपील की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।
- यह नियमों के अंतर्गत ग्राह्यकर्ता प्राधिकारी को को संबोधित हो।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपील रोकने के विरुद्ध कोई अपील स्वीकार्य नहीं है।

इस प्रकार भारत में कोई बाह्य प्राधिकारी अपील के संबंध में किसी भी स्तर पर हस्तक्षेप नहीं करता। निःसंदेह, भारत या राज्य सरकार में असैनिक पद पर सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले सभी अनुशासनिक मामलों में, जैसा कि प्रकरण हो संघ अथवा राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श करने का प्रावधान संविधान में है, परंतु यह परामर्श केवल उन्हीं मामलों तक सीमित है जिनमें अनुशासन संबंधी आदेश राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा दिया जाता है।

उपरोक्त के साथ-साथ यहां यह भी ध्यान रखना है कि अन्याय पूर्ण बर्खास्तगी अथवा सेवा मुक्ति के विरुद्ध न्यायालय में सदैव अपील की जा सकती है परंतु यह अपील तभी की जा सकती है जब कर्मचारी ने सेवा नियमों के अंतर्गत उपलब्ध सभी उपचारों का प्रयास कर लिया हो।

अंत में यह कहा जा सकता है कि कर्मचारी को निम्नांकित प्रकरणों में अपील करने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है-

- जहां व्यक्ति को ऐसे आचरण के आधार पर पदावनत या सेवा मुक्त किया गया हो जिसके फलस्वरूप आपराधिक आरोप जैसे गबन आदि पर सजा मिली हो।
- जहां कर्मचारी को पदावनत अथवा सेवा मुक्त करने हेतु अधिकृत अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि किसी कारण से, संबंधित व्यक्ति को यथोचित प्रकार के कारण बताने का अवसर देना व्यवहारिक नहीं है।
- जहां राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल प्रकरण के अनुसार इस बात से संतुष्ट है कि संबंधित कर्मचारी को ऐसा अवसर देना राज्य की सुरक्षा के हित में नहीं है।

18.10 अनुशासनात्मक कार्यवाही की समस्याएं एवं समाधान

किसी कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही में प्रायः यह देखा जाता है कि कार्यवाही निष्पक्ष, उचित, समय एवं पदसोपानीय क्रम में न होने के कारण निम्न समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं-

1. अनुशासनात्मक प्रक्रिया में सम्मिलित प्राधिकारी मंडल स्वयं प्रक्रिया के ज्ञान अभाव का शिकार हैं ऐसे में न तो वे कार्मिक के साथ न्याय कर पाते हैं और न ही व्यवस्था के प्रति।
2. सामान्यतया, अनुशासनात्मक कार्यवाही में बहुत लंबा समय लग जाता है यह कार्मिकों को कष्ट पहुंचाने वाला होता है।
3. अधिकांशतः यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि अपीलीय अधिकारी अपने अधीनस्थों के निर्णयों के अनुकूल व्यवहार करते हैं यह पक्षता न्याय व्यवहार को समाप्त कर देती है। अपील का उद्देश्य ही इस से नष्ट हो जाता है।
4. अधिकतर उच्च अधिकारी (मैं ही राज्य हूँ) के सिद्धांत पर कार्य करते हैं और अपने निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील स्वीकार नहीं करते, जो अपीलियों को रोकने की प्रवृत्ति का प्रतीक है।
5. नियमों की बहुलता कई बार उचित समझ को नष्ट कर सकती है। अत्यधिक नियम बाहुल्यता भी नियमों के अनुपालन से विमुख कर देगा इसलिए पर्याप्त एक ठोस नियम हो जिस की व्याख्या सरलता से हो सके।

6. अनुशासनात्मक कार्यवाही में प्रायः यह तथ्य स्पष्ट नजर आता है कि एक तो कार्मिक वर्ग असहनशीलता की स्थिति की ओर अग्रसर हो रहा है, और साथ ही उच्च अधिकारी वर्ग शीघ्रता से आपा खो बैठता है जिससे कार्मिकों पर अनुशासन संबंधी कार्यवाही प्रयोजन को प्राप्त नहीं कर पाती।
7. अनेकवादों (क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाई-भतीजावाद, भाषावाद, भ्रष्टाचार आदि) के चलते अनुशासनात्मक कार्यवाही असंगत नजर आती है जहां समानता का नितांत अभाव है। जब तक उक्तवादों से मुक्ति नहीं होगी तब तक आचार संहिता व उससे संबंधित कार्यवाही प्रासंगिक नहीं होगी।
8. प्रशासनिक व्यवस्था में आचरण एवं अनुशासन संबंधी मूल्य की स्थापना के लिए केवल दंड ही कारगर उपाय नहीं होगा बल्कि अनुशासनहीनता की पुनरावृत्ति ना हो इसे रोकने के सुझाव प्रस्तुत करने चाहिए।
9. सरकार द्वारा कार्मिकों को त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए गठित प्रशासनिक न्यायाधिकरण को उचित स्टाफ के साथ सशक्त बनाना चाहिए।

आचरण एवं अनुशासन का निर्णायक प्रयोग स्वानुशासन बढ़ाने के लिए होना चाहिए और दंड तभी लागू की जानी चाहिए, जब निरोधक उपाय असफल हो गए हों। पाल पिंगर्स एवं चार्ल्स ए. मियर्स का कहना था कि सच्चा अनुशासन-

- पारस्परिक समझ तथा संगठन से केंद्रित दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने के प्रयास से प्रारंभ होती है।
- न्यायपूर्ण होती है।
- स्पष्ट रूप से मानवीय संबंधों (उचित प्रक्रिया और अपील के अधिकार सहित) के निर्दोश सिद्धांतों के अनुकूल होती हैं।
- सभी को भली भांति ज्ञात और स्पष्ट अनुशासन नीति विवरण के अनुरूप होती है।
- अनुशासन के अधीन व्यक्तियों के प्रतिनिधियों के परामर्श से धारणाओं को क्रियान्वित करती है।
- प्रत्येक ऐसी परिस्थिति में, किन्ही भी लघुकारी लक्षणों का ध्यान रखती है जहां अनुशासन आवश्यक प्रतीत होता है।

अभ्यास प्रश्न-

1. भारत में अखिल भारतीय सेवा कानून कब बनाया गया?
2. अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमावली कब बनाई गयी?
3. भारतीय संविधान की किस धारा में सरकारी कर्मचारियों पर औपचारिक और अनौपचारिक अनुशासनिक कार्यवाही का प्रावधान है?
4. किन अधिनियमों के तहत भारत में ब्रिटिश शासन काल में सरकारी कर्मचारियों पर अनुशासनिक कार्यवाही की जाती थी?

18.11 सारांश

आचरण एवं अनुशासन किसी सभ्य नागरिक समाज की बुनियादी जरूरतों में से एक है। जहां आचरण आत्मिकता के निकट है वहीं अनुशासन बाहरी व्यवहार के नियम है, दोनों मिलकर एक बेहतर मनोसामाजिक व्यवहार का निर्माण करते हैं। जो समाज और राज्य के साथ जीवन के संपूर्ण पक्षों को संतुलित एवं समायोजित करता है। जहां तक उक्त विचारों का मूल्यांकन भारतीय संदर्भ में करते हैं तो स्पष्ट होता है कि भारत में सरकारी कर्मचारियों के लिए आचरण नियम इतने कठोर नहीं हैं जितने वे दिखाई पड़ते हैं क्योंकि बारंबार और बहुत सी भूल-चूक होने से

उनके प्रभावी होने में शिथिलता है। इसी प्रकार अनुशासन नियमों का विरले ही प्रयोग किया जाता है तब भी कर्मचारी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को सन्देह की छाया से परे सिद्ध करने का दायित्व अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित करने वाले अधिकारी पर होता है। इस प्रयोजन के लिए दीर्घकालिक विभागीय जांच होगी ही। इसके अलावा कर्मचारियों को व्यवहारिक कार्यवाही रोकने अथवा उससे बचने के पर्याप्त अवसर मिलते हैं। भारतीय प्रशासन के किसी अंश में इसी कारण से क्षमता और भ्रष्टाचार की प्रत्यक्ष बुराइयां हैं। पर कुछ भी हो नियमों से सरकारी कर्मचारी अच्छे नहीं बन जाते, बल्कि उनकी अपनी अंतरात्मा द्वारा आरोपित आचरण के मानदंड, सेवा की सहयोगी भावना और परंपराएं अपने सहयोगियों तथा अधिकार प्राप्त अधिकारियों के उदाहरण तथा जनमत की चौकसी उन्हें अच्छा बनाते हैं। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि बिना प्रशासनिक निष्ठा के राज्य के लक्ष्य जीवन की प्राप्ति को सरकार नहीं किया जा सकता इसके लिए नागरिक समाज में आचरण एवं अनुशासन संबंधी प्रावधानों एवं परंपराओं के जीवन मूल्यों का समावेशन करना अनिवार्य है। यह सब कार्मिकों के मनोबल को न केवल बढ़ाएगा वरन उनसे की जाने वाली अपेक्षाओं को पूर्ण कर एक बेहतरीन कार्मिक प्रशासन की बुनियाद को मजबूती प्रदान करेगा।

18.12 शब्दावली

आचरण- स्वयं के व्यवहार की पद्धति, अनुशासन- एक मानसिक एवं नैतिक प्रशिक्षण, समावेशन- बहुआयामी पक्षों का सम्मिलित स्वरूप, प्रयोजन- उद्देश्य या लक्ष्य का निर्धारण, उपचार- समस्या का समाधान ढूंढना, गबन- चालाकी से धन को अपने हित में परिवर्तित करना, दिवालियापन- ऋण चुकाने की अक्षमता का समाप्त हो जाना

18.13 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. 1951 में, 2. 1954 में, 3. धारा-311 में, 4. भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1935

18.14 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. डॉ. महादेव प्रसाद शर्मा एवं डॉ. बी.एल. सडाना, 'लोक प्रशासन: सिद्धान्त एवं व्यवहार' किताब महल इलाहाबाद, 2004
2. डॉ. बी.एल. फाडिया, 'लोक प्रशासन', साहित्य भवन आगरा, 1996
3. डॉ. सुरेन्द्र कटारिया, 'लोक प्रशासन', नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, जयपुर/नई दिल्ली, 2011
4. दीपक कुमार, 'सामान्य अध्ययन, पेपर (पट), नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिक्षमता', कापी राइट जी.एस. वर्ल्ड, मुखर्जी नगर, दिल्ली।
5. सुषमा यादव एवं बलवान गौतम, 'लोक प्रशासन', सिद्धान्त एवं व्यवहार, ओरियन्ट ब्लैक स्वान प्रा0 लि0, नई दिल्ली, 2015

18.15 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. डॉ. बी.एल. फाडिया, 'लोक प्रशासन', साहित्य भवन आगरा, 1996
2. डॉ. सुरेन्द्र कटारिया, 'लोक प्रशासन', नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, जयपुर/नई दिल्ली, 2011
3. दीपक कुमार, 'सामान्य अध्ययन, पेपर (पट), नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिक्षमता', कापी राइट जी.एस. वर्ल्ड, मुखर्जी नगर, दिल्ली।

18.16 निबन्धात्मक प्रश्न

1. कार्मिक प्रशासन में 'आचरण एवं अनुशासन' के महत्व को स्पष्ट करते हुए एक आदर्श आचार संहिता का निर्माण कीजिए।
2. अनुशासनात्मक कार्यवाही का अर्थ स्पष्ट करते हुए कार्यवाही के निर्धारित चरणों को विस्तार से समझाइए।
3. अंग्रेजी शासन और भारतीय शासन में होने वाली अनुशासनात्मक कार्यवाही का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत कीजिए।
4. भारतीय संविधान में अनुशासनात्मक मामलों से संबंधित विभिन्न प्रावधानों की विवेचना कीजिए।
5. आचार संहिता को लागू करने में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उनके कौन-कौन से व्यवहारिक समाधान हो सकते हैं? बताइए।

इकाई- 19 प्रशासनिक नैतिकता एवं कार्मिक प्रशासन में भ्रष्टाचार

इकाई की संरचना

- 19.0 प्रस्तावना
- 19.1 उद्देश्य
- 19.2 प्रशासनिक नैतिकता को प्रभावित करने वाले तत्व
- 19.3 प्रशासनिक सुचिता के प्रयास
- 19.4 प्रशासनिक निष्ठा: अर्थ
- 19.5 प्रशासनिक सेवाओं में भ्रष्टाचार
- 19.6 प्रशासनिक सेवाओं में निष्ठा हास के कारण
- 19.7 प्रशासनिक भ्रष्टाचार रोकने हेतु वैधानिक प्रावधान
- 19.8 प्रशासनिक सेवाओं में निष्ठा सुदृढ़ करने हेतु सुझाव
- 19.9 सारांश
- 19.10 शब्दावली
- 19.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 19.12 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 19.13 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 19.14 निबन्धात्मक प्रश्न

19.0 प्रस्तावना

नैतिकता व्यक्ति के आदर्श आचरण और सामाजिक व्यवहार की विवेचना करता है। किसी भी मानव समाज में मनुष्यों का आचरण वैसा नहीं होता जैसा होना चाहिए जो पाया जाता है वह मनुष्यों के सामूहिक व्यवहार की वास्तविकता है और उनसे जो अपेक्षा की जाती है वह एक ऐसा आचरण है जो अनुशासन चाहता है। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा आप दूसरों से अपने प्रति अपेक्षा रखते हों, यह कथन मनुष्य के आदर्श रूप को व्यक्त करता है। अरस्तू ने जब मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी कहा था तो वह कहना चाहता था की सामाजिकता को बनाए रखने या सबके लिए उपयोगी बनाने के लिए इस बुद्धिमान प्राणी को एक नैतिक प्राणी बनना पड़ेगा। यूनानी दर्शन की दुनिया में एक व्यक्ति, राज्य और समाज तीनों नैतिक इकाइयां थी और नैतिकता का अर्थ यह था की वह बिना कानूनों के अपने अंतःकरण के आदेशों के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करे। प्लेटो और अरस्तू की यह गुणात्मक नैतिकता ज्ञान को गुण मानती है। ज्ञान ही गुण है और जिस व्यक्ति में यह ज्ञान नहीं वह निबुद्धी व्यक्ति पशुवत जीवन भले ही जी ले पर वह शासक नहीं बन सकता। दूसरे शब्दों में नैतिकता का बुद्धिमत्ता पूर्ण आचरण शासन जीवन की एक पूर्व स्थिति है। मनुष्य का पशु जैसा आचरण स्वाभाविक तो है पर वह कम से कम पाश्चिक होना चाहिए जिससे समाज में एक अच्छा जीवन संभव हो सके। अरस्तू लिखता है “मनुष्य का जंगलीपन कम करने के लिए राज्य बना है, पर वह चल इसलिए रहा है की वह मनुष्य को सदाचारी बना सके।” यह सदाचार ही जीवन है और इसके अभाव में राज्य और सरकार दोनों ही निरर्थक और उद्देश्यहीन हो जाते हैं।

लोकतंत्र में शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए नैतिकता और निष्ठा की मूल आवश्यकता है। इसके आभाव में शासन व्यवस्था लड़खड़ा जाएगी। सरकारी सेवा में निष्पक्षता, ईमानदारी, नैतिकता और निष्ठा सुनिश्चित करने हेतु बनाए गए नियम, अधिनियम और विनियमों के होते हुए भी प्रशासनिक दायरा शेष रह जाता है कि इसमें औपचारिक कानूनों, प्रक्रियाओं और पद्यतियों से नियंत्रण नहीं किया जा सकता। मैक कैनी के शब्दों में, “ऐसे

सभी क्षेत्रों में उन्हें स्वयं अपनी अंतरात्मा, अपनी प्रतिष्ठा तथा स्वाभिमान की भावना, अपने साथियों के अभिमत और इन सबसे ऊपर अपनी निष्ठा, पूर्व कल्याण परिभाषित करने और उसे पूरा करने के अपने ईमानदार प्रयासों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।” सरकारी कर्मचारी वर्ग को सेवा के आदर्शों के अभिभूत होना चाहिए। गार्नर ने सही कहा था कि ‘कोई भी समाज तक तब अपनी महानता की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि उसकी सर्जनशीलता और बुद्धि के विवेचित क्षेत्रों में निष्ठावान पुरुष और महिलाएं प्रचुरता से उपलब्ध न हों।’

सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है की किसी प्रशासकीय संगठन के कुशल संचालन में जिन महत्वपूर्ण उपकरणों और घटकों की आवश्यकता होती है सरकारी कर्मचारी उसमें सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक साधन माना जाता है। यह सर्वविदित है की किसी भी राष्ट्र का विकास और नागरिकों का कल्याण सरकार की कुशलता पर निर्भर है और यह कुशलता उसके सरकारी कर्मचारी वर्ग पर निर्भर करती है। इसलिये इनमें अपने दायित्वों के प्रति कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी, नैतिकता, आदि गुणों का समावेश होना अनिवार्य है।

19.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप-

- प्रशासनिक नैतिकता को प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या कर सकेंगे।
- प्रशासनिक सुचिता के प्रयास को जान सकेंगे।
- सरकारी सेवाओं में निष्ठापतन के कारणों की विवेचना कर सकेंगे।
- प्रशासनिक भ्रष्टाचार रोकने के वैधानिक प्रावधानों का वर्णन कर सकेंगे तथा
- प्रशासनिक सेवाओं में निष्ठा सुदृढ़ करने हेतु सुझाव दे सकेंगे।

19.2 प्रशासनिक नैतिकता को प्रभावित करने वाले तत्व

प्रशासनिक नैतिकता को प्रभावित करने वाले तत्वों का विवरण निम्नलिखित है-

1. **विश्वास और कार्यों के प्रति सेवा भाव-** कोई भी संगठन तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसका राजनीतिक और प्रशासनिक नेतृत्व सशक्त न हो कहने का अभिप्राय यह है की प्रशासन में नेतृत्व करने वाला व्यक्ति अर्थात् लोकसेवकों पर जनता के प्रति विश्वास और अपने कार्यों के प्रति सेवाभाव होना अति आवश्यक है। शासन का व्यापक आकार और समाज के जीवन पर उसका बढ़ता प्रभाव, इनके कारण सरकारी कर्मचारी (लोकसेवकों) के नैतिक स्तर का अधिक ऊंचा होना आवश्यक हो गया है क्योंकि ये निति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। इस संदर्भ में सीनेटर पाल डगलस का कथन प्रसंगिक हो जाता है, “यह शुभ है की सरकार में बड़ी संस्था में ऐसे पुरुष और महिलाएं हैं जो लोकसेवा में समर्पित जीवन बिताते हैं वे उस वेतन से कम पर कठिन परिश्रम करते हैं। जो वे निजी उद्योग में प्राप्त कर सकते थे। वे कभी भी लोकहित के प्रति विश्वासघात नहीं करते प्रत्युत बड़ी कठिनाई से इसकी रक्षा करते हैं। इसके अतिरिक्त कोई महत्वपूर्ण प्रशंसा पाए बिना ही वे ये सब करते हैं। वे सामान्यतः जनता द्वारा कम ही जाने जाते हैं या वस्तुतः उपेक्षित रहते हैं। कभी कभी वे अनुचित लाभ प्राप्त करने के इच्छुक या निराधार पूर्वाग्रहों से प्रभावित स्वार्थों के प्रति कटु आक्रमण के शिकार होते हैं। ये स्त्री और पुरुष वास्तव में कीर्ति-विहीन नायक हैं और प्राप्त मान्यता से अधिक के पात्र हैं।”
- प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को अपने कार्यों के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए। लोकसेवक जो भी नीतियों का निर्माण करते हैं उसका प्रत्यक्ष प्रभाव जनता पर पड़ता है। इसलिए नीतियां लोकहित में होनी

चाहिए। जब तक लोकसेवक सेवाभाव से कार्य नहीं करेंगे तब तक राज्य का विकास संभव नहीं हो सकता।

जैसा की जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, “कोई भी शासन कर्तव्य भाव के बिना, जिहाद भावना के कुछ कार्यों के बिना वस्तुतः प्रथम श्रेणी का कार्य नहीं कर सकता। मैं यह कह रहा हूँ, मुझे यह एक बड़े उद्देश्य के महान आंदोलन के एक अंश के रूप में प्राप्त करना है। यह न तो व्यक्तिगत भाव, न मजदूरी के रूप में वेतन पर, कार्यालय में काम करने की संकुचित भावना, ही अपने जीवन के दृष्टिकोण या अन्य कुछ से सम्बंधित कोई चीज, न ही शायद उस विशिष्ट कार्य में अपनी व्यक्तिगत पदोन्नति हेतु हित बद्धता का भाव, जैसे की लोगों में अनिवार्य रूप से होते हैं, प्रत्युत कर्तव्य का भाव प्रदान करता है।”

2. **राजनीति में नैतिकता का मिश्रण-** राजनीति में नैतिकता का मिश्रण से हमारा अभिप्रायः यह है की राजनीतिक अभिजात्य वर्ग ईमानदारी के मार्ग पर चल सके और अपनी न्यायप्रियता और निष्पक्षता के बारे में अधीनस्थों के हृदय में विश्वास बैठा सके।

समकालीन परिदृश्य में लोक प्रशासन की महत्वपूर्ण समस्याओं में से राजनीतिक भ्रष्टाचार और हस्तक्षेप है। इस कारण राजनीतिक और प्रशासनिक नेतृत्व के मध्य विश्व सनीयता की खाई चौड़ी होती जा रही है। इस समस्या को लेकर विभिन्न आयोग, समितियाँ और दैनिक समाचार पत्र में विचार मंथन किया जाता रहा है। आवश्यकता इस बात की है की राजनीतिक अभिजात्य वर्ग को नैतिक तरीके के अनुसार काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए जिससे की वे अच्छा और स्वच्छ जीवन बिताने का जनता को दिया गया वचन पूरा कर सकें। कहे और लिखे शब्दों का कोई महत्व नहीं है जब तक की उनके अनुसार कार्य न किया जाए कागजी आयोजनों की अपेक्षा कार्य को व्यवहार में किए जाने पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। संक्षेप में किसी भी लोकतान्त्रिक राष्ट्र का भविष्य इसके राजनीतिक और प्रशासनिक अभिजात्य वर्ग की मनोवृत्ति पर निर्भर करता है।

3. **निष्पक्षता-** लोकतंत्र में नीतियाँ बदलती रहती है, पर उनमें एक निरंतरता भी रहती है, जो प्रशासक (लोकसेवक) की निष्पक्षता को आवश्यक ही नहीं उपयोगी भी बनाती है। एक लोकतान्त्रिक समाज अपने सरकारी सेवकों से यह उम्मीद करता है कि वे सरकार को बिना किसी राजनीतिक पूर्वाग्रह के उचित सलाह दें।

राजनीति निष्पक्षता पर बल देने का कारण यह है कि -

- इसमें आम नागरिकों में लोकसेवकों के प्रति विश्वास पैदा होता है और उन्हें यह लगता है की प्रशासकों के कार्य राजनीतिक प्रभाव से मुक्त हैं।
- मंत्रियों के निर्णय और आदेश निष्ठापूर्वक लागू हो सकेंगे और लोक सेवकों द्वारा अपने कार्य निष्पादन में उनके व्यक्तिगत राजनीतिक रूझान या सिद्धांत आड़े नहीं आएंगे।
- इससे लोकसेवकों के कार्य का मूल्यांकन तथा उनकी पदोन्नति आदि को किसी राजनीतिक हित से प्रभावित होने की संभावना न्यूनतम हो सकती है।

प्रशासकों द्वारा इस प्रकार के प्रयास किए जाने चाहिए कि उनके अधिकारिक निर्णय निर्माण में सार्वजनिक हित को प्राथमिकता मिले। वस्तुतः सभी प्रशासकों को सार्वजनिक हित और जनता की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। उनसे इस बात की भी उम्मीद की जाती है कि वे उस परिस्थिति में हस्तक्षेप करें जहां उन्हें लगे की सार्वजनिक हित की अनदेखी की जा रही है।

लोकसेवकों का यह कर्तव्य है कि किसी भी राजनीतिक गतिविधि में भाग लेने से बचें अर्थात् कर्मचारी, संसद, विधानमंडल या स्थानीय संस्थाओं के चुनाव में भी भाग नहीं लें। इसके अलावा वे किसी भी राजनीतिक दल के प्रचार अभियान में भी हिस्सा न लें।

लोकसेवक प्रेस या रेडियो से कोई संपर्क न रखें वे किसी प्रकार भी अधिकृत सूचनाएं ना दें और सरकार के किसी गोपनीय पहलू को प्रकट ना करें।

लोकसेवक का यह कर्तव्य है कि वे ऐसी कोई सूचना, रिपोर्ट या दस्तावेज को सार्वजनिक नहीं करें जिससे समकालीन केन्द्र या राज्य सरकार की किसी भी समसामयिक नीति की आलोचना हो या फिर उसका गलत तरीके से विरोध हो।

सरल शब्दों में यह माना जा सकता है की न्याय और प्रशासन की दुनिया में निष्पक्षता एक ऐसा गुण है, जो निर्णयकर्ता के साहस और निडरता का प्रतीक कहलाता है।

4. **चरित्र निर्माण की आवश्यकता-** किसी भी सरकार की सफलता उसके नागरिकों के प्रभावी सहयोग पर निर्भर करती है। राष्ट्र और सरकार की प्रगति के लिए नागरिकों में चेतना का प्रचार-प्रसार होना आवश्यक है। यह तभी संभव है जब हमारी शिक्षा पद्धति और जन माध्यम लोगों में चरित्र निर्माण हेतु पुनर्स्थापित किए जाए।

शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और क्रियात्मक साक्षरता के माध्यम से नागरिकों में जागरूकता, देशभक्ति और अनुशासन अनुप्राणित करने की आवश्यकता है। तब सभी समाजों के सदस्य सरकारी सेवाओं के कार्मिकों के साथ सहयोग करेंगे और सरकारी सेवाओं के कार्मिक जनसमुदाय बहुमुखी विकास के लिए कठिन परिश्रम करेंगे भूतपूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी ने 11जनवरी 1989 को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के रजत जयंती समारोह का उद्घाटन करते हुए कहा था कि, “भारत को ऐसी शिक्षा पद्धति की आवश्यकता है जो बच्चों को एक-एक पंखुड़ी खोलती हुई कली के रूप में देखें और उसे सत्यम शिवम सुंदरम के आदर्शों को प्रकाश दे। केवल ऐसे नागरिक जिस किसी भी क्षेत्र में कार्यरत होंगे देश की समृद्धि में योगदान देने में समर्थ होंगे।”

कहने का अभिप्राय यह है की शिक्षा, लोकतंत्र के आदर्शों को प्राप्त करने में, उच्च सामाजिक स्थितियों या पदों को प्राप्त कराने और उत्तम आदतों एवं स्थाई भावों के निर्माण में सहायता प्रदान करती है। शिक्षा व्यक्ति को उसकी योग्यता, क्षमता तथा प्रकृती के अनुसार सामाजिक पद प्राप्त करने के योग्य बनाती है जिससे उनका चरित्र निर्माण हो सके।

5. **राजनीतिक तटस्थता-** राजनीतिक तटस्थता का अभिप्राय है कि सरकारी अधिकारी न केवल राजनीतिक गतिविधियों में पूरी तरह अलग रहेंगे वरन अधिकारी तंत्र सरकार की इच्छा का चाहे सरकार का राजनीतिक स्वरूप कुछ भी पूरी ईमानदारी और निष्ठा से पालन करेंगे। राजनीतिक तटस्थता में निम्नलिखित आधारभूत गुण होने चाहिए जो प्रशासनिक व्यवहारों से जोड़ती है-

- समानता और विविधता के प्रति एक ऐसी प्रतिबद्धता जो उचित, समतावादी और ईमानदार हों।
- राजनीतिक विचारों की तटस्थता और अपनी मान्यताओं के विरुद्ध भी सभी प्रकार की सरकारों के आदेशों का निष्ठा से अनुपालन करना।
- मंत्रियों या राजनीतिक प्रतिनिधियों को यह महसूस करवाना की राजनीतिक सरकार की परिवर्तन से उनकी ईमानदारी की प्रति निष्ठा में कोई परिवर्तन नहीं आया है।
- अपनी राजनीतिक सोच और गतिविधियों पर आत्म अंकुश लगाना।

राजनीतिक तटस्थता के मायने यह भी है कि सिविल सेवक (नौकरशाह) की निणयों और कार्य सत्ताधारी सरकार की नीतियों और उसके मानकों को भी परिलक्षित करें राजनीतिक निष्पक्षता पर बल देने का कारण यह है कि-

- इससे आम नागरिकों में सिविल सेवकों के प्रति विश्वास पैदा होता है और उन्हें यह लगता है की प्रशासकों की कार्य राजनीतिक प्रभाव से मुक्त हैं।
- मंत्रियों की निर्णय और आदेश निष्ठापूर्वक कार्यान्वित हो सकेंगे और सिविल सेवकों द्वारा अपने कार्य निष्पादन में उनके व्यक्तिगत राजनीतिक रूझान या सिद्धांत आड़े नहीं आएंगे।
- इससे सिविल सेवकों के कार्यों का मूल्यांकन और उनकी पदोन्नति आदि की किसी राजनीतिक हित से प्रभावित होने की संभावना न्यूनतम हो सकती है।

भारत की सन्दर्भ में आचरण का संकट बहुत गंभीर है, क्योंकि तटस्थ लगने के लिए सिविल सेवक की दृष्टि गैर-दलीय होनी ही नहीं चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए। भारत में स्वामीभक्ति एक सामंती दुर्गुण है, जिसे समाज में गुण माना जाता रहा है। यह स्वामीभक्ति स्वार्थों की कारण व्यक्ति पूजा तक पहुँच जाती है और सिविल सेवक भी समय से साथ दास जैसे बन जाते हैं। यह अंधभक्ति इन सेवकों को कुछ समय के लिए सुरक्षित और सशक्त बनाती है। यदि सिविल सेवक ईमानदार भी हों तो भी समाज उन्हें आसानी से ऐसा नहीं मानता। एन. राजगोपालन ने लिखा है कि 'कोई भी सरकारी कर्मचारी कल्याण और प्रगतिरोध के बीच, सेवा और भाव शून्यता के बीच तथा क्रियाशीलता और निष्क्रियता के बीच तटस्थ नहीं रह सकता है। राज्य के लक्ष्यों और उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्धता अनिवार्य है, तटस्थता को उदासीनता या राजनीतिक निष्फलता में विकृत नहीं किया जा सकता और इसे राजनीतिक संवेदनहीनता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए।'

- 6. जवाबदेही-** जवाबदेही का अर्थ है की प्रशासन को जो सत्ता सौंपी गई है उसके उपयोग के लिए जिम्मेदार होना। प्रशासनिक जवाबदेही एक संगठनात्मक आवश्यकता है क्योंकि सर्वप्रथम यह लक्ष्यों के सन्दर्भ में इसके निष्पादन के मूल्यांकन का प्रयास करती है। लक्ष्य को निश्चित कार्यों और दायित्वों में विभाजित किया जाता है और प्रशासकों से व्यक्तिगत रूप से पूछा जाता है की वे बतायें कि किस प्रकार अपने दायित्वों को पूरा कर रहे हैं। जवाबदेही प्रशासनिक दायित्व की सहगामी है दूसरे शब्दों में सिक्के का दूसरा पहलू है। यह किसी भी संगठन के अंतर्गत पदसोपान, नियंत्रण क्षेत्र, आदेश की एकता, निरीक्षण आदि सभी धारणाएं जवाबदेही को प्रोत्साहित करने और लागू करने का यंत्र हैं।

संभवतः किसी अधिकारी के अनुचित आचरण को रोकने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि उसे प्रत्यक्षतः अपने वरिष्ठ अधिकारी के प्रति और अप्रत्यक्षतः मंत्री के द्वारा संसद के प्रति अपने आचरण के औचित्य के लिए उत्तरदायी होना चाहिए। फाइनर के अनुसार, "जवाबदेही को लागू करने का सर्वोत्तम तरीका ऐसे संस्थानों का विकास करना है जो लोग नौकर शाही के कार्यों की सक्रिय ढंग से निगरानी करें और ऐसे अधिकारियों को दंड दें जो कुशासन के अपराधी हों। अपनी एजेंसी से बाहर के लोगों के बल और निगरानी के कारण प्रशासक उचित व्यवहार करते हैं। उनकी धारणा है कि जो लोग सरकार के भीतर काम करते हैं वे उनसे भिन्न नहीं जो शेष समाज में रहते हैं। लाभ की इच्छा जैसे नियंत्रणों के आभाव में नीति निर्माताओं के लिए आवश्यक है की औपचारिक नियमावली के माध्यम से लोग प्रशासकों के निष्पादन की निगरानी करें।"

विधानमंडल के प्रति कार्यकारणी का उत्तरदायित्व, विधानमंडल की निगरानी, न्यायिक पुनर्निरीक्षण, लेखा परिक्षण, मंत्रालय में वित्तीय परामर्श व्यवस्था आदि वाह्य औपचारिक नियंत्रणों के उदहारण हैं।

- 7. उत्तरदायित्व-** शक्ति का दुरुपयोग न हो, यह अनिवार्य है कि इसके साथ उत्तरदायित्व जुड़ा हुआ होना चाहिए। प्रशासनिक अभिकरणों और अधिकारियों को जो शक्तियां सौंपी गई हैं उनके उचित प्रयोग के

लिए उन्हें उपयुक्त सत्ताधारियों के प्रति उत्तरदायी बनाना अनिवार्य है। प्रशासन में उत्तरदायित्व की व्यवस्था संवैधानिक धाराओं, संसद द्वारा पारित कानून, नियमों, न्यायिक निर्णय तथा पूर्व निर्णयों, परम्पराओं तथा रूढ़ियों के आधार पर स्थापित की जा सकती है।

प्रायः उत्तरदायित्व और जवाबदेही शब्द का प्रयोग एक-दूसरे के लिए किया जाता है। जवाबदेही, उत्तरदायित्व की वैधानिक तथा पदानुक्रम स्थिति को कहते हैं जबकि उत्तरदायित्व का अभिप्राय यह है की लोक अधिकारी उचित प्रशासन और नीति के प्रत्यक्ष और परोक्ष मूल्यों का आदर करेंगे। उत्तरदायी लोक अधिकारी विधि को जानते हैं और उनको अपने कार्यक्रमों के उचित प्रशासन में विश्वास होता है। जिस राजनीतिक संसार में वे कार्य करते हैं उसकी मांगों, कोलाहल तथा खलबली में यह मूल्य प्रतिरोधक सिद्ध होते हैं। लोक अधिकारियों के व्यवहार तथा भूमिका की यह धारणा लोक नौकरशाही के सम्बन्ध में प्राचीन विचारों के सामान है। जिसमे यह समझा जाता था कि वे विधि के उचित प्रशासन के लिए कार्य करते हैं।

8. वस्तुनिष्ठता- वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य यह है की मानव समाज को सामूहिक हित में संचालित करने के लिए एक शासक प्रशासक को कर्मवाची या वस्तुनिष्ठ होना आवश्यक है। प्रशासन में आदर्श और यथार्थ की स्थितियों के कारण परिणाम पैदा होते हैं और इन दोनों को ही तथ्यों के आधार पर जोड़ते रहना एक वस्तुनिष्ठता है।

प्रशासन में वस्तुनिष्ठता दो कारणों से आवश्यक है।

- एक तो सभी कानून और नियम हर कदम पर व्याख्या चाहते हैं इन्हें अधिकारी के मुक्त विवेक या आत्मपरकता के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। वस्तुनिष्ठता इन व्याख्याओं में एकरूपता लाती है।
- प्रशासन में एक बहुत बड़ा विवेकाधिकार क्षेत्र होता है जहाँ कभी-कभी तो कानून होते ही नहीं है या वे मौन भी हो सकते हैं। तथ्य, प्रमाण और वास्तविकताएं जो चरों और बिखरी रहती हैं उनको कानून के ढांचे में पिरोना एक कठोर प्रकार की वस्तुनिष्ठता चाहती है जो सिविल सेवक अति आशावादी होते हैं। वे वस्तुनिष्ठ निर्णय लेने में कठिनाई महसूस करते हैं क्योंकि जनहित में दी जाने वाली सेवाएं कठोर तथ्यों और मूल्यों के बीच एक संघर्षपूर्ण स्थिति से निपटना है तटस्थता प्रशासन की सहायता करती है। और वस्तुनिष्ठता प्रशासन की शक्ति बनकर उसके निर्णयों को योग्यता से जोड़ने की क्षमता प्रदान करती है।

9. नागरिकों और कार्मिकों के बीच सम्बन्ध- किसी भी राष्ट्र की सफलता नागरिकों और कार्मिकों के बीच मधुर सम्बन्ध पर निर्भर करती है। सरकारी अधिकारियों द्वारा निर्मित योजनाओं में समाज की भागीदारी आवश्यक है। इसके अभाव में प्रशासनिक विकास संभव नहीं हो सकता जन संपर्क आपसी समझ का वातावरण विकसित करता है। इसका अर्थ संगठन का कार्यक्रम जनता को समझाने तथा जनता का कार्य संगठन के समझने से है। जन संपर्क का उद्देश्य जानकारी देना मात्र नहीं है वरन नागरिकों और सरकारी अधिकारियों के सहयोग और आपसी समझ को प्रोत्साहित करना है। व्यक्ति को भी इस बात का एहसास दिलाया जाना चाहिए की वह भी प्रशासनिक कार्यक्लाप का हिस्सा है सरकारी कार्मिकों और नागरिकों के बीच आपसी समझ बढ़ाने के लिए जन संपर्क को प्रभावी ढंग से लागू किए जाने की आवश्यकता है जिससे सरकारी सेवाओं के प्रति समाज का अनुकूल अभिमत बने इससे लोगों के मन में सरकारी सेवाओं की क्षमता, न्यायप्रियता, ईमानदारी, निष्पक्षता और सच्चाई के प्रति विश्वास पैदा होगा।

19.3 प्रशासनिक सुचिता के प्रयास

नैतिकता को सार्वजनिक जीवन में सुचिता का पर्याय माना जाता है। केवल सरकार के शुद्ध हो जाने से समाज में गंदगी नहीं मिटती और न ही व्यापार जगत के सामाजिक दायित्व को स्वीकार कर लेने मात्र से सरकारी प्रशासक अपनी विकृत भूमिकाएं छोड़ने को तयार हो सकते हैं।

सुचिता का पहला प्रयास तो स्वयं प्रशासन को ही करना पड़ेगा वरिष्ठ अधिकारी अपने प्रभावी नेतृत्व से निम्नलिखित चार कार्य कर सकते हैं। और यह अभियान शुरू हो चुका है-

- सुशासन के सुधार।
- सूचना के अधिकार के प्रयोग से आत्मनिरीक्षण और आत्मसुधार।
- कार्यालयों की कार्य संस्कृति में परिवर्तन और कार्यजीवन की गुणवत्ता में सुधार, जो सेवा में गुणवत्ता लाने का ही दूसरा नाम है।
- सहभागिता, पारदर्शिता, सशक्तिकरण और सामाजिक अंकेक्षण (लेखा जोखा की जांच) के सुधारों से ऐसे माहौल का निर्माण जिसमें भ्रष्टाचार घट सके।

शासन में सुचिता, दक्षता और प्रभावी शासन, व्यवस्थता सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक तत्व होते हैं। शासन में ईमानदारी के लिए व्यवस्था का भ्रष्टाचार मुक्त किया जाना बेहद जरूरी है। शासन में ईमानदारी कुछ आधारों पर तय की जा सकती है-

- प्रभावी कानून और नियमों का निर्माण।
- नियमों एवं कानूनों को प्रभावी रूप से लागू किया जाना।

प्रशासन में नैतिक मूल्यों की यदि एक सूची बनाई जाये तो उसमें निम्न नैतिक मूल्यों को शामिल किया जा सकता है-

- कानून का ईमानदारी से पालन किया जाए, दूसरे शब्दों में कानून, नियम और संहिताएं वे घेरे हैं, जिनमें प्रशासनिक नैतिकता को बांधकर देखा गया और देखा भी जाना चाहिए। ईमानदारी के अनुपालन से यह तथ्य जोड़ा जा रहा है की कानून का आँखे बंद करके अनुपालन मत करो, उसमें अपनी ईमानदारी जोड़ो, जो आपके अंतःकरण का अपना एक विषय है।
- सभी कानून व्याख्या चाहते हैं और व्याख्या करने वाले प्रशासक भी एक इन्सान हैं, जो अपनी आत्मा से पूछता है। वह न भी पूछे तो भी उसकी आत्मा बोलती है। अतः प्रशासन की नैतिकता कानून की वह व्याख्या है जो प्रशासक की आत्मा करती रहती है।
- सामाजिक नैतिकता प्रशासनिक सुचिता में वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके पीछे धर्म की आस्थाएं, जाति के संस्कार, विज्ञान के प्रभाव, इतिहास की परम्पराएं और सफलता-असफलताएं कार्य करती हैं। इन सभी पहलुओं को व्यक्ति जानता है और कभी कभी जानकर भी नहीं जानना चाहता। भारत में धर्म और जाति के संस्कार का इतना महत्व है कि इनको शब्दों में व्यक्त कर पाना संभव नहीं है। आज जो रिश्त, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अपराध का तांडव हो रहा है, संस्कारों और धर्म के अभाव का कारण ही है। कुछ लोग आरक्षण नीति को भी इसका कारण मान सकते हैं किन्तु किसी भी प्रशासन में प्रशासनिक नैतिक कृत्य एक ऐसा मिश्रित आचरण है, जिसे स्वयं एक नैतिक पुरुष भी नहीं जानता की वह नैतिक क्यों है और कब तक किन परिस्थितियों में वह नैतिक रहेगा फिर भी यदि सरकार अपने कानून और

नीतियों से नैतिकता का वातावरण बनाना चाहती है तो उन्हें तीन स्तरों पर प्रयास करने होंगे- परिवार और बच्चों की शिक्षा से, समाज सुधार के जीवन मूल्यों से तथा प्रशासनिक संस्थाओं के व्यवहार से। सर्व शिक्षा सरकार की जिम्मेदारी अवश्य है पर यह अभियान परिवार और समाज का सहयोग अधिक चाहता है। इसमें गुणवत्ता लाने में तो लम्बा समय लगता है पर आरम्भ करने के बाद यह अपने आप भी सुधरता जाता है। प्रत्येक पीढ़ी अपने बच्चों को नैतिक संस्कार देना चाहती है और उसके लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाना भी प्रशासनिक नैतिकता का सुदृढीकरण कहलाएगा।

समाज सुधार मीडिया, गैर-सरकारी संगठनों, राजनीतिक दल आदि पर कानूनों की जिम्मेदारी है। भारत के समाज में ये सुधारवादी धाराएं नैतिकता के लिए प्रयास तो करती है, पर विकास की प्रतिद्वंद्विता के कारण समाज में प्रदूषण भी फैलाती रहती हैं।

तीसरा क्षेत्र प्रशासनिक संस्थाओं के निर्माण और व्यवहार का है ये नई संस्थाएं भी जन्म तो ले रही हैं पर अभी प्रभावी नहीं बन सकी हैं प्रशासन में ईमानदारी, पारदर्शिता, कर्तव्य परायणता आदि गुणों को मजबूत करने के लिए इन प्रशासनिक संस्थाओं ने चार प्रकार के सकारात्मक आकर ग्रहण कर लिए हैं जो निम्न हैं -

- प्रशासकों की भर्ती, पदोन्नति और प्रशिक्षण के नए प्रयोग।
- उत्तरदायित्व की नैतिकता।
- भ्रष्टाचार विरोधी जनचेतना के तंत्र का विकास।
- कार्य संस्कृति की गुणवत्ता में सुधार।

सरकारी कर्मचारी जनता के प्रत्यक्ष सम्पर्क में आते हैं, इसलिए उनको आचार संहिता का नैतिक स्तर इतना ऊंचा रखना पड़ेगा की ये साधारण जनता के लिए आदर्श बन सकें। सरकार का प्रयास यह होना चाहिए की सत्ता का दुरुपयोग न हो। अधिकारी वर्ग द्वारा शक्ति का दुरुपयोग किया जा सकता है। क्योंकि उनको नागरिकों के जीवन और कार्यक्लापों पर नियंत्रण रखने की शक्ति प्राप्त होती है। अतः आचार संहिता का होना व सख्ती से लागू किया जाना आवश्यक है। राजनीतिक रूप से तटस्थ लोक सेवक में राजनीतिक निरपेक्षता या तटस्थता सरलता से पैदा की जा सकती है। इसको लागू करने के लिए एक स्थाई आचार संहिता के कारण लोकसेवक अपने दायित्वों का निर्वाह कुशलता के साथ करते हैं तथा इसके भय से वे कर्तव्य विमुख नहीं हो पाते नैतिक आचरण की आचार संहिता इसलिए भी आवश्यक है की लोकसेवक खुद के आचरण को उच्च नैतिक स्तर पर रख सकें और कोई भी उस पर झूठे आरोप नहीं लगा सके। प्रशासनिक सुचिता निम्न तथ्यों को आधार मानता है-

- सरकारी नियमों और कानूनों को लोक सेवा की दृष्टि से देखा जाए और उनकी कठोरता, जटिलता और प्रक्रिया में उदारता बरती जाए।
- लोकसेवक शासन बनने की प्रवृत्ति छोड़े और जनसेवक बनने के लिए प्रशासन को पारदर्शी संवेदनशील और उत्तरदायी बनायें।
- सरकार नागरिकों का सशक्तिकरण करे और उनके कल्याण के नाम पर उन्हें कमजोर और पराश्रित न बनने दे।

यह प्रकार प्रशासनिक सुचिता कल्याणकारी राज्य की स्थापना का सन्देश देती है इसे विकेन्द्रीकृत और सहभागी प्रशासन भी कहा जाता है।

प्रशासक सेवाभाव से नागरिकों की सेवा करें यह अवधारणा एक नई पेशेवर नैतिकता का एक हिस्सा माना जा सकता है। सुशासन, नागरिकों के मानव अधिकारों का सम्मान करने वाली सरकारें ही देती हैं और लोकतान्त्रिक

नैतिकता की यह मांग है की अनावश्यक नौकरशाही नियंत्रणों को समाप्त कर समग्र समाज को मानवीय सेवाएं प्रदान की जाएं।

समाज इतने आधुनिक और विज्ञान आधारित होने चाहिए की अनैतिक आचरण की आवश्यकता ही महसूस न हो। पारिवारिक पूंजी को इतना अधिक संचित होने ही नहीं देना चाहिए की निजी जगत नैतिकता को तिलांजलि देकर भ्रष्टाचार में पूरा ही आकण्ठ दब जाए। सरकार का नौकरीशाही तंत्र केवल मजबूत ही नहीं बल्कि इतना व्यवसायिक भी होना चाहिए की उसे खरीदा न जा सके और वह अपने व्यावसायिक नैतिकता पर गर्व भी कर सके।

इन सभी प्रयत्नों में यह ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि नैतिकता (एथिक्स) का कोई भी वैचारिक मंथन गढ़ और स्थिर नहीं हो सकता। मनुष्य जीवन के दो शाश्वत मूल्य है, एक जीवित रहना और दूसरा अपने जीवन मूल्यों से दूसरों को क्षति पहुंचाए बिना विकास करना। इन दोनों मूल्यों के सम्बन्ध एथिक्स के उन सिद्धान्तों से हैं जो शाश्वत हैं और परिवर्तनशील भी। एक प्रशासक को चाहिए जीवन मूल्यों को समझे और उनमें अपनी साझेदारी निभाए, सामाजिक नैतिकता का सम्मान करे पर उसे बदलते भी रहे। कानून जहाँ रस्ते में बढ़ा बने उसे सुधारे तभी प्रशासन में शुचिता का मार्ग प्रशस्त होगा।

19.4 प्रशासनिक निष्ठा: अर्थ

ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, “निष्ठा नैतिक सिद्धांत पर आधारित विशुद्ध आचरण, ईमानदारी, सत्यता और निष्कपटता को दर्शाता है।”

जी. सुब्बाराव और पी. चौधरी के अनुसार, “निष्ठा स्वामी भक्ति पर आधारित होता है। व्यक्ति को अपने कार्यों के प्रति निष्पक्ष होकर सेवा भाव से कार्य करते रहना चाहिए।”

निष्ठा व्यक्ति के सेवा भाव का विशिष्ट गुण है जो आचरण को प्रभावित करता है। निष्ठा की महत्वता पर प्रकाश डालते हुए प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951 तो 1956) में कहा गया कि, “सार्वजनिक मामले और प्रशासन में निष्ठा अनिवार्य है और इसलिए सार्वजनिक गतिविधि की प्रत्येक शाखा में इस पर बल दिया जाना चाहिए। भ्रष्टाचार का दोहरा प्रभाव होता है। यह प्रशासनिक ढांचे को दुर्बल बनाता है। और प्रशासन में जनता के विश्वास को नष्ट करता है। अतएव प्रशासन में हर प्रकार के भ्रष्टाचार के विरुद्ध सतत युद्ध होना चाहिए।”

पी.डी. शर्मा ने प्रशासनिक निष्ठा में निम्न बातों का समावेश किया है-

- प्रशासन में सेवा को पवित्रता की दृष्टि से देखना चाहिए।
- सिविल सेवा कोई मजदूरी या रोटी कमाने का तरीका नहीं है यह सेवा से अधिक एक मिशन है। इसके लिए त्याग और बलिदान की भावना आवश्यक है।
- सिविल सेवा में वेतन, सुविधाएँ और सामाजिक स्तर महत्वपूर्ण नहीं होते महत्वपूर्ण तथ्य यह है की व्यक्ति को एक जिम्मेदारी दी जाती है और यदि वह निष्ठा भाव से इस जिम्मेदारी को निभाता है तो उसे कार्य से ऐसा सुख मिलता है, जिसकी कोई कीमत नहीं होती।
- शासन करना एक सेवा है और निष्ठा भाव से इसे स्वीकार किया जाये तो इस शासन सेवा में भारी त्याग और बलिदान करना पड़ता है। वे ही लोग शासन में रहकर सेवा कर सकते हैं जो जनसधारण से अधिक नैतिक हैं और शक्तिशाली होते हुए भी शक्ति सम्पन्न नहीं लगते।
- निष्ठा भाव के आते ही कार्य कर्तव्य बन जाता है और जो निष्ठा भाव से कार्य करते उनके लिए काम ही पूजा बन जाता है।

- निष्ठावान प्रशासन अपने व्यक्तित्व को गलाकर जनहित से जुड़ता है यदि इस वृत्ति के लोगों को भर्ती कर पदोन्नति दी जाए तो प्रशासनिक सेवाओं में एक ऐसी ऊर्जा का संचार हो सकता है कि अनुशासन की आवश्यकता ही गौण बन सकती है।

निष्ठा का भाव सभी व्यक्तियों में पाया जाता है। लोग ईश्वर के प्रति निष्ठा रखते हैं। परिवार के प्रति अपने निष्ठा भाव पर गर्व करते हैं। देश के प्रति निष्ठा देशभक्ति कहलाती है। इसी प्रकार की निष्ठा यदि कार्य के प्रति हो तो सिविल सेवा में कैरियर को सार्थकता मिलती है। सिविल सेवक का यह निष्ठाभाव उसे दुर्गुणों से बचाता है और इससे सेवा की गुणवत्ता बढ़ती है। दुर्भाग्य से इसे पहचानने में गलतियां हो जाती हैं और जो लोग निष्ठा भाव से सेवा कर सकते हैं उन्हें उनके सहयोगी बीमारी की स्थिति में धकेल देते हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था और प्रशासन की शोषणकारी विरासत हमारे नागरिक के इस निष्ठा भाव को सही दिशा नहीं से सकी है। यदि सभी सेवाओं में समुचित सम्मान और सेवा के पर्याप्त अवसर बढ़ सकें तो सेवाओं में ईर्ष्या, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध और दुराचार की घटनाएं कम हो सकती हैं।

19.5 प्रशासनिक सेवाओं में भ्रष्टाचार

भारतीय प्रशासन में सत्यनिष्ठा और नैतिकता की स्थापना एक विषम समस्या है। समसामयिक राजनितिक-प्रशासनिक परिदृश्य में नैतिकता एवं ईमानदारी दुर्लभ प्रवृत्ति का रूप लेती जा रही है। बीसवीं सदी का अंतिम दशक भारतीय राजनीति में 'घोटाला काल' के रूप में जाना जायेगा, ऐसा मत प्रकट किया जाता है। सत्यनिष्ठा का विलोम 'भ्रष्टाचार' एक सामान्य एवं आवश्यक प्रघटना बन चुका है। सार्वजनिक प्रशासन में सच्चरित्रता के महत्व को स्पष्ट करते हुए प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-1956 में कहा गया था कि, "सार्वजनिक मामलों एवं प्रशासन में सच्चरित्रता होना आवश्यक है अतः प्रत्येक सार्वजनिक कार्य सम्बन्धी शाखा में इस पर बल दिया जाना चाहिए। भ्रष्टाचार का दुष्प्रभाव बहुत व्यापक होता है इसके फलस्वरूप न केवल ऐसी गलतियां होती हैं जिनको सुधारना कठिन हो जाता है बल्कि यह प्रशासनिक ढांचे की जड़ों एवं प्रशासन में जनता के विश्वास को हिला देता है। अतः प्रशासन में भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक निरंतर चलने वाला युद्ध छेड़ देना चाहिए।"

भ्रष्टाचार एक विश्व व्यापी एवं परम्परागत समस्या है। कौटिल्य का कहना था, "सार्वजनिक कर्मचारी द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग न करना उसी तरह असंभव है जिस तरह जीभ पर रखे शहद को न चखना, जिस प्रकार पानी में तैरती मछली कब दो बूँद पानी पी लेती है पता ही नहीं चलता।" इस उदाहरण में स्पष्ट है कि प्रशासन में भ्रष्टाचार प्राचीन काल से ही विद्यमान रहा है भारत की लोक कथाओं किस्से कहानियों से लेकर ऐतिहासिक दस्तावेजों तक भ्रष्टाचार चर्चित समस्या रही है सल्तनत काल, मुगल काल, और अन्य राजशाही व्यवस्थाओं में राज्य के कार्मिकों द्वारा भ्रष्टाचार के पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हैं।

ईस्ट इंडिया कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारियों को कम वेतन देने के कारण भी लगभग उसका प्रत्येक कर्मचारी किसी न किसी प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त था। स्वतंत्रता के पश्चात्, भारत में गबन, भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है।

भ्रष्टाचार का सामान्य अर्थ है भ्रष्ट या बिगड़ा हुआ आचरण। राजनीतिक एवं प्रशासनिक संदर्भ में इसका अभिप्राय ऐसे आचरण से है, जिसकी आशा लोक सेवकों से नहीं की जाती है। सरकारी कर्मचारी द्वारा की जाने वाली सब प्रकार की बेईमानी, गबन, घूसखेशी, रिश्वत अनुचित और अवैध रीतियों से धन लेना तथा अपनी सरकारी स्थिति और प्रभाव का स्वार्थ सिद्धि के लिए दुरुपयोग भ्रष्टाचार कहलाता है।

ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार, 'शु' आचरण में कमी या इसका खंडित होना है। यह कम (com) उपसर्ग के साथ ढूँढने का अर्थ देने वाली लैटिन की रम्पेयर (Rumpere) नामक धातु से मिलकर बनता है जिसका अर्थ आचरण में त्रुटि या कदाचरण है।

भ्रष्टाचार की परिभाषा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-161 में इस प्रकार की गई है- “जो व्यक्ति सरकारी कर्मचारी होते हुए या होने की आशा में अपने या अन्य किसी व्यक्ति के लिए विधिक पारिश्रमिक से अधिक कोई घूस लेता है या स्वीकार करता है या लेने के लिए तैयार हो जाता है या लेने का प्रयास करता है या अन्य किसी कार्य को करने के लिए उपहार स्वरूप या अपने शासकीय कार्य को करने में किसी व्यक्ति के प्रति पक्षपात या उपेक्षा या किसी व्यक्ति के कोई सेवा या कुसेवा का प्रयास भ्रष्टाचार की परिभाषा में आता है। केन्द्रीय या अन्य राज्य सरकार या संसद या विधानमंडल या किसी लोक सेवक के संदर्भ में ऐसा करता है तो उसे तीन वर्ष तक के कारावास या दण्ड या अर्थदण्ड या दोनों दिए जा सकेंगे।”

बी.एल. फडिया के अनुसार, “भ्रष्टाचार से तात्पर्य है, किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने सार्वजनिक पद अथवा स्थिति का दुरुपयोग करते हुए किसी प्रकार का आर्थिक या अन्य प्रकार का लाभ उठाना यह ऐसा व्यवहार है, जिसमें सरकारी कर्मचारी व्यक्तिगत आर्थिक लाभ उठाने के लिए सार्वजनिक कर्तव्य से विचलित होता है या नियमों का ऐसा उल्लंघन करता है जिसके कुछ विशेष प्रकार से निजी लाभ प्राप्त हो सकें।”

डेविड एच. बेली के अनुसार, “भ्रष्टाचार एक सामान्य शब्दावली है जिसमें अपने व्यक्तिगत लाभ के विचार के परिणामस्वरूप सत्ता का दुरुपयोग भी आता है, जो जरूरी नहीं धन सम्बन्धी हो।”

नाई के अनुसार, “ऐसा व्यवहार जो ऐ सार्वजनिक भूमिका के औपचारिक कर्तव्यों से निजी (व्यक्तिगत, निकट परिवार, निजी गुट) आर्थिक लाभ या स्तरीय लाभ के कारण विचलित हो जाता है या कुछ प्रकार के निजी प्रभावों से प्रभावित होकर नियमों का उल्लंघन करता है।”

भारत में 1947 का भ्रष्टाचार रोक सम्बन्धी कानून के अंतर्गत निम्नलिखित रखा जा सकता है-

- अपने सरकारी कर्तव्य को पूरा करते हुए किसी लोक अधिकारी का दुराचरण जिसमें अमुक भी सम्मिलित हो सकते हैं। जैसे- अपने लिए या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अवैध पारितोषिक (घूस) प्रथागत स्वीकार करना, लोक अधिकारी द्वारा उसके पद के कारण उसकी सुरक्षा में दी गई सम्पत्ति का दुरुपयोग या अपने लिए या किसी दूसरे व्यक्ति के लाभ के लिए प्रयोग, अपने लिए या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए आर्थिक लाभ प्राप्त करने के कार्य।
- किसी लोक अधिकारी को प्रभावित करने के लिए पारितोषिक (घूस) प्रथागत प्राप्त करना।
- लोक अधिकारी के तौर पर उसको दी गई सम्पत्ति को बेईमानी से हथियाने का प्रयास या आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए इसी प्रकार के किसी अन्य कार्य को करने का प्रयास।
- आय के ज्ञात स्रोतों के अनुपात से अधिक सम्पत्ति रचना।

इन सभी परिभाषाओं के आधार पर हम भ्रष्टाचार के कुछ अनिवार्य तत्वों को संक्षेप में दे सकते हैं -

- यह एक लोक अधिकारी द्वारा अपनी स्थिति स्तर या संसाधनों या जान बुझकर या ऐच्छिक दुरुपयोग है।
- यह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किया जाता है
- यह अपने निजी स्वार्थ या लाभ को बढ़ाने के लिए किया जाता है, चाहे वह आर्थिक लाभ या शक्ति सम्मान या प्रभाव को बढ़ाना है।
- यह व्यवहार के विधिवत, मान्य या सामान्य स्वीकृत नियमों का उल्लंघन करके किया जाता है।

यह समाज या अन्य व्यक्तियों के हितों के प्रतिकूल किया जाता है। भ्रष्टाचार के कई रूप हो सकते हैं। यह आवश्यकता नहीं है कि भ्रष्टाचार धन के ही रूप में हो। राजनितिक दलों के लिए धन इकट्ठा करना, औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा निर्मित पर्वतीय नगरो या बड़े नगरों के अतिथि गृह में ठहरना, विवाह या जन्म दिन पर उपहार लेना,

स्थानान्तरण या पदोन्नति के लिए रिश्त देना, सार्वजनिक धन का अपव्यय करना, आदि भ्रष्टाचार ही है। केन्द्रीय सर्तकता आयोग ने भ्रष्टाचार के निम्न 27 प्रकारों का उल्लेख किया है।

19.6 प्रशासनिक सेवाओं में निष्ठा ह्रास के कारण

भ्रष्टाचार का प्रतिफल निष्ठा का ह्रास है। भ्रष्टाचार के विभिन्न कारणों का उल्लेख निम्नलिखित शीर्षको के अंतर्गत किया जा सकता है-

- 1. ऐतिहासिक कारण-** भारत में भ्रष्टाचार का मूल कारण (जड़) विगत औपनिवेशिक शासन है। औपनिवेशिक शासन के दौरान अंग्रेजी प्रशासन देश के विकास का पक्षपाती नहीं था। सभी महत्वपूर्ण एवं वरिष्ठ पदों पर अंग्रेज नियुक्त किए जाते थे और उन्हें अच्छा खासा वेतन दिया जाता था। निचले पद भारतीयों को दिए जाते थे। इन निचले पदों पर भारतीयों को बहुत कम वेतन दिया जाता था। इस कारण वे भ्रष्ट तरीके अपनाते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में भ्रष्टाचार उच्च शिखर पर था। युद्ध कालीन नियंत्रणों और दुर्लभताओं के कारण निष्ठा का वातावरण दूषित हो गया था और युद्धोत्तर काल में मुद्रा की प्रचुरता और मुद्रास्फीति ने इसे और बदतर बना दिया। स्वतंत्रता के तुरन्त बाद त्वरित आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाई गईं और यह आवश्यक था कि देश के समस्त सुलभ साधनों पर नियंत्रण स्थापित किया जाए, उपभोक्ताओं को सभी सामग्री राशन के आधार पर सीमित मात्रा में दी जाएं। इसके लिए परमिट, लाइसेंस, कोटा पद्धति शुरू की गई। इसके अनुसार कुछ विशेष व्यक्तियों को ही कारखाने से वस्तुएं प्राप्त करने की परमिट और अधिकार पत्र दिए जाने लगे। इसके परिणाम स्वरूप देश में व्यापक रूप से चोर-बाजारी शुरू हो गई।
- 2. सामाजिक पर्यावरण-** भारत का समाज एक परिवर्तन की स्थिति से गुजर रहा है, जहां आधुनिक पुरातन से मिश्रित होता है। यहां अभी भी परम्परागत, और सामंती व्यवस्था है। यहां अभी तक परिवार, जाति, कबिला, समुदाय, धर्म, भाषा तथा क्षेत्र के बंधन बहुत शक्तिशाली हैं। अतः राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों में लोक अधिकारी अपने समूहों के प्रति वफादारी को राष्ट्र के प्रति वफादारी पर न्यौछावर करने के असमर्थ हैं। यहां निष्ठाओं का विरोधाभास है। इससे भ्रष्ट व्यवहार, जैसे भाई-भतीजावाद व पक्षपात, जातिवाद आदि उत्पन्न होते हैं। साथ ही साथ भारत का समाज आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहा है जिसमें औद्योगिकीकरण, आर्थिक विकास, नगरीकरण, जनसंचार, जनसंख्या का स्थानांतरण, लोकतांत्रिकरण आदि भी सम्मिलित हैं जिससे समाज के पुराने मूल्य टूट रहे हैं और भौतिकवादी युग में महत्वाकांक्षाएं अधिक प्रबल हो गई हैं। किसी भी तरीके से धन की प्राप्ति मुख्य उद्देश्य बन गया है। अर्जनशील समाज भ्रष्टाचार को उत्पन्न कर रहा है।
- 3. लोक अधिकारियों को कम वेतन-** भारत में भ्रष्टाचार का कारण यह भी है कि यहां लोक अधिकारियों को कम वेतन दिए जाते हैं यह कहा जाता है कि समाज के विभिन्न वर्गों की वास्तविक आय में बड़ी कमी आई है, विशेषतया वेतन प्राप्त करने वाले वर्गों की आय में। यद्यपि समय-समय पर वेतन आयोगों द्वारा इन वेतन मानकों को दोहराया गया फिर भी वेतन प्राप्त करने वाले लोक-अधिकारी कठिन स्थिति में हैं। प्रत्येक अधीनस्थ अपने वरिष्ठ अधिकारी का अनुसरण करना चाहता है। यदि उसका वेतन कम होता है तो वह अनुचित साधनों से आमदनी करता है। वेतन में विषमता का व्यापक अनैतिक और विनाशकारी प्रभाव होता है।
- 4. देश भक्ति की कमी-** भारत की स्वतंत्रता के पश्चात् यहां के अधिकांश नागरिक स्वयं को स्वतंत्र नहीं स्वच्छन्द समझने लगे हैं। अधिकांश का ज्ञान और जागरूकता अवश्य बढ़ी है, किन्तु नागरिक कर्तव्य करने में उदासीनता की प्रवृत्ति अपनाई जा रही है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में तो जनता ही संप्रभु

है किंतु भारतीय लोकतंत्र जो विश्व में सबसे बड़ा है, की जनता सरकार को स्वयं से सर्वथा पृथक् समझती है। देश के सरकारी कार्मिक से लेकर आम व्यक्ति तक हर कोई सरकार को परायेपन की नजर से देखता है। सरकारी संस्था को लूटने और हानि पहुंचाने को सामान्यतः अपराध नहीं माना जाता है। यहां तक कि सरकारी कर्मचारी इसको आम बात स्वीकार करता है।

5. **नैतिक मूल्यों का हास-** विकसित जनसमाज में शहराकरण एवं औद्योगीकरण पर निरंतर बल दिया गया है, जिससे सामाजिक और व्यक्तिगत मूल्यों का भौतिक मूल्यों के आगे हास होता है। भौतिक आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं और जो वस्तुएं पूर्ण विलास की वस्तुएं मानी जाती थीं वे अब जीवन की आवश्यकताएं बनती चली जाती हैं। इनकी प्राप्ति के लिए धन की आवश्यकता होती है। ईमानदारी के तरीके से धन कमाना कठिन होता है। अतः अनैतिक उपायों का सहारा लिया जाता है। पहले अनैतिक कार्य करने में व्यक्ति झिझकता था जब कि आज अनैतिक उपाय से लाभ अर्जित करने में प्रसन्नता होती है।
6. **लालफीता शाही-** भारत में सरकारी कार्यालयों में काम करने की प्रक्रिया जटिल तथा विलम्बकारी होती है। इनमें इतने अधिक नियमों और उपनियमों का जाल फैला होता है कि कोई भी कार्य शीघ्रता से नहीं हो सकता। लाल फीते से बंधी फाइलों को एक अफसर की मेज से दूसरे अफसर की मेज तक पहुंचने में बड़ा समय लगता है। यह स्थिति रिश्तत और घूस के लिए आधार तैयार करती है। लोग अपना कार्य जल्दी कराने के लिए सरकारी कर्मचारी को विभिन्न प्रकार से रिश्तत देने में कोई संकोच नहीं करते हैं। ऐसी राशि को संधानम समिति ने शीघ्र काम कराने वाला धन कहा है। इस प्रकार की रिश्ततखोरी ऐसे विभागों में अधिक पाई जाती है, जहां सरकार के साथ नागरिकों का अधिक सम्पर्क होता है। ऐसे विभागों में सार्वजनिक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी), व्यापार, उद्योग, यातायात और संचार के विभाग, प्रमुख हैं।
7. **अकुशल न्यायिक व्यवस्था-** भारत में न्यायिक व्यवस्था अकुशल, महंगी और विलम्बकारी है। यह भी माना जाता है निम्न न्यायपालिका भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है। मुकदमों का फैसला करने में वर्षों लग जाते हैं। परिणाम यह होता है कि अपराधी दण्ड से प्रायः बच जाते हैं, क्योंकि लम्बे समय के कारण मामले की गवाही पर बुरा प्रभाव पड़ता है। समय बीतने के बाद गवाह उपलब्ध नहीं हो पाते या इतना चिर काल पहले क्या हुआ उनको याद ही न रहे। यदि इतने समय बाद भ्रष्ट को दण्ड मिल भी जाए, तो उससे वांछनीय उद्देश्य पूरा नहीं होता। यह धारणा बन जाती है कि भ्रष्ट बिना किसी हानि के छूट जाते हैं। न्याय में विलम्ब करने का अर्थ न्याय देने से इंकार करना है। अतः अकुशल न्यायिक व्यवस्था भ्रष्टाचार को प्रबल बनाती है।
8. **अपर्याप्त कानून-** भारतीय दण्ड संहिता और भ्रष्टाचार निवारक कानून दोनों स्थितियों में इतने पर्याप्त नहीं हैं। कि दोषी अधिकारियों को दंडित कर सकें। इन कानूनों का प्रशासन उपयुक्त नहीं और कोई गिरफ्तारी नहीं होती। यदि कुछ लपेटे में आ भी जाते हैं, उनको ढुढ़ा नहीं जाता। परिणामस्वरूप दोषियों की एक बड़ी संख्या दण्ड पा नहीं पाती और वे फिर से भ्रष्टाचारी गलत कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
9. **सरकारी कर्मचारियों का संवैधानिक संरक्षण-** सरकारी कर्मचारी हमारे संविधान की धारा- 311 के अधीन संरक्षित किए गए हैं। संवैधानिक प्रावधान तथा अनुशासनीय प्रक्रियाएं भ्रष्ट और बेइमान कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करना असंभव बना देते हैं। धारा- 311 के प्रति कानूनी न्यायालयों ने भ्रष्ट कर्मचारियों के साथ कठोरता से निपटना बहुत कठिन बना दिया है।
10. **औद्योगिक एवं व्यापारी वर्ग का बढ़ता प्रभुत्व-** भ्रष्ट करने की योग्यता एवं इच्छा आज के औद्योगिक एवं व्यापारी वर्ग में पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। सटोरिये, नए पैसे वाले, तस्करी का धंधा करने वालों के लिए भ्रष्टाचार विभिन्न तरीके से धन अर्जित करने का सबसे सरल तरीका है। अपना काम निकलवाने के

लिए मादक पदार्थ और सुन्दरियां भ्रष्टाचार के नवीन रूप हो गए हैं। व्यावसायिक घरानों द्वारा सम्पर्क अधिकारियों एवं सम्बन्ध कायम रखने वाले व्यक्तियों को बड़ी संख्या में नियुक्त किया जाता है।

11. **निर्वाचन में राजनीतिक दलों को चन्दा-** भारत में चुनाव काफी महंगे हो गए हैं और चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों को काले धन की आवश्यकता पड़ती है। चुनाव में धन की बढ़ती हुई भूमिका के कारण काला धन और भ्रष्ट राजनेता एक-दूसरे के साथ जुड़ गए हैं।
12. **वर्तमान में कानून लागू करने की इच्छा का अभाव-** जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कानून पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा जो कानून है भी उसे लागू करने की इच्छा का भी अभाव है। यही कारण है कि दण्ड मुक्ति से कानूनों का उल्लंघन किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति भ्रष्टाचार की बात करता है परन्तु जो इसको रोकने की स्थिति में हैं वे इसको बहुज कम प्राथमिकता देते हैं या दूसरी दिशा में मोड़ देते हैं। इस कारण से भ्रष्टाचार से लड़ने की शक्ति का अभाव है।
13. **शक्तिशाली जनमत का अभाव-** देश में राजनीतिक और नौकरशाही भ्रष्टाचार फैला हुआ है न केवल इससे देश को हानि होती है वरन् हम सभी अपने दैनिक जीवन में इससे प्रभावित होते हैं। हम सब बातें करते हैं यहां तक कि संचार के माध्यम से इसका पर्दाफाश करने का प्रयास करते हैं फिर भी इसके विरुद्ध कोई शक्तिशाली जनमत या विरोधी आंदोलन नहीं करते। हम जानते हैं कि कौन राजनीतिज्ञ भ्रष्ट है फिर भी हम उन्हीं को वोट देते हैं और संसद और विधानमंडल में भेजते हैं।
14. **दबाव समूह-** वाणिज्य संगठन, व्यापार संस्थाएं, मजदूर संगठन, जाति समूह आदि कई प्रकार के ऐसे दबाव समूह हैं जो अपने-अपने सदस्यों के लाभ के लिए ऐसे कार्य करते हैं जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। राजनीतिक वर्ग और नौकरशाही को प्रभावित करने के लिए वे कई प्रकार के तरीके अपनाते हैं। विशेष रूप से मजदूर संगठन नकारात्मक भूमिका निभाते हैं। वे विरोध कार्यवाही द्वारा अपने भ्रष्ट सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। जब कभी कोई भ्रष्ट कर्मचारी पकड़ा जाए और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाए तो वे इस प्रकार के विरोध का सहारा लेते हैं।

19.7 प्रशासनिक भ्रष्टाचार रोकने हेतु वैधानिक प्रावधान

स्वतंत्रता से पूर्व अवधि के दौरान, जनजीवन में भ्रष्टाचार का सामना करने के लिए भारतीए दण्ड संहिता (आईपीसी) ही मुख्य साधन थी। इस संहिता में लोक सेवकों द्वारा अपराध का एक मुख्य अध्याय था। धारा- 161 से धारा- 165 में भ्रष्ट लोक सेवकों के विरुद्ध कानूनी (वैधानिक) कार्यवाही करने के लिए वैधानिक ढांचे का उपबंध था। उस समय भ्रष्टाचार से निपटने के लिए किसी विशेष कानून की आवश्यकता महसूस नहीं की गयी। द्वितीय विश्व युद्ध में अभावग्रस्त से अनैतिक तत्वों ने स्थिति का शोषण किया जिसके कारण जन जीवन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होने लगा। यह स्थिति युद्ध के पश्चात् भी बनी रही। इस खतरे से चिन्तित कानून निर्माताओं ने यह महसूस किया कि कठोर विधायी अनुपालन करने की आवश्यकता है। अतः भ्रष्टाचार की बुराइयों से लड़ने के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 अधिनियमित किया गया था।

1. **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1947-** लोक सेवक के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार निरोधक (निवारण) अधिनियम 1947 ने भ्रष्टाचार के क्षेत्र की निम्नांकित परिभाषा दी गई है-
 - यदि वह आदतन किसी भी व्यक्ति से अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए इनाम या प्रेरक के रूप में कोई पारितोषिक (कानूनी पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य) जैसा कि भारतीय दण्ड संहिता- 161 में वर्णित है, स्वीकार करता है या प्राप्त करता है या स्वीकार करने के लिए सहमत होता है या प्राप्त करने का प्रयास करता है।

- यदि वह आदतन ऐसे व्यक्ति से जिसके बारे में वह जानता है कि उससे उसका कार्य व्यवहार हुआ है या होना संभावित है या होने ही वाला है या जिसके साथ उसके अथवा किसी अन्य सरकारी कर्मचारी जिसके साथ वह अधीस्थ है, के सरकारी काम का सम्बन्ध है या किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका हितबद्ध होना है वह जानता है या जो सम्बन्धित व्यक्ति का रिश्तेदार है अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए बिना प्रतिफल के या उसकी जानकारी में अपर्याप्त प्रतिफल के बदले कोई मूल्यवान वस्तु स्वीकार करने हेतु सहमत होता है या प्राप्त करने का प्रयास करता है।
- यदि वह बेईमान से या धोखे से गबन करता है, या अन्यथा सरकारी कर्मचारी की अपनी स्थिति का दुरुपयोग करता है, अपने लिए या किसी अन्य के लिए कोई मूल्यवान वस्तु अथवा आर्थिक लाभ प्राप्त करता है।

2. सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली- विभिन्न श्रेणियों के लिए सरकारी कर्मचारी सम्बन्धी आचरण नियमावली लागू है-

- अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली, 1954
- केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1955
- रेल सेवा (आचरण) नियमावली, 1956

सरकारी कर्मचारी सम्बन्धी विभिन्न परिस्थितियों, के बारे में शासन द्वारा समय-समय पर अनेक नियमों का निर्माण किया गया है एवं आदेश जारी किए गए हैं-

- 1860 में राजपत्रित एवं 1869 में अराजपत्रित कर्मचारियों द्वारा कर्ज लेने एवं कर्ज देने सम्बन्धी।
- 1876 में उपहार ग्रहण करने सम्बन्धी।
- 1881 में मकानों एवं अन्य बहुमूल्य सम्पत्ति बेचने सम्बन्धी।
- 1883 में शासन के अधीन किसी एक पद से अन्य व्यक्तियों के आर्थिक लाभ हेतु पद त्याग करने सम्बन्धी।
- 1885 में अचल सम्पत्ति में धन लगाने एवं सट्टे सम्बन्धी।
- 1885 में कम्पनियों के प्रबन्ध एवं विकास तथा निजी व्यापार एवं रोजगार सम्बन्धी।
- 1885 में लोक सेवकों द्वारा चंदा एकत्र करने सम्बन्धी।
- 1885 में कर्जदार एवं दिवलिया होने सम्बन्धी तथा
- 1920 में पद निवृत्ति के पश्चात् व्यापारिक संस्थाओं में नियुक्ति सम्बन्धी।

3. के. संथानम समिति प्रतिवेदन- 1962 में के. संथानम समिति का गठन किया गया है-

- केन्द्रीय सतर्कता आयोग को अपने कार्यों का संपादन में सरकारी नियंत्रण से मुक्त रखा जाए।
- आयोग का सम्बन्ध प्रशासन की दो महत्वपूर्ण समस्याओं से होना चाहिए - भ्रष्टाचार की रोकथाम तथा प्रशासनिक अधिकारियों को दिए गए अधिकारों की समीक्षा।
- सतर्कता आयोग के तीन निदेशालय होने चाहिए। प्रथम निदेशालय नागरिकों की साधारण शिकायतों पर विचार करे, द्वितीय निदेशालय सतर्कता सम्बन्धी विषयों पर और तृतीय निदेशालय केन्द्रीय पुलिस पुलिस सेवा का कार्य करे।

4. **पाल एच.एपिलेबी समिति-** 1952 में सरकार ने भारत में प्रशासनिक सुधारों पर विचार करने के लिए पाल एच.एपिलेबी की नियुक्ति की। एपिलेबी ने भारत में लोक प्रशासन, सर्वेक्षण का प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किया जिसमें निम्न बातें थीं-

- भारत की एकता और विभिन्नता से सम्बन्धित प्रश्न।
- राज्यों को अधिक स्वायत्ता देना उचित है या नहीं।
- समस्त भारतीय सेवाओं को एक सामान्य सेवा से संगठित कर देने की अनुशंसा।
- लोक प्रशासन पर अध्ययन एवं अनुसंधान पर जो।
- प्रशासनिक तंत्र में संगठनात्मक और प्रक्रियात्मक समस्याओं के अध्ययन पर जोर एवं सुधार के लिए एक इकाई का गठन।
- योजना आयोग का कार्य योजना निर्माण तक सीमित करने की अनुशंसा।
- कर्मचारियों की प्रभावकारिता पर बल।
- कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर बल।

5. **केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.)-** इस संवैधानिक आयोग का अध्यक्ष एक आयुक्त होता है जो राष्ट्रपति अपने हाथ से तथा मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जाता है। वह इस पद पर छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले आए कार्य करता है। उसे उस विधि से जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को हटाने या निलंबन हेतु अपनाई जाती है, को छोड़कर अन्य किसी अवस्था में उसे हटाया या निलंबित नहीं किया जा सकता।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग निम्नलिखित कार्यों का संपादन करता है-

- किसी ऐसे कार्य की जांच करना, जिसमें सरकारी अधिकारी पर अनुचित और भ्रष्ट तरीके से अपने उत्तरदायित्वों का पालन ठीक ढंग से न करने, भ्रष्टाचार बुरे व्यवहार, सत्यनिष्ठा की कमी और अनाचार का आरोप हो।
- सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी कार्यों के संदर्भ में नियंत्रण और अधीक्षण की दृष्टि से अभिकरणों से प्रतिवेदन प्राप्त करना।
- केन्द्रीय जांच के लिए सौंपे गए मामलों को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में लेना।
- उस सीमा तक प्रशासन की प्रक्रिया और व्यवहार के पर्यवेक्षण के लिए पहल करना जहां तक उनका सम्बन्ध प्रशासन में सत्यनिष्ठा कायम रखने के लिए आवश्यक हों।
- यह एक ऐसे किसी भी मामले की जांच करता है जिसमें सरकारी कर्मचारी पर अनुचित प्रयोजन हेतु या भ्रष्ट तराके से कार्य करने का संदेह या आरोप हो।

6. **राज्य सतर्कता आयोग-** राज्य स्तर पर एक राज्य में 1964 से एक राज्य सतर्कता आयोग विद्यमान है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग की ही भांति, राज्य सतर्कता आयुक्त होता है। विभागीय पूछताछ के लिए भी एक सतर्कता आयुक्त होता है, जो विभागीय पूछताछ भ्रष्टाचार के आरोपों के प्रति करता है। आयोग अपनी गतिविधियों के प्रति अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजता है। यह रिपोर्ट राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत की जाती है।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग, राज्यों के सभी सतर्कता आयुक्तों की वार्षिक सभा बुलाता है। यह मंच आपसी समस्याओं तथा विचारों का आदान-प्रदान हेतु विचार विमर्श के लिए एक अच्छा अवसर उपलब्ध कराता है। यह

केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के सतर्कता प्रयासों से सरकार की सत्यनिष्ठा के प्रति सद्भावना में जनता का विश्वास सरल और कारगर सिद्ध होता है।

7. केन्द्रीय जांच (अन्वेषण) ब्यूरो (सीबीआई)- केन्द्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना अप्रैल 1963 में हुई थी। इस संगठन को विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के रूप में जाना जाता है। भ्रष्टाचारी अपराधिकता पर कार्यवाही करने का कार्य सीबीआई का है। यह एक केन्द्रीय पुलिस संगठन है और संविधान के अंतर्गत पुलिस राज्य सूची का विषय होते हुए भी केन्द्रीय गृह मंत्रालय इस संगठन के माध्यम से राष्ट्रीय पुलिस जैसा कार्य करता है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो सरकार की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। अपने विशेष पुलिस स्थापना विभाग के जरिए यह संगठन केन्द्रीय सरकार और उसके सम्बन्धित निगमित उपक्रमों के कर्मचारियों से सम्बन्धित कदाचार के मामलों की जांच करता है। इस संगठन द्वारा अन्वेषण किए जाने वाले मामलों इस प्रकार हैं -

- ऐसे मामले जिनमें केन्द्रीय सरकार या उन निगमों या प्रतिष्ठानों के, जिन्हें केन्द्रीय सरकार उन नियमों या प्रतिष्ठानों के, जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने बनाया है या जिनके निर्माण और परिचालन में केन्द्र वित्तीय सहायता देता हो, के हितों को हानि पहुंचती हो जिनमें केन्द्रीय कानून जिन्हें केन्द्रीय सरकार लागू करना चाहती है, भंग होते हों।
- धोखाधड़ी, फरेब और पैसे के दुरुपयोग के बड़े मामले और संगठित गिरोहों तथा पेशेवर अपराधियों जिनके अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अड्डे हैं, के मामले।
- केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को राज्य की सुरक्षा सम्बन्धी मामलों के साथ-साथ राष्ट्रीय महत्व के मामलों की जांच का कार्य भी सौंपा गया है।

8. गोरवाला प्रतिवेदन- सन् 1951 में ए.डी. गोरवाला ने भारतीय प्रशासन का अध्ययन कर लोक प्रशासन पर एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस प्रतिवेदन में भारत में प्रशासकीय कार्यों की गति को तेज बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए-

- नीति निर्माण और उसकी क्रियान्वति में स्पष्ट अंतर करना।
- नियुक्तियों के लिए चयन में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का प्रयोग करना।
- अखिल भारतीय सेवा के कर्मियों को अपने राज्य से इतर राज्य में नियुक्ति करना।
- अच्छे वेतनमान और उचित दण्ड व्यवस्था के माध्यम से प्रशासन में समुचित अनुशासन की स्थापना करना।
- वरिष्ठ अधिकारियों को अधिक मात्रा में निरीक्षण एवं निदेशन तथा कनिष्ठ अधिकारियों को अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य दिया जाना।

9. लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम, 2013- भारत के राष्ट्रपति ने लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2013 पर 01 जनवरी 2014 को हस्ताक्षर किए थे। इसके साथ ही यह विधेयक अधिनियम बन गया है। यह अधिनियम एक भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी समिति बनाने की अनुमति देता है। कुछ सुरक्षा उपायों के साथ प्रधानमंत्री का पद भी इस अधिनियम के दायरे में आ सकेगा।

लोकपाल, शब्द स्वीडिश भाषा के शब्द ओमबुड्समैन का हिन्दी रूपान्तरण है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका में ओम्बुड्समैन को नौकशाही की शक्तियों के दुरुपयोग के सम्बन्ध में नागरिकों द्वारा की गई शिकायतों की खोज करने वाला व्यवस्थापिका का आयुक्त कहा गया है। इस प्रकार यह पार्लियामेन्ट्री कमिशनर व्यवस्थापिका का अधिकृत अभिकर्ता है, जो सरकार एवं प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध

कुप्रशासन, प्रशासनिक स्वविवेक के दुरुपयोग, भ्रष्ट आचरण, पक्षपात, अपनों को लाभान्वित करने की भावना, राजनीति के प्रभाव आदि के सम्बन्ध में नागरिकों द्वारा दी गई शिकायतों पर संज्ञान लेकर उनकी जांच करता है तथा दोषियों को दण्डित कर पीड़ित पक्ष को समुचित राहत प्रदान भी करता है। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के प्रमुख प्रावधान निम्न हैं-

- इस अधिनियम के अनुसार, केन्द्र स्तर पर लोकपाल का तथा राज्य स्तर पर लोकायुक्त का प्रावधान किया गया है।
- लोकपाल में एक अध्यक्ष के साथ अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं।
- लोकपाल के कुल सदस्यों में 50 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं से होंगे।
- लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन एक चयन समिति के माध्यम से होगा। जिसमें कुछ मामलों में दीवानी अदालत के अधिकार सम्मिलित होंगे।
- केन्द्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवा प्रयोग करने का अधिकार।
- सम्पत्ति को स्थायी रूप से जब्त करने का अधिकार।
- विशेष परिस्थितियों में भ्रष्टाचार से कमाई गई सम्पत्ति, आय आदि को जब्त करने का अधिकार।
- केन्द्र सरकार को लोकपाल के द्वारा भ्रष्टाचारियों के विरू अभियोजन की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों के गठन का अधिकार।
- विशेष अदालतों को मामला दायर होने के एक वर्ष के भीतर उसकी सुनवाई पूर्ण करनी होगी। यदि एक वर्ष में यह सुनवाई पूर्ण न हो पाए तो अदालत इसके कारणों को दर्ज करेगी और सुनवाई तीन माह में पूरी करेगी। एक बार में यह अवधि तीन माह तक बढ़ सकती है।
- भ्रष्टाचार भारत को दीमक की भांति खोखला कर रहा है। इसके कारण आर्थिक, सामाजिक, नैतिक सभी स्तरों पर गिरावट आ रही है। भ्रष्ट रूप से अर्जित धन से राजनेता और लोक सेवक दिनों-दिन धनवान हो रहे हैं जबकि देश की आर्थिक, वैज्ञानिक और सामाजिक प्रगति अवरूद्ध हो रही है। लोकपाल के गठित होने से भ्रष्टाचार में अवश्य कमी आएगी तथा देश के विकास पर कुल मिलाकर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

19.8 प्रशासनिक सेवाओं में भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के उपाय

प्रशासन में नैतिकता को सुदृढ़ करने या भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के उपाय निम्न हैं-

सेवा शर्तों में सुधार- सरकारी कर्मचारी विशेष रूप से निचले स्तर के कर्मचारी निर्धनता से विवश होकर अपने पद को आय का स्रोत मानते हुए अधिक से अधिक आय प्राप्त करना चाहते हैं। इस रिश्ततखोरी को समाप्त करने के लिए समय-समय में पर वेतन वृद्धि आवश्यक है। साथ ही साथ तबादला कुशल प्रशासन के हितों को ध्यान में रखकर पूर्व स्थापित नियमों के अनुकूल होनी चाहिए। तबादला सम्बन्धी नियमों को दृढ़ता से लागू किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य यह है कि भ्रष्टाचार से मुक्त सेवा उपलब्ध हो सके।

विभागीय नियंत्रण- केन्द्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर सरकारी विभाग का मुख्य नियंत्रणकर्ता एक राजनीतिक मंत्री होता है। मंत्री अपने विभाग से सम्बन्धित सभी प्रकरणों का उत्तर विधायिका में देता है। संसदीय लोकतंत्र वाली शासन व्यवस्थाओं में विपक्षी दलों द्वारा सत्ता पक्ष पर दोषारोपण तथा मंत्री महोदय द्वारा उस सम्बन्ध में दिया जाने वाला स्पष्टीकरण प्रशासनिक नियंत्रण का संभवतः सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।

3. **जांच पड़ताल करने वाला अभिकरण स्वतंत्र और प्रभावी हो-** सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भ्रष्टाचार मामलों की छानबीन करने वाली एजेन्सी स्वतंत्र तथा प्रभावकारी होनी चाहिए। भारत में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संगठन हो जो सरकार के नियंत्रण से मुक्त हो और भ्रष्टाचार के मामले की जांच पड़ताल करने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए उसकी अपनी एजेन्सी हो। भले ही यह एक लोकपाल हो या एक स्वतंत्र जांच ब्यूरो जिसका प्रशासनिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार के मामले पर अधिकार क्षेत्र हो।
4. **जवाबदेह प्रशासन-** आवश्यकता इस बात की है कि जवाबदेही के सिद्धान्त को प्रत्येक स्तर पर लागू किया जाए। शक्ति का प्रयोग केवल विधि के अनुकूल होना चाहिए और हर एक को गलत कार्य करने या सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। न्यायपालिका ने आधुनिक समय में जो निर्णय दिए हैं उनसे स्थिति ठीक करने की आशा बनती है। कोई भी लोक अधिकारी यह दावा नहीं कर सकता है कि न्यायालय को केवल उसके निर्णय को रद्द करने का अधिकार है उसे व्यक्तिगत तौर पर उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।
5. **प्रशासनिक कार्य प्रणालियां सरल और विलम्बता मुक्त हों-** प्रशासनिक विलम्ब भ्रष्टाचार का मुख्य कारण है। अतः भ्रष्टाचार को कम करने या नियंत्रित करने के लिए प्रशासनिक विलम्ब को हटाना अनिवार्य है। सरकारी कार्यालय की कार्यप्रणाली को सरल बनाया जाना चाहिए और पदसोपान के स्तर को घटाया जाना चाहिए। निर्णय करने की व्यवस्था ऐसी होना चाहिए कि एक ही कार्यालय में निर्णय पूरा हो जाए। इससे विलम्ब कम होगा और जनता परेशान नहीं होगी। सरकारी क्रियाकलाप संक्षिप्त और सरल होने चाहिए जिस को कोई भी साधारण नागरिक समझ सकें।
6. **पृथक न्यायालय की स्थापना-** भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक प्रभावशाली तरीका यह है कि आरोपी को शीघ्र अतिशीघ्र दंडित किया जाए ताकि वह दूसरों के लिए भयकर हो। चूँकि यह वर्तमान न्यायिक व्यवस्था में संभव नहीं है तो केवल भ्रष्टाचार के मामलों को सुनने के लिए पृथक न्यायालय स्थापित किए जाने चाहिए। इससे मुकदमों को निपटाने में सहायता होगी।
7. **एक शक्तिशाली नागरिक समाज-** हमें एक शक्तिशाली नागरिक समाज की आवश्यकता है जो विवशता की स्थिति में राजनीतिज्ञों और अधिकारियों पर आश्रित होने की अपेक्षा स्वयं पहल कर सके। एक शक्तिशाली नागरिक समाज में अनेक समूह होते हैं जो सामाजिक लक्ष्य के लिए परस्पर सहयोग करते हैं। इस से भ्रष्ट तत्वों पर दबाव पड़ता है। समाज में एक अच्छी विधि व्यवस्था लोगों की एक अच्छी नैतिक व्यवस्था से ही उत्पन्न होती है।
8. **प्रशासन का विकेन्द्रीकरण-** विकेन्द्रिकरण शासन व्यवस्था भ्रष्टाचार को कम करने में सहायक होता है। इससे निर्णय करने की प्रक्रिया उन लोगों के निकट आ जाती है, जिनको लाभ होने वाला है। इसलिए अधिकारियों को अधिक जवाबदेह होना पड़ता है। यदि पंचायतो को यह अधिकार दे दिया जाए कि वे स्थानीय अधिकारियों को नियुक्त कर सकती हैं या हटा सकती हैं, इससे प्रशासन में लोगों की भागीदारी बढ़ेगी और साथ ही अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी।
9. **मीडिया की भूमिका-** एक स्वतंत्र मीडिया जनता को भ्रष्टाचार पर सूचना और शिक्षा दे सकता है। सरकार में निजी क्षेत्र में और सिविल सोसाइटी संगठनों में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करता है और भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपने को नीति बद्ध करते हुए आचार संहिता पर निगरानी रखता है यह निगरानी ही जनजागरूकता के लिए आवश्यक सिद्ध होती है और सम्पूर्ण समाज में भ्रष्टाचार के विरुद्ध उत्साहपूर्ण चेतना का संचार हो जाता है।

अभ्यास प्रश्न-

1. किसने कहा, “मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है।”
2. प्रशासनिक नैतिकता को प्रभावित करने वाले किन्हीं चार तत्वों को बताइये।
3. यह किसने कहा कि, “निष्ठा स्वामी भक्ति पर आधारित होती है।”
4. प्रशासनिक सेवाओं में निष्ठा में कमी के किन्हीं दो कारणों को बताइये।
5. प्रशासनिक सेवाओं में भ्रष्टाचार निवारण के किन्हीं दो उपायों को बताइये।

19.9 सारांश

इस अध्याय में हमने सरकारी सेवाओं में निष्ठा और प्रशासनिक नैतिकता के निहितार्थ पर विस्तृत चर्चा की है। शासन की प्रतिष्ठा एवं सफलता लोक संचालकों के आचरण के बारे में क्या सोचते हैं, उस पर निर्भर करता है। नैतिक आचरण के प्रति केवल सैद्धान्तिक पहल पर ध्यान देना ही पर्याप्त नहीं है वरन् एक लोक सेवक को इसे व्यवहार में अपनाने की आवश्यकता है। एक लोक सेवक को अपने कार्य के प्रति सेवा भाव रखते हुए ईमानदार, निष्पक्ष, तटस्थता, जवाबदेही, गोपनीयता, सच्चरित्रता, कार्यकुशलता आदि मूलभूत तत्वों को अपने जीवन में उतारना आवश्यक है। इसके पीछे मूल कारण यह है कि सरकार के लगातार बढ़ते हुए आकार और लोगों की बढ़ती हुई अपेक्षाएं सरकारी कर्मचारियों से उच्च नैतिकता और व्यवसायिक मानदण्ड की मांग करता है। जिस राष्ट्र की सार्वजनिक सेवा भ्रष्ट है उस देश का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पतन होता है और उस देश का सर्वांगीण विकास रूक जाता है। इसलिए देश के चहुंमुखी विकास के लिए लोक सेवकों को नैतिक मूल्य को बनाए रखते हुए नैतिकता और निष्ठा पर ध्यान आकृष्ट करना बेहद जरूरी है। इसके पीछे मूल कारण है कि उनके कार्यों का प्रत्यक्ष प्रभाव समाज के चरित्र पर पड़ता है। इसलिए सरकार द्वारा इस चुनौतीपूर्ण कार्य के लिए अपनाए गए साधनों और तकनीकों पर भी प्रकाश डाला गया है।

इस प्रकार प्रशासन में नैतिकता को बढ़ावा देते हुए कार्मिक प्रशासन में भ्रष्टाचार को मुक्त करना मानसिक शक्ति का प्रतीक है। किसी समाज में नैतिक आदर्शों का बल जितना अधिक होगा वह समाज सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से उतना ही सुचिन्तापूर्ण जीवन का पश्चगामी होगा। राज्य मनुष्य के जीवन के लिए अस्तित्व में आया है और सदजीवन के लिए वह बना रहेगा किन्तु इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में प्रशासनिक नैतिकता महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी।

19.10 शब्दावली

प्रतिबद्धता- वचन/वादा/आश्वासन को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना, तटस्थता- किसी का पक्ष न लेना अर्थात् पक्षपात रहित, निष्ठा- विश्वासपूर्ण भरोसा, विवेकाधिकार- समझ के अनुसार कार्य करने की छूट, अनाधिकृत- गलत तरीके से, मूल्य- अच्छा और वांछनीय होने का विश्वास, नैतिकता- अच्छा बुरा तथा सही गलत के मूल्यों और मानकों का समूह, व्यवसायिक निष्ठा- किसी पेशे से संबंधित समझौतों, मानकों और मानदण्डों का पालन करना

19.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. अरस्तू, 2. निष्पक्षता, राजनीतिक तटस्थता, जबाबदेही और उत्तरदायित्व, 3. जी. सुब्बाराव और पी. चौधरी,
4. नैतिक मूल्यों में गिरावट और देश भक्ति की कमी, 5. सेवा शर्तों में सुधार और जबाबदेह प्रशासन

19.12 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. पद्मा रामचन्द्रण, “भारत में लोक प्रशासन” नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नई दिल्ली, 2011
2. आर.बी. जैन, “भारतीय समाज अधिकारी तंत्र और सुशासन” हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्व विद्यालय, दिल्ली, 2007
3. एस.आर. माहेश्वरी, “लोक प्रशासन”, लक्ष्मी नारायण प्रकाशक, आगरा, 2012
4. बी.एल. फड़िया, “लोक प्रशासन”, साहित्य भवन आगरा, 2015
5. ए.पी. शर्मा और बी.एल. सडाना, “लोक प्रशासन सिद्धान्त एवं व्यवहार”, किताब महल, दिल्ली, 2000
6. पी.डी.शर्मा, “एथिक्स, सत्यनिष्ठा एवं अभिवृत्ति”, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2015
7. जी. सुब्बाराव और पी.एन.राय चौधरी, “नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिवृत्ति”, जी.के. पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2018
8. इग्नू की पाठ्य पुस्तकें।

19.13 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. एस.आर. माहेश्वरी, “लोक प्रशासन”, लक्ष्मी नारायण प्रकाशक, आगरा, 2012
2. बी.एल. फड़िया, “लोक प्रशासन”, साहित्य भवन आगरा, 2015
3. ए.पी. शर्मा और बी.एल. सडाना, “लोक प्रशासन सिद्धान्त एवं व्यवहार”, किताब महल, दिल्ली, 2000
4. पी.डी.शर्मा, “एथिक्स, सत्यनिष्ठा एवं अभिवृत्ति”, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2015

19.14 निबन्धात्मक प्रश्न

1. प्रशासनिक नैतिकता को प्रभावित करने वाले तत्वों की विवेचना कीजिए।
2. प्रशासनिक सुचिता प्रशासन में किस प्रकार अपनी भूमिका निभाता है? प्रकाश डालें।
3. भ्रष्टाचार से आप क्या समझते हैं? प्रशासनिक सेवाओं में निष्ठाहास के क्या कारण हैं?
4. भ्रष्टाचार रोकने हेतु वैधानिक प्रावधानों का उल्लेख कीजिए।
5. सरकारी सेवाओं में निष्ठा सुधार हेतु क्या किया जाना चाहिए?

इकाई- 20 नियोक्ता-कार्मिक सम्बन्ध

इकाई की संरचना

- 20.0 प्रस्तावना
- 20.1 उद्देश्य
- 20.2 नियोक्ता कार्मिक सम्बन्ध का उद्भव एवं विकास
 - 20.2.1 कर्मचारी समितियां/परिषदें
 - 20.2.2 कर्मचारी समितियों/परिषदों की कार्यप्रणाली
- 20.3 नियोक्ता कार्मिक सम्बन्ध का उदय तथा अनिवार्य मध्यस्थता योजना
- 20.4 संयुक्त परामर्शदायी योजना की मुख्य विशेषतायें
- 20.5 परिषदों के कार्य
 - 20.5.1 राष्ट्रीय परिषद
 - 20.5.2 विभागीय परिषदें
 - 20.5.3 क्षेत्रीय परिषदें
- 20.6 मध्यस्थता मण्डल
- 20.7 सारांश
- 20.8 शब्दावली
- 20.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 20.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 20.11 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 20.12 निबन्धात्मक प्रश्न

20.0 प्रस्तावना

जब हम नागरिक सेवा कर्मचारी सम्बन्धों के इतिहास पर दृष्टि डालते हैं तो यह प्रतीत होता है कि कर्मचारीगण यह चाहते हैं कि उनके साथ मानवीय जैसा व्यवहार किया जाए। इसी तरह मानव गरिमा की स्थापना तथा मान्यता के साथ-साथ ही यह भावना भी फैली कि कार्मिक की शिकायतों का समाधान न केवल शान्तिपूर्ण व लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए वरन् ऐसी व्यवस्था नियमित व स्थायी भी होनी चाहिए। पूर्वकाल में सरकारी सेवा में नियोक्ता-कर्मचारी सम्बन्धों का संचालन पारम्परिक तरीके से होता था जिससे सरकारी कर्मचारियों से यह उम्मीद की जाती थी कि वे राज्य के प्रति पूर्ण स्वामीभक्ति का परिचय देंगे। इसलिये उस काल में सरकार कर्मचारियों से बिना कोई सलाह किये ही सेवा शर्तों को एकतरफा और मनमाने तरीके से तय कर देती थी जबकि निजी क्षेत्र में श्रमिकों को वेतन तथा कामकाज की स्थितियों में अनेक लाभ मिले, चूंकि उनके पास प्रभावी श्रमिक संगठन मौजूद थे जो क्रान्तिकारी कदम उठाने से भी नहीं चूकते थे इसलिये सरकारी कर्मचारी संगठनों में भी यह भावना घर कर गई कि वे केवल सांझी किस्म के तथा मिले-जुले प्रयासों एवं दृढ़ कदमों से ही अपनी सेवा शर्तों में सुधार ला सकते हैं। इस उद्देश्य से सरकारी कर्मचारियों ने हड़तालों आदि का सहारा लिया और इस बात के लिए दबाव डाला कि सरकार उनके साथ सद्भावना से समझौता करे तथा उन्होंने राज्य से यह मांग की कि वह एक आदर्श नियोक्ता बनने का प्रयास करें जो अच्छे नियोक्ता कर्मचारी सम्बन्धों का बढ़ावा दे सके। यद्यपि एक और लोक कर्मचारियों को प्रदर्शन या हड़ताल करने का अधिकार नहीं दिया जाता, किन्तु दूसरी ओर उनके प्रति गुलामों जैसे व्यवहार को भी समाप्त करना है, तो नियोक्ता और कर्मचारियों के विवादों को शान्तिपूर्वक अर्थात् समझौते तथा वार्ता द्वारा

सुलझाने के लिए आवश्यक उपकरण अनिवार्य हैं। यह भी अनुभव किया गया है कि यदि सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर हड़ताल करने से प्रतिबंधित करना है तो उसके लिए हमें संयुक्त परामर्श का एक उचित ढांचा विकसित करना होगा तथा हमें सामूहिक समझौते की कार्यविधियों तथा अनिवार्य मध्यस्थता के द्वारा झगड़े सुलझाने की प्रविधियों की सहायता लेनी होगी। इसलिए शिकायतों के निदान तथा झगड़े सुलझाने की कार्यप्रणाली को एक “जरूरी पर बीच का रास्ता” मानकर चला जाता है। जिसमें एक और राज्य द्वारा सार्वजनिक रोजगार तथा सेवा की शर्तों को एकतरफा लागू करने का रास्ता है तथा दूसरी और हड़तालों एवं ताला बंदियों का रास्ता होता है। यह भी महसूस किया गया है कि वेतन, काम के घंटे तथा सेवा की शर्तों के मामलों को कर्मचारियों तथा नियोक्ता के प्रतिनिधियों के द्वारा मिलकर सुलझाया जा सकता है इसलिये संयुक्त परामर्शदायी संस्थाओं में जो विचार-विमर्श होते हैं वे सूचना के आदान-प्रदान करने तथा सेवा में सुधार लाने एवं सुरक्षा बढ़ाने के सुझाव देने की धारणा से सम्बन्धित होते हैं तथा स्वास्थ्य कल्याण एवं उत्पादन कुशलता के बारे में भी उनमें विचार होता है। इन आपसी विचार-विमर्श के जो परिणाम निकलते हैं उन्हें आमतौर पर सिफारिशों के रूप में सरकार के सामने रखा जाता है जो कि उन पर अन्तिम फैसला लेती हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारें अपने व्यापक प्रशासनिक संगठनों के साथ समाज के सर्वांगीण विकासों के लिए प्रतिबद्ध रहती हैं पर यह एक वास्तविकता है कि वे बिना अपने कर्मचारियों के सक्रिय सहयोग तथा भागीदारी के अपनी नीतियों व कार्यक्रमों को कार्यान्वित नहीं कर सकते हैं। इसलिये प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि कर्मचारियों में मधुर सम्बन्ध विकसित किये जायें क्योंकि यह संभव नहीं है कि बिना प्रभावी मंत्रणा तथा समझौते की व्यवस्था विकसित किए मधुर सम्बन्ध स्थापित हो सकते हैं। यही कारण है कि नागरिक सेवा, कर्मचारी सम्बन्धों की नीतियों तथा कार्यक्रमों को लोकतांत्रिक सरकार के सिद्धान्तों पर सदैव आधारित होना चाहिए। इसमें ज्यादा जोर अनौपचारिक तौर तरीकों तथा मिल जुलकर सहयोग करने की विधियों पर दिया जाता है और आपसी पारस्परिक हितों की पूर्ति में सद्भावना को ध्यान में रखा जाता है ताकि एक तरफ कर्मचारियों की कार्य दशा में सुधार ला सके तथा दूसरी तरफ प्रशासन की कार्यकुशलता में बढ़ोत्तरी हो सके। इस प्रक्रिया का परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि किसी समझौते पर पहुंचने के लिए भागीदारी वाले पक्षों में कितनी काबिलियत है, अर्थात् तुलनात्मक दृष्टि से कितनी योग्यता हैं। इसे नियोक्ता तथा कर्मचारी के मध्य पाये जाने वाली शक्ति सम्बन्ध का भी नाम दे सकते हैं। इस इकाई द्वारा नागरिक सेवा कर्मचारी सम्बन्धों में संयुक्त परामर्श व्यवस्था के महत्व, उद्भव तथा विकास आदि का अध्ययन करेंगे।

20.1 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन करने के उपरान्त आप-

- नागरिक सेवा कर्मचारी सम्बन्धों में संयुक्त सलाहकार मशीनरी के महत्व को समझ पायेंगे।
- संयुक्त सलाहकार मशीनरी के उद्भव की व्याख्या कर पायेंगे।
- संयुक्त सलाहकार मशीनरी की भूमिका का मूल्यांकन कर पायेंगे।
- उसके सुधार के सुझावों पर चर्चा कर पायेंगे।

20.2 नियोक्ता-कार्मिक सम्बन्ध का उद्भव एवं विकास

हमारी स्टॉफ समितियां ब्रिटेन की व्हिटले परिषदों के नमूने पर आधारित हैं। व्हिटलेवाद विभिन्न तलों पर नियोक्ता के रूप में राज्य के कर्मचारी वर्ग के मध्य समय-समय पर होने वाली चर्चा एवं विचार-विमर्श की एक पद्धति है। व्हिटले परिषदों का प्रारम्भ ब्रिटिश लोक सेवा में 1919 से हुआ है। 1919 के वर्ष में जब व्हिटलेवाद नामक एक

ऐतिहासिक धारणा का ब्रिटिश नागरिक सेवा कर्मचारी सम्बन्धों में सुधार लाने हेतु विकास किया गया तब अनेक देशों में सभी लोगों ने मानव सम्बन्धों के क्षेत्र में इस अनूठी कार्यप्रणाली की भूरि-भूरि प्रशंसा की। लोकसेवा के विभिन्न श्रमिक संघों के नेताओं, वरिष्ठ कोषाधिकारियों तथा सभी विभागीय प्रधानों के मतानुसार यह प्रणाली सफल सिद्ध हुई है। व्हिटलेवाद में औपचारिक एवं अनौपचारिक मंत्रणाओं तथा समझौतों के माध्यम से किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास किया जाता है अथवा मध्यस्थता कराने पर सहमति हासिल की जाती है। यह सलाह-मशविरे की तकनीक इतनी प्रभावी सिद्ध हुई कि ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के अनेक देशों में इसका जादू छा गया। जिसके परिणाम स्वरूप थोड़े बहुत संशोधन के साथ इसे अन्य स्थानों पर भी अपनाया जाने लगा।

संक्षिप्त रूप में यह कहा जा सकता है कि ब्रिटिश नागरिक सेवा में कर्मचारी सम्बन्धों की देखभाल व्हिटले परिषदों की विधि की सहायता से की जाती है तथा नागरिक सेवा की राष्ट्रीय व्हिटले परिषद सार्वजनिक सेवकों की सामान्य समस्याओं के बारे में संयुक्त परामर्श के लिए उत्तरदायी होती है चाहे वे किसी भी विभाग से सम्बन्धित क्यों न हों। जबकि विभागीय व्हिटले परिषदें उस विभाग की आन्तरिक समस्याओं से जूझने का कार्य करती हैं क्षेत्रीय व्हिटले समितियाँ क्षेत्रीय कार्य स्थितियों को प्रभावित करने वाले विषयों पर विचार-विमर्श करती हैं।

यह ध्यान देने की बात है कि जब भारत सरकार के कर्मचारी संगठनों ने लगभग तीन दशक तक संघर्ष किया, तब उन्हें ब्रिटिश व्हिटले परिषदों के प्रतिमान पर आधारित यह कार्यप्रणाली हासिल हुई। यह मुद्दा पहली बार 1928 में तथा दूसरी बार 1942 में उठा तथा 1931 में श्रमिकों के विषय में गठित शाही आयोग ने यह सिफारिश की कि रेलवे के लिए एक संयुक्त परामर्शदायी कार्यप्रणाली का गठन किया जाए। हालांकि श्रम विभाग का इसके प्रति एक पक्षपाती दृष्टिकोण था तथापि गृह विभाग ने इन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कर्मचारियों की ऐसी कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं थी जिसके माध्यम से उनकी स्थिति में सुधार लाया जा सके। उनकी शिकायतें व समस्याएं सुनी तो जाती थी, किन्तु इनके निवारणार्थ कोई कदम नहीं उठाया जाता था। इस दिशा में सर्वप्रथम प्रयास सन् 1946 में 'प्रथम वेतन आयोग' द्वारा किया गया था।

सन् 1947 में आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। इसमें आयोग ने निम्न शब्दों में इस समस्या के बारे में अपना मत प्रकट किया था, "सरकार को यह समझना चाहिए कि उसे अपने कर्मचारियों को यह विश्वास दिलाना आवश्यक है कि उनकी शिकायतों पर तुरन्त यथोचित विचार किया जायेगा। इस बात पर विशेष बल हम इस कारण दे रहे हैं कि हमारे सामने जो साक्ष्य है, उससे यह प्रकट होता है कि अधिकांश वर्गों के लोक कर्मचारियों में इस बात के प्रति निराशा ही नहीं अपितु अविश्वास की पूर्ण भावना व्याप्त है कि उनकी शिकायतों पर सरकार द्वारा शायद ही कभी ध्यान दिया जाता हो।" आयोग का यह निष्कर्ष था कि ऐसा कोई साधन होना चाहिए जो "कर्मचारी वर्ग तथा सरकार के मध्य सहयोग, परामर्श, चर्चा तथा वार्ता की व्यवस्था कर सके।" आयोग का यह भी मत था कि यह सोचना गलत है कि व्हिटले प्रणाली जैसी कोई प्रणाली लाभकारी ढंग से भारत में लागू नहीं की जा सकती।

फलस्वरूप 1947 में आयोग ने कर्मचारियों के लिए व्हिटले कार्यप्रणाली की तरह ही संयुक्त परिषदों की स्थापना का सुझाव दिया। आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी की सेवाओं की मध्यस्थता के लिए कार्यवाहक अधिकरणों ट्रिब्यूनल्स की स्थापना की जाए। जैसे कि संयुक्त साम्राज्य (यूनाइटेड किंगडम) में नागरिक सेवा मध्यस्थता कार्यरत है। हालांकि, रेलवे तथा डाक व तार विभाग को पूरी योजना में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि उन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में शामिल कर लिया गया था। यद्यपि भारत सरकार ने 1952 में व्हिटले योजना की स्थापना का फैसला ले लिया था पर 1954 में जाकर सरकार ने अपने सभी मंत्रालयों से कर्मचारी परिषदों की स्थापना का आग्रह किया।

20.2.1 कर्मचारी समितियाँ/परिषदें

भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक मंत्रालय के लिए यह जरूरी हो गया है कि वह दो अलग-अलग कर्मचारी समितियों की स्थापना करे जिसमें पहली चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करे और दूसरी समिति अन्य श्रेणी की जरूरतों का अनुमान लगाए ताकि उनकी वजह से सरकार तथा उनके कर्मचारियों के बीच में अच्छा सहयोग/तालमेल बैठ सके। ध्यान देने की बात यह है कि इन कर्मचारी परिषदों की भूमिका मात्र सलाहकारी ही थी। जहाँ तक चतुर्थ श्रेणी के अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों के लिए समिति के गठन का सवाल है, उसमें निम्न प्रकार के सदस्य की व्यवस्था की गई-

1. अध्यक्ष- वह मंत्रालय का मुख्य सचिव अथवा संयुक्त सचिव की हैसियत का अधिकारी होगा और उसकी नामजदगी मंत्रालय करेगा।
2. मंत्रालय द्वारा अन्य सरकारी प्रतिनिधियों की नामजदगी अपने अधिकारियों में से की जाएगी तथा उनका स्तर अवर सचिव से कम का नहीं होगा।
3. प्रत्येक 20 सदस्यों की तरफ से एक कर्मचारी प्रतिनिधित्व के लिए रखा गया है, जिनका मंत्रालय में खण्ड अधिकारी, सहायक अधिकारी, स्टेनोग्राफर अर्थात आषुलिपिक तथा लिपिक वर्ग का स्तर होगा। इन वर्गों में से एक-एक प्रतिनिधि हर वर्ष परिषद में चुना जाएगा।
4. अध्यक्ष द्वारा कर्मचारी प्रतिनिधि के परामर्श से उनमें से ही एक व्यक्ति को परिषद का सचिव नामजद करेगा।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी समिति के बारे में निम्न निम्नलिखित तथ्य विचार करने योग्य है-

- मंत्रालय के उप सचिव को इस समिति की अध्यक्षता के लिए नामजद किया जाता है।
- मंत्रालय अपने प्रतिनिधियों के रूप में परिषद में सहायक के स्तर से कम के व्यक्ति को नामजद नहीं करता है।
- इस प्रकार प्रत्येक 20 सदस्यों में से एक कर्मचारी प्रतिनिधित्व करने के लिए रखा गया है ये प्रतिनिधि रिकार्ड छटनी कर्ताओं, जमादारों, चपरासियों तथा चौकिदारों के वर्गों में से चुने जाते हैं तथा हर वर्ग में से एक सदस्य प्रतिवर्ष लिया जाता है।
- समिति का अध्यक्ष अपने कर्मचारी प्रतिनिधियों के प्रत्येक वर्ग में से एक कर्मचारी को एक वर्ष के लिए सचिव नामजद करता है।

दोनों प्रकार की समितियों की बैठक त्रिमास में कम से कम एक बार अवश्य होती है। बैठक की गणपूर्ति के लिए 1/3 कर्मचारी सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की जायेगी, इसके बारे में लोगों को काफी समय पहले ही सूचित कर दिया जाता है ताकि सार्थक विचार-विमर्श हो सके। ध्यान रहे कि इनके फैसलों को न केवल दर्ज किया जाता है, अपितु उन्हें आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित मंत्रालय में भेजा भी जाता है। कर्मचारी परिषदों के प्रमुख कार्य इस प्रकार है-

- कार्य के मानकों (स्टैण्डर्स) को बनाने के लिये दिये गये सुझावों पर ये विचार करती है।
- ये परिषद सेवा शर्तों को प्रभावित करने वाले मामलों में कर्मचारियों के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के लिए कार्यप्रणाली प्रदान करती हैं।
- परिषदों के द्वारा कर्मचारी तथा अधिकारियों के बीच व्यक्तिगत सम्बन्धों की स्थापना की व्यवस्था की जाती है। जिससे कि उनके मध्य मधुर सम्बन्धों का विकास हो सके तथा कर्मचारियों को अपने कार्यों के प्रति गहन अभिरूचि लेने को प्रोत्साहित करती है।

परिषदों के अन्य प्रमुख कार्यों में, कर्मचारियों की कार्य स्थितियों के बारे में विचार-विमर्श करना, सेवा स्थितियों को नियमित करने वाले सामान्य सिद्धान्तों व कर्मचारी कल्याण के विषय में चर्चा करना तथा कार्य की कुशलता एवम् मानकों के बारे में सलाह करना होता है। व्यक्तिगत मामलों पर बहस करने की अनुमति नहीं दी जाती है। अभी तक कर्मचारी परिषदों की कार्यप्रणाली को असंतोषप्रद पाया गया है। अनेक मंत्रालयों को जिन अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा है। उनमें प्रमुख निम्न हैं- एक तो अधिकांश मामलों में मंत्रालयों के अन्तर्गत ही निर्णयों पर नहीं पहुंचा जा सका तथा दूसरे जिन मामलों में समितियों ने कुछ निर्णय लिये भी उन्हें गृह, वित्त निर्माण एवं आवास तथा वितरण मंत्रालयों में स्पष्टीकरण तथा अनुमति के लिये भेजना पड़ा।

20.2.2 कर्मचारी समितियों/परिषदों की कार्यप्रणाली

केन्द्रीय मंत्री परिषद ने कर्मचारी परिषदों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने हेतु एक उप समिति का गठन किया। इस उप समिति की सिफारिशों के आधार पर सभी मंत्रालयों को कुछ निर्देश दिये गये, जो इस प्रकार हैं-

1. कर्मचारी समितियों को नया नाम दिया जायें तथा अब उन्हें कर्मचारी परिषद कहा जाए।
2. जो भी मामले (मुद्दा) कर्मचारी परिषदों द्वारा उठाया जाए उनका समाधान सम्बन्धित मंत्रालयों द्वारा जल्दी से जल्दी किया जाए।
3. अनसुलझे मामलों को समन्वयकारी समिति के सामने रखा जाना चाहिये जिसमें गृह, वित्त, कार्य, आवास तथा वितरण मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए।
4. ऐसी सम्भावनाओं का पता लगाया जाना चाहिए कि क्या प्रशासकीय मंत्रालयों की शक्तियों को घटाया जा सकता है जिससे कि सम्बन्धित रख रखाव इकाइयों के सामने मामला रखने में होने वाली लालफीताशाही को टाला जा सके।
5. गृह मंत्रालय में एक मुख्य कल्याणकारी अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए। इसके साथ ही हर मंत्रालय में भी ऐसे ही अधिकारी नियुक्त किये जाने चाहिये।

यह भी स्मरणीय रहे कि मंत्रीमण्डलीय उपसमिति के निर्णयों के अनुसार कर्मचारी समितियों का नाम परिवर्तन कर उनके संविधान, लक्ष्यों तथा कार्य विधि प्रक्रिया में फेरबदल किये हुए ही परिषद कर दिया गया तथा एक ऐसी समन्वयकारी समिति का गठन किया गया जिसमें गृह, वित्त, कार्य, आवास तथा वितरण आदि सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधि शामिल हो, जिससे कि वे कर्मचारी परिषदों में अनसुलझे मामलों का समाधान कर सके। कर्मचारी परिषदों से सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालय यह निर्णय भी करता है कि कौन से मामले (मुद्दे) समन्वयकारी समिति के सामने रखे जाने चाहिए।

इन कर्मचारी परिषदों ने अपने कार्यकाल (1954-59) में अनेक अनुशांसाएं/सिफारिशें कीं। उनमें से अधिकांश को विभिन्न विभागों/मंत्रालयों द्वारा स्वीकृत किया गया तथा कार्यान्वित किया गया। परन्तु वे अधिकांश गैर-जरूरी (अनावश्यक) मामलों से ही सम्बद्ध थीं तथा सरकारी वेशभूषा सुधारने, प्राथमिक तथा अन्य किस्म की चिकित्सा सुविधाएं जुटाने, शीतल जल यंत्रों के लगाने, अवकाश को स्वीकृति देने, एवं परिवहन सुविधाओं से सम्बन्धित थीं अर्थात् न तो प्रशासन की कार्यप्रणाली में सुधार किया गया और न ही कर्मचारियों की प्रमुख शिकायतों पर ही ध्यान दिया गया। इस बारे में द्वितीय वेतन आयोग ने अपने प्रतिवेदन में यह मत स्पष्ट किया कि सरकार में संयुक्त परामर्श के सिद्धान्तों को स्वीकारने की इच्छा शक्ति का अभाव पाया जाता है जो कि विवादों को रोकने का एक प्रभावशाली साधन रहा है। इसलिए द्वितीय वेतन आयोग ने यह अनुशांसा की कि एक ऐसी मशीनरी का विकास किया जाये जो कि सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक रूप में सुयुक्त राज्य की विहटले परिषद की कार्यप्रणाली की भावना के अनुरूप हो। इस प्रकार हमारे यहां पाई जाने वाली कर्मचारी समितियों तथा परिषदों का विहटले परिषदों से नाम मात्र का सम्बन्ध है, तथा वे उसके आदर्श भावना को व्यवहार में लाने में असफल रहीं हैं।

भारतवर्ष में सरकारी नागरिक कर्मचारियों ने भी सांझी मंत्रणात्मक मशीनरी के प्रति कम ही रूचि दर्शायी हैं। ध्यान रहे कि दूसरी तरफ जब सरकार ने कर्मचारी समितियों तथा परिषदों का श्री गणेश किया, तब उसने कर्मचारी संगठनों से कोई परामर्श भी नहीं किया इस प्रकार दोहरी भूमिका निभाने वाली मशीनरी को इकतरफा तरीके से लागू कर दिया गया। विवादास्पद मामलों में समाधान के लिए समझौते कराने वाली मशीनरी के अभाव में व्हिटले भावना को नहीं फैलाया जा सका संक्षेप में, कर्मचारी वर्ग परिषदें भले ही ब्रिटिश व्हिटले प्रणाली पर आधारित हो किन्तु उनमें व्हिटलेवाद की आत्मा और स्वरूप का अभाव है। अतः कर्मचारी वर्ग परिषदों की वर्तमान स्थिति यह है कि विभिन्न मंत्रालयों में वे केवल अलग-अलग सत्ता मात्र हैं। चूंकि इन कर्मचारी समितियों/परिषदों की प्रकृति सलाहकारी रही हैं, इस कारण से एक तरफ तो इनकी गतिविधियां सीमित रही, दूसरी तरफ उनसे जिस तरह अधिकारियों द्वारा निपटा गया उससे भी उनकी उपादेयता और अधिक क्षीण (घटती) होती चली गई। एक समस्या यह भी है कि हमारे यहां ब्रिटिश राष्ट्रीय व्हिटले परिषद की तरह केन्द्रीय संयुक्त कर्मचारी परिषद नहीं पाई जाती है जो कि सभी मंत्रालयों के कर्मचारियों के सामान्य रूप से काम में आने वाली समस्याओं पर मार्गदर्शन कर सके। यह भी स्मरणीय रहे कि नागरिक सेवा संघ/कर्मचारी के संगठित वर्गों ने इसके प्रति निष्ठा नहीं दिखाई और उन्होंने इसे केवल मात्र 'आंसू पौछने वाली कार्यवाही' माना। इनके असफल कार्यान्वयन के लिए वे उच्चस्तरीय अधिकारीगण भी उत्तरदायी थे जिनमें व्हिटले भावना का अभाव था। दूसरी तरफ इन समितियों में जो कार्मिक प्रतिनिधिगण मौजूद थे उनमें भी ऐसी नेतृत्व क्षमता का अभाव था। इस कारण से वे अपने पक्ष के विचार प्रभावशाली ढंग से नहीं रख पाए। यथार्थ (वास्तविक) रूप से व्यवहार में उन्होंने एक ऐसे मंच की भूमिका निभाई जहां पर कर्मचारी अपनी शिकायतों को खुलकर बता सकते थे तथा जिनमें वे सरकार के नुमाइन्दों के सामने अपनी समस्याओं को उजागर कर सकते थे।

निष्कर्षतः कर्मचारी परिषदें शिकायतें परिषदें बनकर रह गईं और वे कोई समाधान नहीं रख पाईं। जबकि ब्रिटेन में व्हिटलेवाद की सफलता का मुख्य कारण कर्मचारी संघों तथा परिषदों के बीच निकट सम्बन्ध हैं। जहां तक सरकारी पक्ष को अनुप्राणित करने वाली भावना का सम्बन्ध है, द्वितीय वेतन आयोग ने बड़ी तत्परता से यह मत व्यक्त किया है कि विवादों को रोकने के लिए संयुक्त परामर्श ही एक प्रभावशाली साधन सिद्ध हो सकता है। लेकिन सरकार इसे स्वीकार करने की इच्छुक प्रतीत नहीं होती।

20.3 नियुक्त-कार्मिक सम्बन्ध का उदय तथा अनिवार्य मध्यस्थता योजना

जैसा कि विदित है कि द्वितीय वेतन आयोग (1959) ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये व्हिटले परिषद जैसी मशीनरी बनाने की सिफारिश की थी। जो कि झगड़ों का समाधान कर सके तथा विशेष रूप से औद्योगिक कर्मचारियों के मामलों से भी लड़ सके। आयोग ने समझौते के लिए संयुक्त मशीनरी के लिए अनिवार्य मध्यस्थता की रूपरेखा भी सुझायी, जो कि वेतन भत्ता, साप्ताहिक कार्यावधि तथा अवकाश के मामलों के हल में सहायक सिद्ध हो सके। वर्ष 1960 में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी 5 दिन (जुलाई 11-16) के लिए हड़ताल पर चले गए। उनकी प्रमुख मांग यह भी थी कि एक त्रिस्तरीय तंत्र (व्यवस्था) की स्थापना की जानी चाहिए जिसमें स्थानीय या क्षेत्रीय परिषदें, विभागीय परिषदें तथा राष्ट्रीय परिषदें शामिल हो। स्थानीय या क्षेत्रीय परिषदों को केवल उन विषयों का निरीक्षण करना चाहिए जो किसी विशेष क्षेत्र या प्रदेश में स्थित सरकारी कार्यालयों से सम्बन्धित हो। परिषदों को किसी विशेष विभाग से सम्बन्ध रखने वाले विषयों पर ही विचार करने के अधिकार हैं, तथा प्रत्येक मंत्रालय में एक ऐसी परिषद होनी चाहिये। राष्ट्रीय परिषद को केवल उन विषयों पर ही विचार करना चाहिए जो कर्मचारियों के कार्य करने की परिस्थितियों एवं अवस्था से सम्बन्धित हो और उसे सामान्य कल्याण सम्बन्धी योजनाओं की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। जल्दी ही संयुक्त परामर्शदायी मशीनरी की स्थापना की जाए। सरकार ने भी इसकी स्थापना का निर्णय लिया एवं एक योजना की रूपरेखा बनाई। इस योजना में क्षेत्रीय, विभागीय तथा केन्द्रीय स्तर

पर एक त्रिसूची तथा पूरक संयुक्त परामर्श की रूपरेखा प्रस्तावित की गई जो कि वर्तमान व्यवस्थाओं की सहकारिता में कार्य करेंगी।

इसमें केन्द्रीय सरकार के सभी तरह के कर्मचारियों को सम्मिलित किया गया- चाहे वे डाक तथा तार विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग तथा रक्षा मंत्रालय से ही सम्बद्ध क्यों नहीं हो। इस योजना में एक मध्यस्थता अधिकरण की रूपरेखा भी प्रस्तावित की गई तथा उसके साथ सीमित अनिवार्य मध्यस्थता के प्रावधान की भी व्यवस्था की गई। वर्ष 1960-61 में सरकार ने संसद के समक्ष एक ऐसा 'बिल' पेश करने का भी फैसला किया जिससे न केवल संयुक्त परामर्शदायी मशीनरी को वैधानिक जामा पहनाया जा सके, अपितु सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल करने के अधिकार से भी वंचित किया जा सके इसका परिणाम यह हुआ कि कर्मचारी संगठनों ने इन प्रस्तावों का विरोध किया, तथा हड़ताल करने के अपने अधिकार को छोड़ने से मना कर दिया और इसी के साथ-साथ बाहरी तत्वों को संगठन में जोड़ने के अधिकार को भी सुरक्षित रखा। बाद में सरकार तथा कर्मचारी संगठनों से विचार-विमर्श के पश्चात् भारत सरकार ने वर्ष 1963 में यह निर्णय लिया कि संयुक्त परामर्शदायी तथा अनिवार्य मध्यस्थता की योजना का श्री गणेश किया जाए। इस नई योजना के अनेक पहलुओं के प्रति कर्मचारी संगठनों ने अपनी आशंका बताई और कतिपय प्रस्तावों पर अपनी असहमति दर्शायी। सरकार की भी यह इच्छा रही कि सभी प्रकार के कर्मचारियों को एक ही कानून के तहत लाया जाए। इसलिए विभिन्न स्तरों एवं अनेक अवसरों पर लगभग तीन वर्ष तक व्यापक विचारों का आदान-प्रदान हुआ और जितनी भी आशंकायें थी उनका समाधान किया गया तथा यह आम सहमति भी बनी कि प्रस्तावित योजना का कार्य करने का एक अवसर अवश्य प्रदान किया जाए। इसलिए यह ध्यान देने योग्य बात है कि जहां तक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्शदायी मशीनरी तथा अनिवार्य मध्यस्थता योजना का प्रश्न है उसे 28 अक्टूबर 1966 में लागू किया गया।

निष्कर्षतः संयुक्त परामर्शदायी मशीनरी की स्थापना को 'एक नए अध्याय के प्रारम्भ' की उपमा (संज्ञा) दी गई, तथा यह आशा की गई कि इसकी स्थापना से सरकार तथा कर्मचारियों के सम्बन्धों में अर्थपूर्ण सहकारिता के नये युग का प्रारम्भ होगा।

20.4 संयुक्त परामर्शदायी मशीनरी योजना की प्रमुख विशेषताएं

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्शतंत्र तथा अनिवार्य पंचनिर्णय योजना में "संयुक्त परामर्शदायी तंत्र स्थापित किये जाने की व्यवस्था है। इनमें कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले मामलों पर विचार करने के लिए सरकारी पक्ष और कर्मचारी पक्ष के प्रतिनिधि शामिल किये जाते हैं। इस तंत्र की रूपरेखा इस प्रकार बनाई गई ताकि वह एक ओर तो मधुर सम्बन्ध बना सके तथा दूसरी ओर वह सरकार तथा कर्मचारियों के बीच सामान्य हित के मामलों में अधिकाधिक मात्रा में सहकारिता का विकास कर सके। इसके साथ ही यह भी लक्ष्य रखा गया कि इससे न केवल सार्वजनिक सेवा में गुणवत्ता का विकास होगा, अपितु कर्मचारियों का सर्वाधिक हित भी होगा।" यह भी स्मरणीय रहे कि यह योजना सर्वथा स्वैच्छिक प्रकृति की है तथा जो भी पक्ष इसमें सहभागिता करना चाहते हैं चाहे वे पक्ष सरकार, कर्मचारी संगठनों तथा परिषदों से सम्बद्ध हो-उन्हें संयुक्त उद्देश्य के घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करने होते हैं। जिसके अनुसार दोनों ही पक्ष (सरकार एवं कार्मिक संगठन) इस भावना पर अपनी सहमति बताते हैं कि वे सभी मुद्दों पर समझौते के लिए खुले रूप से चर्चा में भाग लेंगे।

इस योजना की एक अद्भूत विशेषता यह भी है कि इसके अन्तर्गत सरकार के औद्योगिक तथा सामान्य दोनों तरह के कर्मचारियों को शामिल किया गया है। इस मामले में यह योजना विहटले व्यवस्था से भिन्न भी है, क्योंकि ब्रिटेन की व्यवस्था तो केवल गैर औद्योगिक नागरिक सेवा से ही अपना सम्बन्ध रखती है। दूसरे संयुक्त परामर्शदायी मशीनरी के अन्तर्गत सेवाओं के प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को भी अपने तहत लेकर नहीं चलती है तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों संघीय क्षेत्रों तथा पुलिस कर्मियों को भी इसमें नहीं जोड़ा गया है। यह भी स्मरणीय है कि

वहां पर ब्रिटेन की व्हिटले व्यवस्था का उद्देश्य यह भी है कि वह शिकायतों को सुनने की ही व्यवस्था नहीं करती है, अपितु वह नागरिक सेवा के विभिन्न वर्गों तथा स्तरों के प्रतिनिधियों के अनुभवों तथा दृष्टिकोणों को एक साथ रखकर किसी परिणाम तक पहुंचती है, ब्रिटेन में व्हिटलेवाद की सफलता का मुख्य कारण कर्मचारी संघों तथा परिषदों के बीच निकट सम्बन्ध है। जहां तक सरकारी पक्ष को अनुप्राणित करने वाली भावना का सम्बन्ध है द्वितीय वेतन आयोग ने बड़ी तत्परता से यह मत व्यक्त किया है कि विवादों को रोकने के लिए संयुक्त परामर्श ही एक प्रभावशाली साधन सिद्ध हो सकता है। संयुक्त परामर्शदायी तंत्र में सेवा और कार्य की परिस्थितियों, कर्मचारियों के कल्याण, क्षमता एवं कार्य के स्तर का विकास तथा भर्ती, पदोन्नति तथा अनुशासन सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्तों पर विचार-विमर्श होता है। व्यक्तिगत मामलों पर इसमें विचार नहीं होता है। संयुक्त परामर्शदायी तंत्र में एक राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद तथा क्षेत्रीय और कार्यालय परिषदें होती हैं। संयुक्त परामर्शदायी मशीनरी त्रिस्तरीय व्यवस्था है और इसका प्रत्येक स्तर संगठन और कार्य की दृष्टि से पूर्णरूपेण स्वतंत्र होता है। संयुक्त परामर्शदायी मशीनरी में निम्नलिखित पदाधिकारियों को छोड़कर शेष सभी लोक सेवक शामिल होते हैं- (1) वर्ग प्रथम सेवाएं जिन्हें अब ग्रेड 'ए' सेवाएं कहा जाता है। (2) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अतिरिक्त वर्ग द्वितीय ग्रेड 'बी' सेवाएं। (3) औद्योगिक प्रतिष्ठानों में प्रबन्धकीय, प्रशासकीय एवं निरीक्षणत्मक पदों पर नियुक्त अधिकारी। (4) संघीय क्षेत्रों के कर्मचारी (5) पुलिस कर्मचारी।

यद्यपि भारतीय संयुक्त परामर्शदायी मशीनरी योजना को ब्रिटेन की व्हिटले व्यवस्था के मॉडल (प्रतिमान) पर आधारित किया गया है तथापि वह उस आदर्श व्यवस्था की मूल भावना तथा सुदीर्घ अनुभव को समेटने में असफल रही है। निष्कर्षतः जहां हमारी व्यवस्था संयुक्त परामर्शदायी किस्म की रही है, वहां ब्रिटिश प्रणाली द्विपक्षीय सहभागिता की भावना पर आधारित है।

20.5 परिषदों के कार्य

संयुक्त परिषदें उन सभी मामलों का समाधान करती है जो कि सभी के लिए कार्य की स्थिति, गुणवत्ता, कार्यकुशलता तथा कर्मचारी कल्याण के विषय के होते हैं। हालांकि जहां तक भर्ती, पदोन्नति तथा अनुशासन के मुद्दे होते हैं उनके विषय में सामान्य सिद्धान्तों तक ही चर्चा सीमित रहती है और व्यक्तिगत मामले विचार के लिये नहीं रखे जाते हैं। परिषद जिन क्षेत्राधिकार के मामलों को उचित समझती है, उनके विषय में अध्ययन समितियों की स्थापना कर देती है तथा जब परिषदें अधिकारियों तथा कर्मचारियों से मिलकर किन्ही समझौतों तक पहुंचती है तब उन्हें अन्तिम स्वीकृति के लिये मंत्रीपरिषद के समक्ष स्वीकृति हेतु भेज दिया जाता है। स्वीकृति के पश्चात् ही वे कार्यान्वित हो पाते हैं। यदि मामला मध्यस्थता के योग्य है तथा अन्तिम असहमति को दर्ज कर दिया जाता है तो मामला मध्यस्थता के लिए भेजा जाता है।

20.5.1 राष्ट्रीय परिषद

वास्तव में राष्ट्रीय परिषद एक सर्वोच्च निकाय है इसमें सरकार एवं कर्मचारियों, दोनों पक्षों के प्रतिनिधि होते हैं। मंत्रिमंडलीय सचिव इसका अध्यक्ष होता है। सरकारी पक्ष के सदस्यों की संख्या 25 होती है, जो केन्द्रीय सरकार के द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। कर्मचारियों के द्वारा अधिकतम 60 सदस्य मान्यता प्राप्त कर्मचारी सभा द्वारा मनोनीत किये जाते हैं। जहां तक कर्मचारी पक्ष का सवाल है उनके प्रतिनिधियों का चयन कर्मचारियों के परिषदों द्वारा किया जाता है इन संघों के स्थानों का बंटवारा परिषद के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है।

यह भी स्मरणीय है कि इस बंटवारे का आधार वह संख्यात्मक शक्ति होती है जो कि हर मंत्रालय द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की (तादाद) संख्या के अनुपात में होती है।

इन विभिन्न कर्मचारी सभाओं में स्थानों का वितरण परिषद का अध्यक्ष उनसे परामर्श करके करता है कर्मचारी पक्ष अपने सदस्यों में से एक नेता चुनता है। राष्ट्रीय परिषद सरकारी कर्मचारियों से सम्बन्धित सामान्य बातों पर विचार करती है, जैसे- न्यूनतम पारिश्रमिक, महंगाई भत्ता, कुछ सामान्य वर्ग लिपिक, चपरासी, निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के मामले। इसके अतिरिक्त, ऐसे मामलों पर भी परिषद विचार करती है जो दो या अधिक विभागों के कर्मचारियों से सम्बन्धित होते हैं। राष्ट्रीय परिषद ऐसे किसी मामले पर विचार नहीं करती जिसका सम्बन्ध किसी एक विभाग के कर्मचारियों से हो। प्रति चार माह में परिषद का कम से कम एक अधिवेशन होता है। किसी मामले पर विचार होने के पश्चात् उसे पुनः एक वर्ष के बाद ही उठाया जा सकता है। निष्कर्षतः परिषद ऐसे मामलों से नहीं जुड़ती है जिसका लेना देना किसी एक विभाग से होता है। सामान्यतः राष्ट्रीय परिषद तभी मिल सकती है जबकि आवश्यकता हो पर फिर भी वह चार महीनों से पहले नहीं बैठती है। हालांकि यदि अध्यक्ष स्वयं ऐसा करना चाहे या दोनों पक्षों में से कोई एक पक्ष ऐसा करने का आग्रह करे तो एक विशेष बैठक का आयोजन किया जा सकता है। जहां तक बैठक की गणपूर्ति का सवाल है, वह सरकारी तथा कर्मचारी पक्षों की एक तिहाई उपस्थिति से तय की गई है। इसी परिवेश में राष्ट्रीय परिषद दो स्थाई समितियों की स्थापना भी करती है जो कि क्रमशः औद्योगिक तथा गैर-औद्योगिक कर्मचारियों से सम्बन्धित मामलों का समाधान करती है। परिषद चाहे तो वह किसी मामले को शीघ्र समाधान के लिए किसी स्थायी समिति को भी सौंप सकती है। परिषद तथा समितियां अपने सदस्यों में से उपसमितियां भी नियुक्त करती है जो कि अपने कार्यक्षेत्र में पढ़ने वाले किसी भी मामले का अध्ययन करती है तथा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।

सांझी (मिली-जुली) मंत्रणात्मक कार्यप्रणाली की योजनाओं की सफलता या असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि राष्ट्रीय परिषद अपनी भूमिकाएं कैसे निभाती है। राष्ट्रीय परिषद से यह उम्मीद की जाती है कि वह राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय सरकार के सभी कार्मिकों को प्रभावित करने वाले मामलों तथा उनकी सभी शिकायतों के समाधान के लिए न केवल एक कार्यप्रणाली विकसित करे अपितु वह उसका समाधान भी करे। स्मरणीय है कि वर्ष 1966 में जब से इस परिषद की स्थापना हुई है, तब से लेकर अब तक के कार्यकाल में इसको मिश्रित सफलताएं हासिल हुई हैं। प्रारंभिक काल में यह ज्यादा समझौते नहीं कर पायी, परिणामस्वरूप कार्मिक सितम्बर, 1968 में एक दिन की हड़ताल पर चले गए और उन्होंने शिकायत की कि सरकार का व्यवहार उपेक्षापूर्ण रहा है। इस हड़ताल के कारण अनेक कार्मिक संगठनों की मान्यता सरकार ने समाप्त कर दी। ऐसा कई वर्षों तक चलता रहा। इसी कारण राष्ट्रीय परिषद् लुन्ज-पुन्ज स्थिति में काम करती रही। यद्यपि राष्ट्रीय परिषद् अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिक सफल नहीं रही तथापि इसने कर्मचारियों की शिकायतों से निपटने वाली प्रभावशाली कार्यप्रणाली के रूप में भूमिका निभाई, तथा सरकार के साथ संघर्ष की मात्रा घटाई। हालांकि यह निश्चित है कि राष्ट्रीय परिषद् भविष्य में बने रहने वाली है क्योंकि उसने अपनी जड़े जमा ली है। यही कारण है कि उसने संयुक्त सलाह मशविरे तथा सहकारिता की व्यवस्था विकसित करने में सफलता हासिल की है।

20.5.2 विभागीय परिषदें

संयुक्त परामर्शदायी मशीनरी में प्रत्येक विभाग के लिए विभागीय परिषद् की व्यवस्था है। किन्तु एक ही मंत्रालय के अधीन दो या अधिक छोटे विभागों की एक परिषद की स्थापना भी की जा सकती है। जहां तक इन विभागीय परिषदों के कार्यक्षेत्र एवं कार्यों का सवाल है उसमें वे सभी मामले शामिल हैं जो कि सेवा-शर्तों तथा कर्मचारियों के कल्याण तथा कार्य स्तर एवं गुणवत्ता में सुधार या बढोतरी से सम्बन्धित होते हैं। हालांकि, जब भर्ती, पदोन्नति तथा अनुशासन के मामले उठते हैं तब इनकी भूमिका सामान्य सैद्धान्तिक चर्चा तक ही सीमित रहती है तथा व्यक्तिगत मामलों पर भी विचार नहीं किया जाता है। संक्षिप्त रूप में कहा जाये तो ये परिषदें मंत्रालय/विभाग में कार्यरत सभी कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करती हैं। तथा वे उनसे सम्बद्ध तथा अधीनस्थ विभागीय

कार्यालयों के मामले भी देखती है। विभागीय परिषद् का सम्बन्ध उन सब कर्मचारियों से होता है जो किसी मंत्रालय के विभाग और उसके अधीनस्थ कार्यालयों में कार्य करते हैं। इस संयुक्त मशीनरी की योजना के हिसाब से विभिन्न विभागों में 21 विभागीय परिषदें गठित की जानी चाहिए, लेकिन वास्तविकता यह है कि अभी तक लगभग 15 ही परिषदें बन पाई हैं। प्रारम्भ में एक कठिनाई तो यह आई कि अनेक मंत्रालयों में कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त संगठन नहीं थे, ऐसी स्थिति में विभागीय परिषदों के गठन के काम में काफी परेशानी आयी। जहां तक अधिकारिक प्रतिनिधित्व का सवाल है, वहां यह कार्य मंत्रालय का सचिव करता है। यह सरकारी प्रतिनिधि होता है और वही विभागीय परिषद् का अध्यक्ष होता है। सरकारी पक्ष में अधिक से अधिक 10 प्रतिनिधि शासन द्वारा मनोनित किये जाते हैं। कर्मचारी प्रतिनिधियों की संख्या 20 से लेकर 30 तक घटती बढ़ती रहती है तथा उनकी संख्या कर्मचारियों की कुल संख्या और विभाग की श्रेणियों और संख्याओं पर निर्भर होती है। कर्मचारियों के प्रतिनिधि 3 वर्ष के लिए कर्मचारी सभाओं द्वारा चुने जाते हैं। विभागीय परिषद् का कम से कम तीन या चार माह में एक अधिवेशन होना चाहिये। इन बैठकों की गणपूर्ति (कोरम) कर्मचारी तथा अधिकारी की कुल सदस्य संख्या का 1/3 होती है। यदि परिषद चाहे तो वे काम चलाऊ आधार पर कुछ समितियों की स्थापना कर सकती है।

20.5.3 क्षेत्रीय परिषदें

संयुक्त परामर्शदायी मशीनरी की योजना हर विभाग को क्षेत्रीय आधार पर परिषदें गठित करने की अनुमति देती है। क्षेत्रीय परिषदों का सम्बन्ध किसी क्षेत्र या स्थानीय मामलों से होता है और ये परिषदें अपने क्षेत्र में काम की परिषदों, कर्मचारियों की कल्याण क्षमता और काम के स्तर के विकास पर विचार करती हैं। इनकी सदस्य संख्या क्षेत्रीय कर्मचारियों की तादाद पर निर्भर करती है। यह योजना संविधान तथा परिषद के सदस्य संख्या के बारे में मौन है। वैसे भी इस दिशा में अधिक प्रगति नहीं हुई है, क्योंकि विभागीय अधिकारियों के विभागों में इस संदर्भ में अनेक शंकाएँ हैं। इनकी स्थापना तभी की जा सकती है, जबकि विभाग की संरचना की दृष्टि से संभव हो। क्षेत्रीय परिषद में 5 सदस्य सरकारी पक्ष के और 8 कर्मचारी पक्ष के होते हैं। कर्मचारीगण अपने में से एक व्यक्ति को सचिव नियुक्त करते हैं। स्मरणीय है कि ये विभिन्न स्तर एक दूसरे से पृथक होते हैं और उनमें कोई स्पष्ट सम्बन्ध नहीं है। पदसोपान की दृष्टि से ये एकीकृत संस्थान नहीं हैं और इनसे संसदीय शासन के प्रमुख सिद्धान्त मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व का अतिक्रमण नहीं होता है। क्षेत्रीय परिषदें दो महीने के अन्दर कम से कम एक बार मिलती हैं। गणपूर्ति एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति से होती है। यदि परिषद् किसी मुद्दे पर सहमत नहीं होती है तो वह मुद्दा सम्बन्धित विभागीय संस्था के विचार हेतु रखा जाता है। यह बात स्मरणीय रहे कि इस स्तर पर मध्यस्थता का विकल्प नहीं है। संयुक्त परामर्शदायी मशीनरी की योजना के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाए, क्योंकि वे योजना प्रभावों को नीचे तक पहुंचाते हैं, वे अधिकारी तथा कर्मचारी प्रतिनिधियों (दोनों) के लिए प्रशिक्षण क्षेत्रों में भूमिका निभाते हैं तथा वे इस योजना में अधीनस्थ स्तर के कर्मचारियों/अधिकारियों को भी जोड़ते हैं। हालांकि यह एक वास्तविकता है कि इन परिषदों की स्थापना में अधिक कामयाबी नहीं मिल पाई है, क्योंकि एक तरफ तो मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों का अभाव पाया जाता है तथा दूसरी और स्थानीय स्तर के अधिकारियों का व्यवहार भी असहयोग जनक रहता है।

20.6 मध्यस्थता मण्डल

दो पक्षों में मतभेद की स्थिति में संयुक्त परामर्शदायी मशीनरी तथा अनिवार्य मध्यस्थता की योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य मध्यस्थता की व्यवस्था की गई है। इस योजना के अनुच्छेद-19 के अन्तर्गत सरकार से एक मध्यस्थता मण्डल बनाने की अपेक्षा की गई है जिसमें एक अध्यक्ष जो कि एक स्वतंत्र व्यक्ति होता है एवं राष्ट्रीय परिषद् के सरकारी तथा कर्मचारी पक्षों द्वारा प्रस्तुत किये गये पांच-पांच व्यक्तियों के

पैनल से एक-एक व्यक्ति को लेते हुए दो अन्य सदस्य होते हैं। ध्यान रहे कि प्रथम मध्यस्थता मण्डल की स्थापना 1968 में ही हो गई थी। असहमति होने की स्थिति में ऐसे मुद्दे जो अनिवार्य पंचनिर्णय के अधीन नहीं सुलझते हैं, उन्हें कर्मचारियों द्वारा इसके लिए अनुरोध किये जाने पर तीन मंत्रियों की समिति के पास भेजा जा सकता है। पंचनिर्णय मण्डल के निर्णय दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी है, किन्तु इनको रद्द करने का अधिकार संसद के पास है। मध्यस्थता का क्षेत्राधिकार निम्नलिखित मामलों तक ही सीमित होता है- (1) वेतन तथा भत्ते (2) प्रति सप्ताह काम के घंटे (3) किसी वर्ग के कर्मचारियों की छुट्टी की सुविधाएं। मध्यस्थता किसी नीति सम्बन्धी विवाद के संदर्भ में ही संभव है। व्यक्तिगत मामलों में पंच फैसलों का प्रावधान नहीं है। राष्ट्रीय परिषद् की प्रथम तथा द्वितीय बैठकों में ही भारतीय सरकार ने कर्मचारियों की प्रमुख मांगों तथा जरूरत के मुताबिक कम से कम दिये जाने वाले वेतन को तय करना, मूल वेतन में महंगाई भत्ते को जोड़ना आदि को अनिवार्य मध्यस्थता हेतु पेश करने से मना कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि इस मुद्दे को लेकर कर्मचारीगण 16 सितम्बर, 1968 को हड़ताल पर चले गए। वैसे इनमें से अधिकांश मामले वेतन श्रृंखलाओं तथा भत्तों से सम्बन्धित थे और मण्डल ने ज्यादातर मामलों में कर्मचारियों का ही पक्ष लिया है। अंततः यही कहा जा सकता है कि भारत में अनिवार्य मध्यस्थता प्रणाली ने सरकार में मधुर कर्मचारी अधिकारी सम्बन्धों की स्थापना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

अभ्यास प्रश्न-

1. ब्रिटेन में व्हिटले परिषदों का प्रारम्भ कब हुआ?
2. भारत सरकार ने व्हिटले योजना की स्थापना का फैसला कब लिया?
3. कौन से वेतन आयोग ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए व्हिटले परिषद जैसी मशीनरी बनाने की शिफारिश की थी?
4. ब्रिटेन में व्हिटलेवाद की सफलता का मुख्य कारण क्या था?

20.7 सारांश

स्पष्ट है कि भारत में कार्मिक प्रशासन के क्षेत्र में नागरिक सेवा कर्मचारी सम्बन्धों का विषय दिन-प्रतिदिन महत्वपूर्ण होता जा रहा है। ब्रिटेन की तरह ही हमारे देश में भी वर्ष 1966 से संयुक्त परामर्शदायी मशीनरी तथा अनिवार्य मध्यस्थता की योजना लागू कर दी गई। यद्यपि इन दोनों में अनेक व्यवस्थागत तथा अन्य भेद पाये जाते हैं। हालांकि यह सत्य है कि भारत में संयुक्त परामर्श यंत्र का भविष्य सुनहरा है, बावजूद इसके उसको शुरूआत में ही कई गलतफहमियों तथा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। यह सही है कि संयुक्त परामर्श तथा मध्यस्थता की प्रणाली की प्रकृति तथा कार्यक्षेत्र की अनेक सीमाएं हैं। हालांकि हमारी सोच यह भी है कि यदि संयुक्त परामर्श के कार्यक्षेत्र को बढ़ा दिया जाए और प्रत्येक कर्मचारी को प्रशासन में भागीदारी करने का पूरा मौका दिया जाए, तो निश्चय ही उनका कार्मिक प्रशासन में योगदान तथा सहयोग अनेक गुणा बढ़ जाएगा।

20.8 शब्दावली

मध्यस्थता निर्णय (फैसला)- वह निर्णय जो कि मध्यस्थों द्वारा किया जाता है।

अनिवार्य मध्यस्थता- नियोक्ता-कर्मचारी विवादों को सुलझाने के लिए यह एक कार्यप्रणाली होती है जिसमें फैसला करने का काम एक तीसरा पक्ष करता है और जिसके फैसले सभी के लिए समान रूप से बाध्यकारी तथा सर्वोच्च होते हैं।

व्हिटले परिषदें- वर्ष 919 से ही ब्रिटेन में व्हिटले परिषदें पाई जाती हैं। इसमें दो अंग होते हैं, जहाँ पहला भाग नागरिक सेवा की सामान्य समस्याओं (राष्ट्रीय स्तर पर) से निपटता है, वहीं दूसरा भाग विभागीय स्तर पर कार्य करता है तथा जिला स्तर पर (जो पूरे देश में फैली है) भी कतिपय समितियाँ कार्य करती हैं।

सारत- इन परिषदों के गठन के पीछे मूल भावना यह थी कि कर्मचारीगण तथा अधिकारीगण आपसी विचार-विमर्श के जरिए किसी एक राय पर पहुँचे जिससे दोनों ही पक्षों को पूरी तरह से सन्तोष का अनुभव हो सके अर्थात् ये परिषदें एक ऐसे मंच की भूमिका निभाती हैं जिनके जरिए दोनों पक्ष एक जगह किसी मेज-कुर्सी के पास बैठकर एकमत से फैसला करती हैं।

20.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. सन् 1919 में, 2. सन् 1954 में, 3. द्वितीय वेतन आयोग ने, 4. कर्मचारी संघों तथा व्हिटले परिषदों के बीच निकट का संबंध

20.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. भास्करराव हैवी, 1978, इम्प्लॉयर- इम्प्लॉई रिलेशंस:- ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया एण्ड इट्स इम्प्लॉईस, कसेप्ट्य पब्लिशिंग कम्पनी, दिल्ली।
2. सक्सेना, प्रदीप 2012, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड मैनेजमेंट, प्रिंटवेल पब्लिशर्स, जयपुर।
3. डे. बाटा के. 1985, कॉफ्लिक्ट मैनेजमेण्ट इन गवर्नमेंट- जे.सी.एम., स्टार्ईला इण्डियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जुलाई-सितम्बर, 1985

20.11 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. भास्करराव हैवी, 1978, इम्प्लॉयर- इम्प्लॉई रिलेशंस:- ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया एण्ड इट्स इम्प्लॉईस, कसेप्ट्य पब्लिशिंग कम्पनी, दिल्ली।
2. सक्सेना, प्रदीप 2012, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड मैनेजमेंट, प्रिंटवेल पब्लिशर्स, जयपुर।
3. डे. बाटा के. 1985, कॉफ्लिक्ट मैनेजमेण्ट इन गवर्नमेंट- जे.सी.एम., स्टार्ईला इण्डियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जुलाई-सितम्बर, 1985

20.12 निबन्धात्मक प्रश्न

1. संयुक्त परामर्शदायी मशीनरी तथा अनिवार्य मध्यस्थता योजना की समालोचना प्रस्तुत कीजिये।
2. मध्यस्थता मण्डल के गठन पर प्रकाश डालिए।
3. संयुक्त परामर्शदायी मशीनरी की राष्ट्रीय परिषद् की भूमिका का परीक्षण कीजिये।
4. भारत सरकार में संयुक्त परामर्शदायी मशीनरी के विकास पर अपने विचार प्रकट कीजिये।
5. मधुर कर्मचारी सम्बन्धों की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए।
6. संयुक्त परामर्शदायी मशीनरी तथा अनिवार्य मध्यस्थता योजना की समालोचना प्रस्तुत कीजिए।
7. मध्यस्थता मण्डल के गठन पर प्रकाश डालिए।
8. संयुक्त परामर्शदायी मशीनरी की राष्ट्रीय परिषद् की भूमिका का परीक्षण कीजिये।

इकाई - 21 कार्मिक संघ

इकाई की संरचना

- 21.0 प्रस्तावना
- 21.1 उद्देश्य
- 21.2 कर्मचारी संघ की आवश्यकता
- 21.3 कर्मचारी संघों के उद्देश्य
- 21.4 कर्मचारी संघों का विकास
- 21.5 संघों तथा संस्थाओं के गठन का अधिकार
- 21.6 कर्मचारी संघों के प्रमुख कार्य
- 21.7 कर्मचारी संघों में भर्ती के अधिकार पर लगने वाले उपबन्ध (पाबन्दियाँ)
- 21.8 मान्यता देने की विधियाँ
- 21.9 सारांश
- 21.10 शब्दावली
- 21.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 21.12 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 21.13 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 21.14 निबन्धात्मक प्रश्न

21.0 प्रस्तावना

सार्वजनिक संघ में नियोक्ता-कर्मचारी सम्बन्ध व्यापक रूप से नागरिक सेवा के संघवाद के स्वरूप पर निर्भर करते हैं। आपसी सम्बन्धों में तालमेल तथा वैमनस्य सरकारी कर्मचारियों में संघवाद की सृष्टिता, तथा कमजोरियों और दर्शन पर निर्भर करता है। इसी भांति नागरिक-कर्मचारी के बीच सम्बन्ध की आपसी समस्याओं को सुलझाने में सरकारी नियोक्ता की बदलती हुई मनोदशा उसके तानाशाही या लोकतांत्रिक दृष्टिकोण द्वारा संचालित होती है। इस ईकाई में हम न केवल नागरिक सेवा संघवाद का ही अध्ययन करेंगे, अपितु कर्मचारी संघ के प्रमुख प्रकार्यों तथा कार्यकलापों की भी जाच पड़ताल करेंगे तथा कर्मचारी संघों के उद्भव तथा विकास पर भी प्रकाश डालेंगे।

21.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप-

- सामान्य रूप से नागरिक सेवाओं में संघवाद के उद्देश्यों को स्पष्ट कर सकेंगे।
- स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वतंत्रता के पश्चात् भारतवर्ष में कर्मचारी संघों के उद्भव तथा विकास को समझ सकेंगे।
- संघ बनाने के अधिकार से सम्बद्ध कतिपय पहलुओं को स्पष्ट कर सकेंगे।
- कर्मचारी संघों के प्रमुख कार्य तथा क्रियाकलापों की पहचान कर सकेंगे।
- संघों/संस्थाओं को मान्यता देने की विधियों की भी व्याख्या कर सकेंगे।

21.2 कर्मचारी संघ की आवश्यकता

बुनियादी सवाल यह है कि आखिरकार नागरिक सेवा कोई संगठन क्यों बनाते हैं तथा वे क्यों उसमें सहभागिता करते हैं? यह सवाल इसके गठन तथा कार्यप्रणाली को जानने से ज्यादा महत्व रखता है। वास्तव में ये संघ नागरिक

सेवकों एवं उनके समूहों की उपज होती है जिनके अनेक तथा बहुआयामी उद्देश्य होते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार, “कर्मचारी एवं नियुक्तिकर्ता के हित परस्पर भिन्न एवं एक-दूसरे के विरोधी होते हैं।” संगठन चाहे व्यक्तिगत हो या सार्वजनिक, दोनों में ही नियुक्तिकर्ता मुख्यतः यह चाहता है कि वह कर्मचारियों के वेतन, मनोरंजन, कल्याण, निवास स्थान, बालकों की शिक्षा आदि पर कम से कम व्यय करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करे। नियुक्तिकर्ता अपने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रभावशील और अधिक सफल होता है, क्योंकि उसके हाथ में आर्थिक शक्तियाँ होती हैं तथा वह राजनैतिक शक्ति का भी प्रयोग कर सकता है। दूसरी ओर कर्मचारी अपेक्षाकृत कमजोर स्थिति में होता है। यद्यपि उसके हित और लक्ष्य नियुक्तिकर्ता से भिन्न एवं विपरीत होते हैं, तथापि वह इन्हें प्राप्त करने के लिए उतनी शक्ति एवं बाध्यता का प्रयोग करने में असमर्थ रहता है। कर्मचारी वर्ग का मुख्य आकर्षण वेतन की मात्रा और सेवा से मिलने वाला सामाजिक सम्मान, आत्म गौरव एवं अन्य कल्याणकारी उपादान हैं। वह इन सबको अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त करना चाहता है। नियुक्तिकर्ता और कर्मचारी वर्ग के इन विरोधी हितों की पृष्ठभूमि में हितों के बीच सन्तुलन स्थापित करने के लिए कर्मचारियों को संघ और संस्थाओं का निर्माण करना होता है। पिगोर्स तथा मेयर्स के मतानुसार, संघवाद उन कर्मचारियों की बुनियादी आकांक्षाओं से उत्पन्न होता है जो कि मानसिक रूप से इस बात के लिए कि वे “ एकला चालों रे” की नीति की अपेक्षा संघ की सदस्यता के जरिए ही ज्यादा से ज्यादा हासिल कर सकते हैं।

सरकार भी श्रमिक संघ की सदस्यता इस आधार पर लेने के लिए प्रोत्साहित करती है कि वह प्रतिनिधि संस्थाओं के जरिए सेवा शर्तों के विषय में अपने सेवकों से ज्यादा अच्छी तरह समझौते कर सकती है तथा वे अच्छे कर्मचारी सम्बन्धों को भी बढ़ावा दे सकती हैं। साधारणतः (आमतौर) यह भी देखा गया है कि सरकार की सीमित दृष्टि तथा संरचना में सीमित वैचारिक आदान-प्रदान के कारण ही संगठन का विकास होता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि ये संगठन उस समाज के विश्वासी प्रतिनिधि होते हैं जिससे कि उनका उद्भव होता है। सारांशतः यह कहा जा सकता है कि ये संगठन दो प्रमुख भूमिका निभाते दिखाई देते हैं, एक तरफ ये अपने कर्मचारियों की भलाई तथा सुधार के लिए आवश्यक साधन जुटाने का एक प्रभावी साधन बनकर उभरते हैं, दूसरी तरफ इन्होंने सरकार पर भी दबाव डाला है कि वे इनसे निपटते समय उदार रहे।

वास्तविकता यह भी है कि नागरिक सेवकों को न तो हड़ताल करने का अधिकार दिया गया है न ही वे नागरिक सेवा नियमों के तहत किसी किस्म की राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक ऐसी मशीनरी बनाने के प्रावधान की मांग की जो कर्मचारियों की शिकायतों का समाधान कर सके। ये सरकारी मशीनरी उनकी शिकायत तथा कठिनाइयों को भलि-भांति सुन सकेगी। इसलिए उनको कर्मचारी संघ बनाना आवश्यक लगता है जिससे वे अपनी समस्याएं प्रभावी ढंग से रख सके। इन संघों में रहकर वे अपने आपको “एकला चालों रे” की नीति की अपेक्षा अधिक सुरक्षित, स्वाधीन तथा साहसी समझते हैं। कर्मचारी संघ ही नागरिक सेवकों को प्रशासनिक अधिकारियों के सामने अपनी दिन-प्रतिदिन की समस्याएं तथा शिकायतें उठाने में सहायक सिद्ध होते हैं, क्योंकि कर्मचारी प्रार्थना-पत्रों तथा याचिकाओं के माध्यम से अपनी कठिनाइयों तथा शिकायतों को सामने रखते हैं और फिर ये संघ प्रबन्धक वर्ग से अनौपचारिक वार्तालाप करते हैं। नागरिक सेवक भी इन संघों की सदस्यता अपनी सेवाओं में इसलिए लेते हैं कि बिना सामूहिक प्रतिनिधित्व के वे अपनी विशेष तथा अनेक प्रकार की जरूरतों की पूर्ति नहीं कर सकते अर्थात् संघों की सदस्यता से ही वे अपने हित साधन कर सकते हैं। इसका तात्पर्य है कि इससे उनकी चिन्ता तथा परेशानियों में कमी आएगी तथा उन्हें अच्छा जीवन यापन करने का अवसर मिलेगा जबकि संघीकरण का मूल कारण यह रहा है कि संघ लगातार पुनर्गठन तथा सुधार के शिकार होते रहे हैं। इसी को मध्यनजर रखते हुये कर्मचारियों की सुरक्षा तथा सेवाशर्तों में सुधार की बात भी उठाई गई इस संदर्भ में हम्प्रेज ने लिखा है कि, जैसे नागरिक सेवा की बदलती हुई भूमिकाओं तथा संरचना ने संघ के स्वरूप तथा लक्ष्यों

को निर्धारित किया है जो कि राज्य कर्मचारियों में विकसित हुए हैं, वैसे ही नागरिक सेवा की प्रकृति से भी इन संघों को मिली सफलता की मात्रा प्रभावित हुई हैं।

21.3 कर्मचारी संघों के उद्देश्य

कर्मचारी संघों ने प्रारम्भ से ही अपने को प्रशासन का एक हिस्सा माना है तथा वे राष्ट्रीय विकास के काम में पूर्ण सहभागिता निभाने का अवसर हासिल करने के लिए उत्सुक रहते हैं। इससे अभिप्राय यह है कि कर्मचारी संगठन एक ठोस तथा प्रगतिशील प्रशासन के लिए एक सकारात्मक कारण सिद्ध होते हैं। इन संगठनों की स्थापना के निम्नलिखित लक्ष्य होते हैं जो कि निम्नांकित हैं-

1. संघों एवं संस्थाओं के माध्यम से सरकारी कर्मचारी व्यवस्थापिका शाखा एवं प्रबन्ध के सम्मुख अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकते हैं। अनेक ऐसे विषय होते हैं जो केवल पर्यवेक्षकों एवं विभागाध्यक्षों की शक्ति के बाहर होते हैं। उनको सुलझाने के लिए उन्हें कर्मचारियों और उनके प्रतिनिधियों के साथ सहयोग करके चलना होगा।
2. संघ अथवा संस्था एक प्रकार से कर्मचारी का ही व्यापक व्यक्तित्व है। संघ जो कुछ करता है अथवा करने का प्रयत्न करता है वह सब कर्मचारी से धनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है। वास्तव में कर्मचारी और संस्था के बीच एकरूपता स्थापित हो जाती है और संस्था के माध्यम से कर्मचारी अपने व्यक्तिगत हितों की पूर्ति कर लेता है।
3. जब कभी सेवीवर्ग प्रबन्ध को एक विषय विशेष पर कर्मचारियों का मत जानने की आवश्यकता होती है तो वह उनके संघ या संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित करके ऐसा करता है। संघ अथवा संस्थाओं के अभाव में पर्यवेक्षकों एवं उच्चधिकारियों द्वारा स्पष्ट किया गया मत वस्तुतः मजदूरों का मत नहीं होता है।
4. स्वेच्छा पर आधारित कर्मचारी-संस्थाओं द्वारा सदस्यों की स्वाभाविक एवं सामाजिक महत्वाकांक्षाओं को पनपने के अवसर प्रदान किये जाते हैं। ये अवसर कर्मचारी को अपना एक जैसा कार्य करते रहने पर प्राप्त नहीं हो पाते। कोई भी कर्मचारी अपने पद के दायित्वों को पूरा करने मात्र से ही सन्तुष्ट नहीं हो जाता, वरन् उसके व्यक्तित्व के कुछ अन्य पहलू भी होते हैं, जिन्हें संतुलित करना उसका कर्तव्य है। संघों एवं संस्थाओं का सदस्य बनने के बाद कर्मचारी में स्वाभिमान विकसित होता है तथा उसमें अपने कार्य के प्रति सन्तोष की भावना जाग्रत होती है। कर्मचारी संघों द्वारा अपने सदस्यों में नेतृत्व के गुणों का विकास किया जा सकता है।

कर्मचारी, संघ सदस्यों में यह भावना भी जाग्रत करते हैं कि वे उसके माध्यम से अपने कतिपय व्यक्तिगत लक्ष्यों को भी हासिल कर सकते हैं, अर्थात् वे अपने लिये भी कुछ कर सकते हैं। इनके द्वारा कर्मचारियों को अपनी सहज सामाजिक आकांक्षाओं को प्रकट करने का भी अवसर मिलता है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि ये संघ अपने सदस्यों में योग्यता बढ़ाने, योग्यता पर आधारित व्यवस्था को सुरक्षित रखने तथा प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार करने की भूमिका निभाते रहे हैं।

21.4 कर्मचारी संघों का विकास

स्वतंत्रता से पूर्व जहाँ तक ब्रिटिश शासन का प्रश्न है उस काल में नागरिक सेवकों में जागरूकता नाममात्र की होती थी, क्योंकि उस समय प्रशासन में ब्रिटिश शासकों की अधिकाधिक हिस्सेदारी तथा जवाबदेही थी तथा जो भी भारतीय प्रशासन में भर्ती किये जाते थे, उनमें भी अपनी कोई संस्था बनाने में बहुत ही कम रुचि पाई जाती थी, और यदि उनमें कोई भावना पनपती भी थी तो वह जनता की भारत को स्वतंत्रता या स्वाधीनता दिलाने के आन्दोलन में धूमिल होकर रह जाती थी। वास्तविक रूप में भारत में कर्मचारी-संघों की स्थापना का इतिहास प्रथम

महायुद्ध के बाद से माना जाना चाहिए। सन् 1922 में रेल कर्मचारियों और डाक-विभाग के कर्मचारियों ने अपने संघ की विधिवत् स्थापना की जिन्हें क्रमशः रेल बोर्ड और डाक-तार विभाग महानिदेशक ने मान्यता प्रदान कर दी। इसके पश्चात् धीरे-धीरे व्यावसायिक संघों की संख्या बढ़ती चली गई और सन् 1946 तक कर्मचारी संघ बहुत अधिक मात्रा में हो गए और उनके कार्यकलापों को इतना महत्व दिया जाने लगा कि केन्द्रीय वेतन आयोग के प्रतिवेदन में बारह पृष्ठ कर्मचारी संघों के ही सम्बन्ध में थे। निश्चित रूप से प्रथम महायुद्ध से पहले भी यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों के कतिपय संगठन पाए जाते थे परन्तु उनके अस्तित्व का संघों के विकास में कोई खास अहमियत नहीं रही।

वैसे भी ब्रिटिश शासन काल के केन्द्रीयकृत प्रशासन में अधीनस्थ तथा मध्यम स्तर के नागरिक सेवकों अर्थात् कर्मचारियों को संगठित होने का अवसर नहीं मिला। पर जैसे ही देश ने 20 वीं सदी में प्रवेश किया, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन में आधुनिक संघों ने अपना एक विशिष्ट (विशेष) स्थान बना लिया। शनैः शनैः कर्मचारियों ने अपनी मांगों के लिए दबाव डालने हेतु संगठित होना शुरू कर दिया। मोटे तौर पर उन्हें उन मुद्दों पर सफलता मिली जिनपर जनता की सहानुभूति थी, पर ऐसी सहानुभूति मिलना भी कोई आसान काम नहीं था। प्रथम महायुद्ध के पश्चात् राजनीति तथा आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन आया। आंशिक रूप से इसमें महात्मा गांधी तथा उनके अनुयायियों द्वारा चलाए गए स्वाधीनता आंदोलन ने, तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (1919) की स्थापना ने भी इस देश में श्रमिक संघों तथा कर्मचारी संघों के विकास पर अपना प्रभाव डाला। इन्हीं भावनाओं की अभिव्यक्ति 1920 में तब हुई जबकि अखिल भारतीय श्रमिक संघ कांग्रेस की स्थापना की गई। इसके बाद 1926 में जो श्रमिक संघ अधिनियम बनाया गया उससे भी भारतवर्ष में कर्मचारी संघों के निर्माण में गति आई तथा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत 30वें दशक में अनेक प्रान्तों में लोकप्रिय सरकारों की स्थापना हुई, जिससे प्रान्तीय स्तर पर भी संघों के विकास की एक लहर उठी। इसी अधिनियम में ही राज्यों के राज्यपालों को यह जिम्मेदारी दी गई कि वे अपने कर्मचारियों के हितों तथा अधिकारों की रक्षा करेंगे। द्वितीय महायुद्ध (1939-45) के दौरान तो सरकार तथा कर्मचारियों के सम्बन्धों में भारी गिरावट आई। इसी कारण आर्थिक हालात तेजी से बिगड़ने लगे तथा जीवन यापन की वस्तुओं की दरें आसमान छूने लगी जिससे कर्मचारियों का जीना मुश्किल होने लगा। खासतौर पर (विशेष रूप से) अधीनस्थ स्तर के कर्मचारियों में काफी हाहाकार मचने लगा। परिणामस्वरूप रेलवे तथा डाक एवं तार विभागों के कर्मचारियों ने अपनी सेवा स्थिति को सुधारने का आन्दोलन चलाया तब भारत सरकार ने एक “वेतन आयोग” की स्थापना की जिसे वेतन, पेन्शन, सेवा शर्तें एवं सरकारी कर्मचारियों तथा ब्रिटिश साम्राज्य के मध्य समझौते की मशीनरी विकसित करने आदि के सभी पहलुओं पर अपनी सिफारिशें देने का दायित्व सौंपा गया। आयोग को यह जानकर भयंकर पीड़ा हुई कि “नागरिक सेवकों के विभिन्न स्तरों के मध्य घोर अविश्वास की भावना व्याप्त है, क्योंकि जब भी उन्होंने सरकार के सामने अपने ज्ञापनों के माध्यम से अपनी समस्याएँ रखी तब निराशा ही उनके हाथ लगी।” इसलिए उसमें विशेषरूप से यह सिफारिश कि प्रशासन को कर्मचारियों को संघ बनाने तथा उसे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस अनुशांसा से कर्मचारियों की संस्थाओं के संगठन तथा विकास के आन्दोलन को और अधिक बढ़ावा मिला।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् नागरिक सेवा के कर्मचारी संस्था बनाने के काम में अपने आपको गौरान्वित महसूस करने लगे। धीरे-धीरे तथा क्रमिक रूप से सभी वर्गों के नागरिक सेवक अपने आपको संस्थाओं के रूप में संगठित करने के उद्देश्य से आगे बढ़ने लगे। भारत सरकार ने भी इनकी महत्ता को अनुभव करते हुए इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु संविधान प्रारूप में एक ही धारा के माध्यम से व्यवस्था भी कर दी गयी इसी के परिणामस्वरूप 26 जनवरी, 1950 को लागू भारतीय संविधान में “संस्था तथा संघ बनाने के अधिकार का प्रावधान किया गया, बशर्ते उससे सार्वजनिक व्यवस्था अथवा नैतिकता के मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न न हो।” सारांशतः भारत के कर्मचारी संघों के विकास में यह अनुच्छेद एक “मील का पत्थर” सिद्ध हुआ। पूर्व में रेलवे तथा डाक एवं तार विभाग के अलावा

अन्य नागरिक सेवक असंगठित ही रहे तथा आयकर, लेखा विधि, सीमा शुल्क, नागरिक उड्डयन तथा सार्वजनिक निर्माण विभागों में जो संगठन थे वे भी कमजोर थे हालांकि वर्ष 1949 में आयकर कर्मचारियों का एक अखिल भारतीय संघ गठित किया गया, लेकिन उसे सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि इसके तत्कालीन अध्यक्ष (अशोक मेहता) आयकर विभाग के कर्मचारी नहीं थे। 1953 में इसे मान्यता प्रदान कर एक शक्तिशाली संगठन स्थापित किया गया जिसके अधीनस्थ लगभग 40 संस्थाएँ सम्बद्ध हैं। इसी तरह 1923 से लेखा विधि तथा परीक्षा विभाग के कर्मचारियों ने संगठित होना प्रारम्भ किया इस संघ को भी 1956 में मान्यता प्रदान कर 1959 में अमान्य घोषित कर दिया गया और एक लम्बे अंतराल के बाद इसे मान्यता प्रदान की गयी। इसी तरह डाक एवं तार विभाग (1947) में 27 संघ ऐसे थे, जिन्हें सरकार ने मान्यता प्रदान कर रखी थी। सरकार ने इन सभी को जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, ताकि सभी संघ मिलकर एक महासंघ की स्थापना कर सके। इसका परिणाम यह हुआ कि सभी गैर-राजपत्रित डाक-तार कर्मचारियों ने 1954 तक अपने आपको नौ अखिल भारतीय संस्थाओं में संगठित कर लिया।

1924 में अखिल भारतीय रेल कर्मचारियों के एक महासंघ की स्थापना की गई। यह संघ भारत के जाने माने शक्तिशाली कर्मचारी संघों में से एक रहा है। 1948 तक इसी संघ का बोलबाला बना रहा, क्योंकि यही एक मात्र मान्यता प्राप्त संगठन था। 1949 में भारत सरकार ने एक अन्य संगठन “इण्डियन नेशनल रेलवे वर्कर्स फ़ैडरेशन” को भी मान्यता दे दी। 1953 में इन दोनों संघों को मिलाकर एक महासंघ “नेशनल फ़ैडरेशन ऑफ़ इण्डियन रेलवे मैन” बनाया गया। इसके अलावा कर्मचारी सेवीवर्ग के अन्तर्गत अनेक अखिल भारतीय संगठन तथा स्टेप्शन मास्टर्स, गार्डों, दूर संचार कर्मचारियों, वाणिज्यिक लिपिकों तथा मंत्रिमंडलीय सेवकों के पृथक-पृथक संघ बनाए गये।

21.5 संघों तथा संस्थाओं के गठन का अधिकार

आस्ट्रेलिया तथा फ्रांस में नागरिक सेवकों को संस्था बनाने के अधिकार के साथ ही श्रमिक संघीय अधिकार भी मिले हुये है। जबकि कनाडा, भारतवर्ष, जर्मनी तथा ब्रिटेन में सार्वजनिक कर्मचारियों के संस्था बनाने के अधिकार पर अनेक उपबन्ध (पाबन्धियाँ) लगाए गये हैं। जर्मनी के नागरिक सेवक केवल उन्हीं संस्थाओं के सदस्य हो सकते हैं। जिनके उद्देश्य मौजूदा (विद्यमान) संवैधानिक व्यवस्था से मिलते हो अन्यथा वे उनके सदस्य नहीं हो सकते। भारतवर्ष में सभी नागरिकों को संस्था बनाने का प्रत्याभूत अधिकार दिया गया। अर्थात् नागरिक सेवकों को न केवल संस्था बनाने का अधिकार मिला हुआ है, अपितु वे अपनी इच्छानुसार किसी भी संस्था के सदस्य हो सकते हैं। परन्तु विद्यमान व्यवस्था में कर्मचारियों के संगठन को उनकी प्रगति तथा स्थिरीकरण के दौरान अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्हें जिस प्रमुख समस्या के लिए संघर्ष करना पड़ा, वह है संघ बनाने का अधिकार प्राप्त करना वास्तव में किसी भी संवैधानिक लोकतंत्र में संघ बनाने का अधिकार एक अपना विशेष स्थान रखता है। क्योंकि चाहे कोई भी व्यक्ति हो या संगठन वह बिना संघ बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त किये कोई भूमिका नहीं निभा सकता है। वैसे भी लोगों को अधिकांशतः अपनी एक विशेष पहचान तभी मिलती है, जबकि वे किसी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा व्यावसायिक प्रकार (किस्म) की सामूहिक गतिविधियों में अपनी हिस्सेदारी निभाते हो। इसलिए प्रत्येक सरकार की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि वह एक तरफ तो यह देखे कि जनता के संघ बनाने के अधिकार पर किसी भी तरह का कोई हमला नहीं हो, तथा दूसरी तरफ उसे स्वयं भी ऐसे कार्यों से बचकर चलना चाहिये जिससे कि जनता के इस प्रमुख अधिकार में कोई बाधाएँ उपस्थित होने की संभावना ना हो। इसलिए भारतीय संविधान की धारा- 19 (1) अन्तर्गत नागरिकों को संघ बनाने के अधिकार की स्वीकृति दी गई है। अतः यह स्वाभाविक है कि सरकारी कर्मचारीगण भी अपनी सेवा-शर्तों में सुधार के लिए संघ से जुड़ी हुई कार्यवाहियों का सहारा लें। इसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी सार्वजनिक कर्मचारियों को

संवैधानिक रूप से न केवल अपनी संस्थाएं बनाने की छूट दी गई है अपितु उन्हें बाहरी संगठनों के साथ जुड़ने की आजादी भी दी गई है।

21.6 कर्मचारी संघों के प्रमुख कार्य

कर्मचारी संघ मुख्य रूप से कर्मचारियों के वेतन एवं सेवा शर्तों में सुधार के लिए बनाये जाते हैं, किन्तु इसे संस्थाओं का एक मात्र लक्ष्य नहीं कहा जा सकता है। प्रायः उच्च श्रेणी की कर्मचारी संस्थाएं विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संचालित की जाती है जैसे आपसी सहयोग, अनुभव एवं विचारों का आदान-प्रदान, पारस्परिक सम्पर्क, अध्ययन द्वारा ज्ञान की वृद्धि एवं मनोरंजन के विभिन्न माध्यमों से कर्मचारियों के जीवन को उल्लास पूर्ण बनाना, आदि। इस प्रकार के संघ अपने सदस्यों में समूह की चेतना जाग्रत कर देते हैं। संघों द्वारा कर्मचारियों के सम्मान तथा गौरव में वृद्धि होती है। स्टॉल के मतानुसार इन संघों द्वारा जो कार्य सम्पन्न किये जाते हैं। उनको मुख्य रूप से निम्न पांच भागों में विभक्त किया जा सकता है- सामाजिक एवं मनोरंजनात्मक कार्य, सेवा एवं कल्याणकारी कार्य, शिक्षाप्रद एवं प्रचारात्मक कार्य, प्रशासकीय अधिकारियों के सम्मुख कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व और व्यवस्थापिका के सम्मुख कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व।

इसके अतिरिक्त कर्मचारी संघों द्वारा निम्न प्रमुख प्रकार्यों का निर्वाह भी किया जाता है-

1. ये कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करते हैं तथा शिकायतें प्रस्तुत करते हैं, सरकार के साथ समझौते करने के कामों से जुड़े रहते हैं।
2. वे ऐसे कदम उठाते हैं, जिससे उनके सदस्यों के सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक बढावे में सहायक हो।
3. ये अकादमीय मामलों को भी बढावा देते हैं यथा वे पत्र- पत्रिकाओं तथा अन्य सम्बन्धित साहित्य का प्रकाशन करते हैं।
4. ये संयुक्त सलाह परिषदों अथवा सामूहिक सौदेबाजी के आधार पर कर्मचारियों के सरकार के साथ होने वाले विवादों का समाधान करते हैं।
5. ये अपने सदस्यों को पूर्ण रूप से श्रमिक संघ के अधिकारों को दिलवाते हैं जिसमें आम चुनाव लड़ने का अधिकार भी शामिल होता है।

21.7 कर्मचारी संघों में भर्ती के अधिकार पर लगने वाले उपबन्ध (पाबन्दियाँ)

सरकार की यह नीति है कि स्वस्थ श्रमिक संघ आंदोलन को बढावा दिया जाए। इसलिए भारत श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 तथा भारतीय संविधान, 1950 ने कर्मचारियों को संघ बनाने की अनुमति दी। परन्तु सरकार द्वारा नागरिक सेवा नियमावली, 1955, 1957 एवं 1964 में किए गए संशोधनों के अनुसार संघ बनाने के अधिकार पर कुछ पाबन्दियाँ (उपबन्ध) भी लगायी गई हैं।

जहां तक भारतीय नागरिक सेवा नियमावली का सवाल है, उसके अनुसार सरकारी कर्मचारियों को यह अनुमति नहीं है कि वे सरकार की किसी भी नीति की आलोचना कर सकें, चाहे वे ऐसा समाचार-पत्र के माध्यम से सार्वजनिक वक्तव्य प्रसारित करके या अन्य विधि से जिससे सरकार की छवि बिगड़ने का खतरा हो अथवा जिससे आन्तरिक सरकारी इकाईयों तथा विदेशी सरकारों के सम्बन्ध में उलझन में पड़ने की संभावना हो। कर्मचारियों को ऐसे किसी भी जांच के सामने बिना किसी पूर्वानुमति के गवाही देने की मनाही है, जिसको उचित रूप से प्राधिकृत नहीं किया गया हो अर्थात् जिसकी नियुक्ति उसकी सरकार द्वारा नहीं की गई हो। इस उपबन्ध के उद्देश्य यह है कि नागरिक कर्मचारियों को राजनीतिक रूप से तटस्थ रखा जाए, जिससे वे सार्वजनिक विवादों से बचे रह सकें तथा नागरिक सेवक अपनी मौजूदा सरकार की निष्ठापूर्वक, बिना किसी दुविधा (रूकावट) के सेवा कर सकें। ब्रिटेन में

नागरिक सेवकों को सार्वजनिक महत्व के ऐसे गैर-राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय देने का अधिकार है। पर उन्हें भी ऐसी गतिविधियों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, जिनका सीधा सम्बन्ध राजनीतिक दलों की राजनीति से होता है। जबकि भारत वर्ष में नागरिक कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है। वे विशुद्ध साहित्यिक वैज्ञानिक अथवा सृजनात्मक प्रकृति के मुद्दों के अलावा अन्य किसी मुद्दे पर अपनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति नहीं कर सकते हैं। उनके किसी भी प्रकार के सम्पादन प्रकाशन पर जुड़ने पर भी रोक लगायी गई है। सारांशतः उन्हें किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति (प्रकाशन) की स्वतंत्रता से पूर्णतः वंचित कर दिया गया है।

आचरण व्यवहार नियमावली के अनुसार हमारे देश में किसी सरकारी कर्मचारी को ऐसी कोई सूचना का सीधे अथवा अन्य किसी तरीके से सम्प्रेषित करने का अधिकार नहीं है। अपवाद स्वरूप स्थिति में वह निर्धारित प्रपत्र पर ऐसी सूचना दे सकता है। जबकि 1923 के गोपनीय अधिनियम में यह व्यवस्था है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी, सरकारी सूचना का अनाधिकृत सम्प्रेषण नहीं करेगा, इसलिए उन कर्मचारियों के लिए सख्त से सख्त दण्ड देने की व्यवस्था की गई है जो कि अनाधिकृत रूप से देश के असमाजिक तत्वों अथवा अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति करने हेतु सरकारी सूचनाएँ हस्तान्तरित करते हैं। इसलिए नागरिक कर्मचारियों पर यह विशेष उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वे पूरी सावधानी से तथा जागरूक रहकर सरकारी सूचनाओं की रक्षा करें।

उल्लेखित नियम श्रमिकों को संघों के अधिकारों से वंचित कर देते हैं। इस तरह संस्था बनाने के अधिकार की उपादेयता मान्यता के अधिकार से जुड़ी हुई है। अतएव कर्मचारियों ने इन संहिता तथा मान्यता नियमों के खिलाफ अपना गंभीर विरोध प्रकट किया है।

21.8 मान्यता देने की विधियाँ (नियम)

इस प्रसंग में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि मान्यता मिलने तथा जारी रहने से संघ/संस्था को एक वैधानिक स्तर प्राप्त होता है, ताकि वे कर्मचारियों की शिकायतों नियोक्ताओं के समक्ष रखने, समझौता करने तथा सौदबाजी करने के कार्य को कर सकें। कहने का अभिप्राय यह है कि मान्यता मिलने पर वैधानिक रूप से संघीय कार्यवाही होने लगती है। ध्यान रहे कि भारतीय श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 के अंतर्गत नागरिक सेवकों या कर्मचारियों को नहीं लिया गया था। इस कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि नियोक्ता या नियोक्ता सभी संघों को अनिवार्य रूप से मान्यता प्रदान करें।

इन सभी सीमाओं तथा पाबन्दियों के बावजूद कर्मचारी संगठन ने 1920 के दशक में समय-समय पर अनेक मुद्दे उठाए। बाद में बढ़ते हुए असंतोष को दबाने तथा प्रत्यक्ष कार्यवाही की धमकी से निपटने के लिए सरकार ने केन्द्रीय नागरिक सेवाएं (संहिता) नियमावली, 1955 बनाई, जिसे 1964 में संशोधित किया गया। जबकि 1959 में एक नवीन केन्द्रीय नागरिक सेवा (सेवा संस्थाओं को मान्यता देने के बारे में) नियमावली, 1959 बनाई गई जो भारतीय संविधान की धारा- 309 तथा धारा- 148 के अंतर्गत है। इस नियमावली में मान्यता देने के कतिपय अग्रांकित शर्तें निर्धारित की गई-

- ऐसा कोई भी व्यक्ति संस्था की गतिविधियों से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए जो कि सरकारी कर्मचारी नहीं हो।
- संस्था की कार्यकारिणी उन्हीं लोगों में से नियुक्त की जानी चाहिए जो कि उसके वैध सदस्य हों।
- संस्था ऐसी किसी मांग का समर्थन नहीं करेगी या अन्य कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करेगी, जिसका संबंध किन्हीं व्यक्तिगत सेवकों से हो, तथा

● यह न तो किसी प्रकार का कोई राजनीतिक कोष रखेगी न ही यह किसी राजनीतिक दल अथवा राजनेता के विचारों को प्रचार-प्रसार का मंच ही प्रदान करेगी।
इसी भांति श्रम मंत्रालय ने भी औद्योगिक श्रमिकों के संघों को मान्यता देने के अपने पृथक नियम बनाए हैं। इन कानूनों के अनुसार-

- संघ की सदस्यता उन्हीं श्रमिकों तक सीमित होनी चाहिए, जो कि उसी उद्योग या जुड़े हुए अथवा एक-दूसरे से संबंधित उद्योग में कार्य करते हों,
- संघ में उसी उद्योग में कार्यरत सभी श्रमिकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तथा किसी भी श्रेणी के श्रमिकों को इससे वंचित नहीं किया जाना चाहिए,
- संघ का पंजीकरण श्रमिक संघ विधि के अन्तर्गत किया जाना चाहिए, तथा
- संघ के अपने विधान में ऐसे प्रावधान होने चाहिए जिनमें उद्योग में हड़ताल आदि घोषित करने की कार्यविधि सुपरिभाषित की गई हो।

रेलवे मंत्रालय ने भी गैर-राजपत्रित कर्मचारियों की संस्थाओं को मान्यता देने के अपने नियम बनाए हैं, फिर भी ये मूलतः श्रम मंत्रालय के नियमों से भिन्न नहीं हैं। रेलवे तथा श्रम मंत्रालय दोनों के ही नियमों अनुसार मान्यता देने तथा उसे जारी रखने के काम में सरकार के हाथों में काफी विवेकाधिकार प्रदान किये गये हैं। जहां तक गृह मंत्रालय के मान्यता देने के नियमों (1959) का सवाल है, उनमें यह प्रावधान है कि जब तक विशिष्ट शर्तों की पूर्ति नहीं हो जाती तब तक मान्यता नहीं प्रदान की जायेगी। अपवाद स्वरूप उन नागरिक सेवकों के मामले को लिया जाता है जो कि 1959 में बने हुए मान्यता नियमों से निदेशित होते हैं। वैसे भी श्रम तथा रेल मंत्रालय दोनों के ही नियम संघ की कार्यकारिणी में कतिपय 'बाहरी' लोगों को लेने का प्रावधान करते हैं। तदापि याद रखने की बात यह है कि नागरिक सेवा संस्थाओं में उन्हीं लोगों को भाग लेने की अनुमति दी जाती है जो कि पूर्व तथा सेवानिवृत्त कर्मचारी होते हैं।

1959 में बनाये गये मान्यता सम्बन्धित नियमों में श्रमिक संघों की मुक्त गतिविधियों पर पाबन्दियां लगाई गई हैं। इनके अनुसार जिन संस्थाओं को मान्यता प्रदान नहीं की गई है उनको अपने सभी सदस्यों तथा पदाधिकारियों की सूची मंत्रालय को पेश करनी होती है तथा जिसमें 15 प्रतिशत सरकारी कर्मचारी सदस्यों की एक विशिष्ट श्रेणी होनी चाहिए।

सारांशतः नियम अत्यन्त कठोर थे तथा उनमें ढील दिये जाने की मांगें रखी जाती रहीं। दीर्घकाल तक सरकार ने मान्यता के विषय में किसी स्पष्ट नीति पर अमल नहीं किया। मतलब यह है कि संघों को मान्यता लेने के लिए संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि हर मंत्रालय के मान्यता देने के नियम अलग-अलग तथा मनमाने थे।

अभ्यास प्रश्न-

1. "कर्मचारी और नियुक्तिकर्ता के हित परस्पर भिन्न एवं एक-दूसरे के विरोधी होते हैं।" यह कथन किसका है?
2. भारत में कर्मचारी संघों की स्थापना का इतिहास कब से प्रारम्भ होता है?
3. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई?
4. "अखिल भारतीय श्रमिक संघ कांग्रेस" की स्थापना कब हुई?
5. "इण्डियन नेशनल रेलवे वर्कर्स फ़ेडरेशन" को भारत सरकार ने कब मान्यता दी?
6. किन दो संघों को मिलाकर एक महासंघ "नेशनल फ़ेडरेशन ऑफ़ इण्डियन रेलवे मैन्स" बनाया गया।
7. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अन्तर्गत नागरिकों को संघ बनाने का अधिकार दिया गया है?

21.9 सारांश

सार्वजनिक कर्मचारियों ने अनेक देशों में अपने संघ बनाने के अधिकार की मांग की है यद्यपि एक तरफ सार्वजनिक कर्मचारी संगठनों में भिन्नता पाई जाती है तो दूसरी तरफ संघों तथा उनकी सरकारों में पाये जाने वाले औपचारिक सम्बन्धों की प्रकृति को भी लेकर काफी मदभेद पाये जाते हैं। पर संघों का मूलभूत लक्ष्य तो यही होता है कि सेवा शर्तों को लेकर कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करवाया जाये, इसके लिए उन्हें सामूहिक विचार विमर्ष का सहारा लेना पड़े या सामूहिक सौदे बाजी ही करनी पड़े तथा जरूरत पड़े तो प्रत्यक्ष (सीधी) कार्यवाही का सहारा लेना पड़े। अपने हितों की रक्षा के लिये ही उन्होंने संस्था बनाने का अधिकार, मान्यता का अधिकार, प्रतिनिधित्व का अधिकार तथा सदस्यता प्रदान करने का अधिकार आदि की मांग की हैं ताकि संस्था बनाने का काम बिना रूकावट चल सके। वे लोकतांत्रिक पद्धति से ही विवादों का हल ढूढ़ना पसन्द करते हैं। इसके लिए ना केवल अपने आपको प्रशासन का अंग मानते हैं, वरन् वे प्रशासन में पूर्ण सहभागिता के अवसर सुलभ कराने की भी मांग करते हैं। यह भी सम्भव है कि वे तत्कालीन कार्यालय के भीतर ही बेहतर सेवा शते हासिल करने के लिए तुरन्त संघर्ष पर उतारू हो जाये तथा सार्वजनिक मामलों में सहभागिता (हिस्सदारी) निभाने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सहारे अपनी भावनाओं को उजागर करें। लेकिन अन्ततः उनका लक्ष्य यही होता है कि जहां तक सम्भव हो सके शान्तिपूर्ण तरीके से कर्मचारियों तथा सरकार के सम्बन्धों को सौहार्द्ध पूर्ण बनाया जा सके ताकि उनके विवाद को आपसी समझदारी से निपटारें जा सकें। सारांशतः संस्था या संघ का उद्देश्य एक ऐसा भाई सौहार्द्ध पूर्ण वातावरण बनाना होता है, जिससे प्रशासन में कुशलता बढ़ सकें, गुणवत्ता या योग्यता की रक्षा हो सके तथा कार्यालय की प्रभावशीलता भी कायम रह सके।

21.10 शब्दावली

आचरण संहिता- सरकारी कर्मचारियों के आचरण के नियमन संचालन के लिए आचरण संहिता होती है जो कि उनके व्यवहार, कार्यविधि को निदेशित करती है।

मान्यता नियम- नागरिक सेवा में यह निर्णयन विधि का एक ऐसा वक्तव्य होता है, जिसके अनुसार संगठनात्मक नीतियों तथा आयोजनों को व्यवहार में लाया जाता है

मान्यता पाने का अधिकार- इस शब्द का अर्थ है कि एक नियोजक अपने कर्मचारियों से समझौता या लेन-देन करने के लिए अपने अधिकारियों (एजेन्ट्स) को कैसे स्वीकार करता है अर्थात् नियोक्ता अपने अधीन किस प्रकार के संघ को समझौता करने के लिए स्वीकार करता है।

21.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. कार्ल मार्क्स, 2. सन् 1922, 3. सन् 1919, 4. सन् 1920, 5. सन् 1949, 6. अखिल भारतीय रेल कर्मचारी महासंघ और इण्डियन नेशनल रेलवे वर्कर्स फ़ेडरेशन, 7. अनुच्छेद- 19(1)

21.12 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. महेश कुमार, ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इण्डियन रेलवेज, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ, 1990
2. सिंह, आर.सी., इण्डियन पोस्ट एण्ड टेलिग्राफ इम्प्लॉईज् मूवमेन्ट, इण्डियन इन्टरनेशनल पब्लिकेशन, इलाहाबाद, 1974
3. भास्करराव वी., एम्प्लॉयर- एम्प्लॉई रिलेशन्स, कॉन्सेप्ट, नई दिल्ली, 1978
4. ग्लेन स्टाइल, ओ, पब्लिक-पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, हारपर एण्ड ब्रदर्स, न्यूयॉर्क।

5. अग्रवाल, अर्जुन पी., फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन इन पब्लिक एम्प्लायमेन्ट, जर्नल ऑफ इन्डियन लॉ इन्स्टीट्यूट, जनवरी-मार्च 1972, नई दिल्ली।
6. विश्वनाथ सिंह, पोलिटिकल राईट्स ऑफ सिविल सर्वेन्ट्स इन इण्डिया, इण्डियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, खण्ड संख्या 2, 1964।
7. हेनरी पेरिस, सिविल सर्विस स्टाफ रिलेशन्स, एलन एण्ड उनविन, लण्डन, 1973
8. जेय एम.शेफ्रिट, वाल्टर एल. बाक, अलबर्ट सी. हाइड तथा डेविड एच. शेजन ब्लूम, पर्सनल मैनेजमेन्ट इन गवर्नमेन्ट पोलिटिक्स ऐण्ड प्रॉसिस, मार्सल डैक्कर, न्यूयॉर्क, 1978
9. त्यागी, ए.आर., राईट्स ऐण्ड ऑबलिगेशन्स ऑफ सिविल सर्वेन्ट्स इन इण्डिया, आत्माराम एण्ड संस, दिल्ली, 1961

21.13 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. विश्वनाथ सिंह, पोलिटिकल राईट्स ऑफ सिविल सर्वेन्ट्स इन इण्डिया, इण्डियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, खण्ड संख्या 2, 1964।
2. जेय एम.शेफ्रिट, वाल्टर एल. बाक, अलबर्ट सी. हाइड तथा डेविड एच. शेजन ब्लूम, पर्सनल मैनेजमेन्ट इन गवर्नमेन्ट पोलिटिक्स ऐण्ड प्रॉसिस, मार्सल डैक्कर, न्यूयॉर्क, 1978
3. त्यागी, ए.आर., राईट्स ऐण्ड ऑबलिगेशन्स ऑफ सिविल सर्वेन्ट्स इन इण्डिया, आत्माराम एण्ड संस, दिल्ली, 1961

21.14 निबन्धात्मक प्रश्न

1. उन कारणों पर प्रकाश डालिए जिनके कारण नागरिक सेवकों को एक संघ की आवश्यकता पड़ती है।
2. कर्मचारी संघों के उद्देश्यों का विश्लेषण कीजिये।
3. स्वतंत्रता के पश्चात कर्मचारी संघों के विकास पर प्रकाश डालिए।
4. कर्मचारी संघों के प्रमुख कार्यों तथा गतिविधियों की विवेचना कीजिए।

इकाई- 22 अभिप्रेरण एवं नैतिकता

इकाई की संरचना

- 22.0 प्रस्तावना
- 22.1 उद्देश्य
- 22.2 अभिप्रेरण का अर्थ एवं परिभाषाएं
- 22.3 अभिप्रेरण के उद्देश्य
- 22.4 अभिप्रेरण की आवश्यकता एवं महत्व
- 22.5 अभिप्रेरण के प्रकार
- 22.6 कार्यकुशलता वृद्धि के अभिप्रेरक
- 22.7 प्रशासनिक नैतिकता का अर्थ एवं परिभाषा
- 22.8 नैतिकता का जन्म विकास
- 22.9 भारत में स्थिति
- 22.10 प्रशासनिक नैतिकता का सुनिश्चित करने का
- 22.11 प्रशासनिक नैतिकता का महत्व
- 22.12 प्रशासनिक नैतिकता के कारक
- 22.13 नैतिकता सुदृढ़ करने के उपाय
- 22.14 सारांश
- 22.15 शब्दावली
- 22.16 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 22.17 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 22.18 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 22.19 निबन्धात्मक प्रश्न

22.0 प्रस्तावना

मानव अनुभव तथा अनुसंधानों से सिद्ध इससे अधिक सत्य बात और कोई नहीं है कि मनुष्य की निरन्तर उपस्थिति एवं चेतनशीलता के पीछे कर्म ही जीवन रक्त हैं। किसी व्यक्ति के लिये कार्य करना या कार्य करने की इच्छा करना उतना ही स्वाभाविक है, जितना कि उसे आराम करने की इच्छा होना। मनुष्य प्रकृति से अकर्मण्य नहीं है। एक व्यक्ति के कार्य करने या नहीं करने के अभिप्रेरण के पीछे उसके मन में उठे आन्तरिक चालन बल (अभिप्रेरण) उत्तरदायी है। किसी भी संगठनात्मक व्यवस्था में मानवीय व्यवहार की समस्या मौलिक एवं महत्वपूर्ण है। संगठनात्मक अधिकारियों के लिए यह एक बेहद कठिन मामला है कि वे अपने कर्मचारियों को किस प्रकार संगठन की आवश्यकता के अनुकूल व्यवहार करने के लिये प्रेरित करें। आज के व्यवसाय स्वामियों एवं प्रबन्धकों की शिकायत है कि हम अपने कर्मचारियों को अच्छा वेतन, अच्छी कार्य की दशाएं एवं सुविधाएं देते हैं, फिर भी उनसे अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते हैं। अर्थात् मानव जो कुछ प्राप्त कर रहा है, उससे वह कुछ अधिक प्राप्त करने की इच्छा रखता है। चूंकि व्यक्ति स्वयं को कभी भी अपने मूल्यों, विचारों, दृष्टिकोणों एवं व्यक्तिगत आवश्यकताओं से परे नहीं रख सकता। अतः केवल संगठन में नौकरी-पेशा करने के विचार से इन बातों में परिवर्तन एकात्मक नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से वे अपनी स्वतंत्रताओं का विभिन्न प्रकार के समूह एवं संगठनों की सदस्यता ग्रहण करने से हनन या त्याग करते हैं। अतः उनके स्वैच्छिक व्यवहार को संगठन के सामान्य

इच्छित हित में परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है। वांछनीय व्यवहार के प्रभाव के अन्तर्गत व्यक्ति उत्तरदायित्व ग्रहण करता है, तथा संगठन के प्रति समग्र भाव से अपनी वफादारी एवं सम्बद्धता की भावना प्रदर्शित करता है। स्वैच्छिक व्यवहार को वांछनीय व्यवहार से परिवर्तित करने की विभिन्न विधियां मनोवैज्ञानिकों ने विकसित की हैं।

मानव व्यवहार के वैज्ञानिक ज्ञान के विकास के कारण शायद मानवीय अभिप्रेरण के अतिरिक्त कार्मिक प्रशासन का अन्य कोई क्षेत्र इतना विवादस्पद एवं चर्चित नहीं रहा है। मानवीय व्यवहार को भली भांति समझने में व्यवहारवादी दृष्टिकोण के आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कार्मिक प्रशासन के प्रारंभिक युग में जिसमें की कार्यकुशलता विशेषज्ञता से भिन्न थी, कार्यकुशलता की निरन्तर वृद्धि की समस्या को यांत्रिक उपागम के बजाय मानवीय समस्या ही समझा जाता था। अतः कार्मिक व्यवस्था में कर्मचारियों के व्यवहार एवं मनोदशा पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। सामान्यतः इतिहास में सभी प्रकार की जातियों एवं कार्मिकों में काम करने के पीछे जो शक्ति देखने को मिलती है वह मनुष्य की कुछ प्राप्त करने या उपलब्धि हासिल करने की आन्तरिक ललक तथा बाह्य चुनौतियों के प्रति उसकी प्रतिक्रिया का संयुक्त परिणाम है। ऐसा महसूस किया गया है कि कोई व्यक्ति स्वयं के बारे में जैसा मन में विश्वास रखता है उसका उसके व्यवहार पर भारी प्रभाव पड़ता है। किसी व्यक्ति को समझने के लिये यह जानना आवश्यक है कि वह क्या सोचता है या उसके विचार क्या है? उसके क्या मूल्य एवं मान्यताएं हैं, उसके उद्देश्य क्या हैं तथा इसके साथ ही उसकी मूल शारीरिक एवं सामाजिक आवश्यकताएं कैसे पूरी होती हैं और उसमें क्या गुण व योग्यताएं हैं? अतः मन का चलन एवं अभिप्रेरण अत्यन्त महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही प्रशासनिक कार्यों के संगठन एवं नियोजन के लिये मुख्य आधार है। किसी संगठन के कार्मिक विभाग को मनोबल के उच्च स्तर को बनाये रखने के लिये नियोजन के लिये पर्याप्त समय देकर प्रयास जारी रखने चाहिये चूंकि यह संगठन में उत्पन्न होने वाली कुछ समस्याओं जैसे कर्मचारियों का संगठन के लक्ष्यों से अलगाव महसूस करना, उनकी योग्यताओं एवं क्षमताओं का उपयुक्त उपयोग ना कर पाना तथा कर्तव्य निर्वाह करते समय कर्मचारियों के मन में असंतोष की भावना का महसूस होना आदि के लिये एक मात्र समाधान है। इसलिए संगठन के प्रभावशील संचालन के लिए अभिप्रेरण का विकास एक सत्त प्रक्रिया होनी चाहिए।

प्रभावी प्रबन्ध अधिकांशतः संगठनात्मक कार्यों के सम्पादन में उत्साह के लिए कर्मचारियों के कार्य करने की इच्छा व ललक पर निर्भर करता है। संगठन का सफल संचालन इसके कर्मचारियों की इच्छाओं एवं योग्यताओं को प्राप्त करने में प्रयुक्त तकनीकों पर निर्भर करता है, क्योंकि मानवीय उपलब्धियों व कार्य निष्पादित, मनोबल के स्तर, तथा व्यवहार अभिप्रेरण एवं योग्यता की अन्तःक्रिया से निर्धारित होता है। नीतियों एवं तकनीकों से अभिप्रेरण तथा नैतिकता में सुधार होगा तथा कार्य अनुभव को अधिक महत्व मिलेगा।

संगठन से किसी व्यक्ति के अभिप्रेरण एवं नैतिकता के महत्व के संदर्भ में हम इस इकाई के अन्तर्गत इन पहलुओं के अर्थ की व्याख्या करेंगे, जिससे सम्बन्धित अवधारणाओं को समझने में आगे सहायता मिलेगी। इस इकाई के अन्तर्गत अभिप्रेरण के उद्देश्यों, इसके प्रकारों आदि पर भी प्रकाश डाला जायेगा।

हम अभिप्रेरण को प्रभावित करने वाले कारकों तथा कर्मचारियों में नैतिकता के उच्च स्तरीय विकास के लिए भावी नीतियों एवं कार्यक्रमों की विवेचना करेंगे। साथ ही अभिप्रेरण बनाये रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तकनीकों तथा व्यवहारिक नैतिकता की विधियों का भी विश्लेषण करेंगे।

22.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने कम उपरान्त आप-

- एक संगठन में मानवीय तत्व का महत्व समझ सकेंगे जो संगठन भी समग्र उत्पादकता पर महत्व पूर्ण प्रभाव रखता है।
- मानवीय सम्बन्धों के दृष्टिकोण से मनोवैज्ञानिकों तथा व्यवहार वैज्ञानिकों के निष्कर्षों को बता सकेंगे।
- यह जान सकेंगे कि अभिप्रेरण तथा नैतिकता प्रबन्ध की नीतियों एवं व्यवहारों के परिणामस्वरूप बनते हैं।
- अभिप्रेरण एवं नैतिकता के अर्थ को उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों के साथ स्पष्ट कर सकेंगे।
- संगठनात्मक कार्यकुशलता को नियमित एवं नियंत्रित करने वाले विभिन्न प्रकार के अभिप्रेरण एवं नैतिकता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, तथा।
- व्यवहारिक अभिप्रेरणात्मक प्रणालियों के माध्यम से नैतिकता सशक्त करने वाले कुछ महत्व पूर्ण उपायों का विश्लेषण कर सकेंगे।

22.2 अभिप्रेरण का अर्थ एवं परिभाषाएं

आज के व्यवसाय स्वामियों एवं प्रबन्धकों की शिकायत है कि हम अपने कर्मचारियों को अच्छा वेतन, अच्छी कार्य की दशाएं एवं सुविधाएं देते हैं, फिर भी उनसे अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते हैं। अर्थात् मानव जो कुछ प्राप्त कर रहा है, उससे वह कुछ अधिक प्राप्त करने की इच्छा रखता है। सामान्यतः अभिप्रेरण एक ऐसी शक्ति अथवा इच्छा है जो व्यक्तियों की इच्छा को इस प्रकार बना देती है कि वह कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाए। किन्तु प्रबन्ध के युग में मानव शक्ति के व्यवहार को निर्देशित करने एवं उसका सहयोग प्राप्त करने की कला को अभिप्रेरण कहा जाता है। अभिप्रेरण लेटिन शब्द “इमोवियर” जिसका अर्थ आगे चलना या बढ़ना है, से बना है। अभिप्रेरण उन शक्तियों के प्रारम्भ एवं संचालन के जटिल योग का नाम है जो किसी व्यक्ति को संगठन में कार्य करने के लिये प्रेरित करता है। अभिप्रेरण, इस प्रकार एक ऐसी क्रिया है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए एवं पहले से शुरू किये गये कार्य के पूरा होने तक करते रहने के लिये आगे बढ़ते रहने का साहस प्रदान करता है। अन्य शब्दों में, अभिप्रेरण का अर्थ संवेगों, उद्देश्यों, इच्छाओं, आकांक्षाओं, प्रयासों की सहायता से मानवीय व्यवहार को समझने, निर्देशित एवं नियंत्रित करने से है। अभिप्रेरण के अर्थ को निम्न परिभाषाओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।

हैराल्ड एफ. गॉर्टनर के अनुसार, “अभिप्रेरण मनुष्य के व्यवहार को समझने का उद्देश्यपूर्ण तथा उपयोगी माध्यम है। मनुष्य की आवश्यकताओं (Needs) चालक (Drive) तथा लक्ष्यों (Goals) के बीच अन्तर्सम्बन्ध ही अभिप्रेरण है।” डेल एस. बीच के शब्दों में, “अभिप्रेरण को एक लक्ष्य या पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए शक्तिखर्च करने की इच्छा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।” स्टेनले वेन्स के अनुसार, “कोई भी भावना या आवश्यकता जो व्यक्ति की इच्छा को इस प्रकार प्रभावित करती है कि वह कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाए, अभिप्रेरण कहलाती है।” डाल्टन ई. मैक्फरलैण्ड के अनुसार, “अभिप्रेरण की धारणा मूलतः मनोवैज्ञानिक है। इसका सम्बन्ध किसी कर्मचारी अथवा अधीनस्थ में कार्य कर रही उन शक्तियों से है जो उसे किसी कार्य को विधिवत करने अथवा न करने के लिए प्रेरित करती हैं।”

इस प्रकार अभिप्रेरण एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, जिसका सम्बन्ध व्यक्तिगत कर्मचारी में कार्य कर रही उन शक्तियों से है जो उसे किसी कार्य को किसी ढंग से करने अथवा न करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह परिभाषित लक्ष्य को इच्छित तरीके से प्राप्त करने के पीछे आगे बढ़ने की भावना को प्रतिबिंबित करती है। जब कर्मचारी की आवश्यकताओं की उपयुक्त प्रतिपूर्ति एवं पारितोष द्वारा संतुष्टि हो जाती है, तो उस व्यवस्था को अभिप्रेरण कह सकते हैं। संस्थागत लक्ष्यों को प्राप्त करने के पीछे इच्छाओं को जागृत करना आवश्यकताओं, आकांक्षाओं एवं अभिप्रेरण से जुड़ा हुआ है। आवश्यकता के अभाव में प्रेरण नहीं हो सकता तथा कर्मचारियों को

प्रेरित करने में सर्वाधिक बड़ी समस्याओं में से एक यह कि प्रत्येक कर्मचारी की एक जैसी आवश्यकताएं नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त अभिप्रेरण संगठन के अन्दर तथा बाहर स्थित बहुत से कारकों से प्रभावित होते हैं। अभिप्रेरण व्यक्तिगत लक्ष्यों का संस्थागत लक्ष्यों के साथ साम्य एवं समन्वय की आवश्यकता पर जोर देता है।

22.3 अभिप्रेरण के उद्देश्य

मनोवैज्ञानिकों एवं समाजशास्त्रियों द्वारा अभिप्रेरण के निर्धारित उद्देश्य मानवीय व्यवहार से सम्बन्धित दो मौलिक प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम हैं-

- कोई व्यक्ति काम करने के लिए क्यों प्रेरित होता है?
- उसकी गतिविधियों की दिशा कौन निर्धारित करता है?

हम कुछ प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों एवं समाजशास्त्रियों के विचारों की व्याख्या करेंगे, जिन्होंने मानवीय व्यवहार का विभिन्न संदर्भों में मूल्यांकन किया है-

अब्राहम मैस्लो ने यह देखा कि अभिप्रेरण का उद्देश्य हमेशा एक व्यक्ति के लिए आवश्यकता उत्पन्न करना है। यह ठीक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जब निम्न स्तरीय आवश्यकताओं की पूर्ति को जाती है तो उससे उपर के स्तर की आवश्यकताएं धीरे-धीरे फिर सामने आ जाती हैं। अर्थात् जब एक व्यक्ति एक चीज से संतुष्ट हो जाता है तो दूसरी चीज स्वतः ही उसकी आवश्यकता बन जाती है। फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने महसूस किया कि अभिप्रेरण का महत्वपूर्ण उद्देश्य किसी व्यक्ति को उसके काम में दक्ष होने का अवसर देना है, जिससे वह और अधिक चुनौती भरे कार्य पूरे कर सके, वह स्वयं अपने कार्यों पर नियंत्रण करे न कि किसी के द्वारा नियंत्रण हो। डाल्टन ई. मैक्फरलैण्ड के अनुसार अभिप्रेरण का उद्देश्य एक व्यक्ति में सशक्त इच्छा उत्पन्न करना है, ऐसी स्थिति में जिसमें वह कार्य पूरे करने में सफलतापूर्वक लक्ष्यों को प्राप्त करने में आनन्द महसूस करे। अर्थात् पैसा या कोई इनाम प्राप्त करने के बजाय वह चुनौतियों का सामना करने में अधिक रुचि ले। विक्टर एच. व्रुम का मानना है कि अभिप्रेरण को कर्मचारियों में सकारात्मक मूल्यों के विकास के लिए एक संचार साधन के रूप में कार्य करना चाहिये। स्पष्टतः अभिप्रेरण का मुख्य उद्देश्य उपक्रम में कार्यरत व्यक्तियों में कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न कर कार्यकुशलता में वृद्धि करना है। मन की इच्छाएं एवं उद्देश्य विभिन्न प्रकार के एवं बहुत सारे होते हैं। ऐसी कोई एक तकनीक या योजना नहीं हो सकती जो सभी संगठनों में तथा हमेशा कर्मचारियों को प्रेरित कर सके, क्योंकि व्यक्ति में काम करने के पीछे विभिन्न प्रकार की आकांक्षाएं होती हैं।

22.4 अभिप्रेरण की आवश्यकता एवं महत्व

किसी भी संगठन की सफलता का सबसे बड़ा घटक उपक्रम में नियोजित व्यक्तियों को इसे सफल बनाने के उद्देश्य से संयुक्त करना है। यही कारण है कि प्रत्येक उपक्रम एवं इसके प्रबन्धक को निर्दिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मिलजुलकर काम करने की प्रेरणा देनी चाहिए। सुदृढ़ प्रेरणा कार्य को करने के लिए शक्तिशाली उपकरण की आवश्यकता होती है। आजकल प्रबन्धकों द्वारा यह बात अनुभव की जा रही है कि जब तक उपक्रम के समस्त सदस्य अपने कार्यों को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील होकर अपना सर्वाधिक योगदान देने को तैयार न हो, तब तक किसी प्रबन्धकीय कार्य, जैसे- व्यवस्थित आयोजन, वैज्ञानिक संगठन, दक्ष निर्देशन तथा प्रभावपूर्ण नियंत्रण आदि सफल नहीं हो सकते हैं। अतः आधुनिक प्रबन्धकों के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने कार्यकर्ताओं को कार्य करने के लिए इस प्रकार प्रेरित करे कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं एवं कम्पनी की आवश्यकताओं की अधिकतम सन्तुष्टि संभव हो। अलग-अलग व्यक्तियों की व्यक्तिगत आवश्यकतायें भिन्न हो सकती हैं। किन्तु मानवीय आवश्यकताओं के क्षेत्र में एक सामान्य आधार पर यह समझना होता है कि मनुष्यों को किन से प्रेरणा मिलती है अर्थात् कौनसी चीज प्रेरक हो सकती है। यह संभव है कि किसी व्यक्ति में किसी कार्य को करने की

अत्यधिक शारीरिक शक्ति, तकनीकी कुशलता, बौद्धिक एवं मानसिक तत्परता विद्यमान है। किन्तु इन सबका उसके नियोक्ता को लाभ नहीं मिलेगा, यदि वह व्यक्ति मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इन शक्तियों का उपयोग कार्य करने के लिए नहीं करना चाहता है। इस सम्बन्ध में जनरल फूड कॉरपोरेशन के भूतपूर्व अध्यक्ष कलेन्स फ्रान्सिस ने सत्य ही कहा कि, “आप किसी व्यक्ति का समय खरीद सकते हैं, आप किसी व्यक्ति की एक निश्चित स्थान पर उपस्थिति खरीद सकते हैं किन्तु आप उसका उत्साह, प्रेरणा एवं कर्तव्यनिष्ठा नहीं खरीद सकते।” जैसा कि रेन्सिस लिंकर्ट ने कहा कि अभिप्रेरित कर्मचारी ही किसी संगठन की वास्तविक सम्पत्ति है। इसी संदर्भ में ऐलन ने लिखा है कि, “अपर्याप्त रूप से अभिप्रेरित व्यक्ति सुदृढ़ संगठन को भी निष्फल बना देते हैं” अभिप्रेरण की आवश्यकता एवं महत्व को निम्न बिन्दुओं के माध्यम से भी समझा जा सकता है- लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक, आवश्यकताओं की संतुष्टि, कार्य के प्रति रूचि, अच्छे मानवीय सम्बन्धों का निर्माण, मानवीय संसाधनों का सदुपयोग, कर्मचारियों के सहयोग में वृद्धि, प्रबन्धकीय कार्यों का आधार, कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि, अच्छे श्रम सम्बन्धों का निर्माण, अनुपस्थितता एवं आवर्तन दर में कमी, कर्मचारियों की कार्यकुशलता एवं उत्पादकता में वृद्धि, संस्था में योग्य एवं कुशल कर्मचारियों की प्राप्ति, परिवर्तनों को सुगम बनाना और मानसिक शान्ति।

अतएव कर्मचारियों का मनोबल उँचा उठाने के लिये यह आवश्यक है कि कार्यदशाओं में प्रत्येक व्यक्तिगत उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो कर्मचारी अपनी कार्य दशाओं से संतुष्ट होते हैं वे अधिक उत्पादक सिद्ध होते हैं। इस प्रकार यह कहने में कोई त्रुटि नहीं है कि अभिप्रेरण एवं उत्पादकता के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध है।

22.5 अभिप्रेरण के प्रकार

अभिप्रेरण का क्षेत्र व्यापक है। समय-समय पर विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार की अभिप्रेरणाओं का उपयोग करना पड़ता है। विभिन्न व्यक्ति विभिन्न प्रकार की अभिप्रेरणाओं से अभिप्रेरित होते हैं, जिन्हें अभिप्रेरण के प्रकार कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मूलतः अभिप्रेरण दो प्रकार का होता है- नकारात्मक/ऋणात्मक अभिप्रेरण तथा सकारात्मक/धनात्मक अभिप्रेरण।

1. **नकारात्मक/ऋणात्मक अभिप्रेरण-** नकारात्मक/ऋणात्मक अभिप्रेरण से आशय ऐसी विधियों से है, जिसमें कार्यरत कर्मचारियों को भय, धमकी एवं सख्ती का उपयोग कर कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है नहीं तो उन्हें नौकरी से हटाने की धमकी दी जाती है। ऐसा विश्वास है कि व्यक्ति स्वभाव से आलसी, आनन्द ग्रहण करने वाला तथा काम से जी चुराने वाला होता है। उसे ऐसा करने से रोकने के लिए उस पर सख्त पर्यवेक्षण अवश्य किया जाना चाहिये। इस दृष्टिकोण की यह मान्यता है कि डराने से कर्मचारियों की कार्य निष्पत्ति में वृद्धि होती है, क्योंकि यह किसी न किसी रूप में लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि वे धमकी एव डर के परिणामों जैसे- छंटनी, पदावन्नति तथा सेवामुक्ति से घबराते हैं। औद्योगिक क्रान्ति के प्रारंभिक दिनों में जब श्रमिक और उनके परिवारों की भूख से मरने की स्थिति हो गई थी तब इस दृष्टिकोण से अच्छा लाभ मिला। नकारात्मक अभिप्रेरण बुरी मानसिक स्थिति उत्पन्न करता है जो काम के प्रति कर्मचारियों के रुझान को कम कर देता है। नकारात्मक अभिप्रेरण का दृष्टिकोण अप्रभावशाली सिद्ध हुआ है, क्योंकि इसके प्रति कर्मचारियों की प्रतिक्रिया उन्हें संगठन के लक्ष्यों के प्रति उदासीन बना देती है। हाल के वर्षों से कर्मचारी अपने पदों से अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने की आकांक्षाएं रखने लगे हैं न कि कठोर दण्ड।
2. **सकारात्मक/धनात्मक अभिप्रेरण-** सकारात्मक/धनात्मक अभिप्रेरण से आशय ऐसी विधियों से है, जिसमें कार्यरत कर्मचारियों को कुछ लाभ या अधिकार प्राप्त होता है। सकारात्मक अभिप्रेरण के अन्तर्गत उद्देश्यपूर्ण आकांक्षाओं की संतुष्टि की संभावनाएं अधिक व्यक्त की जाती है। सकारात्मक अभिप्रेरण अधिकाधिक कार्य निष्पादन कर दूसरों को प्रभावित करने की सत्त प्रक्रिया है, जिसके परिणामस्वरूप

अच्छे मानवीय सम्बन्ध विकसित होते हैं। इसमें एक ऐसा पर्यावरण विकसित किया जाता है, जिसमें व्यक्तिगत योग्यताओं में अभिवृद्धि होती है तथा सकारात्मक अनौपचारिक संप्रेषण को प्रोत्साहन दिया जाता है। सकारात्मक अभिप्रेरण सामान्यतः पारितोष एवं सम्मान पर आधारित है। सकारात्मक अभिप्रेरण बाहरी और आन्तरिक हो सकता है। बाह्य प्रेरकों से कार्य पूरा करने के बाद आनन्द लिया जा सकता है। आन्तरिक कारक वे हैं जो कार्य सम्पादन के दौरान उत्पन्न होते हैं तथा कर्मचारी उन्हें उसी वक्त महसूस करते हैं। चूंकि सकारात्मक अभिप्रेरण अधिक कार्यशील प्रतीत होता है।

अतः अब हम आगे कार्यकुशलता बढ़ाने वाले कुछ सकारात्मक प्रेरकों की भूमिका की व्याख्या करेंगे।

22.6 कार्यकुशलता वृद्धि के अभिप्रेरक

प्रेरकों की सही प्रकृति एवं मात्रा किसी संगठन में उपस्थित आन्तरिक तथा बाहरी कारकों पर निर्भर करती है। कार्यकुशलता बढ़ाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रेरक इस प्रकार हैं-

1. **कार्य विस्तार एवं कार्य सघनता-** यदि किसी कर्मचारी के उत्तरदायित्वों में उसके पद के सम्पर्शीय पद के अनुरूप वृद्धि की जाती है तो इसे कार्य विस्तार कहते हैं। जबकि यदि अतिरिक्त उत्तरदायित्वों में प्रत्यायोजन तथा विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया के अन्तर्गत पद में जब लम्बवत वृद्धि होती है तो इसे कार्य सघनता कहते हैं। कार्य सघनता की आश्वस्तता (assurance) की जा सकती है, बशर्ते की कार्य अर्थपूर्ण हो। अर्थात् कर्मचारी को उपयुक्त प्रत्यायोजन के माध्यम से अधिकार दिये जाएं तथा उसे अपने कार्य करने के सम्बन्ध में आवश्यक ज्ञान हो। पलीपो के अनुसार, कार्य की स्वायत्तता निम्न बिन्दुओं से प्राप्त की जा सकती है-

- स्वयं की कार्य अनुसूची तथा कार्य अन्तरों को निर्धारित करना।
- कार्य स्थानों को बदलते रहना।
- दूसरों के साथ अपनी पारी का आदान-प्रदान करना।
- समस्याग्रस्त स्थिति में अधिकारी पर निर्भर करने की अपेक्षा स्वयं कठिन निर्णय लेना।
- अपनी गुणवत्ता पर स्वयं नियंत्रण रखना।

यह स्पष्ट है कि बेहतर कार्य निष्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त कर्मचारियों को उनके रुचि के चुनौती एवं उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य दिये जाये। यह निश्चित करना की कर्मचारी अर्थहीन अरुचिपूर्ण तथा उद्देश्य रहित कार्यों से निराश न हो, प्रबन्ध की प्रक्रिया तथा उद्देश्य दोनों पर पुनर्विचार की मौलिक आवश्यकता है। कून्टज तथा डोनेल ने कार्य सघनता की आश्वस्तता (assurance) के लिये निम्न सुझाव दिये हैं-

- कर्मचारियों को ऐसी चीजे जैसे कार्यविधियां, क्रमबद्धीकरण तथा आराम के बारे में स्वयं निर्णय लेने की छूट देना या भौतिक वस्तुओं को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के बारे में निर्णय लेने के लिये सक्षम बनाना।
- अधीनस्थों की भागीदारी तथा श्रमिकों के मध्य अन्तःक्रिया को प्रोत्साहन देना।
- कर्मचारियों को उनके द्वारा निष्पादित कार्यों के लिए उत्तरदायित्व का अहसास कराना।
- लोगों को यह महसूस कराने के लिए कदम उठाना कि किस प्रकार उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों के योगदान से माल तैयार होता है, लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है एवं संगठन का कल्याण उनसे जुड़ा हुआ होता है।

- कर्मचारियों को उनके द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा एवं गुण-दोष बताना, इससे पहले कि उनके उच्च अधिकारी उनको बताये।

श्रमिकों की कार्य पर्यावरण के भौतिक पहलुओं जैसे कार्यालय/फैक्ट्री का स्थान या योजना, तापक्रम, प्रकाश, स्वच्छता आदि में परिवर्तन एवं विश्लेषण का निर्धारण करते समय राय लेना एवं उस पर विचार कर सम्मिलित करना।

2. **सत्ता का प्रत्यायोजन-** कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए सबसे सामान्य तकनीक जिसका प्रयोग किया जाता है वह है 'सत्ता का प्रत्यायोजन'। किसी कार्य का सम्पादन करने के लिये सम्बद्ध अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का प्रत्यायोजन अक्सर सशक्त एवं प्रभावी प्रेरक बल का काम करता है।
3. **रोजगार सुरक्षा-** रोजगार की सुरक्षा संगठन की कार्यकुशलता एवं मितव्ययता के अच्छे प्रेरक तत्वों में से एक है। जब तक कर्मिकों के मन में नौकरी की सुरक्षा की भावना मौजूद रहती है वे अपने कर्तव्यों के प्रति सम्बद्धता एवं उत्तरदायित्व का अहसास करते हैं। वे रोजगार सुरक्षा के आश्वासन के दौरान संगठन एवं इसकी दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों के साथ अधिक सम्बद्धता का परिचय देते हैं।
4. **स्थिति एवं गौरव-** स्थिति एवं गौरव संगठनात्मक संरचना के साथ जुड़े होते हैं। संगठन कितना पुराना है, तथा समाज में उसकी प्रतिष्ठा से भी कर्मचारी काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। अच्छी प्रतिष्ठा वाले संगठनों के कर्मचारी अन्य संगठनों के कर्मचारियों की तुलना में कार्य के प्रति अधिक उत्साह रखते हैं। वे ऐसे संगठन में कार्य करने में अधिक गौरान्वित महसूस करते हैं।
5. **भागीदारी/सहभागिता-** भागीदारी/सहभागिता एक समूह स्थिति में व्यक्ति की मानसिक एवं भावनात्मक सम्बद्धता है जो उसे सामूहिक लक्ष्यों एवं उनके उत्तरदायित्वों के निर्वाह करने में योगदान के लिए उत्साहित करती है। कर्मचारियों कि भागीदारी/सहभागिता उनकी व्यक्तिगत सम्बद्धता तथा संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में उनके योगदान को बढ़ावा देती है। यह अनौपचारिक रूप से कार्य को गति देने में संचार माध्य का विस्तार करती है। इससे कर्मचारियों में सहमार्गदर्शन एवं नियंत्रण की उपेक्षा की जा सकती है, जो संगठन के सदस्यों के मध्य परस्पर विश्वास एवं सम्मान का उच्चस्तर बनाये रखने में सहायक है। अधिनस्थों में उच्चस्तरीय विश्वास बना रहता है। जो अन्तर वैयक्तिक सहयोग की प्रक्रिया को सुयम बनाता है।
6. **सौहार्दपूर्ण कार्य वातावरण-** अभिप्रेरण व्यक्ति एवं उसके कार्य परिवेश के मध्य एक आदान-प्रदान है। सौहार्दपूर्ण कार्य पर्यावरण व्यक्ति को वरीयता क्रम या मूल्य प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति को कार्य करने की प्रेरणा देने वाले लक्ष्यों एवं कारकों का निर्माण होता है। साथ ही कार्य पर्यावरण व्यवहार के मानकों का स्रोत है जो अच्छे एवं बुरे, सही एवं गलत, वैध एवं अवैध के मध्य रेखा खींच कर परस्पर अन्तर स्पष्ट करता है।
7. **नैतिकता-** नैतिकता से अभिप्राय उन नैतिक मूल्यों से है जो लोगों के व्यवहार को निर्देशित एवं संस्कारित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। जब इन नैतिक मूल्यों की प्रशासन के परिप्रेक्ष्य में चर्चा की जाती है तो यह प्रशासनिक नीतिशास्त्र कहलाता है।

22.7 प्रशासनिक नैतिकता का अर्थ एवं परिभाषा

प्रशासनिक नैतिकता अर्थात् कार्य पर लोक सेवा के आचरण को और निर्देशित करने वाली संहिता। नैतिकता मूल्यों और विश्वासों की एक प्रणाली को संदर्भित करती है जो हमें सही और गलत या अच्छे और बुरे व्यवहार के बीच अन्तर करने में सहायता करती है। इसका तात्पर्य आचरण के एक मानक से है, जिसे सही या उचित के रूप में स्वीकार किया जाता है। जिस प्रकार समाज में प्रचलित नैतिक मूल्य, परम्पराएं आदि व्यक्ति के व्यवहार को

सामाजिक दिशा देते हैं, उसी प्रकार प्रशासन में आचरण नियम लोक सेवकों के कर्तव्य व्यवहार को नियमानुकूल दिशा में रखते हैं। एस.एल. गोयल के अनुसार, “प्रशासनिक आचार नीति उन प्रशासनिक मानदण्डों का अध्ययन है, जिसके आधार पर किसी कार्य के बारे में यह निर्णय किया जाता है कि वह गलत है या नैतिक है या अनैतिक, अच्छा है अथवा बुरा।” मैकाइवर एवं पेज के अनुसार, “नैतिकता का तात्पर्य नियमों की उस व्यवस्था से है जिसके द्वारा व्यक्ति का अन्तःकरण अच्छे और बुरे का बोध प्राप्त करना है।” किंग्सले डेविड के अनुसार, “नैतिकता कर्तव्य की भावना पर अर्थात् उचित एवं अनुचित पर बल देती है।” लोकसेवकों को आम नागरिकों से भिन्न एक विशेष व्यवहार करना होता है, ताकि सरकार द्वारा प्रदत्त का दुरुपयोग नहीं हो, नागरिक स्वतंत्रता खतरे में नहीं पड़े और सरकार के समक्ष भी कोई संकट खड़ा नहीं हो। अतः एम. पी. शर्मा के अनुसार सभी सरकारें आचार संहिता बनाती हैं और उसको कर्मचारियों पर लागू करती हैं। ऐसे आचार नियम प्रायः निम्नांकित विषयों से सम्बन्धित होते हैं-

- सरकार के प्रति दृढ़ निष्ठा तथा अपने उपर के अधिकारियों के प्रति सद्व्यवहार।
- उनके निजी व्यापार और व्यवसाय पर प्रतिबंध, ताकि वे ईमानदार बने रहे। वैसा ही प्रतिबंध कर्मचारियों के ऋण लेने और सम्पत्ति के क्रय-विक्रय पर भी होना चाहिए।
- राज्यकर्म सम्बन्धी, निजी तथा घरेलू जीवन में आचार-व्यवहार का उँचा स्तर।
- उनके राजनैतिक क्रिया-व्यापार, सार्वजनिक भाषण, समाचार-पत्रों में लेख आदि के प्रकाशन से सम्बन्धित विधान।

ये आचार नियम देश के सामान्य नियमों और कानूनों के उपर होते हैं और लोक सेवकों के क्रिया व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। लोक सेवकों को अपने आचरण का नैतिक स्तर इतना उच्च रखना चाहिए कि वह आम नागरिकों के लिए आदर्श और प्रेरणादायी बन सके, क्योंकि ‘यथा राजा तथा प्रजा।’

22.8 नैतिकता जन्म एवं विकास

लोक सेवकों के लिए नैतिकता सम्बन्धी नियम प्राचीन कालीन राजतंत्र में भी हुआ करते थे। भारत में वैश्विक नीति, कौटिल्य नीति में इस सम्बन्ध में अनेक दृष्टान्त आए हैं। आधुनिक काल में यह जर्मनी था, जिसने ना सिर्फ सर्वप्रथम आधुनिक लोक सेवा को खड़ा किया, अपितु उसके लिए व्यावसायिक संहिता का भी विकास किया। लेकिन इस संहिता में लोकतांत्रिक तत्व कम थे, सर्वसत्तावादी तत्व अधिका। विश्व की ऐसी पहली लोकतांत्रिक लोक सेवा संहिता का विकास ग्रेट ब्रिटेन ने किया था। यह इतनी आदर्श थी कि ब्रिटिश लोक सेवा की पहचान बन गयी।

22.9 भारत में स्थिति

भारत में ब्रिटिश शासन के समय से ही लोकसेवा सम्बन्धी आचरण नियम बनाए गए। इनका उद्देश्य जनता के समक्ष आदर्श पेश करना नहीं था, अपितु लोकसेवा को उच्चाधिकारियों, कानूनी ताज आदि के प्रति वफादार और उत्तरदायी बनाएं रखना था। लेकिन स्वतंत्रता के पूर्व और पश्चात दोनों ही समय आचार संहिता के स्थान पर सेवा-नियमों पर जोर दिया गया जैसा कि, पी.आर. देश मुख ने कहा है, “भारत में सार्वजनिक प्रशासकों के लिए कोई आचार संहिता नहीं है, परन्तु यहां सरकारी कर्मचारी सेवा नियम है। इनमें यह निर्धारित किया गया है कि लोक सेवक के दुराचरण के अन्तर्गत कौन-कौन सी चीजें आती हैं। स्पष्टतया इसका अर्थ वे दुराचरण है, जिनकी अनुमति नहीं है और जो अनैतिक भी है।

स्वतंत्रता के उपरान्त भारत सरकार ने लोक सेवकों के लिए आचरण नियम समय-समय पर बनाए है। इनमें से महत्वपूर्ण ये हैं- अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1954 केन्द्रीय सेवा (आचरण) नियम, 1955 और रेलवे सेवा (आचरण) नियम, 1956। इसके अतिरिक्त भी केन्द्र और राज्य में मूलभूत नियम आदि प्रचलित है।

22.10 प्रशासनिक नैतिकता का सुनिश्चित करने वाले तत्व

एन.वी. सालवे और कैनेथ ब्लेनकार्ड ने अपनी पुस्तक “द पावर ऑफ इथिकल मैनेजमेंट” में निर्णयों की नैतिकता को सुनिश्चित करने के तीन आधार बताए -

1. निर्णय की वैधानिकता- यदि निर्णय वैधानिक नहीं है तो वह नैतिक भी नहीं है।
2. निर्णय की निष्पक्षता- यदि निर्णय किसी एक दिशा या व्यक्ति की ओर उन्मुख है तो वह निष्पक्ष नहीं है।
3. यदि निर्णय कर लिया गया तो क्या जनता के बीच लोक सेवकों को शर्मिन्दगी उठानी पड़ेगी।

सामान्य रूप से लोक सेवकों के लिए आचार-संहिता के निम्नांकित तत्व हो सकते हैं- कर्तव्यपरायणता, न्यायप्रियता, सच्चरित्रता एवं विनम्रता, राष्ट्रीय आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता, देश भक्ति, राजनीतिक तटस्थता, जनसेवा की भावना, कानून में अखण्ड विश्वास, निष्पक्ष व्यवहार, जवाबदेयता, गोपनीयता कानून का पालन, मानवीय दृष्टिकोण, कार्यकुशलता, विश्वसनीयता, समयपालन आदि।

22.11 प्रशासनिक नैतिकता का महत्व

प्रशासनिक नैतिकता निम्नांकित कारणों से महत्व रखती है-

1. इससे लोक सेवकों को प्राप्त शक्तियों को सही दिशा में रखने में मदद मिलती है।
2. यह शक्तियों के दुरुपयोग पर प्रतिबन्ध लगाती है।
3. यह लोक सेवकों में कर्तव्यपरायणता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है।
4. इससे लोक सेवा के व्यवहार का आदर्शीकरण होता है जो जनता में शासन-प्रशासन की छवि को श्रेष्ठ बनाता है।
5. इससे प्रशासनिक कार्यकुशलता की प्राप्ति में भी मदद मिलती है।
6. लोक सेवकों को कर्तव्य बोध होता है।
7. नागरिक प्रशासन तथा राजनीति प्रशासन के मध्य सम्बन्धों को सुदृढ़ करने में मदद मिलती है।
8. प्रशासन को संवेदनशील बनाने के लिए भी नैतिकता जरूरी है। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा है, “मैं तुम्हे एक जन्तु देता हूँ। जब भी तुम्हे संदेह हो या तुम्हारा अहं तुम पर हावी होने लगे, तो यह कसौटी आजमाओ जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा हो, उसकी शक्ति याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो, वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा।”

22.12 प्रशासनिक नैतिकता के कारक

प्रशासनिक नैतिकता को निर्धारित करने वाले कारक निम्न हैं-

1. समाज का नैतिक स्तर और नैतिकता के स्थापित सामाजिक मानक प्रशासनिक नैतिकता के महत्वपूर्ण निर्धारक होते हैं। उदाहरण के लिए पश्चिमी विकसित देशों के लोक सेवकों में विकसित देशों के लोक सेवकों की अपेक्षा नैतिकता का उच्च स्तर पाया जाता है।
2. प्रशासन में स्थापित परम्पराएं और पूर्व स्थापित दृष्टान्त नैतिकता सुनिश्चित करने का दूसरा महत्वपूर्ण आधार होता है।
3. प्रशासन में आनुशासनिक कार्यवाही का स्वरूप और उसकी प्रभावशीलता तीसरा मुख्य आधार है।

4. प्रशासन के प्रति राजनेताओं का दृष्टिकोण।
5. राजनैतिक नैतिकता।
6. लोक सेवकों की सेवा शर्तों का स्वरूप।
7. प्रशासन में पाये जाने वाले औपचारिक-अनौपचारिक सम्बन्धों का स्वरूप।
8. संगठन में संवाद और सम्प्रेषण की स्थिति।
9. व्यावसायिक चेतना विकास हेतु उपलब्ध अवसरों की स्थिति जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि।
10. जनजागरूकता का स्तर।
11. प्रशासन के प्रति जन दृष्टिकोण।

22.13 नैतिकता सुदृढ़ करने के उपाय

डगलस के अनुसार, लोक अधिकारियों को नेकी के मार्ग से विचलित करने वाली बातें ये हैं- भेंट या पुरस्कार, खर्चीली दावतें, आंशिक तथा भावी रोजगार, प्रभाव का विक्रय तथा व्यक्तिक लाभ के लिए सरकारी पद का प्रयोग। इन्हीं में धन तथा राजनीतिक दबाव को शामिल किया जा सकता है। भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या है इसे पूर्णतः नष्ट करना बड़ा कठिन कार्य है। फिर भी हमारी सरकार इस समस्या के विषय में जागरूक है और इस बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए संलग्न है। इस हेतु श्रेष्ठ साधन प्राप्त करने के लिए हाल ही में एक सार्वजनिक वाद-विवाद चला था। यह याद रखना चाहिए कि भ्रष्टाचार का हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत, नैतिक मूल्यों एवं परम्पराओं तथा पर्यावरण सम्बन्धी प्रभावों से गहरा सम्बन्ध है। इन सभी तत्वों में विधि आदि द्वारा परिवर्तन नहीं किये जा सकते। वस्तुतः हमारे नैतिक आदर्शों, मूल्यों तथा स्तरों के विषय में विद्यमान भ्रम तथा चिन्तन इसका परिणाम है। हम एक ऐसे सक्रान्तिकाल से गुजर रहे हैं, जिसमें पुराने परम्परागत देहाती समाज के स्थान पर नवीन शहरी, औद्योगिक, वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी समाज की स्थापना हो रही है। एक बार जब परिवर्तन का यह कार्य पूरा हो जायेगा और समाज में स्थायित्व आ जायेगा, तब ही अधिकारियों के आचरण में निश्चित सुधार कि आशा की जा सकती है। भ्रष्टाचार रोकने का एक प्रभावी उपाय यह हो सकता है कि लोकमत इस प्रकार सजग, संगठित तथा जागरूक रहे कि वे अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने के साथ-साथ कर्तव्यों के प्रति सावधान रहे।

उपर्युक्त उपायों के अतिरिक्त कुछ सुधार सम्बन्धी उपाय भी काम में लाये जाने चाहिए। देश में यह एक सामान्य शिकायत है कि भ्रष्ट अधिकारियों को, विशेषतः शीर्ष स्तर के अधिकारियों को, दण्ड देने के लिए आवश्यक प्रभावशाली प्रशासकीय तंत्र नहीं है। इसके लिए सतर्कता तथा भ्रष्टाचार विरोधी नियमों को शक्तिशाली तथा क्रियाशील बनाया जाना आवश्यक है, और भ्रष्टाचार के दमन सम्बन्धी कानूनों को भी अधिक बांधक बनाने की आवश्यकता है। अंततः सरदार पटेल का यह कथन प्रासंगिक है कि, “एक प्रशासन का हृदय उसके मस्तिष्क में होना चाहिए।”

अभ्यास प्रश्न-

1. ‘अभिप्रेरण’ शब्द लेटिन भाषा के किस शब्द से बना है?
2. “अभिप्रेरण का उद्देश्य हमेशा एक व्यक्ति के लिए आवश्यकता उत्पन्न करना है।” यह कथन किसका है?
3. अभिप्रेरण के कितने प्रकार हैं?
4. “नैतिकता कर्तव्य की भावना पर अर्थात् उचित और अनुचित पर बल देती है।” यह कथन किसका है?
5. विश्व की पहली लोकतांत्रिक लोक सेवा संहिता का विकास किस देश में हुआ?
6. “द पावर ऑफ इथिकल मैनेजमेंट” किसकी रचना है?

7. “एक प्रशासन का हृदय उसके मस्तिष्क में होना चाहिए” यह कथन किसका है?

22.14 सारांश

अभिप्रेरण तथा नैतिकता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वास्तव में किसी व्यक्ति के कार्य निष्पादन का स्तर अभिप्रेरण एवं नैतिकता दोनों को निर्धारित करता है। जब हमें किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तो हमारे अन्दर एक इच्छा उत्पन्न होती है। इसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, जो प्रेरक शक्ति को गतिशील बनाती है। प्रेरणा इन इच्छाओं और आन्तरिक प्रेरकों तथा क्रियाशीलता की सामूहिक शक्ति के फलस्वरूप है। उच्च प्रेरणा हेतु उच्च इच्छा चाहिये, जिससे अधिक ऊर्जा और गतिशीलता उत्पन्न हो। अभिप्रेरण द्वारा व्यवहार को अधिक दृढ़ किया जा सकता है। वही नैतिकता का मतलब संस्कृति के द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करना, समाज को सही रास्ते पर चलाना है। नैतिकता हमारे व्यक्तिगत और व्यवसायिक दोनों जीवन में बहुत महत्व रखती है। कार्यस्थल पर नैतिक आचरण बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण है। समाज द्वारा परिभाषित बुनियादी नैतिकता के अलावा हर संगठन अपने नैतिक मूल्यों की सीमाओं को निर्धारित करता है। उस संगठन के काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आचार-संहिता बनाये रखने के लिए उनका पालन करना चाहिए। कोई भी कर्मचारी अगर नैतिक कोड का उल्लंघन करते हुये पाया जाये तो उसे चैतावनी पत्र जारी किया जाये या समस्या की गंभीरता के आधार पर अलग-अलग तरीकों से कार्यवाही की जाये।

सभी कार्मिक प्रशासकों का प्राथमिक उत्तरदायित्व यह देखना है कि उनके कर्मचारियों में अभिप्रेरण का उपयुक्त स्तर हमेशा बना रहे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये निरन्तर जांच एवं प्रशिक्षण करते रहना चाहिये।

22.15 शब्दावली

व्यवहारवादी उपागम- मानवीय सम्बन्ध दृष्टिकोण तथा व्यवहारवादी उपागम संगठन में व्यक्ति को केन्द्र बिन्दु मानकर चलते हैं। प्रथम, जबकि संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के मध्य सम्बन्धों का अध्ययन करता है। दूसरा मानव के आन्तरिक विचारों तथा संगठन के कार्य करने में उसके विवेक एवं मूल्यों पर जोर देता है।

मानवीय सम्बन्ध- यह दृष्टिकोण, संगठन में व्यक्ति के ज्ञान एवं स्थान से सम्बन्धित है। इस उपागम में संगठनात्मक गतिविधियों को अनौपचारिक मानवीय सम्बन्धों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया जाता है।

स्वयं समंजन- यह ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह अपने दृष्टिकोणों, मूल्यों, भूमिकाओं तथा व्यवहारिक प्रवृत्तियों को किसी संगठन या सामाजिक पर्यावरण के विभिन्न पहलूओं के साथ आन्तरिक गठबन्धन, समंजन एवं संतुलन स्थापित कर सके।

22.16 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. ‘इमोवियार’ 2. अब्राहम मेस्लो, 3. दो प्रकार, 4. किंग्सले डेविड, 5. ब्रिटेन, 6. एन.वी. साल्वे और कैनेथ ब्लेनकार्ड, 7. सरदार पटेल

22.17 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. हैराल्ड एफगार्टनर: एडमिनिस्ट्रेशन इन द पब्लिक सेक्टर, जॉन विले एण्ड सन्स, पृष्ठ संख्या-197
2. फेंड लुथास: आर्गेनाइजेशन बिहेवियर ए मार्डन विहेवियर, मेग्रेहिल कं., न्यूयार्क, 1973, पृष्ठ सं- 481-83
3. स्टीफन, पी. रोबिन्स: आर्गेनाइजेशन बिहेवियर, कन्सेप्टस, कन्ट्रोवर्सीज एण्ड एप्लीकेशन लि., नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या- 155- 167
4. डॉ. सुरेन्द्र कटारिया: कार्मिक प्रशासन, आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, जयपुर, पृष्ठ- 213

5. चटर्जी, एन.एन, दि मैनेजमेन्ट ऑफ दी पर्सनल इन इण्डियन इन्टरप्राइजेज, एलाईड बुक कम्पनी, कलकत्ता, 1978
6. डेल योदर, पर्सनल: प्रिसिपल्स एण्ड पोलिसिज, प्रेन्टिस हाल, न्यूजर्सी, 1959
7. ग्लेन, ओ. स्टाल, पब्लिक पर्सनल एडमिनेस्ट्रेशन, हार्पर एण्ड रो पब्लिशर्स, न्यूयार्क, 1971

22.18 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. डॉ. सुरेन्द्र कटारिया: कार्मिक प्रशासन, आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, जयपुर, पृष्ठ- 213
2. चटर्जी, एन.एन, दि मैनेजमेन्ट ऑफ दी पर्सनल इन इण्डियन इन्टरप्राइजेज, एलाईड बुक कम्पनी, कलकत्ता, 1978

22.19 निबन्धात्मक प्रश्न

1. अभिप्रेरण के अर्थ को स्पष्ट करते हुए इसके उद्देश्य, आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालिए।
2. नैतिकता से आप क्या समझते हैं? नैतिकता का विकास और भारत में नैतिकता की स्थिति की व्याख्या कीजिए।
3. प्रशासनिक नैतिकता के कारक और महत्व को स्पष्ट कीजिए।

ईकाई- 23 कार्मिकों की सेवा सम्बन्धी शिकायतें एवं उनका निवारण, प्रावधान व प्रक्रियाएँ

इकाई की संरचना

- 23.0 प्रस्तावना
- 23.1 उद्देश्य
- 23.2 कार्मिकों की शिकायतों का स्वरूप तथा क्षेत्र
- 23.3 कार्मिक शिकायतों के विभिन्न प्रकार
- 23.4 कार्मिक शिकायतों में वृद्धि के कारण
- 23.5 शिकायतों से निबटने के प्रयत्न(सन् 1945 के पश्चात)
- 23.6 सेवा सम्बन्धी शिकायतों के निवारण के तरीके (प्रावधान व प्रक्रियाएँ)
- 23.7 शिकायत निवारण तंत्र
- 23.8 शिकायत निवारण तंत्र में समस्याएं
- 23.9 सारांश
- 23.10 शब्दावली
- 23.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 23.12 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 23.13 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 23.14 निबन्धात्मक प्रश्न

23.0 प्रस्तावना

शिकायत व शिकायत निवारण शाश्वत रहे हैं। यदि शिकायत अनवरत बनी रहे तो व्यवस्थाएं अपना अस्तित्व खो देती है। शिकायत से जन्मा असंतोष, विरोध, बदलाव, कभी-कभी क्रान्तियों को जन्म देता है। शिकायत निवारण के अभाव में उत्पन्न विद्रुपताएँ सदैव अव्यवस्था को जन्म देती है इसलिए राजनीति व प्रशासन तंत्र में शिकायत निवारण की व्यवस्थाएं प्राचीनकाल से ही विद्यमान रही हैं। महाविप्लव के पश्चात गठित व्यवस्था में मनु ने राजा को धर्म का संस्थापक मानते हुए उसे प्रजा के चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि में सहायक होने का आह्वान किया था, ताकि जनता की सभी क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो और शिकायत का निवारण संभव हो।

आचार्य कौटिल्य ने राजा को दण्ड का संस्थापक माना है और शासन व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए दण्ड की औचित्यपूर्ण व्यवस्था को अपरिहार्य माना है। वर्तमान भारतीय परिवेश में पनपता जनआक्रो, बढ़ते धरना प्रदर्शन, आये दिन बन्द व हड़ताल का आयोजन, न्यायालयों में परिवारों की बढ़ती संख्या के मूल में कहीं न कहीं नागरिक सुविधाओं की लचर व्यवस्था व बदहाल शिकायत निवारण प्रणाली ही हैं।

किसी भी सभ्य समाज, विशेष कर लोकतांत्रिक समाज का मुख्य उद्देश्य जनता की प्रसन्नता, संतोष तथा कल्याण होता है। सच तो यह है कि सरकार की शक्ति जनता की समृद्धि पर निर्भर करती हैं और जनसंतोष पर ही लोकतंत्र की सुरक्षा तथा स्थायित्व निर्भर है। किन्तु प्रत्येक प्रकार की शासकीय व्यवस्था में मूल समस्या हमेशा यह रही है कि साधारण नागरिक को वह सेवा तथा व्यवहार नहीं मिलता है, जिसका वह हकदार होता है। आधुनिक सरकार को स्वविवेक की असीम शक्ति प्राप्त है। राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में सरकार की बढ़ती हुई भूमिका नागरिकों की प्रशासन पर निर्भरता बढ़ाती है। प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग अनाचार, परेशानी और भ्रष्टाचार को जन्म देता है जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों में प्रशासन के विरुद्ध शिकायतें पैदा होती हैं। लोकतंत्र में कार्मिक को अपनी

शिकायतें अभिव्यक्त करने का अवसर मिलना चाहिये और उन शिकायतों के निवारण की उचित व्यवस्था भी होनी चाहिये।

23.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप-

- एक संगठन में कार्मिकों की शिकायत का स्वरूप देख सकेंगे।
- कार्मिक शिकायतों के विभिन्न प्रकारों को देख सकेंगे।
- यह जान सकेंगे कि कार्मिक शिकायतों में अभिवृद्धि के क्या कारण रहे हैं।
- व्यवहारिक रूप में किन उपायों के माध्यम से इस समस्या को दूर कर प्रशासन को अधिक सुदृढ़ किया जा सकता है।
- यह जान सकेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इस समस्या से निबटने के क्या प्रयत्न किये गये।

22.2 कार्मिकों की शिकायतों का स्वरूप तथा क्षेत्र

सरकार के कार्यपालिका संगठनों के प्रति जनता की शिकायतें हमेशा रही हैं, जो समय-समय पर अनेक रूपों में व्यक्त होती रही है। यद्यपि सरकार के कार्यपालिका अंग के विरुद्ध जन-शिकायत का मुख्य कारण भ्रष्टाचार रहा है, फिर भी भ्रष्टाचार इस असंतोष का अंशमात्र ही है। भ्रष्टाचार निवारण समिति के प्रतिवेदन (1962) के अनुसार, “व्यापक अर्थ में शासकीय पद अथवा सार्वजनिक जीवन की किसी विशिष्ट स्थिति में निहित शक्ति एवं प्रभाव का अनुचित और स्वार्थी उपयोग ही भ्रष्टाचार है।” किन्तु भ्रष्टाचार के अतिरिक्त शासकीय कर्मचारियों की उदासीनता, अक्षमता एवं असंवेदनशीलता नागरिकों की हानि ही नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें कठिनाई पहुँचाते हैं। शिकायतें दो प्रकार की होती हैं- सामान्य तथा व्यक्तिगत। सामान्य जन शिकायतें सरकार की नितियों और कार्यों के विरुद्ध होती हैं। समाज के सभी वर्गों पर समान रूप से लागू होती हैं। इसके उदाहरण हैं- खाद्यान्नों की कमी, मूल्यों में वृद्धि, यातायात के साधनों में अव्यवस्था आदि। ऐसी शिकायतें अधिक मात्रा में पायी जाती हैं और समय-समय पर उग्र रूप भी धारण कर लेती हैं, जिससे बड़े पैमाने में उपद्रव फैल जाते हैं। इसके विपरीत व्यक्तिगत शिकायतें वे हैं जो व्यक्ति विशेष तक सीमित रहती हैं। वे शिकायतें सरकार के कार्यपालिका अंग के विरुद्ध होती हैं, जिसमें राजनीतिज्ञ वर्ग के लोग तथा लोक-कर्मचारी दोनों सम्मिलित होते हैं। सरकार द्वारा उठाये गये कतिपय कदम शासन की अकर्मण्यता, जिसका प्रभाव व्यक्तिगत रूप से नागरिकों पर पड़ता है, ऐसी शिकायतों के आधार होते हैं। विधि के शासन तथा व्यवसायिक सेवा के विकास के फलस्वरूप लोक सेवाओं की सत्यनिष्ठा के विषय में जनता की सोच में एक परिवर्तन आया है। परिवर्तन यह आया है कि लोक कर्मचारियों को अपने पद का उपयोग अपने स्वयं तथा अपने इष्टमित्रों के आर्थिक एवं अन्य प्रकार के लाभों के लिए नहीं करना चाहिए। आज का नागरिक शासकीय कर्मचारी से यह अपेक्षा रखता है कि वे ईमानदार, परिश्रमी, सक्षम, सहानुभूतिपूर्ण, शिष्ट तथा उचित बर्ताव करने वाले हों। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों की शिकायतें विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं।

23.3 कार्मिक शिकायतों के विभिन्न प्रकार

प्रशासन के विरुद्ध कुछ आम शिकायतों को नामांकित वर्गों में रखा जा सकता है-

1. भ्रष्टाचार- कार्य करने अथवा न करने के लिए रिश्वत की मांग तथा उसे स्वीकार करना।

2. पक्षपात- सत्ताधारी या शक्तिशाली लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिये कार्य करना अथवा न करना।
3. भाई भतीजा वाद- अपने सगे सम्बन्धियों को नियमों के विरुद्ध लाभ पहुँचाना।
4. अशिष्टता- जनता के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना या अन्य तरीके से अभद्र व्यवहार करना।
5. कर्तव्य की उपेक्षा- कानून द्वारा अपेक्षित कार्यों को न करना।
6. भेदभाव- निर्धन, कमजोर एवं अप्रभावशाली नागरिकों की सही शिकायतों की उपेक्षा करना।
7. विलम्ब- उचित समय पर कार्यों को पूरा नहीं करना।
8. कुप्रशासन- लक्ष्य प्राप्त करने में अकुशलता, समय पर कार्यालय में उपलब्ध न होना, टालमटोल करना, रिकार्ड में हेराफेरी।
9. अपर्याप्त निवारण तंत्र- प्रशासन के विरुद्ध जनता की शिकायतें सुनने एवं निवारण हेतु तंत्र का अभाव/इन्ही कारणों से दिन प्रतिदिन इनकी शिकायतों में वृद्धि हो रही है।

23.4 कार्मिकों शिकायतों में वृद्धि के कारण

राज्य के उद्देश्यों के स्वरूप में परिवर्तन आने से तथा सरकार के कार्यों में वृद्धि के कारण नागरिकों के दैनिक जीवन में प्रशासन का हस्तक्षेप बढ़ गया है। अब शासकीय क्रियाकलापों का क्षेत्र 'समस्तरीय एवं विषमस्तरीय' दोनों हो गया है। प्रशासन की समस्तरीय परिधि के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के कार्य आते हैं, जैसे- परमिटों को जारी करना, आवश्यक सामग्रियों का वितरण, जनकल्याण सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, यातायात आदि की व्यवस्था, बैंकों और बीमा कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि आदि सुविधाओं की व्यवस्था तथा निजी सम्पत्ति का परिग्रहण अथवा अधिग्रहण करना आदि। विषमस्तरीय क्षेत्र का अर्थ प्रशासकीय सोपान के उस स्तर से है, जहां से आदेश प्रसारित होते हैं। यह समरणीय है कि 'आदेश हमेशा सर्वोच्च स्तर पर सचिवालय के अधिकारियों द्वारा मंत्रियों के निर्देशन से ही नहीं दिये जाते हैं। वरन् आदेश जिलाधीशों, उपसंभागीय अधिकारियों तथा उनसे भी छोटे अधिकारियों द्वारा भी दिये जाते हैं।'

सरकार द्वारा नवीन उत्तरदायित्वों को स्वीकार करने के कारण प्रशासकीय क्रियाएं बहुत बढ़ गयी हैं। विधि आयोग ने अपने चौदहवें प्रतिवेदन में कहा है कि, "प्रशासनिक कार्यों का एक वृहत क्षेत्र ऐसा है, जिसमें प्रशासनिक सत्ताधारी विधि एवं औचित्य की शाब्दिक परिधि के बाहर कार्य कर सकते हैं, जिससे अपकृत नागरिक को कोई प्रभावशाली निवारण नहीं मिल सकता है। प्रशासनिक शक्ति तथा विवेक कार्यपालिका के विभिन्न स्तरों की न तो समझ होती है और न चारित्रिक दृढ़ता। जहां भी शक्ति तथा विकास का निवास होता है, वही उनके दुरुपयोग की संभावना भी बनी रहती है, विशेषतः उन परिस्थितियों में जहां उनका उपयोग दुर्लभता, नियंत्रण तथा लोक-निधि के व्यय करने के दबाव की पृष्ठभूमि में किया गया है। प्रशासनिक सोपान के बाहर अपीलिय व्यवस्था तथा शिकायतों के निवारण की व्यवस्था के अभाव में कार्यपालिका के द्वारा मनमानी करने के विषय में जनधारणा में वृद्धि होती गयी।"

23.5 शिकायतों से निबटने के प्रयत्न(सन् 1945 के पश्चात)

स्वतंत्रता के बाद भारत में इस मौलिक समस्या के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया गया है। अन्य देशों में भी जहां प्रशासन में सत्यनिष्ठा एवं सामर्थ्य उँची मात्रा में पाये जाते हैं, इस समस्या के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई और उसमें भी शासकीय कर्मचारियों की मनमानी, अक्षमता, उदासीनता तथा उनके अविवेक और भ्रष्टाचार के विरुद्ध नागरिकों को संरक्षण देने के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं की संरचना की गयी है। उदाहरणार्थ स्वीडन का अनुकरण करते हुए डेनमार्क ने 1955 में औम्बुडसमैन नामक पद की स्थापना की। नार्वे ने भी 1962 में इस पद की स्थापना की।

राष्ट्रमंडल के देशों में न्यूजीलैंड ने 1962 में संसदीय आयुक्त (जाँच) और ब्रिटेन ने 1967 में संसदीय आयुक्त (प्रशासन) की स्थापना की। इन सब पदों के सृजन का उद्देश्य कुप्रशासन के कतिपय निम्न कोटि के परिणामों से नागरिकों को संरक्षण प्रदान करना था।

स्वतंत्र भारत की सरकार भी इस विषय में पीछे नहीं रही और इस दिशा में उसने अनेक प्रशंसनीय कदम उठाये हैं। सन् 1947 में ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बनाया गया। साथ ही भ्रष्टाचार रूपी व्यापक बीमारी की जांच करने और उसको दूर करने के उपायों को सुधारने के लिए अनेक समितियों अथवा आयोगों की स्थापना की गयी। जैसे- 'टेकचन्द समिति' (1949), रेलवे भ्रष्टाचार जांच (कृपलानी) समिति (1953), तथा बोस आयोग (1956), 1955 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 में संशोधन करके उसको अधिक कठोर बना दिया गया। इसी वर्ष केन्द्रीय सरकार में प्रशासनिक सतर्कता डिवीजन तथा मंत्रालयों/विभागों में सतर्कता इकाइयों की स्थापना हुई। 1954 में ओ.एण्ड.एम डिवीजन की भी स्थापना की गयी। इसका मुख्य कार्य प्रशासन में सुधार लाना तथा प्रशासन के विरुद्ध शिकायतों को कम करना था। इसी बीच केन्द्र में शिकायत आयुक्त की नियुक्ति की गयी, जिसका कार्य कर्मचारियों की शिकायतों पर विचार करना था। 1962 में भारत सरकार ने श्री. के. संधानम की अध्यक्षता में 'भ्रष्टाचार निवारण समिति' का गठन किया, जिसमें छः संसद सदस्य और दो वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित थे। इस समिति की सिफारिश के अनुसार 1964 में केन्द्रीय सतर्कता आयोग का गठन हुआ। प्रत्येक राजस्व मण्डल के मुख्यालय में मण्डलीय सतर्कता बोर्ड का निर्माण हुआ। इस बोर्डों के सदस्य थे- मण्डलीय राजस्व आयुक्त, उपमहानिरीक्षक (पुलिस) तथा सतर्कता अधिकारी, जो बोर्ड का संयोजक होता था। यह अधिकारी अशासकीय व्यक्तियों में से चुना जाता था। सतर्कता आयोग की प्रकृति परामर्श देने की है। यह कार्मिक मंत्रालय के क्षेत्र अधिकार में आता है। इसके क्षेत्राधिकार में वे सब प्राधिकार शामिल होते हैं जो केन्द्रीय सरकार के कार्यकारी अधिकारों के अन्तर्गत है। इसके क्षेत्राधिकार में निम्नलिखित शामिल हैं-

- केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यकर्ता।
- केन्द्रीय सरकार के लिए कार्यबद्ध लोक उद्यमों, कॉर्पोरेट संस्थानों व अन्य संस्थानों के कार्यकर्ता।
- दिल्ली महानगरीय परिषद व नई दिल्ली नगर निगम के सभी कार्यकर्ता।

आयोग भ्रष्टाचार व दुर्व्यवहार की शिकायतें नागरिकों से सीधे प्राप्त करता है। वह अन्य स्रोतों, जैसे- प्रेस रिपोर्ट, लेखा परीक्षण रिपोर्ट, संसद सदस्यों के अभिकथन और संसद समितियों के रिपोर्ट आदि से भी सूचना ले सकता है। इसके अध्यक्ष, केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा 6 वर्षों के लिए या 65 वर्ष की उम्र तक (दोनों में से पहले जो पूरा हो), के लिए होती है। जैसे संयुक्त लोकसेवा आयोग के आयुक्त को हटाया जा सकता है, उसी प्रकार केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त को भी हटाया जा सकता है। वह सेवा निवृत्ति के पश्चात केन्द्रीय व राज्य सरकार के अन्तर्गत कहीं भी नौकरी नहीं कर सकता।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के कार्य निम्नलिखित रहे हैं-

1. यह किसी भी कार्यकलाप के बारे में पूछताछ कर सकता है, जिसमें सरकारी कर्मचारी संदेह के घेरे में या आरोपित हो एवं उसने गलत उद्देश्यों के लिए भ्रष्ट तरीका अपनाया हो। गलत या भ्रष्ट उद्देश्यों के लिए सरकारी कर्मचारी ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया हो या प्रयोग नहीं किया हो एवं भ्रष्टाचार, दुर्व्यवहार, सरकार कर्मचारी से ईमानदारी का अभाव, या अन्य प्रकार के अनाचार या अपराध की कोई भी शिकायत इसे प्राप्त होती है तो यह पूछताछ या छानबीन कर सकता है।
2. भारत सरकार के विभागों और मंत्रालयों व अन्य स्वायत्त संगठनों की निगरानी एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध सौंपे गए कार्यों पर नियंत्रण एवं निरीक्षण रखता है।

3. प्रशासनिक प्राधिकरणों को मौजूदा कार्य प्रणालियों व व्यवहार को बदलने का परामर्श देता है, खास तौर पर वे कार्य प्रणालियाँ जिनमें भ्रष्टाचार और दुर्व्यवहार की गुंजाइश हो।
4. केन्द्रीय सतर्कता अधिकारी जो सतर्कता विभागों के चालक होते हैं। उनकी नियुक्ति को मंजूरी देता है। यह प्रशासन की कार्यविधियों एवं कार्यकलापों की समीक्षा करता है, ताकि प्रशासन में ईमानदारी कायम रहे।
5. जिला स्तर पर सतर्कता संगठन के अन्तर्गत अलग-अलग राज्यों में सतर्कता संगठनों में विभिन्नता पायी जाती है। अधिकतर राज्यों में राज्य सतर्कता आयोग है। राज्य सरकारों के कार्यालयों एवं राज्य लोक उद्यमों के कार्यालयों में भ्रष्टाचार के मामले को देखने के लिए विशेष पुलिस संगठन भी है। आयोग राज्य सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, जिसे राज्य विधान पालिका के समक्ष रखा जाता है। जिला स्तर पर जिला सतर्कता पदाधिकारी है। जिला पदाधिकारी अपने किसी राजपत्रित अधिकारी को जिला सतर्कता पदाधिकारी नियुक्त करता है।

दुर्भाग्यवश समस्या को हल करने में उपर्युक्त प्रयास सफल नहीं हुए है। कुछ लोगों के मतानुसार सतर्कता आयोग छोटे-छोटे मामलों में उलझ गया। अन्य मतों के अनुसार इस आयोग की शासकीय सहयोग की बजाय उदासीनता एवं अरुचि का ही बर्ताव मिला तथा आयोग को कार्य करने का उचित अवसर नहीं मिला।

अतएव इस समस्या के निराकरण के लिए एक नवीन एवं प्रभावकारी उपकरण की खोज प्रारम्भ हुई। संथानम समिति ने न्यूजीलैण्ड के संसदीय आयुक्त के समान पद की अनुशंसा की थी। राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी 1963 में प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में राज्य के लिए एक औम्बुडसमैन की नियुक्ति की सिफारिश की थी। 1966 में गठित केन्द्रीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने विस्तृत एवं गंभीर रूप से विचार करके नागरिकों की शिकायतों के निवारणार्थ दो विशिष्ट पदों के सृजन की सिफारिश की। केन्द्र तथा राज्यों में मंत्रियों एवं सरकार के सचिवों के प्रशासनिक क्रियाकलापों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करने के लिए लोकपाल और केन्द्र तथा राज्यों के अन्य अधिकारियों के प्रशासनिक कार्यों के विरुद्ध शिकायतों पर विचार करने लिए लोकायुक्त की नियुक्ति की सिफारिश की।

23.6 सेवा सम्बन्धी शिकायतों के निवारण के तरीके

वर्तमान समय में सेवा सम्बन्धी शिकायतों के निवारण के तरीके हमारे यहां पर त्रिस्तरीय शासन की भांति त्रिस्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली कार्यरत है, जिसके तीनों स्तर निम्नांकित हैं- 1. केन्द्रीय स्तर, 2. राज्य स्तर, और 3. जिला स्तर

1. **केन्द्रीय शिकायत निवारण प्रणाली-** आधुनिक काल में लोक शिकायत निवारण में सर्वप्रथम स्वीडन में 1809 ई. में औम्बुडसमैन नामक संस्था में शुरुआत हुई थी। विश्व में इस संस्था की लोकप्रियता से प्रभावित होकर भारत ने भी स्वतंत्रता के पश्चात 1968 से लेकर अनेकों बार इस संस्था की स्थापना का प्रयास किया, जिसे 2013 के अन्त में सफलता मिली, जब पर्याप्त जन आन्दोलन के पश्चात भारत ने केन्द्रीय स्तर पर लोकपाल की स्थापना के लिए विधिक प्रावधान किये। भारत में लोक शिकायतों के निराकरण के लिए अनेक संस्थाएं कार्यशील हैं, जिनमें निम्न मुख्य हैं- उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय पिछड़े वर्गों हेतु आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, संसद व उसकी समितियां, मंत्रीमंडल सचिवालय में लोक शिकायत निदेशालय आदि।

2. **कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय-** अखिल भारतीय सेवाओं तथा केन्द्रीय सेवाओं के कार्मिकों के प्रकरणों को नियंत्रित तथा निर्देशित करने, केन्द्र सरकार के कार्यालयों के विरुद्ध जन शिकायतों का निवारण करने तथा केन्द्र सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों के पेंशन मामलों में त्वरित कार्यवाही करने हेतु 1985 में श्री राजीव गांधी द्वारा कार्मिक लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय की स्थापना की गयी। सामान्यतः लोक शिकायत निवारण और केन्द्र सरकार संस्थाओं से शिकायत के मामले इसमें शामिल हैं। शिकायत निवारण हेतु यह विभाग निम्न कार्य सम्पादित करता है-

- नीति निर्धारण की भूमिका- इसके तहत शिकायत निवारण प्रणाली पर जानकारी देने के लिये नीति दिशा-निर्देशों का संकलन 2010 में प्रकाशित किया गया।
- मॉनिटरिंग भूमिका- इसके तहत विभाग, 89 केन्द्रीय मंत्रालय एवं विभागों के साथ इन्टरनेट से सम्पर्क में है एवं शिकायत निवारण के विभिन्न पहलुओं पर प्रत्येक विभाग से तिमाही रिपोर्ट मंगवायी जाती है।
- समन्वय भूमिका- इसमें प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा उपर्युक्त सभी विभागों के साथ समन्वय करते हुए www.darpg.nic.in और www.pgpostral.gov.in पर शिकायतें दर्ज करते हुए सभी विभागों से निस्तारित करवाकर उपर्युक्त पोर्टलों पर उनका समाधान अपलोड करता है।

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के अलावा निम्नलिखित संगठन, शिकायतों को प्राप्त करने के लिये केन्द्र बिन्दु नामित किये गये हैं-

- राष्ट्रीय सचिवालय का लोक स्कंधा
- प्रधानमंत्री कार्यालय में लोक स्कंधा
- मंत्रीमंडल सचिवालय में लोक शिकायत निदेशालय
- पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग।

उपर्युक्त सूची के सभी नोडल एजेन्सी डाक द्वारा तथा ऑनलाईन शिकायत नागरिकों से प्राप्त करती है और उन्हें निवारण के लिए वांछित केन्द्रीय मंत्रालय या विभाग या संस्थान को भेजती है। ये नोडल एजेन्सियां शिकायतों को प्रेषित करने के बाद में मॉनीटरिंग भी करती हैं, लेकिन शिकायतों का निवारण उसी मंत्रालय या विभाग द्वारा किया जाता है।

23.7 शिकायत निवारण तंत्र

भारत में जन शिकायतों के लिए निवारण हेतु तंत्र विकसित करने के निम्नांकित प्रयास किये गए हैं-

1. **शिकायतों के निवारण के लिए नोडल एजेन्सी-** प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग भारत सरकार में प्रशासनिक सुधार तथा सामान्य रूप में राज्यों से सम्बन्धित लोक शिकायतों और विशेष रूप से केन्द्रीय सरकारी अभिकरणों से सम्बन्धित शिकायतों के निवारण के लिए एक नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करता है।
2. **नागरिक चार्टर-** व्यापक जनसम्पर्क वाले केन्द्रीय मन्त्रालयों एवं विभागों से कहा गया है कि वे नागरिक/प्रयोक्ता चार्टर तैयार करें और उन्हें परिचालन में लाएं जिनमें सेवा सुपुर्दगी के अपेक्षित मानकों, शिकायत निवारण प्रणाली और इसके कार्य निष्पादन की सार्वजनिक संवीक्षा के साथ-साथ सम्बन्धित संगठनों की वचनबद्धता स्पष्ट की जाए।

3. **सूचना और सुविधा काउन्टर-** जनता को सूचना और सहायता पहुंचाने की दृष्टि से स्थापित किए गये सूचना और सुविधा काउन्टर चार्टर के अग्रिम छोर के रूप में देखे गए है। सूचना और सुविधा काउन्टर प्रत्येक कार्यालय के सुरक्षा क्षेत्र से बाहर स्थापित किए गए हैं, ताकि सूचना का प्रसार नागरिक/प्रयोक्ता तक किया जा सके। यह सूचना सम्बन्धित संगठन की योजना और प्रक्रिया से सम्बन्धित होती है और इसके साथ-साथ इसका सम्बन्ध प्रत्येक आवेदन-पत्र की पावती तथा शिकायतों की स्थिति दर्शक रिपोर्ट से भी होता है।
4. **सभी मन्त्रालयों/विभागों में शिकायत निदेशक-** प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसरण में मन्त्रालयों/विभागों ने एक वरिष्ठ अधिकारी को शिकायत निदेशक के रूप में नामित किया है। शिकायत निदेशक को किसी भी ऐसी शिकायत से सम्बन्धित फाइल/कागजात मंगाने की शक्तियाँ प्राप्त है जो कि तीन माह से अधिक समय तक लम्बित पड़ी हों और वह इस सम्बन्ध मे मन्त्रालय/विभाग के सचिव अथवा सम्बन्धित संगठन के प्रमुख (जैसा भी मामला हो) के अनुमोदन से निर्णय ले सकता है।
5. **मन्त्रालयों/विभागों में बैठक विहीन दिन-** प्रत्येक मन्त्रालय/विभाग में बुधवार एक बैठक विहीन दिवस के रूप मे मनाया जा रहा है। इस दिन के तीन घण्टे (प्रातः 10 से 1 बजे तक) शिकायत निवारण के लिए अलग रखे जाते हैं, जबकि उपसचिव और उच्च स्तर के सभी अधिकारी लोक शिकायतों की सुनवाई करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए अपने कार्यालय में उपलब्ध रहते हैं। सभी मन्त्रालयों/विभागों को इस आशय के अनुदेश भी जारी किए गए हैं कि वे अपने सम्बद्ध/अधीनस्थ एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सप्ताह का एक दिन बैठक विहीन दिवस के रूप में घोषित करें।
6. **केन्द्रीयकृत सॉफ्टवेयर पैकेज-** प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने सभी मन्त्रालयों/विभागों में कार्यान्वयन हेतु परिचालित करने के लिए संशोधित शिकायत, कोड सहित एक समान सॉफ्टवेयर तैयार किया है। इस कोड में वास्तविक शिकायतों को अनुरोधों, सुझावों, आरोपों तथा कानूनी निवारण सम्बन्धी मामलों से पृथक रखा गया है। इस सॉफ्टवेयर को जनता से व्यापक सम्पर्क रखने वाले मन्त्रालयों/विभागों में चालू किया गया है। इसे धीरे-धीरे अद्यतन किया जाएगा, ताकि शिकायतों के निपटान को मानीटर करने में मदद मिल सके और शिकायतों पर की गई कार्यवाही की स्थिति के साथ-साथ विभिन्न प्रकार की सूचना ऑनलाइन पर उपलब्ध हो सके।
7. **शिकायतों के निवारण के लिए सचिवों की स्थायी समिति-** मन्त्रिमण्डल सचिव की अध्यक्षता में अगस्त, 1998 में लोक शिकायतों के निवारण के लिए सचिवों की एक स्थायी समिति गठित की गई है। कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय के सचिव, मन्त्रिमण्डल सचिवालय में सचिव (समन्वय), उपभोक्ता मामलों से सम्बन्धित विभाग के सचिव, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, डाक विभाग के सचिव, महानिदेशक योजना आयोग, प्रधान सूचना अधिकारी इस समिति के सदस्य हैं तथा अपर सचिव प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग इसके सदस्य सचिव हैं। यह समिति एक वर्ष के दौरान सार्वजनिक सम्पर्क वाले केन्द्रीय सरकार के विभागों से सम्बन्धित शिकायतों के निवारण के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार-लोक शिकायत विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए, प्रणालीबद्ध सुधारों से सम्बन्धी प्रस्तावों पर विचार करेंगी।

23.8 शिकायत निवारण तंत्र में समस्याएं

कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण करने में निम्न समस्याएं सामने आती हैं-

1. राज्य स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र की संस्थाओं में पदस्थापित व्यक्तियों का दृष्टिकोण व्यापक होता है, जिससे वह प्रत्येक मामले का सामान्यीकरण कर देते हैं एवं प्रत्येक मामले को गंभीरता से नहीं लेते हैं।
2. प्रार्थी की समस्या को सुनने के लिए पदाधिकारियों के पास सदैव ही समय की कमी रहती है। यदि प्रार्थी की बात सुन ली जाये तो प्रार्थी से जुड़े अन्य सभी पक्षों को सुनना सदैव संभव नहीं हो पाता है, जिससे पदाधिकारी समस्या के मूल को नहीं पहचान पाते और समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाता।
3. लोक शिकायत निवारण तंत्र की अनुशांसाएं, सिफारिशों एवं परामर्श के रूप में होती है। ये संस्थाएँ अपराधियों को स्वयं दण्डित नहीं करती हैं। ऐसे में विभागीय तंत्र इनकी सिफारिशों को कितना महत्व देता है। यह इनके अन्तर- सम्बन्धों पर निर्भर करता है।
4. शिकायत निवारण तंत्र के सर्वोच्च स्तर सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय भी शिकायतों के सत्यापन हेतु जिला स्तरीय संस्थाओं की सूचनाओं पर अधिक अवलंबित होते हैं। ऐसे में जिलास्तरीय निकाय राज्य स्तरीय निकायों से अधिक वैधानिकता रखते हैं।

जनता की शिकायतों का निवारण इतने उच्च स्तर की संस्थाओं की स्थापना से संभव नहीं है। जनता की शिकायतों का मुख्य आधार जनता और प्रशासन में दूरी का है। इसके लिए जनता और लोक सेवक के आचरण, व्यवहार तथा सोच में अन्तर जिम्मेदार हैं। हमारे यहां जनसेवक एक विशिष्ट प्रकार के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में कार्य करते हैं और उनसे इस दिशा में आमूलचूल परिवर्तन की अपेक्षा नहीं की जा सकती। इसके लिए दोनों की सोच तथा दृष्टिकोण में परिवर्तन होना आवश्यक है। दूसरा समाधान प्रशासन का विकेन्द्रीकरण है। प्रशासन को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए प्रशासन का विकेन्द्रीकरण होना आवश्यक है। तीसरा समाधान लोगों द्वारा अपने-अपने हितों की रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के संगठनों का निर्माण करना है। कृषक-समर्थक वर्ग, मजदूर-समर्थक वर्ग, आदि इस प्रकार के संगठनों के अच्छे उदाहरण हैं। इस बीच छात्रों, शिक्षकों, शासकीय कर्मचारियों, आदि द्वारा सरकार से अपनी मांगों को पूर्ण कराने के लिए आन्दोलनों का सहारा लेना पड़ता है। शहरों में 'बन्द' का आयोजन एक आम बात हो गयी है। इसके अतिरिक्त संभव हो तो प्रत्येक संभाग पर सभी संस्थाओं की स्थानीय इकाई आवश्यक रूप से होनी चाहिये एवं निश्चित समयावधि के पश्चात ये संस्थाएं इन स्थानीय इकाई में उपस्थित होकर जनशिकायतों का समाधान कर सके। जिन संस्थाओं के पास जनता की शिकायतें अधिक मात्रा में आती हैं, उनकी स्वयं की जांच एजेन्सी होनी चाहिये। यदि संस्था की स्वयं की जांच एजेन्सी संभव नहीं हो तो राज्य अन्वेषण ब्यूरो के कार्यालयों का उपयोग इस हेतु किया जा सकता है और राज्य अन्वेषण ब्यूरो सम्बन्धित मामले की जांच हेतु निर्देश व आदेश के लिए सम्बन्धित संस्था के अधीन रहे। सरकार को इन संस्थाओं में प्रशासनिक अधिकारियों व न्यायविदों की नियुक्तियों के बजाय विशेष ज्ञो को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। इन निकायों में कार्यरत प्रशासनिक कार्मिकों को भी सरकार के अन्य विभागीय कार्मिकों की भांति वेतन, भत्ता, पदोन्नति, सेवालाभ इत्यादि दिये जाने चाहिए।

अभ्यास प्रश्न-

1. भारत में 'भ्रष्टाचार निवारक समिति' का गठन कब किया गया और इसके अध्यक्ष कौन थे?
2. 'केन्द्रीय सतर्कता आयोग' का गठन कब किया गया?
3. सर्वप्रथम किस देश में और कब 'ओम्बुड्समैन' की स्थापना कब की गयी?
4. ओ0 एण्ड एम0 डिविजन की स्थापना भारत में कब की गयी?
5. केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है?
6. केन्द्रीय स्तर पर लोक पाल की स्थापना के लिए विधिक प्रावधान कब किए गये?

23.9 सारांश

यह सत्य है कि जब प्रभावकारी विधायी परिनिरीक्षा, उचित ढंग से प्रतिष्ठित मंत्रीय उत्तरदायित्व, नियमों की प्रबल प्रणाली तथा जवाबदेह एवं भागीदार प्रशासन उपलब्ध हो तब कार्मिकों में शिकायत की संभावना काफी कम हो जाती है। यह भी स्वीकार करना चाहिए कि ये सब शर्तें अनिवार्य सीमा एवं तीव्रता के साथ आसानी से किसी देश में उपलब्ध न होने के कारण प्रशासनिक शिकायतें बढ़ रही हैं। इन स्थितियों से निपटने के लिए विभिन्न देशों की सरकारों ने आंतरिक प्रशासनिक प्रणाली को मजबूत कर एवं कुछ स्थितियों में वृद्ध कर, कुछ व्यवस्था की है। एक प्रशासनिक निर्णय अथवा कार्यवाही के विरुद्ध वरिष्ठ अधिकारी अथवा मंत्रियों से याचना करने की विधियों को कुछ देशों में सुधारा एवं स्पष्ट किया गया है। कुछ देशों में विशेष अधिकारी को शिकायत अथवा सुधार अधिकारी निर्दिष्ट किया जाता है, जिसे नागरिक शिकायतें दर्ज कराते हैं। लेकिन जब वह प्रशासनिक संगठन से प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं करता अथवा उस प्रत्युत्तर से पूर्णतः संतुष्ट नहीं होता है, तब वह शिकायत से सम्बन्धित अधिकारी के पास जाता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण उपकरण ओम्बुड्समैन है। भारत में इसे लोकपाल और लोकायुक्त के प्रतिरूप में अपनाया गया है। यदि कर्मचारियों की शिकायतों को बढ़ने दिया गया तथा प्रशासन के प्रति असंतोष बढ़ता गया तो समाज में तनाव और अशान्ति को बढ़ावा मिलेगा। सामाजिक और आर्थिक असंतोष के बढ़ने से जनता में प्रशासन के प्रति अविश्वास तथा यदा-कदा हिंसात्मक आन्दोलन भी होते हैं।

यद्यपि लोकायुक्त संस्था सैद्धान्तिक दृष्टि से सुदृढ़ दिखाई देती है, किन्तु व्यावहारिक रूप से किसी भी राज्य में लोकायुक्त संस्था प्रभावित नहीं हो पायी है। लोकायुक्त की भूमिका सरकार का परामर्श देने की है। कई बार लोक सेवकों का अपराध सिद्ध हो जाने पर भी लोकायुक्त की सिफारिश पर राज्य सरकार समुचित कार्यवाही नहीं करती है। इस प्रकार प्रशासन में अनैतिकता तथा अकार्यकुशलता पर अंकुश नहीं लग पाता है।

23.10 शब्दावली

अशिष्टता- जनता के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना या अन्य तरीके से अभद्र व्यवहार करना।
कुप्रशासन- लक्ष्य प्राप्त करने में अकुशलता, समय पर कार्यालय में उपलब्ध न होना, रिकार्ड में हेराफेरी।
अपर्याप्त निवारण तंत्र- प्रशासन के विरुद्ध जनता की शिकायत सुनने एवं निवारण हेतु तंत्र का अभाव।

23.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. सन् 1962 में, श्री के० संधानम, 2. सन् 1964 में, 3. सन् 1908, स्वीडन में, 4. जून 1954 में, 5. राष्ट्रपति, 6. सन् 2013

23.12 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. कटारिया डॉ. सुरेन्द्र प्रशासनिक चिंतक, नैशनल पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 2005
2. फड़िया बी.एल., “भारत में लोक प्रशासन” साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, 2015
3. www.darpg.nic.in
4. वार्षिक प्रतिवेदन, जनशिकायत निवारण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर 2008
5. वार्षिक प्रतिवेदन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, 2012
6. डॉ. रविन्द्र शर्मा, भारत में लोक प्रशासन, कॉलेज बुक हाउस, 1997
7. चतुर्वेदी. टी. एन., 1997, “फिफटी इर्थस ऑफ इण्डियन एड.: स्ट्रोस्पक्रिटव एंड प्रोस्पेक्टस्,” इण्डियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनेस्ट्रेशन, जुलाई-सितम्बर वोल्यूम XLIII No. 3

23.13 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. फड़िया, बीएल, 'भारत में लोक प्रशासन' साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा।
2. डॉ. रविन्द्र शर्मा, भारत में लोक प्रशासन, कॉलेज बुक हाउस, 1997

23.14 निबन्धात्मक प्रश्न

1. कार्मिक की शिकायतों के स्वरूप तथा क्षेत्र को स्पष्ट करते हुए इसके प्रकारों की चर्चा कीजिए।
2. शिकायत विवारण तंत्र को स्पष्ट करते हुए इसमें आने वाली समस्याओं पर प्रकाश डालिए।